वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2006-07

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2006-07

भारतीय रिज़र्व बैंक

वार्षिक रिपोर्ट 2006-07
सारांश

जून 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली पर केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट का सारांश

पूरी वार्षिक रिपोर्ट इंटरनेट पर भी देखी जा सकती है।

URL : www.rbi.org.in

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

गवर्नर
Governor

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं. एसवायडी. 696 / 02.16.001 / 2007-08 **30 अगस्त 2007**
8 भाद्र 1929 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - 110 001

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रेषित करता हूँ:

(i) 30 जून 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, जिस पर मैंने, उप गवर्नरों ने और मुख्य महाप्रबंधक ने हस्ताक्षर किए हैं और जो रिज़र्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित है; और

(ii) 30 जून 2007 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर केन्द्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

(वाय वी. रेड्डी)

केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुम्बई - 400 001. भारत
फोन : (022) 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 फैक्स : (022) 2266 1784 ई-मेल : rbigovr@bom3.vsnl.net.in
Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001. INDIA
Tel : (022) 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 Fax : (022) 2266 1784 E-mail : rbigovr@bom3.vsnl.net.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड

गवर्नर
वाइ. वी. रेड्डी

उप गवर्नर
राकेश मोहन
वी. लीलाधर
श्यामला गोपीनाथ
उषा थोरात

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (ख) के अंतर्गत नामित निदेशक
वाइ. एच. मालेगाम
सुरेश धों. तेंडुलकर
यू. आर. राव
लक्ष्मी चंद

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (ग) के अंतर्गत नामित निदेशक
एच. पी. रानिना
अशोक एस. गांगुली
अज़ीम प्रेमजी
कुमार मंगलम बिड़ला
शशि राजगोपालन
सुरेश नेवतिया
ए. वैद्यनाथन
मन मोहन शर्मा
डी. जयवर्धनावेलु
संजय लाब्रू

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(घ) के अंतर्गत नामित निदेशक
अशोक कुमार झा (30 अप्रैल 2007 तक)
डी. सुब्बाराव (10 मई 2007 से)

स्थानीय बोर्ड के सदस्य

पश्चिमी क्षेत्र
वाइ. एच. मालेगाम
के. वेंकटेसन
दत्तराज वी. सालगांवकर
जयंती लाल बावजीभाई पटेल
महेंद्र सिंह सोढ़ा (10 मई 2007 तक)

पूर्वी क्षेत्र
सुरेश धों. तेंडुलकर
ए. के. सैकिया
सोवन कानूनगो

उत्तरी क्षेत्र
यू. आर. राव
मीठा लाल मेहता
राम नाथ
प्रीतम सिंह

दक्षिणी क्षेत्र
लक्ष्मी चंद
सी. पी. नायर
एस. रामचंदर
एम. गोविंद राव
देवकी जैन

प्रधान अधिकारी

(30 जून 2007 की स्थिति के अनुसार)

कार्यपालक निदेशक	आर.बी.बर्मन
	पी.के. बिश्वास
	वी. के. शर्मा
	सी. कृष्णन
	आनंद सिन्हा
	वी. एस. दास
केंद्रीय कार्यालय	
ग्राहक सेवा विभाग	काज़ा सुधाकर, मुख्य महाप्रबंधक
प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग	एच. एन. प्रसाद, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग	पी. सरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	जी. गोपालकृष्ण, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
मुद्रा प्रबंध विभाग	यू. एस. पालीवाल, मुख्य महाप्रबंधक
आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग	जी. एस. भाटी, प्रधान परामर्शदाता
व्यय और बजट नियंत्रण विभाग	रमेश चंद्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
बाह्य निवेश और परिचालन विभाग	श्रीमती मीना हेमचंद्रा, मुख्य महाप्रबंधक
सरकारी और बैंक लेखा विभाग	प्रबाल सेन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	जी. पद्मनाभन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	पी. कृष्णमूर्ति, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	ए. पी. होता, मुख्य महाप्रबंधक
सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग	ए. के. राय, प्रभारी अधिकारी
वित्तीय बाज़ार विभाग	चंदन सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक
विदेशी मुद्रा विभाग	सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक
मानव संसाधन विकास विभाग	दीपक सिंहल, मुख्य महाप्रबंधक
निरीक्षण विभाग	करुणासागर, मुख्य महाप्रबंधक
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	जी. महालिंगम, मुख्य महाप्रबंधक
विधि विभाग	के. डी. झकारियास, प्रभारी विधि परामर्शदाता
मौद्रिक नीति विभाग	एम. डी. पात्र, प्रभारी परामर्शदाता
परिसर विभाग	विजय चुघ, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग	श्रीमती फूलन कुमार, मुख्य महाप्रबंधक
ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग	सी. एस. मूर्ति, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सचिव विभाग	श्रीमती ग्रेस कोशी, मुख्य महाप्रबंधक और सचिव
शहरी बैंक विभाग	एन. एस. विश्वनाथन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
महाविद्यालय	**प्रधानाचार्य/मुख्य महाप्रबंधक**
बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय	दीपाली पंत जोशी
उन्नत वित्तीय अध्ययन केंद्र, मुंबई	हिमाद्री भट्टाचार्य, विशेष कार्य अधिकारी
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे	संदीप घोष
रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै	एस. करुप्पसामी
कार्यालय	**क्षेत्रीय निदेशक**
चेन्नै	एफ. आर. जोसेफ
कोलकाता	बी. महापात्र
मुंबई	ए. एन. राव
नई दिल्ली	एच. आर. खान
शाखाएं	**क्षेत्रीय निदेशक**
अहमदाबाद	बी. श्रीनिवासन
बेंगलूर	श्रीमती डी. मुत्थुकृष्णन
भोपाल	के. वी. राजन
भुवनेश्वर	जी. जगनमोहन राव
चंडीगढ़	डी. पी. एस. राठौर
गुवाहाटी	श्रीमती शेवाली चौधरी
हैदराबाद	आर. गांधी
जयपुर	बी. पी. विजयेंद्र
जम्मू	ओ. पी. अग्रवाल
कानपुर	जे. बी. भोरिया
नागपुर	सी. सी. मित्र
पटना	के. के. वोहरा
तिरुवनंतपुरम	एस. रामास्वामी
	प्रभारी अधिकारी
बेलापूर	ए. के. बेरा, मुख्य महाप्रबंधक
देहरादून	मनोज शर्मा, महाप्रबंधक
कोच्चि	टी. वी. गोपालकृष्णन, महाप्रबंधक
लखनऊ	अलख निरंजन, महाप्रबंधक
पणजी	श्रीमती डोरिस डिसूज़ा, महाप्रबंधक
रायपुर	ए. के. शर्मा, उप महाप्रबंधक

विषय सूची

पृष्ठ सं.

भाग एक : अर्थव्यवस्था : समीक्षा और संभावनाएं

I. आर्थिक समीक्षा 1

समष्टि आर्थिक नीति माहौल 1

वास्तविक क्षेत्र नीतियाँ 2

राजकोषीय नीति 6

बाह्य क्षेत्र विषयक नीतियां 10

मौद्रिक नीति ढांचा 11

वित्तीय क्षेत्र की नीतियाँ 12

वास्तविक अर्थव्यवस्था 16

सकल आपूर्ति 17

कृषि 17

औद्योगिक निष्पादन 22

सेवा क्षेत्र 29

कुल मांग 31

मुद्रा, ऋण और मूल्य 33

आरक्षित मुद्रा 33

मौद्रिक सर्वेक्षण 35

मूल्य स्थिति 41

सरकारी वित्त 53

केंद्र सरकार का वित्त – 2006-07 54

राज्य सरकार वित्त – 2006-07 56

केंद्र तथा राज्यों की संयुक्त बजटीय स्थिति – 2006-07 56

राजकोषीय दृष्टिकोण 58

वित्तीय बाजार 69

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार 69

देशी वित्तीय बाजार 72

मुद्रा बाजार 72

विदेशी मुद्रा बाजार 74

सरकारी प्रतिभूति बाजार 77

ऋण बाजार 78

इक्विटी और ऋण बाजार 79

बाह्य क्षेत्र 84

अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां 84

भुगतान संतुलन 87

बाह्य ऋण 97

विदेशी मुद्रा भंडार 98

अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति 100

विषय सूची

पृष्ठ सं.

II. मूल्यांकन और संभावनाएं 102
2006-07 का मूल्यांकन 102
2007-08 की संभावनाएं 105
संपदा क्षेत्र 109
राजकोषीय नीति 114
बाह्य क्षेत्र 115
वित्तीय क्षेत्र 117
मौद्रिक नीति 118

भाग दो : भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्य प्रणाली और उसके परिचालन

III. मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी परिचालन 120
मौद्रिक नीति परिचालन 121
ऋण सुपुर्दगी 136

IV. वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन 147
मुद्रा बाजार 147
सरकारी प्रतिभूति बाजार 148
विदेशी मुद्रा बाज़ार 150

V. वित्तीय विनियमन तथा पर्यवेक्षण 157
भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए विनियामक ढांचा 157
विनियामक और पर्यवेक्षी पहलें 159
वाणिज्य बैंक 159
सहकारी बैंक 170
वित्तीय संस्थान 173
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 173

VI. लोक ऋण प्रबंध 181
केंद्र सरकार 181
राज्य सरकारें 191

VII. मुद्रा प्रबंध 200
संचलन में बैंक नोट 200
मुद्रा परिचालन 202

VIII. भुगतान और निपटान प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी 207
भुगतान और निपटान प्रणाली 207
भुगतान और निपटान प्रणाली में गतिविधियां 208
सूचना प्रौद्योगिकी 212

विषय सूची

पृष्ठ सं.

IX. मानव संसाधन विकास और संगठनात्मक मामले 216

मानव संसाधन संबंधी पहल 216

रिज़र्व बैंक में ग्राहक सेवा तथा शिकायत निवारण प्रणाली 224

केंद्रीय बोर्ड और उसकी समितियां 234

X. वर्ष 2006-07 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा 239

आय और व्यय 239

व्यय 242

तुलन पत्र 243

देयताएं 243

आस्तियां 244

परिशिष्ट I : गवर्नर और उप गवर्नरों द्वारा दिए गए भाषणों की सूची 251

परिशिष्ट II : कार्यदलों / समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की सूची 253

परिशिष्ट III : विदेशी प्रतिनिधियों का भारतीय रिज़र्व बैंक में आगमन 254

परिशिष्ट IV : नीति संबंधी प्रमुख घोषणाओं की कालानुक्रम सूची 256

बॉक्स

I.1 राष्ट्रीय विकास परिषद : कृषि के संबंध में प्रस्ताव 3

I.2 माल और सेवा कर 9

I.3 मौद्रिक नीति संचालन के लिए विधायी संशोधन 13

I.4 सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 14

I.5 राष्ट्रीय किसान आयोग 21

I.6 भारतीय उद्योग में क्षमता वृद्धि : पूंजीगत माल क्षेत्र की भूमिका 24

I.7 भारत में आर्थिक वृद्धि और रोजगार में संबंध 26

I.8 वैश्विकीकरण और मुद्रास्फीति 43

I.9 मुद्रास्फीति को लक्ष्य करने वाला ढाँचा : संस्थागत व्यवस्थाएं 47

I.10 पेट्रोलियम उत्पाद मूल्य और सब्सिडी : विभिन्न देशों के अनुभव 48

I.11 ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत राजकोषीय समेकन तथा योजना व्यय 62

I.12 राजकोषीय दायित्व विधान और राज्य वित्त 64

I.13 राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) तथा राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा 67

I.14 सुपुर्दगी रहित वायदा बाजार 76

I.15 वैश्विक अर्थव्यवस्था में एशिया 85

I.16 अमरीकी आवासीय बाजार की मंदी 86

I.17 भारत में श्रमिक विप्रेषणों का आगम 92

III.1 प्रति-चक्रीय विवेकपूर्ण उपाय और मौद्रिक नीति 122

III.2 ओवरहीटिंग और मौद्रिक नीति 124

विषय सूची

पृष्ठ सं.

III.3 भारत में मौद्रिक नीति का रुझान 127
III.4 मौद्रिक नीति की विश्लेषणात्मक निविष्टियों के रूप में सर्वेक्षण 130
III.5 प्राथमिकता क्षेत्र उधारों पर संशोधित दिशा-निर्देश 137
III.6 वित्तीय समावेशन 138
III.7 वित्तीय शिक्षा 139
III.8 ऋण परामर्श केंद्र 140
IV.1 संपूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर समिति 151
V.1 पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया 158
V.2 निजी क्षेत्र के और विदेशी बैंकों के लिए संरक्षित प्रकटीकरण योजना 162
V.3 बासल II - भारत में बैंकों द्वारा पूंजी पर्याप्तता की नई रूपरेखा का कार्यान्वयन - प्रमुख विशेषताएं 165
V.4 भारत में वित्तीय समूह पर्यवेक्षण के लिए विकसित हो रहा ढांचा 166
V.5 ग्राहक सेवा विभाग 167
V.6 बैंक द्वारा ग्राहकों से यथोचित सेवा प्रभार 169
V.7 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा पूंजी जुटाने से संबंधित मामले पर कार्य दल की रिपोर्ट 172
V.8 बैंक और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय विनियम 174
VI.1 दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए नीलामी कैलेंडर : अंतर्निहित मुद्दे 185
VI.2 2006-07 में सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी - एक विश्लेषण 186
VI.3 सरकारी प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप 189
VI.4 राज्य सरकारों द्वारा ऋण का समयपूर्व भुगतान 193
VI.5 केंद्र और राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रमों के लिए गठित स्थायी तकनीकी समिति 198
VII.1 बैंक नोटों की मुद्रण लागत 204
VIII.1 अंतरराष्ट्रीय प्रेषण सेवाओं के सामान्य सिद्धांत 212
VIII.2 विकेंद्रीकृत कार्यों के साथ केंद्रीकृत डाटाबेस 213
VIII.3 आउटसोर्सिंग : विशेषताएं और रक्षोपाय 215
IX.1 केंद्रीय सूचना आयोग(सीआइसी) के प्रमुख निर्णय 230
IX.2 भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित डाटाबेस (डीबीआइई) का कवरेज 233
IX.3 केंद्रीय बैंक अभिशासन : अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं और रिज़र्व बैंक 236
X.1 भारतीय स्टेट बैंक में रिज़र्व बैंक की शेयर धारिता का भारत सरकार को अंतरण 239

चार्टस

I.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की क्षेत्रीय वृद्धि 23
I.2 बुनियादी सुविधा उद्योग की क्षेत्रवार वृद्धि 27
I.3 सकल घरेलू बचत 31
I.4 आरक्षित मुद्रा 34

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
I.5	मौद्रिक समुच्चय	36
I.6	परिचलन में मुद्रा में पाक्षिक घट-चढ़	36
I.7	मीयादी जमाराशियां और छोटी बचत	37
1.8	बैंक ऋण वृद्धि और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	38
I.9	वृद्धिशील ऋण - जमा राशि अनुपात	38
1.10	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सांविधिक चलनिधि अनुपात में निवेश	40
1.11	वैश्विक मुद्रास्फीति	42
I.12	मुद्रा स्फीति में उतार-चढ़ाव	50
I.13	केंद्र सरकार का ऋण अदायगी भार	55
I.14	राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक	56
I.15	10-वर्षीय सरकारी बांड प्रतिफल	71
I.16	चल निधि-समायोजन सुविधा और मांग दर	72
I.17	मुद्रा बाजार - ब्याज दर और कुल बिक्री	73
I.18	प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए में घट-बढ़	75
I.19	विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप और विनिमय दर	75
I.20	वायदा प्रीमियम में गतिविधि	76
I.21	विदेशी विनिमय बाजार में कारोबार	77
I.22	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर आय	77
I.23	सरकारी प्रतिभूति बाजार में कारोबार और आय	78
I.24	प्राथमिक बाजार में संसाधन जुटाव	80
I.25	भारतीय शेयर बाजार	82
I.26	वैश्विक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि	84
I.27	भारत की अदृश्य प्राप्तियां	90
I.28	माल और सेवाओं सबंधी भारत का निर्यात	90
I.29	भारत का चालू खाता	93
I.30	भारत में विदेशी निवेश	94
I.31	भारत तथा विकासशील देशों को विदेशी निवेश का प्रवाह	95
III.1	आरक्षित नकदी अनुपात	128
III.2	एल ए एफ के अंतर्गत रिपो (+)/ रिवर्स रिपो (-)	131
V.1	रिपोर्टिंग एनबीएफसी के सीआरएआर का बारंबारता वितरण	177
VI.1	केंद्र सरकार की नकदी-शेष राशि	182
VI.2	खज़ाना बिलों की प्राथमिक बाज़ार आय	183

विषय सूची

पृष्ठ सं.

VI.3 संशोधित अवधि और अनुषंगी बाज़ार प्रतिफल 187

VII.1 व्यापक मुद्रा में मुद्रा का हिस्सा 200

VII.2 संचलन में बैंक नोट : मार्च 2007 201

VII.3 मुद्रा प्रबंध चक्र 202

IX.1 रिज़र्व बैंक के स्टाफ की कुल संख्या 222

X.1 आय के स्रोत 240

X.2 व्यय की प्रमुख मदें 243

X.3 विदेशी मुद्रा और देशी आस्तियों में प्रवृत्तियां 245

सारणी

1.1 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 17

1.2 वर्षा का भौगोलिक विभाजन 18

1.3 कृषि उत्पादन 19

1.4 प्रमुख फसलों का उत्पादन 19

1.5 कृषि में सकल पूंजी निर्माण 20

1.6 खाद्यान्न भंडार का प्रबंध 22

1.7 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक : उद्योगों का क्षेत्रीय तथा उपयोग-आधारित वर्गीकरण 23

1.8 क्षमता उपयोग 25

1.9 बुनियादी सुविधा उद्योगों के लक्ष्य और उपलब्धियां 27

1.10 केंद्र क्षेत्र की परियोजनाओं का निष्पादन 27

1.11 औद्योगिक निवेश प्रस्ताव 28

1.12 घोषित विलय और अभिग्रहण 28

1.13 लघु उद्योगों का निष्पादन 28

1.14 सेवा क्षेत्र गतिविधि के संकेतक 29

1.15 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग 29

1.16 कारपोरेट क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन 30

1.17 वास्तविक प्रभावी मांग के चुनिंदा स्रोत में वृद्धि 31

1.18 सकल पूंजी निर्माण 32

1.19 वित्तीय अस्तियों में घरेलू बचत 32

1.20 प्रारक्षित मुद्रा 34

1.21 मौद्रिक संकेतक 35

1.22 अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों का परिचालन 37

1.23 बैंकिंग क्षेत्र द्वारा दिया गया घरेलू ऋण 38

विषय सूची

पृष्ठ सं.

1.24 खाद्येतर बैंक ऋण का विनियोजन 39
1.25 उद्योगोंकी निधियों के चुनिंदा स्रोत 40
1.26 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का गैर-एसएलआर निवेश 40
1.27 जमाराशियां और ऋण - बैंक समूह -वार और जनसंख्या समूह -वार 41
1.28 वैश्विक मुद्रा स्फीति संकेतक 44
1.29 सांकेतिक और वास्तविक नीति दर चुनिंदा देश 46
1.30 हेडलाइन और मुख्य मुद्रास्फीति 46
1.31 अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतें 49
1.32 भारत में थोक मूल्य मुद्रा स्फीति 51
1.33 प्रमुख समूह-वार थोमूसू मुद्रा स्फीति 51
1.34 उपभोक्ता मूल्य मुद्रा स्फीति - प्रमुख समूह 52
1.35 प्रमुख राजकोषीय संकेतक : मिश्रित वित्त 54
1.36 केंद्र के प्रमुख राजकोषीय संकेतक 55
1.37 2006-07 के केंद्र के प्रमुख घाटा संकेतक - अनंतिम खाते 55
1.38 केंद्र की बकाया घरेलू देयताओं की औसत ब्याज दर 56
1.39 केंद्र और राज्य के मिश्रित वित्त के संकेतक 57
1.40 केंद्र और राज्यों की मिश्रित देयताएं 57
1.41 बकाया सरकारी गारंटियां 58
1.42 केंद्र के सकल राजकोषीय घाटे का घटकवार विभाजन 58
1.43 केंद्र की राजस्व स्थिति 59
1.44 केंद्र का सकल कर राजस्व 60
1.45 केंद्र सरकार के व्यय का स्वरूप 61
1.46 केंद्र के चुनिंदा विकास शीर्ष पर व्यय 62
1.47 केंद्र के सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप 63
1.48 2007-08 के लिए बजट अनुमानों की तुलना में ग्यारहवीं योजना का पूर्वानुमान 63
1.49 चुनिंदा देशों की केंद्र सरकारों के घाटा और ऋण संकेतक ग्यारहवीं योजना का पूर्वानुमान 63
1.50 राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक 64
1.51 राज्य सरकारों की समग्र प्राप्तियां 65
1.52 राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप 66
1.53 राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का घटकवार विभाजन और वित्तपोषण का स्वरूप 67
1.54 केंद्र और राज्य सरकारों के घाटे की मात्रा 68
1.55 केंद्र और राज्यों की मिश्रित प्राप्तियां और संवितरण 68
1.56 केंद्र और राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण 68
1.57 सामाजिक क्षेत्र पर केंद्र और राज्यों का मिश्रित व्यय 69

विषय सूची

पृष्ठ सं.

1.58 घरेलू वित्तीय बाजार एक नजर में 70
1.59 अल्पावधि ब्याज दरें 71
1.60 अंतरर्राष्ट्रीय शेयर बाजार 71
1.61 अन्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि (+)/ह्रास (-) 71
1.62 मुद्रा बाजार घटकों की गतिविधियां 73
1.63 वाणिज्यिक पत्र - प्रमुख जारीकर्ता 74
1.64 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर की खरीद और बिक्री 75
1.65 आय विस्तार 78
1.66 जमा और उधार दरें 79
1.67 प्राथमिक बाजार से संसाधन जुटाना 80
1.68 म्युच्युअल फंडों द्वारा संसाधन संग्रहण 80
1.69 म्युच्युअल फंडों द्वारा जुटाई गई निधियां - योजनाओं का प्रकार 81
1.70 चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बांडों /डिबेंचरों के माध्यम से जुटाए गए संसाधन 82
1.71 संस्थात्मक निवेशों की प्रवृत्तियां 82
1.72 शेयर बाजार संकेतक 83
1.73 बीएसई क्षेत्रीय स्टाक सूचकांक 83
1.74 उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को निवल पूंजी प्रवाह 84
1.75 भारत के निर्यात की दिशाएं 87
1.76 भारत के आयात की दिशाएं 88
1.77 भुगतान संतुलन - मुख्य संकेतक 89
1.78 भारत के सेवा निर्यात की संरचना 90
1.79 कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का निर्यात, 2005 91
1.80 भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन और बाहर जानेवाले पर्यटकों की संख्या 91
1.81 श्रमिकों द्वारा किया जानेवाला विप्रेषण - विप्रेषण प्राप्तकर्ता दस सर्वोच्च देश 91
1.82 चुनिंदा देशों में व्यापार और चालू खाता शेष 93
1.83 भारत में विदेशी निवेश प्रवाह 94
1.84 भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश : देशवार और उद्योगवार 95
1.85 विदेश में भारत का प्रत्यक्ष निवेश 96
1.86 चुनिंदा देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और संविभाग निवेश 96
1.87 अनिवासी भारतीय जमाराशि योजनाओं के अंतर्गत शेष 97
1.88 विदेशी सरकारों को भारत का सहायता अनुदान और ऋण 97
1.89 भारत का बाह्य ऋण 97
1.90 बाह्य ऋण चुकौती संबंधी भुगतान 98
1.91 विदेशी मुद्रा भंडार 99

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
1.92	विदेशी मुद्रा आस्तियों के विनियोजन का स्वरूप	100
1.93	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	100
1.94	अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति : चुनिंदा देश	101
1.95	भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां	101
3.1	आरक्षित निधि अपेक्षा और मुख्य नीति दरों में घट-बढ़	123
3.2	अनिवासी जमाराशियों का ब्याज दर ढांचा	126
3.3	नकदी प्रबंधन	131
3.4	मासिक प्राथमिक नकदी प्रवाह और खुले बाजार के परिचालन	131
3.5	रिज़र्व बैंक के नकदी प्रबंध परिचालन	132
3.6	रिज़र्व बैंक में केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की धारिता	133
3.7	एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रिपो/रिपो में लगायी गयी बोलियां	134
3.8	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम	143
3.9	विशेष कृषि ऋण योजनाओं के अधीन बैंकों द्वारा किए गए संवितरण	143
3.10	बकाया कृषि ऋण	143
3.11	सरकारी क्षेत्र के बैंक - प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली	144
3.12	एसएचजी संबद्धता कार्यक्रम की प्रगति	144
3.13	रुग्ण लघु उद्योग यूनिटों को ऋण	145
4.1	जब जारी बाजार - खुली स्थिति सीमाएं	149
4.2	निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अधीन विप्रेषण	152
5.1	मानक परिसंपत्ति प्रावधानीकरण अपेक्षाएं	159
5.2	भारतीय बैंकों के विदेशों में खोले गए कार्यालयः जुलाई 2006 से जून 2007	163
5.3	विदेशी बैंकों के भारत में खोले गए कार्यालय : जुलाई 2006 से जून 2007	163
5.4	चुनिंदा वित्तीय संकेतक	176
5.5	अनुसूचित वाणिज्य बैंक : सीआरएआर का बारंबारता वितरण	177
5.6	चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के सीआरएआर और निवल गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए)	177
5.7	अनुसूचित वाणिज्य बैंक - निष्पादक संकेतक	178
5.8	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	178
5.9	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	179
5.10	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालनगत परिणाम - मुख्य अनुपात	179
5.11	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालनगत परिणाम - 2006-07	179
5.12	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के परिचालनगत परिणाम - मुख्य अनुपात	180
6.1	खजाना बिलों की स्थिति	183
6.2	खजाना बिल - प्राथमिक बाजार	184
6.3	केंद्र सरकार की सकल और निवल बाजार उधार राशियां	184

विषय सूची

पृष्ठ सं.

6.4 केंद्र सरकार के बाज़ार ऋण - रूपरेखा 186
6.5 प्राथमिक निर्दिष्ट प्रतिफल और प्रचलित द्वितीयक बाज़ार प्रतिफल 187
6.6 केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता की स्थिति 188
6.7 केंद्र के बकाया बाज़ार ऋणों का चुकौती कार्यक्रम 188
6.8 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के बकाया स्टाक की ब्याज दर की रूपरेखा 188
6.9 2007-08 के दौरान केंद्र सरकार का संकेतक कैलेंडर और वास्तविक उधार राशियां 190
6.10 राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट 191
6.11 अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का राज्य-वार उपयोग 192
6.12 राज्य सरकारों के निवेश 193
6.13 राज्यों की सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा 194
6.14 राज्य सरकारों के वार्षिक बाज़ार उधार 195
6.15 राज्य सरकारों के माहवार बाज़ार उधार 195
6.16 2006-07 के दौरान नीलामी श्रृंखला का बारंबारता वितरण 196
6.17 राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर लाभ 196
6.18 वर्ष 2006-07 के दौरान खरीद-बिक्री का भारित औसत अंतर 196
6.19 राज्य सरकारों के बकाया प्रतिभूति ऋण का ब्याज-दर विवरण 197
6.20 राज्य सरकारों की बकाया प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि का विवरण 197
6.21 बकाया राज्य ऋण और पॉवर बॉण्ड की परिपक्वता स्थिति 197
7.1 संचलन में बैंकनोट 201
7.2 संचलन में सिक्के 202
7.3 मुद्रा तिजोरियां 202
7.4 मांग और आपूर्ति किए गए बैंक नोटों की मात्रा 203
7.5 मांग और आपूर्ति किए गए बैंक नोटों के मूल्य 203
7.6 सिक्कों की मांग और आपूर्ति 204
7.7 मूल्य वर्ग वार गंदे नोटों का निपटान 205
7.8 पकड़े गए जाली बैंक नोट 205
8.1 भुगतान प्रणाली संकेतक 208
8.2 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणालियां 209
8.3 कार्ड आधारित भुगतान 209
8.4 माहवार आरटीजीएस लेनदेन 211
8.5 सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण घटक : 2006-07 213
9.1 रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थान- आयोजित कार्यक्रम 217
9.2 2006-07 के दौरान प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रम / संगोष्ठियां / कार्यशालाएं 217

विषय सूची

पृष्ठ सं.

9.3 भारत और विदेश में बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या 218
9.4 रिज़र्व बैंक द्वारा की गई भर्ती - 2006 221
9.5 रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या 221
9.6 श्रेणीवार वास्तविक स्टाफ संख्या 222
9.7 31 दिसंबर 2006 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की विभागवार स्टाफ संख्या 223
9.8 कार्यालयवार स्टाफ़ संख्या 224
9.9 सूचना का अधिकार अधिनियम - प्राप्त और निपटाए गए अनुरोध 229
10.1 सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्तियां 240
10.2 सकल आय 240
10.3 आकस्मिक तथा आस्ति विकास आरक्षित निधियां और सरकार को अधिशेष अंतरण 241
10.4 विदेशी स्रोतों से अर्जन 241
10.5 घरेलू स्रोतों से अर्जन 242
10.6 व्यय 242
10.7 मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते तथा विदेशी मुद्रा समतुल्यीकरण खाते में शेष राशियां 244
10.8 आकस्मिक आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि में शेष राशियाँ 244
10.9 बकाया विदेशी मुद्रा और देशी आस्तियां 244
10.10 सहायक/संबद्ध संस्थाओं के शेयरों में निवेश 245

परिशिष्ट सारणी के सूची

1 चुनिंदा व्यापक आर्थिक और वित्तीय संकेतक 274
2 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें और क्षेत्रवार संरचना 275
3 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तिमाही वृद्धि दरें तथा उनकी क्षेत्रवार संरचना 276
4 कृषि उत्पादन 277
5 खाद्यानों की सरकारी खरीद, निकासी और स्टॉक 278
6 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्तियां 279
7 विनिर्माण क्षेत्र के सत्रह प्रमुख उद्योग समूहों के सूचकांक में वृद्धि 280
8 विनिर्माण क्षेत्र के सत्रह प्रमुख उद्योग समूहों की वृद्धि दरों की बारंबारता - 2002-03 से 2006-07 तक 281
9 औद्योगिक उत्पादन का उपयोग - आधारित वर्गीकरण 282
10 संरचनावाले छह उद्योगों की वृद्धि 283
11 सकल घरेलू बचत और निवेश 284
12 घरेलू क्षेत्र (सकल) की वित्तीय बचत 285

विषय सूची

पृष्ठ सं.

13 आरक्षित मुद्रा में घट-बढ़ 286
14 भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण 287
15 मुद्रा स्टॉक में घट-बढ़ 288
16 नए मौद्रिक समुच्चय 289
17 चलनिधि समुच्चय 290
18 महत्वपूर्ण बैंकिंग संकेतक - अनुसूचित वाणिज्य बैंक 291
19 वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण 292
20 प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का नियोजन 293
21 सकल बैंक ऋण का उद्योगवार नियोजन 294
22 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की आर्थिक सहायता 295
23 थोक मूल्य के सूचकांकों में घट-बढ़ 296
24 थोक मूल्यों में घट-बढ़ - भारांकित योगदान 297
25 मूल्य सूचकांक में वार्षिकीकृत घट-बढ़ 298
26 केंद्र सरकार के घाटे का अनुपात 299
27 केंद्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय की प्रमुख मदें 300
28 केंद्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण 301
29 केंद्र सरकार की बकाया देयताएं 302
30 राज्य सरकारों के बजट परिचालन 303
31 केंद्र और राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व 304
32 राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण और बकाया देयताएं 305
33 संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण केंद्र और राज्य सरकार 306
34 बाजार उधार - केंद्र और राज्य सरकार 307
35 चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां 308
36 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्रों का निर्गम 318
37 वाणिज्यिक पत्र 319
38 भारतीय रुपए की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) तथा सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (नीर) के सूचकांक 320
39 विदेशी मुद्रा बाजार में अंतर बैंक और वणिक कारोबार 321
40 सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार के लेनदेन 322
41 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज दर संरचना 323
42 गैर सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा नए पूंजी निर्गम 324
43 वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित सहायता 325
44 घरेलू स्टॉक सूचकांक 326
45 घरेलू इक्विटी बाजार के प्रमुख संकेतक 327

विषय सूची

पृष्ठ सं.

46 इक्विटी व्युत्पन्नी बाजार में पण्यावर्त 328
47 चुने हुए आर्थिक संकेतक - विश्व 329
48 भारत का समग्र भुगतान संतुलन 330
49 भारत का विदेश व्यापार 331
50 भारत से मुख्य पण्यों का निर्यात 332
51 भारत में मुख्य पण्यों का आयात 333
52 लेनदेनों की श्रेणियों के अनुसार अदृश्य मदें 334
53 पूंजी आगमों की संरचना 335
54 बाह्य सहायता 336
55 भारत का विदेशी ऋण 337
56 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 339
57 निर्यात ऋण पर ब्याज दरें 340
58 खज़ाना बिलों की स्थिति 341
59 केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम 342
60 केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां - स्थिति 343
61 राज्य सरकार का बाजार उधार कार्यक्रम 344
62 नीलामी से जुटाए गए राज्य सरकार के बाजार उधार 345

संक्षेपाक्षर

एए	-	अपील प्राधिकारी
एसीए	-	अतिरिक्त केंद्रीय सहायता
एसीयू	-	अतिरिक्त प्रतियोगी हामीदारी
एसीयू	-	एशियाई समाशोधन संघ
एडी	-	प्राधिकृत व्यापारी
एडीबी	-	एशियाई विकास बैंक
एडीआर	-	अमरीकी निक्षेपागार (डिपाज़िटरी) रसीद
एडीआर	-	परिसंपत्ति विकास आरक्षित निधि
एएफसी	-	परिसंपत्ति वित्तीय कंपनी
एएफआइ	-	वार्षिक वित्तीय निरीक्षण
एएफएस	-	बिक्री के लिए उपलब्ध
एआइबीपी	-	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
एआइसी	-	कृषि बीमा निगम
एआइएफआइ	-	अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
एएल	-	कृषि श्रमिक
एएमसी	-	आस्ति प्रबंध कंपनी
एएमएल	-	धन शोधन निवारण
एएमपीआइ	-	सकल सूक्ष्म - विवेकपूर्ण संकेतक
एएनबीसी	-	समायोजित निवल बैंक ऋण
एपीएमसी	-	कृषि उत्पाद बाजार समिति
एआरसी	-	आस्ति-पुनर्निर्माण कंपनी
एएसईएन	-	दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ
एएसएसओसी एचएएम	-	एसोसियेटिड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
एटीबी	-	नीलामी खजाना बिल
एटीएफ	-	विमानन टर्बाइन ईंधन
एटीएम	-	स्व-चालित टेलर मशीन
बीसीबीएस	-	बैंक पर्यवेक्षण पर बासल समिति
बीसीआर	-	बिड टू कवर अनुपात
बीसीएसबीआइ	-	भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड
बीसीटीटी	-	बैंकिंग नकदी लेन देन कर
बीइ	-	बजट अनुमान
बीएफएस	-	वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
बीआइएफआर	-	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीआइएस	-	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
बीओजे	-	बैंक ऑफ जापान
बीओपी	-	भुगतान संतुलन
बीओटी	-	निर्माण - परिचालन - अंतरण
बीपीएल	-	गरीबी रेखा से नीचे
बीपीएलआर	-	बेंचमार्क मूल उधार दर
बीपीओ	-	कारोबारी प्रक्रिया आउट सोर्सिंग
बीपीएसएस	-	भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड
बीआरबीएनएमपीएल	-	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि.
बीएसइ	-	बॉम्बे शेयर बाजार
बीएसआर	-	मूलभूत सांख्यिकी विवरणी
बीटीसी	-	बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय
सीए	-	समवर्ती लेखा परीक्षा
सीएबी	-	कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
सीएसीपी	-	कृषि लागत और मूल्य आयोग
सीएडी	-	चालू खाता घाटा
सीएएफएल	-	उन्नत वित्तीय अध्ययन केंद्र
सीएएलसीएस	-	पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, चलनिधि, अनुपालन और प्रणाली
सीएएम	-	तिजोरी लेखांकन मॉड्यूल
सीएएमईएलएस	-	पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली
सीएपीआइओ	-	केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी
सीएएस	-	केंद्रीय लेखा अनुभाग
सीबीएलओ	-	संपार्श्विकीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता
सीबीएस	-	समेकित बैंकिंग सांख्यिकी
सीसीबी	-	केंद्रीय बोर्ड समिति
सीसीआइएल	-	भारतीय समाशोधन निगम लि.
सीसीआरएस	-	करेंसी चेस्ट रिपोर्टिंग सिस्टम

संक्षेपाक्षर

सीडी	-	जमा प्रमाणपत्र
सीडीबीएमएस	-	केंद्रीय डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली
सीडीआर	-	कंपनी ऋण पुनर्संरचना
सीइएनवीएटी	-	केंद्रीय मूल्य वर्धित कर
सीईओ	-	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीएफइएस	-	केंद्रीकृत निधि जांच प्रणाली
सीएफएमएस	-	केंद्रीकृत निधि प्रबंध प्रणाली
सीएफएसपी	-	वित्तीय क्षेत्र योजना पर समिति
सीएफटीएस	-	केंद्रीकृत निधि अंतरण प्रणाली
सीजीआरए	-	मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता
सीआइबीआइएल	-	भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लि.
सीआइसी	-	केन्द्रीय सूचना आयोग
सीआइपीईटी	-	प्लास्टिक अभियांत्रिकी तथा तकनीकी केंद्रीय संस्थान
सीएमआइइ	-	भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र
सीओआर	-	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीपीसी	-	चेक प्रसंस्करण केंद्र
सीपीडीओ	-	केंद्रीकृत थोक ऋण कार्यालय
सीपीआइ	-	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआइ-आइडब्ल्यू	-	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक मजदूर
सीपीआइओ	-	मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
सीपी	-	वाणिज्यिक पत्र
सीपीपीएपीएस	-	सार्वजनिक सेवाओं संबंधी प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा पर समिति
सीपीएसयू	-	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीआर	-	आकस्मिकता आरक्षित निधि
सीआरएआर	-	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात
सीआरसी	-	शिकायत निवारण कक्ष
सीआरसीएस	-	सहकारी समितियों के केंद्रीय निबंधक
सीआरडीसी	-	केंद्रीय अभिलेख तथा प्रलेखीकरण केंद्र
सीआरआर	-	नकदी आरक्षित अनुपात
सीएसएए	-	स्व-नियंत्रण मूल्यांकन लेखा परीक्षा
सीएससी	-	सामान्य सेवा केंद्र
सीएसडी	-	ग्राहक सेवा विभाग
सीएसजीएल	-	ग्राहक सहायक सामान्य बही खाता
सीएसएफ	-	समेकित ऋण शोधन निधि
सीएसओ	-	केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन
सीएसटी	-	केंद्रीय बिक्री कर
सीटीआर	-	नकदी लेनदेन रिपोर्ट
सीटीएस	-	चेक ट्रंकेशन प्रणाली
सीवीसी	-	केंद्रीय सतर्कता आयोग
सीवीपीएस	-	मुद्रा सत्यापन और संसाधन प्रणाली
डीएडी	-	जमा लेखा विभाग
डीएपीएम	-	प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग
डीबीआइइ	-	भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डाटाबेस
डीबीओडी	-	बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
डीबीएस	-	बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
डीसीसीबी	-	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीसीएम	-	मुद्रा प्रबंध विभाग
डीडीटी	-	लाभांश वितरण कर
डीइ	-	नामित ईकाई
डीईएपी	-	आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग
डीईबीसी	-	व्यय और बजट नियंत्रण विभाग
डीईआइओ	-	बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
डीईपीबी	-	ड्यूटी हकदारी पासबुक
डीईएसएसीएस	-	सांख्यिकी विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग
डीएफएचआइ	-	भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह
डीएफआइ	-	विकास वित्तीय संस्था
डीजीबीए	-	सरकारी और बैंक लेखा विभाग
डीजीसीआइएण्डएस	-	वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय
डीजीएफटी	-	विदेश व्यापार महा निदेशालय
डीआइसीजीसी	-	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआइटी	-	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

संक्षेपाक्षर

डीआइपीपी	-	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग
डीएमआइएस	-	प्रलेख प्रबंध जानकारी प्रणाली
डीएमओ	-	ऋण प्रबंधन कार्यालय
डीएनबीएस	-	गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
डीएनएस	-	आस्थगित निवल निपटान
डीओटी	-	दूरसंचार विभाग
डीपीएसएस	-	भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
डीआरआइ	-	विभेदक ब्याज दर योजना
डीआरएटी	-	ऋण वसूली अपीलीय ट्रिब्यूनल
डीआरजी	-	विकास अनुसंधान समूह
डीआरएस	-	आपदा से उबरने की प्रणाली
डीआरटी	-	ऋण वसूली न्यायाधिकरण
डीएसएस	-	ऋण अदला-बदली योजना
डीटीए	-	देशी प्रशुल्क क्षेत्र
डीटीएल	-	मांग और मीयादी देयताएं
डीवीपी	-	सुपुर्दगी बनाम भुगतान
इबीपीटी	-	प्रावधान एवं कर पूर्व अर्जन
ईसीबीज	-	बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईसीबी	-	यूरोपीय केंद्रीय बैंक
ईसीआर	-	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
ईसीएस	-	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली
इइए	-	विदेशी मुद्रा समतुल्यीकरण खाता
ईईएफसी	-	विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता
ईएफटी	-	इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
इएल	-	उपस्कर लीजिंग
ईएमई	-	उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्था
ईएमआइ	-	समान मासिक किस्त
ईओयू	-	निर्यातोन्मुख इकाई
ईएसओपी	-	कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना
ईयू	-	यूरोपीय संघ
इएक्सआइएम	-	निर्यात - आयात
एफएओ	-	खाद्य और कृषि संगठन
एफएक्यू	-	बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न
एफएटीएफ	-	वित्तीय कार्रवाई कार्यदल
एफबीटी	-	अनुषंगी हित लाभ कर
एफसीए	-	विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां
एफसीएसी	-	पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तिनीयता
एफसीसीबी	-	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
एफसीआइ	-	भारतीय खाद्य निगम
एफसीएनआर(बी)	-	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
एफसीआरए	-	वायदा संविदा विनियमन अधिनियम
एफडीआइ	-	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफईडीएआइ	-	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ
एफईडी	-	विदेशी मुद्रा विभाग
एफईएमए	-	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम
एफआइ	-	वित्तीय संस्था
एफआइआइ	-	विदेशी संस्थागत निवेशक
एफआइएमएमडीए	-	भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ
एफआइपीबी	-	विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड
एफआइएसआइएम	-	अप्रत्यक्ष रूप से मापित वित्तीय मध्यस्थक सेवाएं
एफएमडी	-	वित्तीय बाजार विभाग
एफआरबीएम	-	राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रणाली
एफआरएल	-	संपूर्ण जलाशय स्तर
एफआरएल	-	राजकोषीय जवाबदेही कानून
एफएसएस	-	फेरिटिक स्टेनलेस स्टील
जीबीके	-	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लिमि.
जीसीसी	-	सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड
जीडीसीएफ	-	सकल घरेलू पूंजी निर्माण
जीडीपी	-	सकल घरेलू उत्पाद
जीडीआर	-	वैश्विक निक्षेपागार (डिपाज़िटरी) रसीद
जीडीएस	-	सकल घरेलू बचत
जीएफसीएफ	-	सकल स्थायी पूंजी निर्माण
जीएफडी	-	सकल राजकोषीय घाटा
जीजीबी	-	गुड़गाव ग्रामीण बैंक
जीआइपीएसए	-	जनरल इंश्योरर्स (पब्लिक सेक्टर) एसोशिएशन ऑफ इंडिया
जीएलसी	-	ऋण की सामान्य व्यवस्था

संक्षेपाक्षर

जीओआइ	-	भारत सरकार
जीक्यू	-	स्वर्ण चतुर्भुज
जीआरएफ	-	गारंटी मोचन निधि
जीएसडीपी	-	राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद
जीएसटी	-	माल तथा सेवा कर
एचएफटी	-	कारोबार के लिए धारित
एचएलसीसीएफएम	-	वित्तीय तथा पूंजी बाज़ार पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति
एचपी	-	किराया खरीद
एचआरडीडी	-	मानव संसाधन विकास विभाग
एचआरएमएस	-	मानव संसाधन प्रबंध प्रणालियाँ
एचएसटी	-	समन्वित बिक्री कर
एचटीएम	-	परिपक्वता तक धारित
एचयूएफ	-	हिंदू अविभक्त परिवार
आइएएस	-	एकीकृत लेखांकन प्रणाली
आइएएससी	-	निरीक्षण और लेखा-परीक्षा उप-समिति
आइबीए	-	भारतीय बैंक संघ
आइबीएल	-	अंतर-बैंक देयताएं
आइबीएस	-	अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी
आइसीएआर	-	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आइसीसी	-	अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड
आइसीसीओएमएस	-	समन्वित कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली
आइसीडीएस	-	एकीकृत बाल विकास सेवाएं
आइसीटी	-	सूचना एवं संप्रेषण तकनीक
आइडीबीआइ	-	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आइडीएफसी	-	मूलभूत संरचना विकास वित्त कंपनी
आइडीएल	-	अंतर-दिवसीय चलनिधि
आइडीएमडी	-	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
आइडीआर	-	भारतीय निक्षेपागार रसिद
आइडीआरबीटी	-	बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान
आइईए	-	अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा ऐजेंसी
आइइएम	-	औद्योगिक उद्यम ज्ञापन
आइईएस	-	सPमेकित स्थापना प्रणाली
आइएफसी	-	औद्योगिक वित्त निगम
आइएफसीआइ	-	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमि.
आइआइबीआइ	-	भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमि.
आइआइएफसीएल	-	भारतीय संरचना वित्तीय कंपनी लिमिटेड
आइआइपी	-	औद्योगिक उत्पाद सूचकांक
आइआइटी	-	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आइएमडी	-	इंडिया मिलेनियम डिपॉज़िट
आइएमएफ	-	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आइएमएफसी	-	अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक तथा वित्तीय समिति
आइएनएफआइएनईटी	-	भारतीय वित्तीय नेटवर्क
आइएनआर	-	भारतीय रुपया
आइओडीपी	-	एकीकृत अधिकारी विकास कार्यक्रम
आइपीओ	-	आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
आइआरबी	-	आंतरिक दर आधारित
आइआरडीए	-	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आइआरडीज	-	ब्याज दर विभेदक
आइआरएफ	-	ब्याज दर फ्यूचर
आइआरएस	-	ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली)
आइएस	-	सूचना प्रणाली
आइएसए	-	सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा
आइएसओ	-	अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन
आइटी	-	सूचना प्रौद्योगिकी
आइटीबी	-	मध्यवर्ती खजाना बिल
आइटीईएस-बीपीओ	-	सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं और कारोबारी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग
आइटीओ	-	भारतीय व्यापार संगठन
आइटीपी	-	भारत-आईएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम
जेएनएनयूआरएम	-	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
जेवी	-	संयुक्त उद्यम
केसीसी	-	किसान क्रेडिट कार्ड

संक्षेपाक्षर

केवाइसी	-	अपने ग्राहक को जानिए
एलएएफ	-	चलनिधि समायोजन सुविधा
एलएएन	-	लैन/स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
एलबीएस	-	स्थानीय बैंकिंग सांख्यिकी
एलसी	-	साख पत्र
एलडी	-	विधि विभाग
एलडीसी	-	अल्प विकसित देश
एलएफसी	-	छुट्टी किराया रियायत
एलआइबीओआर	-	लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर
एलआइसी	-	भारतीय जीवन बीमा निगम
एलओआइ	-	आशय पत्र
एलपीए	-	दीर्घावधि औसत
एलपीजी	-	तरल पेट्रोलियम गैस
एलएसइ	-	लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड पालिटिकल साइस
एलवीपीएस	-	बड़ी राशि की भुगतान प्रणाली
एमएंडए	-	विलयन और अधिग्रहण
एमएडंएसआइ	-	प्रबंध लेखा परीक्षा और कार्यप्रणाली निरीक्षण
एमएटी	-	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमबीसी	-	पारस्परिक लाभ कंपनी
एमबीएफसी	-	पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनी
एमबीएस	-	बंधक समर्थित प्रतिभूतियां
एमइ	-	मध्यम उद्यम
एमइआइ	-	समष्टि आर्थिक संकेतक
एमएफ	-	पारस्परिक निधि
एमएफआइ	-	अल्प वित्त संस्थाएं
एमआइसीआर	-	चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान
एमआइएस	-	प्रबंध सूचना प्रणाली
एमएमबीसीएस	-	चुंबकीय मीडिया आधारित समाशोधन प्रणाली
एमएनसी	-	बहुराष्ट्रीय कंपनियां
एमएनएसबी	-	बहुदेशीय निवल निपटान समूह
एमओयू	-	समझौता ज्ञापन
एमपीसी	-	मौद्रिक नीति समिति
एमपीडी	-	मौद्रिक नीति विभाग
एमपीआइ	-	समष्टि-विवेकपूर्ण संकेतक
एमपीएलएस	-	मल्टी प्रोटोकाल लेबल स्विचिंग
एमआरओ	-	मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय
एमएससीआइ	-	मार्गन स्टेंले कैपिटल इंटरनेशनल
एमएसएमइडी	-	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास
एमएसपी	-	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमएसएस	-	बाजार स्थिरीकरण योजना
एमटीएफपी	-	मध्यावधि राजकोषीय योजना
एमयूसी	-	न्यूनतम हामीदारी वायदा
नाबार्ड	-	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एनएआइएस	-	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
नैस्कॉम	-	नैशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ़्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज़
एनएवी	-	निवल आस्ति मूल्य
एनबीएफसी	-	गैर बैंकिग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-एनडी-एसआई	-	जमा न लेनेवाली पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनबीएफआइ	-	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान
एनसीईआर	-	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद
एनसीएफ	-	राष्ट्रीय कृषि आयोग
एनसीटी	-	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनडीए	-	निवल घरेलू परिसंपत्तियां
एनडीसी	-	राष्ट्रीय विकास परिषद
एनडीसी	-	अदेयता प्रमाणपत्र
एनडीएफ	-	गैर-सुपुर्दगी वायदा
एनडीएस	-	तयशुदा लेनदेन प्रणाली
एनडीएस-ओएम	-	निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग
एनडीटीएल	-	निवल मांग और मीयादी देयताएं
एनईईआर	-	नाममात्र प्रभावी विनिमय दर
एनईएफटी	-	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एनइआइआइपी	-	उत्तर पूर्व औद्योगिक तथा निवेश उन्नति नीति
एनईपी	-	राष्ट्रीय विद्युत नीति
एनईआर	-	उत्तर-पूर्व क्षेत्र
एनएफए	-	निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां
एनएफईए	-	निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां

संक्षेपाक्षर

एनजीओ	-	गैर सरकारी संगठन
एनएचएआइ	-	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण
एनएचबी	-	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनएचडीपी	-	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम
एनआइबीएम	-	राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान
एनआइएफ	-	राष्ट्रीय निवेश निधि
एनआइएमसी	-	राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी समिती
एनओएफ	-	निवल स्वाधिकृत निधि
एनपीए	-	अनर्जक आस्तियाँ
एनआरईजीएफ	-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि
एनआरइजीएस	-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एनआर(इ) आर ए	-	अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता
एनआरआइ	-	अनिवासी भारतीय
एनआरएनआर	-	अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय
एनआरओ	-	अनिवासी साधारण
एनएससी	-	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
एनएसडीएल	-	राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड
एनएसई	-	राष्ट्रीय शेयर बाजार
एनएसई-एमआइबीओआर	-	राष्ट्रीय शेयर बाजार-मुंबई अंतर बैंक प्रस्तावित दर
एनएसएसओ	-	नैशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन
एनएसएस	-	राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली
एनएसएसएफ	-	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
ओबीसी	-	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओबीई	-	तुलन पत्र से इतर जोखिम
ओबीयू	-	समुद्रपारीय बैंकिग इकाई
ओसीबी	-	विदेशी कंपनी निकाय
ओडी	-	ओवरड्राफ्ट
ओइसीडी	-	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएलटीएएस	-	ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली
ओएमसी	-	तेल विपणन कंपनी
ओएमओ	-	खुले बाजार में परिचालन
ओएमएस	-	खुला बाजार बिक्री
ओपीएसी	-	ऑन लाइन पब्लिक एक्सेस सूची
ओपीईसी	-	तेल उत्पादक यूरोपीय देश
ओआरएफएस	-	ऑन लाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम
ओएसएस	-	परोक्ष निगरानी
ओटीसी	-	ओवर दि काउंटर
ओटीसीईआइ	-	ओवर दि काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया
ओटीएस	-	एक बारगी निपटान
पीएसीएस	-	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
पीएडी	-	लोक लेखा विभाग
पीएआइएस	-	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
पीएएन	-	स्थायी खाता संख्या
पीएआर	-	कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट
पीबीसी	-	पीपल्स बैंक ऑफ चाइना
पीसीएआरडीबी	-	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पीडी	-	प्राथमिक व्यापारी
पीडीओ	-	लोक ऋण कार्यालय
पीडीएस	-	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पी/ई रेशो	-	मूल्य अर्जन अनुपात
पीएफआइ	-	सार्वजनिक वित्तीय संस्थान
पीएफएम	-	पेन्शन निधि प्रबंधन
पीएफआरडीए	-	पेन्शन निधि नियामक और विकास प्राधिकारण
पीजीपीबीएफ	-	बैंकिंग और वित्त पर स्नातकोत्तर कार्यक्रम
पीआइओ	-	भारतीय मूल के निवासी
पी एंड एल	-	लाभ और हानि
पीएलएफ	-	सयंत्र भार कारक
पीएमएलए	-	धन शोधन निवारण अधिनियम
पीएमआरवाइ	-	प्रधानमंत्री रोजगार योजना
पीएमएस	-	पोर्टफोलिओ प्रबंधन सेवा
पीपीपी	-	क्रय शक्ति समता
पीआरडी	-	प्रेस संपर्क प्रभाग
पीएसबी	-	सरकारी क्षेत्र के बैंक
पीएसबीआर	-	सार्वजनिक क्षेत्र की उधार आवश्यकता
पीएसटी	-	राज्य बिक्री कर

संक्षेपाक्षर

पीएसयूज	-	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
क्यूएसटी	-	क्यूबेक बिक्री दर
आर एण्ड डी	-	अनुसंधान और विकास
आरबीएस	-	जोखिम आधारित पर्यवेक्षण
आरबीएसबी	-	रिज़र्व बैंक सर्विसेज बोर्ड
आरबीएससी	-	रिज़र्व बैंक स्टाफ़ महाविद्यालय
आरसी	-	पुनर्निर्माण कंपनी
आरसीसी	-	क्षेत्रीय शिकायत समिति
आरसीएस	-	सहकारी समिति पंजीयक
आरडी	-	राजस्व घाटा
आरई	-	संशोधित अनुमान
आरईईआर	-	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
आरएफआइ	-	पुनर्वित संस्था
आरआइडीएफ	-	ग्रामीण संरचना विकास निधि
आरएनबीसी	-	अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया
आरओ	-	क्षेत्रीय कार्यालय
आरपीसीडी	-	ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग
आरआरबी	-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरएसटी	-	खुदरा बिक्री कर
आरटीजीएस	-	तत्काल सकल भुगतान
आरटीआइ	-	सूचना का अधिकार
आरटीओ	-	वसूली समय लक्ष्य
आरटीपी	-	रिज़र्व ट्रैंश पोजीशन
एसएएआरसी	-	क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन
एसएसीपी	-	विशेष कृषि ऋण योजना
एसएएफटीए	-	दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार
एसएआरएफईएसआइ	-	वित्तीय आस्ति प्रतिभूतीकरण और पुनर्निमाण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन
एसबीआइ	-	भारतीय स्टेट बैंक
एसबीएस	-	श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग प्रणाली
एससी	-	प्रतिभूतिकरण कंपनी
एससी	-	अनुसूचित जाति
एससीबी	-	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
एससीआरए	-	प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम
एसडीडीएस	-	विशेष आंकड़ा प्रसार मानक
एसडीएल	-	राज्य विकास ऋण
एसडीआर	-	विशेष आहरण अधिकार
एसईबी	-	राज्य विद्युत बोर्ड
एसईबीआई	-	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसइडीएफ	-	लघु उद्यम विकास निधि
एसईएफटी	-	विशेष इलेकट्रॉनिक निधि अंतरण
एसईज़ेड	-	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसजीआरवाइ	-	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
एसजीएसवाइ	-	स्वर्ण जयंती ग्रामस्वरोजगार योजना
एसएचजी	-	स्वयं-सहायता समूह
एसआइडीबीआइ	-	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसआइपीएस	-	प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली
एसजेएसआरवाइ	-	स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना
एसएलएएफ	-	द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा
एसएलबीसी	-	राज्य स्तरीय बैंकर समिति
एसएलसीसी	-	राज्य स्तरीय समन्वित समिति
एसएलआर	-	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएलआरएस	-	सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास योजना
एसएमईज	-	लघु और मझोले उद्यम
एसपीएमसीआइएल	-	सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन लिमि.
एसपीवी	-	विशेष प्रयोजन संस्था
एसआर	-	प्रतिभूति पावती
एसआरपी	-	पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया
एससीसी	-	विशेष उप-समिति
एससीजी	-	विशेष राज्य सरकार प्रतिभूति
एससीआइ	-	लघु उद्योग
एससीएस	-	प्रतिभूति निपटान प्रणाली
एसटीसीबी	-	राज्य सहकारी बैंक
एसटी	-	अनुसूचित जनजाति
एसटीसी	-	स्थायी तकनीकी समिति
एसटीसी	-	राज्य व्यापार निगम
एसटीपी	-	स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग
एसटीपीआइ	-	भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

संक्षेपाक्षर

एसटीआर	-	संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट
एसटीआरआइपीएस	-	पंजीकृत प्रतिभूतियों के ब्याज और मूलधन का पृथक कारोबार
एसटीटी	-	प्रतिभूति लेनदेन कर
एसयूसीबी	-	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
एसडब्ल्यूआइएफटी	-	विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूर संचार समिति
टीएसी	-	तकनीकी सलाहकार समिति
टीएएफसीयूबीएस	-	शहरी सहकारी बैंकों के लिए टास्क फोर्स
टीएजी	-	तकनीकी सलाहकार समिति
टीबी	-	खज़ाना बिल
टीडीएस	-	स्रोत पर कर कटौती
टीएफसी	-	बारहवां वित्त आयोग
टीएफसीआइ	-	भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमि.
टीएफपी	-	कुल कारक उत्पादकता
टीएलआइ	-	मीयादी ऋण संस्था
टीपीए	-	त्रिपक्षीय करार
टीपीडीएस	-	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
टीआरएआइ	-	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
यूबीडी	-	शहरी बैंक विभाग
यूसीबी	-	शहरी सहकारी बैंक
यूआइएन	-	विशिष्ट पहचान संख्या
यूएनसीआइटीआरएएल	-	अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्रीय आयोग
यूएनसीटीएडी	-	व्यापार तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र की परिषद
यूएनडीपी	-	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनएमई	-	शहरी श्रमेतर कर्मचारी
यूएनएसएनए	-	राष्ट्रीय लेखा पर संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली, 1990
यूएसडीए	-	अमरीकी कृषि विभाग
यूटीआइ	-	भारतीय यूनिट ट्रस्ट
यूटीएलबीसी	-	संघ शासित प्रदेश स्तर की बैंक समिति
यूडब्ल्यूबी	-	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक
वीएआर	-	जोखिम पूर्ण मूल्य
वीएटी	-	मूल्य वर्धित कर
वीसीएफ	-	उद्यम पूँजी निधि
वीपीएन	-	वर्च्युअल प्राइवेट नेटवर्क
डब्ल्यूएडीआर	-	भारित औसत बट्टा दर
डब्ल्यूएएन	-	वाईड एरिया नेटवर्क
डब्ल्यूएपी	-	वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल
डब्ल्यूडीएम	-	थोक ऋण बाजार
डब्ल्यूजीसी	-	विश्व स्वर्ण परिषद
डब्ल्यूआइ	-	ज़ब जारी (वेन इश्यूड)
डब्ल्यूएमए	-	अर्थोपाय अग्रिम
डब्ल्यूओएस	-	पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी
डब्ल्यूपीआइ	-	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूएसएस	-	साप्ताहिक सांख्यिकी अनुपूरक
डब्ल्यूटीआइ	-	वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट
डब्ल्यूटीओ	-	विश्व व्यापार संगठन
वाइ-ओ-वाइ	-	वर्ष-दर-वर्ष
वाइटीएम	-	परिपक्वता प्रतिफल
ज़ेडटीसी	-	आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र

यह रिपोर्ट इंटरनेट URL : www.rbi.org.in पर भी देखी जा सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट

*1 जुलाई 2006 से 30 जून 2007 तक**

भाग एक : अर्थव्यवस्था : समीक्षा और संभावनाएं

I आर्थिक समीक्षा

I. समष्टि आर्थिक नीति संबंधी वातावरण

I.1.1 वैश्विक आर्थिक गतिविधि में 2006 के दौरान लगातार चौथे वर्ष भी उछाल बना रहा और उपलब्ध सूचना बताती है कि वृद्धि की यह गति 2007 के दौरान भी बनी रहने की संभावना है, हालाँकि इसके साथ-साथ यदा-कदा कुछ मंदी भी रहेगी। वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2005 के 4.9 प्रतिशत से बढ़कर 2006 में 5.5 प्रतिशत हो गयी तथा 2003-2006 की चार वर्ष की अवधि में इसका औसत 4.9 प्रतिशत रहा। इस वैश्विक आर्थिक गतिविधि का 2006 में सकारात्मक पहलू यह रहा कि बड़े क्षेत्रों/देशों के बीच इसमें विस्तार हुआ। 2006 के उत्तरार्ध से अमरीका में शुरू हुई आर्थिक गतिविधि की मंदी का असर काफी हद तक यूरो क्षेत्र और जापान में गतिविधि की तेजी से बराबर हो गया; चीन और भारत की अगुआई में उभरते और विकासशील देशों ने ऊंची वृद्धि वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था को पक्का समर्थन दिया। तथापि, बढ़ती वैश्विक गतिविधि बहुत से देशों में उत्पादन अंतर को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है; वैश्विक वस्तुओं के मूल्यों द्वारा रिकार्ड किए गए बढ़िया लाभ के साथ सुदृढ़ मांग प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के स्फीतिकारी दबावों में परिलक्षित हुई। प्रमुख देशों में हेडलाइन मुद्रा स्फीति के लक्ष्यों / सुगम क्षेत्रों से बाहर जाने से बहुत से केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर लगाम लगाने के लिए मौद्रिक नीति में कठोरता लाने का मार्ग अपनाया।

I.1.2 सुदृढ़ वैश्विक वृद्धि के वातावरण में भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार 2006-07 में सुदृढ़ वृद्धि दर्शाना जारी रखा। सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में द्वि-अंकीय वृद्धि से प्रोत्साहन पाकर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2005-06 के 9.0 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 9.4 प्रतिशत रहा। इस प्रकार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि (2002-03 से 2006-07) के दौरान औसतन 7.6 प्रतिशत रही - अब तक किसी भी योजनावधि में विस्तार का सर्वाधिक तेज कदम - अस्सी और नब्बे के दशक में रही 5.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि से तुलनात्मक रूप से काफी अधिक। प्रति व्यक्ति आय (अर्थात् स्थायी लागत पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद) में वृद्धि 2005-06 के 7.4 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 8.4 प्रतिशत रही। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि का औसत दसवीं पंचवर्षीय योजना में 6.1 प्रतिशत वार्षिक रहा और विगत चार वर्षों (2003-04 से 2006-07) के दौरान 7.1 प्रतिशत वार्षिक रहा, अस्सी और नब्बे के दशक में दर्ज की गई 3.4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के दूने से ज्यादा। आर्थिक गतिविधि की गति में वृद्धि को घरेलू बचतों और निवेश तथा उत्पादकता लाभों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। 2006-07 के दौरान आर्थिक वृद्धि

* : यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई-जून है,परंतु अनेक मदों के आँकड़े वित्तीय वर्ष अर्थात अप्रैल-मार्च आधार पर उपलब्ध हैं। अतः आँकड़ों का विश्लेषण वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया है। उपलब्धता के अनुसार आँकड़ों को मार्च 2007 से आगे तक अद्यतन किया गया है। विश्लेषण के प्रयोजनार्थ और नीति संबधी उचित स्वरूप उपलब्ध कराने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार पिछले वर्षों और साथ ही संभाव्य अवधि के संदर्भ इस रिपोर्ट में दिए गए हैं।

की एक ध्यान देने योग्य विशेषता विनिर्माण गतिविधि का और सुदृढ़ होना रहा। परिणामस्वरूप, 2003-04 से चली आ रही सतत उच्च वृद्धि को देखते हुए अनेक उद्योगों में क्षमता उपयोग बढ़ा है जिसकी वजह से मांग दबाव बढ़े हैं जो प्राथमिक वस्तुओं के आपूर्ति आघातों के साथ 2006-07 के दौरान मुद्रास्फीति नियंत्रण के विभिन्न उपायों की बढ़ोत्तरी में परिलक्षित हुए हैं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने स्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने के लिए एक के बाद एक अनेक पूर्वोपाय किए। इन मौद्रिक उपायों के साथ-साथ राजकोषीय और आपूर्ति विषयक उपाय भी किए गए थे।

I.1.3 विगत कुछ वर्षों के दौरान घरेलू आर्थिक गतिविधि की सतत सुदृढ़ता को भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और स्पर्धात्मकता में सुधार लाने के व्यावहारिक नीतिगत उपायों के द्वारा समर्थन दिया जाता रहा है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों - वास्तविक, राजकोषीय, बाह्य, मौद्रिक और राजकोषीय क्षेत्रों को कवर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए थे ताकि वृद्धि की मौजूदा गति कायम रखी जा सके और इसे समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता के वातावरण में अधिक समेकित बनाया जा सके।

वास्तविक क्षेत्र संबंधी नीतियां

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां

I.1.4 तेज, अधिक व्यापक आधार वाली और समेकित वृद्धि पर नवीकृत फोकस के परिप्रेक्ष्य में वृद्धि की गति के मंदन की दिशा को पलटना और कृषि वृद्धि में अस्थिरता को नियंत्रण में रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रही। सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता, फसलोत्पादन, संस्थागत ऋण प्रवाह और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के अनेक उपाय किए गए और साथ ही कर्ज में डूबे किसानों को कुछ राहत भी दी गई।

I.1.5 नवंबर 2006 में एक राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण बनाया गया ताकि सूखी भूमि और वर्षा सिंचित कृषि के उन्नयन और प्रबंधन में सहायता प्रदान की जा सके। यह प्राधिकरण वाटरशेड विकास और भूमि के उपयोग संबंधी अन्य पहलुओं से संबंधित सभी योजनाओं का समन्वय करेगा। 2007-08 के केंद्रीय बजट में नए *वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम* के लिए 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। यह भी प्रस्ताव है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआइबीपी) का पुनर्गठन किया जाए ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा सकें। ए आइ बी पी के अंतर्गत परिव्यय 2006-07 के 7,121 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 11,000 करोड़ रुपए बजट किया गया है (जिसमें राज्य सरकारों को 3,580 करोड़ रुपए का अनुदान घटक भी शामिल है)। मार्च 2005 में 13 राज्यों में प्रारंभ की गई जल संचय प्रणालियों की मरम्मत, नवीकरण और जीर्णोद्धार की प्रायोगिक परियोजना के अनुरूप विश्व बैंक के सहयोग से अन्य राज्यों के लिए इसी प्रकार की परियोजनाओं की रूपरेखा बनाई गई है। 2007-08 के केंद्रीय बजट में राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे ऐसे प्रस्तावों के साथ आगे आएं जिससे कि अगले दो वर्ष में पूरे देश को कवर किया जा सके। केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा देश के 1,065 आकलन खण्डों को 'अति-दोहित' अथवा 'गंभीर' के रूप चिन्हित किए जाने के साथ ही भू-जल के रीतने की समस्या गंभीर हो गई है। 2007-08 के केंद्रीय बजट में ऐसे ढांचे (स्ट्रक्चर) जो कि वर्षा के पानी को खुदे हुए कुओं की ओर ले जाएंगे, खड़े करने के लिए छोटे और सीमान्त कृषकों को 100 प्रतिशत सब्सिडी तथा अन्य किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित 7 मिलियन ढांचों में से लगभग दो मिलियन ढांचे ऐसे होंगे जो छोटे और सीमांत कृषकों की जमीनों पर होंगे। इस संबंध में 1,800 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को अंतरित की जाएगी। यह राशि एस्क्रो खाते में रखी जाएगी और संबंधित जिले के अग्रणी बैंक के माध्यम से हिताधिकारियों को संवितरित की जाएगी।

I.1.6 राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने 29 मई 2007 को आयोजित अपनी 53वीं बैठक में यह प्रस्ताव अपनाया कि कृषि को नई शक्ति देने के लिए कृषि विकास नीतियों को पुनः अनुकूलित किया जाए ताकि कृषकों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। राष्ट्रीय विकास परिषद ने प्रस्ताव पारित किया कि ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अनेक कदम उठाने होंगे । इसके अलावा, केंद्र सरकार ने यह वादा किया कि वह आगे आने वाले चार वर्ष में कृषि में 25,000 करोड़ रुपए का सार्वजनिक निवेश करेगी।

I.1.7 वर्ष 2006-07 में लगातार तीसरे वर्ष भी कृषि क्षेत्र को होने वाला ऋण प्रवाह अपने लक्ष्य को पार कर गया। 1,75,000 करोड़ रुपए के इस लक्ष्य के सामने 2006-07 में बैंकिंग प्रणाली द्वारा फार्म क्रेडिट का वास्तविक संवितरण 2,03,296 करोड़ रुपए रहा। 2007-08 के लिए केंद्रीय बजट में बैंकिंग प्रणाली के लिए फार्म क्रेडिट के रूप में 2,25,000 करोड़ रुपए और पांच मिलियन नए कृषकों को इसमें जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय बजट 2006-07 में 2005-06 के खरीफ और रबी मौसम में बैंकों द्वारा प्रदत्त 1 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज माफी योजना को जारी रखने के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय बजट की घोषणानुसार खरीफ 2006-07 से शुरू करके 7 प्रतिशत के ब्याज पर 3 लाख रुपये तक के मूल धन की राशि के फसल ऋण उपलब्ध कराए गए थे जिसके लिए सरकार ने दो प्रतिशत की ब्याज माफी उपलब्ध कराई। केंद्रीय बजट 2007-08 में यह घोषणा की गई कि यह योजना 2007-08 में भी जारी रहेगी। जुलाई 2006 में राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेष परियोजना प्रारंभ की गई थी जिसका लक्ष्य कृषक समूहों, पंचायती राज संस्थाओं और निजी क्षेत्र के सहयोग से आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना था। सहकारी समितियों से ऋण का प्रवाह सुधारने के उद्देश्य से जनवरी 2006 में अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढाँचे को पुनरुज्जीवित करने के लिए एक पैकेज घोषित किया गया था। केंद्रीय बजट 2007-08 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कहा गया था कि वे एक सघन शाखा विस्तार कार्यक्रम चलाएं और 2007-08 में देश के कवर न किए गए 80 जिलों में कम से कम एक शाखा खोलें।

I.1.8 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, (एनआरईजीएस) जो कि रोजगार के लिए कानूनी गारंटी वाली मांग संचालित योजना है, 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई थी। केंद्रीय बजट 2007-08 में एनआरईजीएस के लिए शुरू में 12,000 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक सहित) आबंटित किए गए थे। सरकार का इरादा एनआरईजीएस के कवरेज को 200 ज़िलों से बढ़ाकर 330 ज़िलों तक करना है। इसके अलावा, एनआरईजीएस द्वारा जो जिले नहीं कवर किए गए हैं उनमें ग्रामीण रोजगार के लिए *संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना* हेतु 2,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस केंद्रीय बजट में *स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना*, जिसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धन के बीच स्वरोज़गार को प्रोत्साहन देना है, के लिए आबंटन 2006-07 के 1,200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 1,800 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

विनिर्माण और बुनियादी सुविधाएं

I.1.9 वर्ष 2003-04 से विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधि में अन्य बातों के साथ निवेशक अनुकूल तथा क्षेत्र विशिष्ट नीतियों में सुधार से सुसाध्य बनी है। देश में बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन पर फोकस के साथ वृद्धि की गति को और संस्थापित करने के लिए 2006-07 और 2007-08 में नीतिगत ढांचे को और तर्कसंगत तथा सरल बनाया गया। कुशल श्रमिकों की बदली मांग का सामना करने के लिए मानव कौशल के उन्नयन हेतु वर्ष के दौरान कदम उठाए गए। लघु एवं मध्यम उद्यमों वाले खंड को सुदृढ़ बनाने के लिए भी कदम उठाए गए।

I.1.10 स्वणिम चतुर्भुज से संबंधित कार्य लगभग पूरा होने को है जबकि उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम मार्ग परियोजना में विचारणीय प्रगति हुई है और आशा की जाती है कि यह 2009 तक पूरा हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) अर्थात् एनएचडीपी -III, एनएचडीपी -V और एनएचडीपी -VI की स्थिति योजना कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है। सरकार ने ''निर्माण-स्वामित्व-अंतरण'' के आधार पर 12,109 कि.मी. का राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से का उन्नयन करने और चार लाइन का बनाने का अनुमोदन किया। राष्ट्रीय महामार्गों की 6,500 कि.मी. लंबाई को छह पथ वाला करने (जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज के 5,700 कि.मी. शामिल हैं) और एनएचडीपी -VI के अंतर्गत 1,000 कि.मी. के द्रुत महामार्ग बनाने का भी अनुमोदन दिया गया है। अब तक भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने अर्थक्षमता अंतर के निधीयन के रूप में 2,072 करोड़ रुपए दिए हैं किंतु एक नकारात्मक सहायता अनुदान के रूप में 1,900 करोड़ रुपए भी प्राप्त किए हैं। 3,423 करोड़ रुपए के तत्संबधित सार्वजनिक घटक के साथ 2001 से जनवरी 2007 के लिए एनएचडीपी के अंतर्गत लीवरेज निजी क्षेत्र निवेश 25,366 करोड़ रुपए रहा। 2007-08 के केंद्रीय बजट में एनएचडीपी के लिए प्रावधान 2006-07 के 9,945 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 10,667 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।

I.1.11 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन विधेयक 15 दिसंबर 2006 को संसद में प्रस्तुत किया गया था ताकि प्रौद्योगिकी, सुरक्षा प्रथाओं और ऐसे अनुप्रयोगों से संबंधित प्रक्रियाओं को लागू किया जा सके। इसके अलावा, यह सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों में प्रौद्योगिकीय उदासीनता की समस्या को दूर करता है जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के संबंध में यूएनसीआइटीआरएएल आदर्श कानून द्वारा सिफारिश की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं पहुंचाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 सामान्य सेवा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है जो न केवल ज्यादातर सरकारी सेवाओं के लिए एक फ्रंट एंड के रूप में कार्य करेंगे बल्कि ग्रामीण भारत के नागरिक को वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ने का एक साधन होंगे। यह योजना सरकार और निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। इसके लिए 5,742 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है; इसमें से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा क्रमशः 856 करोड़ रुपए और 793 करोड़ रुपए होगा। शेष राशि निजी क्षेत्र द्वारा निवेश की जाएगी।

राजकोषीय नीति

I.1.12 2006-07 में राजकोषीय नीति ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) नियम, 2004 के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए अनुसार राजकोषीय सुधारों की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी हालांकि इसके साथ-साथ आर्थिक वृद्धि, इक्विटी और समष्टि आर्थिक स्थिरता के उद्देश्यों का भी अनुसरण किया गया। केंद्र सरकार के वित्त के संशोधित अनुमान सभी महत्त्वपूर्ण संकेतकों यथा राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे प्रत्येक में तत्संबंधित बजट अनुमानों की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 प्रतिशत अंक तक की कमी दर्शाते हैं। मई 2007 में बाद में जारी किए गए अनंतिम लेखे ने संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटों में सकल घरेलू उत्पाद के 0.1-0.2 प्रतिशत अंक की और कमी दर्शाई। सुदृढ़ वृद्धि से कर राजस्व बढ़े और विवेकशील व्यय प्रबंध नीतियों ने एफआरबीएम नियमावली,2004 के अंतर्गत न्यूनतम निर्दिष्ट घटावों की तुलना में उससे कहीं अधिक सभी महत्तवपूर्ण घाटा संकेतकों में सुधार लाने में योगदान दिया जिससे कि 2008-09 तक राजकोषीय घाटा हर वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत तक और राजस्व घाटे के 0.5 प्रतिशत तक घटाने की परिकल्पना की गई है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद से

सकल कर का अनुपात 2005-06 के 10.3 प्रतिशत से सुधरकर 2006-07 (सं.अ.) में 11.5 प्रतिशत हो गया। व्यय प्रबंध नीति संबंधी उपायों का लक्ष्य व्यय के पैटर्न में स्थिरता लाना और योजनेतर राजस्व व्यय को सीमित रखना था।

केंद्रीय बजट 2007-08

I.1.13 केंद्रीय बजट 2007-08 में यह नोट किया गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि के चरण में प्रवेश कर चुकी है। 2007-08 के लिए राजकोषीय समेकन की नीति 2008-09 तक एफआरबीएम उद्देश्यों को हासिल करने के लक्ष्य सहित एफआरबीएम रोडमैप के अंतर्गत की गई प्रगति का वेग बनाए रखने की आवश्यकता पर आधारित था। सामाजिक क्षेत्रों और भौतिक ढांचे पर व्यय बढ़ती आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में परिणामों और लोक व्यय की आबंटनकारी दक्षताओं को सुधारने पर फोकस के साथ राजकोषीय समेकन के प्रति दृष्टिकोण लगातार अनिवार्यतः राजस्व प्रेरित बना रहा।

राज्य सरकारें

I.1.14 राज्यों ने 2006-07 में राजकोषीय सुधार और समेकन कार्यक्रम का अनुसरण करना जारी रखा तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए गए राजकोषीय पुनर्निर्माण के पथ के अनुसार और प्रगति की। राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार पहले से बड़े अनुदानों और साझा योग्य केंद्रीय करों से सुसाध्य हुआ जैसी कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई है। 26 राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) बनाया गया है (जुलाई 2007 के अंत की स्थिति)। उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने बिक्री कर की जगह मूल्य वर्धित (वैट) कार्यान्वित किया है। विभिन्न राज्यों की मध्यावधि राजकोषीय योजनाओं (एमटीएफपी) का फोकस कर-विसंगतियों को दूर करने और प्राथमिकता के आधार पर व्यय का निर्धारण करने पर है।

बाह्य क्षेत्र विषयक नीतियां

I.1.15 निर्यात वृद्धि को और गति प्रदान करने तथा रोज़गार पैदा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने (अप्रैल 2007 में) विदेश व्यापार नीति (2004-09) की वार्षिक अनुपूरक नीति 2007 की घोषणा की। फोकस उत्पादों और फोकस बाजार योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहनों को बढ़ाते हुए इस वार्षिक अनुपूरक में विदेश व्यापार में लेनदेन लागत कम करने के अवसर भी खोजे गए हैं। कृषि निर्यात को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से *विशेष कृषि* और *ग्राम उद्योग योजना* स्कीमों का विस्तार किया जा रहा है ताकि नारियल तेल, सोयाबीन तेल, आलू के फ्लेक्स, भोजन की वस्तुओं एवं आटे तथा इलायची जैसी और वस्तुओं को इसमें शामिल किया जा सके। हथकरघा और हस्तनिर्मित वस्तु उद्योगों के लिए वर्तमान शुल्क मुक्त पात्रता की उच्चतम सीमा के भीतर औज़ार, मशीन और उपस्कर के लिए प्रावधान किया गया है ताकि इन ग्राम - आधारित गतिविधियों को आधुनिक रूप दिया जा सके तथा बाजार चुनौतियों का सामना करने के लिए परिचालन बढ़ाए जा सकें। इसी प्रकार रत्नों और आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र के उपयोग में आनेवाले औज़ारों, मशीनों और उपकरणों को वर्तमान शुल्क-मुक्त पात्रता सीमा के अंदर कवर किया जाएगा। भारत से सेवाओं के निर्यात को सुगम बनाने के लिए विदेश में दी जानेवाली और भारत से निर्यात पर प्रभारित की जानेवाली सभी सेवाओं को सेवा कर के भुगतान से छूट दी जाएगी। जहां तक लेनदेन लागतों और विलंब को कम करने के लिए उठाए जानेवाले कदमों की बात है, वार्षिक अनुपूरक में विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत दस्तावेज़ों का आन-लाइन सत्यापन करने, निर्यात देयताओं को ब्लॉकवार पूरी करने की प्रतिबंधात्मक अपेक्षा तथा मौजूदा *आयात निर्यात* फार्म की लंबाई घटाने की घोषणा की गई है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन

I.1.16 पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता (एफसीएसी) संबंधी समिति (अध्यक्ष : एस.एस. तारापोर) (2006) की सिफारिशों का निष्कर्ष निकालते हुए बाह्य भुगतान व्यवस्था को और सरल तथा उदार बनाने और विदेशी मुद्रा बाजार को गहन बनाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक उपाय किए गए। आंतरिक कार्य दल, जो कि एफसीएसी की सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था, ने 169 मुद्दों की समीक्षा की और उनके संबंध में सिफारिशें कीं जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन के अंतर्गत आनेवाले सभी क्षेत्रों को समाहित किया गया।

मौद्रिक नीति ढांचा

I.1.17 2006-07 में मौद्रिक नीति का संचालन स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित रखते हुए उच्चतर वृद्धि की दिशा में पारगमन के प्रबंधन की नीतिगत चुनौतियों के मद्देनजर किया गया। बुनियादी सुविधाओं में निवेश में सुधार के कारण मांग दबाव में वृद्धि, पूंजी व्यय चक्र के छोटे होने, उपभोग मांग में वृद्धि, उच्च मौद्रिक वृद्धि, अर्थव्यवस्था के सभी घटक क्षेत्रों में आए उछाल से प्राप्त शक्ति के मद्देनजर रिज़र्व बैंक ने सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी (ओवरहीटिंग) होने के बारे में कोई निर्णायक तथ्य नहीं है फिर भी रिज़र्व बैंक ने इस अत्यधिक तेजी के संभाव्य खतरों का ध्यान रखने की आवश्यकता की ओर इशारा किया है।यहां जोर देकर कहा गया है कि उच्च मुद्रास्फीति लगातार बने रहने से न केवल गरीबों पर इसकी मार पड़ती है अपितु इससे आर्थिक विकास और समष्टि आर्थिक स्थायित्व भी प्रभावित होता है। वृद्धि, मूल्य और वित्तीय स्थायित्व पर सापेक्षतः असमान जोर के चलते स्थायित्व पर जोर औचित्यपूर्ण था और सभी पक्षों द्वारा वृद्धि की गति पर प्रभाव डाले बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना एक आर्थिक आवश्यकता बन गई।

I.1.18 मौद्रिक नीति के संचयी और विलंबित प्रभाव को स्वीकार करते हुए मौद्रिक कठोरता लाने के वे पूर्वोपाय जो सितंबर 2004 में शुरू किए गए थे उन्हें2006-07 और 2007-08 में भी जारी रखा गया।सितंबर 2004 से रिपो दर तथा रिवर्स रिपो दर क्रमशः 175 और 150 आधार बिंदु बढ़ा दी गई, जबकि आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 250 आधार बिंदुओं की बढ़ोत्तरी की गई। ऋण में आई सुदृढ़ और अनवरत वृद्धि की पृष्ठभूमि में आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यकता के मद्देनज़र प्रावधानीकरण मानकों और जोखिम भार में कड़ाई लाकर मौद्रिक उपायों में दृढ़ता लाई गई । बृहद पूंजी अंतर्वाह और चलनिधि तथा मौद्रिक प्रबंधन के प्रभावों के मद्देनज़र, जनवरी 2007 से अनिवासी जमा पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा 75-100 आधार बिंदु कम की गई।

I.1.19 मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीतीय प्रत्याशाओं को रोकने के नीतिगत उपायों को बनाए रखते हुए रिज़र्व बैंक ने अधिकाधिक लोगों को ऋण उपलब्ध करानेऔर वित्तीय समावेशन के अपने प्रयास जारी रखे। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जिसमें कृषि, लघु उद्योग इकाइयां, व्यष्टि (माइक्रो) ऋण, शिक्षा ऋण और एक निर्धारित सीमा तक आवास ऋण सरीखे क्षेत्र शामिल हैं,को पहले से ज्यादा ऋण प्रवाह करने के उद्देश्य से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देश संशोधित किए गए।

वित्तीय क्षेत्र नीतियां

I.1.20 संसाधनों के दक्ष आबंटन में वित्तीय क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो विकास के पथ पर अग्रसर है, के संदर्भ में यह पक्ष बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। वृद्धि को गति देने में वित्तीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए 2006-07 में रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के उपाय जारी रखे।

कुछेक निश्चित क्षेत्रों में अनवरत उच्च ऋण वृद्धि के चलते आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानीकरण मानकों और जोखिम भार को कड़ा किया गया। अधिक बाजार अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लेखांकन और प्रकटीकरण मानदंड सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं। नवीन पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बासेल II) के कार्यान्वयन के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिए गए थे। भारतीय वित्तीय क्षेत्र को चरणबद्ध रूप में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप कर बेंचमार्क करने की घोषित नीति के अनुरूप वाणिज्यिक बैंक मार्च 2008 से बासेल II मानदंडों का क्रियान्वयन शुरू करेंगे। राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को प्रोत्साहित कर, राज्यस्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर और कमजोर बैंकों का सुदृढ़ बैंकों के साथ विलय कर 2006-07 में शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया गया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के संबंध में, एनबीएफसी के प्रति बैंकों के जोखिम पर विवेकसम्मत सीमाएं लगाकर विनियामक ढांचे को मजबूती प्रदान करने के साथ ही प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के लिए पूंजी पर्याप्तता तथा जोखिम मानदंड भी निर्धारित किए गए। वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ता प्रदान करने की अपनी पहलों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय जारी रखे। ग्राहकों के हित संवर्धन के लिए रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2006 में एक अलग ग्राहक सेवा विभाग की स्थापना की।

वित्तीय बाजार के लिए नीतियां

I.1.21 2006-07 में घरेलू वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न खंडों को और विस्तृत तथा गहन करने के लिए किए जाने वाले उपाय और सघन किए गए। राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम), 2003 के प्रावधानों के लागू होने से अप्रैल 2006 से रिज़र्व बैंक की प्राथमिक बाजार में सहभागिता समाप्त हो गई और इस वजह से सरकारी प्रतिभूति बाजार में कई ढांचागत तथा विकासात्मक उपायों की आवश्यकता पड़ी। इन उपायों में शामिल हैं : नीलामियों में प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) की गतिशील तथा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चत करने के लिए पीडी प्रणाली को नया रूप देना; बैंकों को पीडी कारोबार करने की अनुमति देना; स्टैंड - अलोन पीडी को अपनी गतिविधियों में विविधता लाने की अनुमति देना; निपटान चक्र का मानकीकरण; सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों की मंदड़िया बिक्री (शार्ट सेलिंग) की अनुमति देना और 'व्हेन इश्यूड' बाजार शुरू करना।

वैधानिक ढांचा

I.1.22 प्रमुख बैंकिंग कानूनों यथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में 2006-07 में महत्वपूर्ण विधायी संशोधन किए गए। इनसे भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक शक्तियों में वृद्धि होने के साथ-साथ इसे अपनी मौद्रिक नीति के संचालन में भी अधिक नमनीयता मिलेगी।

I.1.23 जून 2006 में भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 पारित हुआ। अधिनियम में हुए इस संशोधन में अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित बैंकों के लिए निर्धारित सीआरआर की उच्चतम तथा निम्नतम सीमा हटा दी गई है। इस प्रकार रिज़र्व बैंक को यह विवेकाधिकार मिला कि वह अनुसूचित बैंकों के मांग और मीयादी देयता के प्रतिशत के रूप में बिना किसी उच्चतम या निम्नतम सीमा के सीआरआर का निर्धारण कर सकता है। इस संशोधन के परिणामस्वरूप सीआरआर की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इस पर ब्याज देने से मौद्रिक नीति के लिखत के रूप में इसका प्रभाव कम हो जाता है । संशोधित अधिनियम में दी गई ''रिपो'' तथा ''रिवर्स रिपो'' की

परिभाषाएं इन लिखतों में बाजार सहभागियों/बैंकों के लिए लेनदेन सुगम बना देंगी। इस संशोधन से मुद्रा बाजार के विनियमन और ओवर-दि-काउंटर डेरिवेटिव्स (व्युत्पन्न) की ट्रेडिंग के लिए रिज़र्व बैंक को विधायी समर्थन प्राप्त हो गया है।

I.1.24 बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2007 [23 जनवरी 2007 से प्रभावी बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के बदले] 28 मार्च 2007 के गजट में अधिसूचित किया गया। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 में हुए संशोधन के फलस्वरूप सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पर लगी 25 प्रतिशत की निम्नतम सीमा हटा दी गई है और रिज़र्व बैंक को एसएलआर-पात्र आस्तियों के निर्धारण की शक्ति प्राप्त हो गई है।

I.1.25 भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 को संशोधित करने के लिए 21 जून 2007 को भारतीय स्टेट बैंक संशोधन अध्यादेश, 2007 जारी किया गया जिससे कि भारतीय स्टेट बैंक में रिज़र्व बैंक की शेयर धारिता केंद्र सरकार को अंतरित की जा सके। इस अंतरण का उद्देश्य रिज़र्व बैंक को अपने विनियामक एवं पर्यवेक्षी कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करने देना था तथा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बैंकिंग विनियामक के रूप में अपने कर्त्तव्य पालन और स्वामी के रूप में अपने हितों की रक्षा के बीच के टकराव को दूर करना था।

I.1.26 भुगतान और निपटान बिल, 2006 लोक सभा में 25 जुलाई 2006 को रखा गया। इस बिल में भुगतान और निपटान प्रणाली को विनियमित करने के लिए रिज़र्व बैंक को नामित करने की बात कही गई है। इस बिल के प्रावधान हैं : (i) भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए रिज़र्व बैंक से प्राधिकार हासिल करने की अनिवार्यता; (ii) रिज़र्व बैंक को मानक निर्धारित करके, सूचना, विवरणियां, दस्तावेज, आदि मंगा कर भुगतान प्रणाली को विनियमित तथा पर्यवेक्षित करने की शक्ति प्रदान करना; (iii) जिस परिसर में भुगतान प्रणाली का काम चल रहा हो उसमें प्रवेश कर लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण करने के लिए रिज़र्व बैंक को शक्ति प्रदान करना; (iv) रिज़र्व बैंक को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करना; (v) अन्य कानून रद्द करना तथा सहभागियों द्वारा भुगतान की जानेवाली मुद्रा, प्रतिभूति या विदेशी मुद्रा की राशि का निपटान और निर्धारण अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगा। यह बिल वित्त संबंधी स्थायी समिति के विचारार्थ भेजा गया था और समिति ने मई 2007 में लोक सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

II. वास्तविक अर्थव्यवस्था

I.2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2003-04 में शुरू हुआ उच्च वृद्धि का दौर जारी रखते हुए 2006-07 में भी जबरदस्त वृद्धि दिखाई। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में गतिविधियां और तेज होने के कारण वास्तविक जीडीपी पिछले वर्ष के 9.0 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 9.4 प्रतिशत हो गया। इन दोनों क्षेत्रों ने दो अंकीय वृद्धि दर्ज की जिससे कृषि क्षेत्र की कमी आसानी से पूरी हो गई। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना रहा जिसने समग्र वृद्धि में 71.5 प्रतिशत का योगदान किया। हाल के वर्षों में औद्योगिक गतिविधियों में लगातार तेजी से वृद्धि प्रक्रिया ने पुनः जोर पकड़ा और उसमें स्थिरता भी आई।

I.2.2 वास्तविक जीडीपी वृद्धि का औसत 2003-04 से 2006-07 की चार वर्षीय अवधि में 8.6 प्रतिशत और दसवीं योजनावधि (2002-03 से 2006-07) में 7.6 प्रतिशत रहा जो 1980 के दशक और 1990 के दशक के 5.7 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक है। दसवीं योजनावधि में वास्तविक वृद्धि 8.0 प्रतिशत के लक्ष्य के बहुत करीब थी। मुख्य क्षेत्रों में औद्योगिक वृद्धि का औसत 2002-03 से 2006-07 के दौरान 8.0 प्रतिशत था जो 1990 के दशक के 5.7 प्रतिशत से और 1980 के दशक के

6.4 प्रतिशत से अधिक था। सेवा क्षेत्र की वृद्धि 1980 के दशक के 6.3 प्रतिशत और 1990 के दशक के 7.1 प्रतिशत से निरंतर बढ़ते हुए दसवीं योजनावधि में 9.5 प्रतिशत हो गई। कृषि और संबंधित कार्यों में वृद्धि का औसत दसवीं योजनावधि में 2.3 प्रतिशत था जो 1990 के दशक के 3.2 प्रतिशत और 1980 के दशक के 4.4 प्रतिशत से कम था। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में 2003-04 से बढ़त का आधार ऊंची निवेश दर थी जिसे सकल देशी बचत की दर में पर्याप्त वृद्धि से सहायता मिली थी।

कुल आपूर्ति

कृषि

I.2.3 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के संशोधित अनुमानों के अनुसार कृषि और संबंधित कार्यों से उत्पन्न वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2005-06 के 6.0 प्रतिशत से कम होकर 2006-07 में 2.7 प्रतिशत रह गई जिसका आंशिक कारण पिछले वर्ष का आधार प्रभाव और असंतुलित मानसून से उत्पादन में कमी आना था। कृषि उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में समग्र कृषि उत्पादन में 2006-07 में लगभग 5.2 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है (एक वर्ष पूर्व 8.5 प्रतिशत) जिसका कारण कुल खाद्यान्न उत्पादन में कम वृद्धि था (2005-06 के 5.2 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 3.6 प्रतिशत)।

I.2.4 चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2006-07 में खाद्यान्न उत्पादन 216.1 मिलियन टन था जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.6 प्रतिशत वृद्धि है और इसमें गेहूं का उत्पादन मुख्य था । *रबी* खाद्यान्न उत्पादन 105.6 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना थी जो 1999-2000 से अब तक का सर्वोच्च स्तर रहा। खाद्यान्नेतर उत्पादन के अंतर्गत गन्ने और कपास का उत्पादन 2006-07 में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, तथापि, बुवाई क्षेत्र में कमी होने से तिलहन के उत्पादन में कमी आई।

I.2.5 वर्ष 2006-07 में खाद्यान्न उत्पादन में कुछ सुधार के बावजूद हाल के वर्षों में मुख्य फसलों के उत्पादन में कुछ रुकावट आई है। उदाहरण के लिए, 2006-07 में चावल, गेहूँ और दलहन का उत्पादन क्रमशः 2001-02, 1999-2000 और 1998-99 के शीर्ष से नीचे रहा। उत्पादन में यह रुकावट उपज की कुछ समस्याओं के कारण थी जिसके कई कारण हैं, यथा खाद्यान्न की सीमित उप किस्में, विस्तार सेवाओं का लगभग शून्य अस्तित्व, नमी के दबाव और कीटनाशकों की कम उपलब्धता, जल उपयोग की कम दक्षता, जल उपयोग और सिंचाई विकास में असंतुलन और कृषि निवेश में गिरावट।

औद्योगिक कार्यनिष्पादन

I.2.6 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के संशोधित अनुमान के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र से उत्पन्न वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2005-06 के 8.0 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 11.0 प्रतिशत हो गई जिसका आधार मजबूत विनिर्माण गतिविधियां थीं। मजबूत निवेश और उपभोग मांग के चलते औद्योगिक वृद्धि की तेजी ने वृद्धि के पांचवें वर्ष में प्रवेश कर लिया। इस प्रकार औद्योगिक वृद्धि का औसत 2006-07 को समाप्त तीन वर्षीय अवधि में 9.1 प्रतिशत और 2002-03 से 2006-07 की पांच वर्षीय अवधि में 8.0 प्रतिशत रहा।

I.2.7 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गतिविधि के अनुसार औद्योगिक वृद्धि 2005-06 के 8.2 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 11.5 प्रतिशत हो गई जो 1995-96 से अब तक की सर्वोच्च वृद्धि है (13.1 प्रतिशत)। वर्ष के दौरान हुई वृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण गतिविधियां थीं जिन्होंने औद्योगिक वृद्धि में 91.1 प्रतिशत का योगदान किया था। 2006-07 में विनिर्माण क्षेत्र में हुई 12.5 प्रतिशत वृद्धि 1995-96 (14.1 प्रतिशत) से अब तक की उच्चतम थी । 'मशीनरी और उपस्कर', 'मूल धातु

और संमिश्र धातु उद्योग' और 'रसायन तथा रसायन उत्पाद' वृद्धि के मुख्य आधार थे और विनिर्माण वृद्धि में इनका योगदान लगभग 50 प्रतिशत था।

I.2.8 उपयोग आधारित श्रेणीकरण के संदर्भ में मूल, मध्यवर्ती क्षेत्र और पूंजीगत सामान के संबंध में वृद्धि में उल्लेखनीय बढ़त देखी गई। इन तीन क्षेत्रों ने उपभोक्ता सामान के क्षेत्र की गिरावट पूरी कर दी। मूल सामान के क्षेत्र की वृद्धि 1995-96 से अब तक की सर्वोच्च - को सीमेंट, हाइ स्पीड डिज़ेल और विभिन्न लौह और इस्पात के उत्पाद, जैसे कार्बन स्टील, छड़े, पाईप्स और ट्यूब्स के उत्पादन से लाभ मिला था। मध्यवर्ती सामान के क्षेत्र, जिसने 2005-06 में कम वृद्धि दर्ज की थी, में तेज परिवर्तन आया और उसने 2006-07 में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो 1995-96 (19.3 प्रतिशत) से अब तक की सर्वोच्च वृद्धि थी। पूंजीगत माल के क्षेत्र की वृद्धि 2005-06 के 15.8 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 18.2 प्रतिशत हो गई जो देश में निवेश मांग की निरंतरता दर्शाती है। दूसरी ओर, उपभोक्ता माल के क्षेत्र में कुछ खाद्य मदों, ड्रग्स, खाद्य तेल और टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट के कारण वृद्धि कम हो गई।

सेवा क्षेत्र

I.2.9 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के संशोधित अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र से निर्मित वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2005-06 के 10.3 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 11.0 प्रतिशत हो गई। सेवा क्षेत्र की वृद्धि 'व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, स्टोरेज और संचार तथा 'वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं नामक उप क्षेत्र की वृद्धि से प्रभावित थी। विदेशी पर्यटकों के आगम, घरेलू यातायात, होटल में रहने, खुदरा ऋण, वाणिज्यिक वाहन उत्पादन, दूरसंचार का उपयोग, रेलवे का राजस्व अर्जक भाड़ा और नागरी विमानन द्वारा हैंडल किए गए यात्रियों की संख्या वृद्धि ने 'व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, स्टोरेज और संप्रेषण' नामक उप-क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया। यह उप-क्षेत्र देश में आर्थिक गतिविधियों के मुख्य प्रेरक के रूप में उभरा है जिसने 2006-07 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि में लगभग आधी और समग्र वास्तविक जीडीपी वृद्धि में लगभग एक-तिहाई का योगदान किया।

I.2.10 निर्माण उप क्षेत्र 2006-07 में निरंतर उच्च वृद्धि (10.7 प्रतिशत) दर्ज करता रहा, हालांकि यह वृद्धि पूर्ववर्ती दो वर्षों के 14 प्रतिशत से अधिक की मजबूत वृद्धि से कुछ कम थी। 'वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं' के उप-क्षेत्र ने लगातार दूसरे वर्ष दो अंकीय वृद्धि दर्ज की जिससे बैंक जमाराशि की वृद्धि में बढ़त, खाद्येतर ऋण में निरंतर वृद्धि, बीमा क्षेत्र की गतिविधियों में तेज वृद्धि और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में लगातार तेजी प्रतिबिंबित होती है। निरंतर राजस्व वृद्धि, नई सेवा लाइनों में निरंतर विस्तार और भौगोलिक विस्तार आईटी क्षेत्र की विशेषता रही। इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों से हुए निवेश में भारी वृद्धि हुई।

बचत और पूंजी निर्माण

I.2.11 घरेलू बचत और निवेश दरें 2005-06 में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गईं। सकल घरेलू बचत 2004-05 के 31.1 प्रतिशत और 2001-02 के 23.5 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में जीडीपी का 32.4 प्रतिशत हो गई। वर्ष के दौरान हुई वृद्धि उच्च निजी कारपोरेट और पारिवारिक बचतों से प्रेरित थी। पूर्वकथन के अनुसार कारपोरेट लाभप्रदता में सुधार दर्शाते हुए निजी कारपोरेट बचत दर 2002-03 और 2005-06 के बीच दोगुनी हो गई। पारिवारिक क्षेत्र की बचत 2005-06 में सुधर गई किंतु 2003-04 में प्राप्त स्तर से नीचे ही बनी रही। सार्वजनिक क्षेत्र की बचत ने 2003-04 में शुरु हुई सुधार की प्रवृत्ति को पलटते हुए 2005-06 में कुछ कमी दर्ज की । घरेलू बचत दर में 1.3 प्रतिशत अंक की बढ़त और साथ ही विदेशी बचत का अधिक

आश्रय दर्शाते हुए घरेलू निवेश दर जीडीपी के 2.3 प्रतिशत अंक बढ़कर 2005-06 में जीडीपी का 33.8 प्रतिशत हो गई जो 2001-02 में दर्ज 22.9 प्रतिशत से बड़ा उछाल है। 2001-02 की स्थिति से हुई वृद्धि का मुख्य कारण निजी कारपोरेट क्षेत्र का निवेश दोगुना होकर जीडीपी के 12.9 प्रतिशत होना था जिससे पारिवारिक निवेश की कुछ गिरावट की भरपाई हो गई थी। चालू बाजार मूल्यों पर जीडीपी से सकल निर्धारित पूंजी निर्माण का अनुपात 2006-07 में और 1.4 प्रतिशत अंक बढ़कर 2005-06 में 28.1 प्रतिशत से 29.5 प्रतिशत हो गया।

III. मुद्रा, ऋण और मूल्य

I.3.1 2006-07 के दौरान मौद्रिक और चलनिधि समुच्चयों में वृद्धि हुई, जिसमें व्यापक मुद्रा वृद्धि वित्तीय वर्ष की शुरूआत में रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमानित संकेतात्मक दिशा से ऊपर बनी रही। रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियों में व्यापक वृद्धि ने आरक्षित मुद्रा में विस्तार किया। वर्ष के दौरान, बैंक जमाओं में वृद्धि हुई, जिसमें समय जमाराशियां आगे थी। बैंक ऋण की मांग लगातार तीसरे वर्ष सुदृढ़ बनी रही, अलबत्ता वृद्धि में कुछ कमी आई। रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो और रिवर्स रिपो, प्रतिभूतियों के निर्गम, बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों और नकदी आरक्षित अनुपात की मदद से बाजार चलनिधि को कम करना जारी रखा।

आरक्षित मुद्रा

I.3.2 आरक्षित मुद्रा 2005-06 के दौरान 17.2 प्रतिशत की तुलना करने पर 2006-07 के दौरान 23.7 प्रतिशत (सीआरआर में वृद्धि के पहले दौर के प्रभाव के लिए 18.9 प्रतिशत समायोजित किया गया) बढ़ी। 2006-07 के दौरान आरक्षित मुद्रा में वृद्धि मुख्य रूप से रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियों में वृद्धि के कारण थी। रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियां (मूल्यन का निवल) प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा की बड़ी-बड़ी खरीदें करने के कारण 2006-07 के दौरान (पिछले वर्ष के दौरान 68,834 करोड़ रुपये) 1,64,601 करोड़ रुपए बढ़ी।

I.3.3 2006-07 के दौरान, हाल के वर्षों की तरह, सरकार को भारिबैं द्वारा दिए गए निवल ऋण मुख्य रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि प्रबंधन के कारण थे न कि सरकार के राजकोषीय अंतर के निष्क्रिय वित्तपोषण के कारण। चलनिधि प्रबंधन के परिचालनों को परिलक्षित करते हुए केंद्र को दिए गए रिज़र्व बैंक के निवल ऋणों में पिछले वर्ष की 28,417 करोड़ रु. की वृद्धि के विपरीत 2006-07 में 3,024 करोड़ रुपए की गिरावट आई।

मौद्रिक सर्वेक्षण

I.3.4 व्यापक मुद्रा ($एम_3$) एक वर्ष पहले के 17.0 प्रतिशत से मार्च 2007 के अंत में वर्ष-दर-वर्ष 21.3 प्रतिशत बढ़ी और अप्रैल 2006 के वार्षिक नीति वक्तव्य में अनुमानित 15.0 प्रतिशत की वृद्धि दर के ऊपर बनी रही ।

I.3.5 व्यापक मुद्रा के बड़े घटकों के बीच, 2006-07 के दौरान जनता के पास मुद्रा, उच्च आर्थिक गतिविधि के अनुरूप पिछले वर्ष के 16.4 प्रतिशत से 17.0 प्रतिशत बढ़ी।

I.3.6 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमा राशियाँ एक वर्ष पहले के 16.4 प्रतिशत से मार्च 2007 के अंत में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 24.9 प्रतिशत बढ़ी जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ मजबूत आर्थिक गतिविधि, बैंक जमाओं पर अधिक ब्याज दरों और धारा 80ग के अंतर्गत पाँच वर्ष और

अधिक की परिपक्वता वाली जमाओं पर कर लाभ के विस्तार को उत्तरदायी माना जा सकता है। सावधि जमाओं में तेज वृद्धि के विपरीत, डाक जमाओं में एक वर्ष पहले की 17.2 प्रतिशत की वृध्दि से मार्च 2007 में 11.2 प्रतिशत की गिरावट दिखी, जिसके लिए डाक जमाओं पर ब्याज दरों के अपरिवर्तित रहने की पृष्ठभूमि में बैंक जमाओं में बढ़ते ब्याज दर अंतरों को उत्तरदायी माना जा सकता है ।

I.3.7 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का गैर-खाद्य ऋण एक वर्ष पहले के 31.8 प्रतिशत से तुलना करने पर 31 मार्च 2007 को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 28.4 प्रतिशत बढ़ा। ऋण वृद्धि में मामूली कमी और जमाओं में तेज वृद्धि को परिलक्षित करते हुए, वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात अक्तूबर 2004 के अधिकांश भाग में 100 प्रतिशत के ऊपर / लगभग रहने के पश्चात् 2006-07 की दूसरी छमाही में घटा। मार्च 2007 के अंत के अनुसार, वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात एक वर्ष पहले के 110 प्रतिशत से तुलना करने पर 84 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) के लगभग था।

I.3.8 ऋण-जीडीपी अनुपात मार्च 2000 के अंत के 30 प्रतिशत और मार्च 2006 के अंत के 47 प्रतिशत से मार्च 2007 के अंत में 51 प्रतिशत बढ़ा। तथापि, भारत में ऋण- जीडीपी अनुपात बड़ी-बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और अधिकांश पूर्व एशियन देशों की तुलना में अब भी कम बना हुआ है।

I.3.9 उपलब्ध पृथक आंकड़े दर्शाते हैं कि 2006-07 के दौरान ऋण वृद्धि व्यापक रही थी। जबकि 36 प्रतिशत वृद्धिशील गैर खाद्य ऋण का उपभोग उद्योगों द्वारा किया गया और कृषि द्वारा 14 प्रतिशत तथा वैयक्तिक उधारों द्वारा 24 प्रतिशत उपभोग किया गया। वर्ष के दौरान, वृद्धिशील आधार पर (वर्ष दर वर्ष) वैयक्तिक ऋणों में गृह ऋण का हिस्सा एक वर्ष पहले के 49.4 प्रतिशत से मार्च 2007 के अंत में कम होकर 47.7 प्रतिशत पर आ गया। वाणिज्यिक वास्तविक भूमि-भवन के लिए ऋणों में यद्यपि कुछ कमी के बावजूद उच्च वृद्धि जारी रही। रिज़र्व बैंक ने उन वर्गों के लिए प्रावधानन आवश्यकता और जोखिम भारों को और कठोर बनाया जिसमें सापेक्षिक रूप से उच्च वृद्धि परिलक्षित हुई।

I.3.10 मूल सांख्यिकीय विवरणों के आंकड़ों से उभरने वाली प्रवृत्ति के आधार पर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए कुल बैंक ऋण में वैयक्तिक ऋणों का हिस्सा मार्च 1990 के अंत में 6.4 प्रतिशत से मार्च 2006 के अंत में 23.3 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें गृह और आवासेतर ऋण आगे थे। जबकि समग्र ऋण में गृह ऋण का हिस्सा 2.4 प्रतिशत से 12.0 प्रतिशत बढ़ा, आवासेतर फुटकर ऋण 4.0 प्रतिशत से 11.3 प्रतिशत बढ़ा।

I.3.11 हाल के वर्षों में, कंपनी क्षेत्र अपनी वित्तीयन की आवश्यकताओं के लिए बैंक से इतर स्रोतों पर व्यापक रूप से निर्भर रहा है। यह प्रवृत्ति 2006-07 में जारी रही जिसमें कंपनी क्षेत्र ने व्यापक रूप से आंतरिक निधियों पर निर्भर रहने के अलावा, पूँजी बाजार और बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) से बड़े-बड़े संसाधन जुटाए। 2006-07 के दौरान घरेलू इक्विटी निर्गमों के माध्यम से जुटाए गए संसाधन दोगुने से अधिक हो गए। 2006-07 के दौरान निधियों के आंतरिक स्रोतों ने घरेलू कंपनी क्षेत्र को व्यापक वित्तीय समर्थन देना जारी रखा।

I.3.12 एनडीटीएल के अनुपात के रूप में वाणिज्यिक बैंकों की एसएलआर प्रतिभूतियों की धारिताएं, मार्च 2006 के अंत के 31.3 प्रतिशत और अप्रैल 2004 के 42.7 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2007 के अंत में अपनी एनडीटीएल के 28.0 प्रतिशत पर रहीं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का अधिक एसएलआर निवेश मार्च 2006 के अंत में 1,45,297 करोड़ रुपए से घटकर मार्च 2007 के अंत में 84,223 करोड़ रुपए हो गया।

मूल्य स्थिति

वैश्विक मुद्रास्फीति

I.3.13 2006-07 के दौरान वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति अधिक बनी रही जो सुदृढ़ माँग और उत्पादन अंतरों के समापन के वातावरण में कच्चे तेल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों की अधिकता के संयुक्त प्रभाव को परिलक्षित करता है। यद्यपि अगस्त 2006 से कच्चे तेल के मूल्यों में कमी होने के कारण मुद्रास्फीति घटी, मुद्रास्फीतिक दबाव अन्य पण्य मूल्यों के कारण हुआ और इसने क्षमता उपयोग को बढ़ाया। परिणाम के रूप में, हेडलाइन मुद्रास्फीति बडी अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीतिक लक्ष्य / आसान क्षेत्रों के ऊपर बनी रही। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों में हेडलाइन मुद्रास्फीति मार्च 2007 में 2.4 प्रतिशत तक कम होने के पहले मार्च 2006 में 2.5 प्रतिशत से जून 2006 में 3.1 प्रतिशत की अन्तर वर्षीय ऊंचाइयों पर पहुँची; कोर मुद्रास्फीति (अर्थात खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर) मार्च 2006 में 1.6 प्रतिशत से मार्च 2007 में 2.1 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष 2006 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले की तरह 2.3 प्रतिशत थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों के दौरान (2000-04) 1.9 प्रतिशत से अधिक थी। विकासशील एशिया में मुद्रा स्फीति 2000-04 में 2.6 प्रतिशत और 2005 में 3.6 प्रतिशत से 2006 में 4.0 प्रतिशत बढ़ी। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में मुद्रस्फीति कई अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ी है, यह पण्य मूल्यों में लगातार वृद्धि और अधिक मांग के बावजूद अब भी सापेक्षिक रूप से नियंत्रित है।

I.3.14 मुद्रास्फीति दबावों की पृष्ठभूमि में, कई केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं को रोकने के लिए 2006-07 के दौरान मौद्रिक नीति को कठोर बनाया। बड़ी-बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच, अमरीकी फेडरल रिज़र्व बोर्ड (अमेरीकी फेड), दि ईसीबी, दि बैंक ऑफ इंग्लैण्ड, दि बैंक ऑफ स्वेरिजेज रिक्स बैंक (स्वीडन), दि रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैण्ड, दि रिज़र्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया और बैंक ऑफ जापान ने वर्ष के दौरान अपनी नीतियों को कठोर बनाया।

वैश्विक पण्य मूल्य

I.3.15 2006-07 के दौरान अन्तरराष्ट्रीय तेल से इतर पण्यों के मूल्य बढ़े जिसमें धातु और खाद्यों के मूल्य आगे थे। उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से चीन में सुदृढ़ मांग और निवेशकों की बढ़ी हुई रुचि के कारण धातु के मूल्यों में वृद्धि हुई। खाद्य वस्तुओं में गेहूँ और खाद्य तेलों के दाम बढ़े जिससे वैश्विक उत्पादन में गिरावट परिलक्षित होती है। कच्चे तेल के मूल्यों में व्यापक उतार-चढ़ाव दिखे, शुरू-शुरू में जुलाई 2006 में यह तेजी से रिकार्ड ऊँचाई तक पहुँचा, इसके पश्चात बाद वाले महीनों में इसमें तीव्र सुधार हुआ। समग्र रूप में, तेल से इतर मूल्यों में (जैसा कि विश्व बैंक के ऊर्जा से इतर पण्यों की सूची में मापित किया गया) मार्च 2007 में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई (वर्ष-दर-वर्ष)। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के कुछ केंद्रीय बैंकों ने नकदी आरक्षित आवश्यकताओं के प्रयोग का भी सहारा लिया जिससे बड़े-बड़े बाह्य पूंजी प्रवाहों से उत्पन्न अत्यधिक चलनिधि का प्रबंधन किया जा सके। कुछ केंद्रीय बैंकों ने वर्ष के दौरान दिशा परिवर्तित की - आरंभ में ब्याज दरें बढ़ाकर और इसके पश्चात् वृद्धि के समर्थन के लिए उसमें कटौती करके।

भारत में मुद्रास्फीति दशाएं

थोक मूल्य मुद्रास्फीति

I.3.16 भारत में थोक मूल्य सूचकांक में उतार चढ़ाव पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले के 4.0 प्रतिशत से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 31 मार्च 2007 को 5.9 प्रतिशत बढ़ी। मुद्रा स्फीति में वृद्धि आपूर्ति दबावों में परिलक्षित हुई, ये दबाव उच्च प्राथमिक वस्तुओं के उच्च मूल्यों और सुदृढ़ वृद्धि के बीच मांग दबावों से उत्पन्न हुए। 2006-07 के दौरान

हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.7-6.7 प्रतिशत की सीमा में चढ़ती-उतरती रही है। मुद्रा स्फीति सामान्यतया 11 नवंबर 2006 को 5.0-5.5 प्रतिशत के रिज़र्व बैंक के संकेतात्मक अनुमान के अन्तर्गत बनी रही। मुद्रास्फीति 6 जनवरी 2007 और 24 मार्च 2007 के दौरान 6.0 प्रतिशत के ऊपर बनी रही। मुद्रा स्फीति के अन्तर वर्षीय उतार-चढ़ाव को परिलक्षित करते हुए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) दर (52 सप्ताहों का औसत) एक वर्ष पहले के 4.4 प्रतिशत से 5.4 प्रतिशत बढ़ी। ईंधन समूह को छोड़कर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 7.4 प्रतिशत की मुद्रा स्फीति 31 मार्च 2007 के 5.9 प्रतिशत की हेडलाइन मुद्रास्फीति दर से ऊपर थी। वृद्धि गति को बनाए रखने के लिए मुद्रा स्फीति प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 2006-07 के दौरान एहतियाती मौद्रिक उपाय जारी रखे जिसमें रिपो और रिवर्स रिपो दरों में वृद्धि तथा नकदी आरक्षित अनुपात शामिल है।

I.3.17 बड़े समूहों के बीच, प्राथमिक वस्तुओं के मूल्यों ने 2006-07 के दौरान मुद्रा स्फीति पर ऊर्ध्वमुखी दबाव डाला जो बढ़े हुए अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों के बीच बड़ी-बड़ी कृषि फसलों की घरेलू आपूर्ति कमी को दर्शाता है। गेहूँ, दालें, दूध, तिलहन और कच्चा कपास प्राथमिक वस्तुओं में मुद्रा स्फीति के प्रमुख प्रेरक थे। जबकि गेहूँ के दाम वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 31 मार्च 2007 को 7.3 प्रतिशत थे, दालें 12.5 प्रतिशत (एक वर्ष पहले की 33.3 प्रतिशत वृद्धि की सर्वोच्चता से तुलना करने पर) अधिक बढ़ी। तिलहन के मूल्यों में तेज परिवर्तन हुआ - एक वर्ष पहले के 9.2 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 31.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कच्चे कपास के मूल्यों में, वैश्विक कीमतों में मामूली गिरावट के विपरीत, 31 मार्च 2007 को वर्ष-दर-वर्ष 21.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। समग्र रूप में, प्राथमिक वस्तुओं की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, 10.7 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 4.8 प्रतिशत) बढ़ी जो पिछले दशक में वृद्धि की सबसे ऊँची दर थी।

I.3.18 प्राथमिक पण्यों में मूल्य वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से, सरकार ने अनेक राजकोषीय और आपूर्ति पक्ष के उपाय किए जैसे (i) गेहूं की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राज्य व्यापार निगम को विदेशों से 5.5 मिलियन टन गेहूँ मंगाने के लिए निविदा आमंत्रित करने की अनुमति देना (ii) निजी व्यापारियों को 27 जून 2006 से आरंभ में 5 प्रतिशत शुल्क पर गेहूँ आयात करने और बाद में 9 सितंबर 2006 से शून्य शुल्क पर आयात करने की अनुमति देना (iii) 8 जून 2006 से शून्य शुल्क पर दालों के आयात और 27 जून 2006 के उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाना। (iv) 22 जून 2006 से चीनी को उत्पाद शुल्क से मुक्त करना और इसके आयात पर प्रतिबंध लगाना (v) फरवरी 2007 में शून्य शुल्क पर मक्का के आयात की अनुमति देना (vi) पाम आयल पर अगस्त 2006 और अप्रैल 2007 प्रत्येक में 10 प्रतिशत अंक तथा जुलाई 2007 में 5 प्रतिशत अंक और कच्चे पाम आयल, सूरजमुखी के तेल और रिफाइन्ड सूर्यमुखी तेल पर जनवरी 2007 में प्रत्येक पर 10 प्रतिशत अंक तक उत्पाद शुल्क घटाना।

I.3.19 ईंधन समूह मुद्रास्फीति जो पिछले दो वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति परिणाम पर हावी रही थी, वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान उल्लेखनीय रूप से कम हुई, यह एक दशक में सबसे कम दर पर थी। ईंधन समूह मुद्रा स्फीति शुरू में 1 अप्रैल 2006 को 8.3 प्रतिशत से 17 जून 2006 को अंतर वर्ष के उच्चतम 9.9 प्रतिशत पर पहुँची लेकिन 31 मार्च 2007 को 1.0 प्रतिशत कम हुई जो आधार प्रभाव और पेट्रोल, डीजल तथा अन्य ईंधन उत्पादों की कीमतों में कटौतियों को दर्शाता है। जून 2006 में, शुरू में पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतें क्रमशः 4 रु. और 2 रु. प्रति लीटर बढ़ीं; तदुपरांत से 29 नवंबर 2006 को क्रमशः 2 रु. लीटर (लगभग 4 प्रतिशत) और 1 रु. प्रति लीटर (लगभग 3 प्रतिशत) कम हुईं तथा 15 फरवरी 2007 को इसी क्रम में कम हुई। लेकिन, पासथ्रू, खास तौर से मिट्टी के तेल और एलपीजी के मामले में जिनकी

कीमतें क्रमशः अप्रैल 2002 और नवंबर 2004 से अपरिवर्तित रही, अपूर्ण बना रहा। पेट्रोल और डीजल पर जून 2006 में 10.0 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की कटौती के अलावा, सरकार ने 2006-07 के दौरान कुल 24,121 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 11,500 करोड़ रुपए) के तेल बाँड भी जारी किए।

I.3.20 दूसरी तरफ, सुदृढ़ वृद्धि और मांग दशाओं तथा अधिक क्षमता उपयोग के बीच 2006-07 के दौरान विनिर्मित उत्पाद मुद्रा स्फीति के एक प्रमुख कारक के रूप में उभरे। विनिर्मित उत्पाद समूह मुद्रा स्फीति 31 मार्च 2007 को 6.1 प्रतिशत (एक वर्ष पहले के 1.9 प्रतिशत से) बढ़ी जिसने 2006-07 के दौरान समग्र वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति में आधे से अधिक योगदान किया। विनिर्मित उत्पादों के बीच, धातु की कीमतें 31 मार्च 2007 को वर्ष-दर-वर्ष 11.3 प्रतिशत बढ़ी जिसने हेडलाइन मुद्रास्फीति में 17.4 प्रतिशत का योगदान किया। धातु समूह के अन्तर्गत, अलौह धातु की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 29.3 प्रतिशत बढ़ीं, जो एक वर्ष पहले के 17.5 प्रतिशत की वृद्धि से उच्चतम थीं; ये व्यापक तौर पर अन्तरराष्ट्रीय रुझानों के अनुसार थी। लोहा और स्टील की कीमतें एक वर्ष पहले के 4.2 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत, वर्ष दर वर्ष 8.1 प्रतिशत बढ़ीं। सीमेंट की कीमतें 31 मार्च 2007 को वर्ष-दर-वर्ष 11.6 प्रतिशत बढ़ीं जबकि एक वर्ष पहले के 14.9 प्रतिशत की वृद्धि उच्चतम स्तर पर थी, यह आवास और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों से संबंधित विनिर्माण कार्य से जन्मी सुदृढ़ घरेलू मांग के अनुसार थी। इलेक्ट्रिकल मशीनरी की कीमतें 12.9 प्रतिशत बढ़ीं जो निवेश मांग की अधिकता को दर्शाती हैं। खाद्य तेलों (एक वर्ष पहले के 3.3 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 14.1 प्रतिशत की वृद्धि), खली (8.2 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 32.9 प्रतिशत की वृद्धि) और अनाज मिल उत्पाद (एक वर्ष पहले के 13.5 प्रतिशत की वृद्धि के उच्चतम स्तर पर 16.6 प्रतिशत की वृद्धि) की कीमतों में वृद्धि ने विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति को बढ़ाया। घरेलू चीनी की कीमतें वैश्विक रुझानों के अनुसार घटीं।

I.3.21 विनिर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की लागत को घटाने के लिए, सरकार ने 22 जनवरी 2007 को चुनिंदा मदों जैसे अकार्बनिक रसायन, अलौह धातुओं, सीमेंट, पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयात पर सीमा शुल्क में कटौती के रूप में राजकोषीय उपाय किए। सरकार ने केन्द्रीय बजट 2007-08 में उच्च स्तर के सीमा शुल्क को 12.5 प्रतिशत से कम करके10.0 प्रतिशत किया और कुछ मामलों में 10.0 प्रतिशत से नीचे। 3 अप्रैल 2007 को सरकार ने पोर्टलैंड सीमेंट के आयात पर प्रतिकारी शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क माफ करने का निर्णय लिया, इसे पहले जनवरी 2007 में मूल सीमा शुल्क से मुक्त किया गया था।

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

I.3.22 2006-07 के दौरान उपभोक्ता मूल्य मुद्रा स्फीति बढ़ी और वर्ष के दौरान सभी चार माप थोक मूल्य सूचकांक मुद्रा स्फीति से अधिक थे, जो मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में वृद्धि और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में खाद्य कीमतों के अधिक भार की उच्चतर दशा को दर्शाते है। खाद्य मदों का भार डब्ल्यू पी आई में 27 प्रतिशत (संयुक्त) की तुलना में ग्रामीण श्रमिकों और कृषि श्रमिकों के लिए सी पी आई में 67-69 प्रतिशत और औद्योगिक श्रमिकों तथा शहरी श्रमेतर कर्मचारियों के लिए सीपीआई में 46-47 प्रतिशत की सीमा में होता है। अलग-अलग आंकड़े दर्शाते हैं कि विभिन्न सीपीआई उपायों में खाद्य समूह मुद्रास्फीति मार्च 2006 में 4.9 - 5.8 प्रतिशत से मार्च 2007 में 10.9-12.2 प्रतिशत बढ़ी। खाद्य मूल्यों में वृद्धि के उच्च क्रम और सूची में उनके अधिक भार के परिणाम स्वरूप, सीपीआई मुद्रास्फीति की विभिन्न माप मार्च, 2006 में 4.9- 5.3 प्रतिशत कम होने पहले, मार्च 2006 में 4.9-5.3 प्रतिशत से फरवरी 2007 में 7.6-9.8 की अन्तरवर्षीय ऊँचाई पर थे। जबकि मार्च

2007 में कम अर्थात 6.7-9.5 प्रतिशत थे। उच्च तेल समूह के मूल्य भी सीपीआई मुद्रास्फीति में योगदान करते हैं। वर्ष के दौरान ''विविध समूह'' के प्रतिनिधित्व द्वारा सेवाओं के मूल्य में निश्चित प्रवृत्ति दिखी। तथापि, औद्योगिक कामगारों के लिए सीपीआई के मामले में आवास किराए में कमी आई, लेकिन शहरी शारीरिक श्रम न करने वाले कर्मचारियों के लिए सीपीआई के मामले में मामूली वृद्धि हुई।

आस्ति मूल्य और मुद्रा स्फीति

I.3.23 2006-07 के दौरान घरेलू इक्विटी और बुलियन बाजार में लाभ हुए जिसमें वर्ष के दौरान थोड़े-थोड़े समय के अंतराल के बीच सुधार दिखे। समग्रतः, बीएसई सेन्सेक्स में वर्ष 2006-07 के दौरान 15.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 2006-07 के दौरान व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ावों को प्रदर्शित करते हुए घरेलू स्वर्ण के मूल्य लगभग 10 प्रतिशत बढ़े। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में विभिन्न पण्यों की प्रवृत्ति के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय स्वर्ण मूल्य बढ़कर शुरू में 12 मई 2006 को प्रति औंस 715 अमरीकी हो गए, लेकिन, 14 जून 2006 को गिरकर 559 अमरीकी डालर हो गए। स्वर्ण के मूल्य जुलाई 2006 में सुधरे लेकिन सितंबर 2006 में पुनः कम हुए क्योंकि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति, कच्चे तेल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों के कम होने के साथ-साथ घटी। 2006 की चौथी तिमाही में स्वर्ण मूल्य मार्च 2007 के अंत तक प्रति औंस लगभग 660 अमरीकी डालर पर आने से पहले काफी ऊँचे गए थे।

IV. सरकारी वित्त

I.4.1 केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्तीय प्रबंध में वर्ष 2006-07 के दौरान सुधार दिखाई दिया। वर्ष 2006-07 के दौरान प्रमुख घाटा संकेतक, अर्थात् सकल राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 0.2-0.6 प्रतिशत अंक कम रखे गये थे जिसका मुख्य कारण कर राजस्व में सुस्पष्ट वृद्धि थी। कर राजस्व में उछाल सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि, तथा कर की दरों में कमी लाकर और कर-आधार का विस्तार करके कराधान की प्रणाली में सुधार लाने के अनवरत प्रयासों का सूचक था। संयुक्त वित्त की एक खास विशेषता विकास व्यय के लिए और अधिक राशि का निर्धारण थी।

केंद्र सरकार का वित्त – 2006-07

I.4.2 वर्ष 2006-07 के लिए केंद्र सरकार के वित्त के संशोधित अनुमानों से, बजट अनुमानों की तुलना में सुधार परिलक्षित हुआ। प्रमुख घाटा संकेतक, अर्थात् राजस्व घाटा, सकल राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा उनके बजट स्तरों से, सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 प्रतिशत अंक अपेक्षाकृत कम निर्धारित किए गए थे। वास्तविक आँकड़ों की दृष्टि से राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा बजट में किए गए अनुमानों से कम रहे लेकिन सकल राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में ज्यादा था। संशोधित अनुमानों में राजस्व लेखे में सुधार का मुख्य कारण अपेक्षाकृत अधिक कर राजस्व था। उत्पाद शुल्क को छोड़कर अन्य सभी करों के अंतर्गत वसूलियां बजट अनुमानों की अपेक्षा अधिक थीं। राजस्व में उछाल के कारण एकत्र हुआ राजस्व, राजस्व व्यय में हुई वृद्धि (मुख्यतः अधिक ब्याज और सब्सिडी के भुगतान के कारण) के समायोजन से भी अधिक हो गया तथा इसके चलते संशोधित अनुमानों में राजस्व घाटा कम हो गया। लेकिन सकल राजकोषीय घाटा, अपेक्षाकृत अधिक निवल ऋणदान के कारण, बजट अनुमानों की अपेक्षा संशोधित अनुमानों में अधिक निर्धारित किया गया। दूसरी ओर, पूंजी परिव्यय, रक्षा व्यय में कमी के कारण, कम रहा।

1.4.3 लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी किए गए वर्ष 2006-07 के अनंतिम लेखों से यह ज्ञात होता है कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा (दोनों), जिनकी तुलना सकल घरेलू उत्पाद से की जाती है, संशोधित

अनुमानों को देखते हुए, कर राजस्व और गैर-कर राजस्व (दोनों) में वृद्धि के कारण क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत और कम हो गए। प्राथमिक शेष अधिशेष की स्थिति में पहुंच गया।

केंद्र सरकार के ऋण की स्थिति

I.4.4 आंतरिक ऋण और अन्य देयताओं सहित (जिनमें राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि, अन्य लेखे, आरक्षित निधि और जमाराशियां शामिल हैं) केंद्र सरकार की बकाया देशी देयताएं कम होकर मार्च 2007 के अंत में (संशोधित अनुमान) सकल घरेलू राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण उत्पाद के 59.0 प्रतिशत पर पहुंच गईं जबकि मार्च 2006 के अंत में ये 60.7 प्रतिशत और मार्च 2005 के अंत में 61.8 प्रतिशत थीं। यह स्थिति राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया की द्योतक है। केंद्र सरकार की बकाया देनदारियों का सबसे बड़ा भाग आंतरिक ऋण था (मार्च 2007 के अंत में कुल ऋण का 61.3 प्रतिशत), इसके बाद राष्ट्रीय लघु बचत निधि और राज्य भविष्य निधियों का स्थान था।

राज्य सरकार वित्त – 2006-07

I.4.5 राज्यों की वर्ष 2006-07 की समेकित राजकोषीय स्थिति से यह ज्ञात होता है कि राज्यों में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में और प्रगति हुई है तथा ऐसा राजकोषीय दायित्व कानून के निर्माण और कार्यान्वयन से संभव हुआ है। वर्ष 2006-07 के संशोधित अनुमानों में समेकित राजस्व घाटा 1,303 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 0.03 प्रतिशत) रखा गया था, जबकि वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान में 4,511 करोड़ रुपए का घाटा (सकल घरेलू उत्पाद का 0.11 प्रतिशत) दर्ज किया गया था। ज्यादातर राज्यों ने, बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजस्व शेष की स्थिति प्राप्त करने के लिए निर्धारित वर्ष 2008-09 के लक्ष्य से 2 वर्ष पहले ही राजस्व अधिशेष की स्थिति प्राप्त कर ली है। यह सुधार अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्तियों (बजट में अनुमानित स्तर से 4.5 प्रतिशत अधिक) के कारण संभव हुआ जिससे अधिक राजस्व व्यय (बजट में अनुमानित स्तर से 3.9 प्रतिशत अधिक) का भी समायोजन हो गया। वर्ष 2006-07 के दौरान (संशोधित अनुमान) अपेक्षाकृत अधिक राजस्व की प्राप्ति का कारण केंद्र से प्राप्त होनेवाले अनुदानों में वृद्धि (3.6 प्रतिशत), भागीदारी वाले कर (5.8 प्रतिशत), राज्यों की अपनी कर प्राप्तियां (3.9 प्रतिशत) और राज्यों की अपनी गैर-कर प्राप्तियां (6.9 प्रतिशत) था। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे का अनुपात बजट में अनुमानित 2.6 प्रतिशत से मामूली सा बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो गया जिसका कारण मुख्यतः शिक्षा, ग्रामीण विकास, सिंचाई, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों पर पूंजी व्यय और अधिक (10.8 प्रतिशत) था। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में पूंजी व्यय 0.3 प्रतिशत अंक बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी प्रमुख घाटा संकेतक वर्ष 2006-07 के संशोधित अनुमानों में, वर्ष 2000-2005 की अवधि के दौरान के औसत स्तरों से, काफी कम रखे गए।

केंद्र और राज्यों की समेकित बजट स्थिति – 2006-07

I.4.6 वर्ष 2006-07 के दौरान संशोधित अनुमानों में, संयुक्त सरकारी वित्त के राजस्व और प्राथमिक घाटे, बजट अनुमानों की अपेक्षा कम रखे गए। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर - दोनों की वसूली में बहुत ज्यादा उछाल तथा अपेक्षाकृत गैर-कर प्राप्तियों के कारण, बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व घाटे में 0.1 प्रतिशत की कमी आई। सकल व्यय बजट अनुमान से अपेक्षाकृत अधिक था जिसका मुख्य कारण विकास और गैर-विकास व्यय में वृद्धि थी। विकास व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति और सफ़ाई पर अधिक व्यय किए जाने के कारण बजट अनुमानों से अधिक हुआ जबकि गैर-विकास व्यय प्रशासनिक सेवाओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक आबंटन के कारण अधिक हुआ।

2007-08 के लिए राजकोषीय संभावना

केंद्र सरकार

I.4.7 राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध नियम, 2004 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2007-08 के संघीय बजट में राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया को जारी रखने की बात कही गई थी। तदनुसार वर्ष 2007-08 के दौरान बजट अनुमानों के अनुसार सकल राजकोषीय घाटे में 0.4 प्रतिशत की कमी करके उसे सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत पर लाने की बात कही गई है जबकि बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा 0.5 प्रतिशत कम करके सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत पर लाने की बात कही गई है। बजट में बताई गई ये कमियां राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध नियम, 2004 की व्यवस्थाओं के अनुसार की जानेवाली कमियों के अनुरूप हैं। बजट में वर्ष 2007-08 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 0.2 प्रतिशत प्राथमिक अधिशेष की बात कही गई है जबकि वर्ष 2006-07 के दौरान यह सकल घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत ही रखा गया था। घाटे में कमी लाने के मामले में अपनाई जानेवाली रणनीति में सबसे प्रमुख राजस्व की प्रधानता की बात कही गई है तथा साथ में सरकारी खर्चों के आबंटन की दक्षता में भी सुधार लाने की बात कही गई। वर्ष 2007-08 के दौरान बजट की व्यवस्थाओं के अनुसार योजना व्यय की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा कम रहने की बात कही गई है, इसलिए योजना के लिए वित्तपोषण की संपूर्ण व्यवस्था केवल उधार लिये गये संसाधनों से ही नहीं होगी। इसके अलावा सकल राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे के अनुपात में कमी से पूंजीगत परिव्यय बढ़ाने में सुविधा होगी।

राज्य बजट 2007-08

I.4.8 वर्ष 2007-08 के लिए राज्य सरकारों ने बजटों के माध्यम से राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के अनुसार अपनी राजकोषीय स्थिति में और अधिक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है तथा उन्होंने ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उच्चतर आबंटन किया है । राज्यों के बीच उतार-चढ़ाव रहते हुए भी 2006-07 (सं.अ.) में जीडीपी के 0.03 प्रतिशत के घाटे की तुलना में जीडीपी के 0.4 प्रतिशत के आधिक्य वर्ष 2007-08 में प्रत्यक्ष सुधार दर्शाने के लिए बजट किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सकल राजकोषीय घाटा 2006-07 (सं.अ.) में जीडीपी के 2.8 प्रतिशत से घटकर 2007-08 में जीडीपी के 2.4 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। समेकित प्राथमिक घाटे का 2007-08 में जीडीपी के 0.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

2007-08 के लिए संयुक्त वित्त

I.4.9 वर्ष 2007-08 के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त बजट संबंधी स्थिति का अवलोकन राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया का सातत्य दर्शाता है। घाटे के महत्वपूर्ण संकेतक 2006-07 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में,संपूर्ण तथा जीडीपी दोनों ही अर्थों में, कमी लाने के लिए बजट किए गए हैं । 2007-08 के दौरान संयुक्त वित्त में सुधार मूलतः राज्य वित्त में उल्लेखनीय सुधार के कारण है, जो उनके राजस्व खातों में काफी बड़ी मात्रा में शेष राशि इकट्ठी होना दर्शाता है।

I.4.10 बाजार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 के दौरान संयुक्त जीएफडी के उच्चतर भाग का वित्तपोषण करने के लिए बजट किए गए हैं। हालांकि, राज्य भविष्य निधि के हिस्से में सीमान्त वृद्धि का अनुमान है। जीएफडी के वित्तपोषण के लिए लघु बचत का अंशदान 2007-08 में कम होने का अनुमान है।

V. वित्तीय बाजार

I.5.1 वर्ष 2006-07 के अधिकांश भाग के दौरान भारतीय वित्तीय बाजार सामान्यतः सुव्यवस्थित रहा। तथापि, कुछ अवसरों पर, विशेषतः मार्च 2007 में कुछ अस्थिरता हुई जिससे सरकार के पूंजी प्रवाह और नकदी संतुलनों में भारी परिवर्तनों से उत्पन्न चलनिधि

स्थितियों में परिवर्तन देखे गए। वित्तीय बाजारों के विभिन्न खंडों की ब्याज दरों में रिज़र्व बैंक की नीतिगत ब्याज दरों के बाद वृद्धि हुई। दिसंबर 2006 - मार्च 2007 (विशेषतः, मार्च 2007 का उत्तरार्ध) के दौरान जब बाजार चूंकि अस्थायी तंगी की स्थिति से गुजर रहा था, वर्ष के दौरान कुछ अवसरों को छोड़कर एक दिवसीय दरें भारतीय रिज़र्व बैंक की रेपो और रिवर्स रेपो दरों द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर रहीं। एक दिवसीय मुद्रा बाजार के संपार्श्विक खंड की ब्याज दरें भी बढ़ गई लेकिन वर्ष के दौरान वे मांग दर से कम रहीं। विदेशी मुद्रा बाजार में जुलाई 2006 के मध्य से रुपए के प्रति बढ़ते रुझान से भारतीय रुपए में घट-बढ़ दिखाई दी। वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूति बाजार में आय में वृद्धि हुई। तथापि, आय वक्र सपाट रहा। बैंक की जमा और ऋण दरें, विशेषतः वर्ष की दूसरी छमाही में, बढ़ गईं। वर्ष के दौरान आवधिक सुधारों के कारण शेयर बाजार रेकार्ड उंचाई पर पहुंच गया। पूंजी बाजार के प्राथमिक बाजार खंड में उछाल की स्थिति बनी रही।

मुद्रा बाजार

I.5.2 वर्ष 2006-07 के दौरान मुद्रा बाजार दरों में वृद्धि हुई जो मोटे तौर पर नीतिगत दरों के अनुसार रही। वर्ष 2006-07 के दौरान मांग दर का अनुपात 7.22 प्रतिशत रहा जो 2005-06 की तुलना में 162 आधार अंक अधिक था। वर्ष के दौरान ब्याज दर में हुई घट-बढ़, अग्रिम कर के बहिर्वाह, सरकार के नकदी संतुलनों, त्योहारों के मौसम के कारण मुद्रा की मांग, पूंजी प्रवाह की प्रवृत्ति और ऋण की मांग जैसे कारकों के कारण उत्पन्न हुई चलनिधि स्थितियों पर निर्भर रही। सितंबर 2006 के मध्य तक मांग मुद्रा दर सामान्यतः रिवर्स रेपो दर पर स्थिर रही तथा सितंबर 2006 के मध्य से 12 दिसंबर 2006 तक रेपो रिवर्स रेपो की सीमा के अंदर रही। 13 दिसंबर 2006 से मांग दर बढ़ी और वह अग्रिम कर के बहिर्वाह और 23 दिसंबर 2006 और 6 जनवरी 2007 से प्रभावी पखवाड़े के प्रत्येक नकदी रिज़र्व अनुपात में 25 आधार अंक की वृद्धि की घोषणा (8 दिसंबर 2006 को की गई) के प्रभाव के अंतर्गत रेपो दर को पार कर गई। 29 दिसंबर 2006 को भारांकित औसत मांग दर 16.88 की ऊंचाई को छू गई लेकिन चलनिधि की कुछ स्थितियों के कारण जनवरी 2007 के पहले सप्ताह में कम हो गई। तथापि, मांग दर फरवरी 2007 के पहले सप्ताह तक रेपो दर से ऊपर बनी रही। रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों के कारण फरवरी 2007 के दूसरे सप्ताह में मांग दर और कम होकर 6.5 प्रतिशत हो गई जो रेपो दर से कम थी।

I.5.3 मुद्रा बाजार के संपार्श्विक खंड की ब्याज दरें - बाजारी रेपो (एलएएफ के बाहर) तथा संपार्श्विक उधारी तथा ऋण देयता (सीबीएलओ) में मांग दर की तर्ज पर वृद्धि हुई। मुद्रा बाजार में संपार्श्विक बाजार अब एक वर्चस्व प्राप्त खंड है और वर्ष 2006-07 की समस्त मात्रा में उसका योगदान 70 प्रतिशत है। वर्ष 2006-07 के दौरान इन खंडों की दरें मांग बाजार की दरों से कम बनी रहीं जो मांग दर की तुलना में सापेक्ष स्थिरता दर्शाती है। कुल मिलाकर, वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए ब्याज दरों का अनुपात मांग मुद्रा बाजार के 7.22 प्रतिशत (5.60 प्रतिशत) की तुलना में, क्रमशः सीबीएलओ खंड में 6.24 प्रतिशत (वर्ष 2005-06 में 5.34 प्रतिशत) और बाजारी रेपो खंड में 6.34 प्रतिशत (5.36 प्रतिशत) रहा। मांग मुद्रा, सीबीएलओ और रेपो खंडों की भारित औसत ब्याज दरें वर्ष 2005-06 की 5.43 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 6.57 प्रतिशत हो गईं।

जमा प्रमाणपत्र

I.5.4 ऋण की मांग को पूरा करने के लिए निधि जुटाने हेतु अपने जमा संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए बैंकों ने जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) का सहारा लेना जारी रखा। एकमुश्त जमाराशियां आकर्षित करने के लिए दिए जा सकने वाले प्रतिफल की लोच से जमा

प्रमाणपत्र नकदी के जरुरतमंद बैंकों के लिए संसाधन जुटाने का एक अधिमान्य जरिया बन गया। जमा प्रमाणपत्र की बकाया राशि मार्चांत 2006 के 43,568 करोड़ रुपए (जारीकर्ता बैंकों की कुल जमाराशियों का 4.80 प्रतिशत) से बढ़कर 2007 के मार्च के अंत में 93,272 करोड़ रुपए (4.83 प्रतिशत) हो गई। 22 जून 2007 को जमा प्रमाणपत्रों की बकाया राशि पुनः बढ़कर 98,337 करोड़ रुपए हो गई। मार्च 2007 के पहले पखवाड़े के दौरान मुख्यतः निजी क्षेत्र के बैंकों ने बड़ी मात्रा में (कुल बकाया राशि का लगभग 20 प्रतिशत) जमा प्रमाणपत्र जारी किए । सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों की तुलना में न्यून जमा आधार वाले छोटे बैंकों का कुल जमा में जमा प्रमाणपत्रों का अनुपात उच्च था। जमा प्रमाणपत्रों की भारित औसत बट्टा दर (डब्ल्यूएडीआर) अन्य मुद्रा बाजार की ब्याज दरों में वृद्धि के अनुरूप 2006 के मार्च के अंत में 8.62 प्रतिशत से बढ़कर 2007 के मार्च के अंत में 10.75 प्रतिशत हो गई। डब्ल्यूएडीआर जून 2007 के अंत में कम होकर 9.37 प्रतिशत रह गई। वाणिज्यिक पत्रों की प्रमुख निवेशक पारस्परिक निधियां हैं।

वाणिज्यिक पत्र

I.5.5 कंपनियों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) की बकाया राशि मार्चांत 2006 की 12,718 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्चांत 2007 में 17,838 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 2006-07 की पहली छमाही में वाणिज्यिक पत्रों की बकाया राशि तेजी से बढ़ी, लेकिन अक्तूबर 2006 से जनवरी 2007 के दौरान वह मुख्यतः दायराबद्ध रही और फरवरी-मार्च 2007 के दौरान कम रही । वर्तमान में कोई भी ऐसी कंपनी जिसने क्रिसिल की पी 2 की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग या उसकी समकक्ष रेटिंग हासिल कर ली है, वह वाणिज्यिक पत्रों के जरिए संसाधन जुटा सकती है। इसके फलस्वरूप, प्राइम रेटेड कंपनियों में वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम का वर्चस्व रहा। उदाहरण के लिए, 31 मार्च 2007 को समाप्त पखवाड़े के दौरान प्राइम-रेटेड कंपनियों ने 11.3 प्रतिशत की भारित औसत बट्टा दर (डब्ल्यूएडीआर) पर वाणिज्यिक पत्रों के जरिए कुल 1,190 करोड़ रुपए (कुल राशि का 93.0 प्रतिशत) की निधि जुटाई जबकि मीडियम रेटेड कंपनियों ने 11.78 प्रतिशत की डब्ल्यूएडीआर पर 90 करोड़ रुपए (सात प्रतिशत) की निधि जुटाई। कुल मिलाकर, वाणिज्यिक पत्रों पर डब्ल्यूएडीआर, अन्य मुद्रा बाजार दरों में वृद्धि के अनुरूप 31 मार्च 2006 को समाप्त पखवाड़े की 8.59 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2007 के दौरान 11.33 प्रतिशत हो गई। वाणिज्यिक पत्रों की बकाया राशि 30 जून 2007 को बढ़कर 26,256 करोड़ रुपए हो गई। डब्ल्यूएडीआर जून 2007 में कम होकर 8.93 प्रतिशत रह गया। वाणिज्यिक पत्रों की सबसे अधिक पसंदीदा अवधि '61 से 90 दिन' तथा '181 और अधिक दिन' के दायरे में थी।

सरकारी प्रतिभूति बाज़ार

I.5.6 वर्ष 2006-07 में सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के द्वितीयक घटक की आय नर्म रही और आय वक्र भी थोड़ी सी सपाट रही। वर्ष 2006-07 के प्रारंभ में आय में जो शुरुआती वृद्धि हुई थी वह वर्ष के भीतर 11 जुलाई 2006 को बढ़कर सर्वाधिक 8.40 प्रतिशत तक पहुंच गई जिसकी वजह घरेलू स्तर पर नियंत्रित ऋण की मांग, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों में वृद्धि के प्रति आशंका तथा विश्व में एवं भारत में पहले से ही मौद्रिक कठोरता का निरंतर बने रहना रहा है। हालांकि बाद में आय में सुधार हुआ जो अमरीका में सरकारी बाण्डों पर होने वाली आय में वृद्धि होने, फेडरल निधि दर को अपरिवर्तित रखने के फेडरल रिज़र्व के निर्णय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम होना, सांविधिक चलनिधि अनुपात पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों की बढ़ती हुई मांग तथा वर्ष 2006-07 की दूसरी छमाही के लिए केंद्र सरकार के उधार कैलेंडर की घोषणा जो बाज़ार प्रत्याशाओं के

अनुरूप थी, के फलस्वरूप हुआ है। 28 नवंबर 2006 को 10 वर्षीय आय कम होकर 7.38 प्रतिशत पर पहुंच गई। घरेलू स्तर पर अग्रिम कर आउटफ्लो, ऊंची महंगाई दर तथा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि के चलते चलनिधि स्थिति कठोर बने रहने से दिसंबर 2006 की दूसरी छमाही से आय में पुनः थोड़ी कमी बनी रही। 10 वर्षीय आय 31 मार्च 2007 को 7.97 प्रतिशत थी जो 31 मार्च 2006 (7.52 प्रतिशत) के स्तर से 45 आधार अंक अधिक थी।

I.5.7 वर्ष 2006-07 के दौरान आय वक्र सपाट रही और 1-10 वर्षीय आय मार्च 2006 के अंत के 98 आधार अंक से कम होकर मार्च 2007 के अंत में 42 आधार अंक कम हुई। 2007-08 के दौरान, जुलाई 2007 के अंत की आय व्याप्ति ने यह दर्शाया कि 10-वर्षीय आय में कमी ने आय वक्र का दीर्घावधि लक्ष्य पूरा नहीं किया। किंतु, 5 वर्षीय एएए-रेटिंग वाले बाण्डों पर आय, 5-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में मार्च 2006 के अंत के 91 आधार अंक से बढ़कर, जुलाई 2006 में घटकर 69 आधार अंक होने के बाद, मार्च 2007 में 142 आधार अंक हो गई है।

ऋण बाजार

I.5.8 वाणिज्य बैंकों की जमा और उधार देने की दरें वर्ष 2006-07 के दौरान बढ़ी हैं। उदाहरणार्थ, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एक से तीन वर्ष की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर मार्च 2006 के 5.75 - 6.75 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 में 7.25 - 9.50 प्रतिशत हो गई, जबकि उसी अवधि में तीन वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों पर ब्याज दर 6.00 - 7.25 प्रतिशत से बढ़कर 7.50 - 9.50 प्रतिशत हो गई। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरें भी एक वर्ष पहले की दरों से अधिक रही हैं।

1.5.9 सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बेंचमार्क प्राथमिक उधार दर मार्च 2006 की 10.25 - 11.25 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 में 12.25 - 12.75 प्रतिशत के बीच हो गई। निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों की बेंचमार्क प्राथमिक उधार दरें भी वर्ष के दौरान बढ़ी हैं। 2007-08 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों की बेंचमार्क प्राथमिक उधार दरें जुलाई 2007 तक क्रमशः 12.50 - 13.50 प्रतिशत और 13.00-17.25 प्रतिशत हो गई। विदेशी बैंकों की बेंचमार्क प्राथमिक उधार दरें उक्त अवधि में अपरिवर्तित रही। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भारित औसत बीपीएलआर मार्च 2006 के 10.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 में 12.4 प्रतिशत और जुलाई 2007 में 13.1 प्रतिशत हो गई, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों की ये दर उसी अवधि में 12.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.1 प्रतिशत और 14.9 प्रतिशत हो गई। विदेशी बैंकों की भारित औसत बीपीएलआर मार्च 2006 और मार्च 2007 के 12.7 प्रतिशत से जुलाई 2007 में बढ़कर 13.9 प्रतिशत हुई। बैंक की उधार दी गई राशियों का अधिकांश हिस्सा बीपीएलआर से कम दर पर दिया जाना बना रहा है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए उधार का तकरीबन 79 प्रतिशत मार्च 2007 के अंत तक उप-बीपीएलआर दर पर था (पिछले वर्ष यह 69 प्रतिशत था)। बैंक के समूहों के हिसाब से, सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक तथा विदेशी बैंकों ने मार्च 2007 के अंत तक अपने कुल ऋण का क्रमशः 74 प्रतिशत, 92 प्रतिशत तथा 72 प्रतिशत ऋण उप-बीपीएलआर पर दिया है।

इक्विटी और ऋण बाज़ार

I.5.10 सार्वजनिक निर्गमों (बिक्री प्रस्तावों को छोड़कर) द्वारा प्राथमिक बाज़ार से वर्ष 2006-07 के दौरान जुटाए गए संसाधन में 20.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 32,382 करोड़ रुपए हो गया। जुटाए गए संसाधनों का अधिकांश हिस्सा पहले की तरह इक्विटी निर्गमों के माध्यम से रहा (पिछले वर्ष के 99 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2006-07 में कुल संसाधन का 97 प्रतिशत)।

I.5.11 भारतीय कार्पोरेट क्षेत्र की भी घरेलू निजी प्लेसमेंट बाज़ार पर निर्भरता काफी हद तक बनी रही है। निजी प्लेसमेंट मार्ग से जुटाए गए संसाधन में अप्रैल-दिसंबर 2006-07 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में 50.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो बढ़कर 1,45,571 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान निजी प्लेसमेंट से जुटाई गई राशि का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र की संस्थाओं - वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों द्वारा जुटाया गया - पिछले वर्ष के 42.7 प्रतिशत की तुलना में 58.0 प्रतिशत था।

I.5.12 वर्ष 2006-07 के दौरान पारस्परिक निधियों द्वारा जुटाए गए निवल संसाधनों में 78.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बढ़कर 93,985 करोड़ रुपए हो गया, और यह वृद्धि मुख्यतया निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियों द्वारा जुटाए गए अधिक संसाधनों के कारण थी। मार्च 2007 के अंत में पारस्परिक निधियों द्वारा नियंत्रित निवल आस्तियों में भी 40.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो बढ़कर 3,26,292 करोड़ रुपए हो गई और यह जुटाए गए संसाधनों में वृद्धि तथा उनके संविभाग के बाज़ार मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है।

I.5.13 घरेलू स्टॉक बाज़ार में वर्ष 2006-07 के दौरान और अधिक तेजी आई। बंबई स्टॉक एक्सचेंज मार्च 2007 के अंत में सूचकांक पिछले वर्ष की अधिकतम वृद्धि 73.7 प्रतिशत अंक से 15.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी। कंपनी जगत में सुदृढ़ लाभ और विदेशी संस्थागत निवेशकों एवं घरेलू पारस्परिक निधियों से चलनिधि संबंधी निरंतर समर्थन से शेयर बाज़ार में तेजी बनी रही, हालांकि विश्व स्तर पर इक्विटी बाज़ार की प्रवृत्तियों के अनुसरण में स्टॉक बाज़ार में कई अवसरों पर (मई-जून 2006, दिसंबर 2006 और फरवरी-मार्च 2007) अत्यधिक ऊपर-नीचे होने की स्थिति का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2006-07 के दौरान बंबई शेयर बाज़ार 8,929 अंक (14 जून 2006) तक की रेंज में रहा और 30 मार्च 2007 को सूचकांक 13,072 अंक पर बंद होने के पहले सर्वाधिक अंक 14,652 (8 फरवरी 2007) तक पहुंच गया था।

VI. बाह्य क्षेत्र

I.6.1 वर्ष 2006-07 के दौरान भारत की भुगतान संतुलन की गतिविधियों में बाह्य क्षेत्र में लगातार मजबूती एवं सक्रियता का असर दिखाई दिया। व्यापारिक निर्यात और गैर-तेल आयात में सुदृढ़ वृद्धि बनी रही हालांकि वृद्धि की जो रफ्तार पिछले वर्ष थी उसमें थोड़ी कमी आई। सॉफ्टवेयर तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात से हुई आय तथा विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा प्रेषित धन के स्तर में उछाल जारी रहा। वर्ष 2006-07 के दौरान अदृश्य वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त निवल राशि में वृद्धि हुई जिससे बढ़ते हुए व्यापारिक घाटे के एक बड़े हिस्से की भरपाई होती रही। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान चालू खाता घाटा सामान्य रहा और यदि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में देखा जाए तो इसका स्तर वही रहा जो एक वर्ष पहले था। वर्ष 2006-07 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) में तेजी के कारण वृद्धि की संभावनाओं और घरेलू निवेश तथा आयात की मांग के चलते भारत में पूंजी प्रवाह (निवल) में वृद्धि हुई। भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में किए जा रहे अधिग्रहण की बढ़ती हुई संख्या के कारण बाह्य प्रत्यक्ष निवेश में भी उछाल आया। चालू खाता घाटा से अधिक निवल पूंजी प्रवाह की स्थिति में संपूर्ण भुगतान संतुलन में महत्वपूर्ण रूप से अधिशेष दर्ज किया गया जो वर्ष 2006-07 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 47.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि में प्रतिबिंबित होता है । हालांकि बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा अनिवासी जमाराशि की अधिक मात्रा के कारण बाह्य कर्ज में बढ़ोतरी हुई जबकि निवल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में कमी दर्ज की गई जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में निरंतर वृद्धि हुई।

पण्य व्यापार

I.6.2 भारत के पण्य निर्यात में वृद्धि वर्ष 2005-06 के दौरान 23.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2006-07

के दौरान 22.5 प्रतिशत हुई। पण्यवार आंकड़ों से यह जाहिर होता है कि वर्ष 2006-07 के दौरान इंजीनियरिंग वस्तुओं तथा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में तेज वृद्धि दर्ज की गई, वहीं रसायन तथा संबद्ध उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र तथा संबद्ध उत्पाद तथा अयस्क और खनिज जैसी अन्य महत्वपूर्ण मदों के निर्यात में वृद्धि की दर सामान्य बनी रही।यद्यपि अयस्कों और खनिजों के निर्यात में गिरावट के बावजूद प्राथमिक उत्पादों के निर्यात में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि (2005-06 में 20.8 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2006-07 के दौरान कृषि उत्पादों में चाय, तंबाकू, मसालों तथा चीनी एवं शीरे के निर्यात में उच्च वृद्धि का स्तर बना रहा। मुख्य रूप से दवाइयों, फार्मास्यूटिकल्स तथा कीमती रसायनों के निर्यात में कमी के कारण रसायनों तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात की दर कम रही। वर्ष 2005-06 के दौरान तीव्र वृद्धि दर्ज करने के बाद भारत के वस्त्रों के निर्यात में वर्ष 2006-07 में कमी हुई।

I.6.3 वर्ष 2006-07 के दौरान अमरीका भारत के निर्यातों का मुख्य आयातक देश रहा जहां भारत के कुल निर्यात का 14.9 प्रतिशत हिस्सा निर्यात हुआ उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (9.5 प्रतिशत), चीन (6.6 प्रतिशत) तथा सिंगापुर (4.8 प्रतिशत) का स्थान रहा। वर्ष 2006-07 के दौरान अपवाद स्वरूप संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को छोड़कर, अधिकतर प्रमुख बाजारों को किए गए निर्यात की वृद्धि दर में कमी हुई । संयुक्त अरब अमीरात को किए गए निर्यात में तेज वृद्धि होने का कारण उस देश के पेट्रोलियम निर्यात में वृद्धि रही है। पिछले कुछ वर्षों में, विकासशील देश विशेष रूप से एशियाई देश भारतीय निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरकर सामने आए हैं जबकि विकसित देशों के हिस्से में गिरावट का रुझान नज़र आया है।

I.6.4 भारत के पण्य आयात की वृद्धि एक वर्ष पहले के 33.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2006-07 के दौरान 27.8 प्रतिशत तक आ गई। वर्ष 2006-07 के दौरान तेल आयात में 29.8 प्रतिशत तक कमी आई (एक वर्ष पहले यह 47.3 प्रतिशत थी) जिससे भारतीय कच्चे तेल समूह की कीमतों की वृद्धि में कुछ नरमी (वर्ष 2005-06 के दौरान 42.2 प्रतिशत से तुलना करने पर वर्ष 2006-07 के दौरान 12.7 प्रतिशत) प्रदर्शित होती है। दूसरी तरफ, वर्ष 2006-07 के दौरान तेल आयातों की मात्रा में 19.3 की वृद्धि एक वर्ष पहले की 4.2 प्रतिशत की वृद्धि से काफी अधिक रही।

I.6.5 मुख्य रूप से मोती, मूल्यवान और कम मूल्यवान रत्नों के आयात में गिरावट के कारण तेल से इतर आयातों में वृद्धि एक वर्ष पहले के 28.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2006-07 के दौरान 26.9 प्रतिशत हो गई। दूसरी ओर सोने तथा चांदी का आयात एक वर्ष पहले की 1.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान 29.4 प्रतिशत तक बढ़ गया जो आंशिक रूप से सोने की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान सोने तथा चांदी को छोड़कर तेल से इतर आयातों में वृद्धि एक वर्ष पहले के 33.1 प्रतिशत की तुलना में 26.6 प्रतिशत रही। घरेलू निवेश की तीव्र मांग के अनुरूप पूंजीगत वस्तुओं के आयात में उत्साहवर्धक वृद्धि जारी रही (वर्ष 2005-06 के दौरान रही 49.9 प्रतिशत वृद्धि के ऊपर वर्ष 2006-07 के दौरान 40.6 प्रतिशत थी)। पूंजीगत वस्तुएं आयात का मुख्य आधार बनी रहीं जिनका हिस्सा वर्ष 2006-07 के दौरान तेल से इतर एवं सोने-चांदी से इतर आयातों में लगभग 61 प्रतिशत वृद्धि के बराबर रहा।

I.6.6 वर्ष 2006-07 के दौरान चीन, भारत के कुल आयातों (तेल तथा तेल से इतर आयात) का मुख्य स्रोत रहा जिसका हिस्सा भारत के कुल आयात का 9.1 प्रतिशत था उसके बाद सऊदी अरब (7.0 प्रतिशत), जर्मनी (6.6 प्रतिशत), अमरीका (6.6 प्रतिशत), स्विटजरलैंड (4.8 प्रतिशत) और संयुक्त अरब अमीरात (4.5 प्रतिशत) का स्थान रहा।

अदृश्य

I.6.7 अदृश्य मदों (सेवाओं, अंतरण तथा आय को मिलाकर) के अधिशेष की स्थिति वर्ष 2006-

07 के दौरान उत्साहवर्धक बनी रही जिसमें सॉफ्टवेयर तथा अन्य सेवाओं के निर्यात में सुदृढ़ वृद्धि और निजी विप्रेषण अग्रणी रहे । सकल अदृश्य प्राप्तियां, जिसमें सेवाओं, वित्तीय आस्तियों से आय, श्रम तथा संपत्ति और कार्मिकों के विप्रेषण आते हैं, तेजी से पण्य निर्यात के बराबर पहुंच रही हैं। कुल अदृश्य मदों की प्राप्तियां 1990-91 के 29 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में मौजूदा प्राप्तियों का 48 प्रतिशत थीं। सकल अदृश्य प्राप्तियों में 7.0 प्रतिशत से 13.0 प्रतिशत तक के तेज विस्तार के ऊपर वर्ष 2006-07 के दौरान अदृश्य मदों के अंतर्गत निवल अधिशेष वर्ष 2000-01 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 6.0 प्रतिशत हो गए। वर्ष 2006-07 के दौरान अदृश्य मदों के अंतर्गत निवल अधिशेषों ने तीन-चौथाई से अधिक व्यापार घाटे की भरपाई की।

चालू खाता

I.6.8 2006-07 में अदृश्य अधिशेष में अनवरत वृद्धि होने से इसने बढ़ते पण्यगत व्यापार घाटे के असर को कम करने में भूमिका अदा की । परिणामस्वरूप, 2006-07 में चालू खाता घाटा 9.6 बिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर बना रहा, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के घाटे से कुछ अधिक रहा । 2006-07 में सकल देशी उत्पाद के अनुपात में पिछले वर्ष की तरह ही चालू खाता घाटा 1.1 प्रतिशत रहा। 1990 के दशक के मध्य और 2003-04 के बीच पण्यगत व्यापार घाटा सकल देशी उत्पाद के 3-4 प्रतिशत के बीच झूलता रहा मगर 2006-07 में तेल और तेल से इतर उत्पादों के ऊंची मात्रा में आयात होने के कारण ये तेजी से बढ़कर सकल देशी उत्पाद के 7.1 प्रतिशत तक पहुंच गया। आयातोन्मुखी व्यापार घाटा और पूंजीगत वस्तुओं के आयात एवं निर्यात-संबंधी मदों की बहुलता वृद्धि की उत्साहवर्धक संभावनाओं के समर्थन से सुदृढ़ निवेश मांग के महत्व को रेखांकित करती है। फिर भी, चालू खाता घाटा सापेक्षतः कम रहा और 1990-91 से यह सकल देशी उत्पाद के औसतन एक प्रतिशत के आसपास बना रहा जोकि सापेक्षतः कम है। इसका कारण है कि निवल अदृश्य अधिशेष में अनवरत वृद्धि की प्रवृत्ति बनी रही और यह 2000-01 में सकल देशी उत्पाद के 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 6.0 प्रतिशत हो गया। भारत से भिन्न बहुत-सी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 2006 में व्यापार और चालू खातों में अधिशेष दर्ज किए गए।

पूंजी खाता

I.6.9 2006-07 में निवल पूंजीगत प्रवाह और बढ़ा। इसमें भारत की वृद्धि की संभावनाओं में निवेशकों की बढ़ती रुचि के साथ वैश्विक चलनिधि स्थिति का पता भी चलता है। पूंजीगत प्रवाह (निवल) 2000-03 के लगभग 9 बिलियन अमरीकी डालर (सकल देशी उत्पाद का 1.9 प्रतिशत) से बढ़कर 2004-06 में 30-31 बिलियन अमेरिकी डालर (सकल देशी उत्पाद के 3.5 प्रतिशत) (आइएमडी प्रभाव के लिए समायोजित) के आसपास रहा। यह चालू खाता घाटे से काफी ऊपर बना रहा। बाह्य वाणिज्यिक उधारियों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह के समर्थन से 2006-07 में पूंजीगत प्रवाह (निवल) 44.9 बिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर रहे ।

विदेशी निवेश

I.6.10 घरेलू गतिविधियों में वृद्धि, निवेश का सकारात्मक माहौल, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीतियों में क्रमिक उदारीकरण और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के चलते भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तेजी से बढ़कर 2005-06 के 7.7 बिलियन अमरीकी डालर से 2006-07 में 19.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। वित्तीय सेवाओं, विनिर्माण, बैंकिंग सेवाओं, सूचना तकनीकी और निर्माण सरीखे क्षेत्रों में समामेलन और अधिग्रहण की बढ़ती रफ्तार ने भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आगम को बढ़ावा दिया है। 2006-07 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह पोर्टफोलियो प्रवाह से काफी अधिक रहा है। इस वर्ष भारत से होने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भी

पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह 2005-06 के 4.5 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2006-07 में 11.0 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है। इससे साबित होता है कि विदेशी भुगतान व्यवस्था के क्रमिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारतीय कारपोरेट जगत बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने तथा बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से लाभ उठाने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों का विदेश में अधिग्रहण कर रहा है।

बाह्य ऋण

I.6.11 जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा अनिवासी जमा में हुए निवल अंतर्वाह में वृद्धि के परिणामस्वरूप 2006-07 में भारत का कुल बाह्य ऋण 28.6 बिलियन अमेरिकी डालर बढ़ गया। मार्च 2007 के अंत में बाह्य ऋण 155.0 बिलियन अमेरिकी डालर रहा । 2006-07 में बाह्य वाणिज्यिक उधारों का स्टॉक 15.9 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ा जो कि कुल बाह्य ऋण में लगभग 55.6 प्रतिशत वृद्धि के आसपास बैठता है। बाह्य वाणिज्यिक उधारों के अन्य घटकों के बीच वाणिज्यिक बैंक उधार मार्च 2006 के अंत में 16.4 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि की तुलना में मार्च 2007 के अंत में 25.8 बिलियन अमरीकी डालर बढ़े जबकि प्रतिभूतिकृत उधार (एफसीसीबी सहित) 9.7 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 15.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गए।

I.6.12 बाह्य ऋण स्टॉक का लगभग 49 प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी डालर में था और इसके बाद भारतीय रुपया (17.4 प्रतिशत), एसडीआर (13.3 प्रतिशत) तथा जापानी येन (12.9 प्रतिशत) का स्थान आता है। 1990 के दशक से सकल देशी उत्पाद की तुलना में बाह्य ऋण के अनुपात में निरंतर गिरावट आई है। मार्च 1995 के अंत में यह 30.8 प्रतिशत था जो मार्च 2007 के अंत में घटकर 16.4 प्रतिशत रह गया। यद्यपि 2005 में भारत सातवां सबसे बड़ा ऋणी देश रहा है मगर ऋण-सकल देशी उत्पाद अनुपात में इसका स्थान ऊपर के 20 देशों में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। मार्च 2007 के अंत में विदेशी मुद्रा आरक्षित, बाह्य ऋण स्टाक के 28.5 प्रतिशत से अधिक थे। चालू प्राप्तियां बाह्य ऋण स्टाक के 58.4 प्रतिशत से अधिक रहीं, जो यह दर्शाता है कि वस्तुओं, सेवाओं के निर्यात और विप्रेषण में सुदृढ़ वृद्धि हुई है। कुल ऋण से अल्पावधि ऋण और विदेशी मुद्रा आरक्षित से अल्पावधि ऋण का अनुपात सापेक्षतः नरम बना रहा। ऋण-चुकौती अनुपात गिरकर 2006-07 में 4.8 प्रतिशत पर आ गया। 2005-06 की वृद्धि आईएमडी राशि की परिपक्वता तिथि पर एकमुश्त चुकौती (बुलेट रिडम्पशन) के एकल प्रभाव को प्रदर्शित करती है।

विदेशी मुद्रा भंडार

I.6.13 चालू खाता घाटे की तुलना में पूंजी प्रवाह (निवल) के काफी अधिक बने रहने के बावजूद 2006-07 में समग्र भुगतान संतुलन सतत बड़े पैमाने पर अधिशेष की स्थिति में बना रहा। परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा आस्तियों, स्वर्ण, एसडीआर और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में आरक्षित अंश से युक्त विदेशी मुद्रा भंडार 2006-07 में 47.6 बिलियन अमेरिकी डालर बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 199.2 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। मार्च 2007 के अंत में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्तीय लेनदेन योजना (एफटीपी) के अंतर्गत भारत का कुल अंशदान 493 मिलियन एसडीआर था।

I.6.14 मार्च 2007 के अंत में सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से भारत के पास अंतरराष्ट्रीय आरक्षित आस्तियों का पांचवां सबसे बड़ा भंडार था। आरक्षित पर्याप्तता के विभिन्न सूचकांक जैसा कि दर्शा रहे हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अच्छी स्थिति में है। मार्च 2007 के अंत में कुल भंडार 12.4 महीने से अधिक आयात तथा अल्पावधि ऋण के 16.6 गुने के बराबर थे।

II मूल्यांकन और संभावनाएं

2006-07 का मूल्यांकन

II.1 वर्ष 2006-07 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्माण और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के कारण वृद्धि में तेजी आई। घरेलू बचत और निवेश बढ़ने के कारण वर्ष 2003-04 से उच्च वृद्धिको निरंतर बल मिला है। तथापि, वर्ष 2006-07 के दौरान मजबूत वृद्धि के साथ-साथ कुछ क्षेत्रों में क्षमता बाध्यता के कारण मुद्रास्फीति का दबाव, कुल मौद्रिक और ऋण राशियों में सुदृढ़ वृद्धि, खाद्यान्न और तिलहन के घरेलू उत्पादन में मांग और पूर्ति में अंतर तथा वस्तुओं की कीमतों में दुनिया भर में मजबूती देखी गई। रिज़र्व बैंक द्वारा समय पर किए गए समुचित उपायों और सरकार द्वारा बढ़ते हुए मूल्यों के संबंध में आपूर्ति की ओर की गई अन्य कार्रवाई से हेडलाइन मुद्रास्फीति को रोकने में मदद मिली। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इन उपायों से कुछ हद तक मुद्रास्फीति की संभावना को रोकने में मदद मिली।समग्र रूप में सभी क्षेत्रों में और विशेष रूप में औद्योगिक क्षेत्र में हुई सुदृढ़ वृद्धि से कार्पोरेट क्षेत्र को ऊँची लाभप्रदता बनाए रखने में मदद मिली है। इसके परिणामस्वरूप भारी कर संग्रहण हुआ है और इसने लोक वित्त के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकास प्रक्रिया में वित्तीय बाजार की स्थिति, जो उतार चढ़ाव की कुछ घटनाओं को छोड़कर सही रही, ने सुविधा प्रदान की है। तथापि, वित्तीय बाजार के विभिन्न घटकों की ब्याज दरें कुछ हद तक बढ़ गई। मजबूत वृद्धि के फलस्वरूप व्यापार का घाटा अधिक हो गया। फिर भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में चालू खाते का घाटा पिछले वर्ष की तुलना में अपरिवर्तित रहा क्योंकि विशुद्ध अगोचर अधिशेष (नेट इनविजिबल्स सरप्लस) में जारी उछाल ने पण्य व्यापार के घाटे की काफी हद तक क्षतिपूर्ति कर दी। मुख्यतः बाहरी वाणिज्यिक उधारों और विशुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के रूप में आए बड़े पूंजी प्रवाहों से विदेशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि हुई।

II.2 वर्ष 2006-07 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार चौथे वर्ष सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2005-06 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 9.0 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 9.4 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार, 2006-07 को समाप्त चार वर्ष की अवधि में वृद्धि औसतन 8.6 प्रतिशत रही। दसवीं पंच वर्षीय योजना में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का औसत 7.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष था, जो किसी भी योजना अवधि में अधिकतम है।वर्ष 2006-07 के दौरान वृद्धि दर में तेजी औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में उछाल के कारण आई जिसने दुहरे अंकों में वृद्धि (11.0 प्रतिशत) दर्शायी क्योंकि उद्योग और सेवा क्षेत्र की उच्चतर वृद्धि ने कृषि क्षेत्र की गिरावट की भरपाई से भी अधिक का योगदान कर दिया।

II.3 कृषि क्षेत्र में वृद्धि 2005-06 के दौरान 6.0 प्रतिशत से कम होकर 2006-07 में 2.7 प्रतिशत हो गई, जो अंशतः दक्षिणी-पश्चिमी मॉनसून के दौरान छिट-पुट वर्षा तथा 2005-06 में अधिक वृद्धि दिखाने वाले आधार प्रभावों के कारण थी। यद्यपि 2006-07 में समग्र खाद्यान्न उत्पादन में 3.6 प्रतिशत वृद्धि हुई, मुख्य फसलों का उत्पादन अभी भी 2001-02 की पिछली ऊँचाइयों तक नहीं पहुँचा है। मुख्य फसलों में, 2006-07 के दौरान चावल, गेहूं और दालों की पैदावार क्रमशः 2001-02, 1999-2000 और 1998-99 की ऊँचाइयों से कम थी। मुख्य खाद्यान्नों के उत्पादन में ठहराव तथा दुनिया भर में बढ़ती कीमतों के बीच स्टॉक की कमी ने 2006-07 के दौरान घरेलू खाद्यान्न मूल्यों को और बढ़ा दिया। गैर खाद्यान्नों में, 2006-07 के दोरान गन्ने और कपास के उत्पादन ने नई ऊँचाइयों को छुआ, जबकि तिलहन में कमी आई।

II.4 अप्रैल 2002 में आरंभ हुई औद्योगिक उन्नति 2006-07 के दौरान कायम रही।औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के आधार पर, औद्योगिक वृद्धि 2005-06 के 8.2 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 11.5 प्रतिशत हो गई, जो पिछले दशक में प्राप्त अधिकतम वृद्धि थी। निर्माण क्षेत्र में हुई वृद्धि (12.5 प्रतिशत) व्यापक आधार पर थी। उपयोग आधारित वर्गीकरण के आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर सभी क्षेत्रों ने वृद्धि में तेजी दर्शायी। 18.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पूंजी वस्तुओं के उत्पादन में उछाल कायम रही जो अत्यधिक निवेश मांग दर्शाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान मूल वस्तुओं और मध्यस्थ वस्तुओं में भी उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई। मूल आधारभूत उद्योगों में वृद्धि 2006-07 के दौरान 8.6 प्रतिशत की हुई, जो 1999-2000 (9.1 प्रतिशत) के बाद उच्चतम रही है।

II.5 लगातार तीसरे वर्ष तक दुहरे अंकों में दर्ज वृद्धि वाले सेवा क्षेत्र ने देश में आर्थिक गतिविधियों के मुख्य संचालक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी। वर्ष 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद का 61.8 प्रतिशत भाग सेवा क्षेत्र का था तथा वर्ष के दौरान यह समग्र वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का लगभग तीन-चौथाई था। सेवा क्षेत्र को घरेलू पर्यटन, देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन, टेलीकॉम क्षेत्र, रेलवे यातायात, नागरिक उड्डयन, माल चढ़ाने-उतारने की व्यवस्था, निर्माण, कारोबारी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ), सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाओं(आइटीइएस) और बैंकिंग तथा बीमा गतिविधियों में हुई मजबूत वृद्धि का लाभ मिला।

II.6 हाल के वर्षों में आर्थिक गतिविधि में मजबूती घरेलू बचत और निवेश दरों में निरंतर बढ़ोतरी की प्रवृत्ति के साथ-साथ पूंजी के सक्षम उपयोग के कारण आई। बचत दर में बढ़ती हुई प्रवृत्ति जारी रही और वर्ष 2001-02 में सकल घरेलू उत्पाद के 23.5 प्रतिशत से बढ़ कर 2005-06 में 32.4 प्रतिशत हो गई जबकि उसी अवधि के दौरान निवेश दर 22.9 प्रतिशत से बढ़कर 33.8 प्रतिशत हो गई। 2006-07 के आँकड़े इसी प्रकार की प्रवृत्ति बने रहने के संकेत देते हैं जिसमें कुल स्थायी पूंजी निर्माण की दर 1.4 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि के द्वारा वर्ष 2005-06 के सकल घरेलू उत्पाद के 28.1 से बढ़कर 29.5 प्रतिशत हो गई।

II.7 1990 के आरंभ से निरंतर आर्थिक वृद्धि गरीबी में महत्वपूर्ण कमी के साथ भी जुड़ी है। गरीबी रेखा (यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड के आधार पर) से नीचे रह रहे लोगों का अनुपात 1993-94 के 36 प्रतिशत से कम होकर 2004-05 में 27.8 प्रतिशत रह गया। रोजगार वृद्धि (सामान्य प्रधान स्थिति के आधार पर) में भी तेजी आने के संकेत हैं जो (1993-94 से 1999-2000) 1.57 प्रतिशत प्रति वर्ष से बढ़कर (1999-2000 से 2004-05 के दौरान) 2.48 प्रतिशत हो गई।तथापि, रोजगार में वार्षिक वृद्धि (2.48 प्रतिशत) वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 के दौरान श्रम-शक्ति (2.54 प्रतिशत) की अपेक्षा थोड़ी कम थी। इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दर 1999-2000 के 2.78 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 3.06 प्रतिशत हो गई।

II.8 2006-07 के दौरान मुद्रा आपूर्ति ($एम_3$) 2005-06 के 17.0 प्रतिशत से बढ़कर 21.3 प्रतिशत हो गई। प्रमुख हिस्सों को देखें तो, मीयादी जमाराशियों में 2006-07 के दौरान उच्चतर वृद्धि देखी गई जो बैंक जमाराशियों पर उच्चतर ब्याज दरों तथा समुचित परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियों के लिए 80 सी के अंतर्गत उपलब्ध कर लाभों के कारण हो सकती हैं। संसाधनों की ओर, बैंक ऋण में वृद्धि ऊँची रही, वैसे पिछले दो वर्षों की तुलना में उसमें कुछ नरमी थी। बैंक ऋण की मांग का आधार वर्ष 2006-07 के दौरान व्यापक रहा जिसमें समग्र खाद्येतर ऋण में क्रमिक विस्तार का 14 प्रतिशत, 36 प्रतिशत और 24 प्रतिशत क्रमशःकृषि, उद्योग और व्यक्तिगत ऋण क्षेत्रों की ओर

गया। जमीन-जायदाद (रियल इस्टेट) जैसे क्षेत्रों में ऋण की वृद्धि अधिक रही है अलबत्ता कुछ नरमी के साथ । एसेट क्वालिटि बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक ने ऋण में अधिक वृद्धि वाले क्षेत्रों के लिए प्रावधानीकरण और जोख़िम भार संबंधी अपेक्षाओं को और कड़ा कर दिया है। बैंकों का सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश, उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के अनुपात के रूप में मार्च 2007 के अंत तक और कमहोकर 28.0 प्रतिशत हो गया (25 प्रतिशत के निर्धारित अनुपात के समीप) क्योंकि निवेश में विस्तार निवल माँग और मीयादी देयताओं के विस्तार के अनुरूप नहीं था। निवल विदेशी आस्तियाँ प्रारक्षित मुद्रा का मुख्य संचालक बनी रही और रिज़र्व बैंक ने बाजार चलनिधि को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत परिचालनों, बाजार स्थिरीकरण (एमएसएस) योजना के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ जारी करके और नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) के उपयोग के माध्यम से नियंत्रित करना जारी रखा।

II.9 1 अप्रैल 2006 को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.0 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2007 को 5.9 प्रशित हो गई जो वर्ष के दौरान 27 जनवरी 2007 को सबसे अधिक 6.7 प्रतिशत और 15 अप्रैल 2006 को सबसे कम 3.7 प्रतिशत थी। वर्ष 2006-07 के दौरान मांग और पूर्ति दोनों के कारकों से मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा है। आपूर्ति संबंधी दबाव इसलिए उभरा कि एक तरफ दुनिया भर में कीमते बढ़ीं और दूसरी तरफ देश में भी अनाज तथा तिलहन के पैदावार में मांग-आपूर्ति में अंतर होने के कारण यहाँ खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ गए। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति मार्च 2006 के 4.9 - 5.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 में 6.7 - 9.5 प्रतिशत हो गईजो मुख्यतः खाद्य पदार्थों के उच्चतर मूल्यों का प्रभाव बतलाता है।मुद्रास्फीति को कम करने और मुद्रास्फीति संबंधी संभावनाओं को स्थिर करने के लिए रिज़र्व बैंक ने विभिन्न उपायों का लचीलेपन के साथ प्रयोग करते हुए समय से पहले ही प्रतिकारक कार्रवाइ करने और मौद्रिक निभाव को धीरे-धीरे हटाने की अपनी नीति जारी रखी। वर्ष 2004 की दूसरी छमाही से 2007 के अगस्त के मध्य तक रिपो और रिवर्स रिपो दरों में क्रमशः 175 आधार पाइंट और 150 आधार पाइंट तक की वृद्धि हुई है। इसके साथ-साथ नकदी प्रारक्षित अनुपात में 250 आधार पाइंट की वृद्धि हुई है। सरकार ने 2006-07 के अन्तिम भाग में मुद्रास्फीति कम करने के विभिन्न राजकोषीय तथा आपूर्ति संबंधी उपाय किए हैं।

II.10 वर्ष 2006-07 के लिए केंद्र सरकार के अनन्तिम लेखों से राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) नियमावली, 2004 के अंतर्गत राजकोषीय सुधार के पथ पर बने रहने की सरकार की प्रतिबद्धता दिखाई देती है।वर्ष 2006-07 (अनन्तिम खाते) में जीडीपी के अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और राजस्व घाटा (आरडी) क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत था जो 2005-06 की तुलना में 0.6 पर्सेंटेज प्वाइंट और 0.7 पर्सेंटेज प्वाइंट कम था।इस प्रकार, राजकोषीय सुधार एफआरबीएम नियमावली 2004 के अंतर्गत प्रति वर्ष के लिए निर्धारित न्यूनतम कमी 0.3 पर्सेंटेज प्वाइंट और 0.5 पर्सेंटेज प्वाइंट से अधिक हो गईजिसके द्वारा वर्ष 2005-06 में लिए गए विराम की आंशिक भरपाई हो गई। इसके अतिरिक्त, 2006-07 के दौरान अनन्तिमखाते एक प्राथमिक (प्राइमरी) सरप्लस दर्शाते हैं, जिससे गैर ऋण रसीदों से कम गैर-ब्याज व्यय के रोके जाने का पता चलता है। वर्ष 1970-71 से (वह अवधि जिसके लिए आँकड़े सुलभता से उपलब्ध हैं) से पहली बार प्राथमिक सरप्लस वर्ष 2004-05 और पुनः वर्ष 2006-07 में दर्ज किए गए।अगर आने वाले वर्षों में ऐसी प्रवृत्ति बनी रही तो इससे पहले ऋण/जीडीपी अनुपात में स्थिरता लाने और फिर कमी करने में मदद मिलेगी।राजस्व में अच्छी वृद्धि से घाटे के सूचकांकों में कमी आई जिससे उन चक्रीय और ढाँचा-

गत कारकों का पता चलता है जिनसे ऊँचा आर्थिक विकास हुआ है और खर्च का प्रबंधन बेहतर हुआ है। कुल टैक्स/जीडीपी अनुपात ने अपनी उड़ान जारी रखी और 2006-07 (प्रोविज़नल अकाउंट्स) में 11.5 प्रतिशत पर पहुंचा। खर्च प्रबंधन में गैर-योजना (नॉन-प्लान) खर्चों को कम करने और योजनागत (प्लान) खर्चों को बढ़ाने के प्रयासों पर जोर दिया गया। तथापि, पूंजीगत लागत (कैपिटल आउटले) कम बना रहा, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.4 प्रतिशत के आस-पास।

II.11 वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति (संशोधित प्राक्कलन) से पता चलता है कि राज्यों ने राजकोषीय सुधार और समेकन की दिशा में प्रगति की है। वर्ष 2006-07 (संशोधित अनुमान) के दौरान समेकित राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.03 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान कुल सत्रह (17) राज्यों (दिल्ली सहित) में राजस्व अधिशेष दर्ज किया गया। मूल्ययोजित कर (वीएटी) लागू किए जाने की सहायता से राज्यों के अपने कर राजस्व में उछाल और बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की अनुशंसाओं को लागू करने के परिणाम स्वरूप केंद्र की ओर से उच्चतर अंतरण के कारण राजस्व खाते के सुधार में सहायता मिली। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धिराजस्व व्यय में वृद्धि की प्रतिपूर्ति से अधिक थी। यह सकारात्मक प्रवृत्ति तभी बनी रह सकती है जब कुछ समय तक राज्य अपने कर प्रयासों को लगातार बढ़ाते रहें। राज्य सरकारों ने पूंजी परिव्यय, विशेष रूप से शिक्षा, ग्रामीण और मूलभूत संरचना में खर्च बढ़ाए हैं जिसके फलस्वरूप सकल राजकोषीय घाटा बजट अनुमान से अधिक हो गया। कई राज्य सरकारें बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य से दो वर्ष पहले ही सकल राजकोषीय घाटे के साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को 3 प्रतिशत से कम करने में सफल हुई हैं। 2006-07 के दौरान उपचय में कुछ कमी के बावजूद राष्ट्रीय लघु बचत कोष के अंतर्गत राज्य सरकारों को राहत मिलती रही है। अधिकांश राज्य सरकारों ने सरप्लस कैश बैलेंस का उच्च स्तर बनाए रखा है। इसके फलस्वरूप, अर्थोपाय अग्रिमों का सहारा कम लिया गया।

II.12 वर्ष 2006-07 के दौरान वित्तीय बाजार, विशेषतः मार्च 2007 के दूसरे पखवाड़े में उतार चढ़ाव की घटनाओं को छोड़कर, व्यवस्थित रहा। सरकारी नकदी शेष में पूंजी अंतर्वाह और गतियां चलनिधि स्थिति और एक दिवसीय ब्याज दरों का मुख्य संचालक बनी रहीं। वर्ष के दौरान बाजार के विभिन्न हिस्सों में ब्याज की दरें मोटे तौर पर रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नियंत्रण के पूर्वकृत उपाय किए जाने के अनुरूप विभिन्न सुदृढ़ बनी रही। मुख्य प्रारक्षित मुद्राओं के संबंध में वर्ष 2006-07 के दौरान भारतीय रुपए की विनिमय दर में कुल मिलाकर दुतरफा गतिशीलता बनी रही। वर्ष 2006-07 के दौरान स्टॉक बाजार में तेजी रही और बीच-बीच में सुधारों के साथ इसके आधार सूचकों ने रिकॉर्ड ऊँचाइयां छुईं।पूंजी बाजार के प्राथमिक घटक में भी तेजी की स्थिति देखी गई।

II.13 वर्ष 2006-07 के दौरान भारत के भुगतान संतुलन में कई सकारात्मक विशेषताएं दिखाई देती हैं।2006-07 के दौरान व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार में अत्यधिक वृद्धि दिखती है, हालांकि 2005-06 की मजबूत वृद्धि की तुलना में गति कुछ धीमी हो गई थी। डीजीसीआइ एण्ड एस आंकड़ों के आधार पर, 2006-07 के दौरान व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात और आयात का विस्तार क्रमशः 22.5 प्रतिशत और 27.8 प्रतिशत हुआ है, जो 2002-03 में शुरू हुए उच्च वृद्धि चरण से निर्मित हुआ है।वर्ष 2006-07 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि के दौरान निर्यात और आयात में औसत वृद्धि क्रमशः 23.6 प्रतिशत और 30.2 प्रतिशत हुई है। आयात में 2006-07 में तेल का आयात सबसे बड़ा घटक रहा है (कुल आयात का 29.9 प्रतिशत)। 2006-07 के दौरान तेल आयात में वृद्धि मात्रा और

मूल्य परिवर्तन के कारण हुई है। गैर-तेल आयात ने आर्थिक गतिविधियों के अनुरुप मजबूत वृद्धि दर्ज करना जारी रखा। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ रहे जुड़ाव को दर्शाते हुए, 2001-02 में आयात तीव्रता (आयात - जीडीपी अनुपात) वर्ष 2005-06 के 18.5 प्रतिशत से बढ़ कर 2006-07 में 20.9 प्रतिशत हो गई। निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़ता ही गया जो कि भुगतान संतुलन आधार पर 2002-03 के 10.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2006-07 में 64.9 बिलियन डॉलर हो गया। व्यापार घाटा, जीडीपी की प्रतिशत के रूप में 2002-03 के 2.1 प्रतिशत से बढ़ कर 2006-07 में 7.1 प्रतिशत हो गया। तथापि, सॉफ्टवेयर और अन्य व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में हुई अच्छी वृद्धि तथा विदेश स्थित भारतीयों द्वारा भेजे गए प्रेषणों के कारण चालू खाते पर बढ़े हुए व्यापार घाटे का प्रभाव संभल गया। सकल अदृश्य प्राप्तियाँ तेजी से व्यापारिक निर्यात के स्तर की बराबरी पर आ रही हैं। अगोचर (इनविजिबल्स) के अंतर्गत निवल अधिशेष (नेट सरप्लस) 2006-07 के दौरान जीडीपी का 6 प्रतिशत है जो व्यापार घाटे के एक बड़े भाग को पूरा करता है। 2006-07 के दौरान जीडीपी का 1.1 प्रतिशत चालू खाता घाटा 2005-06 में हुए घाटे के समान था।

II.14 भारत में विशुद्ध पूंजी आगमन 45 बिलियन अमरीकी डॉलर अथवा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहा जो कि चालू खाता घाटे से बहुत अधिक है। उच्चतर पूंजी प्रवाह समष्टि आर्थिक मूलभूत संरचना की मजबूती, निवेशकर्ताओं के अत्यधिक विश्वास तथा पर्याप्त वैश्विक चलनिधि के कारण है।2006-07 के दौरान ऋण और ऋण से इतर प्रवाह में वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह ने मजबूत दु तरफा आवाजाही दर्शायी। भारत में विशुद्ध एफडीआइ आगमन 2005-06 के दौरान 7.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ कर 2006-07 के दौरान 19.4 अमरीकी बिलियन डॉलर हो गया, जबकि निवल एफडीआई का गमन 2.9 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ कर 11.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। इस प्रकार वर्ष 2006-07 के दौरान एफडीआई आगमन (नेट) (8.4 बिलियन) विदेशी संस्थागत निवेशक अंतर्वाह (नेट) (3.2 बिलियन) से अधिक हो गया। 25 बिलियन के ऋण प्रवाह (नेट) में बाह्य वाणिज्य उधारों (ईसीबी) की मुख्य भूमिका रही जो क्षमता विस्तार की तीव्रतर इच्छा, उभरते हुए बाजार बॉण्डों के लिए जोखिम उठाने के वैश्विक निवेशकर्ताओं की बढ़ती प्रवृत्ति, तथा नीतियों के ढाँचे में अधिक उदारीकरण दर्शाता है। चालू खाते घाटे के वित्तपोषण के बाद निवल पूंजी प्रवाह से 36.6 बिलियन अमरीकी डॉलर का उपचय हुआ जिसमें 2006-07 के दौरान विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में मूल्यांकन परिवर्तन सम्मिलित नहीं हैं। जबकि 2006-07 के दौरान बाह्य ऋण के स्टॉक में वृद्धि हुई है, देश की निवल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में कमी आई है, जो विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है।

II.15 हालांकि चालू खाते का घाटा 1990 के आरंभ से जीडीपीके 1 प्रतिशत औसत पर कम रहा है, इस अवधि के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के समेकन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह चालू प्राप्तियों - जीडीपी के अनुपात में तीव्र वृद्धि से देखा जा सकता है जो 1990-91 में लगभग 8 प्रतिशत से बढ़ कर 2006-07 में 27 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान, चालू प्राप्तियों और चालू भुगतान का जोड़ 19 प्रतिशत से बढ़ कर 55 प्रतिशत हो गया। 2006-07 में सकल पूंजी प्रवाह और बाह्य प्रवाह जीडीपी का 45 प्रतिशत था जो 1990-91 में 12 प्रतिशत था।

II.16 निष्कर्ष रूप में, 2006-07 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वृद्धि दर्शाई है जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र गतिविधियों के कारण है तथा 2003-04 से शुरू होने वाली उच्चतर वृद्धि के वर्तमान चरण को आगे बढ़ाया है।तथापि, कृषि उत्पादन में वृद्धि कम हुई है जो प्रमुख खाद्यान्नों के उत्पादन में ठहराव से हुआ है। वर्ष

2006-07 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में तेजी चक्रीय और मूलभूत संरचना, दोनों घटकों के कारण हुई है।निवेश और घरेलू बचत दरों में वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार और पूंजी दोनों खातों में बढ़ता हुआ संपर्कतथा उत्पादनशीलता में वृद्धि में कुछ सुधार के संकेत ऐसे महत्वपूर्ण मूलभूत परिवर्तन हैं जिनसे हाल के वर्षों में आर्थिक गतिविधि को बल मिला है। कई चक्रीय कारणों से भी घरेलू वृद्धि में तेजी आई है। इनमें (i) लगातार चौथे वर्ष वैश्विक जीडीपी में अत्यधिक वृद्धि; (ii) बैंक ऋण और मुद्रा आपूर्ति में लगातार वृद्धि; (iii) तेल से इतर आयात में तेजी तथा हाल के वर्षों में व्यापार घाटे में वृद्धि सम्मिलित हैं।निर्मित माल के मूल्यों में लगातार वृद्धि, कार्पोरेट क्षेत्र में मूल्य निर्धारण की शक्ति का फिर से उभरना, कुछ क्षेत्रों में मजदूरी दबाव का संकेत, क्षमता उपयोगिता का उच्च स्तर और बढ़े हुए आस्ति मूल्यों में चक्रीय बल भी दिखाई पड़े।

2007-08 की संभावनाएं

II.17 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अद्यतन अनुमान के अनुसार दक्षिण-पश्चिमी मानसून ऋतु (जून-सितंबर) में +/- 4 प्रतिशत की प्रतिदर्श चूक की संभावना के साथ सामान्य बरसात के 93 प्रतिशत तक होने की संभावना है। इस मौसम में अब तक (08 अगस्त, 2007 तक) हुई कुल बारिश सामान्य से 7 प्रतिशत ऊपर रही है, यद्यपि काल और स्थान के हिसाब से इसमें असमानता रही है। 02 अगस्त 2007 तक 78 बड़े जलाशय पूर्ण जलाशय स्तर (एफएलआर) के 54 प्रतिशत तक भर चुके थे; यह पिछले वर्ष के 47 प्रतिशत के स्तर से अधिक रहने के साथ ही पिछले दस वर्ष के 36 प्रतिशत के औसत से भी अधिक रहा। खरीफ फसल की बुआई में वृद्धि हो रही है और 3 अगस्त 2007 तक 78.6 प्रतिशत सामान्य क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी (पिछले वर्ष से लगभग 4.2 प्रतिशत अधिक)।

II.18 विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) गतिविधियों के कारण अप्रैल-जून 2007 में औद्योगिक उत्पादन में तेजी बनी रही। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की 11.9 प्रतिशत वृद्धि के साथ ही अप्रेल-जून 2007 में औद्योगिक उत्पादन में 11.0 प्रतिशत (पिछले वर्ष 10.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यदि उपयोग आधारित वर्गीकरण के आधार पर देखें तो मूल, पूंजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में त्वरित वृद्धि दिखी। हालांकि, मध्यस्थ वस्तुओं के विकास में गिरावट दर्ज की गई। आधारभूत (इंफ्रास्ट्रक्चर) उद्योगों की विकास दर अप्रैल-जून 2006 के 7.4 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-जून 2007 में 6.9 प्रतिशत रही।

II.19 सेवा क्षेत्र कार्यनिष्पादन के मुख्य संकेतकों पर उपलब्ध सूचना मिली-जुली तस्वीर पेश करती है। अप्रैल/जून 2007 में पर्यटकों के आगमन, रेलवे की माल ढुलाई से राजस्व प्राप्ति, सेल फोन के नए कनैक्शन, नागरिक उड्डयन द्वारा निर्यात माल का निपटान, नागरिक उड्डयन द्वारा हैंडल किए गए यात्री, सीमेंट, स्टील तथा बैंकिंग समुच्चयों (एग्रीगेट्स) में कमी हुई है। वहीं बड़े बंदरगाहों (पोर्ट), द्वारा हैंडल किए गए कार्गो और नागरिक उड्डयन द्वारा हैंडल किए गए आयात कार्गो का निपटान पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया।

II.20 अमरीकी अर्थव्यवस्था में चल रही कमजोरी के बावजूद 2007 में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में मजबूती बनी रही। अमेरिका को छोड़कर अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हुई सुदृढ़ वृद्धि ने वैश्विक विकास को समर्थन प्रदान किया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के अनुमान (जुलाई 2007 में जारी) के अनुसार वैश्विक विकास दर 2006 के 5.5 प्रतिशत से कम होकर 2007 तथा 2008 में 5.2 प्रतिशत रहने की संभावना है। विश्व व्यापार की मात्रा की वृद्धि भी 2006 के 9.4 प्रतिशत से कम होकर 2007 में 7.1 प्रतिशत तथा 2008 में 7.4 प्रतिशत रहने की संभावना है।

II.21 2003 से तेज गति से हो रहे वैश्विक विकास और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ हो रहे भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते एकीकरण से निर्यात मांग में और घरेलू आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। संरक्षणवादी दबावों के उभरने, तेल की कीमतों में और वृद्धि होने, अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के बने रहने, आवासीय क्षेत्र में धीमेपन के कारण अमरीका में समायोजन तथा वित्त बाजार की परिस्थितियों में संभाव्य अंतरण वैश्विक विकास परिदृश्य में गिरावट के जोखिम पैदा करते हैं यदि ये जोखिम मूर्त रूप ले लेते हैं तो घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। विशेषतः, वैश्विक वित्तीय बाजार में उथल-पुथल हो सकती है और भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पड़ सकते हैं। अमेरिका में उप-मुख्य बंधक क्षेत्र की स्थितियों में आई गिरावट समायोज्य-दर ऋणों की चूक में वृद्धि में दिखाई देती है। उप-प्रधान चूकों में और गिरावट होने पर निवेशक सभी उत्पाद और बाजारों में जोखिम पुनर्मूल्यांकन के लिए विवश हो सकते हैं और संक्रामक स्थिति तथा भेड़चाल की मानसिकता में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में से पूंजी के हटने की शुरुआत हो सकती है।विदेशी प्रवाह की मात्रा में प्रतिरक्षा निधि जैसे खिलाड़ियों के बढ़ते प्रभुत्व से पूंजी प्रवाह में उथल-पुथल बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त, ईएमई की ओर पूंजी प्रवाह के प्रमुख स्रोत के रूप में निजी ईक्विटी निधियां उभर रही हैं। ये प्रवाह ब्याज दर परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में यदि मौद्रिक कड़ाई की जाती है और निवेशक जोखिम का पुनर्मूल्यांकन करते हैं तो वैश्विक वित्तीय बाजार में तीव्र उथल-पुथल होने की संभावना है और इससे उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के विकास और स्थायित्व पर प्रभाव पड़ेगा।

II.22 03 अगस्त 2007 को मुद्रा आपूर्ति में हुआ (वर्ष-दर-वर्ष) विस्तार (21.7 प्रतिशत) पिछले वर्ष (19.3 प्रतिशत) से अधिक रहा तथा यह वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में निर्दिष्ट 17.0-17.5 प्रतिशत के संकेतिक अनुमान से भी अधिक रहा। मीयादी जमा के नेतृत्व में कुल जमा की वृद्धि में तेजी आई। बैंक ऋण में पिछले तीन वर्ष की सुदृढ़ तेजी के बाद कुछ मंदी दिखी। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 3 अगस्त 2007 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का खाद्येतर ऋण पिछले वर्ष के 32.5 प्रतिशत की तुलना में 23.6 प्रतिशत रहा। एसएलआर प्रतिभूतियों में वाणिज्य बैंकों का निवेश उनकी निवल और मांग देयताओं के 28.6 प्रतिशत के स्तर पर रहा जो मार्च 2007 के अंत के प्रतिशत से कुछ अधिक रहा पर पिछले वर्ष के 31.1 प्रतिशत से कम रहा। 10 अगस्त 2007 को आरक्षित मुद्रा में 26.9 प्रतिशत (सीआरआर वृद्धि के प्रथम चरण के प्रभाव के समायोजन के लिए 19.6 प्रतिशत) की वृद्धि पिछले वर्ष (17.2 प्रतिशत) से अधिक थी और प्रवृत्ति वृद्धि (ट्रेंड ग्रोथ) से तो बहुत ही ज्यादा, मुख्यतः इसलिए कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धियों के कारण पिछले एक वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में बैंकरों की जमाराशियों में काफी बढ़ोत्तरी हुई और इसमें रिज़र्व बैंक निवल विदेशी आस्तियों में हुई वृद्धि का सहयोग मिला।

II.23 थोक मूल्य संचकांक (डब्ल्यूपीआइ) की गतिविधि पर आधारित हेडलाइन इनफ्लेशन मार्च 2007 के अंत के 5.9 प्रतिशत तथा पिछले वर्ष के 5.1 प्रतिशत से कम होकर 4 अगस्त 2007 को 4.1 प्रतिशत हुआ। डब्ल्यूपीआई के तीनों उप-समूहों की मुद्रास्फीति उनके मार्च समाप्ति के स्तर से कम रही। ईंधन समूह मुद्रास्फीति नकारात्मक हो गई (-2.1 प्रतिशत) जो नवंबर 2006 तथा फरवरी 2007 में घरेलू कीमतों में आई गिरावट को दर्शाती है। तथापि, घरेलू बाजार में जब अंतिम बार कमी की गई तबसे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों (औसत) में फरवरी 2007 से जुलाई 2007 तक 28 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। खाद्य और धातुओं के नेतृत्व में तेल से इतर वैश्विक पण्यों की कीमतों में मजबूती बनी रही। मार्च 2007 (6.7 - 9.5 प्रतिशत) की तुलना में जून 2007 (5.7 - 7.8 प्रतिशत) में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

की विभिन्न गतिविधियां नीचे रहीं। तथापि, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति मुख्यतः खाद्यान्नों की ऊंची कीमत के चलते थोक मूल्य मुद्रास्फीति से अधिक रही। यद्यपि,मार्च 2007 की समाप्ति के बाद मुद्रास्फीति कुछ कम हुई है मगर कई संभाव्य कारणों से मुद्रस्फीतिय दबाव बने रह सकते हैं। पण्यों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों, विशेषतः तेल की कीमतों में और तेजी आने के बारे में चिंता बनी हुई है। इसके अलावा, मौद्रिक राशि में सुदृढ़ वृद्धि, आस्तियों के उच्चतर मूल्य और घरेलू चलनिधि परिस्थितियों पर प्रभाव डाल सकने वाले बड़े पूंजी आगम जैसे घरेलू कारकों से उत्पन्न होने वाले संभाव्य मुद्रास्फीतिकारी दबावों को समझने की आवश्यकता है। तद्नुसार, मूल्य स्थायित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सभी संबंधित पक्ष समुचित नीतिगत कारवाईयों के साथ-साथ निरंतर निगरानी रखें ताकि मुद्रास्फीतिजन्य प्रत्याशाओं पर नियंत्रण कायम रखा जासके।

II.24 मौद्रिक नीति के प्रयोजनों से रिज़र्व बैंक ने अपने वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में 2007-08 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत के आसपास मानी है, मगर इसमें यह मानकर चला गया है कि तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि नहीं होगी और कोई घरेलू या बाह्य आघात नहीं लगेगा। कुल मांग पर मौद्रिक नीति के पिछले और संचित प्रभाव के मद्देनज़र और यह मानते हुए कि आपूर्ति प्रबंधन सुगम रहेगा, पूंजीगत प्रवाह का प्रबंधन सक्रिय ढ़ंग से किया जाएगा तथा घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था से उत्पन्न होने वाले आघात न लगने की स्थिति में रिज़र्व बैंक ने अपने वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह ध्यान दिया है कि 2007-08 में मुद्रास्फीति को 5.0 प्रतिशत के आसपास रखने के लिए नीतिगत प्रयास किए जाएंगे। रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति के अपने वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की पहली तिमाही की समीक्षा में जुलाई 2007 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 8.5 प्रतिशत के आसपास रखा है। इसमें घरेलू और बाह्य आघातों को शामिल नहीं किया गया है। यह मानते हुए कि सकल आपूर्ति प्रबंधन पर सरकार की नीतियों में ध्यान दिया जाना जारी रहेगा और पूंजीगत खाता में सक्रिय प्रबंधन देखने में आएगा, 2007-08 की पहली तिमाही समीक्षा में मुद्रास्फीति की संभावना अपरिवर्तित रही। तद्नुसार, समीक्षा में यह भी बताया गया कि नीतिगत पदसोपान में 2007-08 में हेडलाइन इनफ्लेशन को 5.0 प्रतिशत के अंदर रखने को पहली प्राथमिकता दी जाएगी; जबकि मुद्रास्फीति को घटाकर लगातार 4.0 - 4.5 प्रतिशत पर बनाए रखने की दृष्टि से नीति व अवधारणों को शक्ल देने के मध्यावधि उद्देश्यों पर जोर बनाए रखा जाएगा।

II.25 जैसा कि वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में देखा गया है उसी के अनुसार 2007-08 में मौद्रिक नीति का रुझान उस स्थिति पर निर्भर करेगा जिसके हिसाब से वैश्विक और विशेषतः घरेलू माहौल उभरेगा। जिस ढंग से समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय परिस्थितियां उभर रहीं हैं उसके हिसाब से भारत के वर्तमान वृद्धि स्तर को अनवरत आधार पर बनाए रखने के लिए समर्थक महौल बना रहेगा। विकास में योगदान देने के साथ ही मौद्रिक नीति को कीमत और वित्तीय स्थायित्व के लिए सही परिस्थितियां भी सुनिश्चित करनी होगी। तदनुसार, आगे आने वाले समय में नीतिगत अधिमानता हेतु मूल्य स्थायित्व तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं से निपटने पर प्राथमिकता देने की वकालत की गई। रिज़र्व बैंक ने वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की जुलाई 2007 में हुई अपनी पहली तिमाही समीक्षा में यह कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था की वृद्धि तथा स्थायित्व के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली उन वैश्विक अनिश्चितताओं की प्रबलता की स्थिति में भारत में मौद्रिक नीति को सतर्क और सक्रिय रहना होगा। घरेलू संभावनाएं सकारात्मक रहेंगी और आगे आने वाले समय में मौद्रिक नीति तैयार करने में इनका प्रमुख स्थान होगा। इसलिए ऐसी मौद्रिक नीति बनाना महत्वपूर्ण है जो स्थायित्व बनाए रखकर विकास को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे। तद्नुसार जहां एक ओर मूल्य स्थायित्व और सुस्थिर मुद्रास्फीतिकारी

संभावनाएं जिसके द्वारा विकास की रफ्तार जारी रहे, पर जोर देने का मौद्रिक नीति का रुझान बरकरार रहेगा वहीं परिस्थितियों के अनुसार आगे आने वाले महीनों में वित्तीय स्थैर्य अधिक महत्व हासिल कर सकता है।

II.26 केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ही 2007-08 में वित्तीय समेकन की प्रक्रिया को और मजबूती प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। 2007-08 में केंद्र सरकार का राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटे का बजट सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1.5 प्रतिशत तथा 3.3 प्रतिशत रहा जो 2006-07 (संशोधित अनुमान) से क्रमशः 0.5 प्रतिशत बिंदु तथा 0.4 प्रतिशत बिंदु कम रहा। 2007-08 (अप्रैल-जून 2007) की उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि राजस्व घाटे में 2.9 प्रतिशत की गिरावट हुई। राजकोषीय घाटा ['भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक के स्टेक (35,531 करोड़ रुपए) के अधिग्रहण' पर हुए व्यय के लिए समायोजित] में भी वर्ष 2006 की उसी अवधि की तुलना में 1.1 प्रतिशत तक कमी हुई। घाटा संकेतकों में कमी मुख्यतः उच्च कर राजस्व और ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों के कारण आई। तथापि पूरे वर्ष के बजट अनुमानों (बीई) के प्रतिशत के रूप में अप्रैल-जून 2007 में राजस्व घाटा पिछले वर्ष के 83.4 प्रतिशत से बढ़कर 96.0 प्रतिशत हो गया जबकि सकल राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की उसी अवधि के 52.3 प्रतिशत से घटकर 50.9 प्रतिशत हो गया। 2007-08 (10 अगस्त 2007 तक) में कुल और निवल बाजार उधार क्रमशः 96,628 करोड़ रुपए तथा 56,047 करोड़ रुपए रहा। सकल और निवल उधार वर्ष भर के अनुमानों के क्रमशः 51.5 प्रतिशत तथा 50.6प्रतिशत के स्तर पर रहे जबकि पिछले वर्ष ये क्रमशः 47.2 प्रतिशत तथा 39.3 प्रतिशत के स्तर पर थे। 2007-08 (10 अगस्त 2007 तक) में जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता अवधि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 14.32 वर्ष की तुलना में कम होकर 13.21 वर्ष रह गई, जबकि औसत भारित प्रतिफल 7.87 प्रतिशत से बढ़कर 8.23 प्रतिशत हो गया।

II.27 राज्य सरकारों नेवर्ष 2007-08 के दौरान राजस्व अधिशेष का बजट तैयार किया है जिससे सकल राजकोषीय घाटा सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 2006-07 के 2.8 प्रतिशत से घटकर 2.4 प्रतिशत पर आ जाएगा। राजस्व खाते के अधिशेष से भी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के अनुरूप सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी वितरण बढ़ाना संभव हो सकेगा। राजस्व में वृद्धि और योजनेतर राजस्व व्यय के नियंत्रण को लक्ष्य में रखकर राजकोषीय सुधारों के अंगीकरण ने बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले हासिल करने में कई राज्य सरकारों को सहायता मिली है। सिवाय आठ राज्यों के, सभी राज्यों ने बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य से एक वर्ष पहले ही 2007-08 में राजस्व अधिशेष के अनुमान लगाए हैं। इसके अलावा, लक्ष्य से दो वर्ष पहले 12 राज्यों (पांच विशेष श्रेणी वाले और सात विशेषेतर श्रेणी वाले) नेघाटे का बजट बनाया है जो कि अपने-अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से कम है। पिछले वर्ष राजस्व प्राप्तियों और व्यय दोनों में ही तेज वृद्धि के बाद राज्य सरकारों ने वर्ष 2007-08 के दौरान गति में धीमापन लाने का बजट बनाया है। एनएसएसएफ में उपचय सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत बने रहेंगे। तथापि, केंद्रीय बजट 2007-08 में की गई घोषणा के अनुसार एन एस एस एफ में राज्य सरकारों के बाध्यकारी हिस्से के घटकर 80 प्रतिशत पर आ जाने से उनका हिस्सा घट जाएगा। राज्य सरकारों ने 2007-08 के दौरान नकदी अधिशेष का उच्च स्तर सतत बनाए रखा जोकि खज़ाना बिलों में उनके निवेश में परिलक्षित है।

II.28 वर्ष 2007-08 के दौरान अब तक वित्तीय बाजार सामान्यतः व्यवस्थित रहे। अल्पावधि ब्याज दरें मार्च 2007 की समाप्ति के स्तरों से कम हो गई हैं। चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो परिचालनों के माध्यम से अवशोषित चलनिधि की राशि 5 मार्च 2007 से संशोधित व्यवस्था के अनुसार अधिकतम 3000 करोड़ रुपए प्रतिदिन तक सीमित कर दी गई थी।

एक दिवसीय ब्याज दरों में सतत अस्थिरता बनी रही जो चलनिधि स्थितियों में पूंजी प्रवाहों और सरकारी नकद शेषों में उतार-चढ़ाव का असर दर्शाता है। तद्नंतर, मौजूद समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक एवं चलनिधि स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में 2007-08 के लिए मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा में चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत दैनिक रिवर्स रिपो परिचालनों के संबंध में आहरणों पर लगाई गई 3,000 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा हटाने और द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा 6 अगस्त 2007 से समाप्त करने की घोषणा की गई। अगस्त 2007 के दूसरे सप्ताह से मांग दरें लौटकर रिवर्स रिपो-रिपो कॉरिडोर के भीतर आ गईं। दीर्घावधि सरकारी बांड के प्रतिलाभ और बैंकों की जमाराशियों की और उधार देने की दरें कठोर हो गईं। अमरीकी डालर और अन्य प्रमुख करेंसियों की तुलना में भारतीय रुपया मार्च 2007 के अंत की अपनी स्थिति से मई तक बढ़ा परंतु उसके बाद घटा। 2007-08 के दौरान अब तक शेयर बाजारों ने लाभ दर्ज किया जब कि अगस्त 2007 के दूसरे और तीसरे सप्ताह में बाजार अस्थिर हो गए जिसकी मुख्य वजह अमेरिका के सब-प्राइम मोर्गेज मार्केट में आई समस्या थी।

II.29 अप्रैल-जून 2007 के दौरान व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात कम हुआ जबकि इसी अवधि में निर्यात ने उच्चतर वृद्धि दर्ज की जो पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधि की तुलना में अधिक थी। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के अनुसार अप्रैल-जून 2007 के दौरान व्यापारिक माल का निर्यात 17.9 प्रतिशत तक बढ़ा (एक वर्ष पहले यह 23.5 प्रतिशत था)। आयातों में 34.2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई (18.9 प्रतिशत) और इसमें तेल से इतर आयात अग्रणी रहे (8.9 प्रतिशत की तुलना में 47.4 प्रतिशत की वृद्धि)। तेल आयात की वृद्धि में नरमी आई जो मुख्यतः कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के प्रभाव को दर्शाती है। व्यापार घाटा अप्रैल-जून 2006 के 11.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल-जून 2007 में 20.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। भारत के निर्यातों में साफ्टवेयर सेवाओं और आइटीईएस-बीपीओ तथा अन्य कारोबार सेवाओं के निर्यात की वृद्धि की गति सतत सुदृढ़ बनी रही। भारतीय प्रवासी कामगारों के निरंतर उच्चतर कौशल श्रेणियों की ओर जाने के साथ विदेश में काम करने वाले भारतीयों से आने वाले विप्रेषण भी वित्तीय अंतर्वाहों का एक महत्त्वपूर्ण स्थायी स्रोत बने हुए हैं।

II.30 पूंजी अंतर्वाह 2007-08 में अब तक 2006-07 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में अधिक रहे हैं। इनमें विदेशी संस्थागत निवेशकों से होनेवाले अंतर्वाहों (निवल) में ध्यान देने योग्य बदला हुआ रुख दिखाई दिया [एक वर्ष पहले के 1.5 बिलियन अमरीकी डालर के बहिर्वाहों के ठीक विपरीत 2007-08 (10 अगस्त 2007 तक) में 10.1 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि]। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अप्रैल-मई 2007 में 3.7 बिलियन अमरीकी डालर रहे थे (अप्रैल-मई 2006 में 1.2 बिलियन अमरीकी डालर)। तथापि, अनिवासी भारतीय जमाराशियों के अंतर्गत अप्रैल-मई 2007 में निवल बहिर्वाह 0.6 बिलियन अमरीकी डालर थे जबकि एक वर्ष पहले इसकी जगह 0.7 बिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्वाह था। मार्च 2007 के अंत से लेकर 17 अगस्त 2007 के बीच विदेशी मुद्रा भंडार में 27.3 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। आशा की जाती है कि वर्ष 2007-08 में समग्र व्यापार और चालू खाता घाटा 2006-07 के स्तर पर ही रहेगा। आशा की जाती है कि निवल पूंजी प्रवाहों द्वारा वर्ष 2007-08 में चालू खाते के प्रत्याशित घाटे का वित्त पोषण पर्याप्त रुप से किया जाएगा।

II.31 निष्कर्षतः, अब तक उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि वर्ष 2007-08 के दौरान वृद्धि की गति का कदम जो मजबूत है, वृद्धि के संकेतों का और भी ज्यादा व्यापक आधारपाकर निरंतर बढ़ता रहेगा। आशा की जाती है कि सकल देशी बचतों और निवेश की दर में लगातार वृद्धि, उपभोग मांग, नई क्षमताओं के योग और मौजूदा क्षमताओं के और गहन तथा दक्ष उपयोग/भरपूर फायदा उठाने से वर्ष 2007-08 के दौरान विकास को बल मिलेगा। बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों के बावजूद कुछ कमियां बनी रहीं जिसके

परिणाम स्वरूप विद्युत उत्पादन, सड़क, बंदरगाह और प्रमुख हवाई अड्डों में क्षमता उपयोग पर जोर पड़ा। कृषि निष्पादन और भौतिक एवं सामाजिक ढांचे से उत्पन्न आपूर्ति विषयक बाधाओं से भावी वृद्धि बाधित हो सकती है और साथ ही स्फीतिकारी दबाव भी डाल सकती है। मांग-आपूर्ति के ऐसे असंतुलित वातावरण में मुद्रास्फीति उभरती समष्टि आर्थिक संभावनाओं के प्रति एक महत्त्वपूर्ण अधोगामी जोखिम के रूप में उभर सकती है। मुद्रा स्फीति को कम करने और स्फीतिकारी प्रत्याशाओं में स्थिरता लाने की दिशा में हाल की उपलब्धियों से वृद्धि चक्र के मौजूदा विस्तारकारी चरण को सहयोग मिलने की आशा है। तथापि, यह जरूरी है कि कच्चे तेल के ऊंचे और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय मूल्यों, मुख्य खाद्यान्नों के मूल्यों में लगातार तेजी और वैश्विक स्तर पर तथा भारत में बढ़ रहे मांग-आपूर्ति अंतरों से संबंधित अनिश्चितिताओं से उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति संभावनाओं के प्रति जोखिमों का सतत मूल्यांकन आवश्यक है।

II.32 एक समावेशी वृद्धि की गति जारी रखने लायक माहौल बनाने में वित्तीय असंतुलनों के जोखिमों और स्फीतिकारी दबावों के फिर से पैदा होने से बचने के लिए सटीक समष्टि आर्थिक नीतियां लागू करनी होंगी। इस संबंध में, नीति में अग्रलिखित को प्राथमिकताएं देनी होंगी (क) बुनियादी ढांचे के मार्ग में आनेवाली बाधाओं का निवारण; (ख) निवेश वातावरण सुधारना, विशेषरूप से देशी निवेशकों के लिए और खासकर लघु और मध्यम उद्यमों के लिए; (ग) कृषि की वृद्धि बढ़ाना, विशेषकर खाद्यान्नों का उत्पादन ताकि खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित की जा सके; (घ) संस्थागत और लघु ढांचागत वातावरण सुदृढ़ बनाना जो लचीलापन विशेषकर अर्थव्यवस्था में आपूर्ति संबंधी लचीलापन बढ़ाए और (ङ) राजकोषीय शक्तिवर्धन जो एक समान कर ढांचे के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और साफ-सफाई के प्रावधान पर जोर दे। ये कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण तत्व हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वित्तीय और बाह्य क्षेत्रों में और उदारीकरण का बाधारहित और इष्टतम मार्ग प्रशस्त हो। वास्तव में, इन महत्त्वपूर्ण तत्वों में प्रगति से असमंजस की स्थितियां हल करने में सहायता मिलेगी जो हमें रुपये की भारी चलनिधि और विदेशी मुद्रा के अधिक पूंजी प्रवाहों के कारण 2006-07 में झेलनी पड़ी थी।

संपदा क्षेत्र

कृषि

II.33 प्रमुख खाद्य वस्तुओं की हाल में बढ़ती हुई वैश्विक कीमतों ने घरेलू कृषि क्षेत्र और समग्र रूप से समष्टि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है। जुलाई 2007 में विश्व स्तर पर गेहूँ की कीमतें कैलेण्डर वर्ष 2004 के दौरान चल रही औसत कीमतों से 52 प्रतिशत अधिक थीं जबकि चावल की कीमतें 38 प्रतिशत अधिक थीं। प्रमुख खाद्य तेलों की कीमतों में उसी अवधि के दौरान 44 से 71 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। खाद्य तेल आयातों पर अधिकतर निर्भरता की दृष्टि से (घरेलू उपभोग का लगभग 45 प्रतिशत) तिलहनों से मोटे अनाजों विशेषतः मक्का के प्रति जैसा कि पूर्व में संकेत किया गया है, जैव-इंधन आपूर्ति भंडार के रूप में खेती की ओर झुकाव के साथ उच्चतर अंतरराष्ट्रीय कीमतें खाद्य तेलों की कीमतों पर दबाव को पुनः तेज कर सकती हैं। वर्ष 2006 की दूसरी छमाही से आवश्यक सुधार होते हुए भी चीनी की कीमतें भी 42 प्रतिशत अधिक बढ़ गईं। वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि, वैश्विक उत्पादन में कमी और जैव-इंधनों जैसे खाद्येतर उपयोगों के लिए बढ़ती हुई माँग के रूप में प्रतिबिम्बित हुई। अमरीकी कृषि विभाग (यू एस डी ए) के अद्यतन आकलन के अनुसार, वैश्विक वानस्पतिक तेल भंडार में वर्ष 2006-07 के दौरान लगभग 12 प्रतिशत तथा वर्ष 2007-08 के दौरान अतिरिक्त 9 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है। यद्यपि वैश्विक स्तर पर गेहूँ के उत्पादन में वर्ष 2007-08 (जून-मई) में 2.9 प्रतिशत तक वृद्धि की आशा है, वैश्विक गेहूँ भंडार में वर्ष 2007-08 में 114.8 मिलियन टन तक और

गिरावट होने की संभावना है जो वर्ष 1981-82 से अब तक का न्यूनतम होगा। इसके अतिरिक्त, प्राप्त सूचना के अनुसार तिलहनों के अलावा गेहूँ को भी जैव-ईंधन के रूप में काम में लाया जा रहा है। चावल भंडार में भी वर्ष 2007-08 में 5 प्रतिशत तक कमी होने की आशा है। प्रमुख खाद्य कीमतों में जारी वृद्धि को प्रतिबिम्बित करते हुए खाद्य मूल्य सूचकांक (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संकलित) जून 2007 में 26 वर्षों के उच्च स्तर तक पहुँचा जो वर्ष 1981 के प्रारंभ से उच्चतम स्तर है। वैश्विक खाद्य मूल्यों में बढ़ोतरी की इस प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में भारतीय कृषि, विशेषतः खाद्यान्न फसलों में वृद्धि को गतिशील बनाने के लिए अत्यावश्यक उपाय करने की आवश्यकता है।

II.34 समग्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि के हिस्से में यद्यपि इन वर्षों के दौरान वर्ष 1980-81 के लगभग 40 प्रतिशत से वर्ष 2006-07 में इसके पाँचवें हिस्से से कम तक गिरावट हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई। कृषि पर आधारित जनसंख्या का अनुपात अभी भी अधिक (प्रायः 60 प्रतिशत) है। तथापि, वर्ष 1990 के मध्य से कृषि क्षेत्र का विकास कम होने के साथ-साथ उतार-चढ़ाव भरा रहा है, इसका विकास 1980 के दशक के दौरान प्रतिवर्ष 4.7 प्रतिशत के वार्षिक औसत से कम होकर 1990 के दशक में 3.1 प्रतिशत और पुनः दसवीं योजना अवधि के दौरान कम होकर 2.2 प्रतिशत हो गया है। अन्न का प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्पादन वर्ष 1991-95 के दौरान 192 किलोग्राम से कम होकर वर्ष 2004-07 के दौरान 174 किलोग्राम हो गया तथा इसी प्रकार उसी अवधि में दालों का उत्पादन प्रति व्यक्ति 15 किलोग्राम से कम होकर 12 किलोग्राम हो गया। इस प्रकार खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होकर 1970 के दशक के स्तरों के निकट पहुँच गई।

II.35 कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव का केवल समग्र विकास पर ही प्रभाव नहीं पड़ा है बल्कि न्यून और स्थिर मुद्रास्फीति बनाए रखने में भी, जैसाकि वर्ष 2006-07 में व्यापक रूप से अनुभव में आया है, प्रभाव हुआ है। यद्यपि घरेलू खाद्यान्न उत्पादन में वर्ष 2006-07 में 3.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, प्रमुख फसलों का उत्पादन अभी भी पिछली ऊँचाइयों से नीचे है। वर्ष 2006-07 में माँग-आपूर्ति अंतर, घरेलू खाद्यान्न की बढ़ी हुई कीमतों में देखा गया। अंतरराष्ट्रीय कृषि मूल्यों में हाल की बढ़ोतरी माँग और आपूर्त्ति दोनों के कारकों को दर्शाते हुए मूल्यों में संरचनात्मक वृद्धि की शुरूआत का द्योतक हो सकती है। खाद्य वस्तुओं के लिए माँग-दबाव में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर भारत और चीन में सुदृढ़ विकास और पशु प्रोटीनों की बढ़ती हुई माँग की दृष्टि से और मजबूती आ सकती है। आपूर्त्ति की ओर से दबाव, वैश्विक उष्णता के प्रति प्रवृत्तियों की तीव्रता के कारण ऊर्जा विकल्प के रूप में जैव-ईंधन के उत्पादन हेतु अनाजों और तिलहनों के वैकल्पिक उपयोग से उत्पन्न हो सकता है। माँग-आपूर्ति के बेमेल होने का और इसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर पड़ने वाला प्रभाव संभवतः औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं में भी विषम रूप से बड़ा हो सकता है। पण्य बाजारों की बढ़ती हुई वैश्विक वित्तीयकरण गतिविधियाँ खाद्यान्न मूल्यों को व्यवस्थित करने में सार्वजनिक नीति के लिए अतिरिक्त चुनौती पेश करती हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओइसीडी) तथा खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा संयुक्त रूप से हाल के एक आकलन के अनुसार कृषिगत पण्य वस्तुओं की वैश्विक कीमतें अगले दस वर्षों के दौरान अपनी ऐतिहासिक समतुल्य स्तरों से उच्च स्तरों पर कायम रह सकती हैं।

II.36 अतः कृषि क्षेत्र का परिवर्धित विकास, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, मूल्य स्थिरता, समग्र अर्थव्यवस्था के विकास के समग्र सम्मिलित विकास और निरंतरता के लिए महत्त्वपूर्ण है। ग्यारहवीं योजना में प्रति वर्ष 4 प्रतिशत के कृषि विकास की परिकल्पना की गई है। तीव्र, व्यापक तथा समावेशी विकास की ग्यारहवीं योजना की दृष्टि से कृषि में विकास के ह्रास को रोकने को वर्ष 2007-08 के केन्द्रीय बजट की कार्यसूची में शीर्ष पर रखा गया था।

II.37 1990 के दशक के मध्य से कृषि विकास में कमी का कारण स्थिर/ह्रासशील उपज हो सकती है जो विभिन्न कारकों जैसे कि निवेश में ह्रास, समुचित सिंचाई सुविधा का अभाव, अपर्याप्त अन्य मूलभूत सुविधाओं, अधिक उपज देनेवाले बीजों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास (आर एण्ड टी) में अपर्याप्त ध्यान, प्रमुख प्रौद्योगिकीय सफलताओं के अभाव और उर्वरकों / पोषक तत्वों एवं संस्थागत कमजोरियों के परिणाम के रूप में लक्षित होता है। कृषि में सार्वजनिक निवेश में वर्ष 1976-80 के दौरान कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद 3.4 प्रतिशत था जो कम होकर वर्ष 2005-06 के दौरान 2.6 प्रतिशत हो गया जबकि कृषि के लिए बजटीय आर्थिक सहायता सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत (1976-80) से बढ़कर सात प्रतिशत (2001-03) हो गई है। बजट बाध्यता को देखते हुए उच्चतर आर्थिक सहायता उच्चतर निवेश की लागत पर उपलब्ध होती है। आर्थिक सहायता जबकि अल्पकालिक लाभ उपलब्ध करा सकती है, वह उन दीर्घकालिक निवेशों में बाधा पहुँचाती है जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी लाभ प्रदान कर सकती हैं। आर्थिक सहायता संसाधनों के उपयोग में अक्षमता को भी प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए उर्वरकों के संबंध में आर्थिक सहायता की विद्यमान योजना अन्य पोषक तत्त्वों की लागत पर नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित करती है। भारतीय कृषि आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संतुलन दोनों दृष्टिकोण से लगातार अनुपयुक्त होती जा रही है। कुछ फ़सलों के लिए तीव्र और संकेन्द्रित इनपुट उपयोग के कारण आगे चलकर भूमि के बंजर होने के प्रतिकूल प्रभावों के साथ लवणीयता, जल-जमाव और भूमिगत जल-स्तर में कमी हो रही है। जैसा कि प्रधान मंत्री[1] ने उल्लेख किया है कृषि क्षेत्र का कमजोर कार्यनिष्पादन चार प्रकार की कमियों यथा, सार्वजनिक निवेश और ऋण में कमी, मूलभूत सुविधा में कमी, बाजार अर्थव्यवस्था में कमी और ज्ञान में कमी के कारण है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने 29 मई 2007 को आयोजित अपनी 53 वीं बैठक में कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि विकास रणनीतियों को नया रूख देने का एक संकल्प पारित किया। राष्ट्रीय विकास परिषद ने केन्द्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत का वार्षिक विकास प्राप्त करने के लिए कृषि के का याकल्प हेतु एक रणनीति विकसित करें। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार अगले चार वर्षों में कृषि में सार्वजनिक निवेश के लिए 25,000 करोड़ रुपए व्यय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

II.38 प्रमुख खाद्यान्नों के उत्पादन में ठहराव को दखते हुए उपयुक्त कृषि-जलवायु स्थितियों के साथ परंपरागत क्षेत्रों की अपेक्षा वैकल्पिक संभाव्य क्षेत्रों विशेषतः चावल और गेहूँ के मामले में उत्पादन प्रयासों पर पुनः ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों के बीच प्रमुख फसलों के मामले में व्याप्त भारी उपज-अंतरों को समाप्त करने से खाद्यान्नों और दालों के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए बीजों और उर्वरकों की समय पर उपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं के प्रावधान तथा ऋण की पर्याप्त उपलब्धता जैसे इनपुटों में तेजी से सुधार की आवश्यकता है।

II.39 चूँकि भारतीय कृषि मानसून पर भारी मात्रा में निर्भर रही है, कृषकों की पानी के लिए बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु सिंचाई की संभावना में वृद्धि तथा कृषि उत्पादन और उपज को स्थिरता प्रदान करने पर अत्यधिक जोर देने की आवश्यकता है। जबकि दसवीं योजना के दौरान संभावित सिंचित क्षेत्र में 8.8 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई थी, यह लक्ष्य का केवल आधा हिस्सा था। तो भी योजना अवधि के दौरान कुछ तो

[1] द्वितीय कृषि शिखर सम्मेलन (अक्तूबर 2006) में प्रधानमंत्री द्वारा संबोधन

योजना की अपेक्षा पानी के अधिक तेजी से उपयोग और कुछ खराब रखरखाव/ह्रास के कारण कुछ विद्यमान सिंचित क्षेत्रप्रणाली के बाहर चले जानेके चलते सिंचित क्षेत्र में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। बड़े पैमाने पर नई सिंचाई परियोजनाओं की घटती हुई संभावना की दृष्टि से जारी परियोजनाओं को पूरा करने और विद्यमान परियोजनाओं के आधुनिकीकरण पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता होगी। सरकार ने शीघ्रतर संभावित समय में और अधिक सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआइबीपी) को नया स्वरूप प्रदान किया है। जल विभाजन विकास और भूमि के उपयोग के अन्य पहलुओं से संबंधित सभी योजनाओं के समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया गया है। चूँकि परिवर्धित परिव्यय के विगत प्रयासों ने विद्यमान क्षमता में वास्तविक वृद्धि की मद में आशाजनक/लक्ष्य के अनुरूप परिणाम नहीं दिए हैं, समय और परिवर्धित लागतों से बचने के लिए जारी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और उनकी निगरानी पर अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता है।

II.40 आनेवाले वर्षों में कृषि अनुसंधान पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरुरत है क्योंकि अब तक सफलता चुनिंदा फसलों तक ही सीमित रही है। कृषि विश्वविद्यालयों सहित कृषि अनुसंधान प्रणाली के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के प्रयास को और तेज करने की आवश्यकता है। वास्तविक और संभावित उपज के बीच बढ़ती हुई असमानता अनुसंधान और विस्तार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर का संकेत देती है। विस्तार प्रणाली को पुर्नजीवित करना अत्यावश्यक है ताकि यह नवीकृत कृषि विकास की उभरती हुई माँग को पूरा कर सके। सार्वजनिक विस्तार प्रणाली को सार्वजनिक और निजी विस्तार प्रयासों के बीच सुदृढ़ सहक्रियाओं के साथ और अधिक मांग परिचालित होने की जरूरत है।क्षेत्रीय विभिन्नता पर अधिकाधिक आधारित अनुसंधान रणनीति तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच अधिकतम समन्वय की आवश्यकता है। योजना आयोग के आकलन के अनुसार ग्यारहवीं योजना की समाप्ति तक अनुसंधान पर सार्वजनिक व्यय को कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान में 0.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.0 प्रतिशत किए जाने की आवश्यकता होगी।

II.41 मार्केटिंग सुधारों को लाने के लिए सभी राज्यों में कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के कार्यानवयन की प्रक्रिया को आगे लाने की आवश्यकता है। अब तक 15 राज्यों और 5 संघ शासित क्षेत्रों ने अपने कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियमों में संशोधन किए हैं लेकिन कई राज्यों में अभी भी विनियमों को अधिसूचित (नोटिफ़ाइ) किया जाना शेष है।एक समुचिक विधायी संरचना की भी जरूरत है जो सहभागी संगठनों के लिए सहायक हो। महत्त्वूपर्ण मौसम और मूल्य जोखिमों की दृष्टि से समुचित जोखिम ह्रास नीतियों को आपदग्रस्त किसानों को राहत उपलब्ध कराने के साथ-साथ उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए लागू करने की आवश्यकता होगी।

II.42 जहाँ ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रति वर्ष चार प्रतिशत तक कृषि विकास की परिकल्पना की गई है, योजना आयोग के पूर्वानुमान खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रति वर्ष 2.0-2.5 प्रतिशत तक वृद्धि का संकेत करते हैं। इस प्रकार चार प्रतिशत के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खाद्येतर उत्पादन को और अधिक उच्चतर दर से बढ़ना होगा जिसके लिए बागवानी, दुग्ध-उत्पादन, मुर्गी-पालन और मत्स्य-पालन जैसी गतिविधि में भारी विकास करना होगा। इसके लिए 1970 के दशक जैसी हरित क्रान्ति की अपेक्षा होगी। अन्न उत्पादन और दुग्ध उत्पादन में अपेक्षाकृत एक समान प्रकृति की दृष्टि से राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो अपेक्षाकृत सरल क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ देशभर में व्यापक रूप से लागू थे, की रुपरेखा तैयार करना संभव था। तथापि, नई कृषि गतिविधियों के मामले में उत्पाद, विभिन्न प्रकृति के हैं और वे उच्चतर क्षेत्रीय विभिन्नताओं

को भी प्रदर्शित करते हैं। तदनुसार, कई विभिन्न गतिविधियों के लिए विकेन्द्रीकृत और क्षेत्रीय आधार पर भिन्न-भिन्न पैकेजों की आवश्यकता हो सकती है। अंत में, फॉर्म से बाजार-मालगोदामों, कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण परिवहन, रेफ्रिजेरेटेड ट्रकों और अन्य सेवा मध्यस्थों की आपूर्ति श्रृंखला की जरुरतों को वित्त प्रदान करने के लिए लेन-देन लागतों को कम रखते हुए लागू करने की आवश्यकता होगी।

II.43 सम्मिलित विकास में अन्य बातों के साथ-साथ संस्थागत ऋण की परिवर्धित और आसान उपलब्धि के लिए महत्तम वित्तीय समावेशन की आवश्यकता होती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करते हुए बैंकों और कई राज्य सरकारों के सहयोग से रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किये गये वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को तेज करने और अतिशीघ्र विस्तार प्रदान करने की आवश्यकता है। फॉर्म ऋण संतोषप्रद ढंग से बढ़ता रहा है। फॉर्म ऋण को तीन वर्षों में दुगुना करने का लक्ष्य वर्ष 2004 में शुरू किया गया जो दो वर्षों में प्राप्त हो गया। वैद्यनाथन समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप सहकारिता क्षेत्र में सुधार से कृषि क्षेत्र के लिए लगातार ऋण उपलब्धता में और बढ़ोत्तरी होगी।

II.44 लघु और विखण्डित फॉर्म जोतों की दृष्टि से कृषि गतिविधि और आय पर निर्भर जनसंख्या को भविष्य में कृषितर आय के स्रोतों पर लगातार निर्भर रहना होगा। अतः मुर्गी-पालन खाद्य संसाधन अन्य ग्रामीण उद्योगों जैसी अलग-अलग गतिविधियों की ओर बढ़ना ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। जबकि वर्ष 1990 के दशक के प्रारंभ से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से एकीकरण होता रहा है, देश के भीतर आंतर-क्षेत्रीय एकीकरण में प्रगति की गति को तेज करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण क्षेत्र उच्चतर विकास का लाभ उठा सकें। अपर्याप्त आंतर-देशीय एकीकरण कहीं पर भी तीव्र आर्थिक विकास से उत्पन्न नए आर्थिक अवसरों तक पहुँच से ग्रामीण जनसंख्या को रोकता है। कृषि उत्पादों के लिए अलग-अलग बाजार, विखण्डित और अलाभप्रद जोतों के समेकन को सुविधा प्रदान करने के लिए जमीन संबंधी बाजारों का लगभग नहीं होना (स्पष्ट स्वत्वाधिकार और भूमि-अभिलेख के अभाव से उत्पन्न), वायर्ड तथा वायरलेस संवाद प्रणाली के माध्यम से बाहरी बाजारों के साथ सहयोजन का अभाव, सभी मौसमों के लिए ग्रामीण सड़कों का अभाव, फल और सब्जी की प्रोसेसिंग में सहायक ग्रामीण मूलभूत सुविधा की अनुपलब्धता, विपणन केन्द्रों तक संरक्षण और परिवहन तथा प्राथमिक शिक्षा और मौलिक स्वास्थ्य सेवाओं में खराब सेवा जैसे विभिन्न कारकों द्वारा बेहतर आंतर-क्षेत्रीय एकीकरण बाधित होता है।

उद्योग और मूलभूत सुविधा

II.45 वर्ष 2002-03 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में उछाल बढ़ती हुई घरेलू और बाहरी माँग के परिणाम स्वरूप वर्ष 2006-07 तक जारी रहा। लगातार जारी विकास से क्षमता के उपयोग में काफी बढ़ोत्तरी हुई है और इससे उच्चतर निवेश गतिविधियों में सहयोग मिल रहा है। उद्योग में, मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र में 8.8 प्रतिशत के विकास के कारण वर्ष 2006-07 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि में औसत आधार पर 8.1 प्रतिशत का विकास हुआ। तथापि, दसवीं योजना अवधि (वर्ष 2002-2007) के दौरान औद्योगिक विकास 10 प्रतिशत के लक्ष्य से कम रहा।पूँजीगत वस्तुओं के आयात में मजबूत विकास के साथ वर्ष 2002-03 से पूँजीगत वस्तु क्षेत्र में जारी दुहरे-अंक में विकास यह उल्लेख करता है कि नई क्षमता वृद्धि के माध्यम से उद्योग जगत अर्थव्यवस्था में माँग स्थितियों की उछाल को पूरा कर रहा है। पूँजी स्टॉक का आधुनिकीकरण, आयात शुल्क तथा अन्य करों में कमी / विवेकाधार ने

अर्थव्यवस्था के खुलेपन में बढ़ोत्तरी, उच्चतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अन्तर्वाह, उच्चतर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में बढ़े हुए निवेश तथा गहनतर वित्तीय उपलब्धता उद्योग में उत्पादकता लाभों में सहयोग कर रहे हैं। परिणामतः सेवा क्षेत्र के सहयोजन से उद्योग लगातार एक महत्त्वपूर्ण विकास परिचालक बनता जा रहा है। व्यापार, परिवहन, संचार और निर्माण जैसी कई सेवाएँ उद्योग से सीधे जुड़ी हुई हैं।

II.46 हाल के वर्षों में औद्योगिक कार्यनिष्पादन में उछाल पिछले पन्द्रह वर्षों के दौरान किए गए आर्थिक सुधारों के लाभप्रद प्रभावों को दर्शाता है जिसने शुल्क में महत्वपूर्ण कमी के मध्य लगातार बढ़ती हुई एक खुली अर्थव्यवस्था में उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में वृद्धि की है। भारत में विनिर्माण कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्षम और कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम लागत उत्पादकों के रूप में तेजी से उभर रही हैं। कई कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए विदेशी फर्मों का अधिग्रहण शुरू कर दिया है।

II.47 यह उल्लेख करना उत्साहवर्धक होगा कि पूर्ववर्ती छह वर्ष की अवधि (वर्ष 1993-94 से वर्ष 1999-2000) से वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। तथापि, वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 की अवधि में रोजगार में वृद्धि उसी अवधि में श्रम-शक्ति में वृद्धि से पीछे रही है। तथापि, असंगठित विनिर्माण क्षेत्र ने ही हाल के वर्षों में अधिक रोजगार में वृद्धि की है। अतः उद्योग में जारी विकास रोजगार के अवसर पैदा करने और कृषि क्षेत्र पर निर्भर प्रच्छन्न श्रम-शक्ति को आमेलित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षणों तथा श्रम-कानूनों में अधिकतम लचीलेपन के माध्यम से समुचित कौशल का सृजन, विशेषतः संगठित क्षेत्र में अधिकतम रोजगार उत्पादन कर सकता है।

II.48 कई मूलभूत सुविधा कमियों के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र ने मजबूत विकास दर्ज किया है। जैसा कि ग्यारहवीं योजना (वर्ष 2007-12) के दृष्टिकोण पेपर में उल्लेख किया गया है, विश्व स्तर की मूलभूत सुविधा के अभाव तथा कुशल श्रम-शक्ति की कमी विनिर्माण क्षेत्र में विकास की अति महत्वपूर्ण अल्पकालिक बाधाएँ हैं, उद्योग के फलने-फूलने लायक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह अनिवार्य है कि मौजूदा आधारभूत व्यवस्थाओं, विशेषतः सड़कों, बन्दरगाहों और विद्युत में बढ़ोत्तरी की जाए।

II.49 अब तक मूलभूत सुविधा क्षेत्र में मिश्रित प्रगति हुई है। दूर-संचार क्षेत्र में महती प्रगति हुई है जैसा कि देश में बढ़ते हुए मोबाइल टेलीफोन के त्वरित प्रसार में प्रतिबिम्बित हुआ है। रेलवे और बन्दरगाहों में भी कुछ सुधार हुआ है। तथापि, अन्य क्षेत्रों जैसे कि विद्युत, कोयला, जल, शहरी मूलभूत सुविधा और ग्रामीण मूलभूत सुविधा में प्रगति पर्याप्त से कम है।

II.50 वर्ष 2006-07 के दौरान बिजली क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर रहा जिसमें इस क्षेत्रको ताप ऊर्जा संयंत्रों के बढ़े हुए लोड फैक्टर और बेहतर भंडारण स्तरों के कारण पन-बिजली उत्पादन में वृद्धि से बहुत लाभ मिला। इसके बावजूद ऊर्जा क्षेत्र का कुल मिलाकर प्रदर्शन बहुत आशाजनक नहीं था। बिजली की लगभग 10 प्रतिशत की कमी और सर्वाधिक व्यस्त समय के दौरान 13 प्रतिशत की कमी इस क्षेत्र में ऊंची वृद्धि के चालू दौर में एक बाधक है। दसवीं योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र की क्षमता में उसके लक्ष्य के लगभग 50 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश की गति अवरुद्ध हुई है क्योंकि यहां आपूर्ति की गई बिजली का या संविदा के अनुसार बिजली के समय पर भुगतान के आश्वासन का अभाव महसूस किया गया। यदि समुचित टैरिफ के साथ टैरिफों की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा बिजली की चोरी में कमी लाने के लिए उपाय किए जाएं तो इससे ऊर्जा क्षेत्र में

भारी निवेश में मदद मिलेगी। गैस आधारित बिजली संयंत्र जो बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का लगभग 11 प्रतिशत है, गैस की अपर्याप्त आपूर्ति और नाफ्ता एवं हाईस्पीड डीजल जैसे वैकल्पिक एवं मंहगे ईंधनों का इस्तेमाल करने में कठिनाइयों के कारण अपनी क्षमता से नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं। बिजली के प्रेषण एवं वितरण से जुड़ी हानियां अस्वीकार्य स्तर पर अधिक ही बनी रही जो कई राज्यों में 30 से 45 प्रतिशत तक थीं। बिजली के प्रेषण तथा वितरण प्रणाली में समयबद्ध तरीके से स्तरोन्नयन के साथ-साथ बिजली चोरी कम करने के उपायों के फलस्वरूप देश में बिजली आपूर्ति की उपलब्धता में वृद्धि, उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमत में कमी तथा राज्य विद्युत परिषदों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है।

II.51 इस संदर्भ में अगर निवेश के इरादों में जो रुझान दिख रहे हैं उसे संकेत मानें तो इस उद्योग में हो रही महत्वपूर्ण निवेश गतिविधि के महत्व को नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार उद्योग में वास्तविक सकल पूंजी निर्माण (1999-00 कीमतों पर) में वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 के दौरान औसतन लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निवेश में इस प्रकार की महत्वपूर्ण गतिविधि से उम्मीद है कि इससे देश में बिजली की मांग में आगे और बढ़ोत्तरी होगी। इसी के साथ-साथ यह समझने की जरूरत है कि बिजली के अधिक उत्पादन में आंशिक रूप से थर्मल संयंत्र लोड फैक्टर (पी एल एफ) की वृद्धि का हाथ रहा है जो 1998-99 के दौरान 64.6 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 के दौरान बढ़कर 74.00 प्रतिशत और उसके बाद 2006-07 के दौरान बढ़कर 76.8 प्रतिशत हो गया। प्लांट लोड फैक्टर (पी एल एफ) में उल्लेखनीय वृद्धि को देखा जाए तो अब उसमें आगे वृद्धि की संभावना सीमित है। इस प्रकार भविष्य में बिजली का अधिक उत्पादन नई क्षमता जोड़ने पर अधिकाधिक निर्भर करेगा। इसलिए ऊर्जा क्षेत्र में नए निवेश की आवश्यकता है। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उसकी क्षमता बढ़ाने से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक धार तेज होगी और साथ ही इससे वृद्धि की मौजूदा रफ्तार बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

II.52 पिछले पांच वर्षों के दौरान खनन क्षेत्र की वृद्धि (वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान औसतन 4.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष) उसी अवधि के दौरान विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) में वृद्धि (8.8 प्रतिशत) से काफी पीछे रही। पर्याप्त कोयला भंडार के बावजूद, जो कि अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, देश में कोयले की घरेलू आपूर्ति अपर्याप्त बनी हुई है और कोयले की कमी जैसी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। खनन में वृद्धि करना तथा औद्योगिक वृद्धि से जुड़ी कठिनाइयां दूर करने के लिए खनन क्षेत्र में आगे और सुधारों की जरूरत होगी। बिजली उत्पादन में वृद्धि के लिए तयशुदा ईंधन आपूर्ति आवश्यक होगी। इस प्रकार कोयले की मांग हाल-फिलहाल के दिनों के मुकाबले महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने की उम्मीद है।

II.53 राष्ट्रीय स्तर पर सड़क क्षेत्र में प्रगति संतोषजनक रही है। जहां स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना लगभग पूरा होने को है वहीं उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर परियोजनाओं के वर्ष 2009 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। मौजूदा सड़कों के स्तरोन्नयन/एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम (एन एच डी पी) के विभिन्न चरण आयोजन तथा कार्यान्वयन के अग्रणी दौर में हैं। जैसा कि पहले बताया गया, सरकार *भारत निर्माण* के अंतर्गत भी ग्रामीण सड़कों में सुधार लाने के लिए कदम उठा रही है। सड़कों तथा हाइ-वे (महामार्गों) के मामले में प्रगति अन्य बातों के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण, ढांचों को हटाने तथा सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब, कुछ राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की समस्या तथा कुछ ठेकेदारों के खराब कामकाज जैसी अड़चनों से पार पाने में सफलता पर निर्भर करेगी।

II.54 विकास की प्रक्रिया में शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अध्ययन से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन को काफी फायदे मिलते है। ये फायदे उत्पाद तथा श्रम बाजारों से निकटता के कारण मिलते हैं जो एक तरफ व्यापार एवं परिवहन की लागत में बचत और दूसरी तरफ कुशल श्रम की उपलब्धता को संभव बनाते है। शहरों के प्रबंधन को सशक्त बनाने से देश भर में शहरी आधारभूत संरचना से जुड़ी सुविधाओं में विकास होगा। समग्र रूप से सक्षम होने के लिए सभी प्रकार के शहरों की सक्षम कार्यप्रणाली आवश्यक है। गरीबों के कल्याण के लिए शहरी क्षेत्रों में जल, परिवहन, सफाई, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाओं में सुधार की भी आवश्यकता है। शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर में कमी को दूर करने की दिशा में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है लेकिन इस योजना को उसकी तार्किक परिणति तक सफलतापूर्वक ले जाने के लिए व्यापक आयोजना तथा प्रभावी निगरानी आवश्यक है।

II.55 देश में आधारभूत संरचना की भारी जरूरतों को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र को हमेशा आधारभूत संरचना के लिए धन मुहैया कराने में बड़ी भूमिका निभानी होगी। इसके लिए सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने में सुधार पर अधिकाधिक बल देना होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित आधारभूत संरचना पर उच्चस्तरीय समिति का अनुमान है कि विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान 14,50,000 करोड़ रुपये का निवेश जरूरी होगा। इसके लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों द्वारा आधारभूत संरचना पर अपने खर्च में ठोस वृद्धि करते हुए उसे प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 4.6 प्रतिशत के मौजूदा स्तर को बढ़ाकर लगभग 8 प्रतिशत करना होगा। इन निवेशों को जहाँ कहीं संभव हो, सार्वजनिक निवेश, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा विशिष्ट निजी निवेशों को मिलाजुलाकर हासिल करना होगा। सरकार देश में आधारभूत संरचना के घाटे को पाटने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सक्रिय होकर बढ़ावा दे रही है और पिछले दो-एक वर्षों में आधारभूत संरचना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। परियोजनाओं को जल्द हरी झंडी दिखाने, लाल फीताशाही को समाप्त करने, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय तौर-तरीकों को अपनाने और दिशानिर्देशों में एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है। तथापि सार्वजनिक निजी भागीदारी से जुड़े सरोकार एवं मुद्दे के प्रति चेतना का अभी भी अभाव महसूस किया जा रहा है और अलग-अलग राज्यों में यह चेतना समान रूप से नहीं दिखाई देती है।

II.56 वर्ष 2001-02 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 23.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान घरेलू बचत तेजी से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 32.4 प्रतिशत तक पहुँच गई। घरेलू बचत में लगातार वृद्धि को देखते हुए यह साफ हो गया है कि सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में अधिकाधिक निवेश संभव है। तथापि, इसी के साथ ऐसे निवेशों को लाभप्रद तथा स्व-वित्त पोषी बनाने के लिए परियोजना अभिकल्प, परियोजना कार्यान्वयन, समुचित प्रयोक्ता प्रभारों तथा समुचित नीतियों में भी प्रगति आवश्यक होगी।

सेवाएं

II.57 पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में दुहरे अंकों की दर से वृद्धि हुई है और यह क्षेत्र देश की आर्थिक गतिविधि के प्रमुख संचालक के रूप में उभरकर सामने आया है। विनिर्माण गतिविधियों की अनवरत मजबूती, पर्यटन में मजबूत वृद्धि, दूरसंचार के क्षेत्र में सुधारों, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं बीपीओ क्षेत्रों में उछाल, निर्माण क्षेत्र में भारी-भरकम वृद्धि, जमा एवं ऋण

वृद्धि में तेजी तथा बीमा क्षेत्र के खुलने के कारण हाल के वर्षों में सेवाओं के क्षेत्र में उछाल आया है। सेवा क्षेत्र के प्रभावशाली प्रदर्शन का मुख्य श्रेय कुशल एवं सस्ते श्रम की उपलब्धता को जाता है। तथापि, सेवाओं एवं विनिर्माण गतिविधियों में अनवरत तेजी का प्रारंभिक दबाव गुणवत्ता संपन्न कुशल श्रम की आपूर्ति पर पड़ रहा है। हालांकि मानवशक्ति की उपलब्धता हमारे देश के जनसांख्यिकी फ्रोफाइल के कारण उसके पक्ष में है फिर भी इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि प्रतिभाओं की कमी उभरकर सामने आ रही है। अधिकतर विकसित मुल्कों में 40-50 प्रतिशत की तुलना में हमारे देश में उच्च अध्ययन की संस्थाओं में संबंधित आयु वर्ग के केवल 10 प्रतिशत विद्यार्थी दाखिला ले रहे हैं। माध्यमिक स्कूल स्तर के विद्यार्थियों में से आधे से भी कम विद्यार्थी ही कालेज शिक्षा में दाखिल होते हैं। इसके अलावा देश के कई कालेजों और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता कुशल व्यावसायिकों के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में नाकाफी है।

II.58 विशाल जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए शिक्षा क्षेत्र को ठोस ढंग से विस्तार देने तथा उसमें सुधार की तात्कालिक आधार पर जरूरत है। सरकार श्रम बल को अपेक्षित कौशलयुक्त बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। *सर्व शिक्षा अभियान* जिसका लक्ष्य सबको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना और विद्यालयों के प्रबंधन में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ समस्त सामाजिक, लैंगिक तथा क्षेत्रीय अंतरों को पाटना है, के कार्यान्वयन के बाद माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि होने की संभावना है। इस परिप्रेक्ष्य में भविष्य में माध्यमिक विद्यालय स्तर पर आधारभूत संरचना में भी व्यापक रूप से विस्तार करना आवश्यक होगा। आर्थिक गतिविधियों के लगातार ज्ञान आधारित होने के कारण कौशल पर विशेष बल को देखते हुए तृतीयक शिक्षा देने और उच्च ज्ञान की संस्थाओं का विकास करने पर विशेष जोर देने की जरूरत होगी। इस प्रकार प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च जैसे सभी स्तरों पर शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत होगी। इन संदर्भ में केंद्र सरकार ने उच्च स्तर की शिक्षा सुलभ बनाने के उद्देश्य से देश में 30 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर फैले मौजूदा कॉलेजों / विश्वविद्यालयों में सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत होगी ताकि कौशलयुक्त मानवशक्ति की उपलब्धता में उभरती मांग-आपूर्ति की विसंगतियों को पाटा जा सके तथा जनसांख्यिकीय स्थिति से लाभ उठाया जा सके। देश में भौतिक, शहरी तथा सामाजिक आधारभूत संरचना को सुधारने की दिशा में संगठित प्रयासों से सेवा क्षेत्र की वृद्धि में और मजबूती आएगी।

राजकोषीय नीति

II.59 एफ आर बी एम के नियम आधारित ढांचे के अंतर्गत केंद्र सरकार के वित्त में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में वर्ष 2004-05 के दौरान घाटे सूचकांकों में प्रारंभिक स्तर पर कमी, वर्ष 2005-06 के दौरान ठहराव तथा वर्ष 2006-07 के दौरान इस प्रक्रिया द्वारा पुनः अपनी पुरानी स्थिति में लौटना देखा गया है। राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया 2007-08 में जारी रहेगी। वर्ष 2007-08 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत के स्तर पर रखने के कारण वर्ष 2008-09 तक 3.0 प्रतिशत का एफआरबीएम लक्ष्य व्यावहारिक प्रतीत होता है। वर्ष 2007-08 के लिए राजस्व घाटे को बजट में सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत पर रखा गया है; वहीं वर्ष 2008-09 के दौरान एफआरबीएम के जरिए राजस्व घाटे को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार, यह ध्यान देने योग्य है कि एफआरबीएम लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान राजस्व घाटा / सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में 1.5 प्रतिशत की कमी करनी होगी ।

II.60 सरकार के राजस्व में वृद्धि में कर-जीडीपी अनुपात में तीव्र वृद्धि से सहायता मिली है जिसमें प्रत्यक्ष

कर राजस्व की अग्रणी भूमिका रही है। संपूर्ण कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा वर्ष 2000-01 के दौरान 36 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान बढ़कर लगभग 49 प्रतिशत हो गया। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कारपोरेट आयकर का हिस्सा वर्ष 2000-01 के दौरान 52 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006-07 के दौरान लगभग 64 प्रतिशत हो गया जबकि इसी के साथ वैयक्तिक आयकर के हिस्से में गिरावट हुई। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कारपोरेट तथा वैयक्तिक आयकरों में वर्ष 2000-01 से वृद्धि हुई। जहां कारपोरेट आयकर का अनुपात वर्ष 2000-01 के दौरान 1.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006-07 के दौरान 3.6 प्रतिशत हो गया वहीं वैयक्तिक आयकर का अनुपात इसी अवधि के दौरान 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 1.8 प्रतिशत हो गया। कर राजस्व में चालू उछाल के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए उच्च आय में वृद्धि के प्रकाश में अनवरत एवं स्थिर गति से प्रयास जरूरी होगा। कर राजस्व में सुधार के जरिए राजकोषीय मजबूती को और अधिक गहरा करने का अवसर कर की दरों में एक सुसंतुलित ढांचा बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था के विकास की गति को प्रभावित किए बगैर उसके आधार को व्यापक बनाने में निहित है। कर के आधार को व्यापक बनाने के लिए प्रमुख कर रियायतों को युक्तियुक्त बनाने / समाप्त करने तथा सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के बढ़ते हुए हिस्से के अनुरूप इस क्षेत्र के मुख्य हिस्सों को कर के दायरे में लाना अनिवार्य है। वर्ष 2006-07 के दौरान सेवा कर की हिस्सेदारी सकल कर राजस्व में केवल 8 प्रतिशत तथा केंद्रीय सरकार के अप्रत्यक्ष करों के लगभग 16 प्रतिशत के बराबर रही। राज्य सरकारों द्वारा मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रणाली लागू करने तथा केंद्रीय बिक्री कर (सी एस टी) से बाहर निकलने के बाद 1 अप्रैल 2010 से वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) को लागू करने की समुचित परिस्थितियां मौजूद हैं। इससे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है। इसके अलावा कर प्रशासन की क्षमता तथा प्रभावमें सुधार होने से कर बकायों में कमी संभव होगी।बढ़े हुए लेकिन वसूल नहीं किए गए कर राजस्व के भंडार में वर्ष 2005-06 के दौरान लगभग 19 प्रतिशत की कमी हुई और मार्च 2006 के अंत तक उसका भंडार घटकर 90,256 करोड़ रुपये हो गया।

II.61 हाल के वर्षों में केंद्र सरकार के व्यय प्रबंधन ने मुख्यतः कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार तथा अनुमानित परिणामों में बजटीय व्यय को बदलने हेतु वितरण व्यवस्था की दक्षता और दायित्व में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया है। व्यय की प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करने की सरकार की नीति के फलस्वरूप सामाजिक क्षेत्र के लिए ज्यादा परिव्यय हासिल हुआ है। फिर भी, भारत में शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय की हिस्सेदारी, अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से कम है। वर्ष 2004 में भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत रहा जो ब्राजील (4.8 प्रतिशत), चीन (1.8 प्रतिशत) तथा अल्प विकसित देशों (1.8 प्रतिशत) से भी कम था। सामाजिक क्षेत्रों के लिए व्यय की प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करने के साथ-साथ पूंजीगत परिव्यय में बढ़ोतरी से सरकार की परिचालनात्मक क्षमता को सीमित किए बिना राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी से सामाजिक आधारभूत संरचना में सुधार होगा तथा इससे उत्पादकता के लाभ प्राप्त होंगे।

II.62 राजकोषीय उत्तरदायित्व संबंधी कानूनों (एफ आर एल) से निर्देशित होकर राज्य सरकारों के वित्त ने भी वर्ष 2003-04 से महत्वपूर्ण सुधारों का प्रदर्शन किया है। घाटा सूचकांकों में कमी के उद्देश्य को पूरा करने के नजदीक आने के साथ-साथ राज्य सरकारों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास पर अधिक व्यय करते हुए विकास से इतर खर्चों को सीमित करने की चुनौती का सामना करना होगा। बेहतर समष्टि आर्थिक कार्य-निष्पादन के फलस्वरूप

राज्य सरकारों के कर संग्रह (स्वयं का कर राजस्व तथा विभाज्य केंद्रीय कर दोनों) पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसी के साथ यह नोट करने की जरूरत है कि स्वास्थ्य तथा शिक्षा के प्रावधान के लिए राज्य ही प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए परिव्यय में बढ़ोतरी के अलावा राज्यों द्वारा सेवाएं प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार करने पर भी बल देना जरूरी होगा जो प्रकारांतर से उन्हें इन सेवाओं का पर्याप्त रूप से मूल्य निर्धारण करने में सक्षम बनाएगा। राज्यों के लिए यह भी जरूरी होगा कि वे सक्षम सुधार का मार्ग प्रशस्त करें ताकि उन्हें जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन जैसी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके।

II.63 हाल के वर्षों में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया की मुख्य विशेषता घाटे के मुख्य सूचकांकों में अच्छी-खासी कमी रही है। तथापि, भारत में घाटे के सूचकांक तथा सार्वजनिक ऋण कई उदीयमान तथा विकसित देशों के मुकाबले अधिक हैं। इसके अलावा, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया में कतिपय जोखिम जैसे कि छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर वेतन पुनरीक्षण से व्यय में प्रत्याशित वृद्धि, आर्थिक सहायता तथा उधार की बढ़ती हुई औसत लागतें भी शामिल हैं।

II.64 केंद्र तथा राज्यों द्वारा एफआरबीएम / एफआरएल के लक्ष्यों के अनुपालन के फलस्वरूप सार्वजनिक कर्ज के बोझ को हल्का करने के अलावा सार्वजनिक बचत एवं संपूर्ण घरेलू बचत में और अधिक वृद्धि होगी। कर्ज के बोझ में कमी से संपूर्ण समष्टि आर्थिक स्थिरता में सहायता मिलेगी तथा इससे विकास की गति को बल मिलेगा। चालू विकास की गति को स्थाई रूप से मजबूत पायदान पर स्थापित करने के लिए क्षमता निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की जरूरत है जिसे निजी क्षेत्र पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं कर सकता। राजकोषीय सशक्तिकरण के कारण अधिक पूंजीगत व्यय का रास्ता खुलेगा और आधारभूत संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र पर व्यय को ताकत मिलेगी जिसका घरेलू उत्पादकता, वृद्धि तथा रोज़गार पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता के महत्व पर बल देना आवश्यक है।

बाह्य क्षेत्र

II.65 सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को बाह्य क्षेत्र से उल्लेखनीय शक्ति हासिल हुई है। अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए खुलेपन तथा वित्तीय प्रवाह की दो तरफा गति के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत का जुड़ाव मजबूत होता जा रहा है। सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले पण्य निर्यात का अनुपात 90 के दशक के प्रारंभ से बढ़ रहा है जो बढ़ती हुई अतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2002-06 के दौरान भारत के निर्यात की वृद्धि एशिया क्षेत्र में चीन को छोड़कर उसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों से काफी अधिक थी। इसी के साथ आयात में तेजी लगातार बढ़ रही है क्योंकि घरेलू संस्थाओं की पहुँच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कच्ची सामग्री तथा अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं तथा गुणवत्ता इनपुट तक हुई है जिससे घरेलू उत्पादन एवं निर्यात क्षमताओं को नई धार मिली है। सॉफ्टवेयर तथा अन्य व्यापार सेवाओं की अग्रणी भूमिका के कारण सेवाओं के निर्यात में संरचनात्मक परिवर्तनों तथा विप्रेषणों से भारत के भुगतान संतुलन को स्थिरता और मजबूती मिली है। निवल अदृश्य की अधिशेष मात्रा से बढ़ते हुए व्यापार घाटा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समायोजित कर लिया गया है तथा इससे 90 के दशक के प्रारंभ से चालू खाता घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत के औसत तक सीमित करने में सहायता मिली है। वर्तमान में सकल चालू प्राप्तियों (पण्य निर्यात तथा अदृश्य प्राप्तियां) तथा सकल चालू भुगतानों (पण्य आयात तथा अदृश्य भुगतान) को मिलाकर देखा जाए तो वह सकल घरेलू

उत्पाद के आधे से अधिक होता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ उच्च स्तर पर जुड़ाव को महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित करता है।

II.66 उदारीकृत बाह्य भुगतान प्रणाली ने भारतीय कार्पोरेट द्वारा विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र दोनों में विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को सहज बनाया है, इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर किफायत करना और विदेशी बाज़ारों को हथियाना रहा है ताकि विश्व स्पर्धा का बेहतर तरीके से सामना किया जा सके। बहिर्वाह (आउटफ्लोज) की दर ऊंची होते हुए भी, पूंजी प्रवाह (निवल) में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो वर्ष 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तकरीबन पांच प्रतिशत है, जबकि इसकी दर वर्ष 2000-01 से 2002-03 तक औसत दो प्रतिशत थी।पूंजी प्रवाह (निवल) काफी हद तक चालू खाता घाटे से अधिक बना रहा और मौद्रिक नीति के संचालन तथा समष्टि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता पर इसका प्रभाव रहा है।

II.67 भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए अपनाए गए समग्र दृष्टिकोण में भुगतान संतुलन की बदलती स्थितियों का ध्यान रखा गया है और विभिन्न प्रकार के प्रवाहों एवं अन्य अपेक्षाओं से जुड़े 'चलनिधि जोखिमों' को प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया गया है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के उद्देश्य हैं विदेशी मुद्रा भंडार की क्रय-शक्ति के मूल्य को लंबे समय तक बनाए रखना तथा उससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल के जोखिम एवं अस्थिरता को न्यूनतम रखना। भारत में, विदेशी मुद्रा भंडार का संचय पूंजी के अंतर्वाह (इनफ्लो) से हुआ है, जबकि अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा नहीं है जहां विदेशी मुद्रा का अधिकांश भंडार चालू खाते के अधिशेष से किया गया है। तो भी, ये देश विदेशी मुद्रा बाज़ार में निरंतर हस्तक्षेप करते रहे हैं और यह इस बात से जाहिर होता है कि पूरे एशिया में सभी देशों ने विदेशी मुद्रा भंडार का उच्च स्तर बनाए रखा है। इसके अलावा, विश्व में चलनिधि की पर्याप्तता, प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों तथा आय कमाने की तलाश ने उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर पूंजी लगाई है।

II.68 भारत में, विदेशी मुद्रा बाज़ार में अस्थिरता को कम करने के लिए किए गए हस्तक्षेप काफी हद तक सफल रहे हैं और समग्र वित्तीय स्थिरता में उनका योगदान रहा है। अन्य कारकों के साथ-साथ यही वह कारक है जिसने भारत को विदेशी निवेशकों के लिए निवेश-स्थल बना दिया है। संभव है कि बड़े कार्पोरेट बढ़ी हुई अस्थिरता को नियंत्रित करने की स्थिति में हों किंतु, भारत जैसे देश में जनसंख्या के एक बड़े तबके के पास इतनी संपत्ति नहीं है कि वे वित्तीय बाजार की अस्थिरता के सामने टिक सकें। उतार-चढ़ाव में जनसंख्या के ऐसे भाग के हित पर भी विचार किए जाने की जरूरत है। आवश्यकता से अधिक अस्थिरता भी वित्तीय स्थायित्व के लिए चुनौती बन सकती है और वास्तविक क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। अतः, अस्थिरता की मात्रा वृद्धि दर के उद्देश्यों, मूल्य तथा वित्तीय स्थिरता के अनुरूप होनी चाहिए। जैसा कि एशियाई संकट से यह साबित हो चुका है कि, बड़े कार्पोरेट भी विनिमय दरों और ब्याज दरों में अकस्मात अस्थिरता के समक्ष टिक नहीं सकते हैं क्योंकि कार्पोरेट तुलनपत्र की कमज़ोरियां बैंकिंग क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था के अन्य सहभागियों तक फैल सकती हैं।

II.69 भारत के समान, कई अन्य देश विदेशी मुद्रा के अत्यधिक इनफ्लो की स्थिति का सामना कर रहे हैं जो इन देशों में भी के मौद्रिक प्रबंधन को प्रभावित कर रही है। किंतु, इस समय कई कारणों से भारत में मौद्रिक प्रबंधन की स्थिति अन्य उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं से कहीं ज्यादा जटिल है। पहला कारण, घरेलू ब्याज दरें विदेशी मुद्रा भंडार से प्राप्त होने वाले प्रतिफल से अधिक हैं, जो अर्ध-राजकोषीय लागतों को बढ़ाती हैं। दूसरा कारण, हालांकि भारत में हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से राजकोषीय घाटा और लोक ऋण में कमी हुई है, किंतु अभी भी बहुत अधिक हैं। यह राजकोषीय नीति

की मुद्रास्फीति को अपेक्षतया कम स्तर पर बनाए रखने की लोच को बाधित करती है।तीसरा कारण, भारत में वास्तविक क्षेत्र को पिछले कई वर्षों में उदार बनाया गया है जो आपूर्ति प्रबंधन के संबंध में प्रशासनिक उपाय करने की योग्यता को बाधित करता है। वहीं, अनेक नीतिगत जटिलताएं भी विद्यमान हैं, जो तीव्र और लचीले समायोजन को रोकती हैं जिसकी सुव्यवस्थित तरीके से कार्य कर रही बाज़ार अर्थव्यवस्था को सख्त जरूरत है। इसके अलावा, भारत में बैंकिंग प्रणाली को धीरे-धीरे अविनियमित (डिरेगुलेट) कर दिया गया है और मौद्रिक नीति का संचालन काफी हद तक बाज़ार आधारित लिखतों के उपयोग के माध्यम से किया जा रहा है। इससे प्रशासनिक उपकरणों जैसे जमा और उधार दरों के इस्तेमाल करने की क्षमता पर रोक लगती है, वहीं इनका उपयोग कुछ अन्य देश कर सकेंगे।अंत में, यह भी जान लेना आवश्यक है कि भारत उभरती हुई ऐसी कुछ बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जहां अत्यधिक ऊँचे व्यापार घाटे के साथ चालू खाता घाटा भी है।

II.70 यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में पूंजी बहिर्वाह (आउटफ्लो) से संबंधित नीतिगत ढांचे में काफी उदारता बरती जा रही है,इस संबंध में उदारता संबंधी जितने उपाय संभव होंगे उन पर ध्यान दिया जाएगा। तथापि, प्रत्येक देश को विशिष्ट देश संदर्भ विशेषतः वास्तविक क्षेत्र की विशेषताओं की दृष्टि से पूँजी बर्हिवाह के लिए अपनी नीति व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, केवल अंतर्वाह के संदर्भगत स्तर और अर्थव्यवस्था के वर्तमान आमेलक क्षमता को देखकर नहीं। प्राथमतः भारत में बहिर्वाह की वर्तमान व्यवस्था उदार है किंतु इतनी भी उदार नहीं है कि कार्पोरेटस को अधिग्रहण मार्ग के माध्यम के साथ-साथ भारत के बाहर वास्तविक अर्थव्यवस्था में निवेश करने को प्रोत्साहित करे। इस प्रणाली ने देश में सुचारु रूप से कार्य किया है क्योंकि भारतीय कार्पोरेटस ने विदेशी इकाइयों के साथ बढ़-चढ़कर सहयोग स्थापित किया है, पैमाने के अभाव को पूरा कर लिया है जो भारत की परंपरागत समस्या रही है और अधिग्रहण के माध्यम से तेज़ी से क्षेत्र विशेष (डोमेन) की जानकारी हासिल कर ली है। दूसरे, व्यक्तिगत परिवारों द्वारा बहिर्वाह के महत्वपूर्ण उदारीकरण को संपूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर समिति (अध्यक्ष : श्री.एस.एस.तारापोर, 2006) की अनुशंसाओं का पालन करते हुए कार्यान्वित किया जा चुका है।तथापि, यहाँ उदारीकरण कुछ अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के आलोक में किया जाएगा जो यह दर्शाता है कि जब घरेलू अर्थव्यवस्था के निष्पादन अथवा स्थायित्व के संबंधके प्रतिकूल अवधारणा बनती दिखती है। निवासी व्यक्ति अक्सर बहिर्वाह शुरु करने में विदेशी निवेशकों से आगे निकल जाते हैं। तीसरे, जहाँ तक वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से बहिर्वाह के लिए व्यवस्था का संबंध है, सतर्कता और परिमाणात्मक विनिर्धारणों का दृष्टिकोण लिया जाता है जिसके द्वारा विवेक सम्मत मानदंड और पूंजी खाता प्रबंध की बाध्यताएँ दोनों ही संगत होती हैं।

II.71 व्यापारगत एकीकरण निःसंदेह फायदेमंद है किंतु वित्तीय एकीकरण भारत के विकास के मौजूदा चरण के लिए फायदेमंद और जोखिमपूर्ण दोनों हो सकता है। भारत में पूंजी अंतर्वाह की उल्लेखनीय विशेषताओं पर प्रकाश डालना श्रेयस्कर होगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) को आमतौर पर ऐसा निवेश माना जाता है जिससे भौतिक आस्तियों का सृजन होता है और यह स्थायित्व की मात्रा, खासतौर से प्रबंधकीय कौशल से जुड़ा होता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि निजी इक्विटी निधियों तथा उद्यम पूंजी निधियों के माध्यम से नए प्रकार के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सीधा संबंध भौतिक आस्तियों से हो और उनमें मार्जिन पर अस्थिरता वाले तत्व निहित हो सकते हैं। इसी प्रकार, मौजूदा पण (स्टेक) को हासिल करने हेतु अंतर्वाह (इनफ्लो) अथवा भारतीय कंपनियां में विदेशी साझा बढ़ाने को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में वर्गीकृत तो किया जाता है, किंतु वे भौतिक आस्तियों के और अधिक सृजन में कोई योगदान नहीं देते हैं। तथापि, बड़े पैमाने पर ऐसे अंतर्वाह (इनफ्लो)निवेश के लिए

उपलब्धविदेशी संसाधनों को निश्चित रूप से बढ़ाते हैं, जो तब अत्यधिक उत्पादनकारी साबित होंगे जब मैक्रो स्तर पर उसे साथ-साथ आत्मसात करने की क्षमता हो। इसी प्रकार, विदेशी संस्थागत निवेशकों को भी सामान्यतया दीर्घकालीन निवेशक माना जाता है जिनमें प्रबंधकीय नियंत्रण नाममात्र का होता है या फिर इसमें उनकी कोई रुचि नहीं होती है।किंतु, भारत में विदेशी संस्थागत निवेश श्रेणी के अंतर्गत किए गए निवेश में सहभागिता नोट तथा उप-खातों के माध्यम से पोर्टफोलियो प्रवाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूंजी प्रवाह, विशेष रूप से संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रवाह, जो अस्थिर स्वरूप के होते हैं, अपनी दिशाएं आसानी से उलट सकते हैं और तब ऐसे पूंजी प्रवाहों के संबंध में 'मूल स्थिति के नियम' को दुबारा लागू कर पाना कठिन होता है। इस पृष्ठभूमि में बढ़ते हुए व्यापार एकीकरण जगत में माइक्रो नियंत्रण के बढ़ती व्यर्थता को ध्यान में रखते हुए मध्यावधि में पूर्ण पूंजी खाता उदारीकरण की प्रक्रिया क्रमिक रूप से अपनाई जाएगी।इस प्रकार, वास्तविक क्षेत्र, राजकोषीय क्षेत्र की प्रगति तथा अभिशासन सहित संस्थागत विकास के साथ निकटतम सामंजस्य स्थापित करते हुए व्यापार, वित्तीय और पूंजी खाता उदारीकरण साथ-साथ किंतु सुसंगत और सुव्यवस्थित तरीके से चलते हैं।

II.72 वित्तीय बाज़ार और मौद्रिक नीति सेटिंग दोनों के साथ जुड़े परिवर्तन को देखते हुए भारत इन घटनाओं से बचकर नहीं रह सकता।तदनुसार, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और कार्पोरेटस के लिए जरूरी है कि वे सतर्क रहें और उपयुक्त जोखिम निवारण रणनीतियों से सुसज्जित रहें ताकि पहले से भी अधिक अस्थिरता की स्थिति का सामना कर सकें।इस संदर्भ में उनसे आग्रह है कि विभिन्न प्रकार के एक्सपोजर पर निगरानी रखें और अपने तुलनपत्रों की रक्षा के लिए उनको हेज (प्रतिरक्षा) करें।रिज़र्व बैंक ने पिछले वर्षों में बाज़ार सहभागियों के पास उपलब्ध हेजिंग उपकरणों का दायरा बढ़ा दिया है और सक्रिय हेजिंग को सहजता प्रदान की है।

वित्तीय क्षेत्र

II.73 एक सुदृढ़ और संतुलित वित्तीय क्षेत्र बचत करने वालों और निवेशकों के बीच संसाधनों के कुशल आबंटन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और इस प्रकार विकास प्रक्रिया में योगदान देता है। यह मौद्रिक नीति के आवेग को पूरी अर्थव्यवस्था में संचारित करनेमें मदद करता है।तदनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा 1990 दशक के प्रारंभ से एक सुदृढ़, कुशल और विविधतापूर्ण वित्तीय प्रणाली[2] विकसित करने का लक्ष्य रहा है। वर्ष 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक विनियामक और पर्यवेक्षीय पहल को बढ़िया तरीके से संतुलित रख सका है। आस्तियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रावधान की अपेक्षाओं तथा जोखिम भारों को बढ़ाते हुए विवेकपूर्ण उपायों को अधिक सख्त किया गया है।विभिन्न विवेकपूर्ण और पर्यवेक्षीय उपायों का ज़ोर वित्तीय प्रणाली को छूट प्रदान करते हुए वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करना था। घरेलू बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ तथा बैंकिंग क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने की दृष्टि से वाणिज्य बैंक मार्च 2008 से चरणबद्ध रूप में बासेल II मानदण्डों को अपनाएंगे। हालांकि बासेल II का कार्यान्वयन बैंकों तथा विनियामकों दोनों के समक्ष बड़ी चुनौती है, वहीं बैंकों को इससे दो बडे अवसर प्राप्त होंगे अर्थात जोखिम

[2] आर्थिक विकास में वित्तीय बाज़ारों की भूमिका के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की *मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट 2005-06* देखें। रिपोर्ट में ''वित्तीय बाज़ारों का विकास ओर केंद्रीय बैंक की भूमिका'' विषय के साथ यह मानते हुए कि भारत एक उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्था है तथा अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए अब तक प्राप्त भारत के अपने अनुभवों के आलोक में भारत में वित्तीय बाज़ारों को अधिक विकसित, कुशल और एकीकृत करने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण दिए गए हैं। वित्तीय बाज़ार के विकास की गति को इस प्रकार से संचालित किया जाए कि उसके लिए यह सर्वाधिक रूप से अनिवार्य हो कि वृद्धि दर को सहज बनाने के साथ-साथ समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को कायम रखे और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को अपनाए।

प्रबंधन प्रणाली का परिष्करण होगा तथा पूंजी क्षमता में सुधार होगा।

II.74 रिज़र्व बैंक, देश के विकास के मौजूदा स्तर को ध्यान में रखते हुएवित्तीय प्रणाली को गहन तथा उसकी पहुंच को व्यापक बनाने की दिशा में अपने प्रयासों के प्रति कृतसंकल्प रहेगा।पूरे देश में उद्यमिता के विस्फोट को पोषित एवं वित्तपोषित करना ज़रुरी है। भारत में बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋणों तथा अग्रिमों पर लगाई जा रही ब्याज दरों में उल्लेखनीय अंतर है। बैंकों के लिए जरुरी है कि वे जोखिम मूल्यांकन तथा जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में समन्वय रखें ताकि अपने ऋणों का उचित मूल्य निर्धारण कर सकें।इस संदर्भ में, ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना से बैंकों की लेनदेन तथा सूचना लागतों को कम करने में मदद मिलेगी और वह व्यक्ति तथा छोटे कारोबारों दोनों के ऋण संबंधी पूर्ववृत्त उपलब्ध करवाएगा। एसएलआर सिक्यूरिटिज़ में बैंकों के निवेश में जहाँ पिछले वर्ष कमी आई वहीं 2006-07 में इसमें वृद्धि देखी गई, परंतु निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के अनुपात के रूप में बैंकों का इस प्रकार का निवेश 2006-07 में और कम हो गया।परिणामतः बैंकों के सरकारी प्रतिभूतियों के संविभाग अब तकरीबन निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही हैं। अतः ऋण की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बैंकों की अपनी जमाराशियों के आधार को बढ़ाना पड़ेगा। विशेष रूप से, बैंकों को अधिक से अधिक वित्तीय रूप से वंचित लोगों को अपनी परिधी में लाना होगा। इससे न केवल कम आय के परिवारों की मदद हो सकेगी, बल्कि वित्तीय गहनता सुदृढ़ होगी और बैंकों के ऋण को विस्तार देने हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध होगा तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल की जा सकेगी।

मौद्रिक नीति

II.75 भारत में मौद्रिक नीति के संचालन का उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम रखना तथा समग्र आर्थिक विकास प्राप्त करने हेतु अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र को पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हालांकि, अपेक्षाकृत रूप से मूल्य-स्थिरता और विकास दर दोनों पर जोर दिया जाना निहित समष्टि आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है। मुद्रास्फीति के प्रारंभिक दबाव को देखते हुए मौद्रिक नीति का रुझान मूल्य-स्थिरता तथा विकास दर (अक्तूबर 2004/अप्रैल 2005) पर समान रूप से ज़ोर दिए जाने से हटकर तत्काल मौद्रिक उपाय के रूप में मूल्य-स्थिरता कायम रखने पर हो गया था तथा उत्पन्न परिस्थितियों (जनवरी 2007) के प्रति प्रतिक्रियास्वरूप तुरंत सभी संभव उपाय करने की ओर बढ़ा। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने के लिए मध्य 2004 से एहतियाती उपाय करने शुरू कर दिए थे। हाल की अवधि में मौद्रिक नीति के समक्ष चुनौती यह थी कि मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित रखते हुए उच्च विकास-पथ की ओर ट्रांजिशन को कैसे मैनेज किया जाए ताकि संभाव्य उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों मजबूती से बने रहें और विकास को मदद करें। आपूर्ति तथा राजकोषीय उपायों से समर्थित मौद्रिक उपायों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और वृद्धि दर की गति को बनाए रखने के साथ-साथ मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर लगाम कसने में सहायता की है।

II.76 मुद्रास्फीति पर रिज़र्व बैंक की स्वतः निर्धारित 5.0 प्रतिशत की मध्यावधि उच्चतम सीमा का मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर हितकारी प्रभाव पड़ा है और सामाजिक रूप से सहनयोग्य मुद्रास्फीति दर नीचे आ गई है।विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारत के उभरते एकीकरण तथा इस संबंध में सामाजिक तरजीह के मद्देनज़र संकल्प यह होगा कि 4.0 - 4.5 प्रतिशत के बीच मुद्रास्फीति प्रत्याशा को कैसे बनाए रखा जाए। भारत का विश्व के साथ सहज एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति को लगभग 3 प्रतिशत तक रखने की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए इससे मध्यावधि में स्वतः स्फूर्त वृद्धि बनाए रखने में मदद मिलेगी।

II.77 हाल के वर्षों में मौद्रिक नीति का संचालन अनेक कारणों से अधिक जटिल हो गया है। वैश्वीकरण ने निहित समष्टि आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों को पढ़ पाने में इसकी गति में काफी अस्पष्टता पैदा कर दी है, वित्तीय मूल्यों से प्राप्त होने वाले संकेतों को दुरुह बना दिया है और मौद्रिक प्राधिकारी द्वारा वास्तविक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आकलन को प्रभावित कर दिया है। फलस्वरूप, स्थिर विनिमय दर, खुला पूंजी खाता और मौद्रिक नीति में विवेकाधिकार इन तीन असंभव सी तिकड़ी (ट्रिनिटी) से पेश आनापहले से कहीं अधिक मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, पूरे विश्व में मौद्रिक प्राधिकारियों द्वारा मुद्रास्फीति, विशेष रूप से मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का पता लगाने और इनको मापने, के संबंध में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं। भारत में भी मौद्रिक नीति परिचालन को अर्थव्यवस्था में नीतिगत संकेत भेजने में कतिपय अनिश्चितताओं की बाध्यता का सामना करना पड़ रहा है। पहली, ब्याज दरों की कुछ श्रेणियां अभी भी नियंत्रित हैं, जिसकी वजह से ब्याज दर संरचना पर मौद्रिक नीति का प्रभाव समाप्त हो जाता है। दूसरी, सार्वजनिक नीति व्यवस्था द्वारा पूंजी प्रवाह के कतिपय तत्वों को प्रदान प्रोत्साहन ने बाह्य क्षेत्र प्रबंधन को जटिल बना दिया है। अतः, घरेलू अर्थव्यवस्था में चुनिंदा क्षेत्रों को पूंजी प्रवाह की मात्रा और उनकी दिशा ने विश्व स्तर पर और घरेलू वातावरण में अनिश्चितता पैदा कर दी है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि वे आर्थिक आधारों या मौद्रिक नीति की सेंटिंग से संबंधित हों। तीसरी, मौद्रिक नीति के परिचालन को मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र के स्वामित्व वाली बैंकिंग प्रणाली के अनुसार तय किया जाता है जो न केवल मौद्रिक नीति संकेतकों को संचारित करने में बल्कि अन्य सरकारी नीतियों के संबंध में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

II.78 भारत में मौद्रिक नीति को अन्य क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बोझ का भी सामना करना पड़ रहा है। पहली, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार राजकोषीय असंतुलन काफी अधिक बने हुए हैं और उन्हें ऐसे तरीके से नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है जिससे उलट-फेर न हो। किंतु, हाल में राज्य की राजकोषीय स्थिति में हुए स्वागतयोग्य सुधार तथा केंद्र सरकार के वित्त में महत्वपूर्ण समेकन से उक्त के कारण मौद्रिक नीति पर पड़ने वाला दबाव समाप्त हो गया है। दूसरी, विदेशी मुद्रा अंतर्वाह सुदृढ़ बने रहना मौद्रिक नीति के संचालन को जटिल बनाती है। जब मांग का दबाव बढ़ रहा हो, ब्याज दरों में वृद्धि कुछ इस प्रकार से की जानी चाहिए कि वह वृद्धि दर को बनाए रखे और स्फीतिकारी स्थिति भी पैदा न हो। किंतु, ऊंची ब्याज दरें पूंजी अंतर्वाह के और अधिक होने की संभावना बढ़ाती हैं तथा मौद्रिक नीति की कठोरता के प्रभाव को काफी हद तक कम कर देती हैं। तीसरी, भारत में जनसंख्या के बड़े भाग की जीविका इतनी अपर्याप्त है कि वे तीव्र वित्तीय उतार-चढ़ाव के सामने नहीं टिक सकते और जो वास्तविक उत्पादकता को प्रभावित करता है। तदनुसार, मौद्रिक नीति को अर्थव्यवस्था के इस खंड पर भी वित्तीय बाज़ारों के उतार-चढ़ाव का ध्यान रखना होता है, जो प्रायः पूंजीप्रवाह के अचानक बदलाव से जुड़े होते हैं।

II.79 चौथी, घरेलू तौर पर सकल आपूर्ति में लोच की सीमा मौद्रिक नीति पर अतिरिक्त दबाव डालती है। जहां खुले व्यापार ने अनेक अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति क्षमता को बढ़ा दिया है, वहीं ऐसा प्रतीत होता है कि इसका आपूर्ति - लोच पर कोई खास अल्पकालिक अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों पर लगातार आपूर्ति आघात, जिसके प्रति प्रमुख महंगाई (हेडलाइन इनफ्लेशन) दर संवेदनशील है, मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर स्थायी प्रभाव डाल सकती है। आपूर्ति में भी दीर्घकालिक संरचनागत अवरोधों, समयोचित, विश्वसनीय और निरुपित समाधान (डिमॉन्स्ट्रेटेड रिसॉल्यूशन) के अपर्याप्त आश्वासन के बीच मौद्रिक नीति को समुचित रिस्पॉन्स देना होता

है। वस्तुतः दबाव और दुविधा, संरचनागत आपूर्ति समस्या के कारण तब और बढ़ जाती है जब इसका लगातार प्रभाव मुद्रास्फीति पर बना रहता है। वृद्धि की गति को मंद किए बिना मुद्रास्फीति को कम और स्थिर बनाए रखते हुए संरचनागत परिवर्तन को नियंत्रित करना मौद्रिक नीति के लिए आने वाले समय में सबसे मुख्य चुनौती होगी।

II.80 निष्कर्ष रूप में, वर्तमान विकास प्रक्रिया में कुछ चक्रीय तत्व के प्रमाण मिले हैं, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनागत परिवर्तन भी हुए हैं। इस बात के काफी प्रमाण मिल रहे हैं कि यदि हम मूल्य के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता पर गहन और तर्कसंगत निगरानी रखें तो अर्थव्यवस्था विकास पथ में अगली उड़ान भरने को तैयार है।

भाग दो : भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्य प्रणाली और उसके परिचालन

III मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी परिचालन

III.1 लगातार स्फीतिकारक दबावों और बड़े पूंजीगत अंतर्वाहों के कारण 2006-07 में मौद्रिक नीति के संचालन में कई चुनौतियां सामने आईं। प्रमुख चुनौती थी - स्फीतिकारक दबावों को नियंत्रण में रखते हुए उच्चतर वृद्धि की ओर अग्रसर होना ताकि वृद्धि बनाए रखने के लिए संभवतः उत्पाद और उत्पादकता मजबूती से बने रहें। वर्ष के दौरान प्राथमिक वस्तुओं के आपूर्ति संबंधी आघातों से मजबूत वृद्धि, वृद्धिशील क्षमता उपयोग, मौद्रिक तथा ऋण सामग्री में लगातार वृद्धि तथा बढ़े हुए आस्ति मूल्यों में मुद्रास्फीती संबंधी दबाव और बढ़ गए। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में संभावित ओवरहीटिंग का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था, फिर भी रिज़र्व बैंक ने ओवरहीटिंग के प्रारंभिक संकेतों के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। इस पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति और स्फीतिकारक प्रत्याशाओं पर नियंत्रण रखने के लिए निवारक उपाय जारी रखे। बैंक ऋण में लगातार उच्च वृद्धि, विशेषकर कुछ खास क्षेत्रों में, का मुकाबला करने के लिए मौद्रिक उपायों को विवेकपूर्ण उपायों से समर्थन मिला। वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में किए गए विधायी संशोधनों से रिज़र्व बैंक को भविष्य में मौद्रिक प्रबंधन के संचालन में और अधिक लोचनीयता मिलेगी।

III.2 रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों, विशेषकर कृषि तथा लघु उद्योग क्षेत्र को, पर्याप्त ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अपने नीतिगत प्रयास जारी रखे। इस पहल का उद्देश्य था - कार्यविधि संबंधी रुकावटों के बिना उचित दरों पर छोटे उधारकर्ताओं को पर्याप्त तथा समय पर वित्त उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के लिए अनुकूल परिवेश बनाना ताकि समाज के निर्धन वर्गों का अधिकतम वित्तीय समावेशन किया जा सके।

III.3 मुद्रास्फीति दबावों, बड़े पूंजीगत अंतर्वाहों तथा सरकारी नकद शेषों के कारण मौद्रिक नीति और चलनिधि प्रबंधन के संचालन में प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2006-07 के दौरान थोक और खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति दोनों में ही वृद्धि हुई; लेकिन थोक मूल्यों की तुलना में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में वृद्धि काफी अधिक थी जो उच्चतर खाद्य मूल्यों के प्रभाव तथा उपभोक्ता मूल्य स्फीति उपायों में इन मदों के उच्चतर भार को दिखलाती है। पूंजीगत अंतर्वाहों के स्थायी स्वरूप ने मौद्रिक नीति तथा चलनिधि प्रबंधन के संचालन को और अधिक जटिल बना दिया क्योंकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए उच्चतर ब्याज दरों से और अधिक पूंजीगत प्रवाहों की आशंका थी जिससे मौद्रिक सख्ती की प्रभावकारिता कम होती। नीतिगत दरों और आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि की गई जबकि अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दरें कम की गईं। तुलनात्मक रूप से उच्चतर ऋण वृद्धि वाले क्षेत्रों में प्रावधान आवश्यकताओं को सख्त बनाकर विवेकपूर्ण उपाय भी किए गए ताकि आस्ति गुणवत्ता और वित्तीय स्थिरता बनायी रखी जा सके।

III.4 मौद्रिक तथा विवेकपूर्ण उपायों के साथ-साथ, ऋण वितरण में सुधार लाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के प्रयास भी किए गए। रिज़र्व बैंक ने छोटे उधारकर्ताओं के लिए ऋण वितरण प्रक्रिया में सुधार लाने के अपने प्रयास जारी रखे ताकि समाज के निर्धन वर्गों को ऋण वितरण के औपचारिक चैनलों में लाया जा सके। आधार को व्यापक बनाने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के संबंध में दिशा-निर्देश संशोधित किए गए। वित्तीय समावेशन को शीघ्र बढ़ावा देने के लिए बैंकों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहल करने के लिए कहा गया और अधिक वित्तीय समावेशन के संबंध में एक प्रायोगिक परियोजना के भाग के रूप में, पांडीचेरी संघ शासित प्रदेश में तथा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा पंजाब के 24 जिलों में शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त कर लिया गया। विभिन्न नीतिगत पहलों के प्रभाव को दिखलाते हुए, बैंकों ने विशेष कृषि ऋण योजनाओं तथा तीन वर्ष में कृषि ऋण को दुगना करने की योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त किए।

मौद्रिक नीति परिचालन

III.5 वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया था कि 2006-07 के दौरान मौद्रिक नीति का रु झान वैश्विक परिदृश्य सहित स्थूल आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर करेगा। बढ़ते बैंक ऋण में निहित समग्र मांग, उच्च आस्ति मूल्यों और मौद्रिक समग्रों में प्रवृत्ति से अधिक वृद्धि तथा पहले की तुलना में और अधिक स्थूल आर्थिक असंतुलनों और उच्चतर तेल मूल्यों के परिवेश में मध्यावधि में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना स्थिरीकरण नीतियों के संचालन के लिए एक चुनौती थी। इस संदर्भ में, वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया गया था कि उत्पाद की वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए पर्याप्त कारण हैं। लेकिन, निम्न तथा स्थिर मुद्रास्फीति से कुल मिलाकर स्थिरता के परिवेश में लगातार आधार पर उच्चतर वृद्धि बनाए रखना संभव होगा। इसके अतिरिक्त, सभी संबंधित पक्षों द्वारा एक मजबूत तथा सामूहिक प्रतिक्रिया के अभाव में, उच्च ऋण वृद्धि की दर तथा आस्ति मूल्यों में वृद्धि से समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया।

III.6 हालांकि देशी स्थूल आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों ने भारत में स्थिरता सहित लगातार वृद्धि की गति को सहायता दी, लेकिन देशी तथा वैश्विक कारणों से वृद्धि तथा स्थिरता दोनों को ही खतरा था और वैश्विक कारणों के प्रति जोखिम ज्यादा थे। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल मूल्य ने और अधिक वृद्धि के प्रतिकूल परिणाम तथा/या वैश्विक असंतुलनों के व्यावधानकारी प्रभाव भारत सहित सभी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़े। मौद्रिक नीति के सामान्य रूप से सख्त होने की स्थिति में, भारत भी अछूता नहीं रह सकता था। पहले की तरह, देशी कारणों की महत्ता को ध्यान में रखना आवश्यक था लेकिन नीति के रुझान को बनाते वक्त वैश्विक कारणों को और अधिक महत्व देना भी आवश्यक हो गया था।

III.7 सामान्य मानसून, सकारात्मक औद्योगिक संभावना तथा सेवा क्षेत्र वृद्धि में लगातार गति होने पर, नीतिगत प्रयोजनों के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि, देशी या बाह्य आघातों की स्थिति को छोड़कर, 2006-07 में 7.5-8.0 प्रतिशत के बीच में रखी गयी। देशी मूल्यों पर वास्तविक, मौद्रिक तथा वैश्विक घटकों को ध्यान में रखते हुए यह आभास था कि स्फीतिकारक प्रत्याशाओं पर नियंत्रण रखना मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक चुनौती बना रहेगा। नीतिगत प्रयास था कि 2006-07 में दर-वर्ष-दर स्फीति दर 5.0-5.5 प्रतिशत के बीच रहे। मौद्रिक नीति निर्माण के प्रयोजन के लिए, 2006-07 के लिए संभावित जीडीपी वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के अनुरूप एम$_3$ में विस्तार लगभग 15.0 प्रतिशत था। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों तथा निजी कंपनी क्षेत्र तथा वाणिज्यिक पत्र के बांडों/डिबेंचरों/शेयरों में

निवेश सहित खाद्येतर बैंक ऋण में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा थी जो कि मार्च 2006 के अंत में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की स्थिति से कम वृद्धि दिखलाता है।

रिज़र्व बैंक ने निरंतर मजबूत ऋण वृद्धि के संदर्भ में और आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से कुछ विवेक सम्मत उपाय किए।

बैंक दर

III.8 बैंक दर मौद्रिक नीति के मध्यावधि रुझान की ओर संकेत करती है। मुद्रास्फीति की संभावना सहित अर्थव्यवस्था के निर्धारण को ध्यान में रखते हुए बैंक दर को 6.0 प्रतिशत के वर्तमान स्तर पर ही रखा गया; पिछली बार इस दर को अप्रैल 2003 में संशोधित किया गया था।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात

III.9 जैसा कि पहले बताया गया है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 2006-07 के दौरान दिसंबर 2006 - फरवरी 2007 के दौरान 25-25 आधार अंकों के चार बराबर चरणों में संचयी रूप से 100 आधार अंक बढ़ाया गया था। 2007-08 के दौरान अब तक 100 आधार अंक और बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत किया गया।

III.10 जून 2006 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 को संशोधित किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 रिज़र्व बैंक को यह विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है कि वह बिना किसी उच्चतम सीमा अथवा निम्नतम सीमा के, अनुसूचित बैंकों द्वारा सीआरआर के रूप में रखे जाने योग्य उनकी मांग और मीयादी देयताओं का प्रतिशत निर्धारित कर सके। इस संशोधन के परिणामस्वरूप अब रिज़र्व बैंक को सीआरआर शेष राशियों पर ब्याज भुगतान करने की भी आवश्यकता नहीं है।

सांविधिक चलनिधि अनुपात

III.11 2006-07 के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बैंक की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है। उक्त अनुपात पिछली बार नवंबर 1997 में संशोधित किया गया था। सरकारी प्रतिभूतियों में, वाणिज्य बैंकों के एनडीटीएल के प्रति अनुपात के रूप में उनकी धारिता का घटना वर्ष के दौरान जारी रहा। वे मार्च 2006 अंत के 31.3 प्रतिशत से घटकर मार्च 2007 अंत में 28.0 प्रतिशत रह गई जो 25 प्रतिशत की निर्धारित अपेक्षा के करीब थी।

III.12 दिनांक 23 जनवरी 2007 को बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2007 लागू होने क परिणामस्वरूप बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 को संशोधित किया गया था जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किये जाने वाले सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए 25 प्रतिशत की निम्नतम दर को समाप्त कर दिया गया था और उसे एसएलआर-पात्र परिसंपत्तियां निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इस प्रकार उसे अपने मौद्रिक प्रबंध परिचालनों में और अधिक लचीलापन प्रदान किया गया।

नकदी प्रबंध

III.13 वर्ष 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक ने नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) बाजार स्थिरीकरण योजना (एम एस एस) तथा प्रारक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) जैसे सभी उपलब्ध नीतिगत साधनों का गुंजाइशपूर्ण उपयोग करते हुए सक्रिय नकदी प्रबंध संबंधी अपनी नीति जारी रखी। वर्ष पर्यंत जारी नकदी प्रबंध इस बात पर केंद्रित रहे कि अर्थव्यवस्था में नकदी की उपलब्धता बरकरार रहे ताकि मूल्य और वित्तीय स्थिरता के प्रयोजन से ऋण संबंधी सभी वैधानिक अपेक्षाएं, खास तौर पर उत्पादक प्रयोजनों हेतु, पूरी की जा सकें।निरंतर ऋण-उठाव, मुद्रा की मांग में मौसमी घट-बढ़, पूंजी के अंतः प्रवाह और तिमाही टैक्स संग्रह

जैसे तथ्यों से 2006-07 के दौरान नकदी स्थिति लगातार प्रभावित होती रही। 2006-07 के दौरान रिवर्स रिपो दर 5.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.00 प्रतिशत की गई जबकि रिपो दर 6.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत की गई। दैनिक रिवर्स रिपो अवशोषण 5 मार्च 2007 से अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए तक सीमित रखे गए। विद्यमान समष्टिगत अर्थव्यवस्था और समग्र मौद्रिक एवं नकदी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 2007-08 की मौद्रिक नीति के वार्षिक वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा में एलएएफ के अंतर्गत दैनिक रिवर्स-रिपो पर लागू 3,000 करोड़ रुपये की शीर्ष सीमा तथा द्वितीय एलएएफ को 6 अगस्त 2007 से वापस ले लिया गया।

ब्याज दर नीति

III.14 2006-07 के दौरान, एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दर सीमा अप्रैल 2006 में 25 आधार बिंदु बढ़ी किंतु जनवरी 2007 में 50 आधार बिंदु कम हो गई । जनवरी 2007 में एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दर सीमा 25 आधार बिंदु कम हो गई। एनआरई जमाराशियों और एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दर सीमा अप्रैल 2007 में 50 आधार बिंदु कम हो गई।

III.15 विदेशी मुद्रा में प्रदत्त निर्यात ऋण की शीर्ष व्याज दर 18 अप्रैल 2006 से लिबॉर (LIBOR) पर 25 आधार बिंदु बढ़ाते हुए कुल 100 आधार बिंदु तक बढ़ा दी गई है ।

2007-08 के लिए वार्षिक नीतिगत वक्तव्य

III.16 वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह बात भी देखी गयी कि 2007-08 के दौरान मौद्रिक नीति का रूख उन प्रवृत्तियों से प्रभावित होगा जो अंतर्राष्ट्रीय और खास तौर पर, घरेलू परिवेश में मुखरित हों। समष्टिगत अर्थव्यवस्था और वित्तीय परिस्थितियों से यह आभास मिला है कि देश की विकास दर में फिलहाल जो तीव्रता आयी है उसे बरकरार रखने का परिवेश मिलता रहेगा। वक्तव्य में इस बात को दोहराया गया कि विकास के लिए अंशदायी मौद्रिक नीति के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण और वित्तीय स्थिरता, दोनों का निर्वाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तदनुसार, भविष्य के लिए नीतिगत प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए मूल्यों में स्थिरता और प्रत्याशित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया।

ऋण सुपुर्दगी

III.17 प्रभावी ऋण सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए हाल की अवधि में रिज़र्व बैंक का बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत तथा अधिकार संपन्न करने, सहकारिता में सुधार करने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का दायरा बढ़ाने, विवेकसम्मत मानदंडों में संशोधन करने और कृषि ऋण संबंधी प्रक्रिया सरल बनाने पर रहा है। 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक ने छोटे ऋणकर्ताओं के लिए ऋण सुपुर्दगी ज्यादा सुलभ बनाने के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखी ताकि समाज के ज्यादा गरीब वर्गों को शामिल करते हुए वित्तीय समावेशन के दायरे में अधिकाधिक वृद्धि हो सके। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देय ऋणों के संबंध में गठित आंतरिक कार्यदल (अध्यक्षः श्री सी.एस.मूर्ति) की अनुशंसाओं और उन पर प्राप्त प्रति-सूचना के आधार पर प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों से संबंधित दिशा-निर्देश संशोधित किए गए । 30 अप्रैल 2007 से प्रभावी संशोधित दिशा-निर्देशों में जनसंख्या के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले क्षेत्र, कमज़ोर वर्ग और ज्यादा रोजगार-प्रणित क्षेत्र जैसे कृषि, छोटे उद्यम और छोटे ऋणकर्ताओं का समावेश जारी रखा गया है। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल अग्रिमों की व्यापक श्रेणियों में 20 लाख रुपए तक के कृषि, छोटे उद्यम, व्यष्टि (माइक्रो) ऋण, फुटकर व्यापार, शिक्षा ऋण और आवास ऋण प्रमुख हैं।

III.18 जन-सामान्य को सरल-सहज और दक्ष बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। 'वित्तीय समावेशन', के तहत की गई कार्रवाई में आम आदमी की बैंकिंग और वित्तीय

आवश्यकताओं के बारे में बैंकों में जागृति लाना और बुनियादी बैंकिंग सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे उपाय शामिल हैं।सामान्य जनता तथा बैंकों के विद्यमान ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध/बैंकों द्वारा प्रदत्त विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने वित्तीय शिक्षा की प्रक्रिया शुरू की है। रिज़र्व बैंक द्वारा गठित दो कार्यदलों की सिफारिशों के प्रकाश में राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंकों को मई 2007 में सूचित किया गया था कि वे प्रायोगिक आधार पर अपने अधिकार क्षेत्र में किसी एक जिले में वित्तीय साक्षरता-सह परामर्श केंद्र स्थापित करें।

III.19 सबसे ज्यादा ज़रूरतमंद व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के लिए रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के प्रयोजन से एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस उद्देश्य हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया गया है कि वे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित अल्पसंख्यक बहुलता वाले 121 जिलों की सूची पर ध्यान दें जिसके साथ एससी/एसटी और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के अलावा उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े भी भेजे गए थे।

अभावग्रस्त किसानों के लिए राहत के उपाय

III.20 प्रोफेसर एस.एस.जोल की अध्यक्षता में गठित दल की रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तथा अभावग्रस्त किसानों की सहायता के प्रयोजन से बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए ऐसे किसानों के लिए एकमुश्त निपटारे की पारदर्शी नीतियां तय करें। उक्त दल की अन्य सिफारिशों का परीक्षण किया जा रहा है।

III.21 वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि 2005-06 की खरीफ और रबी फसलों के दौरान प्रदत्त प्रत्येक फसल ऋण के मामले में 1 लाख रुपये तक के मूलधन पर ब्याज में दो प्रतिशत बिंदु की राहत दी जाए। राहत की राशि 31 मार्च 2006 के पहले ऋणकर्ता के खाते में जमा कर दी जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि लघु अवधि फसल ऋणों के लिए ब्याज दर में 2 प्रतिशत राहत की योजना 2007-08 में भी जारी रहेगी।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार

III.22 देशी बैंकों और विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने निवल बैंक ऋण का क्रमशः 40 प्रतिशत और 32 प्रतिशत ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उपलब्ध कराएं। मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र के बैंक 40 प्रतिशत के लक्ष्य से 0.4 प्रतिशत अंक से पीछे थे वहीं निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों, एक समूह के रूप में, ने ऋण प्रदान करने संबंधी समग्र लक्ष्य प्राप्त किया। उसी दिनांक को सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में से छहः, निजी क्षेत्र के 26 बैंकों में से चार और 29 विदेशी बैंकों में से पांच प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए।

कृषि क्षेत्र को ऋण

III.23 कृषि क्षेत्र को दिए जानेवाले ऋण के प्रवाह में सुधार लाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 1994-95 में सूचित किया था कि वे विशेष कृषि ऋण योजनाएं (एसएसीपी) तैयार करें। वर्ष 2005-06 में उक्त विशेष कृषि ऋण योजना क्रियाविधि को निजी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू किया गया था। वर्ष 2005-06 के दौरान विशेष कृषि ऋण योजना के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को दिए गए संवितरणों में 44.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि लक्ष्य से लगभग 11 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2005-06 के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए जानेवाले संवितरण भी लक्ष्य से लगभग 29 प्रतिशत अधिक हो गए थे । 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा योजना के

तहत कृषि को किया गया संवितरण 1,22,215 करोड़ रुपए (अनंतिम) था जबकि लक्ष्य1,18,160 करोड़ रुपए का था।

III.24 वर्ष 2006-07 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कुल 26,215 करोड़ रुपयों की सीमा तक 4.8 मिलियन किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। योजना के आरंभ से अब तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 26.6 मिलियन किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं जिनमें 94,712 करोड़ रुपए की सीमाएं शामिल हैं।

III.25 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य/उप-लक्ष्य पूरा न करनेवाले विदेशी बैंकों को कमी की राशि की सीमा तक सिडबी के पास गठित किए जानेवाले लघु उद्यमी विकास निधि (एसईडीएफ) में या रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जानेवाले ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए योगदान करना होगा।

व्यष्टि वित्त

III.26 व्यष्टि वित्त की सुपुर्दगी के विभिन्न मॉडलों में सें एसएचजी-बैंक संबद्धता कार्यक्रम देश में प्रमुख व्यष्टि-वित्त कार्यक्रम के रूप में उभरकर आया। मार्च 2007 के अंत में, 2.9 मिलियन एसएचजी बैंकों से संबद्ध हो गए थे जिनमें 18,040 करोड़ रुपयों का कुल ऋण प्रवाह शामिल था।

महिलाओं को ऋण

III.27 सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षित हे कि वे अपने निवल बैंक ऋण के कम से कम 5 प्रतिशत तक महिलाओं को ऋण प्रदान करें। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा महिलाओं के दिए गए ऋण की मात्रा मार्च 2007 के अंत में समग्र निवल बैंक ऋण का 4.95 प्रतिशत थी इसमें से सरकारी क्षेत्र के 21 बैंकों ने लक्ष्य पूरा किया। सरकारी क्षेत्र के आठ बैंकों ने 15 विशेषीकृत महिला शाखाएं खोली।

लघु और मझौले उद्यमों को ऋण

III.28 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योग को दिया गया कुल ऋण मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को1,04,703 करोड़ रुपए था जो उनके निवल बैंक ऋण का 8.0 प्रतिशत और उनके प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के दिए जानेवाले ऋण अग्रिमों का 20.1 प्रतिशत था। कुटीर उद्योगों, काश्तकारों तथा अत्यंत छोटे उद्योगों को दिए गए ऋण की राशि 44,311 करोड़ रुपए थी जो लघु उद्योग क्षेत्र को दिए जानेवाले अग्रिमों का 42.3 प्रतिशत थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षित है कि वे लघु उद्योग यूनिटों के क्लस्टरयुक्त प्रत्येक जिले में और केंद्र पर कम से कम एक विशेषीकृत लघु उद्योग शाखा खोलें। मार्च 2007 के अंत में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 636 विशेषीकृत लघु उद्योग बैंक शाखाएं परिचालन में लायी गईं।

III.29 व्यष्टि, लघु और मझौले उद्यमी विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 अक्तूबर 2, 2006 से प्रभावी हुआ। अधिनियम में उद्यमों को मोटे तौर पर (i) वस्तुओं के निर्माण/उत्पादन और (ii) सेवाएं उपलब्ध/प्रदान कराना इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है।

IV वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन

IV.1 वर्ष 2006-07 के दौरान वित्तीय बाजारों के संस्थागत ढांचे को लिखतों और अच्छे मूल्य की खोज में सुधार लाने की प्रक्रियाओं के रूप में और सुदृढ़ बनाया गया वहीं, बाजार सहभागियों को अपने लेनदेन करने में अधिकाधिक लोच प्रदान की गई। मुद्रा बाजार में स्थूल नीतिगत उद्देश्य स्थिरता सुनिश्चित करने, मूल स्तर के जोखिम को न्यूनतम रखने और बाजार के विभिन्न घटकों में संतुलित विकास लाने संबंधी ही रहे। सरकारी प्रतिभूति बाजार में की गई नीतिगत पहले, बाजार की ऐसी एक प्रणाली को सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने की जरूरत से अनुशासित रहीं जिसमें कि रिज़र्व बैंक को केंद्र सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक बाजार में सहभागी होने से प्रतिबंधित किया गया है (1 अप्रैल 2006 से प्रभावी)। आलोच्य वर्ष के दौरान, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 भी संसद में पारित किया गया। विदेशी मुद्रा बाजार में विशेष ध्यान निवासी संस्थाओं के लिए उपलब्ध बाह्य भुगतान प्रणाली को और उदार बनाने तथा सरल बनाने पर केंद्रित रहा जो संपूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता (एफसीएसी) पर गठित समिति की सिफ़ारिशों के अनुसरण में था।

IV.2 मुद्रा बाजार में, मांग/सूचना तथा मीयादी मुद्रा बाजारों में लेनदेन करने के लिए एक स्क्रीन आधारित वार्तातय बोली प्रेरित प्रणाली परिचालन में लाई गई। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के एक कारगर साधन के रूप में एक सुदृढ़ ब्याज दर फ्यूचर्स बाजार की जरूरत को देखते हुए एक कार्यकारी दल गठित किया गया है जो सभी संबंधित विषयों पर चर्चा करेगा और ब्याज दर फ्यूचर्स बाजार के विकास में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से उपाय सुझाएगा। सरकारी प्रतिभूति बाजार में, एनडीएस-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) मंच की सदस्यता को व्यापक बनाकर उसमें बीमा कंपनियां, म्युच्युअल फंड तथा भविष्य निधियां शामिल की गईं। 'जब जारी बाजार जो कि प्रारंभ में, केंद्र सरकार की 'पुनः जारी की जानेवाली प्रतिभूतियों के लिए लागू किया गया था, को विस्तारित कर नई जारी की जानेवाली प्रतिभूतियों के लिए लागू किया गया। केंद्र सरकारी प्रतिभूतियों में शार्ट सेलिंग, जो प्रारंभ में अंतर-दिवसीय आधार पर अनुमत था, को बाद में बढ़ाकर पांच-दिवसीय बना दिया गया। विदेशी मुद्रा बाजार में, अलग-अलग व्यक्तियों के लिए विप्रेषणों की सीमा 25,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1,00,000 अमरीकी डालर कर दी गईं। कारपोरेटों के लिए, विदेशी निवेशों के लिए विप्रेषणों संबंधी सीमाएं और बढ़ा दी गईं ताकि विदेशी अभिग्रहणों में सुविधा हो। पूर्व अदायगियों की सीमाएं बढ़ाकर बाह्य वाणिज्यिक उधारों के दिशानिर्देशों को उदार बनाया गया। बाजार सहभागियों द्वारा वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं और ऑप्शन जैसे विभिन्न हेजिंग लिखतों का प्रयोग करने में प्राप्त अनुभवों तथा चलनिधि और इन साधनों से संबंधित लेखाकरण प्रणाली में हुए सुधारों को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का अध्ययन करने और प्रस्तावों को लागू करने के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क का सुझाव देने के लिए करेंसी फ्यूचर्स पर एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है।

IV.3 मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों पर गठित तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) जिसे जून 2006 में पुनर्गठित किया गया था, वित्तीय बाजारों के विकास और विनियमन से संबंधित विषयों पर रिज़र्व बैंक का मौलिक मार्गदर्शन करती रही। अपने पुनर्गठन के समय से लेकर अब तक तकनीकी परामर्शदात्री समिति की तीन बैठकें हुई हैं।

मुद्रा बाजार

IV.4 मौद्रिक नीति आवेगों को संप्रेषित करने में मुद्रा बाजार प्रमुख लिंक होता है। तदनुसार, हाल के वर्षों में, मुद्रा बाजार के विभिन्न खंडों के कार्यों में सुधार लाने तथा लिखतों और सहभागियों के बीच

निधियों को सुचारू रूप से प्रवाहित करने में तेज़ी लाने की वृद्धि के कई उपाय किए गए। मुद्रा बाज़ार के विकास के लिए अपनाए जानेवाले स्थूल नीतिगत लक्ष्यों द्वारा स्थिरता, मूलभूत जोखिम में कमी लाना सुनिश्चित किया जा रहा है तथा इनसे नए लिखत साधन लागू करते हुए, सहभागी आधार को व्यापक बनाते हुए तथा संस्थागत बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाते हुए संतुलित विकास किया जा रहा है। संपार्श्विकृत खंड के विकास पर दिए गए नीतिगत बल से चलनिधि प्रबंधन के विकल्पों में सुधार हुआ है और साथ ही जोखिम घट गए हैं। संस्थागत तथा तकनीकीगत बुनियादी ढांचे से भी पारदर्शिता बढ़ाने, अच्छी कीमत की खोज प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने एवं बेहतर चलनिधि प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन के भाग उपलब्ध कराने में सहायता मिली है।

IV.5 वार्षिक नीतिगत वक्तव्य (अप्रैल 2006) में की गई घोषणा के अनुसरण में, 18 सितंबर 2006 से मांग/सूचना तथा मीयादी मुद्रा बाजारों (एनडीएस-सीएएलएल) में लेनदनों के लिए एक स्क्रीन आधारित वार्तातय बोली प्रेरित प्रणाली परिचालन में लाई गई। भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल) द्वारा विकसित उक्त प्रणाली से जहां लेनदेन की सहजता बढ़ाने में सहायता मिली है, वहीं अधिकाधिक पारदर्शिता और दक्ष अच्छी कीमत की खोज भी स्थापित हुई है। हालांकि बैंक एनडीएस-सीएएलएल प्रणाली के बाहर भी सौदे करने के लिए मुक्त हैं, फिर भी, एनडीएस-सीएएलएल प्रणाली को अधिकाधिक तरज़ीह दी जाती रही है, जो वर्तमान में मांग मुद्रा बाज़ार की कुल गतिविधियों की लगभग 75 प्रतिशत है।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

IV.6 राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 अप्रैल 1, 2006 से अमल में आया जिसके अनुसार रिज़र्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में सहभागी होने पर पाबंदी लगा दी गयी है। नए परिवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2005-06 में पहले ही लागू किए गए उपायों को बनाए रखने के साथ साथ नए माहौल की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 2006-07 में सरकारी प्रतिभूति बाजार को और गहन तथा व्यापक बनाने की दृष्टि से कई उपाय किए गए। किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं -पांच दिवस आधार पर सरकारी प्रतिभूति की शार्ट सेलिंग की अनुमति देना, 'जब जारी' बाजार लागू करना, प्राथमिक व्यापारी (पीडी) कारोबार के वैविध्यीकरण की अनुमति देना, और एनडीएस-ओएम माड्यूल अर्हताप्राप्त योग्य म्यूच्युअल फंडों, भविष्य निधियों और पेंशन निधियों जैसे नए सहभागियों पर लागू करना।

विदेशी मुद्रा बाज़ार

IV.7 वर्ष 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक ने ग्राहक सेवा को सर्वोच्च तरजीह देने के साथ बाह्य लेनदनों के लिए अधिक प्रेरक वातावरण निर्मित करने के अपने प्रयास जारी रखें। भारत का पूंजी खाता खुला बनाने के प्रति सतर्क दृष्टिकोण तथा पूंजी खाते के उदारीकरण की कतिपय पूर्वापेक्षाओं के संदर्भ में आकस्मिक प्रक्रिया के रूप में लेना उसे अच्छी स्थिति में ला पाया है। पिछले दो दशकों में हुए परिवर्तनों के होते हुए, इस विषय पर पुन: विचार करने तथा वर्तमान वास्तविकताओं के आधार पर संपूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता (एफसीएसी) के प्रति एक रोड-मैप सुझाये जाने की जरूरत महसूस की गई। भारत सरकार के परामर्श से रिज़र्व बैंक ने संपूर्ण खाता परिवर्तनीयता पर एक समिति (अध्यक्ष: श्री एस.एस. तारापोर) नियुक्त की। समिति ने वित्तीय बाज़ारों के विकास के संबंध में कई सिफारिशें की और इसके अलावा मौद्रिक नीति तथा विनिमय दर प्रबंधन के अंतर्व्यवहार; बैंकों के विनियमन/पर्यवेक्षण और पूंजी खाता उदारीकरण के उपायों की टाइमिंग और अनुक्रमिकता से संबंधित विषयों पर उपाय बताए गए। समिति ने, अन्य बातों के साथ साथ, नोट किया कि एफसीएसी अपनाने की दिशा में अग्रसर होनेवाले

देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भौतिक बुनियादी संरचनाओं, कुशलता और सक्षमता स्तरों पर सुविकसित किए जाने के अलावा विभिन्न वित्तीय बाज़ार खंडों के संबंध में समन्वय रखा गया है। यदि विभिन्न बाजार विभाजित रहते हैं तो बाजार के रुख को प्रभावित करने के लिए किए जानेवाले नीतिगत आघात विभिन्न खंडों में संप्रेषित नहीं हो पाएंगे और इस प्रकार, नीतिगत परिणाम अकार्यक्षम रह जाते हैं। साथ ही, खंडीकरण से ब्याज दरों की मीयादी संरचना के विकास में बाधा पहुंचती है जो बदले में मौद्रिक नीति के संप्रेषण में बाधक बन जाती है।

IV.8 संपूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर समिति यह भी सिफारिश करती है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत वर्तमान विनियमों की पुनःजांच करने और वर्तमान में उदारीकरण के मार्ग में प्रचालनगत बाधाओं को दूर करने संबंधी सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए एक आंतरिक कार्य दल का गठन करना चाहिए। तदनुसार आंतरिक कार्य दल गठित किया गया जिसने उन्हें सौंपे गए कार्यों को जनवरी 2007 में पूर्ण किया। कार्य-दल ने विदेशी विनिमय प्रबंधन के अंतर्गत आनेवाले सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 169 मामलों की जांच और सिफारिशें की हैं। 24 अप्रैल 2007 को घोषित वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में कार्यदल की कतिपय सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है।

संभावनाएं

IV.9 ब्याज दरों और विनिमय दर में प्रभावी मूल्य का पता लगाने के लिए रिज़र्व बैंक मुद्रा बाज़ार, सरकारी प्रतिभूति बाज़ार और विदेशी मुद्रा विनिमय बाज़ार को गहन बनाने और विस्तारित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेगा। गहन और तरल बाजार, अधिक मात्रा में बचतों के संचालन को सक्षम बनायेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धिशील निवेश की मांग को पूर्ण करने के लिए इन बचतों का उपयोग करने में सहायतापूर्ण होगा ताकि वर्तमान वृद्धि के दर को बनाए रखा जा सके। इसके साथ ही, मीयादी मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार में व्युत्पन्नों के उपयोग में अधिक लचीलापन का विकास, कंपनी बांड बाजार का विकास और अनुषंगी बाजार में चलनिधि की वृद्धि से घरेलू वित्तीय बाजारों को अधिक गहन बनाने में सहायता मिलेगी। मौद्रिक अंतरण प्रणाली को मज़बूत बनाने के लिए और विशेष रूप से संपूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता और परिलक्षित कार्रवाई के संदर्भ में विभिन्न बाज़ार सहभागियों के बीच जोखिमों के प्रभावी बिखराव को सुनिश्चित करने के लिए घरेलू बाजार के विभिन्न खंडों को और अधिक समन्वयन के उद्देश्य पर भी प्रयास जारी रहेंगे। समष्टि अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता को मजबूत बनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों की समन्वयता और स्थिरता को बनाये रखने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा।

V वित्तीय विनियमन तथा पर्यवेक्षण

V.1 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2006-07 के दौरान बढ़ते वैश्वीकरण, सतत चालू वित्तीय अविनियमन और तेज प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों के वातावरण में एक स्थिर और प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय क्षेत्र को संवर्धित करने के लिए अपने विनियामक और पर्यवेक्षी प्रयासों को जारी रखा। वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेकपूर्ण लेखा प्रणाली और प्रकटीकरण मानदंडों को मजबूत बनाया गया था। क्रमिक ताल-मेल पर बल के साथ घरेलू वित्तीय क्षेत्र को अच्छे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समरूप बनाने की नीति के दृष्टिकोण के अनुरूप में बैंकों द्वारा नयी पूंजी प्रर्याप्तता संरचना (बासेल II) को क्रियान्वित करने के लिए अंतिम दिशा-निर्देशों को जारी किया गया है। वर्ष के दौरान ड्राफट विजन दस्तावेज में निर्धारित कार्यविधि के अनुसरण में शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किये गये। वित्तीय सेवाओं की पहुंच को विस्तृत करने, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने और वित्तीय क्षेत्र के विविधीकरण करने में और बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्य को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने इन इकाइयों को सुदृढ़ बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखा। वर्ष 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा करने, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने और बैंकों में शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने के अपने प्रयासों को भी जारी रखा।

V.2 संवेदी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश वाले चुनिंदा बैंकों में की गई पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया से स्पष्ट है कि सभी बैंकों के स्थावर संपदा में निवेश मुख्यत: वैयक्तिक गृह ऋण में वृद्धि के कारण हुए हैं। विशेषकर विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र ऋण वृद्धि को देखते हुए विवेकपूर्ण मानदंडों में सुधार किया गया। बासेल II ढ़ांचे में सहज ढ़ंग से अंतरण रिज़र्व बैंक का ध्यान आकर्षित किए हुए है जैसा कि 31 मार्च 2008 वर्ष से भारत में वाणिज्यिक बैंक बासेल II मानदंडों का कार्यान्वयन शुरु करेंगे। उन बैंकिंग सेवाओं के न्यूनतम मानक उपलब्ध कराने के लिए 'ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता' को जारी किया गया, जिसकी व्यक्तिगत ग्राहक तार्किक रूप से आशा कर सकता है। वित्तीय उदारीकरण के क्रमिक प्रक्रिया के अंग के रूप में, ऋण व्युत्पन्नियों को अंशांकित ढ़ंग से लागू करना उचित माना गया। ऋण व्यत्पन्न्यिों सहित ओटीसी व्युत्पन्नी लिखतों को वैध बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में हुए हाल ही में किए गए संशोधनों के संदर्भ में वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में बैंकों एवं प्राथमिक व्यापारियों को एकल-इकाई ऋण चूक अदला-बदली (सिंगल इंटिटी क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप) में लेनदेन शुरु करने की अनुमति देने का प्रस्ताव था। मध्यम/निम्न मध्यम आय वर्ग को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका को देखते हुए इन बैंकों को भी मजबूत करने के लिए पहल की गई। ड्राफ्ट विजन डाक्यूमेंट में निर्दिष्ट मार्गों पर चलते हुए 12 राज्यों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इन राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्य दल (टीएएफसीयूबी) का भी गठन किया गया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों को मुद्रा तिजोरी खोलने, म्यूचुअल फंड उत्पाद बेचने, विदेशी मुद्रा सेवाएं देने, नए एटीएम खोजने तथा विस्तार पटलों को शाखाओं में परिवर्तित करने की अनुमति मिलने पर वे अपने कारोबार को बढ़ा सके। बहु-राज्यीय शहरी सहकारी बैंकों के मामलों में रिज़र्व बैंक एवं केंद्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कुल जमा राशियों के लगभग 90 प्रतिशत रखने वाले शहरी सहकारी क्षेत्र के लगभग 83 प्रतिशत बैंक समझौता ज्ञापन के अधीन है। प्रणालीगत रुप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में विनियामक अंतराल को कम करने के लिए विनियामक ढ़ाचे में सुधार किया गया। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी परिभाषित किया गया

और इन इकाइयों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को भी विनिर्दिष्ट किया गया।

भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए विनियामक ढांचा

V.3 रिज़र्व बैंक, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के माध्यम से वाणिज्यिक तथा शहरी सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, और बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा प्राथमिक व्यापारियों पर अपनी विनियामक और पर्यवेक्षी भूमिका को निष्पादित करता है। मार्च 2007 के अंत में 82 वाणिज्यिक बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर], (इनमें से नौ को पीडी कारोबार करने की अनुमति दी गई है) 96 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1815 शहरी सहकारी बैंक, 7 विकास वित्तीय संस्थाएं, 13,020 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (जिसमें से 403 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आम जनता से जमा-राशि स्वीकार करने/धारण करने की अनुमति दी गई है) और 11 प्राथमिक व्यापारी थे। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने वित्तीय प्रणाली के खंडों पर, जो रिज़र्व बैंक के कार्यक्षेत्र के अधीन हैं, उन पर अपनी पर्यवेक्षी भूमिका को पूरा करना जारी रखा। बोर्ड के अध्यक्ष गवर्नर हैं तथा उपाध्यक्ष एक उप गवर्नर हैं और अन्य उप गवर्नर एवं केंद्रीय बोर्ड के चार निदेशक इसके सदस्य हैं। राज्य तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में जबकि रिज़र्व बैंक नियंत्रक है, पर्यवेक्षण का अधिकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को प्राप्त है। बीमा कंपनियों तथा पारस्परिक निधियों का नियंत्रण, क्रमश: बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा किया जाता है। पर्यवेक्षण के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को वित्तीय तथा पूंजी बाजारों पर एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति (एचएलसीसीएफसीएम) के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। रिज़र्व बैंक के गवर्नर इस समिति के अध्यक्ष तथा सेबी, आईआरडीए तथा पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के प्रधान एवं आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव इसके सदस्य हैं।

विवेकपूर्ण मानदंडों को सुदृढ बनाना

V.4 वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा खाद्येतर ऋण में लगभग 30 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज करने से बैंक ऋण में 2003-04 से निरंतर उच्च वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। बैंकों के ऋणों और अग्रिमों के पोर्टफोलियो चक्रीय प्रणाली के अनुरूप और सहवर्ती रूप में होते हैं। त्वरित ऋण वृद्धि के दौरान अंतर्निहित जोखिम के स्तर को कम करके आंकने की प्रवृत्ति होती है। उच्च ऋण वृद्धि के आलोक में परिसंपत्ति गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करने और वैयक्तिक ऋण और क्रेडिट कार्ड की प्राप्य राशियों से संबंधित चूक दरों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विशिष्ट क्षेत्रों अर्थात् वैयक्तिक ऋण, पूंजी बाजार निवेशों के योग्य ऋण और अग्रिम, 20 लाख से ऊपर के रिहाइशी आवास ऋण, वाणिज्यिक भू-संपदा ऋण और जमाराशि स्वीकार न करने वाली व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिए जानेवाले ऋण में बैंकों द्वारा मानक अग्रिमों के लिए सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को मई 2006/जनवरी 2007 में बढ़ाया गया। अब तक की तरह, ये प्रावधान अनुमत सीमा तक पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए टियर II पूंजी में शामिल किए जाने के पात्र होंगे। संशोधित प्रावधानीकरण अपेक्षाएं शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर भी लागू होंगी।

V.5 व्युत्पन्नियों से संबंधित वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा तथा व्युत्पन्नियों के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक आंतरिक समूह गठित किया। समूह की रिपोर्ट के आधार पर 20 अप्रैल 2007 को व्युत्पन्नियों के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों का संबंध रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नों से है तथा इनमें व्युत्पन्नी लेन-देन करने के लिए सामान्य सिद्धांतों, जोखिम-प्रबंधन और अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस की अपेक्षाएं तथा

गौण बाजार के प्रमुख सक्रिय बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली उपयुक्तता और औचित्य नीति से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शन शामिल हैं। विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी के संबंध में दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। वित्तीय उदारीकरण की क्रमिक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में ऋण व्युत्पन्नियों को नपे -तुले रूप में शुरू किया जाना उचित समझा गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में किए गए हाल के संशोधन के परिप्रेक्ष्य में,जो काउंटर पर वाले(ओटीसी)व्युत्पन्नी लिखतों,जिसमें ऋण व्युत्पन्नी शामिल हैं, को वैधता देता है, रिज़र्व बैंक के अप्रैल 2007 के वार्षिक नीति वक्तव्य में कहा गया कि बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को एकल-इकाई ऋण चूक अदला-बदली (सिंगल इंटिटी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप) में लेन-देन शुरू करने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में,मई 2007 में ऋण चूक अदला- बदली पर दिशा- निर्देश जारी कए गए।

V.6 उद्यम पूंजी निधियों में बैंकों के निवेश को विनियमित करनेवाली विवेकपूर्ण रूपरेखा में अगस्त 2006 में संशोधन किया गया। संशोधित रूपरेखा में, उद्यम पूंजी निधियों में बैंकों के निवेश (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) को ईक्विटी के बराबर माना गया है और इसलिए इसकी गणना पूंजी बाजार निवेश की उच्चतम सीमाओं (ईक्विटी में प्रत्यक्ष निवेश और ईक्विटी आधारित लिखत की उच्चतम सीमा के साथ-साथ समग्र पूंजी बाजार निवेश की उच्चतम सीमा) के पालन के लिए की गई।

V.7 पूंजी बाजारों में बैंकों के निवेश संबंधी दिशानिर्देशों को आधार और कार्यक्षेत्र के अनुसार अप्रैल 2007 में युक्तियुक्त बनाया गया। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, पूंजी बाजारों में किसी बैंक का एकल या समेकित आधार पर सभी स्वरूपों (निधि और गैर-निधि आधारित दोनों) में किया समग्र निवेश पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उसकी निवल मालियत (समेकित बैंक के मामले में समेकित निवल मालियत) के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समग्र उच्चतम सीमा के अंतर्गत शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश और उद्यम के लिए पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) में कुल निवेश बैंक निवल मालियत/समेकित निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

V.8 वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से बैंकों के देयता पक्ष का संकेंद्रण जोखिम परिसंपत्ति पक्ष के संकेंद्रण जोखिम जितना ही महत्वपूर्ण है। जबकि परिसंपत्ति पक्ष पर प्रतिपक्ष के जोखिम संकेंद्रण पर पर्याप्त ध्यान आकर्षित हुआ है और नियामक नीति रेसपांस प्राप्त हुआ है, बैंक के देयता पक्ष पर संकेंद्रण जोखिम को उतना महत्व नहीं दिया गया है। अनियंत्रित देयताओं,विशेष रूप से, अंतर बैंक देयता के प्रणालीबद्ध परिणाम हो सकते हैं, भले ही अलग-अलग प्रतिपक्ष बैंक निर्धारित निवेश के भीतर हों। बैंकों के देयता पक्ष में संकेंद्रण की मात्रा कम करने के क्रम में रिज़र्व बैंक ने मार्च 2007 में देयता प्रबंधन की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। तदनुसार, बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनी अंतर बैंक देयताओं के लिए पिछले वर्ष के 31 मार्च को लेखा परीक्षित तुलनपत्र पर आधारित अपनी निवल मालियत के 200 प्रतिशत की विवेकपूर्ण सीमा के भीतर एक सीमा निर्धारित करें। 11.25 प्रतिशत से अधिक जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) वाले बैंकों को 100 प्रतिशत अंक की अतिरिक्त सीमा अर्थात् निवल मालियत के 300 प्रतिशत तक रखने की अनुमति दी गई है। यह सीमा इस तरह निर्धारित की जाएगी कि उसमें केवल अंतर बैंक निधि आधारित देयताएं शामिल की जाएंगी। चूंकि ये सीमाएं भारत के भीतर अंतर-बैंक उधारों के लिए हैं, इसलिए बाहर के अंतर बैंक उधार/देयताएं इसमें शामिल नहीं की जाएंगी। संपार्श्विकीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ) के अंतर्गत संपार्श्विकीकृत उधार और नाबार्ड तथा सिडबी के पुनर्वित्त भी इसमें शामिल नहीं

किए जाएंगे। रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मांग मुद्रा उधारों की वर्तमान सीमाएं उपर्युक्त सीमाओं के भीतर एक उप-सीमा के रूप में लागू रहेंगी।

वित्तीय क्षेत्र का प्रसार

V.9 वर्ष 2006-07 में, भारतीय बैंकों ने विदेशों में अपना प्रसार जारी रखा। जून 2007 के अंत तक 16 बैंकों (11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और 5 निजी क्षेत्र के बैंक) के पास 188 कार्यालयों (123 शाखाओं, 38 प्रतिनिधि कार्यालयों, 7 संयुक्त उद्यमों और 20 सहायक संस्थाओं) का एक नेटवर्क था।

V.10 कैलेंडर वर्ष 2006 के दौरान रिज़र्व बैंक ने भारत में विदेशी बैंकों की 13 शाखाएं खोलने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। 2006-07 (जुलाई 2006-जून 2007) के दौरान भारत में मौजूद तीन विदेशी बैंकों को भारत में 10 शाखाएं खोलने और छह विदेशी बैंकों में से प्रत्येक को मुंबई में अपना एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने तथा एक विदेशी बैंक को नई दिल्ली में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई । इसी दौरान, छ: विदेशी बैंकों ने भारत भर में अपनी शाखाएं और चार विदेशी बैंकों ने मुंबई में अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोले हैं। जून 2007 के अंत तक 268 शाखाओं के माध्यम से 29 विदेशी बैंक कार्य कर रहे थे । इसके अलावा, 34 विदेशी बैंक अपने प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से भी कार्य कर रहे थे ।

पर्यवेक्षणात्मक पहल

V.11 बैंक पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति (बीसीबीएस) ने 'पूंजी मापन और पूंजी मानक का अंतर्राष्ट्रीय अभिसरण : संशोधित रूपरेखा' (जो बासल II के रूप में लोकप्रिय है) नाम का एक दस्तावेज 26 जून 2004 को जारी किया था। बासल II में सहज रूप से अंतरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने एक परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाया और बैंकों, भारतीय बैंक संघ (आई बी ए) तथा रिज़र्व बैंक के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक संचालन समिति का गठन किया। संचालन समिति और उसके द्वारा बनाए गए उप-समूहों की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2005 में अभिमत के लिए पूंजी पर्याप्तता की नई रूपरेखा के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया। इस संबंध में प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर दिशानिर्देशों के प्रारूप को संशोधित किया गया है और मार्च 2007 में उसे दूसरे दौर के विचार-विमर्श के लिए जारी किया गया है। दूसरे प्रारूप के लिए प्राप्त प्रति सूचना के आधार पर पूंजी पर्याप्तता की नई रूपरेखा (संशोधित रूपरेखा) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है और 27 अप्रैल 2007 को उसे जारी किया गया है।

ग्राहक सेवा

V.12 ग्राहक सेवा के प्रति रिज़र्व बैंक का व्यापक दृष्टिकोण आम आदमी को बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए शक्ति संपन्न बनाना तथा इंडियन बैंक एसोसियेशन के माध्यम से बैंकों के साथ परामर्शदायी प्रक्रिया अपनाकर बैंकों में ग्राहक सेवा मजबूत करना है। विशेष रूप से इन पर ध्यान केंद्रित किया गया है (क) ग्राहक सेवा के प्रति बैंकों को जाग्रत करना तथा बैंक के बोर्ड की संलिप्तता सुनिश्चित करना, विशेष रूप से बैंक की अपनी शिकायत निवारण मशीनरी से संबंधित मामलों में (ख) ग्राहक के साथ सभी सौदों में पारदर्शिता पर जोर देना तथा मूल्यन में उपयुक्तता सुनिश्चित करना (ग) बैंकों द्वारा ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता निभाने के लिए स्वयं बनाई गई संहिताओं को लागू करने के लिए बढ़ावा देना और एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अनुपालन पर निगरानी रखना अर्थात् भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ); (घ) विवादों को निपटान के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाना (ङ) आइबीए द्वारा पहलों को प्रेरित करते हुए जब केवल आवश्यक हो तभी विनियमन/नुस्खों का प्रयोग करना

(च) रिज़र्व बैंक की अपनी प्रणाली और प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना।

V.13 रिज़र्व बैंक में 1 जुलाई 2006 को ग्राहक सेवा विभाग की स्थापना के साथ अब तक रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा सम्हाले जाने वाले बैंकों एवं रिज़र्व बैंक से संबंधित विभिन्न ग्राहक सेवा गतिविधियों को एक छत के नीचे लाया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

V.14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को मजबूत करने के लिए सितंबर 2005 में शुरू की गई उनके विलय की प्रक्रिया 2006-07 में जारी रही। 145 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 45 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विलय के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या मार्च 2005 के अंत के 196 से घटकर मार्च 2007 के अंत में 133 एवं मार्च 2007 के अंत में आगे घटकर 96 रह गयी।

V.15 शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों की मध्यम वर्गीय/निम्न मध्यम वर्गीय आबादी तक ऋण एवं जमा सुविधाएं पहुंचाकर वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः रिज़र्व बैंक 2006-07 के दौरान नीतिगत पहल यह सुनिश्चित करने के लिए जारी रखे हुए है कि आवश्यकता आधारित बैंकिंग सेवाएं विशेषकर मध्यम तथा निम्न मध्यवर्ग और हाशिए पर पड़े समाज के भाग को उपलब्ध कराने के लिए ये बैंक संयुक्त स्वामित्ववाले, लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित और नीतिपरक रूप में प्रबंधित सुदृढ़ और सक्षम नेटवर्क वाले बैंकिंग संस्थान के तौर पर उभर सकें।

V.16 शहरी सहकारी बैंक को सुदृढ़ करने वाला दृष्टिकोण निम्नलिखित तत्वों पर फोकस करता है (क) जब तक रिज़र्व बैंक को नियामक की स्थिति प्राप्त है, हरेक राज्य में, नए लाइसेंस /नई शाखा प्राधिकरण को रोकना (ख) विकेंद्रित स्तर पर (राज्य) समस्याओं का परामर्शकारी और सहयोगात्मक समाधान करना जिसमें दोहरे नियंत्रण की समस्या से बचने के लिए सभी पणधारियों का प्रतिनिधित्व हो। (ग) सहमति के माध्यम से लेखा परीक्षा और प्रबंधन का व्यवसायकीकरण (घ) कमजोर बैंकों के निकास के कारण प्रणालीगत प्रभाव को न्यूनतम करने पर जोर देना (ङ) अबाध निकास की सुविधा के लिए विलयन को प्रेरित करना (च) राज्य में शहरी सहकारी बैंक के परिचालन में उदारीकरण /नमनीयता के साथ राज्य सरकारों को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करना (छ) वित्तीय सुदृढ़ता और नियामक सुविधा पर विस्तार की जिम्मेदारी ड़ालना ।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

V.17 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तेजी से बैंकिंग प्रणाली के पूरक के रूप में पहचानी जा रही हैं; वित्तीय कठिनाई के समय बढ़ते जोखिम को अवशोषित करने में वे सक्षम हैं। बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और यहां तक कि विभिन्न श्रेणियों की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यकलापों में विभिन्न स्तर के विनियमों के अनुप्रयोग ने विनियमों के इस असमान व्याप्ति से कुछ मुद्दे ला खड़े किए हैं। वित्तीय क्षेत्र में समतल कार्य क्षेत्र, विनियामक अभिसारिता और विनियामक अंतरपणन से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करने के लिए गठित आंतरिक ग्रूप की सिफारिशों और इस विषय पर प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर प्रणालीगत रुप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समग्र विनियमन और बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच संबंध से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए एक संशोधित ढांचे को रखने का निर्णय किया गया था। इसके आगे, संशोधित ढांचे के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जिनकी आस्ति मात्रा 100 करोड़ रुपए और इससे उपर हो, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के रुप में परिभाषित की गई हैं।

समष्टि-विवेकपूर्ण संकेतक समीक्षा

V.18 रिज़र्व बैंक मार्च 2000 से समष्टि विवेकपूर्ण संकेतकों (एमपीआइ) का संकलन करता रहा है। इसमें अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं की हैसियत के कुल सूक्ष्म-विवेकपूर्ण संकेतक और वित्तीय प्रणाली की सबलता से संबद्ध समष्टि आर्थिक संकेतक (एमईआई) दोनों शामिल हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष के तत्वाधान में दिसंबर 2005 में वित्तीय सबलता संकेतकों के समन्वित समेकन कार्य में स्वेच्छा से सहभागी बना।

V.19 2006-07 के सूक्ष्य-विवेकपूर्ण संकेतकों की समीक्षा से वित्तीय क्षेत्र के बड़े घटकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में और सुधार के संकेत मिलते हैं। पूँजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम आवश्यकताओं के ऊपर बना रहा। वर्ष के दौरान वित्तीय मध्यस्थों की परिसंपत्ति गुणवत्ता और सुधरी। 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्तियों पर आय पूर्व वर्ष के स्तर पर लगभग अपरिवर्तित बनी रही, जबकि प्राथमिक व्यापारियों की आय में, स्टैंड एलोन प्राथमिक व्यापारियों के बैंक के प्राथमिक व्यापारियों के साथ विलय के कारण, तेज गिरावट दिखी।

संभावनाएं

V.20 रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में घरेलू वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न विनियामक और पर्यवेक्षी पहल करना जारी रखेगा। भारतीय वित्तीय क्षेत्र को सबसे अच्छी अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों के मानदंड के अनुरूप लाने के उद्देश्य से, भारत के वाणिज्य बैंक मार्च 2008 के अंत से बासेल - II कार्यान्वित करना शुरू करेंगे। बैंकों में जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए , जोखिम प्रबंधन प्रणाली और बासल-II के लिए बैंकों की तैयारी की स्थिति पर विचार करते हुए नपे तुले तौर पर उपाय के रूप में क्रेडिट व्युत्पन्नी शुरू की जा रही है। व्युत्पन्नी के लेखांकन के लिए सिद्धांतों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। अविनियमन, उदारीकरण और वित्तीय समूह के प्रादुर्भाव की तेज गति के मद्देनजर बैंकों की संगठनात्मक संरचना, व्यापार प्रक्रिया और जोखिम स्थिति की जटिलताओं पर पर्याप्त ध्यान सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रिया को लगातार अच्छा स्वरूप दिया जा रहा है। जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढांचे और सुगमता से बासल II की ओर हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित है और इसके लिए रिज़र्व बैंक के साथ-साथ बैंकों में उपयुक्त क्षमता विकास करने की आवश्यकता होगी। विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को सुदृढ़ करने के दौरान रिज़र्व बैंक वृहत वित्तीय समावेश और बैंकिंग क्षेत्र द्वारा उपलब्ध ग्राहक सेवाओं में सुधार के प्रति अपने प्रयासों पर दृढ़ रहेगी।

VI लोक ऋण प्रबंध

VI.1 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक की ऋण प्रबंध नीति दो उद्देश्यों द्वारा निर्देशित होती रही- समय के साथ लागत कम करना और रोल-ओवर जोखिम के अनुरूप परिपक्वता प्रोफाइल का अनुसरण। ऋण प्रबंधन परिचालन ऐसे वातावरण में किए गए जिसमें पहले से मौद्रिक उपायों को सुदृढ़ करने और आय वक्र के उर्धगामी अतंरण की विशेषता शामिल है। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए मांग का एक बड़ा स्रोत वैधानिक आवश्यकता के अनुपालन के लिए बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से निकला है। राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुरूप 1 अप्रैल 2006 से रिज़र्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में भागीदारी करने से मना किया गया। सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध (एफआरबीएम) पश्चात वातावरण में ऋण प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान विशेष उपाय किए गए जैसे मंदड़िया बिक्री की अनुमति, ''जब जारी'' (ह्वेन इश्यूड) बाज़ार और प्राथमिक व्यापारियों के लिए हामीदारी प्रतिबद्धता की एक नई संशोधित योजना की शुरूआत। रिज़र्व बैंक ने दिनांकित प्रतिभूतियों के यथार्थ समेकन और परिपक्वता प्रोफाइल के दीर्घीकरण की नीति को जारी रखा।

VI.2 केंद्र सरकार का उधार कार्यक्रम, जो गत वर्ष से अधिक था, 2006-07 के दौरान सुगमतापूर्वक पूरा हुआ - यह एफआरबीएम की शर्त के अनुसार प्राथमिक बाज़ार से रिज़र्व बैंक की ना मौजूदगी का प्रथम वर्ष था। इसे बाजार संरचना में सुधार के लिए किए गए सम्मिलत प्रयासों से बल मिला। 2006-07 के दौरान खुले बाजार ऋणों की ब्याज लागत से राजस्व प्राप्ति के पूर्वक्रय अधिकार का ह्रास होना जारी रहा। इसी समय बकाया खुले बाज़ार ऋण के जोखिम प्रोफाइल में सुधार हुआ जैसा कि औसत भारित परिपक्वता (लगभग 10 वर्ष) और संशोधित अवधि की स्थिरता में परिलक्षित हुआ है। वर्ष के दौरान बाज़ार उधार की औसत भारित लागत बढ़ी, जिससे ब्याज दर संरचना की तेजी परिलक्षित होती है।

VI.3 2006-07 के दौरान राज्यों के बाज़ार उधार का विशिष्ट पहलू यह था कि वास्तव में लिया गया उधार आबंटित उधार से कम था। उधार में कमी मुख्यत: नकद शेषों में वृध्दि होने के कारण थी। लघु बचत जमाराशियों में कमी के बावजूद राजकोषीय समेकन पहल और उच्च केंद्रीय अंतरण तथा हस्तांतरण की सुविधा द्वारा 2006-07 में नकद शेष में मजबूती हुई। पहली बार राज्यों ने समूची राशि नीलामी मार्ग द्वारा जुटाई। सामान्यत: केंद्र सरकार के किसी अच्छे प्रतिभूति के अनुषंगी बाज़ार आय की तुलना में नीलामी में अधिकतम आय का दायरा गत वर्ष से कम रहा था, जो राज्यों के वित्तीय स्थिति की उन्नत बाज़ार अवधारणा को दर्शाता है।

केंद्र सरकार

VI.4 राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम) 2003 के अनुरूप 01 अप्रैल 2006 से केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में रिज़र्व बैंक द्वारा भागीदारी से पीछे हटने के साथ ही सरकार की सहमति से 2006-07 में अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) व्यवस्था में संशोधन किया गया। पिछली व्यवस्था के तहत अर्थोपाय अग्रिम की सीमा अर्धवार्षिक आधार पर तय की गई थी। 2005-06 के लिए वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही (अप्रैल-सितंबर) के दौरान सीमाएं 10,000 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही (अक्तूबर-मार्च) के दौरान 6,000 करोड़ रुपए थीं। नई राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम) के प्रावधानों द्वारा आवश्यक हुई संक्रमण सुविधा के लिए संशोधित व्यवस्था

के तहत 2006-07 के लिए ये सीमाएं छमाही आधार के बजाय तिमाही आधार पर निर्धारित की गईं। तदनुसार, 2006-07 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा क्रमश: 20,000 करोड़ और 10,000 करोड़ रुपए और वर्ष की तीसरी और चौथी प्रत्येक तिमाही के लिए 6,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। रिज़र्व बैंक ने संक्रमणकालीन मामले और प्रचलित परिस्थितियों को देखते हुए सरकार की सहमति से इन सीमाओं में संशोधन का अधिकार अपने पास रखा। अल्पावधि संदर्भ दर के रूप में रिपो दर के प्रादुर्भाव के मद्देनजर अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर अब तक की तरह बैंक दर के बदले रिपो दर से सहयोजित की गई है। तदनुसार, अर्थोपाय अग्रिम के लिए ब्याज दर रिपो दर पर और ओवरड्राफ्ट के लिए रिपो दरसे दो प्रतिशत बिन्दु अधिक है।

VI.5 2006-07 की दौरान सरकार की चलनिधि की स्थिति कुल मिलाकर सुखद रही। मार्च 2006 के अंत में केंद्र के पास 48,928 करोड़ रुपए (20,000 करोड़ के निवेश शेष के साथ) की राशि का अतिरिक्त नकदी शेष था, जो अप्रैल 2006 के दौरान कम हुआ और केंद्र को मई-अगस्त 2006 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम का आश्रय लेना पड़ा। वर्ष के दौरान 06 जून 2006 को उपयोग की गई अधिकतम अर्थोपाय अग्रिम 11,754 करोड़ रुपए (सीमा का 59 प्रतिशत) थी। तथापि केंद्र ने वर्ष के दौरान ओवरड्राफ्ट का सहारा नहीं लिया। 2006-07 के दौरान केंद्र ने 2005-06 के दो दिनों की तुलना में कुल 39 दिनों के लिए अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया। केंद्र ने 07 अगस्त 2006 तक अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया और इसके बाद रिज़र्व बैंक के पास अतिरिक्त नकदी शेष बनाए रखा। यह अतिरिक्त नकदी शेष 16 सितंबर, 2006 से 20,000 करोड़ रुपए की निवेश सीमा को पार कर गया। 22 मार्च, 2007 को अतिरिक्त नकदी शेष 77,726 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक उच्चतम सीमा तक पहुंच गया जो भारत सरकार खज़ाना बिलों में राज्य सरकारों के निवेश और अग्रिम कर संग्रह में उछाल को दर्शाता है। हालांकि 31 मार्च, 2007 को अतिरिक्त नकदी शेष 50,092 करोड़ रुपए रह गया, लेकिन गत वर्ष के 48,928 करोड़ रुपए के स्तर से अधिक ही रहा। 2006-07 के दौरान यह अतिरिक्त नकदी शेष एक वर्ष पहले के 25,772 करोड़ रुपए की तुलना में औसत 27,976 करोड़ रुपए था।

VI.6 2007-08 के प्रथम छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए अर्थोपाय अग्रिम सीमा 20,000 करोड़ रुपए और दूसरी छमाही (अक्तूबर-मार्च) के लिए 6,000 करोड़ निर्धारित की गई। अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज दर अब तक की तरह रिपो दर से संबद्ध होना जारी रहा। केंद्र ने 50,092 करोड़ रुपए के अतिरिक्त नकदी शेष के साथ वित्तीय वर्ष की शुरूआत की, जो तेजी से समाप्त हो गया और 27 अप्रैल 2007 तक यह घाटे में परिणत हो गया, जो भारत सरकार के खजाना बिलों में राज्यों द्वारा निवेश में अत्यधिक तीव्र कमी, अनुमानित से अधिक खर्च और राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के तहत कम उगाही दर्शाता है। 17-18 मई, 2007 को दो दिनों की अवधि को छोड़कर सरकार का नकद शेष 17 जून, 2007 तक घाटे की स्थिति में रहा। 30 मई, 2007 को नकद घाटा अर्थोपाय अग्रिम के 20,000 करोड़ रुपए की सीमा पार कर गया ओर 08 जून, 2007 तक ओवरड्राफ्ट स्थिति में रहा। कैलेंडर के बाहर 12 जून, 2007 को 5,000 करोड़ रुपए राशि की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी, राज्यों द्वारा भारत सरकार के खजाना बिलों में पुन: निवेश शुरू करने के साथ अप्रैल-जून तिमाही में अग्रिम कर अन्तर्वाह और 6-27 जून 2007 के दौरान छ: अवसरों पर 27,500 करोड़ रुपए राशि की 91 दिवसीय और 182 दिवसीय खजाना बिलों के अतिरिक्त निर्गमन ने 18 जून, 2007 से सरकार के अतिरिक्त नकदी शेष को मजबूत किया। भारतीय स्टेट बैंक का स्टेक रिज़र्व बैंक से सरकार को हस्तांतरण के

साथ, जिसमें 29 जून, 2007 को 35,531 करोड़ रुपए का बाह्य प्रवाह शामिल है सरकार का नकद शेष पुन: घाटे में बदल गया और 8 अगस्त 2007 तक यही स्थिति बनी रही। 9 अगस्त 2007 को रिज़र्व बैंक से अतिरिक्त नकदी अंतरण के कारण भारत सरकार का नकदी शेष अधिशेष के स्वरूप में वापस लौटा। गत वर्ष के विपरीत, जब सरकार ने कभी ओवरड्राफ्ट का सहारा नहीं लिया था, वर्ष 2007-08 (10 अगस्त, 2007 तक) के दौरान तीन अवसरों पर सरकार ने ओवरड्राफ्ट का सहारा लिया। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 39 दिनों की तुलना में सरकार ने अब तक वर्ष 2007-08 के दौरान 90 दिन के अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट का उपयोग किया।

VI.7 2006-07 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए निवल बाजार उधार राशियां 1,06,916 करोड़ रुपए रही, जो 2005-06 के दौरान 95,370 करोड़ रुपए की तुलना में 12.1 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। 2006-07 में सकल बाजार उधार राशि कुल 1,46,000 करोड़ रुपए रही (2005-06 के दौरान 1,31,000 करोड़ रुपए से 11.5 प्रतिशत अधिक)। 2006-07 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों द्वारा किया गया कुल अभिदान (डिवाल्वमेंट) 5,604 करोड़ रुपए था; 2005-06 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों या रिज़र्व बैंक द्वारा कोई अधिदान (डिवाल्वमेंट) नहीं किया गया था।

VI.8 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2006-07 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के यथार्थ समेकन और परिपक्वता प्रोफाइल के दीर्घीकरण की नीति को जारी रखा। 2006-07 में कुल निर्गमित प्रतिभूतियों में से पुनर्निर्गमित प्रतिभूतियों का अंश 90.4 प्रतिशत था (गत वर्ष 97.7 प्रतिशत)। बिड-टू-कवर अनुपात (बीसीआर) द्वारा मूल्यांकित अनुसार 2006-07 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों के लिए बाज़ार प्रतिक्रिया पिछले वर्ष से अधिक अनुकूल थी।

VI.9 दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत प्रतिशत 2005-06 के दौरान 7.34 और 2004-05 के दौरान 6.11 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 के दौरान 7.89 प्रतिशत हो गया,जिससे ब्याज दर ढांचे की कठोरता परिलक्षित होती है। वर्ष के दौरान प्रतिफल में वृद्धि के बावजूद सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टाक पर भारित औसत कूपन की दर की, मार्च 2002 के अंत में 10.84 प्रतिशत और मार्च 2006 के अंत में 8.75 प्रतिशत से 31 मार्च 2007 को 8.55 प्रतिशत तक गिरते हुए अधोगामी प्रवृत्ति जारी रही। 2006-07 के दौरान जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत अवधिपूर्णता 14.72 वर्ष थी, वह 2005-06 के दौरान 16.90 वर्षों से कम थी परंतु वह 2001-02 से 2004-05 के दौरान के काफी करीब थी। तथापि, बकाया भाग की भारित औसत परिपक्वता मार्च 2002 के अंत में 8.20 वर्ष से बढ़कर मार्च 2006 के अंत में 9.92 वर्ष और 31 मार्च 2007 तक 9.97 वर्ष हो गई।

VI.10 2006-07 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में प्राथमिक निर्दिष्ट प्रतिफल और समान परिपक्वताकी दिनांकित प्रतिभूतियों की प्रचलित द्वितीयक बाज़ार प्रतिफल के बीच का अंतर (-) 3 और 14 आधार अंकों के बीच था। तथापि, अधिकतर निर्गमों का (दिनांकित प्रतिभूतियों की 30 नीलामियां में से 22) कीमत-लागत अंतर ((-)3 और 6 आधार अंकों के बीच) काफी कम था, जो प्राथमिक नीलामियों में अच्छी कीमत की खोज दर्शाता था।

VI.11 उच्च लागतवाले कर्ज के शेयर में 2006-07 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही। 8 प्रतिशत से अधिक के ब्याज वाले बकाया ऋणों का हिस्सा एक वर्ष से पहले के 49.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2007 के अंत में 46.6 प्रतिशत हो गया। मार्च 2007 के अंत में कर्ज के बकाया स्टाक का 45 प्रतिशत 6.00-7.99 प्रतिशत (जो एक वर्ष पूर्व 36.4 प्रतिशत था) पर आ गया।

VI.12 वर्ष 2006-07 के दौरान बीमा कंपनियों ने सर्वाधिक और उसके बाद वाणिज्यिक बैंकों ने दिनांकित प्रतिभूतियों के नए निर्गमों के अधिकांश अंश का अवशोषण जारी रखा, जो उनकी बढ़ी हुई निवेश आवश्यकता को परिलक्षित करता है। पिछले तीन वर्षों में उनके शेयरों में निरंतर ह्रास के बावजूद वाणिज्यिक बैंकों ने मार्च 2007 के अंत में दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टाक में सर्वाधिक अंश का अवशोषण जारी रखा।

राज्य सरकारें

VI.13 राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट संबंधी गठित सलाहकार समिति (अध्यक्ष : श्री एम.पी. बेजबरुआ) की सिफारिशों के अनुसार 2006-07 से संशोधित अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट योजना लागू की गई है। वर्ष 2006-07 के लिए राज्य सरकारों की कुल सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा को 10.5 प्रतिशत बढ़ाकर 9,875 करोड़ रुपए किया गया। सामान्य और विशेष अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की ब्याज दरों को रिपो रेट से जोड़ा गया। इसके अलावा, राज्य सरकारों को समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) जुटाने हेतु प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इन निधियों में किए गए अतिरिक्त वार्षिक निवेश को विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा हासिल करने के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा के अंतर्गत पात्र माना गया रखा गया।

VI.14 वर्ष 2006-07 के दौरान सामान्य अर्थोपाय अग्रिम, विशेष अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के औसत दैनिक उपयोग में कमी आई। वर्ष 2006-07 के दौरान आठ राज्यों ने अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया जबकि पिछले वर्ष 12 राज्यों ने अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया। पिछले वर्ष आठ राज्यों ने ओवरड्राफ्ट का उपयोग किया था जबकि वर्ष 2006-07 के दौरान दो राज्यों ने इसका उपयोग किया । अर्थोपाय अग्रिम के उपयोग में आई इस गिरावट से यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकारों के पास लगातार नकदी अधिशेष जमा हो रहा है और परिणामस्वरूप उनकी चलनिधि स्थिति में सुधार हुआ है।

VI.15 उच्च मूल्य के एनएसएसएफ के अंतर्गत स्वयंमेव प्राप्त होने वाली निधि की मात्रा में आई मंदी के बावजूद वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों ने कर और अनुदानों के माध्यम से अधिक राशि के केंद्रीय अंतरण और वित्तीय समेकन उपाय अपनाकर अच्छी मात्रा में नकदी अधिशेष राशि जुटाना जारी रखा। राज्य सरकारों के नकदी अधिशेष का 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में अपने आप निवेश हो जाता है। वर्तमान में इन खज़ाना बिलों का डिस्काउंट दर 5 प्रतिशत है। 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिलों पर (50 आधार अंकों के भार के साथ) रिज़र्व बैंक में पुन: डिस्काउंट प्राप्त किया जा सकता है किंतु नीलामी खजाना बिलों पर रिज़र्व बैंक में पुन: डिस्काउंट प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। एक ओर राज्यों (22 राज्य) द्वारा 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिलों में मार्च 2007 के अंत तक 45,769 करोड़ रुपए का उल्लेखनीय निवेश किया गया जो मार्च 2006 के अंत में (22 राज्यों द्वारा) किए गए 38,983 करोड़ रुपए के निवेश से 17 प्रतिशत अधिक था, तो दूसरी ओर नीलामी खज़ाना बिलों में मार्च 2007 के अंत तक राज्य सरकारों ने 34,186 करोड़ रुपए का निवेश किया जो मार्च 2006 के अंत में किए गए 12,883 करोड़ रुपए के निवेश से उल्लेखनीय रूप से 165 प्रतिशत अधिक था। इसका श्रेय राज्य सरकारों के पास लगातार जमा हो रही नकदी अधिशेष राशि और नीलामी खज़ाना बिलों में हुए अपेक्षाकृत ऊंचे लाभ (लगभग 7-8 प्रतिशत) को दिया जा सकता है।मासिक औसत देखा जाए तो यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2005-06 के दौरान (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिलों और नीलामी खज़ाना बिलों को मिलाकर कुल 41,066 रुपए के कुल निवेश की तुलना में 2006-07 के दरम्यान 63,995 रुपए का निवेश हुआ।

VI.16 राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के लिए गठितसलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री.एम.पी. बेज़बरुआ) की सिफारिशों के अनुसरण में वर्ष के अंत में 2006-07 के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की राज्यवार सीमाओं की समीक्षा की गई और यह निष्कर्ष

निकाला गया कि चूंकि (i) 2006-07 के दरम्यान राज्य सरकारों ने अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग कम किया है; (ii) बारहवें वित्त आयोग की अपेक्षानुसार वित्तीय वातावरण में हुए परिवर्तन के कारण राज्य सरकारों की स्थिति सुधरी है और इसके परिणामस्वरूप परिवर्तनकाल का अंत होने के संकेत मिल रहे हैं और (iii) 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों की सुदृढ़ चलनिधि स्थिति की अपेक्षा की गई है। तदनुसार यह निर्णय लिया कि वर्ष 2007-08 के लिए राज्यवार सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा में कोई परिवर्तन न किया जाए। वर्ष 2007-08 के लिए इस योजना के अन्य नियम और शर्तें भी यथावत् रहेंगी।

VI.17 वर्ष 2007-08 के दौरान अब तक राज्यों की चलनिधि स्थिति संतोषजनक रही है। वर्ष 2007-08 के दौरान (31 जुलाई, 2007 तक) 14 दिवसीय खज़ाना बिलों में राज्यों का औसत दैनिक निवेश 35,683 करोड़ रुपए रहा जो व्यापक रुप से पिछली वर्ष की इसी अवधि में किए गए निवेश के उसी स्तर पर है। दूसरी ओर वर्ष 2007-08 (31 जुलाई, 2007) के दौरान राज्यों का नीलामी खज़ाना बिलों में साप्ताहिक औसत निवेश 34,791 करोड़ रुपए रहा जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 16,919 करोड़ रुपए था। कुछ राज्यों को जो 2006-07 के दरम्यान खज़ाना बिलों में निवेश के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त राशि नहीं जुटा पाए, उन्हें अपनी अस्थायी नकदी कमी को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक की अर्थोपाय अग्रिम/ ओवर ड्राफ्ट सुविधा का सहारा लेना पड़ा। वर्ष 2007-08 के दौरान अब तक (31 जुलाई, 2007 तक) सात राज्यों ने सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सुविधा का उपयोग किया जिनमें से तीन राज्यों ने दो सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए इसका उपयोग किया और साथ ही ओवर-ड्राफ्ट का भी सहारा लिया। वर्ष 2007-08 के दरम्यान (31 जुलाई, 2007 तक) राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का औसतन साप्ताहिक उपयोग 763 करोड़ रहा जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह औसत 255 करोड़ रुपए था।

VI.18 वर्ष 2006-07 के दौरान बाज़ार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए 17,242 करोड़ रुपए की निवल राशि अनंतिम रूप से आबंटित की गई थी। 6,551 करोड़ रुपए का पुनर्भुगतान और 2,804 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन से वर्ष 2006-07 के दौरान सकल आबंटन 26,597 करोड़ रुपए हो गया। राज्य सरकारों ने 2006-07 में कुल 20,825 करोड़ रुपए की राशि जुटाई जबकि पिछले वर्ष यह राशि 21,729 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2006-07 के दौरान समस्त राशि नीलामी माध्यम से जुटाई गई जबकि पिछले वर्ष यह राशि 48.5 प्रतिशत और 2004-05 में 2.3 प्रतिशत थी। वर्ष 2006-07 के दौरान छ: राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और उड़ीसा) ने बाज़ार उधार कार्यक्रम में भाग नहीं लिया और दो राज्यों यथा; गोवा और त्रिपुरा ने अपने पूर्ण आबंटन का उपयोग नहीं किया।

VI.19 वर्ष 2006-07 के दरम्यान राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों का भारित औसत लाभ 47 आधार बिंदु पर स्थिर हुआ और 8.10 प्रतिशत तक पहुंचा जो केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ के समरूप रहा, जिससे ब्याज दर में हो रही सामान्य वृद्धि प्रतिबिंबित हुई। वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों की नीलामी में अधिकतम प्रतिफल 7.65-8.66 प्रतिशत के बीच रहा। यह प्रतिफल द्वितीयक बाज़ार में भारत सरकार की समरूप परिपक्वता अवधि वाली दिनांकित प्रतिभूतियों केलाभ की तुलना में 12 से 52 आधार बिंदु अधिक थे।

VI.20 मार्च 2007 के अंत तक 70.3 प्रतिशत बकाया प्रतिभूति ऋण का ब्याज दर 9 प्रतिशत से कम था (एक वर्ष पहले 65.6 प्रतिशत)। मार्च 2007 के अंत तक राज्य सरकारों के लगभग दो-तिहाई बकाया प्रतिभूति ऋण की परिपक्वता अवधि 6-10 वर्ष के बीच थी।

संभावनाएं

VI.21 वर्ष 2007-08 के दौरान केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से खुले बाजार से ली जाने वाली उधार कार्यक्रम की राशि पिछले वर्ष जुटायी गई वास्तविक राशि से कुछ अधिक रखी गई है। पिछले वर्ष की भांति 2007-08 के दौरान भी बाज़ार-विकास प्रक्रिया को जारी रखा गया है और क्रियाशील समेकन, स्ट्रिप्स का उपयोग, अस्थिर दर वाले बॉण्ड तथा मुद्रा-स्फीति सूची में शामिल बॉण्ड का पुन: उपयोग आदि उपाय अपनाए जाने की संभावना है। आशा की जाती है कि इन उपायों से ऋण प्रबंधन परिचालन की कार्य शैली बेहतर बनेगी। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की तरलता में वृद्धि करने और उनके बाज़ार उधार परिचालन को सुचारू बनाने के प्रयासों से न्यूनतम लागत पर निधियों को प्राप्त करने में सुविधा होगी। विभिन्न नीति प्रयासों के प्रभाव को देखते हुए आशा की जाती है कि वर्ष 2007-08 के लिए संयुक्त सरकारी उधार कार्यक्रम को ऋण प्रबंधन के लक्ष्यों के अनुसार सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा।

VII मुद्रा प्रबंध

VII.1 अच्छी गुणवत्ता के बैंक नोट तथा सिक्कों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना भारतीय रिज़र्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस उद्देश्य के लिए रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2006-07 के दौरान बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ बैंक नोटों की आम जनता की मांग को पूरा करने के उपाय जारी रखे। बैंक नोटों की मांग लगभग पूरी हो गई। निरंतर प्रयासों के चलते 10 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। मुद्रा तिजोरियों में नोट प्रोसेसिंग व्यवस्था को विभिन्न मुद्रा तिजोरियों में सॉर्टिंग मशीनें लगाकर आगे बढ़ाया गया। लखनऊ के नए उप कार्यालय में छः मुद्रा सत्यापन और संसाधन प्रणाली (सीवीपीएस) की स्थापना करके गंदे नोटों की निपटान क्षमता बढ़ाई गई है। इसके साथ, रिज़र्व बैंक के 19 कार्यालयों में कुल 54 सीवीपीएस, 28 श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग प्रणालियां लगाई गई हैं।

संचलन में बैंक नोट

VII.2 वर्ष 2006-07 के दौरान संचलन में बैंक नोटों का मूल्य 17.5 प्रतिशत तक (वर्ष 2005-06 के दौरान 16.8 प्रतिशत) बढ़ गया। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में आम जनता के पास मुद्रा का अनुपात, विगत वर्षों में लगातार बढ़कर, मार्च 1990 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 9.5 प्रतिशत से मार्च 2006 के अंत में 11.6 प्रतिशत और पुनः मार्च 2007 के अंत में 11.7 प्रतिशत हो गया है। व्यापक मुद्रा ($एम_3$) की तुलना में आम जनता के पास मुद्रा का अनुपात विगत कुछ वर्षों के दौरान धीरे-धीरे घटती हुई प्रवृत्ति को जारी रखते हुए मार्च 2006 के अंत में 15.1 प्रतिशत से घटकर मार्च 2007 के अंत में 14.6 प्रतिशत हो गया।

VII.3 बैंक नोटों की संख्या वर्ष 2006-07 के दौरान बढ़कर (एक वर्ष पूर्व 2.3 प्रतिशत) 5.2 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार बैंक नोटों की संख्या में वृद्धि, मुख्यतः उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों, खासकर 1000 रुपए और 500 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों के प्रति क्रमिक संरचनात्मक बदलाव के कारण, मूल्य की तुलना में पर्याप्त रूप से कम रही। जबकि वर्ष 2006-07 के दौरान 500 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या में 23.6 प्रतिशत तक (एक वर्ष पूर्व 19.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, 1000 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या में 45.7 प्रतिशत तक (एक वर्ष पूर्व 52.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चलन में और नए नोट डालने के लगातार प्रयासों के कारण 10 रुपए के बैंक नोटों की संख्या में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, 2 रुपए और 5 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की संख्या में वर्ष के दौरान कमी आई जबकि 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की संख्या प्रायः वर्ष 2005-06 के स्तर पर ही बनी रही।

मुद्रा परिचालन

VII.4 रिज़र्व बैंक ने आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोट उपलब्ध कराने के अपने प्रयास को जारी रखा। इस उद्देश्य से नये नोटों की नियमित आपूर्ति, गंदे बैंक नोटों के तेजी से निपटान, और नकदी संसाधन गतिविधि को शामिल करते हुए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया। हाल की अवधि में, बैंक नोटों के स्टैपल किए जाने की प्रथा को रोक देने से बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार को बल मिला है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे आम जनता को केवल स्वच्छ नोट ही जारी करें तथा स्टैपल न किए गए स्थिति में गंदे नोटों को मुद्रा तिजोरियों के माध्यम से रिज़र्व बैंक को परेषित करें। बैंक नोटों की चलन आयु बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं और रिज़र्व बैंक इस संबंध में विभिन्न विकल्पों की तलाश कर रहा है ।

नये बैंक नोटों का मुद्रण

VII.5 संख्या तथा मूल्य दोनों के अनुसार, मुद्रण प्रेसों से बैंक नोटों की आपूर्ति में पिछले वर्ष की तीव्र गिरावट की तुलना में वर्ष 2006-07 में सुधार हुआ है। संख्या के मामले में कुल आपूर्ति वर्ष 2006-07 के दौरान 64 प्रतिशत तक बढ़ी जबकि मूल्य के मामले में कुल आपूर्ति वर्ष के दौरान 115 प्रतिशत तक बढ़ी। वर्ष 2006-07 के दौरान माँग-पत्र की संख्या की दृष्टि से 99.8 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 99.0 प्रतिशत की कुल आपूर्ति की गई। मांगपत्र की तुलना में 20 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की कम आपूर्ति इस कारण से रही कि नई / अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं के साथ इस मूल्यवर्ग के नोटों का मुद्रण वर्ष 2006-07 के दौरान देरी से शुरु हुआ।

बैंक नोटों की नई/अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएँ

VII.6 बैंक नोटों में आम जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं को लागू किए जाने की समय-समय पर समीक्षा की है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2005-06 के दौरान कई नई/अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं के लागू किए जाने के साथ 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना प्रारंभ किया। इनमें (क) 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों में हरे से नीले रंग में बदलाव के साथ अधातुकृत, चुम्बकीय और मशीन के पढ़ने योग जालीदार सुरक्षा धागा, (ख) उन्नत उत्कीर्ण मुद्रण, (ग) वानस्पतिक अभिकल्प के बदले मूल्यवर्गीय संख्या को शामिल करते हुए आर-पार देखने योग्य उन्नत विशेषता, और (घ) वाटरमार्क विण्डों में महात्मा गाँधी के चित्र के किनारे मूल्यवर्गीय संख्यावाला इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क शामिल है। नई/अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं के साथ महात्मा गाँधी श्रृंखला 2005 में सभी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के जारी करने की प्रक्रिया 16 अगस्त 2006 को 20 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करने के साथ वर्ष 2006-07 के दौरान पूरी हुई । बैंक नोटों पर नई/अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं के साथ चित्रात्मक ब्योरेवाले पोस्टर आम जनता को शिक्षित करने के लिए सभी बैंकों को उपलब्ध कराए गए हैं। रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया गया है कि वे संगठनों जैसे रेलवे और पुलिस के प्राधिकारियों के माध्यम से तथा पोस्टरों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करके स्थानीय स्तर पर इन सुरक्षा विशेषताओं के प्रति आम जनता में जागरूकता पैदा करें। नए बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं से संबंधित विस्तृत ब्यौरा रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

स्टार श्रृंखला के बैंकनोट जारी किया जाना

VII.7 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2006-07 के दौरान 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के मूल्यवर्ग में स्टार श्रृंखला के बैंकनोट जारी करना प्रारंभ किया। स्टार श्रृंखला के बैंक नोट ठीक महात्मा गाँधी श्रृंखला वाले पहले के बैंक नोट जैसे ही दिखते हैं लेकिन उनमें क्रम संख्या और उपसर्ग के बीच संख्या पैनल में एक अतिरिक्त विशेषता अर्थात *(स्टार) होती है। स्टार श्रृंखला वाले नोटों के पैकेट सामान्यतः 100 की संख्या में होते हैं यद्यपि वे क्रमानुसार नहीं होते हैं। स्टार श्रृंखला प्रणाली, प्रिंटिंग प्रेसों में प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने तथा पुनर्स्थापन गतिविधि में लगे श्रम को कम करने में सहायता करती है। स्टार श्रृंखला संख्यांकित नए नोट/ नोटों वाले पैकेटों के बैण्ड पैकेटों में ऐसे बैंक नोटों की उपस्थिति का स्पष्ट संकेत देते हैं।

मुद्रा प्रबंध का कंप्यूटरीकरण

VII.8 रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के निर्गम विभागों में एक समेकित कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली

(आइसीसीओएमएस) स्थापित करने का कार्य किया है। इस परियोजना में सक्रिय निगरानी में सुरक्षित तरीके से और तुरंत, सक्षम और दोष-मुक्त रिपोर्टिंग और मुद्रा तिजोरी लेन-देनों के लेखांकन तथा निर्गम विभागों और केंद्रीय कार्यालय के बीच सूचनाओं के अबाध प्रवाह के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु कंप्यूटरीकरण तथा रिज़र्व बैंक के कार्यालयों के साथ मुद्रा तिजोरियों की नेटवर्किंग भी शामिल है। रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों ने मुद्रा तिजोरी रिपोर्टिंग प्रणाली (सीसीआरएस) और समेकित कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली -आईडी (आइसीसीओएमएस-आइडी) घटक के मुद्रा तिजोरी लेखांकन मॉड्यूल (सीएएम) पर लाइव-रन शुरु किया। एक बार जब ये दो घटक पूरा कर लिए जाने पर केंद्रीय कार्यालय के मुद्रा प्रबंध विभाग (डीसीएम) में मुद्रा प्रबंध सूचना प्रणाली (सीएमआइएस) का कार्यान्वयन किया जाएगा जिसका परीक्षण पहले ही शुरु किया जा चुका है।

संभावनाएं

VII.9 रिज़र्व बैंक, देश में सक्षम ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता के बैंक नोट और सिक्कों की पर्याप्त आपूर्ति के माध्यम से की दृष्टि से अपने मुद्रा प्रबंध को संचालित करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक, बैंक नोटों की संचलन आयु में वृद्धि के लिए विभिन्न विकल्प ढूंढ़ने के अपने प्रयास जारी रखेगा। परिचालन दक्षता में वृद्धि की दृष्टि से प्रणालियों और प्रक्रियाओं को विवेकसम्मत बनाने तथा मुद्रा प्रबंध में अंतरराष्ट्रीय न्यूनतम मानदंडों को स्थापित करने के प्रयत्न भी किए जाएंगे।

VIII भुगतान और निपटान प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी

VIII.1 प्रौद्योगिकी और संप्रेषण संबंधी बुनियादी सुविधाओं में तेज और लगातार हो रहे नवोन्मेष और भुगतान के विभिन्न प्रकारों से उसके समन्वयन से भुगतान और निपटान प्रणालियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली में अधिक कार्यकुशलता लाने की ओर बढ़ते समय इन नवोन्मेषों ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रणालियों में समन्वय आवश्यक बना दिया है। अतः रिज़र्व बैंक ने 2006-07 के दौरान जोखिम कम करने के लिए कदम उठाते हुए देश में कार्यकुशल और समन्वित भुगतान और निपटान प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इसके अलावा, हाल के वर्षों में रिज़र्व बैंक और वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र दोनों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के प्रयोग में विभिन्न बैंकिंग कार्यों में तेज विस्तार हुआ है। आईटी विकास से लेनदेन की भारी मात्रा की प्रक्रिया भी कार्यकुशल और विश्वसनीय तरीके से हो जाती है।

VIII.2 भुगतान और निपटान प्रणाली संबंधी विभिन्न पहलों का मुख्य बल भुगतान प्रणाली के इलेक्ट्रॉनिकीकरण और उपयुक्त कानूनी और प्रौद्योगिकीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर था। आरटीजीएस प्रणाली का टर्नओवर तेजी से बढ़ा है जिसका कारण भारी मूल्य के समयबद्ध महत्वपूर्ण भुगतानों का इस प्रणाली में आना तथा आरटीजीएस नेटवर्क का अधिक बैंक शाखाओं को कवर करना था। पेपर आधारित समाशोधन प्रणाली की कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने चेक ट्रंकेशन प्रणाली भी बनाई है। भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक संसद में रखा गया है। वह अधिनियमित हो जाने पर रिज़र्व बैंक को भुगतान और निपटान प्रणालियों की निगरानी का औपचारिक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक में हुई आईटी संबंधी गतिविधियों के संबंध में उद्यम समावेशक दृष्टिकोण अपनाना जारी रहा। आईटी प्रणाली के कार्यक्षम उपयोग और कारोबारी निरंतरता प्रदान करने की दृष्टि से अत्याधुनिक डाटा केंद्र गठित किए जा रहे हैं। बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान वर्ष के दौरान इन्फिनेट और राष्ट्रीय वित्तीय स्विच के प्रबंधन के अलावा बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रमाणीकरण प्राधिकारी संबंधी अपने कार्य करता रहा हैं।

भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड

VIII.3 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की समिति के रूप में मार्च 2005 में किया गया था जिसे देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के सहज विकास और कार्यप्रणाली का दायित्व सौंपा गया है। बोर्ड के विशिष्ट निर्देशों में निम्न बातें शामिल हैं : (i)कागज आधारित निधि अंतरण से इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली में जाने के लिए रोडमैप तैयार करना; (ii) तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) युक्त सभी शाखाओं को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के तहत लाना; (iii)पड़ोसी देशों (विशेष रूप से नेपाल) के साथ कम लागत की सीमापारीय प्रेषण प्रणाली की स्थापना की व्यवहार्यता का पता लगाना; (iv) चेक ट्रंकेशन प्रणाली में सहभागी होने के लिए छोटे बैंकों को सहायक सदस्यता देने वाले कुछ बड़े बैंकों की व्यवहार्यता का अध्ययन; (v) आरटीजीएस प्रणाली का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव; (vi) चुनिंदा देशों में भुगतान प्रणाली का अध्ययन करना ताकि भारत के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त हो; और (vii) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अधिक उपयोग के लिए कार्यनीतियों में से एक के रूप में क्रेडिट/डेबिट/ प्रिपेड कार्डों को प्रोत्साहन देना।

भुगतान और निपटान प्रणाली में गतिविधियां

VIII.4 मूल्य के संदर्भ में विभिन्न भुगतान और निपटान प्रणालियों में वार्षिक कारोबार 2006-07 में 37.5 प्रतिशत बढ़ा (2005-06 में 44.2 प्रतिशत)। जीडीपी के अनुपात के रूप में मात्रा के संदर्भ में वार्षिक कारोबार 2003-04 के 6.0 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 10.3 प्रतिशत हो गया। टर्नओवर में वृद्धि का कारण मुख्यतः वित्तीय बाजार की गतिविधियां बढ़ना कहा जा सकता है जिससे वित्तीय बाजार के विभिन्न घटकों को व्यापक और गहन बनाने के लिए किए गए विभिन्न उपाय प्रदर्शित होते हैं। 2006-07 में कारोबार में हुई वृद्धि में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली आगे थी; अब प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली घटक में हुआ कारोबार कुल कारोबार के 80 प्रतिशत से भी अधिक है। प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली के विभिन्न घटकों में मूल्य के संदर्भ में आरटीजीएस का भाग सर्वाधिक (50 प्रतिशत से अधिक) था जिसके बाद विदेशी मुद्रा समाशोधन और उच्च मूल्य वाले समाशोधन का स्थान था। आरटीजीएस प्रणाली का टर्नओवर मात्रा और मूल्य दोनों दृष्टि से तेजी से बढ़ता रहा (2005-06 की 183 प्रतिशत की सर्वोच्च वृद्धि की तुलना में 2006-07 में परवर्ती में 60 प्रतिशत वृद्धि)। आरटीजीएस में वृद्धि का कारण मुख्यतः बड़े मूल्य के टाइम क्रिटिकल भुगतानों का इस प्रणाली में आना और आरटीजीएस नेटवर्क में अधिक बैंक शाखाओं का कवर होना कहा जा सकता है।

VIII.5 समन्वित लेखांकन प्रणाली के साथ आरटीजीएस के समन्वयन से रिज़र्व बैंक में रखे चालू खातों से आरटीजीएस निपटान खातों में और उससे विपरीत ऑन लाइन निधि अंतरण सुविधा के प्रावधान की व्यवस्था हुई है। इस समन्वय से आरटीजीएस मुंबई में बहुविध निवल निपटान बॅच मोड के माध्यम से सीसीआइएल-परिचालित समाशोधन (अंतर बैंक सरकारी प्रतिभूतियां, अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय, सीबीएलओ और राष्ट्रीय वित्तीय स्विच) के निपटान भी सुगम हो गए हैं। आरटीजीएस - समन्वित लेखा प्रणाली का प्रतिभूति निपटान प्रणाली के साथ समन्वय होने से सहभागियों की पात्रता के अनुसार स्वचलित आंतरदिवसीय चलनिधि उपलब्ध हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी

VIII.6 रिज़र्व बैंक के दैनिक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है जिसका लक्ष्य कार्यक्षमता के लाभ प्राप्त करना है। रिज़र्व बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी का गहन प्रयोग उन अत्याधुनिक डाटा केंद्रों की स्थापना से दिख जाता है। रिज़र्व बैंक तीन डाटा केंद्र स्थापित कर रहा है जो प्रणाली का समेकन और केंद्रीकृत डाटा प्रक्रिया को समर्थ बनाने के अलावा किसी आकस्मिकता के समय कारोबार की निरंतरता और समस्या को कम करने में भी सहायता करेंगे। डाटा केंद्रों की स्थापना से प्रणाली का वर्तमान में फैले हुए सेटअप से डाटा केंद्र में केंद्रीकृत सुदृढ़ता की स्थिति में अंतरण हो जाएगा। केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस) प्रणाली और प्रलेख प्रबंधन सूचना प्रणाली (डीएमआइएस) नए सेटअप में अंतरित हो रही है जबकि केंद्रीकृत सार्वजनिक लेखा विभाग प्रणाली के अंतरण का कार्य जारी है, अन्य प्रणालियां अंतरण के विभिन्न चरणों में हैं।

रिज़र्व बैंक में प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन

VIII.7 रिज़र्व बैंक के आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाकारी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बाद तीन पहलूयुक्त दृष्टिकोण सामने आया है। इसमें निम्म बातें शामिल हैं: (क) डाटा केंद्रों में सुगम अंतरण सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकृत पहुंच के साथ केंद्रीकरण दृष्टिकोण का अनुपालन, (ख) बैंक के प्रत्येक कार्यालय में डेस्कटॉप पर विश्लेषणात्मक और निर्णय सहायता की सुविधाएं और ऑनलाइन लेनदेन प्रक्रिया के लिए

क्षमता प्रदान करने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और (ग) सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रिया के वातावरण में सुरक्षा का उच्च स्तर लागू करना।

VIII.8 रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यों के क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :

- मुंबई में जमा लेखा विभाग तत्कालीन बेसिस (BASIS) प्रणाली के स्थान पर नई समन्वित लेखांकन प्रणाली (आइएएस) के प्रयोग के लिए उसमें अंतरित हो गया है।
- नई केंद्रीकृत लोक लेखा विभाग प्रणाली चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली और हैदराबाद में कार्यरत की गई है।
- तीन वर्षों से कार्यरत केंद्रीकृत लोक ऋण कार्यालय का उन्नयन किया गया है ताकि ऋण प्रबंधन नीतियों की परिवर्तनशील आवश्यकताएं पूरी हो सके।
- समन्वित कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंधन प्रणाली 2006-07 में शुरू की गई जिसमें देश की मुद्रा तिजोरियों के 90 प्रतिशत से अधिक और लिंक कार्यालयों में से 92 प्रतिशत से अधिक मुद्रा नोटों की गतिविधि की रिपोर्टिंग इस प्रणाली के माध्यम से करते हैं।

VIII.9 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के बेहतर प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए इन प्रणालियों को मजबूत बनाने की आवश्यकता से डाटा केंद्रों की आवश्यकता निर्माण होती है। डाटा केंद्र कारोबार की निंरतरता का भी ध्यान रखते हैं जिनमें रिकवरी समय के उद्देश्य सामान्य मानकों से आगे, निकल जाते हैं और रिकवरी प्रक्रिया के उद्देश्य में शून्य डाटा हानि के स्तर आवश्यक होते हैं। इस दृष्टि से प्रणालियों की उच्च उपलब्धता डाटा केंद्रों को उपलब्ध कराई जा रही है जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीय मंच उपलब्ध कराने के अलावा अपटाइम इंस्टीट्यूट के टियर IV मानकों के अनुरूप भी होगा।

संभावनाएं

VIII.10 रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणालियों में एक सुरक्षित तरीके से अधिक कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के अपने लक्ष्य पर कार्यरत रहेगा। आगामी वर्षों में भुगतान और निपटान के इलेक्ट्रॉनिक साधनों को प्रोत्साहित करते हुए विद्यमान भुगतान प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कुछ पड़ोसी देशों के बीच प्रेषण सुविधा के लिए बुनियादी सुविधाएं निर्मित करने के प्रयास जारी रहेंगे। ग्राहक सेवा को समयबद्ध, सस्ती और विश्वसनीय बनाने की दृष्टि से भुगतान और निपटान प्रणालियों की वार्षिक समीक्षा का प्रस्ताव है जो 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष से शुरू होगा। समीक्षा का आधार ग्राहक सेवा की समयबद्धता, परिचालन लागत, सेवा प्रभार और वित्तीय प्रणाली पर समग्र प्रभाव के मानदंड होंगे।

VIII.11 रिज़र्व बैंक आईटी के व्यापक और समग्र उपयोग से संगठन के भीतर अधिक परिचालनात्मक कार्यक्षमता लाने के अपने प्रयास अधिक गहन करेगा। इस संदर्भ में, डाटा केंद्रों की स्थापना से कार्यमूलक इकाइयां अपने कारोबार से संबंधित कार्यों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उन पहलुओं पर भी अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगी जो डाटा केंद्रों द्वारा केंद्रीय रूप से प्रबंधित किए जा रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र के प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज की समीक्षा वित्तीय प्रणाली की गतिविधियों के आधार पर की जाएगी।

IX मानव संसाधन विकास और संगठनात्मक मामले

IX.1 बाहरी परिवेश में लगातार हो रहे विनियंत्रण, उदारीकरण तथा अर्थव्यवस्था में आये खुलेपन के चलते जो परिवर्तन हुए हैं उनको देखते हुए मानव संसाधन प्रबंधन का महत्व काफी बढ़ जाता है। अतः रिज़र्व बैंक ने मानव संसाधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रयास जारी रखे। सीखने के एक ऐसे माहौल के निर्माण पर बल दिया गया जो कार्यात्मक योग्यता, अंतर्वैयक्तिक संबंध तथा नेतृत्व के विकास में सहायक हो, सृजनशीलता तथा संप्रेषण की क्षमता बढ़ाए तथा विविध संस्कृतियों वाले कार्य के माहौल में तथा विविध-कार्य वाली टीम के साथ कार्य करने की क्षमता का विकास करे। भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों को अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं के साथ बेंचमार्क करने की प्रक्रिया वर्ष 2006-07 के दौरान जारी रही। अपनी नीतियों से आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक संप्रेषण संबंधी अपनी रणनीति को समुचित रूप से तैयार तथा विकसित कर रहा है। शीर्ष प्रबंधतंत्र द्वारा दिए गए व्याख्यान, विभिन्न कार्यदल की रिपोर्टें, नियमित प्रकाशन जो कि संचार संबंधी नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं।

मानव संसाधन संबंधी पहल

प्रशिक्षण तथा दक्षता बढ़ाना

IX.2 रिज़र्व बैंक के तीन प्रशिक्षण महाविद्यालयों, अर्थात् बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय(बीटीसी), मुंबई, रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (आरबीएससी), चेन्नै तथा कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे ने बैंकिंग उद्योग तथा रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा किया। चार आंचलिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (जेटीसी) ने रिज़र्व बैंक के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ के प्रशिक्षण की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया।

प्रसार नीति

IX.3 जनता को अपनी नीतिगत पहल स्पष्ट करने और उसके विश्लेषण के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने प्रेस विज्ञप्तियों, अधिसूचनाओं, मास्टर परिपत्रों, प्रकाशनों, वक्तव्यों, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और विज्ञापनों के माध्यम से सूचना का व्यापक प्रसार किया है। 30 जून 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने 1826 प्रेस विज्ञप्तियां, 79 मास्टर परिपत्र और 447 अधिसूचनाएं जारी कीं। विशेष व्यक्तियों से चर्चा हेतु बैठकों, कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों का आयोजन किया गया। आम जनता द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ई-मेल हेल्पडेस्क द्वारा दिए गए। जनता द्वारा विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित हेल्पडेस्क को ई-मेल / दूरभाष/ फैक्स के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाते रहे। ये प्रश्न सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के अतिरिक्त हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

IX.4 भारत सरकार ने 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया। यह अधिनियम 12 अक्तूबर 2005 से लागू हुआ और इसका उद्देश्य नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करना है ताकि प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदिर्शता और जवाबदेही बढ़ सके। जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में पारिभाषित किया गया है, एक सरकारी प्राधिकरण होने के नाते रिज़र्व बैंक जनता को सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय विभागों में इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना अथवा अपील के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) नामित किए गए हैं।

अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ने के परिणामस्वरूप सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई और यह संख्या 796(अक्तूबर 2005 से जून 2006 तक) से बढ़कर 2,163(जुलाई 2006 से जून 2007 तक) हुई। इस अवधि के दौरान प्राप्त लगभग 95 प्रतिशत अनुरोध का समाधान किया गया। साथ ही, उक्त अवधि के दौरान जानकारी न देने के विरुद्ध बैंक के अपील प्राधिकारी को 393 अपील प्राप्त हुए। 53 मामलों में अपीलकर्ताओं ने केंद्रीय सूचना आयोग(सीआईओ) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है।

जोखिम प्रबंध

IX.5 रिज़र्व बैंक विविध स्वरूप के अनेक कार्य करता है। इन कार्यों के फलस्वरूप उसे विभिन्न प्रकार की जोखिमों यथा बाजार जोखिम, ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम और परिचालनगत जोखिमों का सामना करना पड़ता है। बाज़ार जोखिम, महत्वपूर्ण जोखिमों का एक ऐसा स्रोत है जिसका सामना रिज़र्व बैंक को करना पड़ता है। यह जोखिम भारत और विदेश दोनों जगह विनिमय दर और ब्याज दर में परिवर्तनों के कारण इसकी वित्तीय आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होती है। रिज़र्व बैंक का तुलनपत्र हाल के वर्षों में अपनी विदेशी मुद्रा आस्तियों के हिस्से में वृद्धि के कारण विनिमय दर में परिवर्तनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो गया है। चूँकि विदेशी मुद्रा आस्तियां निश्चित आय वाले लिखतों में निवेश की जाती है अतः वे भी विनिमय दर परिवर्तनों के अधीन रहती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण का जमाराशियों और ऋण लिखतों में विनियोजन, रिज़र्व बैंक के उधार अथवा पुनर्वित्त परिचालनों से उसे ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। चलनिधि जोखिम तब पैदा होती है जब बाजारों में हस्तक्षेप करने के लिए अथवा अन्य नकदी देयताएं पूरी करने के लिए विदेशी मुद्रा आस्तियों को नकद में परिवर्तित करना पड़ता है। रिज़र्व बैंक को परिचालन जोखिम का भी सामना करना पड़ता है जो अपर्याप्त अथवा फेल आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्ति और प्रणालियां अथवा बाह्य घटनाओं के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि के रूप में परिणित होती है।

IX.6 इन जोखिमों का प्रबंध निर्दिष्ट नीति के अनुसार किया जाता है। बाजार जोखिम की आवधिक रूप से निगरानी की जाती है। ऋण जोखिम का प्रबंधन काउंटर पार्टियों के लिए सीमाएं निर्धारित करके तथा सुपुर्दगी बनाम भुगतान प्रणालियों के माध्यम से लेनदेन करके किया जाता है। चलनिधि जोखिम का प्रबंधन अत्यंत चलनिधि वाली आस्तियों में विदेशी मुद्रा आस्तियों का एक पर्याप्त हिस्सा विनियोजित करके कारगर रूप से किया जाता है।

IX.7 सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों / निरीक्षण / लेखा परीक्षा व्यवस्थाएं और विधिवत निर्दिष्ट की गई प्रक्रियाएं और नीतियां, प्रणालियों के लिए बिजनेस कांटिन्यूटी प्लान, आस्तियों का बीमा और भौतिक सुरक्षा, प्रक्रिया नियंत्रण तथा आंकड़ों की वास्तविकता (इंटिग्रेटी) के लिए सत्यता की जांच सुनिश्चित करके परिचालनगत जोखिम को दूर करने के लिए भी पर्याप्त उपाय किए गए हैं। परिचालन जोखिम का प्रबंध करने के लिए मानव निष्ठा और सतर्कता बढ़ाने के संबंध में अधिक जोर दिया जा रहा है। चूँकि परिचालन जोखिम मात्रात्मक रूप से तय नहीं की जा सकती, रिज़र्व बैंक में विगत हानियों / परिचालन जोखिमों का विश्लेषण करने और उनके नियंत्रण के लिए एक आंकड़ा आधार विकसित करने के उपाय भी शुरू कर दिए गए हैं।

अनुसंधान गतिविधियां

आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग

IX.8 आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग अर्थव्यवस्था के विविध पहलुओं से संबंधित नीतिगत अनुसंधान प्रदान करता है। विभाग ने अपने प्रमुख प्रकाशनों के माध्यम से रिज़र्व बैंक की नीतियों एवं मूल्यांकन की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाने में

रिज़र्व बैंक के प्रयासों में योगदान किया है। विभाग द्वारा सांविधिक रिपोर्टें, रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2005-06, और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2005-06 तैयार की गई और वर्ष के दौरान जारी की गई। मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2005-06 में 'वित्तीय बाज़ारों का विकास तथा केंद्रीय बैंक की भूमिका' विषयों को शामिल करते हुए इसे वर्ष के दौरान जारी किया गया। इस रिपोर्ट में वित्तीय बाजार के विभिन्न खण्डों में हुए विकास के विविध पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है और यह भारत में वित्तीय बाजार के प्रगामी विकास हेतु प्रत्येक बाजार खण्ड के संबंध में भावी दृष्टिकोण प्रदान करता है। वर्ष के दौरान प्रकाशन 'राज्य वित्त : वर्ष 2006-07 का बजट अध्ययन', जारी किया गया जो राज्य सरकारों के समेकित वित्त में हो रही प्रगति तथा उसकी प्रवृत्तियों का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग

IX.9 सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित उच्च गुणवत्ता की सांख्यिकीय सेवा उपलब्ध कराता है जिसमें सूचनाओं का संग्रहण, संकलन, विश्लेषण और प्रसारण शामिल है। विभाग को इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसारण प्लेटफार्म के प्रबंधन का कार्य भी सौंपा गया है जैसे - केंद्रीय डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली (सीडीबीएमएस) और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित डाटाबेस (डीबीआइई)। अन्य विभागों को सांख्यिकीय विश्लेषण तथा विशिष्ट क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डाटा प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना भी विभाग की प्रमुख गतिविधियों का हिस्सा है।

केंद्रीय बोर्ड और उसकी समितियां

IX.10 30 जून 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान केंद्रीय बोर्ड की सात बैठकें आयोजित की गईं। इनमें से चार बैठकें पारंपरिक केंद्रों (नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै और मुंबई) तथा तीन बैठकें गैर-पारंपरिक केंद्रों (रायपुर, हैदराबाद और शिमला) में आयोजित हुईं। वर्ष के दौरान केंद्रीय बोर्ड समिति की मुंबई में छियालीस साप्ताहिक बैठकें संपन्न हुईं। रिज़र्व बैंक के कार्यों को दिशा प्रदान करने हेतु केंद्रीय बोर्ड की सहायता के लिए तीन समितियों (केंद्रीय बोर्ड की समिति, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड और भुगतान एवं निपटान प्रणाली बोर्ड) तथा तीन उप-समितियों (निरीक्षण और लेखा परीक्षा उप-समिति, स्टाफ उप-समिति तथा भवन उप-समिति) का गठन किया गया है। केंद्रीय बोर्ड की समिति, पहले की तरह निर्गम और बैंकिंग विभाग से संबंधित रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक लेखों को अनुमोदन देने के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के वर्तमान कारोबार को भी देखती है। केंद्रीय बोर्ड की बैठकों की चर्चा में आमतौर पर जो मामले शामिल होते हैं वे सामान्य अधीक्षण तथा रिज़र्व बैंक के कार्यों को दिशा प्रदान करने से संबंधित होते हैं, जिसमें निदेशक विभिन्न क्षेत्रों के अपने व्यापक अनुभवों के आधार पर अन्य बातों के साथ मुद्रा प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण, मौद्रिक और ऋण नीति, रिज़र्व बैंक की लेखांकन नीति तथा आंतरिक ऋण प्रबंध नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में सक्रिय योगदान देते हैं। बोर्ड की चर्चाओं में विकास के फायदे समाज के गरीब वर्गों तक तथा कृषि क्षेत्र के एवं सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने के संबंध में गंभीर मूल्यांकन करने पर भी ज़ोर दिया जाता है।

केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड के निदेशक/सदस्य

IX.11 श्री डी.एस.ब्रार के 2 जनवरी, 2007 से केंद्रीय बोर्ड का निदेशक नहीं रहने पर उनके स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(ग) के अंतर्गत श्री संजय लाबू को 2 जनवरी 2007 से रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक नामित किया गया। श्री लाबू को केंद्रीय बोर्ड की

निरीक्षण और लेखा-परीक्षा उप-समिति में नामित किया गया है। श्री अशोक के.झा के स्थान पर 10 मई 2007 से डॉ. डी.सुब्बाराव, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (घ) के अधीन केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया था क्योंकि 2 जुलाई 2007 से डॉ. सुब्बा राव को वित्त सचिव और सचिव, आर्थिक कार्य विभाग के रूप में पदनामित कर दिया गया है। प्रो. महेंद्र सिंह सोढ़ा ने व्यक्तिगत कारणों से 10 मई 2007 से स्थानीय बोर्ड (पश्चिम क्षेत्र) से अपना त्याग पत्र दे दिया।

X वर्ष 2006-07 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

X.1 वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक में बैंक की 31,43,39,200 शेयरों (बही मूल्य 1,222.73 करोड़ रुपए) की समग्र इक्विटी धारिता बाजार दर पर भारत सरकार को अंतरित कर दी गई जिससे 34,308.60 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। इस असाधारण लाभ मद को ब्याज और अन्य आय के अंतर्गत लिया गया है जिससे इन आंकड़ों की पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती।

भारत सरकार को अंतरणीय अधिशेष

X.2 वर्ष 2006-07 के लिए भारत सरकार को अंतरणीय अधिशेष की राशि 45,719.60 करोड़ रुपए है; जिसमें शामिल हैं (i) विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज के अंतर के लिए 1,914.00 करोड़ रुपए, जिसका उद्देश्य उस ब्याज व्यय के अंतरों के लिए सरकार को क्षतिपूर्ति देना है जो विशेष प्रतिभूतियों के परिवर्तन के परिणामस्वरूप सरकार को वहन करना पड़ा था; (ii) रिज़र्व बैंक के पास रखे भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों की भारत सरकार को बिक्री से लाभ के 34,308.60 करोड़ रुपए।

आय

X.3 वर्ष 2006-07 के लिए रिज़र्व बैंक की सकल आय 75,348.33 करोड़ रुपए थी जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों की बिक्री से हुए लाभ के 34,308.60 करोड़ रुपए शामिल हैं। स्टेट बैंक के शेयरों की बिक्री से हुए लाभ को छोड़कर सकल आय 41,039.73 करोड़ रुपए थी, इसमें पिछले वर्ष से 55.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। यह मुख्य रूप से विदेशी स्रोतों से आय में वृद्धि के कारण थी। वर्ष के दौरान घरेलू स्रोतों (स्टेट बैंक के शेयरों की बिक्री पर हुए लाभ को छोड़कर) से भी आय बढ़ी।

विदेशी स्रोतों से अर्जन

X.4 विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के विनियोजन से रिज़र्व बैंक के अर्जन में 2005-06 के 24,538.03 करोड़ रुपए से 2006-07 में 35,152.99 करोड़ रुपए अर्थात 10,614.96 करोड़ रुपए (43.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण है विदेशी मुद्रा आस्ति के स्तर में वृद्धि और विश्वभर में अल्पावधि ब्याज दरों का बढ़ना। प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर मूल्यांकन में ह्रास का हिसाब लगाने से पहले विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण पर अर्जन की दर 2006-07 में 4.7 प्रतिशत रही जबकि 2005-06 में यह दर 4.1 प्रतिशत थी। ह्रास को हिसाब में लेने के बाद विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण पर अर्जन की दर 2005-06 के 3.9 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 4.6 प्रतिशत हो गई।

देशी स्रोतों से आय

X.5 वर्ष 2006-07 में देशी आय में (भारत सरकार को भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों की बिक्री से हुए लाभ को छोड़कर) पिछले वर्ष के 1,782.28 करोड़ रुपए की तुलना में 5,886.74 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई । देशी आय में वृद्धि मुख्य रूप से बैंक के पोर्टफोलियो में रखी गई प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास के लिए किए गए कम प्रावधान के कारण हुई। 2006-07 के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अर्जित उच्चतर निवल ब्याज ने भी उच्चतर आय में योगदान दिया। भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों की बिक्री पर लाभ सहित देशी आय 2005-06 के दौरान हुई 1,782.28 करोड़ रुपए की आय से बढ़कर 2006-07 के दौरान 40,195.34 करोड़ रुपए हो गई।

व्यय

X.6 रिज़र्व बैंक के कुल व्यय में 1,315.15 करोड़ रुपए (22.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई अर्थात यह 2005-06 में 5,849.10 करोड़ रुपए से बढ़कर 2006-07 में 7,164.25 करोड़ रुपए हो गया।

ब्याज भुगतान

X.7 ब्याज भुगतान 389.03 करोड़ रुपए (25.5 प्रतिशत) घटा अर्थात 2005-06 के 1,524.41 करोड़ रुपये से 2006-07 में 1,135.38 करोड़ रुपए हो गया। यह मुख्य रूप से पात्र नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) शेषों पर कम ब्याज भुगतान के कारण हुआ। इसके अलावा, 31 मार्च 2007 से पात्र सीआरआर शेषों पर कोई ब्याज देय नहीं है। इस तरह, वर्ष 2006-07 के दौरान केवल 9 महीनों के लिए ब्याज भुगतान किया गया।

स्थापना व्यय

X.8 कुल स्थापना व्यय 2005-06 के 919.88 करोड़ रुपए से बढ़कर 2006-07 में 1,425.81 करोड़ रुपए हो गया, जोकि मुख्य रूप से बीमांकिकों द्वारा बताए गए अनुसार ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता निधि में 2005-06 में किए गए 19.26 करोड़ रुपए के प्रावधान की जगह 2006-07 में बढ़ाकर किए गए 453.01 करोड़ रुपए के प्रावधान के कारण था। इस प्रावधान को घटाकर यह वृद्धि 72.18 करोड़ रुपए थी। 2006-07 के दौरान स्थापना व्यय में वेतन (30.2 प्रतिशत), भत्ते (18.2 प्रतिशत), निधियां (35.1 प्रतिशत) और विविध व्यय (16.5 प्रतिशत) शामिल थे।

गैर स्थापना व्यय

X.9 2006-07 (जुलाई-जून) में प्रतिभूति मुद्रण प्रभार (चेक, नोट फार्म, आदि)पर किया गया व्यय 2005-06 के 1,034.86 करोड़ रुपए से 986.03 करोड़ रुपए (95.3 प्रतिशत) बढ़कर 2,020.89 करोड़ रुपए हो गया। व्यय में हुई इस वृद्धि का कारण था बैंक नोटों की आपूर्ति में वृध्दि जो 2005-06 के 7001 मिलियन नग से बढ़कर 2006-07 में 11,473.3 मिलियन नग हो गई। दूसरा अन्य कारण था अतिरिक्त/नई सुरक्षा विशेषताओं वाले बैंक नोटों की शुरुआत।

तुलन पत्र

देयताएं

X.10 वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 ग के अधीन स्थापित) में रिज़र्व बैंक की आय में से निधि में 1.00 करोड़ रुपए जमा करने के सिवाय कोई भी परिचालन नहीं हुआ। राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि जनवरी 1989 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46घ (1) के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित की गई थी। वर्ष 2006-07 के दौरान इस निधि में रिज़र्व बैंक की आय से 1.00 करोड़ रुपए का सांकेतिक अंशदान किया गया। 'जमाराशियां-बैंक' उस शेष राशि को दर्शाता है जो बैंकों द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने के लिए और समाशोधन समायोजनों के लिए कार्यकारी निधियों के रूप में रिज़र्व बैंक में चालू खाते में रखी जाती हैं। 'जमाराशियां-अन्य' में वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त जमाराशियां, कर्मचारी भविष्य निधि जमाराशियां, सरकार को अंतरित किए जाने तक अधिशेष के रूप में निर्दिष्ट राशियाँ और विविध जमाराशियां शामिल हैं।

X.11 'अन्य देयताओं' में रिज़र्व बैंक की आंतरिक आरक्षित निधियां और प्रावधान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य खाते में निवल जमा शेष शामिल हैं। इन देयताओं के 30 जून 2006 के 1,72,373.80 करोड़ रुपए से घटकर 30 जून 2007 को 1,29,200.02 करोड़ रुपए हो जाने से देयताओं में 43,173.78 करोड़ रुपए (25.1 प्रतिशत) की गिरावट आई जिसका मुख्य कारण मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में कमी थी।

मुद्रा तथा स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) और विदेशी मुद्रा समतुल्यीकरण खाता (ईईए)

X.12 विनिमय दरों में और / अथवा सोने के भावों में होनेवाली घट-बढ़ के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों और सोने के मूल्य निर्धारण से होने वाले लाभ / हानि

को लाभ-हानि खाते में दर्ज नहीं किया जाता बल्कि उन्हें एक अलग तुलनपत्र शीर्ष के अंतर्गत जिसे मुद्रा तथा स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) कहते हैं, रखा जाता है। इसकी शेष राशि विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्य निर्धारण में संचित निवल लाभ को दर्शाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान मुद्रा तथा स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में 65,065.66 करोड़ रुपए की कमी आई। इस प्रकार, इसकी शेष राशि 30 जून 2006 के 86,789.18 करोड़ रुपए से घट कर 30 जून 2007 को 21,723.52 करोड़ रुपए हो गई। जून 2007 के अंत में मुद्रा तथा स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में शेष राशि रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा स्वर्ण की धारिता के 2.5 प्रतिशत के बराबर थी जबकि जून 2006 के अंत में यह 11.6 प्रतिशत थी। यह कमी भारतीय रुपए की तुलना में अमरीकी डालर के मूल्य में ह्रास के कारण थी जिसकी गणना 2006-07 के दौरान विदेशी मुद्रा आस्तियों के बढ़े हुए स्तर पर की गई थी। विदेशी मुद्रा समतुल्यीकरण खाते (ईईए) की शेष राशियां वायदा वचनबद्धताओं से उत्पन्न विदेशी मुद्रागत हानियों हेतु किए गए प्रावधान को दर्शाती हैं। 30 जून 2007 को विदेशी मुद्रा समतुल्यीकरण खाते में शेष 9.68 करोड़ रुपए था। सीजीआरए और ईईए के शेषों को तुलनपत्र में 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत समूहित किया गया है।

आकस्मिक आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि

X.13 रिज़र्व बैंक एक आकस्मिक आरक्षित (सीआर) निधि रखता है ताकि वह अप्रत्याशित और अनपेक्षित आकस्मिकताओं के आघात को सह सके। 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक की आय से सीआर में 20,488.97 करोड़ रुपए के अंतरण के कारण सीआर का शेष 30 जून 2006 के 73,281.10 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून 2007 को 93,770.07 करोड़ रुपए हो गया। आकस्मिक निधि में जमा शेष आकस्मिक देयताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।

X.14 आंतरिक पूंजी व्यय को पूरा करने तथा अपनी सहायक और संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 1997-98 में एक पृथक आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर) गठित की थी जिसका उद्देश्य आकस्मिक आरक्षित निधि के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत रिज़र्व बैंक की कुल आस्तियों के एक प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुँचना है। 2006-07 के दौरान, आय से एडीआर को 1,971.51 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई जिससे इसका स्तर 30 जून 2006 के 7,592.82 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून 2007 को 9,564.33 करोड़ रुपए हो गया। 30 जून 2007 को आकस्मिक आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि दोनों को मिलाकर बैंक की कुल आस्तियाँ 10.3 प्रतिशत होती हैं।

आस्तियां

विदेशी मुद्रा आस्तियां

X.15 विदेशी मुद्रा आस्तियों में, निर्गम विभाग में रखी विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी राशियां तथा बैंकिंग विभाग में रखी विदेशी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं। ऐसी आस्तियां 30 जून 2006 के 7,18,701.18 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून 2007 को 8,39,878.79 करोड़ रुपए हो गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियों के स्तर में वृद्धि मुख्यतया बाजार से अमरीकी डालर की निवल खरीद, प्राप्त ब्याज तथा बट्टे के कारण थी।

भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में निवेश

X.16 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में निवेश जो 30 जून 2006 को 38,934.50 करोड़ रुपए था, 50,145.16 करोड़ रुपए (128.8 प्रतिशत) बढ़कर 30 जून 2007 को 89,079.66 करोड़ रुपए हो गया। इस वृद्धि के लिए व्यापक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) परिचालनों के अंतर्गत की गई खरीदों को उत्तरदायी माना जा सकता है, क्योंकि प्रणाली में उपलब्ध चलनिधि की स्थिति 30 जून 2006 को अधिशेष से बदलकर 29 जून 2007 को घाटे की स्थिति में आ गई ।

सहायक संस्थाओं तथा संबद्ध संस्थाओं के शेयरों में निवेश

X.17 वर्ष के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक (1,222.73 करोड़ रुपए) में बैंक की धारिताएं भारत सरकार को बेच दी गईं। इसकी सहायक और संबद्ध संस्थाओं में रिज़र्व बैंक के निवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

अन्य आस्तियां

X.18 'अन्य आस्तियों' में मुख्य रूप से मीयादी आस्तियां, बैंकिंग विभाग में स्वर्ण धारिताएं, अधूरी परियोजनाओं पर व्यय राशि और स्टाफ अग्रिम शामिल हैं। 'अन्य आस्तियों' का स्तर 6,620.71 करोड़ रुपए (32.1 प्रतिशत) बढ़ गया है अर्थात 30 जून 2006 के 20,623.80 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून 2007 को 27,244.51 करोड़ रुपए हो गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2007 की स्थिति का तुलन-पत्र
निर्गम विभाग

(हजार रुपए)

2005-06	देयताएं		2006-07	2005-06	आस्तियां		2006-07
	बैंकिंग विभाग में				**स्वर्ण सिक्के तथा सोना-चांदी:**		
11,60,96	**रखे गए नोट**	**16,99,84**		23265,67,29	(क) भारत में धारित	**22592,97,15**	
440977,00,18	**परिचालन में नोट**	**506545,30,17**		–	(ख) भारत के बाहर धारित	**–**	
				416525,46,17	**विदेशी प्रतिभूतियां**	**482800,79,66**	
440988,61,14	**कुल जारी नोट**		**506562,30,01**	439791,13,46	**कुल**		**505393,76,81**
				151,04,68	**रुपया सिक्का**		**122,10,20**
				1046,43,00	**भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां**		**1046,43,00**
				–	**आंतरिक विनिमय पत्र एवं अन्य वाणिज्यिक पत्र**		**–**
440988,61,14	**कुल देयताएं**		**506562,30,01**	440988,61,14	**कुल आस्तियां**		**506562,30,01**

बैंकिंग विभाग

2005-06	देयताएं	2006-07	2005-06	आस्तियां	2006-07
5,00,00	**प्रदत्त पूंजी**	**5,00,00**	11,60,96	**नोट**	**16,99,84**
6500,00,00	**आरक्षित निधि**	**6500,00,00**	10,32	**रुपया सिक्के**	**3,84**
	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		4,16,82	**छोटे सिक्के**	**3,82**
15,00,00	**(दीर्घावधि परिचालन) निधि**	**16,00,00**			
	राष्ट्रीय आवास ऋण			**खरीदे तथा भुनाए गए बिल:**	
189,00,00	**(दीर्घावधि परिचालन) निधि**	**190,00,00**	–	(क) आंतरिक	–
			–	(ख) बाह्य	–
			–	(ग) सरकारी खजाना बिल	–
	जमाराशि		278498,41,58	**विदेशों में रखी गई राशि**	**329695,08,67**
	(क) सरकार				
33395,23,29	(i) **(क) सरकार**	**81236,85,31**			
41,17,69	(ii) राज्य सरकारें	**41,18,09**			
	(ख) बैंक		65538,16,23	**निवेश**	**118166,19,46**
126129,85,51	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**206613,01,42**			
1827,03,54	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	**2620,36,50**			
2207,55,33	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	**3475,30,34**			
50,68,59	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	**50,70,07**			
4053,46,63	(v) अन्य बैंक	**5774,86,24**			
20613,91,74	**(ग) अन्य**	**59249,57,87**		**निम्नलिखित को दिए गए ऋण तथा अग्रिम :**	
			–	(i) केंद्र सरकार	**19421,00,00**
			105,74,00	(ii) राज्य सरकार	**174,40,00**
429,44,80	**देय बिल**	**419,19,77**		**निम्नलिखित को दिए गए ऋण तथा अग्रिम :**	
			2,06,00	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**580,53,00**
			–	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	**10,00,00**
			–	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	–
			–	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	–
			2962,87,96	(v) नाबार्ड	**–**
			34,23,00	(vi) अन्य	**33,28,48**
172373,79,72	**अन्य देयताएं**	**129200,02,09**		**राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश:**	
				(क) निम्नलिखित को दिए गए ऋण तथा अग्रिम:	
			–	(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	**–**
			–	(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	**–**
			–	(iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	**–**
			–	(iv) अन्य	**–**
				(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किए गए बांडों/डिबेंचरों में निवेश:	
			–	(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	**–**
			–	(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	**–**
			–	(iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	**–**
			–	(iv) अन्य	**–**
				राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश :	
				(क) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण और अग्रिम	
			50,00,00		**50,00,00**
				(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांडों/डिबेंचरों में निवेश	
			–		**–**
			20623,79,97	**अन्य आस्तियां**	**27244,50,59**
367831,16,84	**कुल देयताएं**	**495392,07,70**	367831,16,84	**कुल आस्तियां**	**495392,07,70**

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखे पर टिप्पणियां संलग्नक में दी गई हैं।

30 जून 2007 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

(हज़ार रुपए)

2005-06	आय		2006-07
14257,09,61	**ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि** [1]		**52887,85,08**
14257,09,61	**जोड़**		**52887,85,08**
	व्यय		
1524,41,09	**ब्याज**		**1135,38,41**
919,88,29	**स्थापना**		**1425,81,16**
1,19,11	**निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और खर्च**		**1,50,46**
17,01,03	**खजाना प्रेषण**		**21,22,84**
1833,55,04	**एजेंसी प्रभार**		**2042,49,63**
1034,86,21	**प्रतिभूति मुद्रण (चेक, नोट फार्म आदि)**		**2020,89,24**
17,50,64	**मुद्रण और लेखन-सामग्री**		**17,49,52**
46,70,75	**डाक-टिकट और दूरसंचार प्रभार**		**34,87,24**
59,10,63	**किराया, कर, बीमा, बिजली आदि**		**60,05,12**
1,88,91	**लेखा-परीक्षकों के शुल्क और खर्च**		**1,81,82**
2,95,27	**विधि प्रभार**		**1,76,95**
179,25,59	**बैंक संपत्ति का मूल्यह्रास और उसकी मरम्मत**		**181,40,07**
210,77,05	**विविध व्यय**		**219,52,25**
5849,09,61	**जोड़**		**7164,24,71**
8408,00,00	**उपलब्ध शेष राशि**		**45723,60,37**
	घटाइए: निम्नलिखित में अंशदान:		
	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1,00,00	
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि [2]	1,00,00	
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि [2]	1,00,00	
	राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1,00,00	
4,00,00			**4,00,00**
8404,00,00	**केंद्रीय सरकार को देय अधिशेष**		**45719,60,37**

1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार 22,460,47,52 हजार रुपए (2005-06 - में 12063,21,12 हज़ार रुपए) का सामान्य या आवश्यक प्रावधान करने के बाद।
2. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं ।

प्रबाल सेन	**उषा थोरात**	**श्यामला गोपीनाथ**	**वी. लीलाधर**	**राकेश मोहन**	**वाइ.वी.रेड्डी**
मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक, इसके द्वारा केंद्रीय सरकार को 30 जून 2007 की स्थिति का बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं ।

हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के 30 जून 2007 की स्थिति के तुलन-पत्र की और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि लेखे की जांच की है और यह रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से जो जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा, वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिए गए और वे संतोषजनक हैं ।

इस वित्तीय विवरण में बैंक के उन्नीस लेखा यूनिटों के लेखा शामिल किए गए हैं जो संविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा परीक्षित हैं। शाखा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है जिसे हमने रिपोर्ट तैयार करते समय विचारार्थ लिया है।

इन वित्तीय विवरणों के प्रति उत्तरदायित्व बैंक-प्रबंधन का है। हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप यह लेखापरीक्षा की है । इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की आयोजना ऐसे करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी से मुक्त है। लेखा-परीक्षा में, परीक्षण आधार पर, वित्तीय विवरण में राशि और प्रकटन की पुष्टि करनेवाले साक्ष्यों की जाँच शामिल है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है । हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार है ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज, महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके ।

ए.डी. शेणॉय	देरायस जेड. फ्रेज़र
(सदस्यता क्र. 11549)	(सदस्यता क्र. 42454)
फोर्ड, रॉड्स, पार्क्स एंड कं.	**कल्याणीवाला एंड मिस्त्री**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार

दिनांक : 9 अगस्त 2007

अनुबंध

भारतीय रिज़र्व बैंक

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और 2006-07 के लेखे पर टिप्पणियां

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किए जाते हैं और जहां पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु संशोधन किया गया हो उसे छोड़कर, पारंपरिक लागत पर आधारित हैं।

विवरणों में अपनाई गई लेखांकन-प्रणालियां और नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनाई गई लेखांकन प्रणालियों और नीतियों के अनुरूप हैं।

2. राजस्व निर्धारण

आय और व्यय का निर्धारण दंडात्मक ब्याज और लाभांश को छोड़कर, उपचित आधार पर किया जाता है क्योंकि उनकी गणना प्राप्ति-आधार पर की जाती है। केवल वसूली गई प्राप्तियों को ही आय के रूप में माना जाता है।

देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित कतिपय अस्थायी लेखे में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदावी और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और रिज़र्व बैंक की आय में पुनः शामिल किया जाता है। इससे संबंधित दावों पर विचार किया जाता है और जब कभी उनका भुगतान किया जाता है तब उन्हें रिज़र्व बैंक की आय में से वसूल किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को पूर्ववर्ती सप्ताह /पूर्ववर्ती माह/वर्षांत के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

3. स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

(क) स्वर्ण

स्वर्ण का मूल्य निर्धारण माह के अंत में उस माह के लिए औसत दैनिक लंदन मूल्य के 90 प्रतिशत पर किया जाता है। उसके समकक्ष रुपए का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में(सीजीआरए) समायोजित किया जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं सप्ताह के अंतिम कारोबार के दिन तथा माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शाई जाती हैं।

वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्राओं में आस्तियां और देयताएं, उन मामलों को छोड़ कर, जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित हैं, अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शाई जाती हैं। खज़ाना बिलों के अलावा, विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बही-मूल्य अथवा प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित बाजार-मूल्य से कम कीमत पर किया जाता है। मूल्यह्रास का समायोजन चालू आय से किया जाता है। विदेशी खज़ाना बिलों का मूल्यन लागत पर किया जाता है। वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं का मूल्यांकन छमाही रूप से किया जाता है और यदि कोई निवल हानि हो तो उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा लाभ और हानि का हिसाब मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में किया जाता है तथा वे उसी में समायोजित किए जाते हैं।

4. रुपया प्रतिभूतियां

खज़ाना बिलों को छोड़कर निर्गम और बैंकिंग विभागों में रखी गई रुपया प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बही मूल्य या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है। जहां ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य उपलब्ध न हो, वहां उनका मूल्य माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित आय-वक्र पर आधारित दर पर किया जाता है। मूल्य के मूल्यह्रास का समायोजन चालू ब्याज आय से किया जाता है।

खज़ाना बिलों का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

5. शेयर

शेयरों में किए गए निवेश का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

6. अचल आस्तियां

अचल आस्तियों का विवरण उनकी लागत में से मूल्यह्रास को घटाते हुए दिया जाता है।

कम्प्यूटरों (1 लाख रुपए और उससे अधिक की लागतवाले सॉफ्टवेयर सहित), मोटर वाहनों, कार्यालय उपस्करों, फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल फिटिंग आदि पर मूल्यह्रास सीधी कटौती के आधार पर प्रभारित किया जाता है।

परिसर और फिक्सचरों सहित अन्य आस्तियों संबंधी मूल्यह्रास को उनके घटते हुए मूल्य के आधार पर प्रभारित किया जाता है।

एक लाख रुपए से कम लागत वाले साफ्टवेयर और 10,000 रुपए से कम की लागतवाली अन्य अचल आस्तियां उनके अभिग्रहण के वर्ष के लाभ / हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं ।

अचल आस्तियों से संबंधित वर्ष के अंत में शेष रकम पर मूल्यह्रास लगाया गया है।

7. सेवानिवृत्ति लाभ

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों और छुट्टी के नकदीकरण की देयता का आकलन बीमांकित मूल्य निर्धारण के आधार पर किया जाता है।

8. आकस्मिक आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि

आकस्मिक आरक्षित निधि प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास, विनिमय गारंटियों और मौद्रिक/विनिमय दर नीति संबंधी अनिवार्यताओं से उभरे जोखिमों सहित अप्रत्याशित और आकस्मिक व्यय की पूर्ति करने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उपलब्ध कराई गई राशि को दर्शाती है।

आंतरिक पूंजीगत व्यय की पूर्ति तथा सहायक एवं संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने के लिए अतिरिक्त निर्दिष्ट राशि का प्रावधान किया गया है और उसे आस्ति विकास आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

लेखे पर टिप्पणियां

1. भारत सरकार को अधिशेष का अंतरण

सरकार को अंतरित किए जानेवाले अधिशेष में, विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री-योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने से 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 तक की अवधि से संबंधित ब्याज अंतर के रूप में 1,914.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2,016 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है।

2. उद्दिष्ट प्रतिभूतियां

रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, साधारण छुट्टी नकदीकरण की देयता की पूर्ति के लिए, अपने निवेश लेखे में से 7,287.41 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6,509.99 करोड़ रुपए) की राशि की कुछ सरकारी प्रतिभूतियां उद्दिष्ट की हैं।

3. आरक्षित निधि

आरक्षित निधि में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ में किया गया 5.00 करोड़ रुपए का अंशदान और अक्तूबर 1990 तक स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से हुई 6,495.00 करोड़ रुपए की मूल्यवृद्धि शामिल है। उसके पश्चात् मासिक आधार पर स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से होनेवाले लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में लिया जाता है।

4. जमाराशि

4.1 केंद्र सरकार की जमाराशि में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत परिचालनों से प्राप्त 81,136.77 करोड़ रुपए की राशि (पिछले वर्ष 33,294.50 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

4.2 **जमाराशियों का विवरण-अन्य :**

(करोड़ रुपए)

विवरण	30 जून के अनुसार	
	2006	2007
1	2	3
I. विदेशी केंद्रीय बैंकों और विदेशी वित्तीय संस्थाओं की रुपया जमाराशियां	4,810.03	4,682.19
II. भारतीय वित्तीय संस्थाओं की जमाराशियां	198.25	1,327.36
III. संचित सेवानिवृत्ति-लाभ	6,254.61	6,950.57
IV. भारत सरकार को अंतरण-योग्य अधिशेष	8,404.00	45,719.60
V. विविध	947.03	569.86
जोड़	**20,613.92**	**59,249.58**

5. अन्य देयताओं के विवरण

(करोड़ रुपए)

विवरण	30 जून के अनुसार	
	2006	2007
1	2	3
I. आकस्मिक आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	62,344.68	73,281.10
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपचय	10,936.42	20,488.97
वर्ष के अंत में शेष राशि	**73,281.10**	**93,770.07**
II. आस्ति विकास आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	6,466.03	7,592.82
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपचय	1,126.79	1,971.51
वर्ष के अंत में शेष राशि	**7,592.82**	**9,564.33**
III. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	26,906.21	86,789.18
जोड़ें: वर्ष के दौरान	59,882.97	–
निवल उपचय (+)/निवल उपयोग (-)	–	(-)65,065.66
वर्ष के अंत में शेष राशि	**86,789.18**	**21,723.52**
IV. विदेशी मुद्रा समतुल्यीकरण खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	0.50	3.28
विनिमय खाते से अंतरण	3.28	14.86
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय (+)/ निवल उपयोग (-)	(-) 0.50	(-) 8.46
वर्ष के अंत में शेष राशि	3.28	9.68
V. अदत्त व्यय के लिए प्रावधान	**1,914.87**	**1,558.32**
VI. विविध	**2,792.55**	**2,574.10**
जोड़ (I से VI)	**1,72,373.80**	**1,29,200.02**

6. भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य खाता

'अन्य देयताओं' के अंतर्गत अंतर-कार्यालय लेनदेनों और समाधान के अधीन शेषों से संबंधित 922.45 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 607.81करोड़) की राशि शामिल है। ये प्रविष्टियाँ समाधान के विभिन्न स्तरों पर हैं तथा जब भी उनका निश्चित पता चल जाता है उनका आवश्यक समाधान किया जाता है ।

7. रुपया निवेश

चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत बेची (रिवर्स रिपो) गई प्रतिभूतियों को 'निवेशों' से घटाया गया है । वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार बकाया रिपो और रिवर्स रिपो की राशि क्रमश: 9,895.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष कुछ नहीं) और 1,000.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 42,565.00 करोड़ रुपए) थी।

8. विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण

(करोड़ रुपए)

विवरण	30 जून के अनुसार	
	2006	2007
1	2	3
I. निर्गम विभाग में रखी गई	4,16,525.46	4,82,800.80
II. बैंकिंग विभाग में रखी गई -		
क) निवेशों में शामिल	23,677.31	27,382.90
ख) विदेशों में रखी गई राशि	2,78,498.41	3,29,695.09
जोड़	**7,18,701.18**	**8,39,878.79**

टिप्पणी : अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के आंशिक प्रदत शेयरों पर न मांगी गई राशि 30 जून 2007 को 74.37 करोड़ रुपए (एसडीआर1,20,41,250)थी । पिछले वर्ष में यह राशि 82.08 करोड़ रुपए (एसडीआर 1,20,41,250) थी ।

9. अन्य आस्तियों का विवरण

(करोड़ रुपए)

विवरण	30 जून के अनुसार	
	2006	2007
1	2	3
I. अचल आस्तियां (संचित मूल्यह्रास को घटाकर)	476.36	430.67
II. स्वर्ण	5,213.19	5,062.46
III. उपचित, परंतु प्राप्त न हुई आय	11,424.51	15,781.73
IV. विविध	3,509.74	5,969.65
जोड़	**20,623.80**	**27,244.51**

10. ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि

निम्नलिखित मदों में ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि शामिल हैं।

(करोड़ रुपए)

विवरण	निम्नलिखित को समाप्त वर्ष	
	30 जून 2006	30 जून 2007
1	2	3
I. विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	3,959.29	5,314.24
II. बैंक की सम्पत्ति की बिक्री पर निवल लाभ	6.46	9.43
III. सहायक तथा संबद्ध संस्था से लाभांश	393.60	440.07
IV. एसबीआई के शेयरों की बिक्री में लाभ*	–	34,308.60

*: बैंक की स्टेट बैंक में 31,43,39,200 शेयरों की संपूर्ण ईक्विटी धारिता (बही मूल्य 1,222.73 करोड़ रुपए) 29 जून 2007 को सरकार को अंतरित की गई।

परिशिष्ट I

गवर्नर और उप गवर्नरों द्वारा दिए गए भाषणों की सूची : अप्रैल 2006 से अगस्त 2007

क्रम सं.	भाषण का शीर्षक	भाषण देनेवाले का नाम	माह*
1	2	3	4
1.	वित्तीय क्षेत्र के सुधार और वित्तीय स्थिरता	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	अप्रैल 2006
2.	भारतीय ऋण बाजार की हाल की प्रवृत्तियां और वर्तमान प्रयास	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	अप्रैल 2006
3.	भारत में चलनिधि का प्रबंधन का अनुसरणः एक पेशेवर दृष्टिकोण	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	अप्रैल 2006
4.	अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति की बैठक का वक्तव्य	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	मई 2006
5.	एशिया के लिए बासल-II की चुनौतियां और प्रभाव	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	जून 2006
6.	भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार : बदलते आयाम और उभरते मुद्दे	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	जून 2006
7.	वैश्विक असंतुलन :एक भारतीय परिप्रेक्ष्य	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	जून 2006
8.	भारत के आर्थिक विकास पर विचार	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	जून 2006
9.	''भारत के आर्थिक विकास पर विचार'' पर चर्चा (काउंसिल ऑन फ़ॉरेन रिलेशन्स, न्यूयॉर्क में 12 मई, 2006 को गवर्नर, डॉ. वाई.वी. रेड्डी द्वारा चर्चा)	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	जून 2006
10.	उदीयमान एशिया में भारत	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	जून 2006
11.	भारत में केंद्रीय बैंकिंग का विकास	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	जून 2006
12.	मौद्रिक नीति तथा विनियम दरों के ढांचे : भारतीय अनुभव	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	जून 2006
13.	बासल-II के प्रति दृष्टिकोण	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर	जून 2006
14.	बैंक के ग्राहकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार - नियामक कदम	श्रीमती ऊषा थोरात, उप गवर्नर	जून 2006
15.	अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय बैंक के प्रभाव के स्रोत पर टिप्पणी	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	जुलाई 2006
16.	वित्तीय क्षेत्र प्रतिस्पर्धा और मौद्रिक नीति : टिप्पणी	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	जुलाई 2006
17.	वित्तीय क्षेत्र के सुधार और मौद्रिक नीति : भारतीय अनुभव	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	जुलाई 2006
18.	एशिया की शहरी शताब्दी : उभरती प्रवृत्तियां	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	जुलाई 2006
19.	आम आदमी की सेवा और बैंक	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	अगस्त 2006
20.	एवियन इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक : वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत तैयारी	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	अगस्त 2006
21.	वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग : सम्मिलित प्रयासों का महत्व	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	अक्तूबर 2006
22.	ऋण परामर्श :एक भारतीय परिप्रेक्ष्य	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	अक्तूबर 2006
23.	विकास पर एशियाई परिप्रेक्ष्यः भारत के लिए संभावनाएं	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	अक्तूबर 2006
24.	विदेशी मुद्रा भंडार : नई वास्तविकताएं	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	अक्तूबर 2006
25.	वित्तीय शिक्षा की भूमिका : भारतीय परिदृश्य	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	अक्तूबर 2006
26.	वैश्वीकरण, मुद्रा और वित्त - अनिश्चितताएं और दुविधाएं	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	अक्तूबर 2006
27.	नया आर्थिक भूगोल और व्यापक विश्व में मौद्रिक नीति	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	अक्तूबर 2006
28.	कारोबारी उत्कृष्टता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी	श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर	अक्तूबर 2006
29.	बासल II के रहस्य से पर्दा हटाना	श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर	अक्तूबर 2006
30.	जोखिम प्रबंधन में बदलते प्रतिमान	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर	अक्तूबर 2006
31.	बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के सुधार : स्थिति एवं संभावनाएं	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	नवंबर 2006
32.	भुगतान और निपटान प्रणालियां : चुनिंदा मुद्दे	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	नवंबर 2006
33.	भारतीय रिज़र्व बैंक पुरालेख : कुछ विचार और भावी पथ	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	नवंबर 2006
34.	आर्थिक वृद्धि, वित्तीय गहनता तथा वित्तीय समावेश	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	नवंबर 2006
35.	भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	नवंबर 2006

* : भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन का वह अंक जिसमें भाषण प्रकाशित हुआ है।

क्रम सं.	भाषण का शीर्षक	भाषण देनेवाले का नाम	माह*
1	2	3	4
36.	भारत में आर्थिक सुधार : हम कहाँ हैं और कहाँ जाएं ?	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	दिसंबर 2006
37.	वैश्विक असंतुलनों के प्रति मौद्रिक और वित्तीय नीति प्रतिक्रियाएं	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	दिसंबर 2006
38.	केंद्रीय बैंक और जोखिम प्रबंधन : वित्तीय स्थिरता का पालन	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	दिसंबर 2006
39.	सम्मिलित विकास : वित्तीय शिक्षा की भूमिका	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर	दिसंबर 2006
40.	निरंतर विकास के लिए वित्तीय समावेश : सूचना प्रौद्योगिकी और मध्यवर्ती संस्थाओं की भूमिका	श्रीमती ऊषा थोरात, उप गवर्नर	दिसंबर 2006
41.	ग्रामीण बैंकिंग : समीक्षा एवं संभावनाएं	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	जनवरी 2007
42.	भारत में भुगतान संतुलन का गतिविज्ञान	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	जनवरी 2007
43.	शहरी सहकारी बैंक - बैंकों का क्रमिक विकास, कंपनी अभिशासन के वर्तमान मुद्दे और उनके विनियमन और पर्यवेक्षण में आने वाली चुनौतियां	श्रीमती ऊषा थोरात, उप गवर्नर	जनवरी 2007
44.	समष्टि आर्थिक समायोजनों से संबंधित जोखिम : वैश्विक परिदृश्य	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	फरवरी 2007
45.	भारतीय कंपनियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश - नीति और प्रवृत्तियों का विकास	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर	फरवरी 2007
46.	आम आदमी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक क्या है	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	मार्च 2007
47.	भारत में मौद्रिक नीति निर्माण में वर्तमान चुनौतियां	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	मार्च 2007
48.	दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग	श्रीमती ऊषा थोरात, उप गवर्नर	मार्च 2007
49.	वित्तीय संस्थाओं पर नियंत्रकों की दृष्टि	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	अप्रैल 2007
50.	वैश्वीकरण और मौद्रिक नीति : कुछ उभरते मुद्दे	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	अप्रैल 2007
51.	आर्थिक दृष्टिकोण : एशिया और भारत के विषय में कुछ विचार	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	अप्रैल 2007
52.	भारत में मौद्रिक नीति की संप्रेषणीयता	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	अप्रैल 2007
53.	भारतीय वित्तीय क्षेत्र के सुधार	श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर	अप्रैल 2007
54.	स्थिरता के साथ विकास प्राप्त करने में मौद्रिक नीति की भूमिका : भारतीय अनुभव	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	मई 2007
55.	अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष में वक्तव्य	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	मई 2007
56.	भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की मुख्य विशेषताएं	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर	मई 2007
57.	भारतीय अर्थव्यवस्था : समीक्षा एवं संभावनाएं	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	जून 2007
58.	भारतीय अर्थव्यवस्था के चुनिंदा पहलू	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	जून 2007
59.	भारत - स्थिरता के साथ विकास का परिप्रेक्ष्य	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	जून 2007
60.	भारत में वित्तीय बाजारों का विकास	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	जून 2007
61.	उदीयमान विश्व का बढ़ता प्रभाव	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	जुलाई 2007
62.	भारतीय अर्थव्यवस्था : समीक्षा, संभावना और चुनिंदा मुद्दे	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	जुलाई 2007
63.	सांख्यिकी और सर्वे पर यादृच्छिक विचार	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	जुलाई 2007
64.	खुली बाजार अर्थव्यवस्था में जोखिम प्रबंधन	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	जुलाई 2007
65.	पूंजी खाता उदारीकरण और मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन : भारतीय अनुभव	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	जुलाई 2007
66.	भारत में सांख्यिकीय प्रणाली : कुछ विचार	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	जुलाई 2007
67.	वित्तीय समावेशन - भारतीय अनुभव	श्रीमती ऊषा थोरात, उप गवर्नर	जुलाई 2007
68.	भारतीय अर्थव्यवस्था की झलक तथा इसके वित्तीय क्षेत्र	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर	अगस्त 2007
69.	मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा : निहित समष्टि अर्थव्यवस्था	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर	अगस्त 2007

* : भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन का वह अंक जिसमें भाषण प्रकाशित हुआ है।

परिशिष्ट II

कार्यदलों / समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की सूची : अप्रैल 2006 से जुलाई 2007

क्रम. सं.	शीर्षक	अध्यक्ष / संयोजक	माह
1	2	3	4
1.	रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रुप ऑन कॉस्ट ऑफ एन.आर.आई रिमीटेंस	श्री पी. के. पैन	मई 2006
2.	रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी फॉर रेशनलाइजेशन ऑफ ओवरसीज ऑफिस ऑफ इंडियन बैंक्स	श्री वी. लीलाधर	मई 2006
3.	रिपोर्ट ऑफ दि इंटर - डिपार्टमेंटल कमेटी ऑन आईएम जी सी-टु डिस्कस दि प्रपोजल ऑफ इंडिया मार्टगेज गारंटी कारपोरेशन (आईएम जी सी) एंड दि वैरियस रेगुलेटरी इसूज विथ इट	श्री पी. विजय भास्कर	मई 2006
4.	रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑन स्पेशल रिलीफ मीजर बाई बैंक्स इन एरियाज अफेक्टिड बाई नेचुरल क्लेमिटीज़	श्री जी. श्रीनिवासन	जून 2006
5.	रिपोर्ट ऑन द सर्वे ऑन इंपेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड मीजर ऑन ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टस	डॉ. बलवंत सिंह	जून 2006
6.	रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन फुलर कैपिटल एकाउंट कनवर्टिबिल्टी	श्री एस. एस. तारापोर	जुलाई 2006
7.	रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी ऑन फायनेंसियल सेक्टर प्लान फॉर नार्थ ईस्टर्न रीजन	श्रीमती ऊषा थोरात	जुलाई 2006
8.	रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रुप ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन उत्तरांचल	श्री वी. एस. दास	अगस्त 2006
9.	स्टडी ऑफ करेंसी लॉजिस्टिक्स एट आरबीआई	प्रो. टी. टी नरेन्द्रन, आइआइटी, मद्रास	अगस्त 2006
10.	रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रूप टु लुक इंटू दि प्रोब्लम्स फेस्ड बाइ बैंकर्स एंड बोरोवर्स इन बिहार	श्री वी. एस. दास	अगस्त 2006
11.	रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रुप टू फार्मूलेट ए स्कीम फॉर इन्श्योरिंग रीजनेबिलनेस ऑफ बैंक चार्जेज	श्री एन. सदाशिवन	सितंबर 2006
12.	रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रुप ऑन करेंसी मैनेजमेंट	श्री आर. गाँधी	सितंबर 2006
13.	रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रुप टू एक्जामिन इशूज रिलेटिंग टू ऑगमेंटिंग कैपिटल ऑफ यूसीबीज	श्री एन. एस. विश्वनाथन	नवंबर 2006
14.	रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू दि एक्जिस्टिंग गाइड लाइंस ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांसेस एंड एलाइन देम विथ दि गाइडलाइंस ऑन सीडीआर मैकेनिज्म	श्री पी. सरन	नवंबर 2006
15.	रिपोर्ट ऑफ दि इंटरनल वर्किंग ग्रूप ऑन रिफाइनेसिंग इंस्टीट्यूशंस	श्री पी. विजय भास्कर	नवंबर 2006
16.	रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रुप ऑन सेविंग फॉर दि इलेविंथ फाइव इयर प्लान (2007-08 से 2011-12)	डॉ. राकेश मोहन	दिसंबर 2006
17.	रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रुप टू एवोल्व ए फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स बैलेंसेज	श्री जी. महालिंगम	दिसंबर 2006
18.	रिपोर्ट ऑफ द टॉस्क फोर्स ऑन इम्पॉवरिंग आरआरबी बोर्ड्स फॉर ऑपरेशनल एफिसिएन्सिज़	डॉ. के. जी. करमाकर	जनवरी 2007
19.	रिपोर्ट ऑफ दि टेक्नीकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन डेव्लपमेंट ऑफ लीडिंग इकॉनामिक इंडीकेटर्स फार इंडियन इकॉनामी	डॉ. आर. बी. बर्मन	जनवरी 2007
20.	रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रुप फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन दि स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़	डॉ. के. वी. राजन	फरवरी 2007
21.	रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रुप टू फार्मुलेट रेगुलेटरी गाइड लाइंस फॉर मार्टगेज गारंटी कंपनीज	श्री पी. विजय भास्कर	मार्च 2007
22.	रिपोर्ट ऑफ दि स्टडी ग्रुप ऑन माइग्रेशन ऑफ पेपर बेस्ड फंड्स मूवमेंट टू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया	अप्रैल 2007
23.	वर्किंग ग्रूप रिपोर्ट ऑन मोडलटीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रेडिट इन्फोमेशन कंपनीज (रेगुलेशन) एक्ट, 2005	श्री पी. सरन	अप्रैल 2007
24.	रिपोर्ट ऑफ दि टेक्नीकल ग्रुप ऑन स्टैटिक्ट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन बैंकिंग सर्विसेज	श्री के. एस. आर. राव	जून 2007
25.	रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रुप ऑन स्टॅण्डर्ड्स फॉर रॉ इमेज़ेज ऑफ फिंगर प्रिंटस फॉर पब्लिक कमेंट्स	डॉ. ए. एम. पेडगांवकर	जुलाई 2007
26.	रिपोर्ट ऑफ द टेक्नीकल ग्रुप सेट अप टू रिव्यू लेजिस्लेशन्स ऑन मनी लेंडिंग	श्री एस. सी. गुप्ता	जुलाई 2007
27.	रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप टू सजेस्ट मीजर्स टू असिस्ट डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स	श्री एस. एस. जॉल	जुलाई 2007

परिशिष्ट III

विदेशी प्रतिनिधियों का भारतीय रिज़र्व बैंक में आगमन

क्रम. सं.	बैठक की तारीख	प्रतिनिधि दल का अध्यक्ष	अधिकारीगण जिनसे मुलाकात हुई
1	2	3	4
1.	12 जुलाई 2006	श्री जॉन एडम्स, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक्सपोर्ट फायनेंस ग्रुप ऑफ एक्सपोर्ट - इंपोर्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, तथा वरिष्ठ अधिकारीगण
2.	25 जुलाई 2006	श्री यासूहिशा शियोजाकी, सीनियर वाइस मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर
3.	26 जुलाई 2006	श्री तिमोथी गीथनर, अध्यक्ष, फेडरल रिज़र्व बैंक आफ न्यूयॉर्क	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर, उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
4.	06 अक्तूबर 2006	श्रीमती जॉन हेम्सट्रिच, मैनेजिंग डायरेक्टर, एशिया पैसीफिक, दि ग्लोबल फाउंडेशन इंडिया मिशन - 2006	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर, श्री आनन्द सिन्हा, कार्यपालक निदेशक तथा वरिष्ठ अधिकारीगण
5.	10 नवंबर 2006	डॉ. गुलेरमो आर्टिज, गवर्नर, बैंको द मैक्सिको	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर, उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
6.	15 नवंबर 2006	श्री लियोनार्डो ग्यिानग्रेको, वरिष्ठ प्रबंध निदेशक, बीयर स्टर्नस	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर सभी कार्यपालक निदेशक तथा वरिष्ठ अधिकारीगण
7.	15 नवंबर 2006	डॉ. स्टेफन इंग्वेश, गवर्नर, स्वेरिजेस रिक्सवैंक	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर, सभी उप गवर्नर, सभी कार्यपालक निदेशक
8.	27 नवंबर 2006	श्री एंटीनियो एम्ब्रोसिटी, प्रबंध निदेशक, एम्ब्रासेटी एस.पी.ए. (इटली)	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
9.	29 नवंबर 2006	श्री जांग जिंगफन, महानिदेशक, को आपरेटिव फायनेंस सुपरवीजन, चायनीज बैंक्स रेग्यूलेटरीज कमीशन (सीबीआरसी)	डॉ. राकेश मोहन, श्री.वी.लीलाधर और श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
10.	28 दिसंबर 2006	प्रो. जोसेफ स्तिग्लिट्ज़, नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री ने सामान्य आर्थिक नीतियों और वैश्विक असंतुलनों पर वक्तव्य दिया	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर, सभी उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
11.	3 से 5 जनवरी 2007	श्री सर्गे एम इग्नेटिव, अध्यक्ष, सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन और श्रीमती मरीना वी. इग्नेटिव	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर, सभी उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक
12.	10 जनवरी 2007	श्री बालाजी सदाशिवन, वरिष्ठ राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय, सिंगापुर	डॉ. राकेश मोहन उप गवर्नर, सभी कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
13.	16 जनवरी 2007	श्री सेमुअल जे.मार्शल, अध्यक्ष, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन	डॉ. राकेश मोहन उप गवर्नर, सभी कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
14.	18 जनवरी 2007	सुश्री संद्रा पपाटेलो, आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री, ऑनटारियो, कनाडा	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, सभी कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
15.	21 जनवरी 2007	श्री हर्बोल्ड पैट्रीशिया लुइस राजदूत, यू.एस.ऐम्बेसी, के नेतृत्व में अमेरिकन चेंबर्स, सिंगापुर बिजनेस मिशन	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, सभी कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
16.	23 जनवरी 2007	श्री जॉन लिप्सकी, प्रथम उप प्रबंध निदेशक, आई.एम.एफ.	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर
17.	02 फरवरी 2007	प्रो. मोहम्मद यूनुस, नोबल शांति पुरस्कार विजेता 2006 कार्यपालक ट्रस्टी, ग्रामीण ट्रस्ट बांग्लादेश	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर
18.	05 फरवरी 2007	श्री एडवार्ड ओसवाल्ड, जर्मन फेडरल पार्लियामेंट्स (बंड्सटेग) फायनेंस कमेटी	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर, सभी उप गवर्नर, सभी कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
19.	06 फरवरी 2007	श्री डेविड हॉर्सफील्ड, प्रबंध निदेशक, एस.डी.आई.ए. ऑफ आस्ट्रेलिया	श्री वी. के. शर्मा, कार्यपालक निदेशक और वरिष्ठ अधिकारीगण

विदेशी प्रतिनिधियों का भारतीय रिज़र्व बैंक में आगमन

क्रम. सं.	बैठक की तारीख	प्रतिनिधि दल का अध्यक्ष	अधिकारीगण जिनसे मुलाकात हुई
1	2	3	4
20.	15 फरवरी 2007	श्री पॉल वॉल्कर, भूतपूर्व अध्यक्ष, यू.एस. फेड रिजर्व और उनके साथ श्रीमती एके, डेनिंग	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर
21.	19 फरवरी 2007	श्री लतीफुर रहमान, अध्यक्ष, बांग्लादेश मेट्रोपोलिटन चेंबर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर, डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर, श्री आनंद सिन्हा, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
22.	19 फरवरी 2007	श्री आर रंडाल रोलिन, अध्यक्ष, मोरगन क्रीक कैपिटल मैनेजमेंट, एल.एल.सी., यू.एस.ए.	श्री वी. के. शर्मा, कार्यपालक निदेशक और वरिष्ठ अधिकारीगण
23.	23 फरवरी 2007	श्री डेविड फिटे, प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर ऑफ यू.एस.हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स	श्री वी. के. शर्मा, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण
24.	02 मार्च 2007	श्री अर्नाड डी ब्रेसन, प्रबंध निदेशक, पेरिस यूरोप्लेस	श्रीमती ग्रेस कोसी, मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
25.	08 मार्च 2007	श्री मार्शल एम बूटन, अध्यक्ष, शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स एण्ड अदर डेलीगेटस	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर, सभी कार्यपालक निदेशक
26.	16 मार्च 2007	डॉ. एक्सेल ए वेबर, अध्यक्ष, ड्यूच बंड्स्बैक	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर, सभी उप गवर्नर, सभी कार्यपालक निदेशक
27.	16 मार्च 2007	सुश्री रचेल लोमेक्स, उपगवर्नर, बैंक ऑफ इंग्लैण्ड	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर, सभी उप गवर्नर
28.	31 मार्च 2007	सुश्री क्रिस्टीन हाल्वोर्सन, वित्त मंत्री, नार्वे	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, श्री आनंद सिन्हा, कार्यपालक निदेशक और वरिष्ठ अधिकारीगण
29.	05 अप्रैल 2007	मदाम डब्ल्यू यू झियोलिंग, उप गवर्नर, द पीपुल्स बैंक ऑफ चीन	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर, सभी कार्यपालक निदेशक और वरिष्ठ अधिकारीगण
30.	14 मई 2007	श्री क्रिस्चीयन नोयर, गवर्नर, बैंके द फ्रांस	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर सभी उप गवर्नर और सभी कार्यपालक निदेशक
31.	16 मई 2007	श्रीमती गुयेना थी किम हुंग, उप गवर्नर, स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम	श्रीमती ऊषा थोरात, उप गवर्नर, श्री. सी. कृष्णन, कार्यपालक निदेशक और वरिष्ठ अधिकारीगण
32.	18 मई 2007	केन्या और तंजानियां से उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल - श्री जुमा रेली, उप गवर्नर, बैंक ऑफ तंजानिया और श्री एम.एम.गातीमू, महालेखाकार, केन्या	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, श्री. सी. कृष्णन, कार्यपालक निदेशक और वरिष्ठ अधिकारीगण
33.	24 मई 2007	आल्डरमन जॉन आस्टूड, लार्डमेयर ऑफ लंदन, व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर सभी उप गवर्नर और सभी कार्यपालक निदेशक और वरिष्ठ अधिकारीगण
34.	28 जून 2007	श्री सवानित कोंगसीरी, उपमंत्री विदेश मामले, थाइलैण्ड तथा उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक और वरिष्ठ अधिकारीगण
35.	28 जून 2007	प्रो. अविनाश के. दीक्षित, प्रिंसटन विश्व विद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ने बैंक का दौरा किया और द्वितीय पी.आर.ब्रह्मानंद स्मारक व्याख्यानमाला में ''अभिशासन संस्थाएं और विकास'' पर व्याख्यान दिया	डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर

परिशिष्ट IV

नीति संबंधी प्रमुख घोषणाओं की कालानुक्रम सूची अप्रैल 2006 - जुलाई 2007

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
		I. मौद्रिक नीति उपाय
2006		
अप्रैल	**18**	• एनआर (ई) आरए जमा राशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा तदनुरूपी परिपक्वता वाले अमेरीकी डॉलर के लिए 25 आधार अंक बढ़ाकर लिबॉर/स्वैप दरों से 100 आधार अंक अधिक की गई।
		• विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा 25 आधार अंक बढ़ाकर लिबॉर से 100 आधार अंक अधिक की गयी।
जून	**9**	• एलएएफ के अंतर्गत नियत रिवर्स रिपो दर और रिपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर क्रमशः 5.75 प्रतिशत और 6.75 प्रतिशत की गयी।
जुलाई	**25**	• एलएएफ के अंतर्गत नियत रिवर्स रिपो दर और रिपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर क्रमशः 6.00 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की गई।
अक्तूबर	**31**	• एलएएफ के अंतर्गत नियत रिपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 7.25 प्रतिशत कर दी गई जब कि रिवर्स रिपो दर 6.00 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गई।
दिसंबर	**8**	• सीआरआर में दो स्तरों में 50 आधार अंकों की वृद्धि की गई (प्रत्येक बार 25 आधार अंक) जो 23 दिसंबर 2006 से आरंभ होने वाले पखवाड़े (5.25 प्रतिशत तक) और 6 जनवरी 2007 से आरंभ होने वाले पखवाड़े (5.5 प्रतिशत तक) से लागू हुई।
2007		
जनवरी	**31**	• एलएएफ के अंतर्गत नियत रिपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 7.50 प्रतिशत कर दी गयी जबकि रिवर्स रिपो दर 6.00 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गई।
		• एफसीएनआर(बी) और एनआर(ई)आरए जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा 25 आधार अंक और 50 आधार अंक क्रमशः घटाकर लिबॉर/स्वैप दरों से 25 आधार अंक कम, और तदनुरूपी परिपक्वता अवधि वाले अमरीकी डालर के लिए लिबॉर/स्वैप दरों से 50 आधार अंक अधिक कर दी गई।
फरवरी	**13**	• सीआरआर में दो स्तरों में 50 आधार अंकों की वृद्धि की गई (प्रत्येक बार 25 आधार अंक), जो 17 फरवरी, 2007 से आरंभ होने वाले पखवाड़े (5.75 प्रतिशत तक) और 3 मार्च, 2007 से आरंभ होने वाले पखवाड़े (6.00 प्रतिशत तक) से लागू हुई।
मार्च	**30**	• सीआरआर में दो स्तरों में 50 आधार अंको की वृद्धि की गई (प्रत्येक बार 25 आधार अंक) जो 14 अप्रैल 2007 से आरंभ होने वाले पखवाड़े (6.25 प्रतिशत) और 28 अप्रैल 2007 से आरंभ होने वाले पखवाड़े (6.50 प्रतिशत) से लागू हुई।
		• एलएएफ के अंतर्गत नियत रिपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत की गई परंतु रिवर्स रिपो दर 6.00 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गई।
अप्रैल	**12**	• 180 दिनों तक के पोतलदान पूर्व रुपया निर्यात ऋण और 90 दिनों तक के पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर बीपीएलआर से 2.5 प्रतिशत कम ब्याज दर की उच्चतम सीमा की वैधता 31 अक्तूबर, 2007 तक बढ़ा दी गई।
	24	• एफसीएनआर(बी) जमा राशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा 50 आधार अंक घटाकर संबंधित परिपक्वताओं की अवधि के लिए लिबॉर/स्वैप से 75 आधार अंक कम कर दी गई।
		• एनआर(ई) आरए जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा 50 आधार अंक कम करके तदनुरूपी परिपक्वता वाले अमरीकी डॉलर के लिए लिबॉर/स्वैप दर कर दी गई।
जुलाई	**31**	• 4 अगस्त 2007 से शुरू हो रहे पखवाड़े से सी आर आर 50 आधार अंक बढ़ा कर 7.00 प्रतिशत कर दिया गया।
		• 28 नवंबर 2005 से लागू किया गया दूसरा एलएएफ 06 अगस्त 2007 से हटा लिया गया।
		II. आंतरिक ऋण प्रबंध नीतियां
2006		
अप्रैल	**4**	• प्राथमिक व्यापारियों (प्राइमरी डीलर) और ऐसे बैंकों के लिए, जिनके यहां प्राइमरी डीलर का काम विभागीय तौर पर होता है, हामीदारी (अंडर-राइटिंग) की वचनबद्धता और चलनिधि की (लिक्विडिटि) की सुविधा से संबंधित संशोधित योजना पर दिशा निर्देश जारी किए गए। इस प्रकार पहले जहाँ लगाई-गई बोली (बिडिंग) की वचनबद्धता पूरी करनी होती थी और अंडरराइटिंग स्वैच्छिक थी, वहां अब प्राइमरी डीलरों को हामीदारी (अंडर राइटिंग) वचनबद्धता को पूरा करना जरूरी हो गया।
		• बेजबरुआ समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों के लिए संशोधित अर्थोपाय अग्रिम योजना घोषित की गयी। वर्ष 2006-07 के लिए समग्र सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं 10.5 प्रतिशत बढ़ाकर 9,875 करोड़ रु. कर दी गयीं। अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की ब्याज दर रिपो रेट से जोड़ दी गई (जो कि अब तक बैंक रेट से जुड़ी हुई थी)।
	18	• रिज़र्व बैंक द्वारा की जानेवाली राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की खरीद और पुनः बिक्री (रि-सेल) को एक दिवसीय एलएएफ रिपो ऑपरेशन के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव।

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
2006		**II. आंतरिक ऋण प्रबंध नीतियां** *(समाप्त)*
अप्रैल	**19**	• केन्द्र सरकार को दिए जाने वाले अर्थोपाय अग्रिम संबंधी योजना सरकार के साथ परामर्श करके संशोधित की गयी। संशोधित व्यवस्था के अनुसार अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएं विद्यमान छःमाही आधार के बजाय तिमाही आधार पर निर्धारित की गयीं। तदनुसार अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं वर्ष 2006-07 के प्रथम और द्वितीय तिमाहियों के लिए क्रमशः 20,000 करोड़ रु. और 10,000 करोड़ रु. तथा वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाहियों में से प्रत्येक के लिए 6,000 करोड़ रु. निर्धारित की गयीं। रिज़र्व बैंक भारत सरकार के साथ परामर्श करके सीमाओं को संशोधित कर सकता है। अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट पर ब्याजदर, अब तक के बैंक दर के बजाय रिपो दर से संबद्ध कर दिए गए। तदनुसार अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज दर रिपो दर पर और ओवरड्राफ्ट पर रिपो दर + दो प्रतिशत आधार अंक होगी।
मई	**3**	• पुननिर्गम के लिए केंद्र सरकार की जिन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटिज़) को अधिसूचित किया गया है उनमें ''जब-जारी(ह्वेन इश्यूड)'' लेन-देन की अनुमति से संबंधित दिशा-निर्देश जारी।
जुलाई	**4**	• 'स्टैंड एलोन' प्राथमिक व्यापारियों को, सीमाओं संबंधी शर्तों के अधीन, सरकारी प्रतिभूतियों के विद्यमान कारोबार के अलावा अपनी गतिविधियों को विविधीकृत करने की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये।
	31	• 31 जुलाई 2006 से खज़ाना बिलों की खरीद-बिक्री करने के लिए एनडीएस-ओएम प्रणाली अपग्रेड की गयी। एनडीएस-ओएम की सदस्यता, जो शुरू में केवल रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एनडीएस सदस्यों (बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों) के लिए थी, विस्तारित करके उसमें बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंडों और बड़े प्रॉविडेंट फंडों को भी शामिल कर लिया गया। एनडीएस-ओएम सदस्यों को प्रत्यक्ष ऐक्सेस देने के अलावा, कांस्टिट्युअन्ट सब्सिडियरी जनरल लेजर मार्ग से, एनडीएस-ओएम सदस्यों के पास गिल्ट खाते रखने के लिए योग्यताप्राप्त संस्थाओं को एनडीएस-ओएम ऐक्सेस कर सकने की अनुमति दी गई।
अगस्त	**1**	• ''जब-जारी(व्हेन इश्यूड)'' ट्रेडिंग के बारे में लेखाकरण दिशा-निर्देश जारी।
	30	• सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई।
अक्तूबर	**5**	• प्राथमिक व्यापारी का काम करने वाले बैंकों को परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये गये।
नवंबर	**16**	• नयी-नयी जारी प्रतिभूतियों को भी जब-जारी (डब्ल्यूआइ) ट्रेडिंग में शामिल किया गया।
2007		
जनवरी	**31**	• सरकारी प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेलिंग बढ़ाकर पाँच दिनों तक की गई। साथ ही, रिपो किए गए स्टॉक को बचने की अनुमति दी गई।
मार्च	**30**	• वर्ष 2007-08 के लिए राज्य सरकारों की समग्र सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं 9,875 करोड़ रु. रखी गईं।
मई	**21**	• खुदरा व्यापार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एनडीएस-ओएम पर ''ऑड लॉट ट्रेडिंग'' की शुरुआत की गई।
	24	• भारत सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा वर्ष 2007-08 (अप्रैल से सितंबर) की प्रथम छमाही के लिए 20,000 करोड़ रुपये और वर्ष की दूसरी छमाही (अक्तूबर से मार्च) के लिए 6,000 करोड रुपये निर्धारित की गयी।
	25	• अर्हताप्राप्त सीएसजीएल घटकों को अपने कस्टोडियन के माध्यम से एनडीएस-ओएम के अंतर्गत खरीद-बिक्री की अनुमति दी गयी।
जून	**29**	• भारतीय स्टेट बैंक में अपनी सारी शेयर होल्डिंग भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार को ट्रांसफ़र कर दी।
		III. वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम
2006		
अप्रैल	**4**	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि मुर्गीपालन उद्योग में कार्यशील पूंजी ऋणों पर देय ब्याज और मूल धन और साथ ही उसके सावधि ऋणों पर किस्त और ब्याज, जो बर्ड फ्लू की शुरुआत अर्थात् 1 फरवरी 2006 को उसके बाद भुगतान के लिए देय थे और जिनका भुगतान नहीं हुआ था, को सावधि ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किए गए ऋण की वसूली भविष्य में मिलने वाले पैसों के अनुमान के आधार पर तीन वर्षों [एक वर्ष के शुरूआती अधिस्थगन(मोरेटोरियम) के साथ] तक की अवधि में की जा सकती है। 20 अप्रैल 2006 को शहरी को ऑपरेटिव बैंकों को यही बात कही गई।
	12	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे लघु उद्योगों से भिन्न (रुग्ण/दुर्बल) औद्योगिक इकाइयों के बारे में वर्ष 31 मार्च 2006 से संशोधित फार्मेट में वार्षिक विवरणी एक माह के भीतर प्रस्तुत करना शुरू करें। एक बारगी उपाय के रूप में बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे 31 मार्च 2004 और 31 मार्च 2005 को समाप्त अवधियों का डाटा संशोधित फार्मेट में मई 2006 तक प्रस्तुत करें।
	13	• राज्यों में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों, जिन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और वे जो बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं, को निम्नलिखित कुछ शर्तों पर उनके यूनिटों की मार्केटिंग के लिए पारस्परिक निधियों के साथ करार करने की अनुमति दी गई है : (i) बैंक को ग्राहक के एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए, ii) पारस्परिक निधियों के यूनिटों की खरीद ग्राहक के जोखिम पर होनी चाहिए और बैंक को किसी प्रतिलाभ का आश्वासन नहीं देना चाहिए, (iii) बैंक को पारस्परिक निधियों के ऐसे यूनिट द्वितीयक बाजार से नहीं खरीदने चाहिए; iv) बैंक को पारस्परिक निधि यूनिटों की ग्राहकों से वापसी खरीद नहीं करनी चाहिए और v) वर्तमान केवायसी / अवैध मुद्रा के वैधीकरण पर रोक संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन होना चाहिए। ऐसे ही दिशानिर्देश 17 मई 2006 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी किए गए।

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
2006		**III. वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम** *(जारी)*
अप्रैल	**28**	• ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने की दृष्टि से शहरी सहकारी बैंकों को विस्तार पटलों पर निम्नलिखित सीमित लेनदेन करने की अनुमति दी गई : i) जमा/आहरण के लेनदेन, ii) ड्राफ्ट, मेल अंतरण और यात्री चेक जारी करना और उनका नकदीकरण; iii) बिलों की वसूली, iv) उनके ग्राहकों की सावधि जमाराशि की जमानत पर अग्रिम (विस्तार पटल में संबंधित अधिकारियों के स्वीकृति-अधिकारी के भीतर) और v) मुख्य कार्यालय / आधार शाखा द्वारा स्वीकृत 10 लाख रुपए तक के अन्य ऋणों (केवल निजी व्यक्तियों के) का वितरण।
		• शहरी सहकारी बैंकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों की शर्त पर एटीएम स्थापित करने की अनुमति दी गई : i) 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम जमाराशि, ii) निर्धारित सीआरएआर का अनुपालन, iii) निवल एनपीए 10 प्रतिशत से कम और iv) निरंतर लाभप्रदता का रेकार्ड और सीआरआर / एसएलआर का अनुपालन। इसके अलावा, नेटवर्क कनेक्टिविटी और / या शहरी सहकारी बैंकों द्वारा स्थापित एटीएम की शेयरिंग हेतु रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा समाप्त की गई।
मई	**16**	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को निर्धारित फार्मेट में विभिन्न सेवा प्रभारों का ब्योरा उनकी वेबसाइट पर दर्शाना और अद्यतन करना होता है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनके कार्यालयों / शाखाओं में निर्धारित किए अनुसार कुछ सेवाओं से संबंधित प्रभार भी प्रदर्शित करने होते हैं (स्थानीय भाषा सहित)। ऐसे ही दिशानिर्देश शहरी सहकारी बैंकों को 26 मई 2006 को जारी किए गए जिनके अनुसार अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को विभिन्न सेवा प्रभारों का ब्योरा उनकी वेबसाइट पर रखना होता है और सभी शहरी सहकारी बैंकों (अनुसूचित और अननुसूचित सहित) को उनके कार्यालयों/शाखाओं में निर्धारित किए अनुसार कुछ सेवाओं से संबंधित प्रभार प्रदर्शित करने होते हैं।
	23	• यह स्पष्ट किया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा राहत उपाय के रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली ब्याज सहायता की गणना 31 मार्च 2006 के बकाया के संबंध में बैंकों द्वारा मुर्गी पालन के कार्यकलापों के लिए दिए गए सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण पर चार प्रतिशत अंकों पर की जानी है।
	25	• वाणिज्यिक भू-संपदा में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लगाए पैसे पर जोखिम भार 125 से बढ़ाकर 150 प्रतिशत किया गया। इसके अलावा, उद्यम पूंजी निधि (वेंचर कैपिटल फंड) में लगाए गए कुल पैसे को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा पूंजी बाजार में लगाए पैसों में गिना जाएगा और इस प्रकार इनमें लगे पैसों के लिए 150 प्रतिशत का ऊँचा जोखिमभार (रिस्क वेट) तय किया गया है।
	29	• विशिष्ट क्षेत्रों, यथा निजी ऋण, पूंजी बाजार जोखिम हेतु पात्र ऋण और अग्रिम, 20 लाख रुपए से अधिक के निवासी आवास ऋण और वाणिज्यिक भू- संपदा ऋण में मानक अग्रिमों पर अनुसूचित वाणिज्यि बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोड़कर) के लिए सामान्य प्रावधानीकरण की अपेक्षा 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.0 प्रतिशत की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपर्युक्त क्षेत्रों में मानक अग्रिमों पर अतिरिक्त सामान्य प्रावधानीकरण सहज और अबाध ढंग से हो, अनुसूचित वाणिज्य बेंकों को 12 जुलाई 2006 को अनुमति दी गई कि वे वित्तीय वर्ष 2006-07 से अतिरिक्त सामान्य प्रावधानीकरण चरणबद्ध रूप से निम्नवत् करें : (क) जून 2006 को समाप्त तिमाही के लिए 0.55 प्रतिशत; (ख) सितंबर 2006 को समाप्त छमाही के लिए 0.70 प्रतिशत; (ग) दिसंबर 2006 को समाप्त तिमाही के लिए 0.85 प्रतिशत; और (घ) मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए 1 प्रतिशत।
		• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोड़कर) को 'लाभ और हानि लेखे में व्यय' के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकता का विस्तृत ब्योरा 'नोट्स ऑन अकाउंट' में निम्नवत् दर्शाना होता है: i) निवेश में ह्रास के लिए प्रावधान, ii) एनपीए के प्रति प्रावधान, iii) मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान, iv) आय कर के प्रति किया गया प्रावधान और v) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (ब्योरे के साथ)।
जून	**5**	• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि किसानों को दिए गए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के संबंध में केंद्रीय बजट, 2006-07 में की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार उन्हें 2 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज सहायता उपलब्ध कराएगी। सहायता की इस राशि की गणना वितरण/आहरण की तिथि से भुगतान की तिथि तक या उस तिथि तक जिसके बाद बकाया ऋण अतिदेय हो जाता है, अर्थात् खरीफ के लिए 31 मार्च 2007 और रबी के लिए 30 जून 2007 तक, जो भी पहले हो, की फसल ऋण की राशि पर की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए यह सहायता इस शर्त पर उपलब्ध रहेगी कि वे अल्पावधि ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक के आधार-स्तर पर उपलब्ध कराएं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में यह बात उनकी अपनी निधि से दिए गए अल्पावधि उत्पादन ऋण पर ही लागू होगी और इसमें नाबार्ड के पुनर्वित्त की सहायता प्राप्त ऋण शामिल नहीं होंगे। 10 मई 2007 को इस योजना को केंद्रीय बजट 2007-08 में की गई घोषणा के अनुसरण में एक वर्ष तक बढ़ा दिया गया।
	6	• राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई कि वे राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रम / योजनाएं लागू करने के लिए जारी अनुदान / सब्सिडी के संबंध में राज्य सरकार के विभागों / निकायों / संस्थाओं के नाम पर बचत बैंक खाता खोल सकते हैं बशर्ते उन्हें संबंधित सरकारी विभागों का प्राधिकरण प्रस्तुत किया जाए जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि संबंधित सरकारी विभाग या निकाय को बचत बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गई है।
	8	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे नवोन्मेषी टियर I / टियर II बाँडों के संबंध में स्थिर दर की रुपया देयताओं के अस्थिर दर की विदेशी मुद्रा देयताओं में रुपांतरण संबंधी स्वैप लेनदेनों में शामिल न हों। इसके अलावा, बैंक कुछ स्वैप लेनदेनों में पहले ही शामिल हुए हैं तो उन्होंने ऐसे स्वैप लेनदेनों से हुए लाभ / हानि की गणना के लिए कुछ विशेष क्रियाविधियों का पालन करना चाहिए।

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
2006		**III. वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम** *(जारी)*
जून	**22**	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को अस्थिर प्रावधानों अर्थात् विशिष्ट एनपीए के बाबत न किए गए प्रावधान या मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण की विनियामक अपेक्षा से अधिक किए गए प्रावधान के उपयोग, निर्माण, लेखांकन और प्रकटीकरण पर संशोधित विवेकसम्मत मानदंड जारी किए गए। इन अस्थिर (फ्लोटिंग) प्रावधानों का उपयोग बोर्ड के अनुमोदन और भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति से असाधारण परिस्थितियों में आकस्मिकताओं के लिए अनर्जनक (इम्पेयर्ड) खातों में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए किया जा सकता है। 13 मार्च 2007 को स्पष्ट किया गया कि ये असामान्य परिस्थितियां तीन प्रकार की हो सकती हैं, यथा, सामान्य (देश में उपद्रव/गड़बड़ी, मुद्रा का ध्वस्त हो जाना), बाजार (बाजार का ध्वस्त होना) और ऋण (असाधारण ऋण हानि)।
जुलाई	**4**	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे ईसीएस (डेबिट) लेनदेनों को हैंडल करने के लिए उपयुक्त मैन्डेट प्रबंधन रूटीन शामिल करने के लिए कार्रवाई करें।
	14	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे मांग पर आहरण योग्य जमाराशि की स्वीकार करने के रूप में इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाओं से स्वयं को संबद्ध न करें।
	17	• विदर्भ क्षेत्र में कार्यरत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 'महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए राहत उपाय' के पैकेज के अनुसार किसानों के उन सभी ऋण खातों की अवधि का पुनर्निधारण किया जाए जो खाते 1 जुलाई 2006 को अतिदेय हो गए थे और इन पर 1 जुलाई, 2006 को जो भी ब्याज हो उसे माफ़ कर दिया जाए। इन्हें नए सिरे से वित्त उपलब्ध कराया जाए। बैंकों द्वारा रिलीज़ किए जाने वाले 1,275 करोड़ रुपए बैंक ऑफ महाराष्ट्र (एसएलबीसी के संयोजक के रूप में) जिलों में कार्यरत बैंकों को आबंटित करेगा। 21 जुलाई 2006 को ऐसे ही दिशा निर्देश शहरी सहकारी बैंकों को भी जारी किए गए।
	20	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनकी वेबसाइट के होम पेज पर खास जगह पर 'सेवा प्रभार और शुल्क' शीर्ष के तहत सेवा प्रभार और शुल्क दर्शाना है ताकि बैंक ग्राहकों को वह आसानी से पता चल जाए। शिकायत निवारण के लिए नोडल अधिकरी के नाम वाला शिकायत फार्म होमपेज में ही दिया जाए ताकि ग्राहक अपनी शिकायतें आसानी से प्रस्तुत कर सकें। शिकायत फार्म में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि शिकायतों का निवारण बैंक में ही किया जाएगा और यदि शिकायतों का निवारण बैंक स्तर पर एक माह के भीतर नहीं होता है तब ही शिकायतकर्ता को बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करना है। ऐसे ही दिशानिर्देश शहरी सहकारी बैंकों को 24 जुलाई 2006 को जारी किए गए।
अगस्त	**9**	• नैसर्गिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों पर अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए गए।
	23	• वीसीएफ के प्रति बैंकों के जोखिम से संबंधित विवेकसम्मत दिशानिर्देश जारी किए गए जिसमें वीसीएफ में बैंकों के निवेश की सीमाएं, मूल्यांकन, वर्गीकरण और वीसीएफ में जोखिम के लिए जोखिम भार तथा बाजार जोखिम को कवर किया गया।
सितंबर	**1**	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करने में पर्याप्त सावधानी बरतें कि अल्पसंख्यक समुदायों को भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के लिए निर्धारित संपूर्ण लक्ष्य तथा कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत के उप-लक्ष्य के भीतर ऋण का न्याय संगत हिस्सा प्राप्त हुआ। जिला स्तर पर ऋण योजनाएं तैयार करते समय अग्रणी बैंकों को उपर्युक्त अपेक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। • शाखाओं में ग्राहकों के लिए उपलब्ध सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि खाता धारकों को जारी किए गए पासबुक/खाता विवरणों में शाखा का पूरा पता/टेलीफोन संख्या का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया गया हैं । इसी प्रकार की सूचना 15 सितंबर 2006 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी जारी की गई थी।
	4	• पुनर्व्यवस्थित ऋणों पर अधिस्थगत, चुकौती की अधिकतम अवधि अतिरिक्त संपार्श्विक तथा नए वित्त के संबंध में आस्ति वर्गीकरण संबंधी अनुदेश सभी प्रभावित पुनर्व्यवस्थित उधार खातों पर लागू होंगे जिनमें कृषि के अलावा उद्योग एवं व्यापार खाते भी शामिल होंगे। यदि खातों को पुनर्व्यवस्थित करने का काम प्राकृतिक आपदा की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरा कर लिया जाता है तो पुनर्व्यवस्थित खातों का आस्ति वर्गीकरण प्रकृतिक आपदा की तारीख तक जारी रहेगा।
	20	• विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड) स्थापित करने अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिटें अधिग्रहित करने के लिए जिसमें भू-संपदा भी शामिल है, बैंकों द्वारा संस्थाओं को दिए गए ऋण को तत्काल प्रभाव से वाणिज्यिक भू-संपदा को दिया गया ऋण माना जाएगा और मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को ऐसे ऋणों के लिए प्रावधान करना होगा। तथा उनका यथोचित जोखिम भार निर्धारित करना होगा। • प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एस सी)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आर सी) को सूचित किया गया कि वे प्रत्येक योजना के अंतर्गत जारी राशि के 5 प्रतिशत से कम राशि प्रतिभूति रसीदों में निवेश न करें। जिन प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्निर्माण कंपनियों ने प्रतिभूति रसीदें पहले ही जारी कर दी है, उनको इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना की तारीख से छः महीने के भीतर प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्रतिभूति प्राप्तियों की न्यूनतम अभिदान सीमा हासिल कर लेनी चाहिए। • बैंकों को सूचित किया गया कि वे सांविधिक आरक्षित निधि या अन्य किसी आरक्षित निधि का कोई विनियोग करने से पहले रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सांविधिक आरक्षित निधि में से विवेकपूर्ण आहरण हो और इसमें विनियामक निर्धारणों का कोई उल्लंघन नहीं हो। • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कहा गया कि जोखिम भार को निर्धारित करने में किसी उधारकर्ता के कुल निधिकृत निवेश(फ़ंडेड एक्सपोज़र) का हिसाब करते समय उधारकर्ता के पास बकाया कुल ऋण के साथ कैश मार्जिन/सिक्यूरिटि जमाराशि/ जमानती राशि द्वारा संपार्श्विकृत (कोलैटराइज्ड) अग्रिम को नेट आफ़ कर दिया जाए जिस पर सेट आफ़ का अधिकार उपलब्ध है।

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
2006		**III. वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम** *(जारी)*
सितंबर	**21**	• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे प्रत्येक वर्ष अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वे एन बी एफ आइ का व्यवसाय कर रहे हैं जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iए के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रखना अनिवार्य है।
	28	• ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे निष्पक्ष व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश लागू करें।
अक्तूबर	**4**	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने सभी बचत बैंक खाताधारकों (वैयक्तिक) को पासबुक सुविधाएं प्रदान करे और यदि बैंक खाता विवरण भेजने की सुविधा प्रदान करता है तो उसे मासिक खाता विवरण अवश्य जारी करना चाहिए। पास बुक/खाता विवरण की सुविधा प्रदान करने की कीमत ग्राहक से नहीं वसूली जानी चाहिए।
	18	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) को सूचित किया गया कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल के 25 ऋण प्रभावित जिलों के किसानों के सभी ऋण खातों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित पैकेज के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया गया है। तदनुसार उन पर देय ब्याज (01 जुलाई 2006 तक) पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा और इस प्रकार के अतिदेय ऋणों को एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि के बाद 3-5 वर्षों की अवधि में पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। ऐसे किसानों को नया वित्त दिया जा सकता है। वर्ष 2006-07 के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल के उपर्युक्त ऋण प्रभावित जिलों में क्रमशः 13,818 करोड़ रुपये, 3,076 करोड़ रुपये तथा 1,945 करोड़ रुपये का ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा। अतिदेय ब्याज माफ करने का बोझ केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर बांटा जाएगा। उपर दिए गए अनुसार अतिदेय ब्याज का बंटवारा करते समय इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का पहले ही दिया गया ऋण, यदि कोई हो, समायोजित किया जाए। इसी प्रकार के दिशा निर्देश 26 दिसंबर 2006 को शहरी सहकारी बैंकों को जारी किए गए थे।
	19	• वित्तीय अस्ती का प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों को निदेश दिया गया कि वे पंजीकरण प्रमाणपत्र मंजूर होने की तारीख से छः महीने के भीतर अपना कारोबार शुरू करें जिसे प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा समय सीमा बढ़ाने का आवेदन मिलने पर रिज़र्व बैंक द्वारा बढ़ाकर 12 महीने किया जा सकता है। जिन प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं लेकिन जिन्होंने अपना कारोबार शुरू नहीं किया है उन्हें अधिसूचना की तारीख से छः महीने के भीतर कारोबार शुरू कर देना चाहिए।
	27	• वर्तमान अनुदेशों के अनुसार एनबीएफसी के नियंत्रण और प्रबंधन में परिवर्तन होने पर शेयरों की बिक्री से स्वामित्व का अंतरण अथवा शेयरों की बिक्री या बगैर बिक्री के नियंत्रण का अंतरण अथवा किसी एनबीएफसी के दूसरे एनबीएफसीया गैर वित्तीय कंपनी में समामेलन / विलय की स्थिति में तथा अंतरणकर्ता या आंतरिती द्वारा भी बिक्री या अंतरण किये जाने से 30 दिन पूर्व सार्वजनिक नोटिस दिया जाना चाहिए। समीक्षा के बाद एनबीएफसी को यह सूचित किया गया कि ऐसी पूर्व सार्वजनिक नोटिस एनबीएफसी द्वारा दी जानी चाहिए और अंतरणकर्ता या अंतरिती या संबंधितों द्वारा समुच्य रूप में भी दी जानी चाहिए।
नवंबर	**3**	• बैंकों को जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश तथा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग संबंधी व्यवहार संहिता जारी की गई।
	6	• विदेशों में भारतीय कंपनियों का कारोबार फैलाने के लिए बैंकों द्वारा भारतीय संयुक्त उपक्रमों (जहां भारतीय कंपनी की शेयर पूंजी 51 प्रतिशत से अधिक हो) विदेश की पूर्णतः स्वाधिकृत अनुषंगी कंपनियों को दी गई ऋण तथा गैर-ऋण सुविधाओं पर विवेकपूर्ण सीमा उनकी अक्षत पूंजी निधि (टियर I तथा टियर II पूंजी) के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई।
	10	• बैंकों को यह स्पष्टीकरण जारी किया गया कि डुप्लिकेट डिमांडड्राफ्ट जारी करने के लिए एक पखवाड़े की अवधि केवल ऐसे मामलों में लागू होगी जहां इसके लिए अनुरोध क्रेता या लाभार्थी द्वारा किया गया हो, यह किसी तीसरे पक्ष के अनुरोध पर लागू नहीं होगा।
	13	• गेड III तथा ग्रेड IV में वर्गीकृत शहरी सहकारी बैंकों को छोड़कर ऐसे बैंक जो उन राज्यों में पंजीकृत हैं जिन्होंने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ऐसे बैंक जो बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, अपने परिचालन के तीन वर्ष पूरा करने के बाद अपने विस्तार पटलों को पूर्णरुपेण शाखाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। इन शाखाओं का स्थानांतरण / नए स्थान पर स्थापना इन शर्तों के अधीन होगा कि : (i) परिवर्तित शाखा का स्थानांतरण / नए स्थान पर स्थापना शहर / कस्बे के भीतर हो; (ii) विस्तार पटल के मौजूदा ग्राहकों जिनमें संस्थागत ग्राहक भी शामिल हैं, को बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित की जाएं; (iii) उस संस्था में कोई नया विस्तार पटल नहीं स्थापित किया जाएगा जिसमें इस समय विस्तार पटल लगा हुआ है। • उन पीड़ित किसानों की सहायता करने के लिए जिनके ऋण खातों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहले ही पुनःनिर्धारित/परिवर्तित कर दिया गया है तथा ऐसे किसानों के लिए भी जिन्होंने अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अपने ऋण में चूक की है, बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से ऐसे किसानों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) संबंधी पारदर्शी नीतियां बनाएं।
	22	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का कड़ाई से पालन करें जो (क) भवन निर्माण (ख) निर्मित संपत्ति / भवन संपत्ति की खरीद (ग) संपत्तियां जो अनधिकृत कॉलोनियों की श्रेणी में आती हैं तथा (घ) संपत्तियां जो हैं तो आवासीय उपयोग के लिए लेकिन आवेदक उसका वाणिज्यिक प्रयोजन से इस्तेमाल करना चाहता है, आवास ऋण से संबंधित है। इसी प्रकार के दिशानिर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को भी जारी किए गए थे।

प्रमुख नीति संबंधी घोषणाओं की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
2006		**III. वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम** *(जारी)*
नवंबर	**28**	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि कृषि तथा संबद्ध क्रिया कलापों में लगे स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के मंजूर ऋणों को तब तक कृषि को दिए गए प्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब तक संबंधित अनुसूचित वाणिज्य बैंक स्व-सहायता समूह/सूक्ष्म ऋण संविभाग में इस प्रकार के आंकड़ों को बिना जोड़े रख सकता है।
दिसंबर	**4**	• रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनुमति दी गई कि वे दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना जोखिम उठाए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से मिलकर सह-ब्रांड वाले क्रेडिट कार्ड जारी करें जिसकी बाद में समीक्षा की जाएगी। समझौते (टाइ-अप) की इस व्यवस्था में ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की भूमिका सह-ब्रांड वाले क्रेडिट कार्डों के विपणन एवं वितरण तक ही सीमित होगी। सह-ब्रांड वाला क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक अपने से संबंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अनुदेशों / दिशा निर्देशों के अधीन होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से चुनिंदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पारस्परिक निधियों के ऐजेंट के रूप में पारस्परिक निधि उत्पादों के विपणन और वितरण की शुरुआत में दो वर्षों के लिए और तत्पश्चात समीक्षा किये जाने की अनुमति दी गई।
	6	• आस्ति पुनर्वित्त कंपनी, निवेश कंपनी तथा ऋण कंपनी के रूप में पुनर्वर्गीकृत ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। उत्पादक / आर्थिक गतिविधि के लिए वास्तविक/ भौतिक आस्तियों के लिए वित्त देने वाली कंपनियों को आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। शेष कंपनियां ऋण/निवेश कंपनियों के रूप में वर्गीकृत होंगी। तदनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जनता से जमाराशि की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) संबंधी निदेशों, 1988 के वर्गीकरण को संशोधित किया गया।
	12	• बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी भिन्न-भिन्न प्रकार की विनियामक अपेक्षाओं से उत्पन्न चिंताओं को ध्यान में रखकर व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण परंतु जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडीएसआई) के विनियमन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों को संशोधित किया गया। सभी एन बी एफ सीएनडी - जिनकी आस्ति 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है उन्हें एन बीएफ सी - एनडी - एसआई माना जाए। ऐसी कंपनियों को यह सूचित किया गया हे कि वे 10 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखें और एकल पक्ष / समूहगत ऋण संबंधी मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सभी एनबीएफसीको बैंक ऋण के लिए विनियामक ढांचा तथा एक बैंकिंग समूह के हिससे के रूप में सभी एन बी एफ सी के लिए विनियामक ढांचा में भी संशोधन किया गया। इसके अलावा भारत में बैंक (विदेशी बैंकों सहित) आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर किसी जमाराशि स्वीकार करने वाली एन बी एफ सी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक पूंजी नहीं रख सकते।
	15	• विवेकपूर्ण पूंजी बाजार संबंधी मानदंड जैसे पूंजी बाजार ऋण के घटक और पूंजी बाजारों को बैंकों के ऋण की सीमाओं, पर सभी राज्य सहकारी बैंकों को संशोधित अनुदेश जारी किए गए।
	18	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों को अपना चेक ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए बाध्य न करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे चेक ड्रॉप बॉक्स पर यह लिखकर प्रदर्शित करें कि 'ग्राहक अपना चेक काउंटर पर भी दे सकते हैं और जमा पर्ची पर उसकी पावती ले सकते हैं।' किसी शाखा को पावती देने से मना नहीं करना चाहिए यदि ग्राहक काउंटर पर अपना चेक प्रस्तुत करता है। यह सूचनाएं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को 26 दिसंबर 2006 को तथा शहरी सहकारी बैंकों को 28 दिसंबर 2006 को जारी की गई थीं।
2007		
जनवरी	**4**	• भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आइबी के अनुसार सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार/धारित करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सांविधिक चलनिधि आस्तियों के निवेश पर फ्लोटिंग प्रभार सृजित करने के लिए सूचित किया गया।
		• म्युचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनियों और म्युचुअल बेनिफिट कंपनियों के विनियमन कार्य कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा लिए जाने के फलस्वरूप विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। तदनुसार, विवरणियां जैसे - प्रथम अनुसूची में वार्षिक विवरणी, लेखा परीक्षित तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा तथा लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र नहीं मंगवाए जाएंगे।
		• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को संपतियों के मूल्यांकन, बैंक की स्वयं की संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा स्वतंत्र मूल्यांकन कर्ताओं के लिए नीति बनाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए। इसी प्रकार के दिशानिर्देश 9 जनवरी 2007 को शहरी सहकारी बैंकों को जारी किए गए।
	9	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि बैंकों द्वारा शेयर और स्टॉक दलालों की ओर से जारी गारंटियों हेतु 50 प्रतिशत की न्यूनतम मार्जिन तथा 25 प्रतिशत की न्यूनतम नकद मार्जिन (उक्त 50 प्रतिशत की मार्जिन के भीतर) बैंकों द्वारा पण्य दलालों की ओर से अखिल भारतीय स्तर के पण्य एक्सचेंजों के पक्ष में जारी गारंटियों पर भी लागू होगी, जो पण्य एक्सचेंज विनियम की मार्जिन अपेक्षाओं के अनुरूप होगी।
	31	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मानक आस्तियों जैसे-वैयक्तिक ऋण (क्रेडिट कार्ड और प्राप्य राशियों सहित), पूंजी बाज़ार एक्सपोजर के रूप में दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा भूसंपदा ऋणों के संबंध में प्रावधानीकरण को एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है। जमाराशि न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) की मानक आस्ति श्रेणी के ऋण एवं अग्रिमों पर प्रावधानीकरण 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के सभी निवेशों पर जोखिम भार 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार की सूचना शहरी सहकारी बैंकों को भी 19 फरवरी 2007 को जारी की गई है।
फरवरी	**2**	• बैंकिंग सेवाओं में बेहतर प्रथा सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को निर्देश दिया गया है कि वे बैंक के मूल्यों/ प्रभारों को यथोचित बनाने की योजना तैयार करने हेतु कार्यदल की सिफारिशों को लागू करें तथा बंधे-बंधाए उत्पादों की सीमा से बाहर निकलकर मूलभूत सेवाएं प्रदान करें। इसी प्रकार के दिशानिर्देश 9 मार्च 2007 को शहरी सहकारी बैंकों को जारी किए गए।

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
2007		**III. वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम** *(जारी)*
फरवरी	**21**	• ग्राहकों के अधिकारों और दायित्वों के प्रति पारदर्शिता बरतने के लिए, दृष्टिकोण में एकरूपता लाने तथा निहित जोखिमों को साफ-साफ बताने के संबंध में बैंकों को उनके ग्राहकों को ठदरवाजे परड सेवाएं प्रदान करने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपने एजेंटों को शिक्षित करने के लिए समुचित उपाय करें ताकि वे जाली और विकृत नोटों का पता करने में उनकी मदद करें जिससे धोखाधड़ी और ग्राहकों के साथ विवाद न हो। 24 मई, 2007 को बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे काउंटर पर प्राप्त चेकों के बदले अथवा सुरक्षित एवं सुविधाजनक चैनल जैसे फोन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्राप्त अनुरोध पर ग्राहक व्यक्ति, कार्पोरेट ग्राहक और सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दरवाजे पर नकदी/ड्राफ्ट प्रदान करें, बशर्ते बैंक उपर्युक्त कारोबार करते समय पर्याप्त सुरक्षा/सावधानी बरतें।
	22	• शिकायत निवारण प्रणाली को और असरदार बनाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने बोर्डों/ग्राहक सेवा समितियों के समक्ष शिकायतों का विवरण प्रस्तुत करें जिसमें प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण दिया गया हो। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे वित्तीय परिणामों के साथ लंबित शिकायतों की स्थिति के ब्यौरे भी दें।
		• 100 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक कुल आस्तियों वाली एनबीएफसी तथा आरएनबीसी से अपेक्षित है कि वे अप्रैल 2007 से पूंजी बाजार एक्सपोजर के संबंध में मासिक विवरणी प्रस्तुत करें। पूर्व में केवल 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक की जमाराशि वाली जमा लेने वाली एनबीएफसी ही पूंजी बाजार एक्सपोजर के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करती थीं।
	23	• एनबीएफसी को सूचित किया गया है कि वे बड़े निवेश वाले खातों की वे तुरंत जांच करें और यह पुष्टि करें कि उस धन का उपयोग अनाजों के भंडारण के लिए नहीं किया गया है।
मार्च	**6**	• बैंकों की देयता में जोखिमों के जमा होते जाने को कम करने के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए निम्नलिखित उपाय निर्धारित किए गए हैं : क) किसी भी बैंक की अंतर-बैंक देयता पिछले वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उसकी निवल मालियत से 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, प्रत्येक बैंक अपने कारोबार मॉडल को ध्यान में रखते हुए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अंतर-बैंक देयता की सीमा को और कम निर्धारित कर सकता है, ख) ऐसे बैंक जिनका सीआरएआर उसके नयूनतम (9 प्रतिशत) अर्थात पिछले वर्ष में 31 मार्च को 11.25 प्रतिशत की तुलना में कम से कम 25 प्रतिशत अधिक है, उन्हें अंतर-बैंक देयता, निवल मालियत के 300 प्रतिशत तक रखने की अनुमति है, ग) उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा में केवल भारत के भीतर निधि आधारित अंतर-बैंक देयता शामिल होगी (उन बैंकों के प्रति विदेशी मुद्रा अंतर-बैंक देयता शामिल होगी जो भारत में कार्यरत हैं। अन्य शब्दों में, भारत के बाहर की अंतर-बैंक देयता शामिल नहीं होगी, घ)उपर्युक्त सीमा में सीबीएलओ के अंतर्गत लिया गया संपार्श्विक उधार तथा नाबार्ड, सिडबी आदि से पुनर्वित्त शामिल नहीं होगा। (ङ) रिज़र्व बैंक द्वारा मांग मुद्रा उधार के लिए निर्धारित वर्तमान सीमा उपर्युक्त सीमा की उप-सीमा के रूप में होगी, (च) बैंक जिनके पास थोक रूप में जमाराशि बहुत अधिक है उन्हें उन जमाराशियों से जुड़े संभाव्य जोखिमों से अवगत रहना होगा और ऐसी उचित नीतियां बनानी होंगी जिससे ऐसी जमाराशियों पर अधिक निर्भरता से पैदा होने वाले चलनिधि जोखिमों को नियंत्रित किया जा सके।
		• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया है कि सभी प्रकार के ऋणों से संबंधित आवेदनपत्रों, जिसमें ऋण की राशि कोई भी हो, को विस्तृत होना चाहिए जिसमें जानकारियां शामिल होनी चाहिए : (क) प्रोसेसिंग के लिए देय शुल्क/प्रभार, यदि कोई हो, (ख) आवेदन स्वीकार न होने की स्थिति में शुल्क वापसी की राशि, (ग) पूर्व-भुगतान विकल्प तथा (घ) अन्य कोई बात जिससे उधारकर्ता का हित प्रभावित होता हो, ताकि उधारकार्त को सभी प्रकार की जानकारी रहे। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों वित्तीय संस्थाओं को यह भी सूचित किया गया है कि सभी प्रकार के ऋणों के संबंध में, भले ही उनकी राशि कोई भी हो, क्रेडिट कार्ड आवेदन सहित, उधार देने वाला लिखित रूप में, निर्धारित समय में कारण के बारे में सूचित करेगा जिसकी वजह से बैंक/वित्तीय संस्था ने ऋण आवेदन को निरस्त किया है।
	14	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसा कोई ऋण मंजूर न करें जो छोटे बचत लिखतों को हासिल करने/उनमें निवेश करने के लिए हो, इनमें किसान विकास पत्र भी शामिल है। इसी प्रकार के दिशानिर्देश 16 मार्च 2007 को शहरी सहकारी बैंकों तथा 23 मार्च 2007 को राज्य सहकारी बैंकों / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को भी जारी किए गए।
	30	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों द्वारा रुपए के अंश अर्थात पैसों में जारी किए गए चेकों/ड्राफ्टों को अस्वीकृत या अनाकृत न करें। इसी प्रकार की सूचनाएं 9 अप्रैल 2007 को राज्य सहकारी बैंकों को, 11 अप्रैल 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और 17 अप्रैल 2007 को शहरी सहकारी बैंकों को जारी किए गए।
अप्रैल	**4**	• व्यष्टि, लघु और मझोले उद्यम विकास अधिनियम 2006 के पारित होने तथा 16 अक्तूबर 2006 की इसकी अधिसूचना से निर्माण/उत्पादन कार्यों में लगे अथवा सेवाएं उपलब्ध करवाने/देने वाले व्यष्टि, लघु और मझोले उद्यमों की परिभाषा संशोधित हो गई है और उसे बैंकों द्वारा अन्य नीतिगत उपायों के साथ लागू किया जाना है। मझोले उद्यमों को उधार देने वाले बैंक उसकी गणना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं कर सकते। बैंकों के बोर्ड वर्तमान दिशानिर्देशों/अनुदेशों की समीक्षा करें और व्यष्टि, लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में एक व्यापक तथा उदार नीति तैयार करें तथा उसे शीघ्रातिशीघ्र अपनाएं। इसी प्रकार के दिशानिर्देश 18 अप्रैल 2007 को शहरी सहकारी बैंकों को जारी किए गए।
		• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे विज्ञापन के बदले प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी विज्ञापन (वेबसाइट सहित)/ वक्तव्यों में विशेष रूप से यह लिखें कि रिज़र्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता अथवा कंपनी द्वारा दिए गए वक्तव्यों या अभ्यावेदनों या व्यक्त विचारों की शुद्धता और जमाराशियों की चुकौती/कंपनी की देयता की भरपाई का कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता है और न ही कोई गारंटी लेता है।

प्रमुख नीति संबंधी घोषणाओं की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
2007		**III. वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम** *(जारी)*
अप्रैल	**5**	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया है कि वे जमा खाता खोलने वाले व्यक्ति से सामान्यतया नामांकन देने का आग्रह करें। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि यदि व्यक्ति नामांकन देने से मना करता है तो वे उसे नामांकन के लाभ बताएं। यदि इसके बावजूद भी खाता खोलने वाला व्यक्ति कोई नामांकन नहीं करना चाहता या इस आशय का पत्र नहीं देता है तो बैंक इस तथ्य को खाता खोलने वाले फार्म में लिख ले और अन्यथा पात्र पाए जाने पर खाता खोलने की कार्रवाई आगे बढ़ाए। बैंक किसी भी स्थिति में केवल इस आधार पर खाता खोलने से मना न करें कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने नामांकन के लिए मना कर दिया है । इसी प्रकार के दिशानिर्देश 12 अप्रैल 2007 को राज्य सहकारी बैंकों को, 13 अप्रैल 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तथा 19 अप्रैल 2007 को शहरी सहकारी बैंकों को जारी किए गए।
	12	• बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वित्तपोषित बुनियादी सुविधा वाली परियोजनाओं के पूरी होने की तारीख परियोजना के वित्तीय समापन के समय स्पष्ट रूप से लिखी जाए और ऐसे खातों को अवमानक माना जाए यदि कमर्शियल उत्पादन की तारीख मूल रूप से परियोजना के पूरा होने की तारीख के एक वर्ष बाद होती है। संशोधित अनुदेश 31 मार्च 2007 से लागू किए गए है।
	13	• अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदण्ड/ काले धन को वैध बनाने के निरोधक मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकना-वायर अंतरण से संबंधित दिशानिर्देश अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी किए गए। इसी प्रकार के दिशानिर्देश 21 मई 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और 25 मई 2007 को शहरी सहकारी बैंकों को जारी किए गए।
	17	• लोक सेवाओं से संबंधित प्रक्रिया और निष्पादन लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर लॉकरों के सहज परिचालन के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री के विभिन्न पहलुओं के बारे में नए दिशानिर्देश जारी किए गए। इसीप्रकार के दिशानिर्देश 18 मई 2007 को राज्य सहकारी बैंकों / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा 21 जून 2007 को शहरी सहकारी बैंकों को जारी किए गए।
	18	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे एएस-17 के अंतर्गत खंड रिपोर्टिंग प्रयोजन से 'अन्य बैंकिंग कारोबारट खंड को तीन श्रेणियों में विभाजित करें : कार्पोरेट / थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग परिचालन। तदनुसार, बैंकों को 31 मार्च 2008 से सार्वजनिक रिपोर्टिंग प्रयोजन से निम्नलिखित कारोबार खंड को अपनाना होगा : क) तिजोरी; ख) कार्पोरेट/थोक बैंकिंग; ग) खुदरा बैंकिंग और घ) अन्य बैंकिंग कारोबार। भौगोलिक खंड 'घरेलू' और 'अंतरराष्ट्रीय' के रूप में अपरिवर्तित रहेंगे।
	20	• बैंकों को विनियामक परिदृश्य में किसी भी तरह के व्युत्पन्न लेनदेन करने के लिए प्रमुख आवश्यकताओं को प्रभावी ढ़ंग से पूरा करने लिए व्युत्पन्न पर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों में रुपया ब्याज दर व्युत्पन्न से संबंधित वर्तमान अनुदेशों को भी शामिल किया गया है। • बैंकों में अनुपालन कार्यों पर अंतिम दिशानिर्देश कार्यान्वयन हेतु एससीबी को जारी कर दिए गए। एससीबी को सूचित किया गया कि बैंक के कार्पोरेट गवर्नेंस ढ़ांचे के लिए बैंकों में अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण तत्व है, अतः इसको पर्याप्त रूप से सक्षम तथा पर्याप्त स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने संगठन में अनुपालन जोखिम के प्रबंधन के लिए अपने अनुपालन कार्य को व्यवस्थित करें तथा प्राथमिकताएं निश्चित करें।
	24	• एनबीएफसी / विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों (चिट-फंड कंपनियां) द्वारा लोक जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर को संशोधित कर 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया । ये नई ब्याज दर नवीन लोक जमाराशियों तथा परिपक्व लोक जमाराशियों पर देय होगी।
	25	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बैंक की कोई भी शाखा/स्टाफ छोटे मूल्यवर्ग के नोट और/या सिक्के स्वीकार करने से मना न करे। किसी भी स्टाफ सदस्य द्वारा ऐसा मना करने/ इसका अनुपालन न करने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आरआरबी को भी ऐसे दिशानिर्देश 10 मई 2007 को जारी किए गए।
	27	• ''पूंजी पर्याप्तता एवं बाजार अनुशासन - नवीन पूंजी पर्याप्तता ढ़ांचे का कार्यान्वयन'' पर विवेकसम्मत दिशानिर्देशों को कार्यान्वयन हेतु अंतिम रूप दे दिया गया है। • प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी - एनडी को सूचित किया गया कि वे एक ऐसी प्रणाली बनाए जिसमें प्रतिवर्ष मार्च के अंत में फार्म एनबीएस-7 में पूंजीगत निधि का वार्षिक विवरण, जोखिम-आस्ति का अनुपात आदि प्रस्तुत किया जाए। ऐसा पहला विवरण 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष हेतु प्रस्तुत किया जाए। यह विवरण प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद तीन महीने के अंदर प्रस्तुत किया जाए। • एससीबी को सूचित किया गया कि वे अल्पसंख्यकों की सधनता वाले 103 उन जिलों को दिए जाने वाले ऋण प्रवाह पर निगरानी रखें जिनमें कम-से-कम 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी है। 16 जुलाई 2007 को ऋण प्रवाह की निगरानी के लिए अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों की संख्या संशोधित करके 121 कर दी गई।
	30	• आरआरबी सहित एससीबी तुरंत प्रभाव से छोटे और सीमांत किसानों, बंटाईदारों तथा इसी तरह के लोगों से 50,000 रुपए तक के छोटे ऋण के लिए 'बकाया नहीं' प्रमाणपत्र की आवश्यकता के बदले उधारकर्ता से स्वघोषणा पत्र प्राप्त करें। इसके अलावा, भूमिहीन मजदूरों, बंटाईदारों और अलिखित पट्टेदारों के फसल उगाई के बारे में बैंक स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज संस्थानों के प्रमाणपत्र स्वीकार करें।

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
2007		**III. वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम** *(जारी)*
अप्रैल	**30**	• शहरी सहकारी बैंकों के मामले में 1 लाख रुपए तक के ऋण पर सोने और चांदी के आभूषणों पर जोखिम भार 125 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।
		• शहरी सहकारी बैंकों के लिए आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण मानकों से संबंधित विवेकसम्मत दिशानिर्देश एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिए गए हैं।
		• शहरी सहकारी बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधारी से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
मई	**3**	• आरआरबी को अनुमति दी गई कि वे निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन स्वास्थ्य और पशु बीमा सहित सभी तरह के बीमा उत्पादों के वितरण हेतु जोखिम सहभागिता के बिना कारपोरेट एजेंसी कारोबार कर सकते हैं।
		• एकल व्यक्तियों को बैंकों द्वारा दिए गए 20 लाख रुपए तक के आवासीय ऋण के प्रति बंधक के रूप में रखी आवासीय संपत्तियों के प्रति जोखिम भार 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। ऐसी बंधक समर्थित प्रतिभूतियों बैंकों के निवेश में जोखिम भार 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया जो आवास ऋण से समर्थित हों और जिन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित आवास वित्त कंपनियों ने जारी किया हो। घटे हुए इस जोखिम भार की चूक अनुभव तथा संबंधित कारकों के मद्देनजर एक वर्ष के पश्चात समीक्षा की जाएगी। इसी तरह के दिशानिर्देश यूसीबी को 4 मई 2007 को जारी किए गए।
	7	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे समुचित आंतरिक सिद्धांत तथा प्रक्रिया बनाएं जिससे वे ऋण और अग्रिमों पर संसाधन और अन्य प्रभार मिला कर भी अतिब्याजी दर से ब्याज न लें। इसी तरह के दिशानिर्देश आरआरबी को 15 मई 2007 को तथा स्टेट सीबी/डीसीसीबी को 16 मई 2007 को तथा यूसीबी को 18 मई 2007 को जारी किए गए।
		• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वित्तीय समावेशन के अपने प्रयासों को गति देने के लिए वे समुचित तकनीक का सहारा लें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे ऐसे समाधान विकसित करें जो काफी अधिक सुरक्षित, लेखा-परीक्षा के प्रति सुग्राह्य और विभिन्न बैंकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सिस्टमों के साथ सामंजस्य बिठा सकें। स्टेटसीबी/डीसीसीबी को ऐसे दिशानिर्देश 18 मई 2007 को तथा आरआरबी को 21 मई 2007 को जारी किए गए।
		• जिन राज्यों ने रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रखे हैं उनमें तथा बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों को जोखिम सहभागिता के बिना कार्पोरेट एजेंट के रूप में बीमा कारोबार करने की अनुमति दी गई। मगर शर्त यह रहेगी कि इन शहरी सहकारी बैंकों की निवल संपत्ति कम से कम 10 करोड़ रुपए हो तथा ये ग्रेड III या IV बैंक के रूप में वर्गीकृत न किए गए हों।
	8	• एनबीएफसी की सर्वोत्तम परंपराओं को अंगीकार करने तथा इनके परिचालनों में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एनबीएफसी की श्रेणी विशेष के निदेशक मंडल के विचारार्थ कार्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देश प्रस्तुत किए जाने प्रस्तावित हैं।
		• आरआरबी को एसएलआर प्रतिभूतियों में इनके निवेश के बारे में 'प्रतिभूतियों का दैनिक बाजार मूल्य' मानदंड में एक वर्ष और अर्थात 2007-08 तक छूट दी गई। तदनुसार, आरआरबी के पास यह स्वतंत्रता है कि वे वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए एसएलआर प्रतिभूतियों के अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को ठपरिपक्वता तक रखे जाने (एचटीएम)ड के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रतिभूतियों की शेष अवधि के लिए इनका मूल्यांकन बही मूल्य के आधार और यदि कुछ प्रीमियम का परिशोधन है तो उसके आधार पर करना होगा।
	10	• भारत स्थित बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे वर्तमान विवेकसम्मत सीमाओं और कुछ अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए भारतीय कंपनियों की अनुषंगियों (इनमें भारतीय कंपनी की धारिता 51 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए) के पूर्ण स्वामित्व वाली विदेश स्थित अपचायी अनुषंगियों को विधिक और/या गैर-विधिक ऋण सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
	16	• एनपीए की खरीद/बिक्री पर 13 जुलाई 2005 को जारी पहले के दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए एससीबी(आरआरबी छोड़कर),एआइएफआइ, एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) को सूचित किया गया कि तीन वर्ष में पूरी वसूली की शर्त के अधीन पहले वर्ष में अनुमानित नकदी प्रवाह का 10 प्रतिशत वसूला जाए और इसके बाद प्रत्येक छमाही में कम-से-कम 5 प्रतिशत।
	24	• बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 का संशोधन किया गया तथा सभी एससीबी, आरआरबी तथा यूसीबी को निदेश दिया गया कि वे उनका अनुपालन करें।
	25	• जम्मू और कश्मीर के उधारकर्ता/ग्राहकों के लिए रियायत/ऋण छूट एक वर्ष और अर्थात 31 मार्च 2008 तक जारी रहेगी।
	28	• सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्निर्माण कंपनियों को प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद के निवल आस्ति मूल्य की घोषणा पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
जून	**13**	• विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआइ) के तहत दिए जानेवाले ऋण की सीमा 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है तथा योजना के तहत आवास ऋण की सीमा प्रति लाभार्थी के लिए 5,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है।
	19	• आरआरबी द्वारा ऋण प्रदान करने के मामले में अधिक कारोबारी मार्ग एवं अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरआरबी को अनुमति दी गई कि वे अपने प्रायोजक बैंक के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विकास वित्तीय संस्थानों के साथ वर्तमान जोखिम सीमा के अधीन संघ उधारी में सहभागिता कर सकते हैं। इसमें शर्त यह होगी कि वित्तपोषित किया जाने वाला प्रोजेक्ट आरआरबी के परिचालन क्षेत्र से संबंधित हो और प्रोजेक्ट का मूल्यांकन उसके प्रायोजक बैंक ने किया हो।

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
2007		**III. वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम** *(समाप्त)*
जून	**22**	• आरआरबी को अनुमति दी गई कि वे डाटा संसाधन, दस्तावेजों के सत्यापन और संसाधन, चेक बुक तथा डिमांड ड्राफ्ट जारी करने और अपने बैंकिंग कारोबार के अन्य प्रासंगिक कार्यों जैसे बैंक आफिस कार्यों को देखने के लिए सेवा शाखा/केंद्रीय संसाधन केंद्र/बैंक आफिस स्थापित कर सकते हैं।
	26	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे 30 सितंबर 2007 तक विभिन्न जोखिम कारकों के लिए तनाव जांच की समुचित नीतियां तथा संबधित तनाव जांच ढांचा तैयार करें।
	28	• केंद्रीय बजट 2007-08 में की गयी घोषणा के अनुसार आरआरबी को एफसीएनआर (बी) जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति दी गयी। रुपयों में अनिवासी (सामान्य/बाहरी) खातों को खोलने/बनाये रखने को प्राधिकृत करने के संबंध में निर्धारित पात्रता मानकों की भी समीक्षा की गयी।
		• पेंशन निधि प्रबंधक (पीएफएम) के लिए बनाई गई सहायक कंपनियों के माध्यम से बैंकों को यह कारोबार करने की अनुमति दी गई। इसके लिए शर्त यह होगी कि वे पेंशन निधि प्रबंधक के लिए पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित पात्रता को पूरा करें तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक कार्य करें। पीएफएम का कारोबार करने के इच्छुक बैंक यह कारोबार करने से पूर्व रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें।
जुलाई	**2**	• 30 जून 2007 की स्थिति के अनुसार दिशानिर्देश नोट के साथ-साथ अद्यतन मार्गदर्शी सिद्धांत एवं निदेश प्रतिभूति कंपनी एवं पुनर्संरचना कंपनी को जारी किए गए।
	13	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि (i) उनके द्वारा तथा पण्य दलालों को निधि अथवा गैर-निधि आधारित जमानती अथवा गैर-जमानती ऋण प्रदान करने के मामले पर रोक लगा दी गई है।
		• एटीएम-कम-डेबिट कार्ड जारी करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए। जिन बैंकों को ऑन साइट एटीएम/ऑफ साइट एटीएम संस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है वे अपने बोर्ड के अनुमोदन से एटीएम-कम-डेबिट कार्ड की शुरूआत कर सकते है।
	31	• सभी शहरी सहकारी बैंकों (आरआरबी तथा एलएबी/एआईएफआई/ एनबीएफसी को छोड़कर) को यह सूचित किया गया कि सेबी ने फिम्डा को इस बात की अनुमति प्रदान की है कि वे कंपनी बांडों के लिए अपना रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म गठित करें।
		IV. पूंजी बाजार नीतियाँ
2006		**क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)**
अप्रैल	**3**	• सेबी ने इंडिया डिपोजिटरी रसीद (आइडीआर) के सूचीबद्ध करार जारी किया।
	4	• सेबी ने म्युच्यूअल फंड के संबंध में प्रारंभिक निर्गम व्यय तथा लाभांश वितरण क्रियाविधि को युक्तिसंगत बनाने के लिए मानदंड जारी किए।
	13	• सेबी ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों की लोक शेयरधारिता के न्यूनतम स्तर को निर्धारित करने वाले ईक्विटी सूचीबद्ध करार की धारा 40 क तथा 35 और शेयरधारिता के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट में संशोधन किए।
	21	• स्वर्ण विनिमय कारोबार निधि हेतु निवल आस्ति मूल्य के मूल्यांकन और निर्धारण के संबंध में नये दिशानिर्देश जारी किए गए। .
	24	• गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) की ग्रेडिंग किसी साख निर्धारण एजेंसी से करवाने का विकल्प चुनने और अस्वीकार्य ग्रेडों सहित सभी ग्रेडों में प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए सेबी (प्रकटीकरण तथा निवेश सुरक्षा), दिशानिर्देश, 2000 में संशोधन किया गया।
मई	**8**	• घरेलू बाजार से निधि जुटाने के लिए अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों की ''क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट'' (क्यूआईपी) के रूप में निधि जुटाने की अनुमति दी।
जून	**16**	• सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को नकदी खंड की वर्तमान सीमांत प्रणाली को और कठोर बनाने को कहा। स्टॉक एक्सचेंजों को कहा गया कि जैसा व्युत्पन्न बाजार में किया जाता है उसी के अनुसार नकदी बाजार में कम-से-कम पांच बार जोखिम सूची को अद्यतन करें और तदनुसार लागू सीमांत दर को अद्यतन करें।
जुलाई	**5**	• सेबी (पोर्टफोलियो मैनेजर) विनियम, 1993 में प्रधान अधिकारी की भूमिका, उसकी अर्हता और अनुभव को परिभाषित किया गया है । इस विनियम के अनुसार पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए यह भी आवश्यक है कि वह जिन प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रशासन करता है उनके लिए किसी अभिरक्षक की नियुक्ति करे।
	13	• इन कार्यों के लिए सेबी (विदेशी संस्थागत निवेशक) विनियम, 1995 में संशोधन किए गए : पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता अवधि पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करना, विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए पंजीकरण शुल्क 5,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 10,000 अमरीकी डॉलर करना, और नवीकरण शुल्क 1,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 2,000 अमरीकी डालर करना।
		• नकदी बाजार में लेनदेन करने के इच्छुक संस्थाओं/व्यक्तियों के लिए 1 अक्तूबर 2006 से पैन (पीएएन) अनिवार्य कर दिया गया।
अगस्त	**14**	• पूंजी सुरक्षा अभिमुख योजनाओं के मामले में, म्यूचुअल फंडो के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने प्रस्ताव दस्तावेज, मुख्य सूचना ज्ञापन (केआइएम) और विज्ञापनों में यह बताएं कि प्रस्तावित योजना ठपूंजी सुरक्षा अभिमुखीड है और ''प्रतिफल की गारंटी नहीं दी जा रही है''।

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
2006		**IV. पूंजी बाजार नीतियाँ** *(जारी)*
सितंबर	**12**	• भारत के शेयर बाजार में निवेश कर सकनेवाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के क्षेत्र में विस्तार भारत के बाहर पेंशन निधि, पारस्परिक निधि, निवेश न्यास तथा बीमा कंपनी और विदेशी संस्थागत निवेशक के रूप में पंजीकृत पुनर्बीमा कंपनी जैसी यथानिगमित रूप में स्थापित संस्थाओं के शामिल करने के द्वारा हुआ। इस सूची में अंतरराष्ट्रीय अथवा बहुपार्श्विक एजेंसियाँ, विदेशी सरकारी एजेंसियाँ अथवा विदेशी केंद्रीय बैंक भी शामिल होंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भारत से बाहर में स्थापित अथवा निगमित और व्यापक आधार वाली स्वाधिकृत निधियों की ओर से भारत में निवेश करने के लिए तैयार किसी परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी, निवेश परामर्शदाता प्रबंधक, बैंक अथवा सांस्थिक संविभाग प्रबंधक द्वारा पंजीकरण की अनुमति भी प्रदान की।
	22	• बाजार विस्तार स्थिति सीमा को मुक्त प्रवाह बाजार पूंजीकरण से सहबद्ध किया गया। एकल शेयर फ्यूचर्स/ऑप्शन संविदाओं के लिए बाजार विस्तार स्थिति सीमा संगत अंतर्निहित प्रतिभूतियों में गैर-प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या का 20 प्रतिशत होगी। इक्विटी सूची ऑप्शन/फ्यूचर्स संविदाओं में कारोबारी सदस्य / विदेशी संस्थागत निवेशक / पारस्परिक निधि स्थिति सीमा 500 करोड़ रुपए से अधिक अथवा इक्विटी सूची ऑप्शन संविदा में बाजार में कुल खुले ब्याज का 15 प्रतिशत होगी।
	26	• डीमैट खाता खोलने के लिए स्थायी खाता संख्या (पीएएन) कार्ड अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2006 तक बढ़ाया गया।
अक्तूबर	**14**	• कोई आइपीओ तैयार करने वाली किसी गैर सूचीबद्ध कंपनी के निर्गम-पूर्व शेयरों को लाक-इन से छूट की सुविधा सेबी के साथ प्रारूप विवरणियां दर्ज करने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत उद्यम पूंजी निधियों तथा विदेशी उद्यम पूंजी निधि निदेशकर्ताओं द्वारा धारित शेयरों तक प्रतिबंधित रखा जाए।
	18	• दर्ज किए जाने के पूर्व की अवधि के दौरान एक सार्वजनिक अथवा अधिकार निर्गम करने का प्रस्ताव करनेवाली कंपनियों द्वारा निर्गम पूर्व प्रचार को विनियमित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान लागू किया कि निर्गम में शेयरों के आबंटन तक निर्गमकर्ता कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा निर्गम के अनुमोदन की तारीख से शुरु होनेवाली अवधि के दौरान किया गया प्रचार पिछली प्रथाओं के अनुरूप है, और इसमें विकल्प दस्तावेज के असंगत कोई सामग्री, आकलन अथवा कोई सूचना शामिल नही है। सेबी (डीआइपी) दिशानिर्देश, 2000 को इस तरह से संशोधित किया जाए ताकि उक्त नीति का अनुपालन हो सके।
दिसंबर	**11**	• डीपी से यह अपेक्षित है कि वे अपने निक्षेपागार की शुल्क/प्रभार संरचना प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करें। शुल्क/प्रभार संरचना में जैसे और जब कोई परिवर्तन प्रभावी हो तो उन्हें भी प्रस्तुत किया जाए।
	12	• बीएसई कार्पोरेट बांड रिपोर्टिंग प्लेटफार्म गठित करेगा और उसे बनाये रखेगा। इस प्रयोजन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार सहभागियों के लिए कुल मिलाकर 1 लाख रुपए और उससे अधिक के सभी कंपनी बॉण्ड कारोबारों की रिर्पोट 1 जनवरी 2007 से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में रिपोर्ट करने को अधिदेशात्मक बनाया है। 1 लाख रुपए से अधिक के सभी लेन-देन की कारोबार बंद होने के 30 मिनट के भीतर रिपोर्ट की जाए। निपटानों की रिपोर्टिंग व्यापार पूरा किए जाने से एक दिन के भीतर की जानी है। बीएसई सभी कारोबारी दिनों में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5.30 बजे तक कंपनी बॉण्ड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का परिचालन सुनिश्चित करेगा और रिपोर्टिंग के लिए सभी बाजार मध्यस्थों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
	22	• प्रतिभूति बाजार मुख्यतः स्टाक एक्सचेंजेस डिपाजिटरी अंड क्लिअरिंग कार्पोरेशन की बुनियादी कंपनियों में 49 प्रतिशत विदेश निवेश की अनुमति दी जाए। साथ ही 26 प्रतिशत के एफ डी आइ तथा 23 प्रतिशत के एफ आइ आइ का अलग से कैप निर्धारित किया गया।
2007		
मार्च	**1**	• भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) को अनुमति दी गई है कि वह कंपनी बॉण्ड में कारोबार के लिए ठीक-ठीक और यथासंभावित निष्पादन के स्तर से संबंधित सभी सूचना अधिगृहीत करने के लिए एक कंपनी बॉण्ड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का गठन और उसकी रखरखाव करे। इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विनियमित किया है कि मुंबई शेयर बाजार (बीएसई) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) के सदस्यों द्वारा निष्पादित सभी कारोबारों की रिपोर्टिंग उनके संबंधित शेयर बाजारों की रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर की जाएगी जो अपनी वेबसाइटों पर ऐसी सूचना आमंत्रित करेंगे।
अप्रैल	**16**	• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निधियों के अलग रखे जाने, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की अल्पकालीन जमाराशियों में पारस्परिक निधियों द्वारा लंबित विनियोजन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए।
	20	• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सहमत आदेशों और अपराधों की प्रकृति पर दिशानिर्देश जारी किए । निर्धारित दिशानिर्देशों के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश की अध्यक्षता और सदस्य के रूप में दो बाहरी विशेषज्ञों वाले एक सहमत आदेश पैनल का गठन करेगा जो आवेदनों की छान-बीन करेगा और अपनी अनुशंसाएँ विशेष रूप से गठित एक पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) पैनल को भेजेगा। पूर्णकालिक सदस्य पैनल अंतिम सहमत आदेश जारी करेगा।
	26	• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों को पूर्णतुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा एवं निदेशक की रिपोर्ट की एक प्रति प्रत्येक शेयरधारक को भेजने के बदले तुलनपत्र, लाभ हानि लेखा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं वाला एक विवरण भेजे जाने की अनुमति प्रदान की।
	27	• प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेनों के लिए एकमात्र पहचान पैन (पीएनएन) नंबर रखा गया।

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
2007		**IV. पूंजी बाजार नीतियाँ** *(समाप्त)*
अप्रैल	**30**	• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आइपीओ के श्रेणीकरण को अधिदेशात्मक बनाने और अधिमानक आबंटनों के माध्यम से मुद्रा प्राप्त करने के लिए छह महीने से कम के इतिहास को सूचीबद्ध करने के साथ कंपनियों को अनुमति देने के लिए (प्रकटन ओर निवेश सुरक्षा) दिशानिर्देश, 2000 को संशोधित किया।
मई	**11**	• पोर्टफोलिओ मैनेजर के पंजीकरण प्रमाणपत्र नवीकरण हेतु दिशानिर्देश स्पष्ट किए गए। पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति तारीख तक नवीकरण के लिए यदि सेबी में आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो उस समाप्ति तारीख के बाद से वह पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं रह पायेगा। साथ ही, उस समाप्ति तारीख से वह पोर्टफोलियो मैनेजर के सारे कार्य बंद कर देगा तथा अपना कार्य सेबी के साथ पंजीकृत किसी अन्य पोर्टफोलियो मैनेजर को अंतरित कर देगा अथवा ग्राहक की इच्छानुसार ग्राहक की प्रतिभूति एवं निधि को उसे वापस ले लेने की अनुमति देगा। यदि पोर्टफोलियो मैनेजन उक्त निदेशों का अनुपालन नही करता है तो यह खंड 12 का उल्लंघन समझा जायेगा तथा सेबी अधिनियम 1992 के संबद्ध में प्रावधानों के तहत उस पर उचित कार्रवाई की जा सकती है।
	14	• सेबी ने यह निर्णय लिया है कि म्यूचुअल फंड 4 बीलियन अमेरिकी डालर की समग्र सीमा के भीतर एडीआर/जीडीआर/विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते है। अलग-अलग म्यूचुअल फंड के लिए एक उप-सीमा रहेगी जो कि संबद्ध प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को उनकी कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, प्रति म्यूचुअल निधि के लिए अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डालर की शर्त बनी रहेगी।
जून	**25**	• स्थायी खाता संख्या (पीएएन) एक मात्र पहचान की शुरूआत के बाद से सेबी ने यूनिक पहचान संख्या (यूआइएन) को सेबी (सेंट्रल डाटाबेस आफ मार्केट पार्टीसिपेंट रिगुलेशन) 2005 (एमएपीआइएन विनियम/परिपत्र) के तहत समाप्त कर दिया।
	27	• म्यूचुअल निधियों द्वारा निधियों की अपलोडिंग के संबंध में व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए सेबी ने निधि योजनाओं के अंतर्गत निधि की निवल आस्ति मूल्य(एनएवी)अपलोड करने की समय सीमा एएमएफआइ वेबसाइट पर अगले कार्यदिवस को 10.00 बजे पूर्वाह्न तक बढ़ा दी है।
जुलाई	**5**	• द्वैमासिक अनुपालन परीक्षण रिपोर्ट (सीटीआर) प्रस्तुत करने की विधि सरलीकृत बनायी गयी। सेबी ने यह निर्णय लिया कि सेबी के पास संपूर्ण सीटीआर प्रस्तुत करने के बजाय आस्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) द्वैमासिक आधार पर केवल विशिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जबकि सीटीआर का फार्मेट और विषय वस्तु वही रहेगा परंतु सीटीआर में किसी अपवाद के मिलने पर ही एएमसी को रिपोर्ट करने की जरूरत होगी अर्थात एएमसी सिर्फ उन्हीं मुद्दों को रिपोर्ट करेगा जहां पर उनका अनुपालन नहीं किया गया है।
	10	• सरकारी कंपनी/निगमों, सांविधिक प्राधिकरणों / निगमों अथवा उनके द्वारा बुनियादी क्षेत्र में आइपीओ के माध्यम से भारतीय प्राथमिक बाजार में निधि जुटाने के लिए विशेष रूप से गठित संस्थाओं की सुविधा के लिए सेबी ने कंपनियों द्वारा मूल्य निर्धारण,प्रवर्तक अंशदान,लॉक-इन जरूरतों तथा अन्य आवश्यक मामलों से संबंधित सेबी (डिस्क्लोज़र तथा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन) दिशानिर्देश 2000 के कतिपय प्रावधानों का संशोधन किया। • शेयर बाजार में वित्तीय परिणामों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया और फार्मेट को युक्तिसंगत और सरल बनाने के उद्देश्य से सेबी ने यह निर्णय लिया कि लिस्टिंग एग्रीमेंट के विद्यमान खंड 41 को बदल दिया जाए। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय परिणाम तथा प्रकाशन परिणाम के प्रस्तुतीकरण के संबंध में संशोधित खंड शामिल करते समय कई संशोधन किए गए हैं।
अगस्त	**6**	• सेबी ने यह निर्णय लिया है कि डिबेंचर जारी करने वाली कंपनियां तथा संबंधित डिबेंचर ट्रस्टी/शेयर बाजार डिबेंचर के संबंध में सभी जानकारी निवेशकों तथा जनसामान्य को स्पष्ट करेंगे।
	9	• सेबी ने उद्यम पूंजी निधि द्वारा किए जाने वाले विदेशी निवेशों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए।
2007		**(ii) भारत सरकार**
फरवरी	**28**	• केंद्रीय बजट 2007-08 में निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया है : (i) किसी विशेष प्रकार के खाते की पहचान के लिए (सेबी ने इसे 17 अप्रैल 2007 से लागू किया) प्रतिभूति बाजार में सभी सहभागियों के लिए वर्ण-अंकात्मक उपसर्ग या प्रत्यय के साथ पैन को एकमात्र पहचान संख्या बनाई जाए, (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्मित विनियमावली के अंतर्गत विभिन्न बाजार सहभागियों के लिए स्व-नियंत्रक संगठनों (एसआरओ) के विचार को आगे लाया जाए, (iii) पारस्परिक निधियों को समर्पित मूलभूत सुविधा निधियों को शुरु करने और परिचालित करने की अनुमति दी जाए, (iv) भारतीय पारस्परिक निधियों के माध्यम से व्यक्तियों को समुद्रपारीय प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति दी जाए, (v) सुपुर्दगी को सुविधा प्रदान करने हेतु संस्थाओं को सुपुर्दगी और प्रतिभूति ऋण तथा उधार लेने के द्वारा निपटाए गए अल्प विक्रय की अनुमति दी जाए, (vi) विनिमय योग्य बॉण्डों के निर्गम द्वारा अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह कंपनियों में अपनी धारिता के एक भाग को मुक्त करने हेतु भारतीय कंपनियों को अनुमति प्रदान करने के लिए जारी की जानेवाली व्यवस्था को सशक्त बनाना, (vii) सभी निवेशकर्ताओं के लिए मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों और चलनिधि पारस्परिक निधियों द्वारा भुगतान किए गए लाभांश पर लाभांश वितरण कर को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाना, (viii) मुफ्त नमूने और उनके प्रदर्शन पर व्यय को अनुषंगी लाभ कर (एफबीटी) के क्षेत्र से बाहर रखा जाए, (ix) कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई कर्मचारी शेयर विकल्प योजना (इएसओपी) को अनुषंगी लाभ कर (एफबीटी) के अंतर्गत लाया जाए, (x) जैव-प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, परमाणु प्रौद्योगिकी, बीज अनुसंधान और विकास, भेषज क्षेत्र में नई रासायनिक संस्थाओं के विकास और जैव-इंधन के उत्पादन में केवल उद्यम पूंजी उद्यमों के संबंध में उद्यम पूँजी निधियों के लिए खुली स्थिति प्रदान की जाए।

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
		V. बाह्य क्षेत्र नीतियाँ
2006		**क) व्यापार नीति**
अप्रैल	**7**	• विदेश व्यापार नीति (2004-09) के लिए वार्षिक अनुपूरक 2006 की घोषणा की गई। इससे विदेश व्यापार नीति 2004-09 के दोहरे उद्देश को बल मिला यथा, (i) देश के निर्यात को मात्रात्मक विकास के पथ पर लाना और (ii) रोजगार के अवसर तैयार करना। वार्षिक अनुपूरक ठोस नीति उपायों के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे कि भारतीय कंपनियाँ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके और साथ ही भारतीय उपभोक्ताओं को विश्व-स्तर के उत्पाद और सेवाएँ दे सकें; कृषि, समुद्री उत्पाद, निर्यात उन्मुख इकाइयाँ और सेवा क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों के लिए पैकेज उपलब्ध कराता है; इसमें लेन-देन लागतों में कमी के लिए उनमें प्रमुख प्रक्रियात्मक सरलीकरण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी है; और निर्यात-प्रयत्न में अधिक सक्रियता के साथ राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए एक अंतर राज्य व्यापार परिषद के गठन का प्रस्ताव है।
जुलाई	**27**	• लेन-देन लागत में कमी के द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए आयातक-निर्यातक कोड (आइइसी) को जारी करने हेतु ऑनलाइन सुविधा
2007		
अप्रैल	**4**	• भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (एसएएआरसी) के सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी)को इस वर्ष की समाप्ति के पूर्व भारत में शुल्क-मुक्त प्रवेश की अनुमति देने के अपने निर्णय की घोषणा की जिसमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल शामिल हैं ।
	19	• विदेश व्यापार नीति (2004-09) के वार्षिक अनुपूरक 2007 ने भारत के निर्यात को और गति प्रदान करने की घोषणा की। इसमें निर्यात के प्रोत्साहन हेतु उठाए गए कदमों में अन्य बातों के अलावा जोर दिए जानेवाले क्षेत्रों और वस्तुओं की पहचान की गई है जैसे कि कृषि, हस्तकरघा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण, चर्म और समुद्री क्षेत्र, प्रौद्योगिकीय और मूलभूत सुविधा साधन, राजकोषीय कदम, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और लेन-देन लागतों में कमी शामिल थी।
जुलाई	**13**	• निर्यात की गति बनाए रखने की दृष्टि से भारत के निर्यात पर रुपए की मूल्यवृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने एक निर्यात पैकेज की घोषणा की जिसमें 9 क्षेत्रों में शुल्क पात्रता पास बुक (डीईपीबी) दरें 3 प्रतिशत कम की गई। ये क्षेत्र हैं; कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र, चमड़े के सामान, हस्तशिल्प, इंजिनियरिंग के सामान,प्रोसेस किए हुए कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद, खेल-कूद के सामान और खिलौने। निर्यातकों के लिए लदान-पूर्व और लदानोत्तर ऋण के ब्याज दर 2 प्रतिशत कम किए गए। ड्यूटी ड्रा बैक की वर्तमान दरों में 10 से 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
2006		**ख) विदेशी मुद्रा बाजार**
अप्रैल	**5**	• कर्मचारी शेयर विकल्प योजना (इएसओपी) के अंतर्गत शेयर प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों को विप्रेषण की अनुमति दी गई, योजना की परिचालनात्मक पद्धति चाहे जो हो अर्थात् : जारीकर्ता कंपनी ने इस योजना के अंतर्गत शेयरों को सीधे ऑफर किया हो अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यास / कोई विशेष प्रयोजन सुविधा (एसपीवी)/स्टेप डाउन सबसिडीयरी द्वारा, बशर्ते, (i) जिस भारतीय कंपनी के कर्मचारियों/ निदेशकों को शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं उसमें जारीकर्ता कंपनी प्रभावी रूप से, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से 51 प्रतिशत की इक्विटी होल्ड करती हो, (ii) कर्मचारी शेयर विकल्प योजना (इएसओपी) के अंतर्गत जारीकर्ता कंपनी द्वारा प्रस्तावित शेयर, वैश्विक स्तर पर समान आधार पर हों, और (iii) भारतीय कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यापारी बैंकों (एडी) के माध्यम से प्रेषणों / लाभार्थियों के ब्यौरे देते हुए रिज़र्व बैंक को एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किया जाए। विदेशी कंपनियों को भी किसी कर्मचारी शेयर विकल्प योजना (इएसओपी) के अंतर्गत भारत में निवासियों को जारी किए गए शेयरों की पुनर्खरीद की सामान्य अनुमति प्रदान की गई, बशर्ते (i) शेयरों को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत निर्मित विनियमों / विनियमावलियों के अनुसार जारी किया गया हो, (ii) शेयरों की पुनर्खरीद प्रारंभिक विकल्प दस्तावेज की शर्तों के अनुसार की जा रही हो और (iii) प्रेषणों / लाभार्थियों आदि के ब्यौरे देते हुए प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों के माध्यम से एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की गई हो।
	21	• इनवॉयस वैल्यू जिसके लिए प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों को निर्यात की तारीख से निर्धारित अवधि के बाद निर्यात आय की वसूली के लिए समय विस्तार की अनुमति देने की मंजूरी दी गई है की सीमा वर्तमान शर्तों के अधीन 1,00,000 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की गई ।
		• वर्तमान शर्तों के अधीन प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों को विदेशों में खोले गए शाखा कार्यालयों के व्यय हेतु पिछले दो लेखा वर्षों की औसत वार्षिक बिक्री / आय या टर्नओवर का 10 प्रतिशत (पहले 2 प्रतिशत था) और 5 (पूर्व में 1 प्रतिशत) प्रतिशत तक विप्रेषण की अनुमति क्रमशः प्रारंभिक खर्च के लिए और आवर्ती खर्चों के लिए दी गई।
जून	**26**	• दिसंबर 2005 में धन शोधन निवारण (एएमएल) दिशानिर्देशों में कुछ को लागू करने में प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तनों (एएमसी) द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित कतिपय अनुदेशों में सुधार किया जाए :- i) 200 अमरीकी डॉलर से कम अथवा उसके समकक्ष विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए रिकार्ड में पहचान दस्तावेज की प्रतिलिपि रखने की आवश्यकता नहीं है; पहचान दस्तावेज का पूरा ब्योरा रखना चाहिए, ii) 200 अमरीकी डॉलर और 2000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समकक्ष विदेशी मुद्रा के नकदीकरण के लिए पहचान दस्तावेज की प्रतिलिपियाँ एक वर्ष अथवा सांविधिक लेखा परीक्षा पूरा होने तक रखनी चाहिए, iii) 2000 अमरीकी डॉलर से अधिक अथवा उसके समकक्ष के नकदीकरण के लिए पहचान दस्तावेज की प्रतिलिपियाँ कम से कम पाँच वर्ष की अविध के लिए रखनी चाहिए, तथा iv) विदेशी पर्यटकों/अनिवासी भारतीयों द्वारा नकद भुगतान के अनुरोध 2000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समकक्ष राशि की सीमा तक ही स्वीकार किए जाएँ।

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
2006		**V. बाह्य क्षेत्र नीतियाँ** *(जारी)*
जुलाई	**17**	• नकदीकृत विदेशी मुद्रा का मूल्य 15,000/- रु. से अधिक होने पर सिक्यूरिटी पेपर पर नकदीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की अपेक्षा से छूट दी गई। तदनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे ग्राहक द्वारा अनुरोध किए जाने पर अपने पत्र शीर्ष पर (अपने चिह्न वाले) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करके नकदीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं, चाहे राशि कुछ भी हो। ऐसे मामलों में, जहाँ नकदीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता, अनिवासी पर्यटकों के पास रखी गई खर्च न की गई स्थानीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।
	20	• केंद्र सरकार और सेबी के साथ विचार-विमर्श के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों को डेरिवटिव क्षेत्र में उनके लेनदेन के लिए मान्ताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में समर्थक जमानत के रूप में एएए रेटिंग की विदेशी सरकारी प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।
	26	• सूचीबद्ध भारतीय कम्पनियों के आपसी शेयर धारिता विदेशी कम्पनियों द्वारा 10 प्रतिशत की आपसी शेयर धारिता की अपेक्षा से छूट दे दी गई ताकि म्युच्युअल फंड समुद्रपारीय निवेश हेतु बड़े भाग उपलब्ध करा सकें। • सेबी के पास पंजीकृत म्युच्युअल फंडों द्वारा समुद्रपारीय निवेश की समग्र सीमा को 1 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ा कर 2 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया है। यह भी निर्णय लिया गया था कि एक सीमित संख्या में अर्हताप्राप्त भारतीय म्युच्युअल फंडों को सेबी द्वारा अनुमति दिए जाने पर समुद्रपारीय व्यापारित फंड में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक संचीय रूप से निवेश करने की अनुमति दी जाए।
सितंबर	**6**	• समुद्रपारीय पण्य विनिमय में व्यापार, तथा समुद्रपारीय पण्य विनिमय में व्यापार हेतु संयुक्त उद्यम (जेवी) / पूर्णतया स्वाधिकृत अनुषंगी कम्पनियों (डब्ल्यू ओ एस) की स्थापना की पहचान वित्तीय सेवाएँ गतिविधि के रूप में की गई और उन्हें वायदा बाजार आयोग (एफ.एम.सी) से अनुमति की आवश्यकता होगी।
नवंबर	**16**	• सेबी के पास पंजीकृत म्युच्युअल फंड्स द्वारा समुद्रपारीय निवेश की अधिकतम सीमा 2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ा कर 3 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दी गई है। • अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को अपने अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खातों में से किसी सही (बोनाफाइड) प्रयोजन के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 1 मिलियन अमरीकी डॉलर भेजने की अनुमति है। एन आर ओ खातों में अनिवासी द्वारा भारत में अपने स्रोतों से प्राप्त अचल संपत्ति की बिक्री की आय अथवा उपहार या पैतृक सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त आय हो सकती है। अचल संपत्ति को बेचने के बाद प्राप्त राशि के प्रेषण के लिए 10 वर्ष की अवधि का बंधन था । इसमें और अधिक लचीलापन लाने के लिए नवंबर 2006 से अचल सम्पत्ति की बिक्री आय भेजने पर लगा यह प्रतिबंध हटा लिया गया है।
	17	• प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी -I बैंकों को अपने ग्राहकों की ओर से 1,00,000 अमरीकी डॉलर तक की सेवाएँ आयात करने के लिए गारंटी जारी करने की अनुमति, शर्तों के अधीन, दे दी गई है।
	28	• प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी I बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना भारत में ट्रेडमार्क अथवा फ्रेंचाइज़ की खरीद के लिए किसी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा आहरित करने की अनुमति दे सकते हैं।
	30	• प्रक्रिया को उदार बनाने और अधिक लचीलापन लाने की दृष्टि से सभी वर्ग के विदेशी मुद्रा अर्जकों को अर्जित विदेशी मुद्रा को अपने ईईएफसी खाते में शत प्रतिशत जमा करने की अनुमति दे दी गई।
दिसंबर	**4**	• कम्पनियों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमोदन रूट के अन्तर्गत 10 वर्ष से अधिक औसत परिपक्वता वाली 250 मिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त राशि के बाह्य वाणिज्य उधार की अनुमति दी गई है, जो कि एक वित्तीय वर्ष में स्वायत्त रूट के अन्तर्गत 500 अमरीकी डॉलर की वर्तमान सीमा के अतिरिक्त हो सकती है। अन्य ई सी बी मानदण्डों जैसे; अन्तिम उपयोग, लागत सीमा (ऑल -इन -कॉस्ट सिलिंग) मान्यताप्राप्त उधारदाता इत्यादि का अनुपालन होना चाहिए। तथापि ऐसे ईसीबी के लिए 10 वर्ष की अवधि तक समय से पहले चुकौती (प्री पेमेंट) तथा मांग विकल्पों (पुट ऑप्शन) की अनुमति नहीं होगी। • कम्पनियों को ईसीबी के समयपूर्व भुगतान के लिए 200 मिलियन अमरीकी डॉलर की वर्तमान सीमा की तुलना में 300 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुमति रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना दे दी गई है बशर्ते कि न्यूनतम औसत परिपपक्वता अवधि का अनुपालन किया गया हो, जैसा कि ऋण पर लागू है। • प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को विदेश में कार्यालयों की स्थापना के लिए किए गए व्यय/आरंभिक व्यय हेतु औसत वार्षिक बिक्री/आय/बिक्री आय के 15 प्रतिशत तक अथवा निवल सम्पत्ति के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, आरंभिक व्यय हेतु तथा दुबारा होने वाले व्यय के लिए औसत वार्षिक बिक्री/आय/ बिक्री-आय का 10 प्रतिशत भेजने की अनुमति है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को उन कम्पनियों को धन भेजने की अनुमति दे दी है जो भारत में निगमित है तथा जिनके कार्यालय विदेशों में है; ये विप्रेषण आरंभिक तथा बार-बार किए जाने वाले व्यय की उक्त सीमा के अधीन होंगे तथा इनका प्रयोग कंपनी के कारोबार तथा स्टाफ के आवास हेतु भारत के बाहर अचल सम्पत्ति खरीदने के लिए किया जा सकता है।
	13	• प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को आयात पर देय सीमा शुल्क के संबंध में आयातकों के आर्थिक (मुद्रा सूचकांक) ऋण जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए वायदा कवर उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है। तदनुसार, आयातक आयात के सीमाशुल्क तत्व के लिए वायदा संविदा बुक कर सकेंगे। ये संविदाएँ परिपक्वता तक रखी जाएंगी तथा नकदी समायोजन परिपक्वता की तारीख को संविदा निरस्त करके किया जाएगा। ऐसे लेनदेनों को कवर करने वाली वायदा संविदाएँ एक बार निरस्त करने के बाद दुबारा बुकिंग के लिए पात्र नहीं होंगी। तथापि, सीमा शुल्क की दर में परिवर्तन होने पर, आयातकों को परिपक्वता से पहले निरस्त तथा/अथवा दुबारा बुकिंग की अनुमति दी जा सकती है।

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
2006		**V. बाह्य क्षेत्र नीतियाँ** *(जारी)*
दिसंबर	**13**	• प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे आयातकों और निर्यातकों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के वास्तविक आयात/निर्यात की आय के औसत तक के पिछले निष्पादन के आधार पर अथवा पिछले वर्ष की वास्तविक आयात/निर्यात की आय, जो भी अधिक हो, के आधार पर वायदा संविदाएँ बुक करने की अनुमति विशिष्ट शर्तों के आधार पर दे सकते हैं। इसके बाद पात्र सीमा के 25 प्रतिशत से अधिक बुक वायदा संविदा देने के आधार पर ही होंगी और उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकेगा। 25 प्रतिशत की इस सीमा को बढ़ा कर दिसंबर 2006 में 50 प्रतिशत और मई 2007 में 75 प्रतिशत यिा गया। इस सुविधा के लिए निर्धारित अन्य सभी शर्तें और रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ अपरिवर्तित रहेंगी।
	20	• 25,000 अमरीकी डॉलर की उदारीकृत विप्रेषण योजना को 25,000 अमरीकी डॉलर प्रति कैलेंडर वर्ष से बढ़ा कर 50,000 अमरीकी डॉलर प्रति वित्तीय वर्ष किसी चालू अथवा पूंजी खाता लेन-देन अथवा दोनों के मिश्रण के लिए कर दिया गया है। योजना के अन्तर्गत 50,000 अमरीकी डॉलर की सीमा में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा उपहार और दान भी शामिल होगा। समुद्रपारीय कम्पनियों में निवासी व्यक्तियों द्वारा निवेश भी 50,000 अमरीकी डॉलर की योजना के अन्तर्गत शामिल होगा।समुद्रपारीय कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों में 10 प्रतिशत की पारस्परिक धारिता भी प्रदान की गई है। • प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में 10,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समकक्ष राशि किसी भी देश के एक या अधिक निजी दौरों (नेपाल और भूटान को छोड़कर) के लिए घोषण के आधार पर जारी करना अभी भी स्व घोषणा के आधार पर जारी रहेगा। तथापि, अब यह सुविधा वित्तीय वर्ष आधार पर जारी रहेगी।
	22	• भारत सरकार के परामर्श से सेबी विनियामवली के अनुपालन में विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों पर स्टॉक एक्सचेंजों, निक्षेपागृहों और समाशोधन निगमों में करने की अनुमति दी गई थी :- i) 49 प्रतिशत के विदेशी निवेश की अनुमति 26 प्रतिशत एफडीआइ कैप और 23 प्रतिशत एफआइआइ कैप में अलग-अलग करने की अनुमति दी जाएगी, ii) एफडीआइ की अनुमति विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड (एफआइपीबी) की विशिष्ट पूर्व अनुमति से होगी तथा iii) एफआइआइ निवेश की अनुमति द्वितीयक बाजार में खरीदने के माध्यम से होगी।
2007		
जनवरी	**8**	• प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - बैंकों / एक्ज़िम बैंक को अनुमति दी गई है कि वे निर्यातकों को उनकी पसंद की मुद्रा/मुद्राओं में एक या अधिक विदेशी मुद्रा खाते, किसी मुद्रा अथवा देश में अनतर-परियोजना हस्तांतरणीयता सहित, खोलने की स्वीकृति दे सकते हैं। निधि के अनतर - परियोजना अन्तरण की निगरानी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक/बैंकों/एक्ज़िम बैंक कार्यदल द्वारा की जाएगी। • परियोजना/सेवा निर्यातकों को भारत के बाहर सृजित अपने अस्थायी नकदी आधिक्य को निम्नलिखित लिखतों/उत्पादों में लगाने की अनुमति दी गई जिसकी निगरानी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों/एक्ज़िम बैंक द्वारा की जाएगी (क) विदेश में अल्पावधि पेपर तथा खजाना बिलों सहित अन्य मौद्रिक लिखतों में जिनकी परिपक्वता अथवा शेष अवधि एक वर्ष अथवा कम हो और उनकी विशिष्ट रेटिंग हो तथा (ख) भारत में एडी श्रेणी - बैंक की भारत से बाहर शाखाओं / अनुषंगी शाखाओं में जमाराशि।
	31	• बैंक को जमाकर्ताओं अथवा तृतीय पक्ष को एनआर(ई) आरए तथा एफसीएन आर(बी) जमाराशियों पर 20 लाख रु. से अधिक के नए ऋण प्रदान करने पर निषेध लगाया है। उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि वे ऋण राशि का उपयोग इस तरह न करे कि अधिकतम सीमा का उल्लंघन हो।
फरवरी	**8**	• एफआइआइ को अनुमति दी गई है कि वे भारत में अपने पूरे निवेश में इक्विटी तथा/अथवा ऋण की 2 प्रतिशत की सीमा तक वायदा संविदाओं को निरस्त अथवा दुबारा बुक कर सकते हैं। दुबार बुकिंग के लिए पात्रता की गणना हेतु सीमा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के आरंभ में संविभाग के बाजार मूल्य के आधार पर होगी। बकाया संविदाएँ हमेशा उसमें निहित ऋण जोखिम द्वारा विधिवत समेकित होंगी।
	28	• प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को छः माह की निर्धारित अवधि से परे निर्यात आय की वसूली के लिए अवधि बढ़ाने की अनुमति दी गई है चाहे निर्यात का बीजक मूल्य कुछ भी हो। • सुदृढ़ स्थिति वाले निर्यातकों को i) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उनकी औसत वार्षिक वसूली के पाँच प्रतिशत अथवा (ii) वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात आय का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, तक के बकाया निर्यात देय राशि को बट्टे खाते डालने की अनुमति है। • भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर निर्यातक कम्पनी/फर्म द्वारा स्थल पर संविदाओं के संबंध में संविदा मूल्य के 30 प्रतिशत के प्रत्यावर्तन की अपेक्षा से छूट दे दी गई है। तथापि कम्पनी को उक्त संविदा की अवधि समाप्त होने के बाद स्थल पर संविदा का लाभ प्रत्यावर्तित करना चाहिए। • प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को 10 प्रतिशत की पहली अधिकतम सीमा की तुलना में कतिपय शर्तों पर, बीजक के 25 प्रतिशत तक के बीजक मूल्य में कटौती को स्वीकार करने की अनुमति है।

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
2007		**V. बाह्य क्षेत्र नीतियाँ** *(जारी)*
फरवरी	**28**	• समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता की क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त करने (जहाँ आयात दस्तावेज सीधे प्राप्त किए जाते हैं) हेतु उन मामलों में छूट दी गई भी जहाँ बीजक मूल्य 1,00,000 अमरीकी डालर से अधिक नहीं है, बशर्ते कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक लेन-देन और आयातक तत्व के पिछले रिकार्ड की वास्तविकता से संतुष्ट हो।
मार्च	**2**	• रत्नों और आभूषणों पर निर्यात समिति की सिफारिशों के आधार पर, एडी श्रेणी-1 के बैंकों को, निर्दिष्ट खनन कंपनियों से भारत में अपरिष्कृत हीरों का आयात करने के लिए किसी निर्यातक द्वारा (सार्वजनिक क्षेत्र की कोई कंपनी या भारत सरकार / राज्य सरकारों के किसी विभाग/ उपक्रम के अलावा) बिना किसी सीमा के (पूर्व की 1 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में) और बैंक गारंटी या आपाती साख पत्र के बिना अग्रिम रूप से राशि भेजने की अनुमति देने की इजाजत दी गई है। राशि का अग्रिम प्रेषण निर्दिष्ट दिशानिर्देशों जैसे कि निर्यात राशि की वसूली का पिछला अच्छा रिकार्ड, लेनदेनों की वास्तविकताओं और केवाइसी मानदंडों के पालन संबंधी शर्तों के अधीन होगा। कोई निर्यातक संस्था यदि किसी सार्वजनिक क्षेत्र में हो या वह भारत सरकार/राज्य सरकारों का कोई विभाग / उपक्रम हो तो,एडी श्रेणी - 1 के बैंक जहां अग्रिम भुगतान की राशि 1,00,000 अमरीकी डालर के बराबर या उससे अधिक हो तो, उक्त शर्तों और भारत सरकार से बैंक गारंटी की विशेष छूट के अधीन अग्रिम धन प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं ।
अप्रैल	**5**	• एडी श्रेणी-1 के ऐसे बैंकों को जिनके माध्यम से निर्यात की आगम राशि मूल रूप से वसूली गई थी, माल का दर्जा निकृष्ट होने के कारण भारत से निर्यात किए गए माल की आगम राशि लौटाने और भारत में पुनः आयात करने के अनुरोधों पर विचार करने की अनुमति दी गई है।
	20	निधि/गैर-निधि सुविधाएँ प्राप्त करनेवाली भारतीय पार्टियों को समुद्रपारीय जेवी/डब्ल्यूओएस में गिरवी रखे शेयरों को शर्तों के अधीन किसी समुद्रपारीय ऋणदाता को अंतरित करने की अनुमति दी गई।
	30	• ऋण के लिए यथा लागू न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि के अनुपालन की शर्त के अधीन इसीबी की चुकौती पूर्व सीमा को रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना 300 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 400 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया है। • एडी श्रेणी-I बैंकों को निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कंपनियों द्वारा दिए गए दान की राशि के विप्रेषण की अनुमति दी गई है: (i) भारत से बाहर की विख्यात शैक्षिक संस्थानों में सीटों का सृजन करना; (ii) शैक्षिक संस्थानों द्वारा सृजित निधि (जो निवेश निधि नहीं होगी) में दान; या (iii) किसी तकनीकी संस्था को या दान देनेवाली कंपनी के कार्यकलापों में लगी निकाय या एसोसिएशन को दान देना । ये विप्रेषण पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा के एक प्रतिशत या 5 मिलियन अमरीकी डालर, इनमें से जो भी कम हो, के अधीन हैं। भारतीय कंपनियों द्वारा दिए गए दान के प्रति 5,000 अमरीकी डालर प्रति प्रेषक/प्रति डोनर प्रति वित्तीय वर्ष के विप्रेषण की सुविधा अब तक की तरह जारी रहेगी। • बुनियादी परियोजनाओं निष्पादित करनेवाली भारतीय कंपनियों द्वारा भारत के बाहर से ली गई परामर्श सेवाओं के लिए प्रेषण की सीमा को एक मिलियन अमरीकी डालर प्रति परियोजना से बढ़ाकर 10 मिलियन अमरीकी डालर प्रति परियोजना कर दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए बुनियादी सुविधा क्षेत्र को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है : (i) बिजली (ii) दूरसंचार (iii) रेलवे (iv) पुलों हित सड़कें (v) बंदरगाह और हवाई अड्डे (vi) औद्योगिक पार्क (vii) शहरी मूलभूत सुविधाएं (जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं और जल-निकास परियोजनाएं)। • सांविधिक, लेखा परीक्षकों के प्रमाणपत्र के आधार पर भारत में निगमन पूर्व खर्चों की प्रतिपूर्ति के प्रति, भारत में लाए गए निवेश के 5 प्रतिशत तक अथवा 1,00,000 अमरीकी डालर, इनमें से जो भी अधिक हो, विदेशी मुद्रा के विप्रेषण की अनुमति देना। • एडी श्रेणी-I बैंकों को भारत के बाहर निगमित जहाज़रानी कंपनियों को सेवाएं देनेवाली शिप मैनिंग/ क्यू मैनेजिंग एजंसियों को अपने सामान्य कारोबार के दौरान लेनदेन करने के प्रयोजन के लिए भारत में विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति देने की इजाज़त दी गई है बशर्ते (क) ऐसे खातों में जमा समुद्रपारीय मूल कार्यालय से सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक प्रेषणों के रास्ते होगी; (ख) इन खातों में नामे कंपनी के अपने सामान्य कारोबार के दौरान जलपोतों/क्यू के प्रबंधन से संबंधित खर्चों के प्रति होगा; (ग) इन खातों में धारित निधियों की जमानत पर कोई ऋण सुविधा (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) नहीं दी जाएगी। बैंक ऐसे खातों के संबंध में निर्धारित आरक्षित निधि आवश्यकताओं को पूरा करेंगे ; (ङ) खाते में प्राप्त प्रेषणों के संबंध में कोई इइएफसी सुविधा नहीं दी जाएगी; (च) यह खाता केवल करार की वैधता अवधि के दौरान ही रखा जाएगा। • सेबी में पंजीकृत भारतीय वीसीएफ को, 500 मिलियन अमरीकी डालर और इस संबंध में जारी सेबी विनियमों के अनुपालन के अधीन, इक्विटी और विदेशी उद्यम पूंजी उपक्रमों के इक्विटी से जुड़े लिखतों में निवेश करने की अनुमति दी गई है।
मई	**8**	• किसी भी अनुमत चालू या पूंजीगत खाते से संबंधित लेनदेनों या साथ मिलाकर दोनों के लिए निवासी व्यक्ति योजना के हेतु उदारीकृत प्रेषण योजना के अंतर्गत 50,000 अमरीकी डालर प्रति वित्तीय वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 अमरीकी डालर प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया गया है। अन्य सभी लेनदेनों को जो फेमा के अंतर्गत अन्यथा स्वीकार्य नहीं हैं और वे भी जो मार्जिन के प्रेषण या विदेशी मुद्रा/विदेशी प्रतिपक्ष की मार्जिन की मांगों के रूप में हैं, योजना के अंतर्गत अनुमति नहीं है। बैंक योजना के अंतर्गत प्रेषण को सरल बनाने के लिए निवासी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की ऋण सुविधा न दें ।

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
2007		**V. बाह्य क्षेत्र नीतियाँ** *(जारी)*
मई	**18**	• एडी श्रेणी-I बैंकों और प्राधिकृत बैंकों को भारत से बाहर तीसरी पार्टी को एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की परिपक्वता पर की आगम राशि के प्रेषण की अनुमति देने की इजाज़त दी गई है, बशर्ते, खाता धारक ने लेनदेन को विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया हो और प्राधिकृत डीलर लेनदेनों की असलीयत से संतुष्ट हो।
		• निवासी व्यक्तियों से यह अपेक्षित है कि वे विदेशी मुद्रा प्राप्त करने/वसूली होने/खरीदने/अधिग्रहित करने/यात्री के वापस लैटाने जो भी स्थिति हो, की तारीख से 180 दिन के अंदर प्राप्त की गई/वसूली गई/खर्च न की गई/उपयोग न की गई विदेशी मुद्रा किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति को लौटा दें।
		• एडी श्रेणी-I बैंकों को, यह सुनिश्चित करने के बाद कि प्रस्ताव उचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, तथा वह निवेश को अनुमोदित करने वाले बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रति द्वारा समर्थित है, किसी समुद्रपारीय अनिगमित संस्था के तेल क्षेत्र में निवेश के प्रति नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रेषण की अनुमति दी गई है। ये निवेश सूचना देने की आवश्यकताओं के अधीन होंगे।
	21	• समीक्षा के बाद बाहय वाणिज्यिक उधार नीति में निम्न प्रकार संशोधन किए गए हैं:
		बाहय वाणिज्यिक उधार का एकीकृत टाउनशिप विकसित करने के लिए अंतिम रूप से उपयोग करने की जो छूट दी गई थी उसे समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार बिना किसी छूट के बाहय वाणिज्यिक उधार राशि का उपयोग स्थावार संपदा के लिए नहीं किया जा सकेगा ।
		भारत की सोवरीन क्रेडिट रेटिंग में निवेश ग्रेड बढ़ जाने से बाहय वाणिज्यिक उधार की अंतिम कुल लागत सीमा में निम्न प्रकार संशोधन किया गया है :(i) तीन वर्ष और पांच वर्ष तक की औसत परिपक्वता अवधि के लिए छः माह से अधिक लिबोर के लिए अंतिम कुल लागत सीमा को 200 आधार बिंदु से बदलकर 150 आधार बिंदु कर दिया गया है। (ii) पांच वर्ष से अधिक अवधि के लए छः माह से अधिक लिबोर के लिए अंतिम कुल लागत सीमा को 350 आधार बिंदु से बदलकर 250 आधार बिंदु कर दिया गया है।
		बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए उपर्युक्त परिवर्तन स्वचालित के साथ-साथ अनुमोदित,दोनों मार्गों पर लागू हैं।
	24	• एडी श्रेणी-I बैंकों को, भारत में तेल की खोज करने के प्रयोजन के लिए नकदी मांग के प्रति परिचालन को, जहां लागू हो वहां रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित विदेशी मुद्रा या रुपया खाते में जमा के द्वारा या समुद्रपारीय प्रेषण द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन भुगतान करने की इजाज़त देने की अनुमति दी गई है।
		• एडी श्रेणी-I बैंकों को रिज़र्व बैंक के पूर्ण अनुमोदन के बिना अनिवासी कंपनियों की ओर से, संबंधित सेबी के विनियमों/कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों एवं उनमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन खुले प्रस्तावों /डीलिस्टिंग/निकास प्रस्तावों के जरिए शेयरों/संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के अधिग्रहण/अंतरण के लिए एस्क्रो खाते/विशेष खाते खोलने की अनुमति दी गई है।
	25	• एडी श्रेणी-I बैंकों को भारत में बीपीओ कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात किए जाने और अपनी समुद्रपारीय साइटों में लगाने जानेवाले उपकरणों की लागत के प्रति प्रेषण की इजाज़त देने की अनुमति दी गई है; (i) बीपीओ कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय काल सेंटर (आइसीसी) स्थापित करने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया हो; (ii) प्रेषण सीधे समुद्रपारीय सप्लायर के खाते में किया जाए; (iii) आयात करनेवाली कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या लेखा परीक्षकों से आयात के प्रमाण के रूप में इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना कि जिस माल के लिए प्रेषण किया गया था वह वास्तविक रूप में आयात किया गया है तथा समुद्रपारीय साइट पर लगा दिया गया है।
		• अनिवासी वैयक्तिक खाता धारक द्वारा निवासी व्यक्ति के पक्ष में दिए गए मुख्तारनामे द्वारा एमआरओ खाते के परिचालन की सुविधा देना बशर्ते ऐसे परिचालन निम्नलिखित तक ही सीमित हो (i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए संबंधित विनियमों के अनुपालन के अधीन पात्र निवेश सहित सभी स्थानीय भुगतान रुपये में होगे; और (ii) लागू करों को घटाकर अनिवासी वैयक्तिक खाता धारक की भारत में वर्तमान आय का भारत से बाहर प्रेषण। इसके अलावा, निवासी मुख्तारनामा धारक को न तो खाते में धारित निधियों को भारत से बाहर अनिवासी वैयक्तिक खाता धारक के अलावा अन्य किसी खाते में प्रतिस्थापित करने की और न ही अनिवासी खाता धारक की ओर से किसी निवासी को गिफ्ट के रूप में भुगतान करने या खाते से दूसरे एनआरओ खाते में निधि के अंतरित करने की अनुमति नहीं है।
	31	• एडी श्रेणी-I बैंकों को कंपनी को बंद करने के बारे में कोर्ट द्वारा या आधिकारिक परिसमापक द्वारा अथवा स्वैच्छिक रूप से कंपनी बंद करने के मामले में परिसमापक द्वारा जारी आदेशों के अधीन तथा कर चुकौती के साथ-साथ कतिपय शर्तों के अधीन भी कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत परिसमापनाधीन कंपनी की आस्तियों में से प्रेषण की अनुमति दी गई है।
		• एडी श्रेणी-I बैंकों, विशेष रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत, को अनुमति दी गई कि वे घरेलू उत्पादकों, उपयोगकर्ताओं को उनके निहित अधिक जोखिम के आधार पर अंतरराष्ट्रीय वस्तु विनिमय में अल्युमिनियम, तांबे, सीसे, निकल, और जस्ते पर उनके कीमत जोखिम की प्रतिरक्षा की अनुमति दे सकते हैं। प्रतिरक्षा की अनुमति उपयुक्त वस्तुओं के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के वास्तविक क्रय/विक्रय के औसत या पिछले वर्ष के वास्तविक क्रय/विक्रय के टर्नओवर, जो भी अधिक हो, तक दी जा सकती है। इसके अलावा, मानक विनिमय व्यापारकृत फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (मात्र क्रय) की ही अनुमति दी जाए।

घोषणा की तारीख		नीति संबंधी घोषणाएँ
2007		**V. बाह्य क्षेत्र नीतियाँ** *(समाप्त)*
मई	**31**	• एडी श्रेणी-I बैंकों, विशेष रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत, को अनुमति दी गई कि वे एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के वास्तविक उपयोगकर्ताओं को उनके घरेलू क्रय के आधार पर अंतरराष्ट्रीय वस्तु विनिमय में उनके आर्थिक जोखिम की प्रतिरक्षा की अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा, यदि जोखिम प्रोफाइल के अनुसार आवश्यक हो तो एटीएफ के वास्तविक उपयोगकर्ता ओटीसी संविदा का भी उपयोग कर सकते हैं। एटीएफ की प्रतिरक्षा की अनुमति पक्के आदेशों और आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ही दी जाएगी। एडी श्रेणी-I बैंकों ने यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिरक्षा कार्यों में प्रवेश करने वाली संस्थाओं के पास बोर्ड से अनुमोदित नीति होनी चाहिए जो समग्र ढाँचा परिभाषित करे जिसमें डेरिवेटिव कार्य किए जाने चाहिए और जोखिम नियंत्रित हो।
जून	**8**	• समुद्रपारीय भारी अदृश्य स्टॉक अपने पास लेने में पारस्परिक निधियों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें निम्नलिखित में निवेश करने की अनुमति दी गई (i) असूचीबद्ध समुद्रपारीय प्रतिभूतियों में नाममात्र का निवेश (जैसे निवल आस्ति मूल्य के 10 प्रतिशत तक) करने वाली समुद्रपारीय पारस्परिक निधियां ; (ii) प्रतिभूतियों में निवेश की जाने वाली समुद्रपारीय विनिमय व्यापारकृत निधियां; और (iii) विदेशी कंपनियों की एडीआर/जीडीआर।
		• अधिमानी शेयरों में विदेशी निवेश के दिशानिर्देशों को निम्नवत् संशोधित किया गया : (क) पूर्णतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के रूप में आ रहे विदेशी निवेश शेयर पूंजी का भाग माने जाएंगे। इसे विदेशी इक्विटी पर सेक्टरल कैप्स के प्रयोजनार्थ विदेशी इक्विटी की गणना में शामिल किया जाएगा जहां ऐसी कैप्स को निर्धारित किया गया है; (ख) अधिमानी शेयरों के किसी भी अन्य प्रकार के रूप में आने वाला विदेशी निवेश (अपरिवर्तनीय, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय या आंशिक रूप से परिवर्तनीय) ऋण माने जाएंगे और वे ईसीबी दिशानिर्देशों/ईसीबी कैप्स के अनुरूप होने चाहिए; (ग) अपरिवर्तनीय या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय या आंशिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर के रूप में 30 अप्रैल 2007 का कोई भी विदेशी निवेश उनकी चालू अवधिपूर्णता तक सेक्टरल कैप के बाहर ही बना रहेगा; और (घ) किसी भी प्रकार के अधिमानी शेयरों का निर्गम भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी और अन्य सांविधिक निकायों के दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए और सभी सांविधिक अपेक्षाओं की शर्त पर होगा।
	14	• किसी भारतीय पार्टी द्वारा विदेश में निवेश किए जाने की सीमा उसके नेट वर्थ के के 200 प्रतिशत से बढ़ाकर 300 प्रतिशत कर दी गई।
		• सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों की इक्विटी में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के संविभागीय निवेश की सीमा निवेशकर्ता कंपनी की मौजूदा नेट वर्थ के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की गई।
	19	• एडी कैटिगरी-I बैंकों को अनुमति दी गई कि वे विनिमय जोखिम से बचाव (हेजिंग) के लिए निवासियों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (इक्विटी और ऋण में) के लिए किए गए वायदा संविदाओं (फॉरवर्ड कॉन्ट्रक्ट) को रद्द कर सकते है। इसके अलावा, रद्द की गई संविदा का 50 प्रतिशत रि-बुक करने की अनुमति दी गई।
	29	• क्षेत्र विशेष के लिए उठाये गये कदम के रूप में यह निर्णय लिया गया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमति प्राप्त एयरलाइन की कंपनियों को बैंक गारंटी के बिना अग्रिम प्रेषण करने के लिए शेड्यूल हवाई यातायात सेवा के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए। तदनुसार, एडी कैटिगरी-I के बैंकों को अनुमति दी गई कि वे शर्तों के अंतर्गत एअरक्राफ्ट/हेलीकॉप्टर/ हवाई यातायात संबंधी अन्य चीजों कि खरीद के लिए बैंक गारंटी या अपरिवर्तनीय स्टैंड बाय ऋण पत्र के बिना यूएसडी 50 मिलियन तक के अग्रिम प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।
जुलाई	**05**	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत एनआरआइ/पीआइओ के एफसीएनआर (बी) जमा खाते खोलने और मेनटेन करने के लिए प्राधिकृत किया गया।
	19	• सेबी की ओर से अनुमोदन प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और उनके क्लियरिंग मेंबरों को दिशा निर्देशों के तहत अनुमति दी गई कि (i) वे विदेशी डिपॉज़िटरिज़ में डिमैट खाता खोल और मेन्टेन कर सकते हैं तथा ऐसी विदेशी सोवरेन सिक्यूरिटिज को प्राप्त, होल्ड, प्लेज और ट्रान्सफर कर सकते हैं जो एफआइआइ कोलैटरल के रूप में रखते हैं, (ii) ऐसी विदेशी सोवरेन सेक्यूरिटिज़ पर यदि कारपोरेट कार्रवाई से कोई आय हुई हो तो उसे रेमिट कर सकते हैं और (iii) यदि आवश्यक हुआ तो ऐसी विदेशी सोवरेन सेक्यूरिटिज़ का परिसमापन (लिक्विडेट) कर सकते हैं।
अगस्त	**07**	• एक समीक्षा के आधार पर बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है: (i) अब से प्रति वित्तीय वर्ष में प्रति उधारकर्ता कंपनी को बाह्य वाणिज्यिक उधार के अनुमत अंतिम-उपयोग हेतु केवल विदेशी मुद्रा व्यय के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की अनुमति दी गई है। तदनुसार,20 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक प्राप्त करनेवाले उधारकर्ता विदेशों में बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को अनुमत अंतिम-उपयोग के लिए अलग रख सकते हैं और वे स्वचालित तथा अनुमोदित दोनों मार्गों के अंतर्गत उसे भारत में विप्रेषित नहीं करेंगे। (ii) प्रति वित्तीय वर्ष में प्रति उधारकर्ता कंपनी 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमत अंतिम-उपयोगों के लिए विदेशी मुद्रा व्यय हेतु अनुमति दी जाएगी और ये निधियाँ विदेश में अलग रखी जाएंगी तथा उन्हें भारत में विप्रेषित नहीं किया जाएगा। अनुमत अंतिम-उपयोग के लिए रुपया व्यय हेतु 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार का प्रस्ताव करनेवाले उधारकत्राओं को अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। (iii) पात्र उधारकर्ता,स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष प्रति उधारकर्ता 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा,अभिज्ञात ऋणदाता,औसत परिपक्वता अवधि,सर्व-लागत-सीमा,पूर्वभुगतान,वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार को पुनर्वित्त और रिपोर्टिंग व्यवस्था जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अन्य पहलुओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

परिशिष्ट सारणी 1: चुनिंदा व्यापक आर्थिक और वित्तीय संकेतक

मद	औसत 1990-91 से 1999-2000 (10 वर्ष)	औसत 2000-01 से 2006-07 (7 वर्ष)	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
1. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (% परिवर्तन)	5.7	6.9	3.8	8.5	7.5 अ.अ.	9.0 त्व.अ.	9.4 सं.अ
क) कृषि उत्पादन (% परिवर्तन)	3.2	2.5	-7.2	10.0	0.0 अ.अ.	6.0 त्व.अ.	2.7 सं.अ
ख) औद्योगिक उत्पादन (% परिवर्तन)	5.7	7.0	6.8	6.0	8.4 अ.अ.	8.0 त्व.अ.	11.0 सं.अ
ग) सेवाएं (% परिवर्तन)	7.1	8.6	7.4	8.9	10.0 अ.अ.	10.3 त्व.अ.	11.0 सं.अ
2. प्रति व्यक्ति सघउ (% परिवर्तन)	3.6	5.2	1.9	7.0	5.7 अ.अ.	7.4 त्व.अ.	8.4 सं.अ
3. खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	188.6	203.0	174.8	213.2	198.4	208.6	216.1 #
4. सकल घरेलू बचत दर (सघउ का %)	23.0	27.8 ±	26.4	29.7	31.1 अ.अ.	32.4 त्व.अ.	..
5. सकल घरेलू निवेश दर (सघउ का %)	24.4	27.6 ±	25.2	28.0	31.5 अ.अ.	33.8 त्व.अ.	..
6. केंद्र सरकार के वित्त (सघउ का %)							
क) कुल राजस्व प्राप्तियां	9.3	9.5	9.4	9.5	9.8	9.7	10.3 सं.अ
ख) कुल व्यय	16.1	15.6	16.8	17.0	15.9	14.2	14.1 सं.अ
ग) राजस्व घाटा	3.0	3.4	4.4	3.6	2.5	2.6	2.0 सं.अ
घ) राजकोषीय घाटा	5.9	4.9	5.9	4.5	4.0	4.1	3.7 सं.अ
ङ) मुद्रीकृत घाटा	0.7	-0.7	-1.2	-2.8	-1.9	0.8	0.0 सं.अ
च) ब्याज भुगतान	4.3	4.3	4.8	4.5	4.1	3.7	3.5 सं.अ
छ) आंतरिक ऋण	48.2	59.0	61.0	61.1	61.8	60.7	59.0 सं.अ
7. मौद्रिक समुच्चय (% परिवर्तन)							
क) व्यापक मुद्रा ($एम_3$)	17.2	15.8 @	12.7 @	16.7	12.1 @	17.0 £	21.3
ख) संकीर्ण मुद्रा ($एम_1$)	15.6	15.2	12.0	22.2	11.9	21.1 £	16.8
ग) आरक्षित मुद्रा	13.9	14.3	9.2	18.3	12.1	17.2	23.7
घ) वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बैंक ऋण (सघउ का %)	28.8	39.8	36.6	36.7	40.9	47.5	51.5
8. अनुसूचित वाणिज्य बैंक (% परिवर्तन)							
क) कुल जमाराशियां	17.2	16.9	13.4 @	17.5	12.8 @	18.1 £	23.7
ख) बैंक ऋण	15.9	21.4	16.1 @	15.3	27.0 @	30.8 £	28.0
ग) खाद्येतर ऋण	15.4	21.9	18.6 @	18.4	27.5 @	31.8 £	28.4
घ) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	20.9	15.9	27.3	25.1	7.9 @	-2.7 £	10.6
9. थोक मूल्य सूचकांक (% परिवर्तन)							
क) बिंदु-दर-बिंदु	8.7	4.7	6.5	4.6	5.1	4.1	5.9
ख) औसत	8.1	5.1	3.4	5.4	6.4	4.4	5.4
10. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक कामगार (% परिवर्तन)							
क) बिंदु-दर-बिंद	9.4	4.4	4.1	3.5	4.2	4.9	6.7
ख) औसत	9.5	4.4	4.0	3.9	3.8	4.4	6.7
11. बीएसई-संवेदी सूचकांक (% सूचकांक)	37.0	20.8	-12.1	83.4	16.1	73.7	15.9
12. व्यापार और भुगतान संतुलन							
क) अमरीकी डालर में निर्यात (% परिवर्तन)	8.6	19.2	20.3	23.3	28.5	23.4	20.9
ख) अमरीकी डालर में आयात (% परिवर्तन)	9.7	20.2	14.5	24.1	48.6	32.0	22.3
ग) चालू खाता (सघउ का %)	-1.3	0.4	1.2	2.3	-0.4	-1.1	-1.1
घ) पूंजी खाता (सघउ का %)	2.2	2.6	2.1	2.8	4.0	2.9	4.9
13. विदेशी मुद्रा भंडार * (मिलियन अमरीकी डालर)	..	..	76100	112959	141514	151622	199179
14. बाह्य ऋण* (मिलियन अमरीकी डालर)	92669	117340	104914	111645	123204	126414	155033
क) ऋण - सघउ अनुपात	29.1	18.7	20.3	17.8	17.3	15.8	16.4
ख) ऋण - सेवा अनुपात	24.9	11.8	16.0	15.9	6.1	9.9	4.8
15. विनिमय दर (रुपए/अमरीकी डालर)							
क) उच्च	..	..	47.51	43.45	43.36	43.30	43.14
ख) निम्न	..	..	49.06	47.46	46.46	46.33	46.97

\# : चतुर्थ अग्रिम अनुमान .. : अनुपलब्ध / लागू नहीं ± : 2000-01 से 2005-06 संबधित * : अवधि की समाप्ति पर.
@ : बैंकिंग प्रणाली में विलयनों तथा संपरिवर्तन के लिए समायोजित £ : 1 अप्रैल, 2005 के बाद घट-बढ़
सं.अ : संशोधित अनुमान अ.अ. : अनंतिम अनुमान त्व.अ. : त्वरित अनुमान
टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

Appendix 1-10.p65 274 8/24/07, 6:58 PM

परिशिष्ट सारणी 2: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें और क्षेत्रवार संरचना

(1999-2000 के मूल्यों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वृद्धि दर						सघउ में अंश				
	औसत 2000-01 से 2006-07 तक	2002-03	2003-04	2004-05@	2005-06*	2006-07#	2002-03	2003-04	2004-05@	2005-06*	2006-07#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	**2.5**	**-7.2**	**10.0**	**0.0**	**6.0**	**2.7**	**21.5**	**21.7**	**20.2**	**19.7**	**18.5**
जिनमें से :											
कृषि	2.5	-8.1	10.9	-0.2	6.3	अनु.	19.5	19.9	18.5	18.0	n.a.
2. उद्योग	**7.0**	**6.8**	**6.0**	**8.4**	**8.0**	**11.0**	**19.9**	**19.4**	**19.6**	**19.4**	**19.7**
जिनमें से :											
क) खनन और उत्खनन	4.6	8.8	3.1	7.5	3.6	5.1	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0
ख)विनिर्माण	7.7	6.8	6.6	8.7	9.1	12.3	15.2	15.0	15.1	15.1	15.5
ग) बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति	4.8	4.7	4.8	7.5	5.3	7.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2
3. सेवाएं	**8.6**	**7.4**	**8.9**	**10.0**	**10.3**	**11.0**	**58.7**	**58.8**	**60.2**	**60.9**	**61.8**
जिनमें से :											
क) भवन निर्माण	9.9	7.9	12.0	14.1	14.2	10.7	5.9	6.1	6.5	6.8	6.9
ख) व्यापार,होटल तथा रेस्तरां	8.1±	6.9	10.3	8.4	8.2	13.0 $	15.3	15.5	15.7	15.5	27.0$
ग) परिवहन, भंडारण व संचार	12.9±	13.6	15.1	15.2	13.9	अनु.	8.9	9.4	10.1	10.6	n.a.
घ) वित्तीयन, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	7.9	8.0	5.6	8.7	10.9	10.6	13.8	13.4	13.5	13.8	13.9
ङ) सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	6.0	3.9	5.4	7.9	7.7	7.8	14.8	14.3	14.4	14.2	14.0
4. उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	**6.9**	**3.8**	**8.5**	**7.5**	**9.0**	**9.4**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

ज्ञापन:

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	(वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार)				
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	4,72,679	5,33,642	5,36,629	5,95,058	6,56,051
2. उद्योग	4,63,302	5,09,106	5,98,674	6,76,207	7,84,883
3. सेवाएं	13,29,322	15,06,670	17,20,630	19,79,667	23,02,539
4. उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	22,65,304	25,49,418	28,55,933	32,50,932	37,43,472

क्षेत्र	(स्थिर मूल्यों पर)				
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	4,39,321	4,83,274	4,83,080	5,12,147	5,25,875
2. उद्योग	4,07,276	4,31,724	4,67,896	5,05,485	5,61,086
3. सेवाएं	12,01,136	13,07,593	14,38,684	15,86,900	17,61,195
4. उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	20,47,733	22,22,592	23,89,660	26,04,532	28,48,157

@ : अनंतिम अनुमान. * : त्वरित अनुमान. # : संशोधित अनुमान अनु. : अनुपलब्ध.

$: व्यापार,होटल और रेस्तरां और 'परिवहन, भंडारण व संचार' से संबंधित। ± : 2000-01 से 2005-06 संबधित.

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

Appendix 1-10.p65 275 8/24/07, 6:58 PM

Appendix 1-10.p65

परिशिष्ट सारणी 3: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तिमाही वृद्धि दरें तथा उनकी क्षेत्रवार संरचना

(1999-2000 के मूल्यों पर)

(Per cent)

क्षेत्र	2003-04				2004-05				2005-06				2006-07*			
	ति$_1$	ति$_2$	ति$_3$	ति$_4$	ति$_1$	ति$_2$	ति$_3$	ति$_4$	ति$_1$	ति$_2$	ति$_3$	ति$_4$	ति$_1$	ति$_2$	ति$_3$	ति$_4$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	**0.2**	**7.7**	**19.4**	**10.3**	**3.4**	**0.7**	**-4.9**	**2.6**	**4.0**	**4.0**	**8.7**	**6.2**	**2.8**	**2.9**	**1.6**	**3.8**
	(21.7)	**(17.8)**	**(26.3)**	**(20.6)**	**(20.7)**	**(16.7)**	**(23.7)**	**(19.4)**	**(19.8)**	**(16.1)**	**(23.5)**	**(18.7)**	**(18.6)**	**(15.0)**	**(22.0)**	**(17.8)**
2. उद्योग	**5.1**	**5.4**	**5.9**	**7.5**	**7.6**	**9.0**	**9.1**	**7.8**	**9.8**	**6.6**	**7.2**	**8.6**	**10.6**	**11.3**	**10.8**	**11.2**
	(19.7)	**(20.4)**	**(18.1)**	**(19.6)**	**(19.6)**	**(20.8)**	**(18.7)**	**(19.4)**	**(19.8)**	**(20.5)**	**18.4**	**19.1**	**(20.0)**	**(20.7)**	**(18.7)**	**(19.5)**
जिनमें से :																
क) विनिर्माण	5.8	6.6	6.7	7.3	7.2	8.9	9.7	8.7	10.7	8.1	8.2	9.4	12.3	12.7	11.8	12.4
	(15.1)	(15.8)	(13.9)	(15.1)	(15.0)	(16.1)	(14.5)	(15.0)	(15.3)	(16.1)	(14.3)	(14.9)	(15.7)	(16.5)	(14.8)	(15.4)
ख) खनन और उत्खनन	1.2	0.9	2.6	7.1	9.8	7.7	7.4	5.4	6.1	0.1	2.7	5.2	3.7	3.9	5.5	7.1
	(2.2)	(2.2)	(2.1)	(2.3)	(2.2)	(2.2)	(2.1)	(2.2)	(2.2)	(2.1)	(2.0)	(2.1)	(2.0)	(1.9)	(1.9)	(2.1)
ग) बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति	4.0	2.1	4.1	8.8	8.1	11.3	6.3	4.5	7.4	2.6	5.0	6.1	5.8	8.1	9.1	6.9
	(2.4)	(2.4)	(2.1)	(2.2)	(2.4)	(2.5)	(2.1)	(2.1)	(2.4)	(2.4)	(2.1)	(2.1)	(2.3)	(2.3)	(2.1)	(2.0)
3. सेवाएं	**7.7**	**10.7**	**9.7**	**7.4**	**10.3**	**8.4**	**9.4**	**11.8**	**9.5**	**9.5**	**10.3**	**11.6**	**11.6**	**11.7**	**10.9**	**10.0**
	(58.6)	**(61.8)**	**(55.6)**	**(59.8)**	**(59.7)**	**(62.5)**	**(57.6)**	**(61.3)**	**(60.3)**	**(63.4)**	**(58.1)**	**(62.2)**	**(61.4)**	**(64.2)**	**(59.3)**	**(62.7)**
जिनमें से :																
क) भवन निर्माण	10.1	16.6	10.2	11.2	14.7	10.3	16.5	15.0	12.7	11.3	16.6	16.1	10.5	11.1	10.0	11.2
	(6.3)	(6.7)	(5.6)	(6.1)	(6.7)	(6.9)	(6.2)	(6.4)	(6.9)	(7.1)	(6.6)	(6.7)	(7.0)	(7.1)	(6.7)	(6.9)
ख) व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, भंडारण और संचार	8.2	10.4	14.7	14.3	11.0	11.8	9.1	11.9	10.2	9.5	10.0	11.8	12.4	14.2	13.1	12.4
	(24.5)	(24.9)	(24.6)	(25.9)	(25.1)	(26.0)	(25.4)	(26.5)	(25.5)	(26.3)	(25.6)	(27.0)	(26.2)	(27.3)	(26.6)	(27.8)
ग) वित्तीयन, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबार सेवाएं	5.0	5.6	5.7	6.0	8.3	7.0	9.2	10.2	8.9	10.6	9.8	14.2	10.8	11.1	11.2	9.3
	(14.0)	(14.3)	(12.4)	(13.0)	(14.0)	(14.3)	(12.8)	(13.2)	(14.1)	(14.6)	(12.9)	(13.7)	(14.2)	(14.7)	(13.2)	(13.7)
घ) सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	8.7	13.8	4.9	-3.1	9.1	3.7	7.2	11.6	7.5	7.9	8.3	7.2	11.3	8.3	6.7	5.7
	(13.8)	(15.9)	(13.0)	(14.8)	(13.9)	(15.4)	(13.2)	(15.2)	(13.8)	(15.4)	(13.0)	(14.8)	(14.0)	(15.1)	(12.8)	(14.3)
4. उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	**5.5**	**9.1**	**11.4**	**8.0**	**8.3**	**7.2**	**5.6**	**9.1**	**8.4**	**8.0**	**9.3**	**10.0**	**9.6**	**10.2**	**8.7**	**9.1**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**
ज्ञापन:																
(वर्तमान बाज़ार मूल्यों पर)																
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,23,533	1,00,273	1,76,292	1,33,544	1,27,145	1,02,696	1,69,317	1,37,471	1,35,056	1,10,834	1,94,211	1,54,958	1,48,304	1,20,851	2,11,418	1,75,479
2. उद्योग	1,16,944	1,22,059	1,29,413	44,289	1,35,164	1,46,192	1,54,123	1,63,194	1,58,002	1,62,269	1,72,372	1,83,565	1,80,951	1,88,122	2,00,394	2,15,415
3. सेवाएं	3,43,422	3,61,333	3,87,723	4,14,190	3,89,302	4,11,735	4,43,718	4,75,875	4,49,010	4,69,200	5,11,140	5,50,317	5,21,542	5,47,788	5,94,068	6,39,140
4. उत्पादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	5,83,900	5,83,765	6,93,429	6,88,324	6,51,611	6,60,622	7,67,159	7,76,541	7,42,067	7,42,302	8,77,724	8,88,839	8,50,798	8,56,761	10,05,880	10,30,033
(1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर)																
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,11,291	90,958	1,58,462	1,22,564	1,15,074	91,551	1,50,760	1,25,695	1,19,681	95,195	1,63,812	1,33,458	1,23,029	97,948	1,66,390	1,38,509
2. उद्योग	1,01,348	1,04,604	1,09,361	1,16,409	1,09,018	1,14,061	1,19,275	1,25,541	1,19,672	1,21,568	1,27,912	1,36,334	1,32,338	1,35,323	1,41,767	1,51,659
3. सेवाएं	3,01,125	3,15,959	3,35,127	3,55,382	3,32,190	3,42,584	3,66,760	3,97,149	3,63,903	3,75,265	4,04,421	4,43,311	4,05,969	4,19,181	4,48,348	4,87,698
4. उत्पादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	5,13,764	5,11,521	6,02,951	5,94,356	5,56,281	5,48,197	6,36,797	6,48,386	6,03,256	5,92,028	6,96,146	7,13,104	6,61,336	6,52,452	7,56,504	7,77,866

* : संशोधित अनुमान।

टिप्पणी : 1. कोष्टको के आंकड़े सघउ का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. ति$_1$,ति$_2$,ति$_3$ और ति$_4$ क्रमशः तिमाही अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्तूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च को दर्शाते हैं।

3. पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि घटकों का योग 100 तक संगत न हो।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

276

8/24/07, 6:58 PM

परिशिष्ट सारणी 4: कृषि उत्पादन

(मिलियन टन)

फसल	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07#
1	2	3	4	5	6	7
I. सभी फसलें: वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत) $	**7.6**	**-13.2**	**16.1**	**-0.3**	**8.5**	**5.2**
क) खाद्यान्न	9.4	-14.9	16.4	-3.5	4.7	4.2
ख) खाद्यानेतर	5.4	-11.1	15.6	3.7	12.4	6.3
क. खाद्यान्न (क + ख)	**212.9**	**174.8**	**213.2**	**198.4**	**208.6**	**216.1**
1. चावल	93.3	71.8	88.5	83.1	91.8	92.8
2. गेहूं	72.8	65.8	72.2	68.6	69.4	74.9
3. मोटे अनाज जिनमें से :	33.4	26.1	37.6	33.5	34.1	34.3
i) ज्वार	7.6	7.0	6.7	7.2	7.6	7.4
ii) बाजरा	8.3	4.7	12.1	7.9	7.7	8.6
iii) मका	13.2	11.2	15.0	14.2	14.7	15.0
4. दालें जिनमें से :	13.4	11.1	14.9	13.1	13.4	14.2
i) तूर	2.3	2.2	2.4	2.4	2.7	2.4
ii) ग्राम	5.5	4.2	5.7	5.5	5.6	6.3
क) खरीफ	**112.1**	**87.2**	**117.0**	**103.3**	**109.9**	**110.5**
1. चावल	80.5	63.1	78.6	72.2	78.3	80.1
2. मोटे अनाज जिनमें से :	26.7	20.0	32.2	26.4	26.7	25.7
i) ज्वार	4.2	4.2	4.8	4.0	4.1	3.7
ii) बाजरा	8.3	4.7	12.1	7.9	7.7	8.6
iii) मका	11.3	9.3	12.7	11.5	12.2	11.4
3. दालें जिनमें से :	4.8	4.2	6.2	4.7	4.9	4.7
i) तूर	2.3	2.2	2.4	2.4	2.7	2.4
ख) रबी	**100.8**	**87.6**	**96.2**	**95.1**	**98.7**	**105.6**
1. चावल	12.8	8.7	9.9	10.9	13.5	12.7
2. गेहूं	72.8	65.8	72.2	68.6	69.4	74.9
3. मोटे अनाज जिनमें से :	6.7	6.1	5.4	7.1	7.3	8.6
i) ज्वार	3.3	2.8	1.8	3.2	3.6	3.7
ii) मका	1.9	1.9	2.3	2.7	2.6	3.6
4. दालें जिनमें से :	8.5	7.0	8.7	8.4	8.5	9.5
i) ग्राम	5.5	4.2	5.7	5.5	5.6	6.3
ख. खाद्यान्नेतर						
1. तिलहन ++ जिनमें से:	20.7	14.8	25.2	24.4	28.0	23.9
i) मुंगफली	7.0	4.1	8.1	6.8	8.0	4.9
ii) रेपसिड / सरसों	5.1	3.9	6.3	7.6	8.1	7.1
iii) सनफ्लॉवर	0.7	0.9	0.9	1.2	1.4	1.2
iv) सोयाबिन	6.0	4.7	7.8	6.9	8.3	8.9
2. गन्ना	297.2	287.4	233.9	237.1	281.2	345.3
3. रूई @	10.0	8.6	13.7	16.4	18.5	22.7
4. जूट और मेस्ता +	11.7	11.3	11.2	10.3	10.8	11.3
5. चाय *	847.4	846.0	850.5	830.7	930.9	722.5 $$
6. कॉफी *	300.6	275.3	270.0	275.0	274.0	300.0 ##

\# : 19,जुलाई 2007 को चतुर्थ अग्रिम अनुमान
$: वृद्धि दरें कृषि उत्पादन के सूचकांक पर आधारित हैं, आधार : 1993-94 को समाप्त तीन वर्ष =100
$$: अप्रैल-अक्तूबर में अनुमानित उत्पादन
: पुनर्निर्माण सहित अप्रेल-अक्तूबर से संबंधित
++ : कुल ग्यारह तिलहनों में से नौ के लिए
@ : मिलियन गांठें-एक गांठ = 170 कि.ग्रा.
\+ : मिलियन गांठे-एक गांठ = 180 कि.ग्रा.
* : मिलियन किलोग्राम
स्रोत : कृषि मंत्रालय; भारत सरकार ।

Appendix 1-10.p65 277 8/24/07, 6:58 PM

परिशिष्ट सारणी 5: खाद्यानों की सरकारी खरीद, निकासी और स्टॉक

(मिलियन टन)

वर्ष	सरकारी खरीद			निकासी			स्टॉक*		
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़ #
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1995-96	9.93	12.33	22.16	14.00	12.82	26.82	13.06	7.76	20.82
1996-97	11.88	8.16	20.04	12.44	13.26	25.70	13.17	3.24	16.41
1997-98	14.54	9.30	23.84	11.36	7.76	19.12	13.05	5.08	18.12
1998-99	11.55	12.65	24.20	11.83	8.90	20.73	12.16	9.66	21.82
1999-00	16.62	14.14	30.76	12.42	10.63	23.05	15.72	13.19	28.91
2000-01	18.93	16.36	35.29	10.42	7.79	18.21	23.19	21.50	44.98
2001-02	21.12	20.63	41.75	15.32	15.99	31.30	24.91	26.04	51.02
2002-03	19.00	19.03	38.03	24.85	24.99	49.85	17.16	15.65	32.81
2003-04	20.78	15.80	36.58	25.04	24.29	49.33	13.07	6.93	20.65
2004-05	24.04	16.80	40.84	23.20	18.27	41.47	13.34	4.07	17.97
2005-06	26.90	14.79	41.69	25.04	17.16	42.21	13.68	2.01	16.62
2006-07	26.70	9.23	35.93	25.06	11.71	36.77	13.17	4.56	17.79
2007-08$	4.43	11.10	15.53	1.95	0.81	2.76	13.48	11.60	25.11

* : मार्च के अंत में स्टॉक।
\# : मोटे अनाज समाविष्ट।
$: 1 अगस्त 2007 तक सरकारी खरीद, 30 अप्रैल 2007 तक निकासी और 1 मई 2007 तक स्टॉक ।
स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता कार्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार।

Appendix 1-10.p65 278 8/24/07, 6:58 PM

परिशिष्ट सारणी 6: औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्तियां

(आधार : 1993-94=100)

क्षेत्र	खनन और उत्खनन		विनिर्माण		बिजली		सामान्य	
भारांक	10.5		79.4		10.2		100.0	
अवधि	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002-03	139.6	5.8	183.1	6.0	164.3	3.2	176.6	5.8
		(8.3)		(85.4)		(5.4)		(100.0)
2003-04	146.9	5.3	196.6	7.4	172.6	5.0	189.0	7.0
		(6.3)		(87.0)		(6.8)		(100.0)
2004-05	153.4	4.4	214.6	9.2	181.5	5.2	204.8	8.4
		(4.3)		(90.1)		(5.7)		(100.0)
2005-06	154.9	1.0	234.2	9.1	190.9	5.2	221.5	8.2
		(1.0)		(93.2)		(5.7)		(100.0)
2006-07 अ	163.2	5.3	263.5	12.5	204.7	7.2	247.1	11.5
		(3.4)		(91.1)		(5.5)		(100.0)
2005-06								
अप्रैल-जून	152.9	4.3	220.6	11.2	190.8	7.7	210.5	10.4
जुलाई-सितंबर	141.3	-2.1	225.6	7.8	186.2	2.0	212.8	6.5
अक्तूबर-दिसंबर	156.0	-0.8	236.9	8.1	190.3	4.8	223.7	7.1
जनवरी-मार्च	169.5	2.5	253.7	9.6	196.2	6.2	239.0	8.7
अप्रैल-सितंबर	147.1	1.1	223.1	9.5	188.5	4.8	211.7	8.5
अक्तूबर-मार्च	162.8	0.9	245.3	8.8	193.3	5.5	231.4	7.9
2006-07 अ								
अप्रैल-जून	158.4	3.6	246.4	11.7	200.9	5.3	232.5	10.5
जुलाई-सितंबर	145.0	2.6	254.9	13.0	201.2	8.0	237.9	11.8
अक्तूबर-दिसंबर	166.8	6.9	264.9	11.8	207.7	9.2	248.8	11.2
जनवरी-मार्च	182.6	7.7	288.0	13.5	209.2	6.6	268.9	12.5
अप्रैल-सितंबर	151.7	3.1	250.6	12.1	201.0	6.6	235.2	11.1
अक्तूबर-मार्च	174.7	7.3	276.4	12.7	208.5	7.9	258.9	11.9
2007-08 अ								
अप्रैल-जून	163.5	3.2	275.8	11.9	217.5	8.3	258.1	11.0

अ : अनंतिम।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े तुलनात्मक योगदान के हैं, संबंधित अंशदान की गणना संबंधित उद्योग समूह के भारांक के लिए समायोजित समग्र सूचकांक में परिवर्तन से संबंधित उद्योग समूह के सूचकांक में परिवर्तन के अनुपात (प्रतिशत के रूप में) से की गई है।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

Appendix 1-10.p65 279 8/24/07, 6:58 PM

परिशिष्ट सारणी 7: विनिर्माण क्षेत्र के सत्रह प्रमुख उद्योग समूहों के सूचकांक में वृद्धि

(आधार : 1993-94=100)

उद्योग समूह	भारांक	सूचकांक		प्रतिशत घटबढ़		तुलनात्मक अंशदान (प्रतिशत)	
		2005-06	2006-07 अ	2005-06	2006-07 अ	2005-06	2006-07 अ
1	2	3	4	5	6	7	8
I. तीव्र वृद्धि	**71.29**						
1. लकड़ी व लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर व जुड़नार	2.70	70.5	91.0	-5.7	29.1	-0.7	2.4
2. मूल धातु और मिश्र धातु उद्योग	7.45	227.0	278.9	15.8	22.9	14.8	16.6
3. परिवहन उपस्कर और पुर्जे	3.98	319.7	367.7	12.7	15.0	9.2	8.2
4. सूती वस्त्र	5.52	137.0	157.3	8.5	14.8	3.8	4.8
5. मशीनरी व उपस्कर, परिवहन उपस्कर से इतर	9.57	312.8	357.1	11.9	14.2	20.5	18.3
6. गैर धात्विक खनिज उत्पाद	4.40	271.1	306.0	11.0	12.9	7.6	6.6
7. रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम व कोयला उत्पाद छोड़कर	5.73	200.5	226.0	4.3	12.7	3.0	6.3
8. धातु उत्पाद व पुर्जे (मशीनरी व उपस्कर छोड़कर)	2.81	164.4	183.2	-1.2	11.4	-0.4	2.3
9. रसायन व रासायनिक उत्पाद, पेट्रोल, कोयला उत्पाद छोड़कर	14.00	258.5	282.8	8.3	9.4	17.9	14.6
10. कागज व कागज के उत्पाद तथा मुद्रण, प्रकाशन व संबद्ध उद्योग	2.65	228.6	247.7	-0.9	8.4	-0.3	2.2
11. उन, रेशम व मानव निर्मित रेशे वस्त्र	2.26	248.9	269.1	0.0	8.1	0.0	2.0
12. खाद्य उत्पाद	9.08	170.6	185.4	2.0	8.7	1.9	5.8
13. चमड़ा और चमड़ा तथा फर के उत्पाद	1.14	149.3	149.9	-4.8	0.4	-0.6	0.0
II. धीमी वृद्धि	**7.48**						
14. पेय, तंबाकू व संबद्ध उत्पाद	2.38	400.3	445.7	15.7	11.3	8.3	4.7
15. वस्त्र उत्पाद (परिधान सहित)	2.54	255.5	285.0	16.4	11.5	5.8	3.2
16. अन्य विनिर्माण उद्योग	2.56	276.9	298.3	25.2	7.7	9.1	2.4
III. ऋणात्मक	**0.59**						
17. जूट तथा अन्य वानस्पतिक रेशे उद्योग (रूई को छोड़कर)	0.59	107.7	90.7	0.5	-15.8	0.0	-0.4
विनिर्माण (कुल)	**79.35**	**234.2**	**263.5**	**9.2**	**12.5**	**100.0**	**100.0**

अ : अनंतिम।

टिप्पणी : 1. विनिर्माण क्षेत्र के उद्योग समूहों को उनके 2006-07 के कार्य-निष्पादन के आधार पर बांटा है।
2. संबंधित अंशदान की गणना संबंधित उद्योग समूह के भारांक के लिए समायोजित समग्र सूचकांक में परिवर्तन से संबंधित उद्योग समूह के सूचकांक में परिवर्तन के अनुपातों (प्रतिशत के रूप में) से की गई है।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

Appendix 1-10.p65 280 8/24/07, 6:58 PM

परिशिष्ट सारणी 8: विनिर्माण क्षेत्र के सत्रह प्रमुख उद्योग समूहों की वृद्धि दरों की बारंबारता - 2002-03 से 2006-07 तक

(वर्ष की संख्या)

उद्योग समूह	भारांक	ऋणात्मक	0-5 %	5-10 %	10-15 %	15+ %	5% और इससे अधिक (स्तंभ 5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. खाद्य उत्पाद	9.08	2	1	1	1	0	2
2. पेय पदार्थ, तंबाकू और संबंधित उत्पाद	2.38	0	0	1	2	2	5
3. सूती वस्त्रोद्योग	5.52	2	0	2	1	0	3
4. ऊनी, रेशम और मानवनिर्मित रेशे के वस्त्र	2.26	1	2	2	0	0	2
5. जूट और अन्य वनस्पति रेशे वाले वस्त्र (रुई को छोड़कर)	0.59	2	2	1	0	0	1
6. वस्त्र उत्पाद (परिधान सहित)	2.54	1	0	0	2	2	4
7. लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर और जुड़नार	2.70	3	0	1	0	1	2
8. कागज़ और कागज के उत्पाद तथा मुद्रण, प्रकाशन एवं संबद्ध	2.65	1	0	2	1	1	4
9. चमड़ा तथा चमड़ा एवं फर के उत्पाद	1.14	3	1	1	0	0	1
10. मूल रसायन और रासायनिक उत्पाद (पेट्रोलियम और कोयले के उत्पाद के अलावा)	14.00	0	1	3	1	0	4
11. रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पाद	5.73	0	3	1	1	0	2
12. गैर धात्विक खनिज उत्पाद	4.40	0	2	1	2	0	3
13. मूल धातु तथा मिश्र उद्योग	7.45	0	0	3	0	2	5
14. धातु उत्पाद तथा पुर्जे (मशीनरी और उपस्कर को छोड़कर)	2.81	1	1	2	1	0	3
15. मशीनरी और उपस्कर, परिवहन उपस्कर को छोड़कर	9.57	0	1	0	2	2	4
16. परिवहन उपस्कर और पुर्जे	3.98	0	1	0	3	1	4
17. अन्य विनिर्माण उद्योग	2.56	0	1	2	0	2	4

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित।

Appendix 1-10.p65 281 8/24/07, 6:58 PM

परिशिष्ट सारणी 9: औद्योगिक उत्पादन का उपयोग - आधारित वर्गीकरण

(आधार : 1993-94=100)

उद्योग समूह	भारांक	सूचकांक			वृद्धि दर (प्रतिशत)					
		2004-05	2005-06	2006-07 अ	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. मूल वस्तुएं	35.57	177.9	189.8	209.3	2.6 (31.0)	4.9 (27.1)	5.4 (25.2)	5.5 (20.9)	6.7 (25.4)	10.3 (27.2)
2. पूंजीगत वस्तुएं	9.26	229.6	265.8	314.2	-3.4 (-11.4)	10.5 (16.2)	13.6 (18.1)	13.9 (16.4)	15.8 (20.0)	18.2 (17.6)
3. मध्यवर्ती वस्तुएं	26.51	211.1	216.4	242.4	1.5 (16.1)	3.9 (19.2)	6.4 (25.6)	6.1 (20.3)	2.5 (8.4)	11.9 (27.0)
4. उपभोक्ता वस्तुएं (क+ख)	28.66	224.4	251.4	276.8	6.0 (62.6)	7.1 (36.8)	7.1 (31.2)	11.7 (42.6)	12.0 (46.3)	10.1 (28.5)
क) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुए	5.36	303.5	349.9	382.0	11.5 (30.8)	-6.3 (-8.8)	11.6 (12.0.)	14.3 (12.9)	15.3 (14.9)	9.2 (6.7)
ख) उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं	23.30	206.2	228.8	252.6	4.1 (31.8)	12.0 (45.6)	5.8 (19.2)	10.8 (29.6)	11.0 (31.4)	10.4 (21.8)
औउसू - सामान्य	**100.00**	**204.8**	**221.5**	**247.1**	**2.7 (100.0)**	**5.7 (100.0)**	**7.0 (100.0)**	**8.4 (100.0)**	**8.2 (100.0)**	**11.5 (100.0)**

अ : अनंतिम.

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकडें तुलनात्मक योगदान के हैं, संबंधित अंशदान की गणना संबंधित उद्योग के भारांक के लिए समायोजित समग्र सूचकांक में प्रत्येक समूह के सूचकांक में परिवर्तन के अनुपात (प्रतिशत के रूप में) से की गई है।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

Appendix 1-10.p65 282 8/24/07, 6:58 PM

परिशिष्ट सारणी 10: संरचनावाले छह उद्योगों की वृद्धि

(आधार : 1993-94 =100)

उद्योग	भारांक	सूचकांक		वृद्धि दर (प्रतिशत)				
		2005-06	2006-07 अ	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. बिजली	10.17	190.9	204.8	3.2 (23.6)	5.1 (30.1)	5.2 (32.3)	5.1 (29.8)	7.3 (30.1)
2. कोयला	3.22	163.2	173.0	4.5 (8.8)	5.1 (8.0)	6.2 (10.2)	6.6 (10.2)	6.0 (6.7)
3. परिष्कृत स्टील	5.13	293.0	324.9	7.3 (35.6)	9.8 (39.5)	8.4 (37.1)	11.2 (47.7)	10.9 (34.7)
4. सीमेंट	1.99	257.8	281.4	8.8 (15.0)	6.1 (8.8)	6.6 (10.0)	12.4 (17.8)	9.1 (9.9)
5. कच्चा पेट्रोलियम	4.17	119.2	125.8	3.4 (7.7)	0.7 (1.3)	1.8 (3.3)	-5.2 -(8.7)	5.5 (5.8)
6. पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	2.00	243.2	273.1	4.9 (9.1)	8.2 (12.4)	4.3 (7.0)	2.1 (3.2)	12.3 (12.7)
बुनियादी संरचनावाले उद्योगों का संमिश्र सूचकांक #	**26.68**	**204.9**	**222.5**	**5.0 (100.0)**	**6.1 (100.0)**	**5.8 (100.0)**	**6.2 (100.0)**	**8.6 (100.0)**

अ : अनंतिम.

: भारित उद्योगवार सूचकांक पर आधारित अनुमान

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े तुलनात्मक योगदान के हैं। संबंधित अंशदान की गणना संबंधित उद्योग समूह के भारांक के लिए समायोजित समग्र सूचकांक मेंप्रत्येक समूह के सूचकांक में परिवर्तन के अनुपात (प्रतिशत के रूप में) से की गई है।

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

Appendix 1-10.p65 283 8/24/07, 6:58 PM

परिशिष्ट सारणी 11: सकल घरेलू बचत और निवेश

(आधार वर्ष : 1999-2000)

मद	सघउ का प्रतिशत (चालू बाजार मूल्यों पर)				राशि करोड़ रुपए		
	औसत 1999-2000 से 2005-06	2003-04	2004-05 @	2005-06 *	2003-04	2004-05 @	2005-06 *
1	2	3	4	5	6	7	8
1. घरेलू बचत	**22.1**	**23.8**	**21.6**	**22.3**	**6,57,327**	**6,74,834**	**7,97,117**
जिनमें से:							
क) वित्तीय आस्तियां	10.7	11.3	10.2	11.7	3,13,260	3,18,791	4,16,462
ख) भौतिक आस्तियां	11.3	12.4	11.4	10.7	3,44,067	3,56,043	3,80,655
2. निजी कंपनी क्षेत्र	**5.2**	**4.7**	**7.1**	**8.1**	**1,31,355**	**2,23,512**	**2,88,430**
3. सरकारी क्षेत्र	**0.1**	**1.2**	**2.4**	**2.0**	**31,822**	**74,682**	**71,262**
4. सकल घरेलू बचत	**27.4**	**29.7**	**31.1**	**32.4**	**8,20,504**	**9,73,028**	11,56,809
5. निवल पूंजी आगम	**0.0**	**-1.6**	**0.4**	**1.3**	**-45,380**	**13,338**	**47,665**
6. सकल घरेलू पूंजी निर्माण	**27.4**	**28.0**	**31.5**	**33.8**	**7,75,124**	**9,86,366**	12,04,474
7. भूल-चूक	**0.6**	**1.5**	**1.9**	**1.6**	**40,538**	**58,737**	**57,220**
8. सकल पूंजी निर्माण	**26.8**	**26.6**	**29.7**	**32.2**	**7,34,585**	**9,27,629**	11,47,253
जिनमें से :							
क) सरकारी क्षेत्र	6.9	6.3	7.1	7.4	1,74,597	2,20,487	2,64,426
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	7.7	6.9	9.9	12.9	1,91,349	3,10,045	4,59,715
ग) घरेलू क्षेत्र	11.3	12.4	11.4	10.7	3,44,067	3,56,043	3,80,655
घ) कीमती वस्तुएं #	0.9	0.9	1.3	1.2	24,572	41,054	42,457
ज्ञापन:							
कुल खपत व्यय (क+ख)		73.0	70.6	69.2			
क) अंतिम निजी खपत व्यय		61.8	59.7	57.9			
ख) अंतिम सरकारी खपत व्यय		11.2	11.0	11.3			
बचत-निवेश शेष		1.6	-0.4	-1.3			
सरकारी क्षेत्र शेष		-5.2	-4.7	-5.4			
निजी क्षेत्र शेष		9.2	7.4	6.9			
क) निजी कंपनी क्षेत्र		-2.2	-2.8	-4.8			
ख) घरेलू क्षेत्र		11.3	10.2	11.7			
बाजार मूल्यों (चालू मूल्य) पर सकल घरेलू उत्पाद (करोड रूपए)		27,65,491	31,26,596	35,67,177			

@ : अनंतिम अनुमान

* : त्वरित अनुमान

: कीमती वस्तुओं में उनकी कला एवं कारीगरी के कार्य को छोड़कर उनके अर्जन पर किया गया व्यय शामिल है।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

परिशिष्ट सारणी 12: घरेलू क्षेत्र (सकल) की वित्तीय बचत

मद	कुल वित्तीय बचत का प्रतिशत			करोड़ रुपए		
	2004-05अ	2005-06अ	2006-07#	2004-05अ	2005-06अ	2006-07#
1	2	3	4	5	6	7
वित्तीय बचत (सकल)	**100.0 (13.9)**	**100.0 (16.7)**	**100.0 (18.4)**	**4,34,317**	**5,95,235**	**7,58,751**
क) मुद्रा	8.5 (1.2)	8.7 (1.5)	8.6 (1.6)	36,977	51,954	65,427
ख) जमाराशियां	37.2 (5.2)	47.1 (7.9)	55.7 (10.2)	1,61,416	2,80,602	4,22,737
i) बैंकों में	36.5	46.2	55.6	1,58,393	2,74,747	4,22,114
ii) गैर बैंकिंग कंपनियों में	0.8	1.0	0.1	3,370	6,130	881
iii) सहकारी बैंक और समितियों में	0.0	0.0	0.0	-134	-54	-76
iv) व्यापार ऋण (निवल)	0.0	0.0	0.0	-213	-222	-183
ग) शेयर और डिबेंचर	1.1 (0.2)	4.9 (0.8)	6.3 (1.2)	4,967	29,268	47,918
i) निजी कंपनी कारोबार	1.4	1.3	1.4	6,124	8,034	10,953
ii) बैंकिंग	0.1	0.1	0.1	263	366	403
iii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट	-0.7	-0.1	0.0	-3,146	-444	-310
iv) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बांड	0.0	0.0	0.0	176	172	172
v) पारस्परिक निधियां (यूटीआई से इतर)	0.4	3.6	4.8	1,550	21,139	36,700
घ) सरकार पर दावे	24.5 (3.4)	14.6 (2.4)	5.2 (1.0)	1,06,420	87,168	39,197
i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	4.9	2.4	0.2	21,313	14,390	1,654
ii) अल्प बचत आदि में निवेश	19.6	12.2	4.9	85,106	72,778	37,544
ङ) बीमा निधियां	15.7 (2.2)	14.0 (2.3)	15.0 (2.8)	67,986	83,540	1,13,900
i) जीवन बीमा निधियां	15.1	13.4	14.6	65,577	80,020	1,10,964
ii) डाक बीमा	0.3	0.3	0.2	1,414	1,962	1,237
iii) राज्य बीमा	0.2	0.3	0.2	995	1,559	1,699
च) भविष्य निधि एवं पेन्शन निधियां	13.0 (1.8)	10.5 (1.8)	9.2 (1.7)	56,552	62,704	69,571
ज्ञापन: बाजार मूल्यों (चालू मूल्य) पर सकल घरेलू उत्पाद				31,26,596	35,67,177	41,25,725

अ : अनंतिम

: प्राथमिक अनुमान

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े चालू बाजार मूल्यों पर सघउ का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि घटकों के योग और कुल में संगत न हो।

परिशिष्ट सारणी 13 :आरक्षित मुद्रा में घट-बढ़

(राशि करोड़ रुपए)

मद	31 मार्च 2007 को बकाया	घट-बढ़							
		वित्त वर्ष				अप्रैल-जून			
		2005-06		2006-07		2006-07		2007-08	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आरक्षित मुद्रा (सी.1+सी.2+सी.3 =एस.1+एस.2+एस.3+एस.4+एस.5-एस.6)	**7,09,016**	**83,920**	**17.2**	**1,35,961**	**23.7**	**13,466**	**2.3**	**12,390**	**1.7**
घटक									
सी.1. संचलन में मुद्रा	5,04,225	62,015	16.8	73,549	17.1	22,283	5.2	16,870	3.3
सी.2. भारिबैंक के पास बैंकरों की जमाराशियां	1,97,295	21,515	18.9	61,784	45.6	-7,204	-5.3	-4,800	-2.4
जिनमें से:									
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों	1,86,322	20,402	19.1	59,261	46.6	-6,738	-5.3	-5,722	-3.1
सी.3 . भारतीय रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	7,496	390	6.0	628	9.1	-1,613	-23.5	319	4.3
स्रोत									
एस.1. सरकार को भारिबैंक का निवल ऋण (क+ख)	5,752	26,111		-2,384		53		-25,483	
क) केंद्र सरकार को भारिबैंक का निवल ऋण (i-ii)	2,136	28,417		-3,024		3,071		-21,825	
i) केंद्र सरकार पर दावे	97,184	13,876		26,620		-27,601		-34,156	
ii) केंद्र सरकार की जमाराशियां	95,048	-14,541		29,644		-30,672		-12,330	
ख) राज्य सरकारों को भारिबैंक का निवल ऋण (i-ii)	3,616	-2,306		639		-3,018		-3,657	
i) राज्य सरकारों पर दावे	3,616	-2,306		639		-2,977		-3,616	
ii) राज्य सरकारों की जमाराशियां	0	0		0		41		41	
एस.2. वाणिज्य और सहकारी बैंकों पर भारिबैंक के दावे	7,635	537	10.2	1,840	31.8	-3,135	-54.1	-6,299	-82.5
जिनमें से :									
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	6,310	1,393		4,822		-1,486		-6,209	
एस.3. वाणिज्य क्षेत्र को भारिबैंक का ऋण	1,537	-3	-0.2	150	10.8	0	0.0	-151	-9.8
एस.4. भारिबैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	**8,66,153**	**60,193**	**9.8**	**1,93,170**	**28.7**	**71,845**	**10.7**	**-2,745**	**-0.3**
एस.5. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	8,286	1,306	17.5	-467	-5.3	-920	-10.5	171	2.1
एस.6. भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	1,80,348	4,225	3.5	56,347	45.4	54,376	43.9	-46,897	-26.0
एस.7. भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल घरेलू आस्तियां (एस.1+एस.2+एस.3+एस.5-एस.6)	**-1,57,137**	**23,727**		**-57,209**		**-58,379**		**15,134**	

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

परिशिष्ट सारणी 14: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(राशि करोड़ रुपए)

मद	31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार	घट-बढ़							
		वित्त वर्ष				अप्रैल-जून			
		2005-06		2006-07		2006-07		2007-08	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
घटक									
सी.I संचलन में मुद्रा	5,04,225	62,015	16.8	73,549	17.1	22,283	5.2	16,870	3.3
सी.II भारिबैंक के पास बैंकरों की जमाराशि	1,97,295	21,515	18.9	61,784	45.6	-7,204	-5.3	-4,800	-2.4
सी.II.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1,86,322	20,402	19.1	59,261	46.6	-6,738	-5.3	-5,722	-3.1
सी.III भारिबैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	7,496	390	6.0	628	9.1	-1,613	-23.5	319	4.3
आरक्षित मुद्रा (सी.I + सी.II + सी.III = एस.I + एस.II + एस.III - एस.IV - एस.V)	**7,09,016**	**83,920**	**17.2**	**1,35,961**	**23.7**	**13,466**	**2.3**	**12,390**	**1.7**
स्रोत									
एस.I भारिबैंक के घरेलू ऋण (एस.I.1 + एस.I.2 + एस.I.3)	14,925	26,646		-394		-3,082		-31,933	
एस.I.1 सरकार को निवल भारिबैंक ऋण (एस.I.1.1+एस.I.1.2)	5,752	26,111		-2,384		53		-25,483	
एस.I.1.1 केंद्र सरकार को निवल भारिबैंक ऋण	2,136	28,417		-3,024		3,071		-21,825	
(एस.I.1.1.1+एस.I.1.1.2+एस.I.1.1.3+एस.I.1.1.4-एस.I.1.1.5)									
एस.I.1.1.1 केंद्र सरकार को ऋण और अग्रिम	0	0		0		0		0	
एस.I.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	0	0		0		0		0	
एस.I.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	97,172	13,869	24.5	26,763	38.0	-27,610	-39.2	-34,284	-35.3
एस.I.1.1.3.1 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	96,125	14,340	26.1	26,763	38.6	-27,610	-39.8	-34,284	-35.7
एस.I.1.1.4 रुपए के सिक्के	12	7		-143		9		128	
एस.I.1.1.5 केंद्र सरकार की जमाराशि	95,048	-14,541	-18.2	29,644	45.3	-30,672	-46.9	-12,330	-13.0
एस.I.1.2 राज्य सरकार को निवल भारिबैंक ऋण	3,616	-2,306		639		-3,018		-3,657	
एस.I.2 बैंकों पर भारिबैंक के दावे	7,635	1,467		4,838		-1,557		-6,299	
एस.I.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	6,310	1,393		4,822		-1,486		-6,209	
एस.I.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भारिबैंक के ऋण	1,537	-932	-17.5	-2,848	-64.9	-1,578	-36.0	-151	-9.8
S.I.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण अग्रिम	153	0		153		0		-153	
S.I.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	0	-929		-2,998		-1,578		0	
एस.II जनता के प्रति सरकारी मुद्रा देयताएं	8,286	1,306	17.5	-467	-5.3	-920	-10.5	171	2.1
एस.III भारिबैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	8,66,153	60,193	9.8	1,93,170	28.7	71,845	10.7	-2,745	-0.3
एस.III.1 सोना	29,573	5,988	30.4	3,899	15.2	6,875	26.8	-1,426	-4.8
एस.III.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	8,36,597	54,205	9.1	1,89,270	29.2	64,971	10.0	-1,318	-0.2
एस.IV पूंजी खाता	1,57,279	-1,870	-1.6	40,632	34.8	43,736	37.5	-50,463	-32.1
एस.V अन्य मदें (निवल)	23,069	6,095		15,716		10,641		3,567	

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

परिशिष्ट सारणी 15: मुद्रा स्टॉक में घट-बढ़

(राशि करोड़ रुपएं)

मद	31 मार्च 2007 को बकाया	घट-बढ़							
		वित्त वर्ष				अप्रैल-जून			
		2005-06		2006-07		2006-07		2007-08	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संकीर्ण मुद्रा(एम$_1$)[सी.1+सी.2(क)+सी.3]	**9,65,195**	**1,43,822**	**21.1**	**1,38,820**	**16.8**	**-20,216**	**-2.4**	**-24,228**	**-2.5**
व्यापक मुद्रा (एम$_3$) (सी.1+सी.2+सी.3 = एस.1+एस.2+एस.3+एस.4-एस.5)	**33,10,278**	**3,96,878**	**17.0**	**5,80,733**	**21.3**	**55,411**	**2.0**	**78,638**	**2.4**
घटक									
सी1. जनता के पास मुद्रा	4,83,471	58,248	16.4	70,352	17.0	23,797	5.8	17,752	3.7
सी 2. बैंकों के पास कुल जमाराशियां (क+ख)	28,19,311	3,38,081	17.1	5,09,754	22.1	33,227	1.4	60,567	2.1
क) मांग जमाराशियां	4,74,228	85,025	26.5	67,841	16.7	-42,399	-10.4	-42,300	-8.9
ख) मीयादी जमाराशियां	23,45,083	2,53,056	15.3	4,41,913	23.2	75,626	4.0	1,02,866	4.4
सी 3. भारतीय रिज़र्व बैंक पास 'अन्य' जमाराशियां	7,496	549	8.7	628	9.1	-1,613	-23.5	319	4.3
स्रोत									
एस 1. सरकार को बैंक का निवल ऋण (अ+आ)	**8,38,177**	**17,888**	**2.4**	**71,582**	**9.3**	**23,431**	**3.1**	**18,976**	**2.3**
अ भारतीय रिज़र्व बैंक का सरकार को निवल ऋण (क+ख)	5,752	35,799		-2,384		53		-25,483	
क. केंद्र सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक का निवल ऋण	2,136	33,374		-3,024		3,071		-21,825	
ख राज्य सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक का निवल ऋण	3,616	2,425		639		-3,018		-3,657	
आ सरकार को अन्य बैंकों का ऋण	8,32,425	-17,910	-2.3	73,967	9.8	23,378	3.1	44,459	5.3
एस2. वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	**21,23,362**	**3,61,746**	**27.2**	**4,30,358**	**25.4**	**14,930**	**0.9**	**-25,063**	**-1.2**
क) वाणिज्य क्षेत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक का ऋण	1,537	-3	-0.2	150	10.8	0	0.0	-151	-9.8
ख) वाणिज्य क्षेत्र को अन्य बैंकों का ऋण	21,21,825	3,61,748	27.2	4,30,208	25.4	14,930	0.9	-24,912	-1.2
एस 3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (क+ख)	**9,13,179**	**78,291**	**12.1**	**1,86,985**	**25.7**	**58,087**	**8.0**	**-2,745**	**-0.3**
क) भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	8,66,153	61,545	10.1	1,93,170	28.7	71,845	10.7	-2,745	-0.3
ख) अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	47,026	16,746	45.9	-6,184	-11.6	-13,759	-25.9	0	0.0
एस4. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**8,286**	**1,306**	**17.5**	**-467**	**-5.3**	**-920**	**-10.5**	**171**	**2.1**
एस 5. बैंकिंग क्षेत्र की मीयादी जमाराशियों से इतर निवल मुद्रेतर देयताएं (क+ख)	**5,72,727**	**62,353**	**15.5**	**1,07,725**	**23.2**	**40,117**	**8.6**	**-87,299**	**-15.2**
क) भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	1,80,348	786	0.6	56,347	45.4	54,376	43.9	-46,897	-26.0
ख) अन्य बैंकों की निवल मुद्रेतर देयताएं (अवशिष्ट)	3,92,379	61,566	22.0	51,378	15.1	-14,259	-4.2	-40,403	-10.3

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. आंकड़े 29 दिसंबर 2005 के इंडिया मिलेनियम डिपाजिट का शोधन प्रभाव दर्शाते हैं।
3. वर्ष 2006-07 के दौरान वित्त वर्ष की घट-बढ़ 31 मार्च 2006 पर आधारित है, जबकि वर्ष 2005-06 की वित्त वर्ष की घटबढ़ 1 अप्रैल 2005 पर आधारित है।

परिशिष्ट सारणी 16: नए मौद्रिक समुच्चय

(राशि करोड़ रुपए)

मद	31 मार्च 2007 को बकाया	घट-बढ़							
		वित्त वर्ष				अप्रैल-जून			
		2005-06		2006-07		2006-07		2007-08	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मौद्रिक समुच्चय									
$एम_1$ (सी.I+सी.II.1+सी.III)	9,68,514	1,42,832	20.8	1,38,245	16.7	-20,296	-2.4	-24,415	-2.5
$एनएम_2$ ($एम_1$+सी.II.2.1)	19,87,668	2,63,013	18.9	3,32,021	20.1	11,899	0.7	22,441	1.1
$एनएम_3$ ($एनएम_2$+सी.II.2.2+सी.IV = एस.I+एस.II+एस.III-एस.IV-एस.V)	**33,19,135**	**4,21,124**	**18.1**	**5,71,550**	**20.8**	**54,366**	**2.0**	**76,793**	**2.3**
घटक									
सी.I जनता के पास मुद्रा	**4,83,542**	**58,299**	**16.4**	**70,399**	**17.0**	**23,830**	**5.8**	**17,794**	**3.7**
सी.II निवासियों की कुल जमाराशियां (सी.II.1 + सी.II.2)	**27,42,261**	**3,51,052**	**18.5**	**4,97,831**	**22.2**	**29,031**	**1.3**	**61,595**	**2.2**
सी.II.1 मांग जमाराशियां	4,77,476	83,984	25.7	67,218	16.4	-42,512	-10.4	-42,528	-8.9
सी.II.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां (सी.II.2.1 + सी.II.2.2)	22,64,785	2,67,068	17.0	4,30,613	23.5	71,544	3.9	1,04,124	4.6
सी.II.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	10,19,153	1,20,181	17.0	1,93,776	23.5	32,195	3.9	46,856	4.6
सी.II.2.1.1 जमाराशि प्रमाणपत्र (जप्र)	97,354	28,972		52,855		15,100		6,715	
सी.II.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	12,45,632	1,46,887	17.0	2,36,837	23.5	39,349	3.9	57,268	4.6
सी.III भारिबैं के पास 'अन्य' जमाराशियां	**7,496**	**549**	**8.7**	**628**	**9.1**	**-1,613**	**-23.5**	**319**	**4.3**
सी.IV वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	**85,836**	**11,224**	**15.6**	**2,692**	**3.2**	**3,118**	**3.8**	**-2,916**	**-3.4**
स्रोत									
एस.I घरेलू ऋण (एस.I.1+एस.I.2)	**30,93,257**	**3,67,066**	**16.5**	**4,98,588**	**19.2**	**44,898**	**1.7**	**15,784**	**0.5**
एस.I.1 सरकार को निवल बैंक ऋण (एस.I.1.1+एस.I.1.2)	8,29,500	16,516	2.2	71,868	9.5	23,429	3.1	18,575	2.2
एस.I.1.1 सरकार को निवल भारिबैं ऋण	5,752	35,799		-2,384		53		-25,483	
एस.I.1.2 बैंकिंग प्रणाली से सरकार को ऋण	8,23,748	-19,282	-2.5	74,252	9.9	23,376	3.1	44,058	5.3
एस.I.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (एस.I.2.1+एस.I.2.2)	22,63,757	3,50,550	23.6	4,26,721	23.2	21,469	1.2	-2,791	-0.1
एस.I.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भारिबैं.ऋण	1,537	-918	-17.3	-2,848	-64.9	-1,578	-36.0	-151	-9.8
एस.I.2.2 बैंकिंग व्यवस्था से वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	22,62,220	3,51,468	23.7	4,29,568	23.4	23,048	1.3	-2,640	-0.1
एस.I.2.2.1 अन्य निवेश (सां.च.अनु.की प्रतिभूतियों से इतर)	1,49,310	-11,838	-7.6	5,007	3.5	9,993	6.9	24,286	16.3
एस.II जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**8,286**	**1,306**	**17.5**	**-467**	**-5.3**	**-920**	**-10.5**	**171**	**2.1**
एस.III बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (एस.III.1 + एस.III.2)	**8,25,894**	**91,186**	**17.0**	**1,98,526**	**31.6**	**50,708**	**8.1**	**-223**	**-0.0**
एस.III.1 भारिबैं की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	8,66,153	61,545	10.1	1,93,170	28.7	71,845	10.7	-2,745	-0.3
एस.III.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-40,259	29,640		5,356		-21,137		2,521	
एस.IV पूंजी खाता	**3,84,067**	**39,911**	**14.3**	**65,523**	**20.6**	**55,761**	**17.5**	**-11,761**	**-3.1**
एस.V अन्य मदें (निवल)	**2,24,234**	**-1,476**	**-0.9**	**59,574**	**36.2**	**-15,441**	**-9.4**	**-49,301**	**-22.0**

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. आंकडे 29 दिसंबर 2005 के इंडिया मिलेनियम डिपाजिट का शोधन प्रभाव दर्शाते हैं।

3. वर्ष 2006-07 के दौरान वित्त वर्ष की घटबढ़ 31 मार्च 2006 पर आधारित है, जबकि वर्ष 2005-06 की वित्त वर्ष की घटबढ़ 1 अप्रैल 2005 पर आधारित है।

परिशिष्ट सारणी 17: चलनिधि समुच्चय

(राशि करोड़ रुपए)

माह/वर्ष	एनएम$_3$	डाक घर जमाराशि	**एल$_1$**	वित्तीय संस्थाओं की देयताएं				**एल$_2$**	एनबीएफसी के पास जनता की जमाराशियां	**एल$_3$**
				मीयादी मुद्रा उधार	जमा प्रमाणपत्र	सावधि जमाराशि	कुल			
1	2	3	**4=(2+3)**	5	6	7	8=(5+6+7)	**9=(4+8)**	10	**11=(9+10)**
2005-06										
अप्रैल	**23,29,999**	89,718	**24,19,717**	2,474	30	245	2,749	**24,22,466**		
मई	**23,40,363**	91,306	**24,31,669**	3,027	31	245	3,303	**24,34,972**		
जून	**23,51,794**	92,870	**24,44,664**	2,954	30	242	3,226	**24,47,890**	20,797	**24,68,687**
जुलाई	**23,67,507**	94,376	**24,61,883**	2,978	31	243	3,252	**24,65,135**		
अगस्त	**23,95,530**	95,885	**24,91,415**	2,991	31	246	3,268	**24,94,683**		
सितंबर	**24,80,351**	97,248	**25,77,599**	2,655	31	235	2,921	**25,80,520**	21,694	**26,02,214**
अक्तूबर	**24,87,997**	98,418	**25,86,415**	2,656	31	245	2,932	**25,89,347**		
नवबंर	**25,00,697**	99,771	**26,00,468**	2,656	31	245	2,932	**26,03,400**		
दिसंबर	**25,26,094**	1,01,199	**26,27,293**	2,656	31	245	2,932	**26,30,225**	21,694	**26,51,919**
जनवरी	**25,54,824**	1,01,832	**26,56,656**	2,656	31	245	2,932	**26,59,588**		
फरवरी	**25,96,656**	1,02,121	**26,98,777**	2,656	31	245	2,932	**27,01,709**		
मार्च	**27,47,585**	1,03,918	**28,51,503**	2,656	31	245	2,932	**28,54,435**	23,841	**28,78,276**
2006-07										
अप्रैल	**27,84,883**	1,04,700	**28,89,583**	2,656	31	245	2,932	**28,92,515**		
मई	**27,88,335**	1,05,852	**28,94,187**	2,656	31	245	2,932	**28,97,119**		
जून	**28,01,951**	1,07,171	**29,09,122**	2,656	31	245	2,932	**29,12,054**	23,841	**29,35,895**
जुलाई	**28,46,735**	1,08,492	**29,55,227**	2,656	31	245	2,932	**29,58,159**		
अगस्त	**28,90,723**	1,09,931	**30,00,654**	2,656	31	245	2,932	**30,03,586**		
सितंबर	**29,65,093**	1,11,023	**30,76,116**	2,656	31	245	2,932	**30,79,048**	25,578	**31,04,625**
अक्तूबर	**29,59,194**	1,11,997	**30,71,191**	2,656	31	245	2,932	**30,74,123**		
नवंबर	**30,03,278**	1,13,240	**31,16,518**	2,656	31	245	2,932	**31,19,450**		
दिसंबर	**30,21,785**	1,14,365	**31,36,150**	2,656	31	245	2,932	**31,39,082**	26,064	**31,65,147**
जनवरी	**30,82,508**	1,14,759	**31,97,267**	2,656	31	245	2,932	**32,00,199**		
फरवरी	**31,49,707**	1,14,804	**32,64,511**	2,656	31	245	2,932	**32,67,443**		
मार्च	**33,19,135**	1,15,549	**34,34,684**	2,656	31	245	2,932	**34,37,616**	26,064	**34,63,681**
2007- 08										
अप्रैल	**33,35,148**	1,15,589	**34,50,737**	2,656	31	245	2,932	**34,53,669**		
मई	**33,38,768**	1,16,135	**34,54,903**	2,656	31	245	2,932	**34,57,835**		
जून	**33,95,929**	1,16,573	**35,12,502**	2,656	31	245	2,932	**35,15,434**	26,064	**35,41,498**

सीडी : जमा प्रमाणपत्र; एल$_1$,एल$_2$ तथा एल$_3$: चलनिधि समुच्चय; एनबीएफसी : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी

टिप्पणी :1. डाक घर जमाराशियों में डाक घर बचत बैंक जमाराशियां, डाक घर सावधि जमाराशियां, डाक घर आवर्ती जमाराशि, अन्य जमाराशि तथा डाक कार्यालय संचयी मीयादी जमाराशियां शामिल हैं।

2. वित्तीय संस्थाओं में यहां आइएफसीआइ, एग्जिम बैंक, आइआइबीआइ, सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी,टीएफसीआइ और आइडीएफसी शामिल किए गए हैं। वित्तीय संस्था के आंकड़ों में अक्तूबर 2004 से आईडीबीआई का बैंकेतर संस्था में परिवर्तन का प्रभाव शामिल नहीं है।

3. जुलाई 2001 से वित्तीय संस्थाओं की सावधि मुद्रा उधार में कंपनी और अन्य से उधार शामिल है।

4. अगस्त 2002 से, सावधि जमाराशियों में वाणिज्यिक पत्र एवं अन्य शामिल हैं।

5. जनता की जमाराशियों का अनुमान ऐसी एनबीएफसी कंपनियों की विवरणी के आधार पर निकाला गया है, जिन्होंने कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 20 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक जनता की जमाराशियां जुटाई है।

6. एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर संकलित किए गए हैं, जबकि एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित है।

7. जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां पिछले माह प्राप्त अनुमानों को यथावत रखा गया है।

परिशिष्ट सारणी 18: महत्वपूर्ण बैंकिंग संकेतक - अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(राशि करोड़ रुपए)

मद	30 मार्च 2007 को बकाया	घटबढ़							
		वित्तीय वर्ष				अप्रैल-जून			
		2005-06		2006-07		2006-07		2007-08 अ	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. सकल मांग और मीयादी देयताएं (2+3+4+6)	**30,24,606**	**3,31,212**	**15.6**	**5,68,469**	**23.1**	**28,803**	**1.2**	**22,830**	**0.8**
2. कुल जमाराशियां (क+ख)	**26,08,309**	**3,23,913**	**18.1**	**4,99,260**	**23.7**	**34,594**	**1.6**	**59,878**	**2.3**
क. मांग जमाराशियां	4,29,137	78,623	27.5	64,497	17.7	-41,272	-11.3	-41,062	-9.6
ख. मीयादी जमाराशियां	21,79,172	2,45,291	16.4	4,34,763	24.9	75,866	4.3	100,940	4.6
3. अन्य उधार #	85,836	11,224	15.6	2,692	3.2	3,118	3.8	-2,916	-3.4
4. अन्य मांग और मीयादी देयताएं	2,42,004	1,763	0.9	53,224	28.2	-4,355	-2.3	-21,335	-8.8
5. भारिबैं से उधार	6,245	1,393		4,757		-1,486		-6,144	
6. अंतर बैंक देयताएं	88,457	-5,688	-7.0	13,292	17.7	-4,554	-6.1	-12,797	-14.5
7. बैंक ऋण (क+ख)	**19,28,913**	**3,54,868**	**30.8**	**4,21,836**	**28.0**	**14,050**	**0.9**	**-33,112**	**-1.7**
क. खाद्य ऋण	46,521	675	1.7	5,830	14.3	607	1.5	-2,564	-5.5
ख. खाद्येतर ऋण	18,82,392	3,54,193	31.8	4,16,006	28.4	13,443	0.9	-30,547	-1.6
8. नवेश (क+ख)	**7,90,431**	**-22,809**	**-3.1**	**72,977**	**10.2**	**23,764**	**3.3**	**50,762**	**6.4**
क. सरकारी प्रतिभूतियां	7,74,980	-19,514	-2.7	74,238	10.6	23,238	3.3	45,288	5.8
ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	15,451	-3,295	-16.5	-1,262	-7.5	526	3.1	5,474	35.4
9. उपलब्ध नकदी	16,108	2,897	28.5	3,063	23.5	-837	-6.4	-324	-2.0
10. भारिबैं के पास जमा शेष राशि	1,80,222	34,077	36.6	53,161	41.8	-6,738	-5.3	378	0.2
11. अंतर-बैंक आस्तियां	77,060	-5,133	-8.6	22,668	41.7	368	0.7	-12,899	-16.7
12. ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	74.0		109.6		84.5		40.6		-55.3
13. खाद्येतर ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)	72.2		109.3		83.3		38.9		-51.0
14. निवेश-जमा अनुपात (प्रतिशत)	30.3		-7.0		14.6		68.7		84.8

अ : अनंतिम

: भारिबैं / आईडीबीआई / नाबार्ड / एग्जिम बैंक को छोड़कर।

टिप्पणी : वर्ष 2006-07 के दौरान वित्त वर्ष की घटबढ़ 31 मार्च 2006 पर आधारित है, जबकि वर्ष 2005-06 की तदनुरूपी घट-बढ़ 1 अप्रैल 2005 पर आधारित है।

परिशिष्ट सारणी 19: वाणिज्यि बैंक सर्वेक्षण

(राशि करोड़ रुपए)

मद	30 मार्च 2007 को बकाया	घटबढ़							
		वित्तीय वर्ष				अप्रैल-जून			
		2005-06		2006-07		2006-07		2006-08	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
घटक									
सी.I निवासियों की कुल जमाराशि (सी.I.1 + सी.I.2)	**25,41,201**	**3,40,789**	**19.9**	**4,91,427**	**24.0**	**30,677**	**1.5**	**64,405**	**2.5**
सी.I.1 मांग जमाराशि	4,29,137	78,623	27.5	64,497	17.7	-41,272	-11.3	-41,062	-9.6
सी.I.2 निवासियों की सावधि जमाराशि (सी.I.2.1 + सी.I.2.2)	21,12,063	2,62,167	18.4	4,26,930	25.3	71,949	4.3	1,05,467	5.0
सी.I.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशि	9,50,429	1,17,975	18.4	1,92,119	25.3	32,377	4.3	47,460	5.0
सी.I.2.1.1 जमाराशि प्रमाणपत्र (ज.प्र.)	97,354	28,972	186.6	52,855	118.8	15,100	33.9	6,715	6.9
सी.I.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशि	11,61,635	1,44,192	18.4	2,34,812	25.3	39,572	4.3	58,007	5.0
सी.II वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	**85,836**	**11,224**	**15.6**	**2,692**	**3.2**	**3,118**	**3.8**	**-2,916**	**-3.4**
स्रोत									
एस.I घरेलू ऋण (एस.I.1 + एस.I.2)	**28,62,491**	**3,22,807**	**15.8**	**4,98,250**	**21.1**	**45,844**	**1.9**	**41,654**	**1.5**
एस.I.1 सरकार को ऋण	7,74,980	-19,514	-2.7	74,238	10.6	23,238	3.3	45,288	5.8
एस.I.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण (एस.I.2.1 + एस.I.2.2 + एस.I.2.3 + एस.I.2.4)	20,87,511	3,42,321	25.9	4,24,012	25.5	22,606	1.4	-3,634	-0.2
एस.I.2.1 बैंक ऋण	19,28,913	3,54,868	30.8	4,21,836	28.0	14,050	0.9	-33,111	-1.7
एस.I.2.1.1खाद्येतर ऋण	18,82,392	3,54,193	31.8	4,16,006	28.4	13,443	0.9	-30,547	-1.6
एस.I.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	2,799	2,586		-1,570		-1,963		-282	
एस.I.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	15,451	-3,295	-16.5	-1,262	-7.5	526	3.1	5,474	35.4
एस.I.2.4 अन्य (गैर सांविधिक चलनिधि प्रतिभूतियों में)निवेश	1,40,347	-11,838	-8.0	5,007	3.7	9,993	7.4	24,286	17.3
एस.II वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (एस.II.1 - एस.II.2 - एस.II.3)	**-40,259**	**29,640**		**5,356**		**-21,137**		**2,521**	
एस.II.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	58,754	14,059	47.8	15,260	35.1	-13,919	-32.0	-8,671	-14.8
एस.II.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	67,108	-16,876	-22.2	7,833	13.2	3,917	6.6	-4,527	-6.7
एस.II.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	31,905	1,295	4.5	2,071	6.9	3,301	11.1	-6,666	-20.9
एस.III निवल बैंक रिज़र्व (एस.III.1 + एस.III.2 - एस.III.3)	**1,90,086**	**35,581**	**34.5**	**51,467**	**37.1**	**-6,090**	**-4.4**	**6,199**	**3.3**
एस.III.1 भारिबैंक के पास शेष	1,80,222	34,077	36.6	53,161	41.8	-6,738	-5.3	378	0.2
एस.III.2 उपलब्ध नकदी	16,108	2,897	28.5	3,063	23.5	-837	-6.4	-324	-2.0
एस.III.3 भारिबैंक से ऋण और अग्रिम	6,245	1,393		4,757		-1,486		-6,144	
एस.IV पूंजी खाता	**2,02,618**	**40,320**	**29.3**	**24,891**	**14.0**	**12,025**	**6.8**	**38,702**	**19.1**
एस.V अन्य मदें(निवल) (एस.I + एस.II + एस.III - एस.IV - सी.I-सी.II)	**1,82,663**	**-4,304**	**-2.9**	**36,063**	**24.6**	**-27,203**	**-18.6**	**-49,817**	**-27.3**
एस.V.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (एस.II.3 का निवल)	2,10,099	468	0.3	51,154	32.2	-7,656	-4.8	-14,669	-7.0
एस.V.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों के अलावा)	14,196	2,031	8.8	-10,945	-43.5	-6,886	-27.4	-180	-1.3

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. आंकड़ें 29 दिसंबर 2005 को इंडिया मिलेनियम डिपाजिट का शोधन प्रभाव दर्शाते हैं।

3. वर्ष 2006-07 के दौरान वित्त वर्ष की घटबढ़ 31 मार्च 2006 पर आधारित है, जबकि तदनुरूपी वित्त वर्ष 2005-06 की घट-बढ़ 1 अप्रैल 2005 पर आधारित है।

परिशिष्ट सारणी 20: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का नियोजन

(राशि करोड़ रुपए)

क्षेत्र	निम्नानुसार बकाया			वर्ष-दर-वर्ष घटबढ़			
	18 मार्च 2005	31 मार्च 2006	30 मार्च 2007	मार्च 2006		मार्च 2007	
				राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
I. सकल बैंक ऋण (II + III)	10,45,954	14,43,920	18,41,878	3,97,966	38.0	3,97,958	27.6
II. खाद्यान्न ऋण	41,121	40,691	46,521	-430	-1.0	5,830	14.3
III. खाद्येतर सकल बैंक ऋण (1 to 4)	10,04,833	14,03,229	17,95,357	3,98,396	39.6	3,92,128	27.9
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,24,269	1,73,875	2,30,180	49,606	39.9	56,305	32.4
2. उद्योग (लघु, मझौले एवं बड़े)	4,23,136	5,49,940	6,91,483	1,26,804	30.0	1,41,543	25.7
3. **सेवाएं**	2,01,080	3,19,334	4,18,191	1,18,254	58.8	98,857	31.0
3.1. परिवहन प्रचालक	8,396	17,341	26,416	8,945	106.5	9,075	52.3
3.2. व्यावसायिक एवं अन्य सेवाएं	9,656	15,283	23,782	5,627	58.3	8,499	55.6
3.3. व्यापार	58,195	83,428	1,08,041	25,233	43.4	24,613	29.5
3.4. स्थावर संपदा ऋण	13,546	26,693	45,328	13,147	97.1	18,635	69.8
3.5. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	22,807	34,270	48,496	11,463	50.3	14,226	41.5
4. **वैयक्तिक ऋण**	2,56,348	3,60,081	4,55,503	1,03,733	40.5	95,422	26.5
4.1. टिकाउ उपभोक्ता वस्तुएं	8,976	7,101	9,151	-1,875	-20.9	2,050	28.9
4.2. आवास @	1,33,908	1,85,181	2,30,689	51,273	38.3	45,508	24.6
4.3. सावधि जमा पर अग्रिम (एफसीएनआर (बी), एनआरएनआर जमा राशियों आदि सहित)	29,774	34,283	40,455	4,509	15.1	6,172	18.0
4.4. क्रेडिट कार्ड बकाया	6,432	9,086	13,316	2,654	41.3	4,230	46.6
4.5. शिक्षा	5,680	9,962	15,020	4,282	75.4	5,058	50.8
ज्ञापन:							
5. प्राथमिक क्षेत्र	3,74,953	5,10,175	6,32,647	1,35,222	36.1	1,22,472	24.0
जिनमें से आवास #	90,298	1,33,200	1,61,832	42,902	47.5	28,632	21.5

@ : प्रत्यक्ष आवास ऋण.

: प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष आवास ऋण

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं और चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं।

2. क्षेत्रों के वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण 2006 से आंकड़े पहली अवधि के आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं।

3. 2005-06 के वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में 27 पखवाड़े (वर्ष 2006-07 के 26 पखवाड़ों के स्थान पर) शामिल हैं।

4. सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्यात-आयात बैंक और अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं तथा अंतर बैंक सहभागी के पुनः भुनाए गए बिल शामिल हैं।

परिशिष्ट सारणी 21: सकल बैंक ऋण का उद्योगवार नियोजन

(राशि करोड़ रुपए)

क्षेत्र	निम्नानुसार बकाया			घट-बढ़			
	18 मार्च 2005	31 मार्च 2006	30 मार्च 2007	2005-06		2006-07	
				राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1. उद्योग (लघु, मझौले और बड़े)	4,23,136	5,49,940	6,91,483	1,26,804	30.0	1,41,543	25.7
2. खनन एवं उत्खनन (कोयले सहित)	2,139	4,146	7,582	2,007	93.8	3,436	82.9
3. खाद्य प्रसंस्करण	24,025	30,940	39,560	6,915	28.8	8,620	27.9
4. पेय तथा तंबाकू	1,943	4,002	4,821	2,059	106.0	819	20.5
5. वस्त्रोद्योग	43,789	58,326	78,289	14,537	33.2	19,963	34.2
6. चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	3,264	4,483	4,753	1,219	37.3	270	6.0
7. लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	489	1,496	2,875	1,007	205.9	1,379	92.2
8. कागज़ और कागज़ के उत्पाद	6,863	9,132	11,494	2,269	33.1	2,362	25.9
9. पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं आण्विक इंधन	15,261	25,150	35,462	9,889	64.8	10,312	41.0
10. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	39,021	48,588	55,480	9,567	24.5	6,892	14.2
11. रबड़, प्लास्टिक एवं प्लास्टिक के उत्पाद	3,966	7,218	9,003	3,252	82.0	1,785	24.7
12. कांच तथा कांच की सामग्री	395	1,817	2,557	1,422	360.0	740	40.7
13. सीमेंट तथा सीमेंट के उत्पाद	8,005	7,799	9,334	-206	-2.6	1,535	19.7
14. मूल धातुएं और धातु के उत्पाद	47,015	65,864	83,467	18,849	40.1	17,603	26.7
15. सभी इंजीनियरी	28,934	34,829	43,368	5,895	20.4	8,539	24.5
16. विद्युत वाहन, वाहन के पुर्जे तथा परिवहन उपस्कर	12,045	18,622	20,673	6,577	54.6	2,051	11.0
17. रत्न और आभूषण	14,156	20,549	23,789	6,393	45.2	3,240	15.8
18. भवन निर्माण	8,321	13,275	19,470	4,954	59.5	6,195	46.7
19. बुनियादी संरचना	78,999	1,12,830	1,43,116	33,831	42.8	30,286	26.8
20. अन्य उद्योग	84,506	80,873	96,390	-3,633	-4.3	15,517	19.2

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं और चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं।

2. क्षेत्रों/उद्योगों के वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण 2006 से आंकड़े पहली अवधि के आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं।

3. 2005-06 के वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ में 27 पखवाड़े (वर्ष 2006-07 के 26 पखवाड़ों के स्थान पर) शामिल हैं।

4. सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्यात-आयात बैंक और अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं तथा अंतर बैंक सहभागी के पुनः भुनाए गए बिल शामिल हैं।

परिशिष्ट सारणी 22: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की आर्थिक सहायता

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2005-06	2006-07				2007-08
	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून
1	2	3	4	5	6	7
1. निर्यात ऋण पुनर्वित्त						
क) सीमा	6,051	6,514	6,963	7,200	8,110	8,343
ख) बकाया	1,568	2	1,564	1,784	4,985	101
ज्ञापन मदें :						
1. कुल निर्यात ऋण $	86,207	93,067	94,773	97,763	1,04,926	1,07,983
2. पुनर्वित्त हेतु पात्र निर्यात ऋण	40,338	43,423	46,420	48,002	54,069	55,619
3. निवल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में कुल निर्यात ऋण	5.7	6.0	5.7	5.6	5.4	5.6

$: रुपया निर्यात ऋण, विदेशी मुद्रा में किए गए पोत-लदान पूर्व ऋण (पीसीएफसी), पुनर्भुनाई किए गए निर्यात बिल (ईबीआर) तथा अतिदेय निर्यात बिल शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. आंकड़े माह के अंतिम सूचना देनेवाले शुक्रवार से संबंधित हैं।

2. बैंकों को 1 अप्रैल 2002 से ईसीआर सुविधा, दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण के 15 प्रतिशत तक दी जा रही है।

परिशिष्ट सारणी 23: थोक मूल्य के सूचकांकों में घट-बढ़

(आधार : 1993-94 = 100)

(प्रतिशत)

प्रमुख समूह/उप समूह/ पण्य	भारांक	घट-बढ़					
		वर्ष-दर-वर्ष		औसत		वर्ष-दर-वर्ष	
		1 अप्रैल 2006	31मार्च 2007	2005-06	2006-07	1 जुलाई 2006	30 जून 2007 अ
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी पण्य	**100.0**	**4.0**	**5.9**	**4.4**	**5.4**	**5.2**	**4.3**
I. प्राथमिक वस्तुएं	**22.0**	**4.8**	**10.7**	**2.9**	**7.8**	**7.6**	**8.9**
1. खाद्य वस्तुएं	15.4	5.9	8.0	4.8	7.7	7.8	7.7
क) अनाज	4.4	5.9	7.4	4.5	7.3	5.0	6.7
i) चावल	2.4	2.1	5.7	3.8	2.9	1.4	5.8
ii) गेहूं	1.4	12.7	7.3	3.9	13.1	8.9	7.7
ख) दाले	0.6	33.3	12.5	11.5	30.5	31.0	2.9
ग) फल और सब्जियां	2.9	0.6	3.8	7.4	3.9	4.1	15.8
घ) दूध	4.4	1.9	8.4	0.3	6.3	6.3	5.2
ङ) अंडे, मछली और मांस	2.2	13.2	9.4	12.0	4.4	9.0	6.4
च) अचार और मिर्च-मसाले	0.7	11.1	18.0	-6.2	29.1	25.1	6.6
छ) अन्य पेय वस्तुएं	0.2	11.5	15.6	4.5	19.0	28.0	-4.8
i) चाय	0.2	-2.1	16.7	-10.8	18.7	24.6	-16.1
ii) कॉफी	0.1	33.7	14.1	39.5	19.4	34.0	13.9
2. खाद्येतर वस्तुएं	6.1	-2.4	17.2	-4.5	5.0	1.5	12.0
क) रेशे	1.5	-0.4	16.5	-10.4	4.2	2.5	8.8
कच्चा कपास	1.4	-1.7	21.9	-13.0	5.2	2.5	12.3
ख) तिलहन	2.7	-9.2	31.6	-7.6	5.1	-4.6	28.3
3. खनिज	0.5	43.6	17.5	26.4	28.3	52.8	11.4
II. ईंधन, पावर, विद्युत और स्नेहक	**14.2**	**8.3**	**1.0**	**9.5**	**5.6**	**7.4**	**-1.3**
1. कच्चा कोयला	0.2	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
2. खनिज तेल	7.0	12.0	0.5	14.0	7.9	13.4	-3.5
3. विद्युत	5.5	4.5	2.3	4.0	3.2	-0.6	2.4
III. विनिर्मित उत्पाद	**63.8**	**1.9**	**6.1**	**3.1**	**4.4**	**3.5**	**4.8**
1. चीनी, खांडसारी और गुड़	3.9	5.8	-11.4	9.5	0.6	7.6	-17.0
i) *चीनी*	3.6	6.2	-12.7	10.6	0.7	8.8	-18.5
ii) *खांडसारी*	0.2	14.1	-11.3	20.4	3.0	8.9	-22.0
iii) *गुड*	0.1	2.3	-4.0	11.3	-3.8	-4.9	-11.8
2. खाद्य तेल	2.8	-3.3	14.1	-6.6	5.8	0.1	15.0
3. सूती वस्त्र	4.2	2.3	-1.0	-8.3	3.2	1.5	2.0
4. रसायन और रासायनिक उत्पाद	11.9	3.3	3.6	3.6	3.0	4.0	4.1
5. सीमेंट	1.7	14.9	11.6	9.0	18.5	19.7	10.3
6. लोहा और इस्पात	3.6	-4.2	8.1	7.7	1.5	-1.6	6.7
7. मशीन और औजार	8.4	3.2	8.1	5.1	5.6	3.7	8.7
8. परिवहन उपस्कर और पुर्जे	4.3	0.9	2.0	3.7	1.6	1.1	1.9

अ : अनंतिम ।

स्रोत : आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ।

परिशिष्ट सारणी 24: थोक मूल्यों में घट-बढ़ - भारांकित योगदान

(आधार : 1993-94 = 100)

(प्रतिशत)

प्रमुख समूह/उप समूह/पण्य	भारांक	भारित अंशदान					
		वर्ष-दर-वर्ष		औसत		वर्ष-दर-वर्ष	
		1 अप्रैल 2006	31 मार्च 2007	2005-06	2006-07	1 जुलाई 2006	30 जून 2007 अ
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी पण्य	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
I. प्राथमिक वस्तुएं	**22.0**	**25.8**	**39.0**	**14.4**	**31.3**	**31.2**	**46.1**
1. खाद्य वस्तुएं	15.4	22.5	20.8	16.7	21.9	22.7	28.0
क) अनाज	4.4	6.2	5.3	4.2	5.6	4.0	6.5
i) चावल	2.4	1.1	2.1	1.9	1.2	0.6	2.9
ii) गेहूं	1.4	4.3	1.8	1.2	3.3	2.2	2.4
ख) दालें	0.6	4.5	1.4	1.5	3.4	3.4	0.5
ग) फल और सब्जियां	2.9	0.5	2.0	5.3	2.4	2.5	11.3
घ) दूध	4.4	2.0	5.8	0.3	4.8	5.0	5.1
ङ) अंडे, मछली और मांस	2.2	7.3	3.8	6.2	2.0	4.1	3.7
च) अचार और मिर्च-मसाले	0.7	1.7	2.0	-0.9	3.2	2.8	1.1
छ) अन्य पेय वस्तुएं	0.2	0.4	0.4	0.2	0.6	0.8	-0.2
i) चाय	0.2	0.0	0.2	-0.3	0.3	0.5	-0.4
ii) कॉफी	0.1	0.5	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2
2. खाद्येतर वस्तुएं	6.1	-3.5	15.6	-6.2	5.2	1.6	15.5
क) रेशे	1.5	-0.1	3.1	-3.2	0.9	0.6	2.4
कच्चा कपास	1.4	-0.4	3.5	-3.5	1.0	0.5	2.8
ख) तिलहन	2.7	-5.5	11.0	-4.4	2.1	-2.1	14.3
3. खनिज	0.5	6.9	2.6	3.9	4.2	6.8	2.6
II. ईंधन, पावर, विद्युत और स्नेहक	**14.2**	**45.5**	**4.0**	**45.7**	**23.1**	**31.7**	**-7.2**
1. कच्चा कोयला	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
2. खनिज तेल	7.0	37.2	1.1	37.2	18.7	32.5	-11.2
3. विद्युत	5.5	8.3	2.8	6.7	4.4	-0.8	4.0
III. विनिर्मित उत्पाद	**63.8**	**27.7**	**57.3**	**39.8**	**45.5**	**37.2**	**61.6**
1. चीनी, खांडसारी और गुड़	3.9	5.2	-7.0	7.3	0.4	5.1	-14.4
i) *चीनी*	3.6	4.7	-6.6	6.8	0.4	5.0	-13.3
ii) *खांडसारी*	0.2	0.6	-0.3	0.7	0.1	0.3	-0.9
iii) *गुड़*	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1	-0.1
2. खाद्य तेल	2.8	-1.8	4.7	-3.4	2.2	0.0	7.0
3. सूती वस्त्र	4.2	2.1	-0.6	-7.1	1.9	1.0	1.6
4. रसायन और रासायनिक उत्पाद	11.9	9.7	7.1	9.4	6.4	8.9	10.8
5. सीमेंट	1.7	5.6	3.2	2.9	5.0	5.5	4.0
6. लोहा और इस्पात	3.6	-5.1	6.0	7.8	1.3	-1.5	7.1
7. मशीन और औजार	8.4	5.2	8.6	7.2	6.5	4.5	12.8
8. परिवहन उपस्कर और पुर्जे	4.3	0.8	1.2	2.9	1.0	0.8	1.5

अ : अनंतिम ।

स्रोत : आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ।

परिशिष्ट सारणी 25: मूल्य सूचकांक में वार्षिकीकृत घट-बढ़
(वर्ष-दर-वर्ष)

(प्रतिशत)

वर्ष /माह	थोक मूल्य सूचकांक @	औद्योगिक कामगारों के लिए उ.मू.सू.#	शहरी श्रमेतर कामगारों के लिए उ.मू.सू.+	कृषि मजदूरों हेतु उ.मू.सू.*
1	2	3	4	5
2000-01	4.9	2.5	5.6	-2.0
	(7.2)	(3.8)	(5.6)	(-0.3)
2001-02	1.6	5.2	4.8	3.0
	(3.6)	(4.3)	(5.1)	(1.1)
2002-03	6.5	4.1	3.8	4.9
	(3.4)	(4.0)	(3.8)	(3.2)
2003-04	4.6	3.5	3.4	2.5
	(5.4)	(3.9)	(3.7)	(3.9)
2004-05	5.1	4.2	4.0	2.4
	(6.4)	(3.8)	(3.6)	(2.6)
2005-06	4.1	4.9	5.0	5.3
	(4.4)	(4.4)	(4.7)	(3.9)
2006-07	5.9 ^	6.7	7.6	9.5
	(5.4)	(6.7)	(6.6)	(7.8)
2005-06				
अप्रैल	5.7	5.0	4.2	3.0
मई	5.3	3.7	4.2	3.0
जून	4.3	3.3	3.9	2.7
जुलाई	4.2	4.1	4.8	3.6
अगस्त	3.3	3.4	4.3	3.2
सितंबर	4.3	3.6	4.8	3.2
अक्तूबर	4.8	4.2	4.5	3.2
नवंबर	4.5	5.3	5.5	4.7
दिसंबर	4.6	5.6	5.7	4.7
जनवरी	4.0	4.7	5.0	4.7
फरवरी	4.2	4.9	4.8	5.0
मार्च	4.1	4.9	5.0	5.3
2006-07				
अप्रैल	3.9	5.0	5.0	5.6
मई	5.0	6.3	5.8	6.4
जून	4.8	7.7	6.5	7.2
जुलाई	4.7	6.7	5.7	6.3
अगस्त	5.3	6.3	6.1	6.5
सितंबर	5.4	6.8	6.6	7.3
अक्तूबर	5.3	7.3	7.2	8.4
नवंबर	5.6	6.3	6.7	8.3
दिसंबर	5.9	6.9	6.9	8.9
जनवरी	6.7	6.7	7.4	9.5
फरवरी	6.2	7.6	7.8	9.8
मार्च	5.9	6.7	7.6	9.5
2007-08				
अप्रैल	6.0	6.7	7.7	9.4
मई	5.2	6.6	6.8	8.2
जून	4.3 अ	5.7	6.1	7.8

अ : अनंतिम @ : आधार : 1993-94=100.

: आधार : 1982=100 दिसंबर 2005 तक और आधार : 2001=100 जनवरी 2006 से ।

+ : आधार : 1984-85=100. * : आधार : 1986-87=100.

^ : वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति 31 मार्च 2007 के अंत की सप्ताह तक की तुलना करते हुए 4.0 प्रतिशत है, जो 2 अप्रैल 2005 की तुलना में 1 अप्रैल 2006 की घट-बढ़ को दर्शाती है।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े औसत आधार पर हैं।

स्रोत : 1. आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ।
2. श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार।
3. केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, योजना एवं कार्यक्रम अनुपालन मंत्रालय, भारत सरकार ।

परिशिष्ट सारणी 26: केंद्र सरकार के घाटे का अनुपात

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	राजकोषीय घाटा		प्राथमिक घाटा		निवल भारिबैं ऋण +	राजस्व घाटा
	सकल	निवल	सकल	निवल		
1	2	3	4	5	6	7
1995-96	60,243 (50,253)	42,432	10,198 (208)	10,806	19,855	29,731
1996-97	66,733 (56,242)	46,394	7,255 (-3236)	9,022	1,934	32,654
1997-98	88,937 (73,204)	63,062	23,300 (7,567)	22,748	12,914	46,449
1998-99	1,13,349 (89,560)	79,944	35,466 (11,678)	32,138	11,800	66,976
1999-2000	1,04,716	89,910	14,467	33,539	-5,588	67,596
2000-01	1,18,816	1,07,854	19,502	41,351	6,705	85,234
2001-02	1,40,955	1,23,074	33,495	51,152	-5,150	1,00,162
2002-03	1,45,072	1,33,829	27,268	53,647	-28,399	1,07,879
2003-04	1,23,273	1,15,558	-815	30,008	-76,065	98,261
2004-05	1,25,794	1,26,252	-1,140	31,705	-60,177	78,338
2005-06	1,46,435	1,45,743	13,805	35,145	28,417	92,299
2006-07 बअ	1,48,686	1,47,825	8,863	27,265	..	84,727
2006-07 संअ	1,52,328	1,48,072	6,136	22,011	-1,042	83,436
2007-08 बअ	1,50,948	1,44,950	-8,047	5,263	..	71,478
चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में						
1995-96	5.07 (4.23)	3.57	0.86 (0.02)	0.91	1.67	2.50
1996-97	4.88 (4.11)	3.39	0.53 (-0.24)	0.66	0.14	2.39
1997-98	5.84 (4.81)	4.14	1.53 (0.50)	1.49	0.85	3.05
1998-99	6.51 (5.14)	4.59	2.04 (0.67)	1.85	0.68	3.85
1999-2000	5.36	4.61	0.74	1.72	-0.29	3.46
2000-01	5.65	5.13	0.93	1.97	0.32	4.05
2001-02	6.18	5.40	1.47	2.24	-0.23	4.39
2002-03	5.90	5.44	1.11	2.18	-1.16	4.39
2003-04	4.46	4.18	-0.03	1.09	-2.75	3.55
2004-05	4.02	4.04	-0.04	1.01	-1.92	2.51
2005-06	4.11	4.09	0.39	0.99	0.80	2.59
2006-07 बअ	3.76	3.74	0.22	0.69	..	2.14
2006-07 संअ	3.69	3.59	0.15	0.53	-0.03	2.02
2007-08 बअ	3.26	3.13	-0.17	0.11	..	1.54
औसत						
1995-96 से 2005-06 तक	5.29 *	4.50	0.87 *	1.52	-0.36	3.42

सअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान .. : अनुपलब्ध +: रिज़र्व बैंक रिकार्ड के अनुसार

* : अल्प बचतों में राज्यों का निवल अंश

टिप्पणी : 1. राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के बीच का अंतर दर्शाता है। केंद्र सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निवल ऋण में वृद्धि दर्शाता है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास (i) खजाना बिल (ii) केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां (iii) रुपया सिक्के और (iv) पहली अप्रैल 1997 से केंद्र को भारतीय रिज़र्व बैंक से केंद्र को भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण और अग्रिम जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के पास केंद्र की नकद बकाया राशि में हुए परिवर्तनों के लिए समायोजित किया गया। सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय से अधिक है जिसमें राजस्व प्राप्तियों (बाह्य अनुदान सहित) तथा ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में कुल वसूली के पश्चात ऋण की राशि शामिल है। निवल राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटे और निवल ऋण के बीच का अंतर है। सकल प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे और ब्याज अदायगियों के बीच का अंतर है। निवल प्राथमिक घाटा, निवल राजकोषीय घाटे से निवल ब्याज अदायगी के बाद शेष राशि को दर्शाता है।

2. कोष्ठकों के आंकड़े 1999-2000 से लागू की नई लेखांकन प्रणाली के अनुसार अल्प बचत में राज्यों के अंश को छोड़कर है।

3. ऋणात्मक चिह्न अधिशेष दर्शाता है।

स्रोत : केंद्र सरकार का बजट दस्तावेज और रिज़र्व बैंक का रिकार्ड ।

परिशिष्ट सारणी 27 : केंद्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय की प्रमुख मदें

(करोड़ रुपए)

मद	औसत 1996-97 से 2005-06	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (बअ)	2006-07 (संअ)	2007-08 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कुल प्राप्तियां (2+5)		4,11,365	4,75,146	5,06,382	5,06,123	5,63,991	5,81,637	6,80,521@
	(15.61)	(16.74)	(17.18)	(16.20)	(14.19)	(14.2)	(14.10)	(14.69)
2. राजस्व प्राप्तियां (3+4)		2,30,834	2,63,813	3,05,991	3,47,462	4,03,465	4,23,331	4,86,422
	(9.24)	(9.39)	(9.54)	(9.79)	(9.74)	(10.21)	(10.26)	(10.50)
3. कर राजस्व (केंद्र को निवल)		1,58,544	1,86,982	2,24,798	2,70,264	3,27,205	3,45,971	4,03,872
	(6.60)	(6.45)	(6.76)	(7.19)	(7.58)	(8.28)	(8.39)	(8.72)
4. करेतर राजस्व		72,290	76,831	81,193	77,198	76,260	77,360	82,550
जिसमें से :	(2.63)	(2.94)	(2.78)	(2.60)	(2.16)	(1.93)	(1.88)	(1.78)
i) ब्याज प्राप्तियां		37,622	38,538	32,387	22,032	19,263	20,131	19,308
	(1.44)	(1.53)	(1.39)	(1.04)	(0.62)	(0.49)	(0.49)	(0.42)
ii) लाभांश और लाभ		21,230	21,160	22,939	25,451	27,500	30,438	33,925
	(0.60)	(0.86)	(0.77)	(0.73)	(0.71)	(0.70)	(0.74)	(0.73)
5. पूंजीगत प्राप्तियां		1,80,531	2,11,333	2,00,391	1,58,661	1,60,526	1,58,306	1,94,099@
	(6.37)	(7.34)	(7.64)	(6.41)	(4.45)	(4.06)	(3.84)	(4.19)
6. कुल व्यय (7+8)		4,13,248	4,71,203	4,98,252	5,06,123	5,63,991	5,81,637	6,80,521@
	(15.66)	(16.81)	(17.04)	(15.94)	(14.19)	(14.27)	(14.10)	(14.69)
7. राजस्व व्यय		3,38,713	3,62,074	3,84,329	4,39,761	4,88,192	5,06,767	5,57,900
जिसमें से :	(12.66)	(13.78)	(13.09)	(12.29)	(12.33)	(12.35)	(12.28)	(12.04)
i) ब्याज अदायगियां		1,17,804	1,24,088	1,26,934	1,32,630	1,39,823	1,46,192	1,58,995
	(4.42)	(4.79)	(4.49)	(4.06)	(3.72)	(3.54)	(3.54)	(3.43)
ii) सब्सिडी		43,533	44,323	43,653	47,520	46,213	53,463	54,330
	(1.37)	(1.77)	(1.60)	(1.40)	(1.33)	(1.17)	(1.30)	(1.17)
iii) रक्षा		40,709	43,203	43,862	48,211	51,542	51,542	54,078
	(1.62)	(1.66)	(1.56)	(1.40)	(1.35)	(1.30)	(1.25)	(1.17)
8. पूंजी वितरण		74,535	1,09,129	1,13,923	66,362	75,799	74,870	1,22,621@
जिसमें से :	(3.00)	(3.03)	(3.95)	(3.64)	(1.86)	(1.92)	(1.81)	(2.65)
पूंजी परिव्यय		29,101	34,150	52,338	55,025	66,938	65,164	115,123@
	(1.25)	(1.18)	(1.23)	(1.67)	(1.54)	(1.69)	(1.58)	(2.48)
9. विकासात्मक व्यय*		1,84,197	1,95,428	2,14,955	2,29,060	2,62,515	2,59,752	3,45,878@
जिसमें से :	(7.01)	(7.49)	(7.07)	(6.88)	(6.42)	(6.64)	(6.30)	(7.46)
सामाजिक क्षेत्र		58,606	61,178	65,132	76,956	81,605	99,387	94,486
	(1.88)	(2.38)	(2.21)	(2.08)	(2.16)	(2.06)	(2.41)	(2.04)
10. विकासेतर व्यय*		2,42,749	2,43,298	2,62,904	2,90,677	3,16,081	3,35,757	3,48,847
	(8.84)	(9.88)	(8.80)	(8.41)	(8.15)	(8.00)	(8.14)	(7.53)
ज्ञापन मदें :							(प्रतिशत)	
1. ब्याज अदायगियां/राजस्व प्राप्तियां	48.06	51.03	47.04	41.48	38.17	34.66	34.53	32.69
2. राजस्व घाटा /सकल राजकोषीय घाटा	64.70	74.36	79.71	62.27	63.03	56.98	54.77	47.35
3. केंद्र को निवल भारिबैं ऋण/ सराघा	-8.52	-19.58	-61.70	-47.84	19.41	..	-0.68	..

संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान .. : अनुपलब्ध

@ : इसमें 40,000 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की भारतीय स्टेट बैंक की शेयर धारिता केंद्र सरकार को अंतरित किए जाने के संबंध में है।

* : विकासात्मक और विकासेतर व्यय से संबंधित आंकड़ों में वाणिज्यिक विभाग शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत हैं।

स्रोत : केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज और भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख ।

परिशिष्ट सारणी 28: केंद्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आंतरिक वित्त				बाह्य वित्त	कुल वित्त / सकल राजकोषीय घाटा (5+6)
	बाजार उधार #	अन्य उधार@	नकदी शेष की निकासी +	कुल (2+3+4)		
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	8,001 (17.9)	22,103 (49.5)	11,347 (25.4)	41,451 (92.9)	3,181 (7.1)	44,632 (100.0)
1995-96	34,001 (56.4)	16,117 (26.8)	9,807 (16.3)	59,925 (99.5)	318 (0.5)	60,243 (100.0)
2001-02	90,812 (64.4)	46,038 (32.7)	-1,496 -(1.1)	1,35,354 (96.0)	5,601 (4.0)	1,40,955 (100.0)
2002-03	1,04,126 (71.8)	50,997 (35.2)	1,883 (1.3)	1,57,006 (108.2)	-11,934 -(8.2)	1,45,072 (100.0)
2003-04	88,870 (72.1)	51,833 (42.0)	-3,942 -(3.2)	1,36,761 (110.9)	-13,488 -(10.9)	1,23,273 (100.0)
2004-05	50,939 & (40.5)	68,232 (54.2)	-8,130 -(6.5)	1,11,041 (88.3)	14,753 (11.7)	1,25,794 (100.0)
2005-06	1,06,241 & (72.6)	53,610 (36.6)	-20,888 -(14.3)	1,38,963 (94.9)	7,472 (5.1)	1,46,435 (100.0)
2006-07 (बअ)	1,13,778 & (76.5)	26,584 (17.9)	0 (0.0)	1,40,362 (94.4)	8,324 (5.6)	1,48,686 (100.0)
2006-07 (संअ)	1,10,500 & (72.5)	23,010 (15.1)	10,926 (7.2)	1,44,436 (94.8)	7,892 (5.2)	1,52,328 (100.0)
2007-08 (बअ)	1,10,827 & (73.4)	31,010 (20.5)	0 (0.0)	1,41,837 (94.0)	9,111 (6.0)	1,50,948 (100.0)

संअ : संशोधित अनुमान बअ: बजट अनुमान

: इसमें दिनांकित प्रतिभूतियां और 364 दिवसीय खजाना बिल शामिल है।

@ : अन्य देयताओं में लघु बचतें, राज्य सार्वजनिक निधि, विशेष जमा, आरक्षित निधि, खजाना बिल (364-दिवसीय खजाना बिलों से इतर) शामिल है। 1999-2000 से वर्ष में लघु बचत और सार्वजनिक भविष्य निधि का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ के निवेश द्वारा किया गया। केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ द्वारा ऋण-अदला बदली आय की पुनर्निवेश 2003-04 में शामिल है।

+ : वर्ष 1997 से पूर्व जारी किए गए रिज़र्व बैंक के पास नकदी शेषों में हुए 91-दिवसीय खजाना बिलों में घट-बढ़ दर्शाते हैं।

& : बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत एकत्र की जानेवाली राशि को छोड़कर।

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सकल राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता दर्शाते हैं।
2. 1999-2000 से सराघा में राज्यों के अल्प बचत अंश शामिल नहीं हैं।

स्रोत : भारत सरकार के बजट दस्तावेज और भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख ।

परिशिष्ट सारणी 29: केंद्र सरकार की बकाया देयताएं

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आंतरिक ऋण	अल्प बचत,जमाराशियां भविष्य निधियां और अन्य लेखें	आरक्षित निधि और जमाराशियां	कुल आंतरिक देयताएं (2+3+4)	बाह्य देयताएं *	कुल देयताएं (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	1,54,004 (27.1)	1,07,107 (18.8)	21,922 (3.9)	2,83,033 (49.8)	31,525 (5.5)	3,14,558 (55.3)
1995-96	3,07,869 (25.9)	2,13,435 (18.0)	33,680 (2.8)	5,54,984 (46.7)	51,249 (4.3)	6,06,233 (51.0)
2001-02	9,13,061 (40.0)	3,08,668 (13.5)	73,133 (3.2)	12,94,862 (56.8)	71,546 (3.1)	13,66,408 (59.9)
2002-03	10,20,689 (41.5)	3,98,774 (16.2)	80,126 (3.3)	14,99,589 (61.0)	59,612 (2.4)	15,59,201 (63.4)
2003-04	11,41,706 (41.3)	4,56,472 (16.5)	92,376 (3.3)	16,90,554 (61.1)	46,124 (1.7)	17,36,678 (62.8)
2004-05	12,75,971 $ (40.8)	5,64,584 (18.1)	92,989 (3.0)	19,33,544 (61.8)	60,877 (1.9)	19,94,421 (63.8)
2005-06	13,89,758 $ (39.0)	6,66,682 (18.7)	1,09,462 (3.1)	21,65,902 (60.7)	94,243 (2.6)	22,60,145 (63.4)
2006-07 (संअ)	15,54,238 $ (37.7)	7,54,718 (18.3)	1,25,374 (3.0)	24,34,330 (59.0)	1,02,135 (2.5)	25,36,465 (61.5)
2007-08 (बअ)	16,83,966 $ (36.3)	8,25,529 (17.8)	1,23,701 (2.7)	26,33,196 (56.8)	1,11,245 (2.4)	27,44,441 (59.2)

संअ : संशोधित अनुमान बअ: बजट अनुमान

* : परंपरागत विनिमय दर पर

$: बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई राशि शामिल ।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में आंकड़े सघउ की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

2. वर्ष 1999-2000 से अल्प बचत संग्रहण में केंद्रीय सरकार का अंश केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियों में परिवर्तित और आंतरिक ऋण के अंश बने।

स्रोत : भारत सरकार के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 30: राज्य सरकारों के बजट परिचालन

क : राज्य सरकारों के घाटे का अनुपात

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राजकोषीय घाटा		प्राथमिक घाटा		निवल भारिबैं ऋण *	पारंपरिक घाटा	राजस्व घाटा
	सकल	निवल	सकल	निवल			
1	2	3	4	5	6	7	8
1990-91	18,786	14,531	10,131	8,280	420	-74	5,309
1995-96	31,426	26,696	9,493	10,555	16	-2,850	8,201
2000-01	89,510	84,676	37,808	44,411	-1,092	-2,346	53,569
2005-06 अ	89,847	81,746	4,177	6,709	2,425	-39,857	2,690
2006-07 (संअ) अ	1,14,476	1,04,935	16,591	17,616	-2,733	17,900	1,303
2007-08 (बअ) अ	1,09,904	94,682	4,561	1,926	..	2,103	-17,288
चालू बाजार मूल्य आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में							
1990-91	3.30	2.56	1.78	1.46	0.07	-0.01	0.93
1995-96	2.65	2.25	0.80	0.89	0.00	-0.24	0.69
2000-01	4.26	4.03	1.80	2.11	-0.05	-0.11	2.55
2005-06 अ	2.52	2.29	0.12	0.19	0.07	-1.12	0.08
2006-07 (संअ) अ	2.77	2.54	0.40	0.43	-0.07	0.43	0.03
2007-08 (बअ) अ	2.37	2.04	0.10	0.04	..	0.05	-0.37

ख : राज्य सरकारों के चुने हुए बजट परिवर्ती

(प्रतिशत)

मद	1990-00 (औसत)	2005-06 अ	2006-07 अ (संअ)	2007-08 अ (बअ)
1	2	3	4	5
1. सकल राजकोषीय घाटा/कुल व्यय (वसूलियों को छोड़कर)	21.4	16.3	16.9	14.5
2. राजस्व घाटा/राजस्व व्यय	9.3	0.6	0.2	-2.9
3. पारंपरिक घाटा/कुल संवितरण	-0.1	7.0	-2.5	-0.3
4. राजस्व घाटा/ सकल राजकोषीय घाटा	34.8	3.0	1.1	-15.7
5. विकासेतर राजस्व व्यय/राजस्व प्राप्तियां	39.6	42.8	40.9	39.2
6. ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां	16.5	19.4	18.0	16.9
7. विकासात्मक व्यय /सकल घरेलू उत्पाद	10.2	9.5	10.4	10.4
जिनमें से :				
सामाजिक क्षेत्र व्यय/सकल घरेलू उत्पाद	5.7	5.4	6.1	6.1
8. विकासेतर व्यय/सकल घरेलू उत्पाद	4.6	5.4	5.5	5.4
9. राज्यों का कर-राजस्व/सकल घरेलू उत्पाद	5.3	6.2	6.5	6.6
10. राज्यों का करेतर राजस्व/सकल घरेलू उत्पाद	1.7	1.4	1.4	1.3

संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान .. : अनुपलब्ध

सराघा : सकल राजकोषीय घाटा अ : अनंतिम आंकड़ें

* : ये आंकड़ें उन राज्य सरकारों से संबंधित हैं जिनके खाते भारतीय रिज़र्व बैंक में हैं।

टिप्पणी : (1) राज्य सरकारों को निवल रिज़र्व बैंक ऋण से तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों से है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उनकी वृद्धिशील जमाराशियों की निवल राशि है। .

(2) ऋणात्मक चिह्न (-) अधिशेष दर्शाता है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज और भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख।

परिशिष्ट सारणी 31: केंद्र और राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व

(करोड़ रुपए)

वर्ष	केंद्र (सकल)			राज्य @			केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त		
	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	जोड़	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	जोड़	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1995-96	33,563	77,661	1,11,224	8,040	55,587	63,627	41,603	1,33,248	1,74,851
(क)	30.2	69.8	100.0	12.6	87.4	100.0	23.8	76.2	100.0
(ख)	2.8	6.5	9.4	0.7	4.7	5.4	3.5	11.2	14.7
2000-2001	68,306	1,20,297	1,88,603	12,204	1,04,823	1,17,027	80,510	2,25,120	3,05,630
(क)	36.2	63.8	100.0	10.4	89.6	100.0	26.3	73.7	100.0
(ख)	3.2	5.7	9.0	0.6	5.0	5.6	3.8	10.7	14.5
2001-02	69,197	1,17,863	1,87,060	13,592	1,13,878	1,27,470	82,789	2,31,741	3,14,530
(क)	37.0	63.0	100.0	10.7	89.3	100.0	26.3	73.7	100.0
(ख)	3.0	5.2	8.2	0.6	5.0	5.6	3.6	10.2	13.8
2002-03	83,085	1,33,181	2,16,266	18,151	1,24,526	1,42,677	1,01,236	2,57,707	3,58,943
(ख)	38.4	61.6	100.0	12.7	87.3	100.0	28.2	71.8	100.0
(ख)	3.4	5.4	8.8	0.7	5.1	5.8	4.1	10.5	14.6
2003-04	1,05,090	1,49,258	2,54,348	20,531	1,40,703	1,61,234	1,25,621	2,89,961	4,15,582
(ख)	41.3	58.7	100.0	12.7	87.3	100.0	30.2	69.8	100.0
(ख)	3.8	5.4	9.2	0.7	5.1	5.8	4.5	10.5	15.0
2004-05	1,32,771	1,72,777	3,05,548	24,043	1,65,045	1,89,088	1,56,814	3,37,822	4,94,636
(ख)	43.5	56.5	100.0	12.7	87.3	100.0	31.7	68.3	100.0
(ख)	4.2	5.5	9.8	0.8	5.3	6.1	5.0	10.8	15.8
2005-06 *	1,65,202	2,00,949	3,66,151	30,211	1,90,658	2,20,869	1,95,413	3,91,607	5,87,020
(ख)	45.1	54.9	100.0	13.7	86.3	100.0	33.3	66.7	100.0
(ख)	4.6	5.6	10.3	0.8	5.3	6.2	5.5	11.0	16.5
2006-07 *	2,10,684	2,31,469	4,42,153	31,388	2,21,786	2,53,174	2,42,072	4,53,255	6,95,327
बअ (ख)	47.6	52.4	100.0	12.4	87.6	100.0	34.8	65.2	100.0
(ख)	5.3	5.9	11.2	0.8	5.6	6.4	6.1	11.5	17.6
2006-07 *	2,29,272	2,38,576	4,67,848	32,733	2,29,784	2,62,517	2,62,005	4,68,360	7,30,365
संअ (ख)	49.0	51.0	100.0	12.5	87.5	100.0	35.9	64.1	100.0
(ख)	5.6	5.8	11.3	0.8	5.6	6.4	6.4	11.4	17.7
2007-08 *	2,67,490	2,80,632	5,48,122	39,808	2,60,087	2,99,895	3,07,298	5,40,719	8,48,017
बअ (ख)	48.8	51.2	100.0	13.3	86.7	100.0	36.2	63.8	100.0
(ख)	5.8	6.1	11.8	0.9	5.6	6.5	6.6	11.7	18.3
ज्ञापन मदें :									
(औसत)									
1996-97 से (ख)	37.3	62.8	100.0	12.7	87.3	100.0	27.7	72.3	100.0
2005-06 तक(ख)	3.4	5.7	9.1	0.8	5.1	5.8	4.2	10.7	14.9

संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान

@ : केंद्र सरकार के बजट दस्तावेजों में सूचित किए गए अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों के अंश शामिल नहीं हैं।

* : राज्य सरकारों के संबंध में आंकड़े अनंतिम हैं। (विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट सारणी 30 संबंधी टिप्पणियां देखें।)

(क) : यह कुल कर राजस्व की प्रतिशतता दर्शाता है।

(ख) : सघउ की प्रतिशतता दर्शाता है।

स्रोत : केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।

परिशिष्ट सारणी 32: राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण और बकाया देयताएं

क. राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	प्रतिभूतियों पर एनएसएसएफ को जारी ऋण	एलआईसी, नाबार्ड, एनसीडीसी , आदि से ऋण	राज्य भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमाराशि तथा अग्रिम	उचंत तथा विविध	विप्रेषण	समग्र अधिशेष (-)/ घाटा (+)	अन्य #	सकल राजकोषीय घाटा (2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1990-91	2,556	9,978	–	241	2,488	1,120	1,670	376	-154	-74	438	18,786
	(13.6)	(53.1)	–	(1.3)	(13.2)	(6.0)	(8.9)	(2.0)	-(0.8)	-(0.4)	(2.3)	(100.0)
1995-96	5,888	14,801	–	635	4,201	2,101	2,947	3,096	-338	-2,850	-4,754	31,426
	(18.7)	(47.1)	–	(2.0)	(13.4)	(6.7)	(9.4)	(9.9)	-(1.1)	-(9.1)	-(15.1)	(100.0)
2000-01	12,519	8,396	32,606	4,550	10,846	3,099	7,136	2,355	1,032	-2,346	9,317	89,510
	(14.0)	(9.4)	(36.4)	(5.1)	(12.1)	(3.5)	(8.0)	(2.6)	(1.2)	-(2.6)	(10.4)	(100.0)
2001-02	17,249	10,974	35,648	6,285	7,977	4,521	4,996	-2,452	-427	3,426	7,796	95,993
	(18.0)	(11.4)	(37.1)	(6.5)	(8.3)	(4.7)	(5.2)	-(2.6)	-(0.4)	(3.6)	(8.1)	(100.0)
2002-03	28,484	-932	52,243	4,858	7,195	4,799	711	1,212	93	-4,611	8,015	1,02,067
	(27.9)	-(0.9)	(51.2)	(4.8)	(7.0)	(4.7)	(0.7)	(1.2)	(0.1)	-(4.5)	(7.9)	(100.0)
2003-04	47,286	14,117	20,813	4,132	7,122	6,377	-374	-5,429	1,850	-1,075	28,231	1,23,050
	(38.4)	(11.5)	(16.9)	(3.4)	(5.8)	(5.2)	-(0.3)	-(4.4)	(1.5)	-(0.9)	(22.9)	(100.0)
2004-05	32,768	-12,673	68,793	44	8,034	7,127	8,074	-10,649	1,240	-10,459	16,952	1,09,251
	(30.0)	-(11.6)	(63.0)	(0.04)	(7.4)	(6.5)	(7.4)	-(9.7)	(1.1)	-(9.6)	(15.5)	(100.0)
2005-06 अ	15,305	4,936	74,508	4,055	9,617	5,228	7,262	7,911	51	-39,857	830	89,847
	(17.0)	(5.5)	(82.9)	(4.51)	(10.7)	(5.8)	(8.1)	(8.8)	(0.1)	-(44.4)	(0.9)	(100.0)
2006-07 (संअ) अ	18,938	-1,651	58,667	6,020	10,090	4,733	1,775	31	319	17,900	-2,346	1,14,476
	(16.5)	-(1.4)	(51.2)	(5.3)	(8.8)	(4.1)	(1.6)	(0.0)	(0.3)	(15.64)	-(2.0)	(100.0)
2007-08 (संअ) अ	26,100	5,318	53,679	6,793	11,442	4,235	1,508	-1,437	-44	2,103	209	1,09,904
	(23.7)	(4.8)	(48.8)	(6.2)	(10.4)	(3.9)	(1.4)	-(1.3)	(0.0)	(1.9)	(0.2)	(100.0)

ख. राज्य सरकार की बकाया देयताएं

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बाजार ऋण	केंद्र से ऋण तथा अग्रिम	एनएसएसएफ	बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा तथा अग्रिम	अन्य @	कुल बकाया देयताएं (2 से 9)	सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कुल बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1990-91	15,652	73,521	–	2,513	16,861	4,734	12,769	2,105	1,28,155	22.5
1995-96	37,088	130,618	–	4,838	38,216	10,577	26,654	2,809	2,50,889	21.1
2000-01	86,767	2,43,910	59,022	29,213	93,629	22,868	59,328	7,336	6,02,073	28.6
2001-02	1,04,027	2,54,884	94,670	40,894	1,03,815	27,389	64,325	10,520	7,00,524	30.7
2002-03	1,33,066	2,53,952	1,46,914	51,198	1,13,678	32,188	65,036	2,889	7,98,921	32.5
2003-04	1,79,466	2,68,069	1,67,726	60,990	1,23,003	38,565	64,662	21,020	9,23,500	33.4
2004-05	2,13,443	2,56,265	2,35,650	62,171	1,31,886	45,692	72,736	24,462	10,42,304	33.3
2005-06 अ	2,28,748	2,61,201	3,10,158	68,127	1,42,349	50,920	79,998	22,333	11,63,834	32.6
2006-07 (संअ) अ	2,47,686	2,59,551	3,68,825	73,817	1,53,236	55,654	81,773	19,649	12,60,190	30.5
2007-08 (बअ) अ	2,73,786	2,64,868	4,22,503	81,334	1,65,632	59,889	83,280	18,250	13,69,543	29.6

संअ : संशोधित अनुमान बअ: बजट अनुमान अ: अनंतिम .. : लागू नहीं

: विविध पूंजीगत प्राप्तियां, आकस्मिकता निधि, अंतर राज्य निपटान आदि शामिल हैं।

@: भा.रि.बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, आकस्मिकता निधि, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बांड शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े सकल राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

2. आरक्षित निधियों, जमा तथा अग्रिमों तथा आकस्मिकता निधि को शामिल करने के लिए विन्यास को विस्तृत कर राज्य सरकार की बकाया देयताओं के आंकड़े संशोधित कर दिए गए हैं।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज और केंद्रीय तथा राज्य सरकार के संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखा ।

परिशिष्ट सारणी 33: संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण - केंद्र और राज्य सरकार*

(करोड़ रुपए)

मद	2002-03 (लेखा)	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
I. कुल संवितरण (क + ख + ग)	**7,04,904**	**7,96,384**	**8,69,757**	**9,70,780**	**11,62,151**	**13,27,296**
जिसमें से						
क. विकासात्मक (i +ii +iii)	**3,59,329**	**4,17,834**	**4,45,354**	**5,17,170**	**6,28,775**	**7,58,406**
i) राजस्व	2,88,431	3,18,444	3,42,517	3,96,274	4,81,618	5,46,932
ii) पूंजी	50,633	69,070	78,936	98,245	1,25,884	1,88,629
iii) ऋण	20,265	30,320	23,901	22,651	21,273	22,844
ख. विकासेतर (i+ii+iii)	**3,39,523**	**3,71,651**	**4,16,340**	**4,43,248**	**5,19,492**	**5,52,300**
i) राजस्व	3,22,357	3,52,676	3,79,825	4,06,252	4,71,484	5,02,215
जिसमें से :						
ब्याज भुगतान	1,59,060	1,77,573	1,92,312	2,05,623	2,31,945	2,52,828
i) पूंजी	15,038	17,603	34,368	35,843	46,208	48,730
iii) ऋण	2,128	1,371	2,147	1,153	1,800	1,355
ग. अन्य ++	**6,052**	**6,899**	**8,063**	**10,361**	**13,884**	**16,590**
II. कुल प्राप्तियां	**7,07,634**	**7,99,162**	**8,88,345**	**10,31,525**	**11,33,325**	**13,25,193**
जिनमें से :						
क. राजस्व प्राप्तियां	**4,53,850**	**5,18,611**	**6,15,644**	**7,17,897**	**8,82,247**	**10,11,549**
i) कर प्राप्तियां (अ +आ + इ)	3,58,224	4,13,981	4,92,481	5,85,535	7,28,864	8,46,219
अ) पण्य और सेवाओं पर कर	2,56,440	2,87,729	3,35,448	3,88,980	4,65,518	5,37,478
आ) आय और संपत्ति पर कर	1,01,211	1,25,595	1,56,214	1,95,430	2,62,005	3,07,299
इ) संघ राज्य क्षेत्र पर कर (विधान सभा के बिना)	573	658	819	1,125	1,341	1,442
ii) करेतर प्राप्तियां	95,626	1,04,630	1,23,163	1,32,362	1,53,383	1,65,330
जिनमें से :						
ब्याज प्राप्तियां	17,781	18,856	19,223	19,989	18,565	20,385
ख. ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां (i+ii)	**16,067**	**43,271**	**19,392**	**13,560**	**15,399**	**57,880**
i) ऋण व अग्रिमों की वसूली	12,916	26,318	14,968	11,970	11,574	5,964
ii) विनिवेश आगम	3,151	16,952	4,424	1590 **	3,825 **	51,916 **
III. सकल राजकोषीय घाटा [I - (IIक + IIख)]	**2,34,987**	**2,34,501**	**2,34,721**	**2,39,323**	**2,64,506**	**2,57,867**
वित्तपोषण संस्थाएं :						
अ. संस्थावार (i+ii)	**2,34,987**	**2,34,501**	**2,34,721**	**2,39,323**	**2,64,506**	**2,57,867**
i) घरेलू वित्तपोषण (अ+आ)	2,46,921	2,47,989	2,19,968	2,31,851	2,56,614	2,48,756
क) सरकार को बैंक का निवल ऋण # #	86,958	66,381	13,863	17,888	71,582	..
जिनमें से :						
सरकार को भारिबैंक निवल ऋण	-31,499	-75,772	-62,882	35,799	-2,384	..
ख) सरकार को बैंकेतर ऋण	1,59,963	1,79,959	2,06,105	2,13,963	1,85,032	..
ii) बाह्य वित्तपोषण	-11,934	-13,488	14,753	7,472	7,892	9,111
आ. लिखतवार(i+ii)	**2,34,987**	**2,34,501**	**2,34,721**	**2,39,323**	**2,64,506**	**2,57,867**
i) घरेलू वित्तपोषण (ए से जी)	2,46,921	2,47,989	2,19,968	2,31,851	2,56,614	2,48,756
ए) बाजार से उधार (निवल) @	1,32,610	1,36,156	85,498	1,21,546	1,29,438	1,36,927
बी) अल्प बचत (निवल) &	52,261	67,642	87,690	89,836	61,600	57,500
सी) राज्य सरकारी भविष्य निधि (निवल)	11,816	12,014	13,139	15,162	15,090	16,442
डी) आरक्षित निधि	7,197	8,883	10,827	10,122	8,998	4,973
इ) जमा तथा अग्रिम	5,208	9,705	4,529	18,888	13,422	-903
एफ)नकदी शेष ^	-2,728	-2,778	-18,588	-60,745	28,826	2,103
जी) अन्य &&	40,557	16,367	36,873	37,043	-760	31,715
ii) बाह्य वित्तपोषण	-11,934	-13,488	14,753	7,472	7,892	9,111
IV. I सघउ के प्रतिशत के रूप में	**28.7**	**28.8**	**27.8**	**27.2**	**28.2**	**28.6**
V. II सघउ के प्रतिशत के रूप में	**28.8**	**28.9**	**28.4**	**28.9**	**27.5**	**28.6**
VI. IIए सघउ के प्रतिशत के रूप में	**18.5**	**18.8**	**19.7**	**20.1**	**21.4**	**21.8**
VII. IIए (i) सघउ के प्रतिशत के रूप में	**14.6**	**15.0**	**15.8**	**16.4**	**17.7**	**18.3**
VIII. III सघउ के प्रतिशत के रूप में	**9.6**	**8.5**	**7.5**	**6.7**	**6.4**	**5.6**

++ : यह राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थानों को अनुदान एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित राजस्व व्यय को दर्शाता है।

** : इसमें भूमि तथा संपत्ति की बिक्री और ऋण राहत शामिल है। # # : भा.रि.बैंक के रिकार्ड के अनुसार .. : अनुपलब्ध

@ : दिनांकित प्रतिभूतियों एवं 364 दिन खजाना बिलों के जरिए उधार ।

& : यह केंद्र और राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि के निवल निवेश को दर्शाता है।

^ : राज्य सरकार के अर्थोपाय अग्रिम शामिल है। (-) : अधिशेष / निवल बहिर्वाह दर्शाता है।

&& : इसमें खजाना बिल (364 दिवसीय खजाना बिल को छोड़कर), वित्तीय संस्थाओं से ऋण, बीमा एवं पेन्शन निधि, विप्रेषण, नकदी शेष निवेश खाता आदि शामिल है।

टिप्पणी : ii) कुल संवितरण/प्राप्तियां केंद्र सरकार (एनएसएसएफ को चुकौती सहित) तथा राज्य सरकार की निवल चुकौती है।

ii) कुल प्राप्तियां केंद्र तथा राज्य सरकार के नकदी शेष का निवल घट-बढ़ है।

iii) राज्य सरकारों के 2005-06 से आगे के आंकड़े अनंतिम हैं। यह आंकड़े 29 राज्य सरकारों के बजटों से संबंधित हैं।

iv) वर्ष 2007-08 (ब.अ.) के केंद्र सरकार की बजट राशि में गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां तथा विकास पूंजी परिव्यय संबंधी 40,000 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जो भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेयर धारिता केंद्र सरकार को अंतरित करने के कारण है।

स्रोत : केंद्रीय और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 34: बाजार उधार - केंद्र और राज्य सरकार

(करोड़ रुपए)

सरकार/प्राधिकरण	सकल			चुकौतियां			निवल		
	2005-06	2006-07	2007-08 बअ	2005-06	2006-07	2007-08 बअ	2005-06	2006-07	2007-08 बअ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. केंद्र सरकार (क+ख)	1,60,018	1,79,373	1,87,769	61,781	68,103	76,942	98,237	1,11,270	1,10,827
क) दिनांकित प्रतिभूतियां	1,31,000	1,46,000	1,55,455	35,630	39,084	45,876	95,370	1,06,916	1,09,579
ख) 364 दिवसीय खजाना बिल	29,018	33,373	32,314	26,151	29,019	31,066	2,867	4,354	1,248
2. राज्य सरकारें	21,729	20,825	35,114 *	6,274	6,551	11,555	15,455	14,274	23,559 *
कुल जोड़ (1+2)	**1,81,747**	**2,00,198**	**2,22,883**	**68,055**	**74,654**	**88,497**	**1,13,692**	**1,25,544**	**1,34,386**

बअ : बजट अनुमान ।

***** तीन राज्यों को छोड़कर जिनकी वार्षिक योजनाओं को अभी तक अंतिम स्वरुप देना शेष है। इससें दो राज्यों के संबंध में 2007-08 में किया गया 535 करोड़ रुपए का अतिरिक्त विनिदान भी शामिल है।

स्रोत : रिज़र्व बैंक अभिलेख और केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां

(राशि करोड़ रुपए)

एलएएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+)/ अवशोषण (-) [(11) - (6)]	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2006-07													
03-अप्रैल-06	1	2	1030	2	1030	6.50	1	50	1	50	5.50	980	
$	1	1	35	1	35	6.50	19	9860	19	9860	5.50	-9825	8845
04-अप्रैल-06	1	–	–	–	–	–	8	4300	8	4300	5.50	-4235	
$	1	2	60	2	60	6.50	26	17740	26	17740	5.50	-17680	21915
05-अप्रैल-06	2	–	–	–	–	–	14	9710	14	9710	5.50	-9710	
$	2	–	–	–	–	–	32	20280	32	20280	5.50	-20280	29990
07-अप्रैल-06	3	–	–	–	–	–	13	6020	13	6020	5.50	-6020	
$	3	–	–	–	–	–	37	26695	37	26695	5.50	-26695	32715
10-अप्रैल-06	2	–	–	–	–	–	25	17530	25	17530	5.50	-17530	
$	2	1	300	1	300	6.50	38	32630	38	32630	5.50	-32330	49860
12-अप्रैल-06	1	–	–	–	–	–	24	18915	24	18915	5.50	-18915	
$	1	–	–	–	–	–	39	30775	39	30775	5.50	-30775	49690
13-अप्रैल-06	4	–	–	–	–	–	31	26075	31	26075	5.50	-26075	
$	4	–	–	–	–	–	50	30975	50	30975	5.50	-30975	57050
17-अप्रैल-06	1	–	–	–	–	–	22	15980	22	15980	5.50	-15980	
$	1	–	–	–	–	–	28	19225	28	19225	5.50	-19225	35205
18-अप्रैल-06	1	–	–	–	–	–	19	9180	19	9180	5.50	-9180	
$	1	–	–	–	–	–	46	46790	46	46790	5.50	-46790	55970
19-अप्रैल-06	1	–	–	–	–	–	29	22660	29	22660	5.50	-22660	
$	1	–	–	–	–	–	41	38030	41	38030	5.50	-38030	60690
20-अप्रैल-06	1	–	–	–	–	–	36	28520	36	28520	5.50	-28520	
$	1	–	–	–	–	–	31	29185	31	29185	5.50	-29185	57705
21-अप्रैल-06	3	–	–	–	–	–	34	27670	34	27670	5.50	-27670	
$	3	–	–	–	–	–	31	34405	31	34405	5.50	-34405	62075
24-अप्रैल-06	1	–	–	–	–	–	36	33700	36	33700	5.50	-33700	
$	1	–	–	–	–	–	35	33300	35	33300	5.50	-33300	67000
25-अप्रैल-06	1	–	–	–	–	–	39	39815	39	39815	5.50	-39815	
$	1	–	–	–	–	–	28	27655	28	27655	5.50	-27655	67470
26-अप्रैल-06	1	–	–	–	–	–	34	33650	34	33650	5.50	-33650	
$	1	–	–	–	–	–	38	29875	38	29875	5.50	-29875	63525
27-अप्रैल-06	1	–	–	–	–	–	33	38755	33	38755	5.50	-38755	
$	1	–	–	–	–	–	29	25625	29	25625	5.50	-25625	64380
28-अप्रैल-06	4	–	–	–	–	–	26	20795	26	20795	5.50	-20795	
$	4	–	–	–	–	–	37	27010	37	27010	5.50	-27010	47805
02-मई-06	1	–	–	–	–	–	22	16735	22	16735	5.50	-16735	
$	1	–	–	–	–	–	31	40825	31	40825	5.50	-40825	57560
03-मई-06	1	–	–	–	–	–	32	27865	32	27865	5.50	-27865	
$	1	–	–	–	–	–	39	42855	39	42855	5.50	-42855	70720
04-मई-06	1	–	–	–	–	–	33	41060	33	41060	5.50	-41060	
$	1	–	–	–	–	–	31	30940	31	30940	5.50	-30940	72000
05-मई-06	3	–	–	–	–	–	24	17145	24	17145	5.50	-17145	
$	3	–	–	–	–	–	38	32400	38	32400	5.50	-32400	49545
08-मई-06	1	–	–	–	–	–	30	24665	30	24665	5.50	-24665	
$	1	–	–	–	–	–	45	42195	45	42195	5.50	-42195	66860
09-मई-06	1	–	–	–	–	–	32	27270	32	27270	5.50	-27270	
$	1	–	–	–	–	–	45	42105	45	42105	5.50	-42105	69375
10-मई-06	1	–	–	–	–	–	31	24115	31	24115	5.50	-24115	
$	1	–	–	–	–	–	44	39960	44	39960	5.50	-39960	64075
11-मई-06	1	–	–	–	–	–	34	35190	34	35190	5.50	-35190	
$	1	–	–	–	–	–	35	26465	35	26465	5.50	-26465	61655
12-मई-06	3	–	–	–	–	–	30	21990	30	21990	5.50	-21990	
$	3	–	–	–	–	–	46	27855	46	27855	5.50	-27855	49845
15-मई-06	1	–	–	–	–	–	30	31980	30	31980	5.50	-31980	
$	1	–	–	–	–	–	30	19265	30	19265	5.50	-19265	51245
16-मई-06	1	–	–	–	–	–	31	29375	31	29375	5.50	-29375	
$	1	–	–	–	–	–	35	23780	35	23780	5.50	-23780	53155
17-मई-06	1	–	–	–	–	–	34	33490	34	33490	5.50	-33490	
$	1	–	–	–	–	–	36	29395	36	29395	5.50	-29395	62885
18-मई-06	1	–	–	–	–	–	33	33790	33	33790	5.50	-33790	
$	1	–	–	–	–	–	40	30525	40	30525	5.50	-30525	64315
19-मई-06	3	–	–	–	–	–	34	36465	34	36465	5.50	-36465	
$	3	–	–	–	–	–	41	25350	41	25350	5.50	-25350	61815
22-मई-06	1	–	–	–	–	–	31	34650	31	34650	5.50	-34650	
$	1	–	–	–	–	–	40	30720	40	30720	5.50	-30720	65370

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां *(जारी)*

(राशि करोड़ रुपए)

एलएएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+)/ अवशोषण (-) [(11) - (6)]	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23-मई-06	1	–	–	–	–	–	32	37850	32	37850	5.50	-37850	
$	1	–	–	–	–	–	41	29540	41	29540	5.50	-29540	67390
24-मई-06	1	–	–	–	–	–	29	35675	29	35675	5.50	-35675	
$	1	–	–	–	–	–	40	29325	40	29325	5.50	-29325	65000
25-मई-06	1	–	–	–	–	–	28	30435	28	30435	5.50	-30435	
$	1	–	–	–	–	–	43	31400	43	31400	5.50	-31400	61835
26-मई-06	3	–	–	–	–	–	30	32755	30	32755	5.50	-32755	
$	3	–	–	–	–	–	53	24490	53	24490	5.50	-24490	57245
29-मई-06	1	–	–	–	–	–	25	33455	25	33455	5.50	-33455	
$	1	–	–	–	–	–	32	26475	32	26475	5.50	-26475	59930
30-मई-06	1	–	–	–	–	–	34	37345	34	37345	5.50	-37345	
$	1	–	–	–	–	–	37	28750	37	28750	5.50	-28750	66095
31-मई-06	1	–	–	–	–	–	32	36780	32	36780	5.50	-36780	
$	1	–	–	–	–	–	32	25250	32	25250	5.50	-25250	62030
01-जून-06	1	–	–	–	–	–	38	37995	38	37995	5.50	-37995	
$	1	–	–	–	–	–	39	29115	39	29115	5.50	-29115	67110
02-जून-06	3	–	–	–	–	–	32	38385	32	38385	5.50	-38385	
$	3	–	–	–	–	–	41	27785	41	27785	5.50	-27785	66170
05-जून-06	1	–	–	–	–	–	30	35550	30	35550	5.50	-35550	
$	1	–	–	–	–	–	41	35095	41	35095	5.50	-35095	70645
06-जून-06	1	–	–	–	–	–	33	40875	33	40875	5.50	-40875	
$	1	–	–	–	–	–	46	31425	46	31425	5.50	-31425	72300
07-जून-06	1	–	–	–	–	–	31	31670	31	31670	5.50	-31670	
$	1	–	–	–	–	–	41	34875	41	34875	5.50	-34875	66545
08-जून-06	1	–	–	–	–	–	31	27140	31	27140	5.50	-27140	
$	1	–	–	–	–	–	46	30875	46	30875	5.50	-30875	58015
09-जून-06	3	–	–	–	–	–	26	26675	26	26675	5.75	-26675	
$	3	–	–	–	–	–	56	20845	56	20845	5.75	-20845	47520
12-जून-06	1	–	–	–	–	–	24	30355	24	30355	5.75	-30355	
$	1	–	–	–	–	–	33	18880	33	18880	5.75	-18880	49235
13-जून-06	1	–	–	–	–	–	29	32655	29	32655	5.75	-32655	
$	1	–	–	–	–	–	31	15615	31	15615	5.75	-15615	48270
14-जून-06	1	–	–	–	–	–	26	31040	26	31040	5.75	-31040	
$	1	–	–	–	–	–	34	19635	34	19635	5.75	-19635	50675
15-जून-06	1	–	–	–	–	–	26	25810	26	25810	5.75	-25810	
$	1	–	–	–	–	–	34	21675	34	21675	5.75	-21675	47485
16-जून-06	3	–	–	–	–	–	24	23070	24	23070	5.75	-23070	
$	3	–	–	–	–	–	34	17495	34	17495	5.75	-17495	40565
19-जून-06	1	–	–	–	–	–	26	21570	26	21570	5.75	-21570	
$	1	–	–	–	–	–	33	17250	33	17250	5.75	-17250	38820
20-जून-06	1	–	–	–	–	–	29	22465	29	22465	5.75	-22465	
$	1	–	–	–	–	–	36	19730	36	19730	5.75	-19730	42195
21-जून-06	1	–	–	–	–	–	27	21795	27	21795	5.75	-21795	
$	1	–	–	–	–	–	36	20855	36	20855	5.75	-20855	42650
22-जून-06	1	–	–	–	–	–	27	21745	27	21745	5.75	-21745	
$	1	–	–	–	–	–	41	20510	41	20510	5.75	-20510	42255
23-जून-06	3	–	–	–	–	–	23	10355	23	10355	5.75	-10355	
$	3	–	–	–	–	–	48	19955	48	19955	5.75	-19955	30310
26-जून-06	1	–	–	–	–	–	23	20705	23	20705	5.75	-20705	
$	1	–	–	–	–	–	33	19115	33	19115	5.75	-19115	39820
27-जून-06	1	–	–	–	–	–	23	17580	23	17580	5.75	-17580	
$	1	–	–	–	–	–	34	21780	34	21780	5.75	-21780	39360
28-जून-06	1	–	–	–	–	–	21	15015	21	15015	5.75	-15015	
$	1	–	–	–	–	–	34	27375	34	27375	5.75	-27375	42390
29-जून-06	1	–	–	–	–	–	23	22180	23	22180	5.75	-22180	
$	1	–	–	–	–	–	35	22115	35	22115	5.75	-22115	44295
30-जून-06	3	–	–	–	–	–	18	17805	18	17805	5.75	-17805	
$	3	–	–	–	–	–	41	24760	41	24760	5.75	-24760	42565
03-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	25	27085	25	27085	5.75	-27085	
$	1	–	–	–	–	–	44	27530	44	27530	5.75	-27530	54615
04-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	30	36265	30	36265	5.75	-36265	
$	1	–	–	–	–	–	36	24105	36	24105	5.75	-24105	60370
05-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	35	41765	35	41765	5.75	-41765	
$	1	–	–	–	–	–	40	22945	40	22945	5.75	-22945	64710
06-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	39	41800	39	41800	5.75	-41800	
$	1	–	–	–	–	–	43	29135	43	29135	5.75	-29135	70935

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां *(जारी)*

(राशि करोड़ रुपए)

एलएएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+)/ अवशोषण (-) [(11) - (6)]	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07-जुलाई-06	3	–	–	–	–	–	32	33910	32	33910	5.75	-33910	
$	3	–	–	–	–	–	45	24365	45	24365	5.75	-24365	58275
10-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	29	30630	29	30630	5.75	-30630	
$	1	–	–	–	–	–	36	22255	36	22255	5.75	-22255	52885
11-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	34	35465	34	35465	5.75	-35465	
$	1	–	–	–	–	–	30	18840	30	18840	5.75	-18840	54305
12-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	21	15495	21	15495	5.75	-15495	
$	1	–	–	–	–	–	35	27615	35	27615	5.75	-27615	43110
13-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	30	31685	30	31685	5.75	-31685	
$	1	–	–	–	–	–	25	13725	25	13725	5.75	-13725	45410
14-जुलाई-06	3	–	–	–	–	–	28	25500	28	25500	5.75	-25500	
$	3	–	–	–	–	–	23	14185	23	14185	5.75	-14185	39685
17-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	14	13920	14	13920	5.75	-13920	
$	1	–	–	–	–	–	37	28240	37	28240	5.75	-28240	42160
18-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	25	29810	25	29810	5.75	-29810	
$	1	–	–	–	–	–	27	15265	27	15265	5.75	-15265	45075
19-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	24	28875	24	28875	5.75	-28875	
$	1	–	–	–	–	–	30	14565	30	14565	5.75	-14565	43440
20-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	29	25465	29	25465	5.75	-25465	
$	1	–	–	–	–	–	38	21750	38	21750	5.75	-21750	47215
21-जुलाई-06	3	–	–	–	–	–	24	22055	24	22055	5.75	-22055	
$	3	–	–	–	–	–	46	24015	46	24015	5.75	-24015	46070
24-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	24	23860	24	23860	5.75	-23860	
$	1	–	–	–	–	–	26	13165	26	13165	5.75	-13165	37025
25-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	12	6845	12	6845	5.75	-6845	
$	1	–	–	–	–	–	41	36480	41	36480	6.00	-36480	43325
26-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	26	27745	26	27745	6.00	-27745	
$	1	–	–	–	–	–	37	17330	37	17330	6.00	-17330	45075
27-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	23	27275	23	27275	6.00	-27275	
$	1	–	–	–	–	–	36	17560	36	17560	6.00	-17560	44835
28-जुलाई-06	3	–	–	–	–	–	25	24595	25	24595	6.00	-24595	
$	3	–	–	–	–	–	33	19560	33	19560	6.00	-19560	44155
31-जुलाई-06	1	–	–	–	–	–	20	23285	20	23285	6.00	-23285	
$	1	–	–	–	–	–	39	21385	39	21385	6.00	-21385	44670
01-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	23	24780	23	24780	6.00	-24780	
$	1	–	–	–	–	–	41	24410	41	24410	6.00	-24410	49190
02-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	25	27070	25	27070	6.00	-27070	
$	1	–	–	–	–	–	43	22620	43	22620	6.00	-22620	49690
03-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	25	27115	25	27115	6.00	-27115	
$	1	–	–	–	–	–	40	21690	40	21690	6.00	-21690	48805
04-अगस्त-06	3	–	–	–	–	–	24	24800	24	24800	6.00	-24800	
$	3	–	–	–	–	–	51	23555	51	23555	6.00	-23555	48355
07-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	23	28735	23	28735	6.00	-28735	
$	1	–	–	–	–	–	29	18095	29	18095	6.00	-18095	46830
08-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	26	30280	26	30280	6.00	-30280	
$	1	–	–	–	–	–	28	14670	28	14670	6.00	-14670	44950
09-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	25	29840	25	29840	6.00	-29840	
$	1	–	–	–	–	–	28	11240	28	11240	6.00	-11240	41080
10-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	22	27965	22	27965	6.00	-27965	
$	1	–	–	–	–	–	27	11140	27	11140	6.00	-11140	39105
11-अगस्त-06	3	–	–	–	–	–	18	21740	18	21740	6.00	-21740	
$	3	–	–	–	–	–	19	9250	19	9250	6.00	-9250	30990
14-अगस्त-06	2	–	–	–	–	–	20	20020	20	20020	6.00	-20020	
$	2	–	–	–	–	–	18	6050	18	6050	6.00	-6050	26070
16-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	16	15105	16	15105	6.00	-15105	
$	1	–	–	–	–	–	35	16675	35	16675	6.00	-16675	31780
17-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	17	14120	17	14120	6.00	-14120	
$	1	–	–	–	–	–	31	20225	31	20225	6.00	-20225	34345
18-अगस्त-06	3	–	–	–	–	–	20	13035	20	13035	6.00	-13035	
$	3	–	–	–	–	–	38	16955	38	16955	6.00	-16955	29990
21-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	15	14580	15	14580	6.00	-14580	
$	1	–	–	–	–	–	20	9940	20	9940	6.00	-9940	24520
22-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	16	19220	16	19220	6.00	-19220	
$	1	–	–	–	–	–	23	9475	23	9475	6.00	-9475	28695
23-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	18	20030	18	20030	6.00	-20030	
$	1	–	–	–	–	–	24	11085	24	11085	6.00	-11085	31115

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां *(जारी)*

(राशि करोड़ रुपए)

एलएएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+)/ अवशोषण (-) [(11) - (6)]	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	18	19480	18	19480	6.00	-19480	
$	1	–	–	–	–	–	21	11015	21	11015	6.00	-11015	30495
25-अगस्त-06	3	–	–	–	–	–	19	18665	19	18665	6.00	-18665	
$	3	–	–	–	–	–	16	5320	16	5320	6.00	-5320	23985
28-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	21	23555	21	23555	6.00	-23555	
$	1	–	–	–	–	–	28	15650	28	15650	6.00	-15650	39205
29-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	21	24580	21	24580	6.00	-24580	
$	1	–	–	–	–	–	37	16170	37	16170	6.00	-16170	40750
30-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	21	25785	21	25785	6.00	-25785	
$	1	–	–	–	–	–	41	20890	41	20890	6.00	-20890	46675
31-अगस्त-06	1	–	–	–	–	–	23	24985	23	24985	6.00	-24985	
$	1	–	–	–	–	–	35	21785	35	21785	6.00	-21785	46770
01-सितंबर-06	3	–	–	–	–	–	20	20570	20	20570	6.00	-20570	
$	3	–	–	–	–	–	40	20595	40	20595	6.00	-20595	41165
04-सितंबर-06	1	–	–	–	–	–	17	21475	17	21475	6.00	-21475	
$	1	–	–	–	–	–	29	19200	29	19200	6.00	-19200	40675
05-सितंबर-06	1	–	–	–	–	–	17	22740	17	22740	6.00	-22740	
$	1	–	–	–	–	–	31	18560	31	18560	6.00	-18560	41300
06-सितंबर-06	1	–	–	–	–	–	20	25290	20	25290	6.00	-25290	
$	1	–	–	–	–	–	27	16155	27	16155	6.00	-16155	41445
07-सितंबर-06	1	–	–	–	–	–	17	23800	17	23800	6.00	-23800	
$	1	–	–	–	–	–	27	19700	27	19700	6.00	-19700	43500
08-सितंबर-06	3	–	–	–	–	–	18	20200	18	20200	6.00	-20200	
$	3	–	–	–	–	–	33	23605	33	23605	6.00	-23605	43805
11-सितंबर-06	1	–	–	–	–	–	19	22695	19	22695	6.00	-22695	
$	1	–	–	–	–	–	21	11420	21	11420	6.00	-11420	34115
12-सितंबर-06	1	–	–	–	–	–	18	20070	18	20070	6.00	-20070	
$	1	–	–	–	–	–	25	14685	25	14685	6.00	-14685	34755
13-सितंबर-06	1	–	–	–	–	–	16	18090	16	18090	6.00	-18090	
$	1	–	–	–	–	–	31	18080	31	18080	6.00	-18080	36170
14-सितंबर-06	1	–	–	–	–	–	19	21570	19	21570	6.00	-21570	
$	1	–	–	–	–	–	34	15710	34	15710	6.00	-15710	37280
15-सितंबर-06	3	–	–	–	–	–	11	10230	11	10230	6.00	-10230	
$	3	1	275	1	275	7.00	34	12665	34	12665	6.00	-12390	22620
18-सितंबर-06	1	–	–	–	–	–	6	1140	6	1140	6.00	-1140	
$	1	–	–	–	–	–	7	2485	7	2485	6.00	-2485	3625
19-सितंबर-06	1	–	–	–	–	–	7	1225	7	1225	6.00	-1225	
$	1	–	–	–	–	–	9	2900	9	2900	6.00	-2900	4125
20-सितंबर-06	1	–	–	–	–	–	5	595	5	595	6.00	-595	
$	1	–	–	–	–	–	13	8030	13	8030	6.00	-8030	8625
21-सितंबर-06	1	–	–	–	–	–	6	5485	6	5485	6.00	-5485	
$	1	–	–	–	–	–	8	7930	8	7930	6.00	-7930	13415
22-सितंबर-06	3	–	–	–	–	–	5	5735	5	5735	6.00	-5735	
$	3	–	–	–	–	–	9	8820	9	8820	6.00	-8820	14555
25-सितंबर-06	1	–	–	–	–	–	5	5545	5	5545	6.00	-5545	
$	1	–	–	–	–	–	15	8140	15	8140	6.00	-8140	13685
26-सितंबर-06	1	–	–	–	–	–	4	5640	4	5640	6.00	-5640	
$	1	–	–	–	–	–	16	9880	16	9880	6.00	-9880	15520
27-सितंबर-06	1	–	–	–	–	–	4	5625	4	5625	6.00	-5625	
$	1	–	–	–	–	–	16	14330	16	14330	6.00	-14330	19955
28-सितंबर-06	1	–	–	–	–	–	4	5210	4	5210	6.00	-5210	
$	1	–	–	–	–	–	24	12195	24	12195	6.00	-12195	17405
29-सितंबर-06	4	4	1220	4	1220	7.00	3	1175	3	1175	6.00	45	
$	4	10	3790	10	3790	7.00	17	5750	17	5750	6.00	-1960	1915
03-अक्तूबर-06	1	–	–	–	–	–	4	2755	4	2755	6.00	-2755	
$	1	–	–	–	–	–	10	14270	10	14270	6.00	-14270	17025
04-अक्तूबर-06	1	–	–	–	–	–	6	8295	6	8295	6.00	-8295	
$	1	–	–	–	–	–	14	16145	14	16145	6.00	-16145	24440
05-अक्तूबर-06	1	–	–	–	–	–	7	15330	7	15330	6.00	-15330	
$	1	–	–	–	–	–	11	14020	11	14020	6.00	-14020	29350
06-अक्तूबर-06	3	–	–	–	–	–	7	16995	7	16995	6.00	-16995	
$	3	–	–	–	–	–	13	12075	13	12075	6.00	-12075	29070
09-अक्तूबर-06	1	–	–	–	–	–	7	17100	7	17100	6.00	-17100	
$	1	–	–	–	–	–	14	12065	14	12065	6.00	-12065	29165
10-अक्तूबर-06	1	–	–	–	–	–	8	16980	8	16980	6.00	-16980	
$	1	–	–	–	–	–	9	5900	9	5900	6.00	-5900	22880

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां *(जारी)*

(राशि करोड़ रुपए)

एलएएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+)/ अवशोषण (-) [(11) - (6)]	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11-अक्तूबर-06	1	–	–	–	–	–	6	14300	6	14300	6.00	-14300	
$	1	–	–	–	–	–	13	11310	13	11310	6.00	-11310	25610
12-अक्तूबर-06	1	–	–	–	–	–	8	16210	8	16210	6.00	-16210	
$	1	–	–	–	–	–	19	8940	19	8940	6.00	-8940	25150
13-अक्तूबर-06	3	–	–	–	–	–	7	6190	7	6190	6.00	-6190	
$	3	1	35	1	35	7.00	24	12085	24	12085	6.00	-12050	18240
16-अक्तूबर-06	1	–	–	–	–	–	2	585	2	585	6.00	-585	
$	1	–	–	–	–	–	7	2290	7	2290	6.00	-2290	2875
17-अक्तूबर-06	1	–	–	–	–	–	3	575	3	575	6.00	-575	
$	1	–	–	–	–	–	9	3350	9	3350	6.00	-3350	3925
18-अक्तूबर-06	1	–	–	–	–	–	3	420	3	420	6.00	-420	
$	1	–	–	–	–	–	6	745	6	745	6.00	-745	1165
19-अक्तूबर-06	1	–	–	–	–	–	3	360	3	360	6.00	-360	
$	1	1	1000	1	1000	7.00	4	1175	4	1175	6.00	-175	535
20-अक्तूबर-06	3	2	900	2	900	7.00	1	25	1	25	6.00	875	
$	3	4	685	4	685	7.00	4	80	4	80	6.00	605	-1480
23-अक्तूबर-06	3	5	1445	5	1445	7.00	2	85	2	85	6.00	1360	
$	3	1	20	1	20	7.00	4	640	4	640	6.00	-620	-740
26-अक्तूबर-06	1	1	10	1	10	7.00	–	–	–	–	–	10	
$	1	–	–	–	–	–	18	16335	18	16335	6.00	-16335	16325
27-अक्तूबर-06	3	–	–	–	–	–	6	4160	6	4160	6.00	-4160	
$	3	1	330	1	330	7.00	19	8440	19	8440	6.00	-8110	12270
30-अक्तूबर-06	1	–	–	–	–	–	3	300	3	300	6.00	-300	
$	1	–	–	–	–	–	7	1705	7	1705	6.00	-1705	2005
31-अक्तूबर-06	1	–	–	–	–	–	1	50	1	50	6.00	-50	
$	1	–	–	–	–	7.25	7	3720	7	3720	6.00	-3720	3770
01-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	2	260	2	260	6.00	-260	
$	1	–	–	–	–	–	9	4315	9	4315	6.00	-4315	4575
02-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	2	260	2	260	6.00	-260	
$	1	–	–	–	–	–	7	5830	7	5830	6.00	-5830	6090
03-नवंबर-06	3	–	–	–	–	–	3	365	3	365	6.00	-365	
$	3	–	–	–	–	–	10	7950	10	7950	6.00	-7950	8315
06-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	3	5105	3	5105	6.00	-5105	
$	1	–	–	–	–	–	8	1995	8	1995	6.00	-1995	7100
07-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	2	225	2	225	6.00	-225	
$	1	–	–	–	–	–	9	7705	9	7705	6.00	-7705	7930
08-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	5	1900	5	1900	6.00	-1900	
$	1	–	–	–	–	–	8	8895	8	8895	6.00	-8895	10795
09-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	4	365	4	365	6.00	-365	
$	1	–	–	–	–	–	9	6580	9	6580	6.00	-6580	6945
10-नवंबर-06	3	–	–	–	–	–	3	640	3	640	6.00	-640	
$	3	–	–	–	–	–	23	8320	23	8320	6.00	-8320	8960
13-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	2	270	2	270	6.00	-270	
$	1	–	–	–	–	–	5	2545	5	2545	6.00	-2545	2815
14-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	1	170	1	170	6.00	-170	
$	1	–	–	–	–	–	4	4110	4	4110	6.00	-4110	4280
15-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	1	120	1	120	6.00	-120	
$	1	–	–	–	–	–	3	4990	3	4990	6.00	-4990	5110
16-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
$	1	–	–	–	–	–	5	4565	5	4565	6.00	-4565	4565
17-नवंबर-06	3	–	–	–	–	–	1	100	1	100	6.00	-100	
$	3	–	–	–	–	–	4	5035	4	5035	6.00	-5035	5135
20-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
$	1	–	–	–	–	–	9	9745	9	9745	6.00	-9745	9745
21-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	1	25	1	25	6.00	-25	
$	1	–	–	–	–	–	15	12050	15	12050	6.00	-12050	12075
22-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	3	160	3	160	6.00	-160	
$	1	–	–	–	–	–	17	23400	17	23400	6.00	-23400	23560
23-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	7	6555	7	6555	6.00	-6555	
$	1	–	–	–	–	–	24	16875	24	16875	6.00	-16875	23430
24-नवंबर-06	3	–	–	–	–	–	5	3490	5	3490	6.00	-3490	
$	3	–	–	–	–	–	29	12505	29	12505	6.00	-12505	15995
27-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	6	2060	6	2060	6.00	-2060	
$	1	–	–	–	–	–	15	12405	15	12405	6.00	-12405	14465
28-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	8	4365	8	4365	6.00	-4365	
$	1	–	–	–	–	–	6	4970	6	4970	6.00	-4970	9335

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां *(जारी)*

(राशि करोड़ रुपए)

एलएएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+)/ अवशोषण (-) [(11) - (6)]	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	5	2235	5	2235	6.00	-2235	
$	1	–	–	–	–	–	15	9690	15	9690	6.00	-9690	11925
30-नवंबर-06	1	–	–	–	–	–	6	1590	6	1590	6.00	-1590	
$	1	–	–	–	–	–	19	16575	19	16575	6.00	-16575	18165
01-दिसंबर-06	3	–	–	–	–	–	5	1560	5	1560	6.00	-1560	
$	3	–	–	–	–	–	32	22970	32	22970	6.00	-22970	24530
04-दिसंबर-06	1	–	–	–	–	–	7	3430	7	3430	6.00	-3430	
$	1	–	–	–	–	–	26	25495	26	25495	6.00	-25495	28925
05-दिसंबर-06	1	–	–	–	–	–	8	3595	8	3595	6.00	-3595	
$	1	–	–	–	–	–	28	28685	28	28685	6.00	-28685	32280
06-दिसंबर-06	1	–	–	–	–	–	8	2850	8	2850	6.00	-2850	
$	1	–	–	–	–	–	27	31405	27	31405	6.00	-31405	34255
07-दिसंबर-06	1	–	–	–	–	–	11	9885	11	9885	6.00	-9885	
$	1	–	–	–	–	–	16	16660	16	16660	6.00	-16660	26545
08-दिसंबर-06	3	–	–	–	–	–	10	3620	10	3620	6.00	-3620	
$	3	–	–	–	–	–	19	14475	19	14475	6.00	-14475	18095
11-दिसंबर-06	1	–	–	–	–	–	4	760	4	760	6.00	-760	
$	1	–	–	–	–	–	9	7750	9	7750	6.00	-7750	8510
12-दिसंबर-06	1	1	500	1	500	7.25	3	175	3	175	6.00	325	
$	1	8	2010	8	2010	7.25	7	9440	7	9440	6.00	-7430	7105
13-दिसंबर-06	1	18	5590	18	5590	7.25	4	160	4	160	6.00	5430	
$	1	3	795	3	795	7.25	7	4915	7	4915	6.00	-4120	-1310
14-दिसंबर-06	1	16	5740	16	5740	7.25	3	125	3	125	6.00	5615	
$	1	1	100	1	100	7.25	7	4735	7	4735	6.00	-4635	-980
15-दिसंबर-06	3	17	5225	17	5225	7.25	–	–	–	–	–	5225	
$	3	5	645	5	645	7.25	8	2780	8	2780	6.00	-2135	-3090
18-दिसंबर-06	1	11	3870	11	3870	7.25	1	10	1	10	6.00	3860	
$	1	12	3935	12	3935	7.25	5	195	5	195	6.00	3740	-7600
19-दिसंबर-06	1	13	3535	13	3535	7.25	1	10	1	10	6.00	3525	
$	1	16	4875	16	4875	7.25	5	85	5	85	6.00	4790	-8315
20-दिसंबर-06	1	14	5830	14	5830	7.25	1	10	1	10	6.00	5820	
$	1	16	5810	16	5810	7.25	4	85	4	85	6.00	5725	-11545
21-दिसंबर-06	1	20	8870	20	8870	7.25	1	10	1	10	6.00	8860	
$	1	14	2770	14	2770	7.25	6	115	6	115	6.00	2655	-11515
22-दिसंबर-06	4	23	11765	23	11765	7.25	1	65	1	65	6.00	11700	
$	4	33	11315	33	11315	7.25	6	2735	6	2735	6.00	8580	-20280
26-दिसंबर-06	1	39	23245	39	23245	7.25	–	–	–	–	–	23245	
$	1	17	5035	17	5035	7.25	5	285	5	285	6.00	4750	-27995
27-दिसंबर-06	1	44	23455	44	23455	7.25	–	–	–	–	–	23455	
$	1	19	4340	19	4340	7.25	2	25	2	25	6.00	4315	-27770
28-दिसंबर-06	1	43	22450	43	22450	7.25	–	–	–	–	–	22450	
$	1	27	13670	27	13670	7.25	1	10	1	10	6.00	13660	-36110
29-दिसंबर-06	4	47	24665	47	24665	7.25	–	–	–	–	–	24665	
$	4	20	9535	20	9535	7.25	3	2515	3	2515	6.00	7020	-31685
02-जनवरी-07	1	38	17040	38	17040	7.25	–	–	–	–	–	17040	
$	1	3	905	3	905	7.25	21	11365	21	11365	6.00	-10460	-6580
03-जनवरी-07	1	4	1010	4	1010	7.25	–	–	–	–	–	1010	
$	1	1	450	1	450	7.25	24	8100	24	8100	6.00	-7650	6640
4-जनवरी.-07	1	3	600	3	600	7.25	–	–	–	–	–	600	
$	1	1	70	1	70	7.25	26	10915	26	10915	6.00	-10845	10245
05-जनवरी-07	3	15	6460	15	6460	7.25	–	–	–	–	–	6460	
$	3	1	125	1	125	7.25	34	11770	34	11770	6.00	-11645	5185
08-जनवरी-07	1	17	6080	17	6080	7.25	–	–	–	–	–	6080	
$	1	22	10405	22	10405	7.25	6	170	6	170	6.00	10235	-16315
09-जनवरी-07	1	21	8195	21	8195	7.25	–	–	–	–	–	8195	
$	1	23	9940	23	9940	7.25	5	140	5	140	6.00	9800	-17995
10-जनवरी-07	1	15	6930	15	6930	7.25	1	20	1	20	6.00	6910	
$	1	22	11380	22	11380	7.25	7	830	7	830	6.00	10550	-17460
11-जनवरी-07	1	19	7775	19	7775	7.25	–	–	–	–	–	7775	
$	1	18	11240	18	11240	7.25	3	125	3	125	6.00	11115	-18890
12-जनवरी-07	3	21	10400	21	10400	7.25	1	45	1	45	6.00	10355	
$	3	19	10430	19	10430	7.25	3	60	3	60	6.00	10370	-20725
15-जनवरी-07	1	18	7785	18	7785	7.25	1	50	1	50	6.00	7735	
$	1	21	8740	21	8740	7.25	4	95	4	95	6.00	8645	-16380
16-जनवरी-07	1	19	9435	19	9435	7.25	1	20	1	20	6.00	9415	
$	1	15	7185	15	7185	7.25	3	70	3	70	6.00	7115	-16530

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां *(जारी)*

(राशि करोड़ रुपए)

एलएएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+)/ अवशोषण (-) [(11) - (6)]	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17-जनवरी-07	1	16	6815	16	6815	7.25	1	20	1	20	6.00	6795	
$	1	14	5810	14	5810	7.25	5	140	5	140	6.00	5670	-12465
18-जनवरी-07	1	15	5280	15	5280	7.25	1	90	1	90	6.00	5190	
$	1	11	3535	11	3535	7.25	4	105	4	105	6.00	3430	-8620
19-जनवरी-07	3	11	6275	11	6275	7.25	3	190	3	190	6.00	6085	
$	3	15	5800	15	5800	7.25	4	75	4	75	6.00	5725	-11810
22-जनवरी-07	1	14	5465	14	5465	7.25	2	150	2	150	6.00	5315	
$	1	17	8995	17	8995	7.25	3	95	3	95	6.00	8900	-14215
23-जनवरी-07	1	15	4015	15	4015	7.25	1	35	1	35	6.00	3980	
$	1	15	8100	15	8100	7.25	3	175	3	175	6.00	7925	-11905
24-जनवरी-07	1	10	3455	10	3455	7.25	2	160	2	160	6.00	3295	
$	1	17	7040	17	7040	7.25	4	145	4	145	6.00	6895	-10190
25-जनवरी-07	4	16	5345	16	5345	7.25	1	35	1	35	6.00	5310	
$	4	11	6180	11	6180	7.25	3	45	3	45	6.00	6135	-11445
29-जनवरी-07	2	11	2895	11	2895	7.25	1	35	1	35	6.00	2860	
$	2	8	2280	8	2280	7.25	5	730	5	730	6.00	1550	-4410
31-जनवरी-07	1	30	12595	30	12595	7.25	–	–	–	–	–	12595	
$	1	5	1415	5	1415	7.50	5	115	5	115	6.00	1300	-13895
02-फरवरी-07	3	12	6665	12	6665	7.50	1	300	1	300	6.00	6365	
$	3	14	4130	14	4130	7.50	9	3045	9	3045	6.00	1085	-7450
05-फरवरी-07	1	12	8105	12	8105	7.50	2	40	2	40	6.00	8065	
$	1	7	2350	7	2350	7.50	4	60	4	60	6.00	2290	-10355
06-फरवरी-07	1	7	5300	7	5300	7.50	1	15	1	15	6.00	5285	
$	1	4	1760	4	1760	7.50	5	835	5	835	6.00	925	-6210
07-फरवरी-07	1	5	3285	5	3285	7.50	1	15	1	15	6.00	3270	
$	1	1	1500	1	1500	7.50	5	100	5	100	6.00	1400	-4670
08-फरवरी-07	1	–	–	–	–	–	1	15	1	15	6.00	-15	
$	1	–	–	–	–	–	10	2985	10	2985	6.00	-2985	3000
09-फरवरी-07	3	–	–	–	–	–	2	35	2	35	6.00	-35	
$	3	–	–	–	–	–	5	1715	5	1715	6.00	-1715	1750
12-फरवरी-07	1	–	–	–	–	–	1	20	1	20	6.00	-20	
$	1	–	–	–	–	–	6	2135	6	2135	6.00	-2135	2155
13-फरवरी-07	1	–	–	–	–	–	2	40	2	40	6.00	-40	
$	1	–	–	–	–	–	8	4050	8	4050	6.00	-4050	4090
14-फरवरी-07	1	–	–	–	–	–	2	40	2	40	6.00	-40	
$	1	1	15	1	15	7.50	3	85	3	85	6.00	-70	110
15-फरवरी-07	4	19	10155	19	10155	7.50	2	15	2	15	6.00	10140	
$	4	4	1775	4	1775	7.50	28	6755	28	6755	6.00	-4980	-5160
19-फरवरी-07	1	14	4435	14	4435	7.50	2	30	2	30	6.00	4405	
$	1	11	4360	11	4360	7.50	3	55	3	55	6.00	4305	-8710
20-फरवरी-07	1	7	1530	7	1530	7.50	1	25	1	25	6.00	1505	
$	1	15	6700	15	6700	7.50	5	450	5	450	6.00	6250	-7755
21-फरवरी-07	1	8	1470	8	1470	7.50	1	25	1	25	6.00	1445	
$	1	–	–	–	–	–	6	3465	6	3465	6.00	-3465	2020
22-फरवरी-07	1	–	–	–	–	–	1	25	1	25	6.00	-25	
$	1	–	–	–	–	–	17	9020	17	9020	6.00	-9020	9045
23-फरवरी-07	3	–	–	–	–	–	4	385	4	385	6.00	-385	
$	3	–	–	–	–	–	11	6555	11	6555	6.00	-6555	6940
26-फरवरी-07	1	–	–	–	–	–	4	545	4	545	6.00	-545	
$	1	–	–	–	–	–	25	17935	25	17935	6.00	-17935	18480
27-फरवरी-07	1	–	–	–	–	–	8	2270	8	2270	6.00	-2270	
$	1	–	–	–	–	–	29	21200	29	21200	6.00	-21200	23470
28-फरवरी-07	1	–	–	–	–	–	5	2095	5	2095	6.00	-2095	
$	1	–	–	–	–	–	34	22185	34	22185	6.00	-22185	24280
01-मार्च-07	1	–	–	–	–	–	9	2355	9	2355	6.00	–2,355	
$	1	–	–	–	–	–	46	27805	46	27805	6.00	–27,805	30160
02-मार्च-07	3	–	–	–	–	–	6	1055	6	1055	6.00	–1,055	
$	3	–	–	–	–	–	41	21365	41	21365	6.00	–21,365	22420
05-मार्च-07	1	–	–	–	–	–	24	12585	24	1995	6.00	-1995	
$	1	–	–	–	–	–	20	10090	20	1005	6.00	-1,005	3000
06-मार्च-07	1	–	–	–	–	–	25	15400	25	2000	6.00	-2000	
$	1	–	–	–	–	–	17	7425	17	994	6.00	-994	2994
07-मार्च-07	1	–	–	–	–	–	21	16390	21	2000	6.00	-2000	
$	1	–	–	–	–	–	14	9335	14	998	6.00	-998	2998
08-मार्च-07	1	–	–	–	–	–	22	15900	22	1994	6.00	-1994	
$	1	–	–	–	–	–	16	11640	16	1005	6.00	-1005	2999

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां *(जारी)*

(राशि करोड़ रुपए)

एलएएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+)/ अवशोषण (-) [(11) - (6)]	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09-मार्च-07	3	–	–	–	–	–	19	15610	19	1997	6.00	-1997	
$	3	–	–	–	–	–	19	10875	19	1003	6.00	-1003	3000
12-मार्च-07	1	–	–	–	–	–	21	19170	21	1999	6.00	-1999	
$	1	–	–	–	–	–	17	13650	17	1001	6.00	-1001	3000
13-मार्च-07	1	–	–	–	–	–	20	22745	20	1997	6.00	-1997	
$	1	–	–	–	–	–	14	11370	14	1003	6.00	-1003	3000
14-मार्च-07	1	–	–	–	–	–	20	20355	20	2000	6.00	-2000	
$	1	–	–	–	–	–	17	16820	17	1000	6.00	-1000	3000
15-मार्च-07	1	–	–	–	–	–	14	19370	14	2000	6.00	-2000	
$	1	1	20	1	20		10	8145	10	1000	6.00	-980	2980
16-मार्च-07	4	20	11080	20	11080	7.50	1	20	1	20	6.00	11060	
$	4	17	8625	17	8625	7.50	1	150	1	150	6.00	8475	-19535
20-मार्च-07	1	40	29345	40	29345	7.50	–	–	–	–	6.00	29345	
$	1	22	5905	22	5905	7.50	1	300	1	300	6.00	5605	-34950
21-मार्च-07	1	40	34055	40	34055	7.50	–	–	–	–	–	34055	
$	1	21	9020	21	9020	7.50	–	–	–	–	–	9020	-43075
22-मार्च-07	1	34	29035	34	29035	7.50	–	–	–	–	–	29035	
$	1	24	10515	24	10515	7.50	1	10	1	10	6.00	10505	-39540
23-मार्च-07	3	32	24135	32	24135	7.50	–	–	–	–	–	24135	
$	3	31	18060	31	18060	7.50	1	10	1	10	6.00	18050	-42185
26-मार्च-07	2	39	29495	39	29495	7.50	–	–	–	–	6.00	29495	
$	2	18	7265	18	7265	7.50	1	40	1	40	6.00	7225	-36720
28-मार्च-07	1	33	26725	33	26725	7.50	–	–	–	–	6.00	26725	
$	1	3	670	3	670	7.50	11	3215	11	1000	6.00	-330	-26395
29-मार्च-07	1	20	13005	20	13005	7.50	1	30	1	30	6.00	12975	
$	1	12	4860	12	4860	7.50	1	10	1	10	6.00	4850	-17825
30-मार्च-07	3	34	21275	34	21275	7.50	2	810	2	810	6.00	20465	
$	3	25	9375	25	9375	7.50	4	955	4	955	6.00	8420	-28885
$$	2	11	2815	11	2815	7.75	5	2515	5	2515	6.00	300	-300
03-अप्रैल-07	1	32	19,740	32	19,740	7.75	–	–	–	–	–	19,740	
$	1	8	2,875	8	2,875	7.75	2	60	2	60	6.00	2,815	-22,555
04-अप्रैल-07	1	16	10,060	16	10,060	7.75	4	3,060	4	2,000	6.00	8,060	
$	1	3	410	3	410	7.75	5	1,245	5	996	6.00	-586	-7,474
05-अप्रैल-07	4	3	1,165	3	1,165	7.75	1	30	1	30	6.00	1,135	
$	4	1	400	1	400	7.75	4	80	4	80	6.00	320	-1,455
09-अप्रैल-07	1	2	760	2	760	7.75	6	3,370	6	2,000	6.00	-1,240	
$	1	–	–	–	–	–	15	5,745	15	1,000	6.00	-1,000	2,240
10-अप्रैल-07	1	–	–	–	–	–	11	14,295	11	1,999	6.00	-1,999	
$	1	–	–	–	–	–	20	14,825	20	1,001	6.00	-1,001	3,000
11-अप्रैल-07	1	–	–	–	–	–	23	24,875	23	1,992	6.00	-1,992	
$	1	–	–	–	–	–	21	18,545	21	1,008	6.00	-1,008	3,000
12-अप्रैल-07	1	–	–	–	–	–	25	28,690	25	1,999	6.00	-1,999	
$	1	–	–	–	–	–	21	22,925	21	1,000	6.00	-1,000	2,999
13-अप्रैल-07	3	–	–	–	–	–	10	19,855	10	1,999	6.00	-1,999	
$	3	–	–	–	–	–	6	9,445	6	1,001	6.00	-1,001	3,000
16-अप्रैल-07	1	1	400	1	400	7.75	2	210	2	210	6.00	190	
$	1	34	13,415	34	13,415	7.75	1	10	1	10	6.00	13,405	-13,595
17-अप्रैल-07	1	36	15,870	36	15,870	7.75	–	–	–	–	–	15,870	
$	1	15	4,460	15	4,460	7.75	2	110	2	110	6.00	4,350	-20,220
18-अप्रैल-07	1	22	9,085	22	9,085	7.75	1	10	1	10	6.00	9,075	
$	1	26	8,075	26	8,075	7.75	–	–	–	–	–	8,075	-17,150
19-अप्रैल-07	1	19	9,385	19	9,385	7.75	–	–	–	–	–	9,385	
$	1	15	6,275	15	6,275	7.75	2	70	2	70	6.00	6,205	-15,590
20-अप्रैल-07	3	20	10,010	20	10,010	7.75	–	–	–	–	–	10,010	
$	3	17	6,190	17	6,190	7.75	2	115	2	115	6.00	6,075	-16,085
23-अप्रैल-07	1	13	5,200	13	5,200	7.75	2	120	2	120	6.00	5,080	
$	1	15	4,790	15	4,790	7.75	2	115	2	115	6.00	4,675	-9,755
24-अप्रैल-07	1	23	14,365	23	14,365	7.75	3	125	3	125	6.00	14,240	
$	1	2	40	2	40	7.75	5	1,615	5	1,000	6.00	-960	-13,280
25-अप्रैल-07	1	1	500	1	500	7.75	5	1,745	5	1,745	6.00	-1,245	
$	1	14	2,990	14	2,990	7.75	2	10	2	10	6.00	2,980	-1,735
26-अप्रैल-07	1	5	2,650	5	2,650	7.75	1	100	1	100	6.00	2,550	
$	1	18	6,070	18	6,070	7.75	1	15	1	15	6.00	6,055	-8,605
27-अप्रैल-07	3	26	10,705	26	10,705	7.75	–	–	–	–	–	10,705	
$	3	2	290	2	290	7.75	10	2,585	10	999	6.00	-709	-9,996
30-अप्रैल-07	3	17	8,360	17	8,360	7.75	1	15	1	15	6.00	8,345	
$	3	23	7,615	23	7,615	7.75	–	–	–	–	–	7,615	-15,960

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां *(जारी)*

(राशि करोड़ रुपए)

एलएएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+)/ अवशोषण (-) [(11) - (6)]	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3-मई-07	1	10	4380	10	4380	7.75	1	25	1	25	6.00	4355	
$	1	11	3225	11	3225	7.75	1	10	1	10	6.00	3215	-7570
4-मई-07	3	3	1720	3	1720	7.75	2	915	2	915	6.00	805	
$	3	3	225	3	225	7.75	3	215	3	215	6.00	10	-815
7-मई-07	1	–	–	–	–	–	5	4100	5	2000	6.00	-2000	
$	1	–	–	–	–	–	6	5235	6	1000	6.00	-1000	3000
8-मई-07	1	–	–	–	–	–	17	17260	17	1998	6.00	-1998	
$	1	1	30	1	30	7.75	11	11335	11	1002	6.00	-972	2970
9-मई-07	1	–	–	–	–	–	19	18740	19	2000	6.00	-2000	
$	1	1	150	1	150	7.75	17	14770	17	999	6.00	-849	2849
10-मई-07	1	–	–	-1	–	–	24	23020	24	2000	6.00	-2000	
$	1	–	–	–	–	–	19	11475	19	999	6.00	-999	2999
11-मई-07	3	–	–	–	–	–	17	19260	17	1998	6.00	-1998	
$	3	–	–	–	–	–	9	5835	9	1001	6.00	-1001	2999
14-मई-07	1	7	2650	7	2650	7.75	–	–	–	–	–	2650	
$	1	29	13845	29	13845	7.75	1	25	1	25	6.00	13820	-16470
15-मई-07	1	16	11120	16	11120	7.75	–	–	–	–	–	11120	
$	1	24	12995	24	12995	7.75	1	10	1	10	6.00	12985	-24105
16-मई-07	1	15	9825	15	9825	7.75	1	10	1	10	6.00	9815	
$	1	23	11780	23	11780	7.75	1	25	1	25	6.00	11755	-21570
17-मई-07	1	17	10525	17	10525	7.75	–	–	–	–	–	10525	
$	1	17	14025	17	14025	7.75	1	15	1	15	6.00	14010	-24535
18-मई-07	3	22	14150	22	14150	7.75	–	–	–	–	–	14150	
$	3	10	5530	10	5530	7.75	1	10	1	10	6.00	5520	-19670
21-मई-07	1	8	2530	8	2530	7.75	–	–	–	–	–	2530	
$	1	18	9480	18	9480	7.75	2	295	2	295	6.00	9185	-11715
22-मई-07	1	1	225	1	225	7.75	–	–	–	–	–	225	
$	1	12	5055	12	5055	7.75	2	95	2	95	6.00	4960	-5185
23-मई-07	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
$	1	5	5775	5	5775	7.75	1	10	1	10	6.00	5765	-5765
24-मई-07	1	2	300	2	300	7.75	–	–	–	–	–	300	
$	1	8	6455	8	6455	7.75	1	25	1	25	6.00	6430	-6730
25-मई-07	3	6	1595	6	1595	7.75	–	–	–	–	–	1595	
$	3	7	3415	7	3415	7.75	3	320	3	320	6.00	3095	-4690
28-मई-07	1	–	–	–	–	–	8	9955	8	2000	6.00	-2000	
$	1	–	–	–	–	–	12	7535	12	999	6.00	-999	2999
29-मई-07	1	–	–	–	–	–	20	18275	20	2000	6.00	-2000	
$	1	–	–	–	–	–	20	14995	20	994	6.00	-994	2994
30-मई-07	1	–	–	–	–	–	28	30805	28	1999	6.00	-1999	
$	1	–	–	–	–	–	25	18530	25	997	6.00	-997	2996
31-मई-07	1	–	–	–	–	–	32	37020	32	1995	6.00	-1995	
$	1	–	–	–	–	–	35	35270	35	997	6.00	-997	2992
1-जून-07	3	–	–	–	–	–	35	44550	35	1996	6.00	-1996	
$	3	–	–	–	–	–	32	37075	32	1000	6.00	-1000	2996
4-जून-07	1	–	–	–	–	–	39	48810	39	1997	6.00	-1997	
$	1	–	–	–	–	–	33	38605	33	1001	6.00	-1001	2998
5-जून-07	1	–	–	–	–	–	41	56745	41	1998	6.00	-1998	
$	1	–	–	–	–	–	40	46100	40	999	6.00	-999	2997
6-जून-07	1	–	–	–	–	–	41	67785	41	2000	6.00	-2000	
$	1	–	–	–	–	–	37	41740	37	1000	6.00	-1000	3000
7-जून-07	1	–	–	–	–	–	45	64980	45	1999	6.00	-1999	
$	1	–	–	–	–	–	37	45010	37	1001	6.00	-1001	3000
8-जून-07	3	–	–	–	–	–	41	59415	41	1994	6.00	-1994	
$	3	–	–	–	–	–	35	42655	35	995	6.00	-995	2989
11-जून-07	1	–	–	–	–	–	27	26120	27	1994	6.00	-1994	
$	1	–	–	–	–	–	26	27885	26	1003	6.00	-1003	2997
12-जून-07	1	–	–	–	–	–	27	33190	27	1994	6.00	-1994	
$	1	–	–	–	–	–	27	28935	27	1005	6.00	-1005	2999
13-जून-07	1	–	–	–	–	–	28	32580	28	1998	6.00	-1998	
$	1	–	–	–	–	–	30	31880	30	999	6.00	-999	2997
14-जून-07	1	–	–	–	–	–	31	39145	31	1998	6.00	-1998	
$	1	–	–	–	–	–	31	34570	31	1001	6.00	-1001	2999
15-जून-07	3	–	–	–	–	–	29	38555	29	1996	6.00	-1996	
$	3	–	–	–	–	–	26	30645	26	1002	6.00	-1002	2998
18-जून-07	1	–	–	–	–	–	28	35700	28	2000	6.00	-2000	
$	1	–	–	–	–	–	30	33750	30	999	6.00	-999	2999
19-जून-07	1	–	–	–	–	–	30	43695	30	2000	6.00	-2000	
$	1	–	–	–	–	–	31	35895	31	997	6.00	-997	2997
20-जून-07	1	–	–	–	–	–	34	46600	34	1989	6.00	-1989	
$	1	–	–	–	–	–	32	29410	32	1011	6.00	-1011	3000

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां *(जारी)*

(राशि करोड़ रुपए)

एलएएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+)/ अवशोषण (-) [(11) - (6)]	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21-जून-07	1	–	–	–	–	–	34	47805	34	1994	6.00	-1994	
$	1	–	–	–	–	–	34	32500	34	1006	6.00	-1006	3000
22-जून-07	3	–	–	–	–	–	35	47145	35	1990	6.00	-1990	
$	3	–	–	–	–	–	33	30435	33	1007	6.00	-1007	2997
25-जून-07	1	–	–	–	–	–	29	34595	29	2000	6.00	-2000	
$	1	–	–	–	–	–	28	26475	28	1000	6.00	-1000	3000
26-जून-07	1	–	–	–	–	–	38	48350	38	1995	6.00	-1995	
$	1	–	–	–	–	–	27	19180	27	1001	6.00	-1001	2996
27-जून-07	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	
$	1	–	–	–	–	–	2	10	2	10	6.00	-10	10
28-जून-07	1	5	2500	5	2500	7.75	–	–	–	–	–	2500	
$	1	12	6975	12	6975	7.75	2	10	2	10	6.00	6965	-9465
29-जून-07	4	16	9520	16	9520	7.75	–	–	–	–	–	9520	
$	4	1	375	1	375	7.75	13	4005	13	1000	6.00	-625	-8895
3-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	29	40995	29	1998	6.00	-1998	
$	1	–	–	–	–	–	37	39505	37	997	6.00	-997	2995
4-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	40	53670	40	2000	6.00	-2000	
$	1	–	–	–	–	–	33	39085	33	987	6.00	-987	2987
5-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	40	55370	40	1996	6.00	-1996	
$	1	–	–	–	–	–	34	38850	34	1001	6.00	-1001	2997
6-जुलाई-07	3	–	–	–	–	–	39	55325	39	1998	6.00	-1998	
$	3	–	–	–	–	–	27	33800	27	1001	6.00	-1001	2999
9-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	34	52935	34	1999	6.00	-1999	
$	1	–	–	–	–	–	28	33380	28	1000	6.00	-1000	2999
10-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	42	57540	42	1999	6.00	-1999	
$	1	–	–	–	–	–	33	32905	33	991	6.00	-991	2990
11-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	43	56590	43	1995	6.00	-1995	
$	1	–	–	–	–	–	32	35405	32	1002	6.00	-1002	2997
12-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	42	58960	42	1994	6.00	-1994	
$	1	–	–	–	–	–	37	39705	37	1005	6.00	-1005	2999
13-जुलाई-07	3	–	–	–	–	–	44	63750	44	1991	6.00	-1991	
$	3	–	–	–	–	–	39	41950	39	1008	6.00	-1008	2999
16-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	43	56555	43	1995	6.00	-1995	
$	1	–	–	–	–	–	40	41945	40	1005	6.00	-1005	3000
17-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	47	66970	47	1996	6.00	-1996	
$	1	–	–	–	–	–	38	35565	38	1003	6.00	-1003	2999
18-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	44	67310	44	1998	6.00	-1998	
$	1	–	–	–	–	–	39	42855	39	1002	6.00	-1002	3000
19-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	48	65920	48	1984	6.00	-1984	
$	1	–	–	–	–	–	38	42760	38	1016	6.00	-1016	3000
20-जुलाई-07	3	–	–	–	–	–	44	62735	44	1996	6.00	-1996	
$	3	–	–	–	–	–	34	42475	34	1004	6.00	-1004	3000
23-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	38	59910	38	1991	6.00	-1991	
$	1	–	–	–	–	–	32	37905	32	1008	6.00	-1008	2999
24-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	49	68545	49	1998	6.00	-1998	
$	1	–	–	–	–	–	39	45355	39	999	6.00	-999	2997
25-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	47	68115	47	1995	6.00	-1995	
$	1	–	–	–	–	–	34	39485	34	998	6.00	-998	2993
26-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	46	77930	46	1994	6.00	-1994	
$	1	–	–	–	–	–	42	50855	42	1005	6.00	-1005	2999
27-जुलाई-07	3	–	–	–	–	–	44	86110	44	1993	6.00	-1993	
$	3	–	–	–	–	–	41	65690	41	999	6.00	-999	2992
30-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	46	88215	46	2000	6.00	-2000	
$	1	–	–	–	–	–	40	62025	40	999	6.00	-999	2999
31-जुलाई-07	1	–	–	–	–	–	40	80730	40	1993	6.00	-1993	
$	1	–	–	–	–	–	33	53145	33	1007	6.00	-1007	3000
1-अगस्त-07	1	–	–	–	–	–	44	85715	44	1988	6.00	-1988	
$	1	–	–	–	–	–	35	50530	35	1011	6.00	-1011	2999
2-अगस्त-07	1	–	–	–	–	–	41	74040	41	1991	6.00	-1991	
$	1	–	–	–	–	–	33	49030	33	986	6.00	-986	2977
3-अगस्त-07	3	–	–	–	–	–	28	59630	28	1996	6.00	-1996	
$	3	–	–	–	–	–	28	45000	28	1001	6.00	-1001	2997
6-अगस्त-07	1	–	–	–	–	–	28	52070	28	52070	6.00	-52070	52070

@ : एक दिवसीय रिपो का निवल

$: द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामी 28 नवंबर 2005 से शुरू की गई।

$$: अतिरिक्त चलनिधि समायोजन सुविधा 30 मार्च 2007 से ।

टिप्पणी : 1. अंतरराष्ट्रीय परंपरा के अनुसार 29 अक्तूबर 2004 से रिपो और रिवर्स रिपो के नाम एक-दूसरें से बदल दिए गए हैं। 28 अक्तूबर 2004 तक रिपो चलनिधि निकालना इंगित करता है, जबकि रिवर्स रिपो में रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि डाली जाती है।

2. एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रिपो की प्रत्येक दिन 3,000 करोड़ रुपए की सीमा, जो 5 मार्च 2007 से शुरू की थी, 6 अगस्त 2007 से हटा दी गई है।

3. दूसरा एलएएफ 6 अगस्त 2007 से समाप्त कर दिया गया है।

परिशिष्ट सारणी 36: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्रों का निर्गम

निम्नलिखित को समाप्त पखवाड़ा		कुल बकाया (करोड़ रुपए)	बट्टा दर	भारित औसत बट्टा दर (प्रतिशत) @	निम्नलिखित को समाप्त पखवाड़ा		कुल बकाया (करोड़ रुपए)	बट्टा दर (प्रतिशत) @	भारित औसत बट्टा दर (प्रतिशत) @
1		2	3	4	5		6	7	8
2005-06					मई	12	48,515	6.50-7.90	7.05
अप्रैल	1	14,975	4.75-6.60	–		26	50,228	6.37-8.67	7.17
	15	14,106	4.10-6.60	–	जून	9	53,863	5.75-7.96	7.17
	29	16,602	4.24-6.50	–		23	56,390	5.50-8.16	7.19
मई	13	17,420	4.29-6.75	–	जुलाई	7	57,256	6.00-8.70	7.64
	27	17,689	4.29-6.75	–		21	59,167	4.35-8.21	7.65
जून	10	18,503	5.47-7.00	–	अगस्त	4	64,748	6.00-8.62	7.40
	24	19,270	5.58-7.50	–		18	65,621	4.75-8.50	7.77
जुलाई	8	20,509	4.50-7.00	–	सितंबर	1	66,340	4.60-8.50	7.57
	22	20,768	4.25-7.00	–		15	63,864	7.13-8.50	7.74
अगस्त	5	21,062	4.75-7.00	–		29	65,274	7.25-8.50	7.80
	19	23,568	4.66-7.00	–	अक्तूबर	13	64,482	4.75-8.50	7.79
सितंबर	2	23,645	4.66-7.00	–		27	65,764	6.00-8.50	7.73
	16	25,604	4.66-7.75	–	नवंबर	10	67,694	6.00-8.36	7.81
	30	27,641	4.39-7.00	5.99		24	68,911	7.50-8.33	7.99
अक्तूबर	14	27,626	4.66-7.25	5.78	दिसंबर	8	69,664	6.00-8.36	7.90
	28	29,193	5.25-7.75	6.11		22	68,619	7.25-8.90	8.28
नवंबर	11	29,345	5.25-6.50	6.05	जनवरी	5	68,928	8.26-9.25	8.94
	25	27,457	5.25-7.50	6.09		19	70,149	8.00-9.55	9.22
दिसंबर	9	30,445	5.35-7.75	6.30	फरवरी	2	70,727	8.41-9.80	9.32
	23	32,806	5.50-7.25	6.56		16	72,795	9.40-10.83	9.87
जनवरी	6	34,432	4.40-7.75	6.70	मार्च	2	77,971	9.90-11.30	10.63
	20	34,521	5.40-7.75	6.45		16	92,468	10.30-11.25	10.77
फरवरी	3	33,986	4.35-7.90	6.83		30	93,272	10.23-11.90	10.75
	17	34,487	4.35-8.16	7.68	**2007-08**				
मार्च	3	36,626	5.85-8.50	7.83	अप्रैल	13	93,808	9.50-11.50	10.15
	17	36,931	4.35-8.81	8.65		27	95,980	9.40-11.50	10.75
	31	43,568	6.50-8.94	8.62	मई	11	97,292	10.05-11.50	10.65
2006-07						25	99,175	7.00-10.82	9.87
अप्रैल	14	38,568	6.00-8.90	7.68	जून	8	99,287	6.13-10.95	9.31
	28	44,059	6.00-8.45	7.03		22	98,337	7.00-10.20	9.37

@ : वार्षिक प्रभावी बट्टा दर दायरा
– : अनुपलब्ध

परिशिष्ट सारणी 37 : वाणिज्यिक पत्र *

दिनांक को समाप्त पखवाड़ा		बकाया (करोड़ रुपए)	निर्गमित राशि (करोड़ रुपए)	बट्टे की विशिष्ट प्रभावी दरें	भारांकित औसत बट्टा दर (प्रतिशत)	दिनांक को समाप्त पखवाड़ा		बकाया (करोड़ रुपए)	निर्गमित राशि (करोड़ रुपए)	बट्टे की विशिष्ट प्रभावी दरें	भारांकित औसत बट्टा दर (प्रतिशत)
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10
2005-06											
अप्रैल	15	15,214	1,964	5.55-6.33	5.97	जून	15	18,933	2,655	6.44-9.25	6.99
	30	15,598	1,585	5.50-6.65	5.84		30	19,650	2,326	6.59-9.25	7.10
मई	15	16,078	1,565	5.38-6.65	5.73	जुलाई	15	21,652	3,389	6.25-8.30	7.18
	31	17,182	2,259	5.40-6.65	5.81		31	21,110	2,423	6.50-8.25	7.34
जून	15	17,522	1,408	5.42-6.65	5.66	अगस्त	15	23,084	4,018	6.25-8.10	7.06
	30	17,797	1,517	5.45-6.51	5.79		31	23,299	2,442	6.60-9.00	7.31
जुलाई	15	18,207	1,896	5.57-7.50	5.93	सितंबर	15	24,011	2,507	6.40-8.17	7.39
	31	18,607	1,464	5.25-7.50	5.88		30	24,444	2,713	7.10-9.25	7.70
अगस्त	15	20,117	2,156	5.50-7.50	5.84	अक्तूबर	15	23,521	1,733	7.20-8.65	7.63
	31	19,508	1,955	5.45-7.50	5.77		31	23,171	1,640	7.00-8.75	7.77
सितंबर	15	20,019	1,392	5.50-6.56	5.75	नवंबर	15	23,450	2,361	7.25-9.25	8.08
	30	19,725	1,127	5.45-6.65	5.87		30	24,238	4,031	7.50-9.50	7.88
अक्तूबर	15	18,702	1,008	5.69-7.50	6.00	दिसंबर	15	23,827	1,915	7.50-8.75	7.94
	31	18,726	1,884	5.63-7.50	5.99		31	23,536	1,165	7.74-10.00	8.52
नवंबर	15	17,903	852	5.75-6.60	6.10	जनवरी	15	23,758	1,255	8.30-9.58	8.70
	30	18,013	1,631	5.90-6.79	6.30		31	24,398	2,235	8.25-10.50	9.09
दिसंबर	15	17,431	2,109	6.21-7.75	6.56	फरवरी	15	23,999	1,522	8.00-11.25	9.49
	31	17,234	1,995	6.20-7.75	6.81		28	21,167	1,241	8.70-12.00	10.49
जनवरी	15	17,415	844	6.50-7.75	7.16	मार्च	15	19,102	2,106	7.50-13.35	10.24
	31	16,431	1,093	6.65-8.50	7.29		30	17,838	1,280	10.25-13.00	11.33
फरवरी	15	16,203	1,204	7.03-8.50	7.87						
	28	15,876	1,956	7.22-8.75	8.02	**2007-08**					
मार्च	15	12,877	685	7.75-8.95	8.55	अप्रैल	15	19,013	1,952	10.00-14.00	10.46
	31	12,718	2,128	6.69-9.25	8.59		30	18,759	1,815	9.65-11.75	10.52
						मई	1	19,288	2,309	9.25-11.45	10.50
2006-07							31	22,024	4,016	8.71-12.00	9.87
अप्रैल	15	12,968	1,423	6.77-8.95	7.62	जून	15	25,500	5,238	7.00-10.80	9.13
	30	16,550	4,642	6.35-9.25	7.30		30	26,256	2,287	7.35-12.00	8.93
मई	15	17,264	2,068	6.32-7.95	6.87						
	31	17,067	2,633	6.40-9.25	6.89						

*: अंकित मूल्य

परिशिष्ट सारणी 38: भारतीय रुपए की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) तथा सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (नीर) के सूचकांक

वर्ष /माह	36 - मुद्रा व्यापार आधारित भारांक (आधार : 1993-94=100)		6 - मुद्रा व्यापार आधारित भारांक (आधार : 1993-94 = 100)	
	वाप्रविद	सांप्रविद	वाप्रविद	सांप्रविद
1	2	3	4	5
1993-94	100.00	100.00	100.00	100.00
1994-95	104.32	98.91	105.82	96.96
1995-96	98.19	91.54	101.27	88.56
1996-97	96.83	89.27	101.11	86.85
1997-98	100.77	92.04	104.41	87.94
1998-99	93.04	89.05	96.14	77.49
1999-00	95.99	91.02	97.69	77.16
2000-01	100.09	92.12	102.82	77.43
2001-02	100.86	91.58	102.71	76.04
2002-03	98.18	89.12	97.68	71.27
2003-04	99.56	87.14	99.17	69.97
2004-05	100.09	87.31	101.78	69.58
2005-06	102.35	89.85	107.30	72.28
2006-07 (अ)	98.59	85.88	105.47	68.93
2005-06				
अप्रैल	100.57	88.97	104.38	71.16
मई	102.07	90.03	106.28	72.11
जून	103.70	91.24	108.20	73.29
जुलाई	105.02	92.07	109.43	73.94
अगस्त	104.01	90.95	108.33	72.95
सितंबर	103.91	90.38	108.19	72.45
अक्तूबर	102.54	89.42	107.20	71.75
नवंबर	101.37	88.30	106.85	71.09
दिसंबर	100.59	88.06	106.36	71.03
जनवरी	101.47	89.41	107.05	72.31
फरवरी	101.74	89.88	107.91	72.88
मार्च	101.25	89.52	107.41	72.45
2006-07 (अ)				
अप्रैल	98.22	87.73	105.75	71.04
मई	96.44	85.43	103.48	68.79
जून	96.57	85.11	103.06	68.21
जुलाई	95.74	84.22	102.25	67.59
अगस्त	95.63	83.61	102.14	67.08
सितंबर	98.00	84.65	104.75	67.84
अक्तूबर	99.99	86.18	107.25	69.11
नवंबर	100.41	86.50	107.82	69.34
दिसंबर	99.29	85.89	106.39	68.82
जनवरी	100.98	87.05	107.70	69.77
फरवरी	100.83	87.13	107.71	69.88
मार्च	101.02	87.11	107.41	69.70
2007-08 (अ)				
अप्रैल	104.12	91.51	111.59	72.18
मई	107.52	94.53	115.34	74.64

अ : अनंतिम

टिप्पणी : सूचकांक के संकलन की विस्तृत प्रणाली के लिए ''भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, दिसंबर 2005 के अंक में दिए गए नीर तथा रीर के संशोधित सूचकांक'' देखें ।

परिशिष्ट सारणी 39: विदेशी मुद्रा बाजार में अंतर बैंक और वणिक कारोबार

(मिली-अम डॉलर)

माह	अंतर-बैंक							वणिक						
	हाज़िर			वायदा / स्वैप				हाज़िर			वायदा			
	खरीद	विक्री	निवल	खरीद	विक्री	निवल	कुल कारोबार	खरीद	विक्री	निवल	खरीद	विक्री	निवल	कुल कारोबार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2006														
जनवरी	89896	89066	830	78520	93489	-14969	350971	26492	26748	-256	36276	38605	-2329	128121
फरवरी	78270	78265	6	70983	88434	-17451	315952	25307	23847	1460	26345	27499	-1154	102999
मार्च	92257	99494	-7237	96311	116734	-20423	404797	37540	31770	5771	35401	36521	-1120	141231
अप्रैल	90195	92037	-1842	79144	92858	-13714	354234	33118	29626	3493	31769	35503	-3734	130016
मई	117461	115715	1745	92639	97847	-5208	423661	34504	37720	-3216	48534	46523	2011	167282
जून	96853	95418	1435	70160	74384	-4224	336815	28946	29762	-817	32977	34351	-1374	126036
जुलाई	86643	84848	1795	62377	66962	-4585	300829	25411	25781	-370	32283	33999	-1716	117474
अगस्त	103226	100723	2503	72900	73703	-803	350553	30579	31856	-1277	34939	37702	-2763	135075
सितंबर	103184	101808	1376	87868	87389	479	380248	33678	32705	974	38740	40002	-1262	145125
अक्तूबर	96569	95552	1017	82395	80881	1514	355398	37130	35842	1288	40253	42451	-2198	155675
नवंबर	122117	126608	-4491	100542	101182	-640	450450	37586	32898	4688	45891	45287	604	161662
दिसंबर	103069	102639	430	94497	98444	-3947	398649	36385	36677	-292	41249	42846	-1596	157157
2007														
जनवरी (अ)	120621	122472	-1851	100306	98974	1332	442373	38189	38657	-468	44681	44024	657	165551
फरवरी (अ)	110063	112542	-2479	85305	93082	-7777	400992	34660	32087	2573	34542	32439	2103	133728
मार्च (अ)	132042	131057	985	135686	134300	1386	533085	47061	43976	3085	49596	51336	-1740	191969
अप्रैल (अ)	152702	153223	-521	138189	146641	-8452	590755	53727	52902	825	51852	50795	1057	209276
मई (अ)	147942	151931	-3989	136006	135509	497	571388	59377	54769	4608	52228	49589	2639	215963
जून (अ)	165589	166893	-1304	150961	149109	1852	632552	66299	58943	7356	63870	66205	-2335	255317

अ : अनंतिम

टिप्पणी : 1. वणिक कारोबार में परस्पर लेनदेन की मुद्रा (अर्थात् विदेशी मुद्रा से विदेशी मुद्रा, हाजिर व वायदा दोनों) कारोबार और निरस्त वायदा संविदा शामिल हैं।

2. अंतर-बैंक कारोबार में परस्पर लेनदेन की मुद्रा (अर्थात् विदेशी मुद्रा से विदेशी मुद्रा, हाजिर व वायदा दोनों) कारोबार शामिल हैं।

परिशिष्ट सारणी 40: सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार के लेनदेन

(राशि करोड़ रुपए)

लिखत	अप्रैल-06	मई -06	जून -06	जूलाई -06	अग.-06	सितं.-06	अक्तू.-06	नवं.-06	दिसं.-06	जन. -07	फर.-07	मार्च-07	अप्रैल-07	मई -07	जून-07	जूलाई-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. सीधे लेनदेन																
1. केंद्र सरकार प्रतिभूतियां	55,280	55,029	33,870	34,770	89,707	1,24,585	66,848	1,59,804	83,115	74,736	61,410	46,356	69,534	68,848	93,750	2,05,731
	(83.56)	(79.63)	(71.03)	(78.09)	(83.58)	(89.12)	(87.17)	(91.29)	(89.88)	(89.45)	(88.94)	(82.15)	(86.46)	(86.77)	(81.49)	(89.16)
2. राज्य सरकार प्रतिभूतियां	426	2,519	1,070	708	715	736	468	873	1,262	695	1,218	1,859	1,551	1,362	912	1,044
	(0.64)	(3.64)	(2.24)	(1.59)	(0.67)	(0.53)	(0.61)	(0.5)	(1.37)	(0.83)	(1.76)	(3.29)	(1.93)	(1.71)	(0.79)	(0.45)
3. खज़ाना बिल	10,453	11,562	12,747	9,050	16,926	14,472	9,375	14,381	8,094	8,115	6,415	8,216	9,340	9,133	20,371	23,952
	(15.80)	(16.73)	(26.73)	(20.32)	(15.77)	(10.35)	(12.22)	(8.21)	(8.75)	(9.71)	(9.29)	(14.56)	(11.61)	(11.51)	(17.71)	(10.38)
(क) 91 दिवसीय	1,097	3,222	2,885	2,863	5,471	3,825	2,985	2,570	2,867	3,015	2,605	2,942	5,008	5,229	12,900	10,632
	(1.66)	(4.66)	(6.05)	(6.43)	(5.10)	(2.74)	(3.89)	(1.47)	(3.10)	(3.61)	(3.77)	(5.21)	(6.23)	(6.59)	(63.32)	(44.39)
(ख) 182 दिवसीय	1,023	2,212	4,171	2,071	4,467	2,674	1,708	4,031	1,323	1,868	1,256	2,227	1,435	1,089	3,654	1746
	(1.55)	(3.2)	(8.75)	(4.65)	(4.16)	(1.91)	(2.23)	(2.3)	(1.43)	(2.24)	(3.70)	(3.95)	(1.78)	(1.37)	(17.94)	(7.29)
(ग) 364 दिवसीय	8,333	6,128	5,691	4,116	6,988	7,973	4,683	7,780	3,905	3,232	2,555	3,047	2,897	2,815	3,817	11,573
	(12.60)	(8.87)	(11.93)	(9.24)	(6.51)	(5.7)	(6.11)	(4.44)	(4.22)	(3.87)	(3.70)	(5.40)	(3.60)	(3.55)	(18.74)	(48.32)
जोड़ (1+2+3)	66,159	69,110	47,687	44,527	1,07,328	1,39,793	76,691	1,75,059	92,471	83,546	69,044	56,430	80,425	79,343	1,15,033	2,30,726
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)
II. रिपो लेनदेन																
1. केंद्र सरकार प्रतिभूतियां	93,578	1,90,987	2,07,409	1,67,715	2,04,559	2,05,788	1,88,684	2,39,073	1,58,735	1,46,607	1,49,838	1,72,576	1,32,158	2,10,540	2,25,958	2,38,855
	(78.08)	(81.8)	(75.44)	(69.37)	(78.25)	(86.14)	(88.22)	(91.09)	(92.98)	(92.69)	(87.38)	(82.80)	(87.71)	(93.79)	(87.79)	(88.11)
2. राज्य सरकार प्रतिभूतियां	2,259	6,182	7,241	5,372	4,269	3,349	2,862	2,600	2,301	2,165	3,254	8,821	3,440	1,841	1,165	1,854
	(1.88)	(2.65)	(2.63)	(2.22)	(1.63)	(1.40)	(1.34)	(0.99)	(1.35)	(1.37)	(1.90)	(4.23)	(2.29)	(0.82)	(0.45)	(0.68)
3. खज़ाना बिल	24,017	36,300	60,300	68,678	52,594	29,751	22,322	20,788	9,687	9,404	18,387	27,039	15,071	12,104	30,250	30,372
	(20.04)	(15.55)	(21.93)	(28.41)	(20.12)	(12.45)	(10.44)	(7.92)	(5.67)	(5.95)	(10.72)	(12.97)	(10)	(5.39)	(11.75)	(11.20)
(क) 91 दिवसीय	1,840	10,063	23,773	21,894	16,669	4,488	2,385	2,814	2,730	3,079	3,369	5,268	1,487	2,734	10,672	16,269
	(1.54)	(4.31)	(8.65)	(9.06)	(6.38)	(1.88)	(1.12)	(1.07)	(1.60)	(1.95)	(1.96)	(2.53)	(0.99)	(1.22)	(35.28)	(53.57)
(ख) 182 दिवसीय	4,311	6,571	9,379	7,778	8,848	5,497	1,929	4,640	3,064	3,001	4,625	2,953	1,373	462	1,034	3,187
	(3.60)	(2.81)	(3.41)	(3.22)	(3.38)	(2.30)	(0.90)	(1.77)	(1.79)	(1.90)	(2.70)	(1.42)	(0.91)	(0.20)	(3.42)	(10.49)
(ग) 364 दिवसीय	17,866	19,666	27,149	39,006	27,077	19,765	18,008	13,334	3,893	3,325	10,393	18,819	12,211	8,908	18,544	10,916
	(14.91)	(8.42)	(9.87)	(16.13)	(10.36)	(8.27)	(8.42)	(5.08)	(2.28)	(2.10)	(6.06)	(9.03)	(8.10)	(3.97)	(61.30)	(35.94)
जोड़ (1+2+3)	1,19,854	2,33,470	2,74,951	2,41,765	2,61,423	2,38,888	2,13,868	2,62,461	1,70,724	1,58,176	1,71,476	2,08,437	1,50,669	2,24,485	2,57,372	2,71,081
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)
III. कुल जोड़ (I+II)	**1,86,012**	**3,02,579**	**3,22,638**	**2,86,293**	**3,68,751**	**3,78,681**	**2,90,560**	**4,37,520**	**2,63,194**	**2,41,722**	**2,40,520**	**2,64,867**	**2,31,094**	**3,03,829**	**3,72,405**	**5,01,808**
I के प्रतिशत के रूप में III	(35.57)	(22.84)	(14.78)	(15.55)	(29.11)	(36.92)	(26.39)	(40.01)	(35.13)	(34.56)	(28.71)	(21.31)	(34.8)	(26.11)	(30.89)	(45.98)
II के प्रतिशत के रूप में III	(64.43)	(77.16)	(85.22)	(84.45)	(70.89)	(63.08)	(73.61)	(59.99)	(64.87)	(65.44)	(71.29)	(78.69)	(65.2)	(73.89)	(69.11)	(54.02)

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल एकमुश्त/रिपो लेनदेनों के प्रतिशत दर्शाते हैं। रिपो लेनदेनों का दूसरा चरण शामिल नहीं हैं।
2. 182-दिवसीय खजाना बिल वर्ष 2005-06 से पुनः प्रारंभ किए गए हैं।

परिशिष्ट सारणी 41 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज दर संरचना

(प्रतिशत)

मद	31-मार्च 2006	30-अप्रै. 2006	31-मई 2006	30-जून 2006	31-जुलाई 2006	30-अग. 2006	30-सितं. 2006	31-अक्तू. 2006	30-नवं. 2006	31-दिसं. 2006	31-जन. 2007	28-फर. 2007	31-मार्च 2007	30-अप्रै. 2007	31-मई 2007	30-जून 2007	31-जुलाई 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
क. उधार दरें																	
ऋण सीमा का आकार																	
1. 2 लाख रुपए तक	≤ बीपीएलआर	≤ बीपीएलआर	≤ बीपीएलआर	≤ बीपीएलआर	≤ बीपीएलआर	≤ बीपीएलआर	≤ बीपीएलआर	≤ बीपीएलआर	≤ बीपीएलआर	≤ बीपीएलआर	≤ बीपीएलआर	≤ बीपीएलआर	≤ बीपीएलआर	≤ बीपीएलआर	≤ बीपीएलआर	≤ बीपीएलआर	≤ बीपीएलआर
2. 2 लाख रुपए से अधिक :																	
न्यूनतम मूल उधार दर *	10.25-10.75	10.25-10.75	10.75-11.25	10.75-11.25	10.75-11.25	11.00-11.50	11.00-11.50	11.00-11.50	11.00-11.50	11.00-11.50	11.50-12.00	12.25-12.50	12.25-12.50	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25
ख. जमा दरें																	
खाते की श्रेणी																	
1. चालू	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. बचत	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
3. मीयादी जमा *																	
क) एक वर्ष तक	2.25-5.50	2.25-6.00	3.00-6.00	3.00-6.00	3.00-6.00	3.00-6.25	3.00-6.25	3.00-6.25	3.00-6.50	3.00-7.00	3.00-7.00	3.00-7.00	3.00-7.00	3.00-7.00	3.00-7.00	3.00-9.50	3.00-9.50
ख) 1 से 2 वर्ष	6.00-6.50	6.00-6.50	6.25-6.75	6.25-6.75	6.25-6.75	6.50-7.00	6.75-7.00	6.75-7.00	6.75-7.25	7.00-7.50	7.50-8.25	7.50-8.25	7.50-9.00	7.50-9.00	7.50-9.00	7.50-9.50	7.50-9.50
घ) 2 से 3 वर्ष	6.00-6.50	6.00-6.50	6.25-6.75	6.25-6.75	6.25-6.75	6.50-7.00	6.75-7.00	6.75-7.00	6.75-7.25	7.00-7.50	7.50-8.50	7.50-8.50	7.50-8.50	7.50-8.50	7.50-8.50	7.50-9.50	7.50-9.50
ग) > 3 वर्ष	6.25-7.00	6.25-7.00	6.50-7.00	6.50-7.00	6.50-7.00	7.00-8.00	7.00-8.00	7.00-8.00	7.00-8.00	7.30-8.00	7.75-8.50	7.75-9.00	7.75-9.00	7.75-9.00	7.75-9.00	7.75-9.60	7.75-9.60

* : आंकड़े प्रमुख सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित हैं। बीपीएलआर : बेंचमार्क मूल उधार दर ≤ : से अनधिक

परिशिष्ट सारणी 42: गैर सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ रुपए)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2004-05		2005-06		2006-07	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1) इक्विटी शेयर (क+ख)	**51**	**12,004**	**128**	**20,899**	**115**	**30,753**
	(46)	**(11,049)**	**(118)**	**(18,793)**	**(110)**	**(20,613)**
क) प्रोस्पेक्टस	25	8,389	92	16,801	82	28,172
	(24)	(8,010)	(89)	(15,355)	(82)	(18,520)
ख) राइट्स	26	3,615	36	4,098	33	2,581
	(22)	(3,039)	(29)	(3,439)	(28)	(2,093)
2) अधिमान शेयर (क+ख)	**–**	**–**	**1**	**10**	**–**	**–**
क) प्रोस्पेक्टस	–	–	1	10	–	–
ख) राइट्स	–	–	–	–	–	–
3) डिबेंचर (क+ख)	**–**	**–**	**2**	**245**	**3**	**847**
क) प्रोस्पेक्टस	–	–	1	127	–	–
ख) राइट्स	–	–	1	118	3	847
जिनमें से :						
I) परिवर्तनीय (क+ख)	–	–	–	–	–	–
क) प्रोस्पेक्टस	–	–	–	–	–	–
ख) राइट्स	–	–	–	–	–	–
II) अपरिवर्तनीय (क+ख)	–	–	2	245	3	847
क) प्रोस्पेक्टस	–	–	1	127	–	–
ख) राइट्स	–	–	1	118	3	847
4) बाण्ड (अ+ब)	**3**	**1,478**	**–**	**–**	**–**	**–**
क) प्रोस्पेक्टस	3	1,478	–	–	–	–
ख) राइट्स	–	–	–	–	–	–
5) जोड़ (1+2+3+4)	**54**	**13,482**	**131**	**21,154**	**118**	**31,600**
क) प्रोस्पेक्टस	28	9,867	94	16,938	82	28,172
ख) राइट्स	26	3,615	37	4,216	36	3,428

- : शून्य / नगण्य

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. इन आंकड़ों में बोनस शेयर, बिक्री प्रस्ताव और निजी स्थानन शामिल नहीं है।
3. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूंजीगत निर्गमों के प्रीमियम के आंकड़े हैं। ये संबंधित कुल राशियों में शामिल है।
4. अधिमान शेयरों में संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और समअधिमान शेयर शामिल है।
5. परिवर्तनीय डिबेंचरों में आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर शामिल है।
6. अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में जमानती प्रीमियम नोट और जमानती डीप डिस्काउंट बांड शामिल है।
7. ये आंकड़े कंपनियों द्वारा जारी किए गए प्रोस्पेक्टस/परिपत्र/विज्ञापन, रिज़र्व बैंक की प्रश्नावली के संबंध में कंपनियों द्वारा दिए गए उत्तर, शेयर बाजारों और प्रेस रिपोर्टों आदि से प्राप्त जानकारी से संकलित किए गए है।

परिशिष्ट सारणी 43: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित सहायता

(करोड़ रुपए)

संस्थाएं	2004-05		2005-06 अ		2006-07 अ	
	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
1	2	3	4	5	6	7
क. अखिल भारतीय विकास बैंक (1से 5)	**26,304**	**16,185**	**49,096**	**27,815**	**45,063**	**32,419**
1. भाऔविबैंक	10,799	6,183	26,490	12,483	19,776	14,533
2. आइएफसीआइ	–	91	–	187	1,050	550
3. आइडीएफसी	6,414	3,723	10,631	6,045	13,053	7,207
4. सिडबी	9,091	6,188	11,975	9,100	11,184	10,129
5. आइआइबीआइ	–	–	–	–	अनु.	अनु.
ख. विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएँ (6 से 8)	**111**	**72**	**133**	**88**	**245**	**120**
6. आइवीसीएफ	–	–	–	–	–	–
7. आइसीआइसीआइ उद्यम	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
8. टीएफसीआइ	111	72	133	88	245	120
ग. निवेश संस्थाएं (9 से 10)	**10,403**	**8,972**	**15,558**	**11,771**	**18,759**	**27,857**
9. जीवन बीमा निगम	9,340	7,954	15,165	11,200	18,127	27,017
10. साधारण जीवन बीमा निगम $	1,063	1,018	393	571	632	840
घ. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (क+ख+ग)	**36,818**	**25,229**	**64,787**	**39,674**	**64,067**	**60,396**
ङ राज्य-स्तरीय संस्थाएं (11 और 12)	**अनु.**	**अनु.**	**अनु.**	**अनु.**	**अनु.**	**अनु.**
11. राज्य वित्तीय निगम	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
12. राज्य औद्योगिक विकास निगम	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
च. समस्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता [घ+ङ]	**36,818**	**25,229**	**64,787**	**39,674**	**64,067**	**60,396**

अ. : अनंतिम – : शून्य/नगण्य अनु. : अनुपलब्ध

$: आंकड़ों में साधारण बीमा निगम एवं उनकी सहायक संस्थाओं के आंकड़े शामिल हैं ।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

परिशिष्ट सारणी 44: घरेलू स्टॉक सूचकांक

वर्ष/माह	बीएसई सेंसेक्स (आधार : 1978-79=100)				एसएण्ड पी सीएनएक्स निफ्टी (आधार : 03/11/1995 = 1000)			
	औसत	उच्च	न्यून	वर्ष/माह की समाप्ति पर	औसत	उच्च	न्यून	वर्ष/माह की समाप्ति पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2003-04	**4492 (40.1)**	**6194**	**2924**	**5591 (83.4)**	**1427 (37.6)**	**1982**	**924**	**1772 (81.2)**
2004-05	**5741 (27.8)**	**6915**	**4505**	**6493 (16.1)**	**1805 (26.5)**	**2169**	**1389**	**2036 (14.9)**
2005-06	**8279 (44.2)**	**11307**	**6135**	**11280 (73.7)**	**2513 (39.2)**	**3419**	**1903**	**3403 (67.1)**
2006-07	**12277 (48.3)**	**14652**	**8929**	**13072 (15.9)**	**3572 (42.1)**	**4224**	**2632**	**3821 (12.3)**
2005-06								
अप्रैल	6379	6606	6135	6154	1987	2069	1903	1903
मई	6483	6715	6195	6715	2002	2088	1917	2088
जून	6926	7194	6656	7194	2134	2221	2065	2221
जुलाई	7337	7635	7145	7635	2237	2391	2179	2312
अगस्त	7726	7860	7596	7805	2358	2403	2318	2385
सितंबर	8272	8650	7876	8634	2512	2611	2406	2601
अक्तूबर	8220	8800	7686	7892	2487	2663	2316	2371
नवंबर	8552	8995	7944	8789	2575	2712	2387	2652
दिसंबर	9162	9398	8816	9398	2773	2843	2661	2837
जनवरी	9540	9920	9238	9920	2893	3001	2809	3001
फरवरी	10090	10370	9743	10370	3019	3075	2941	3075
मार्च	10857	11307	10509	11280	3236	3419	3117	3403
2006-07								
अप्रैल	11742	12043	11237	12043	3494	3574	3346	3558
मई	11599	12612	10399	10399	3437	3754	3071	3071
जून	9935	10609	8929	10609	2915	3128	2633	3128
जुलाई	10557	10930	10007	10744	3092	3197	2933	3143
अगस्त	11305	11724	10752	11699	3306	3430	3148	3414
सितंबर	12036	12454	11551	12454	3492	3588	3366	3588
अक्तूबर	12637	13024	12204	12962	3649	3769	3515	3744
नवंबर	13416	13774	13033	13696	3869	3969	3767	3955
दिसंबर	13628	13972	12995	13628	3910	4016	3717	3966
जनवरी	13984	14283	13362	14091	4037	4148	3850	4083
फरवरी	14143	14652	12938	12938	4084	4224	3745	3745
मार्च	12858	13308	12415	13072	3731	3876	3577	3822
2007-08								
अप्रैल	13478	14229	12455	13872	3947	4178	3634	4088
मई	14156	14544	13765	14544	4184	4296	4067	4296
जून	14334	14651	14003	14651	4222	4318	4113	4318
जुलाई	15253	15795	14664	15551	4474	4621	4314	4529

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े पिछले वर्ष की प्रतिशत की तुलना में घट-बढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत : मुंबई शेयर बाजार लिमि., (बीएसई) तथा भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमि. (एनएसई)

परिशिष्ट सारणी 45: घरेलू इक्विटी बाजार के प्रमुख संकेतक

वर्ष/माह	मुंबई शेयर बाजार लिमि. (बीएसइ)					भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमि. (एनएसइ)				
	घट-बढ़ का सहगुणांक @	वितरण (दायरा) @	मूल्य / आय अनुपात $	बाज़ार पूंजीकरण (करोड रुपए)	कुल कारोबार (करोड़ रुपए)	घट-बढ़ का सहगुणांक @	वितरण (दायरा) @	मूल्य / आय अनुपात $	बाज़ार पूंजीकरण (करोड रुपए)	कुल कारोबार (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2002-03	**4.9**	**678**	**14.51**	**5,72,198**	**3,14,073**	**5.2**	**224**	**15.24**	**5,37,133**	**6,17,989**
2003-04	**23.0**	**1845**	**16.19**	**12,01,207**	**5,03,053**	**23.3**	**1058**	**14.59**	**11,20,976**	**10,99,535**
2004-05	**11.2**	**2410**	**16.56**	**16,98,428**	**5,18,715**	**11.3**	**780**	**14.79**	**15,85,585**	**11,40,071**
2005-06	**16.7**	**5172**	**16.98**	**30,22,191**	**8,16,074**	**15.6**	**1516**	**15.69**	**28,13,201**	**15,69,556**
2006-07	**11.1**	**5723**	**20.73**	**35,45,041**	**9,56,185**	**10.4**	**1591**	**19.51**	**33,67,350**	**19,45,285**
2005-06										
अप्रैल	2.4	472	15.25	16,35,766	37,809	2.8	167	14.16	15,17,908	82,718
मई	2.1	520	14.94	17,83,221	43,359	2.3	171	13.77	16,54,995	86,802
जून	2.3	538	15.75	18,50,377	58,480	2.1	156	14.02	17,27,502	1,11,397
जुलाई	1.9	490	16.01	19,87,170	61,899	1.8	140	14.31	18,48,740	1,23,008
अगस्त	1.0	264	16.00	21,23,901	75,933	1.0	85	14.61	19,57,491	1,45,731
सितंबर	3.0	774	17.11	22,54,378	81,291	2.6	205	15.58	20,98,263	1,45,393
अक्तूबर	4.0	1114	16.77	20,65,612	59,102	4.1	347	15.26	19,27,645	1,20,810
नवंबर	3.3	1051	16.75	23,23,065	52,694	3.5	325	15.47	21,66,823	1,09,578
दिसंबर	2.1	582	18.09	24,89,386	77,356	2.1	182	16.72	23,22,392	1,49,908
जनवरी	2.0	682	18.54	26,16,194	79,316	1.8	192	17.27	24,34,395	1,49,442
फरवरी	1.5	628	18.64	26,95,543	70,070	1.2	134	17.97	25,12,083	1,35,374
मार्च	2.0	798	20.05	30,22,191	1,18,765	2.6	302	19.25	28,13,201	2,09,395
2006-07										
अप्रैल	1.9	805	21.35	32,55,565	87,846	1.8	228	20.59	29,90,200	1,77,372
मई	6.8	2214	20.41	28,42,049	95,820	7.0	683	19.53	26,12,639	2,01,409
जून	4.3	1680	17.90	27,21,677	72,013	4.3	495	16.65	25,24,659	1,51,050
जुलाई	2.5	923	19.02	27,12,144	54,698	2.6	264	17.95	25,14,261	1,18,698
अगस्त	2.7	972	19.59	29,93,780	63,084	2.8	283	18.55	27,77,401	1,30,796
सितंबर	2.0	904	20.73	31,85,680	71,629	1.7	222	20.09	29,94,132	1,44,339
अक्तूबर	1.9	820	21.56	33,70,676	69,627	2.0	254	20.92	31,38,319	1,38,382
नवंबर	1.8	741	22.07	35,77,308	1,01,840	1.7	202	20.72	33,73,652	1,89,863
दिसंबर	2.0	977	22.41	36,24,357	85,512	2.2	299	20.95	34,26,236	1,70,105
जनवरी	1.8	921	22.63	37,79,742	87,605	1.9	297	21.24	35,71,487	1,75,147
फरवरी	3.1	1714	21.56	34,89,214	88,844	3.1	479	19.64	32,96,931	1,80,170
मार्च	2.0	893	19.74	35,45,041	78,028	2.2	299	17.95	33,67,350	1,67,954
2007-08										
अप्रैल	3.9	1774	20.75	38,28,337	78,693	4.1	544	19.28	36,50,368	1,68,567
मई	1.9	779	20.84	40,74,552	98,821	1.8	229	19.74	38,98,078	2,07,585
जून	1.4	647	20.67	41,68,272	95,268	1.4	205	20.08	39,78,381	1,93,648
जुलाई	2.2	1131	21.78	अनु.	अनु.	2.1	307	21.30	43,17,571	2,67,227

@ : क्रमशः बीएसई सेंसेक्स व एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी पर आधारित।

$: क्रमशः बीएसई सेंसेक्स व एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी में शामिल स्क्रिप्स पर आधारित।

अनु. : उपलब्ध नहीं।

स्रोत : मुंबई शेयर बाजार लिमि. (बीएसई) और भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमि. (एनएसई)

परिशिष्ट सारणी 46 : इक्विटी व्युत्पन्नी बाजार में पण्यावर्त

(राशि करोड़ रुपए)

माह /वर्ष	मुंबई शेयर बाजार लिमि. (बीएसई)				भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमि. (एनएसई)				
	सूचकांक फ्युचर्स	सूचकांक ऑप्शन्स $	स्टॉक फ्युचर्स	स्टॉक ऑप्शन्स $	सूचकांक फ्युचर्स	सूचकांक ऑप्शन्स $	स्टॉक फ्युचर्स	स्टॉक ऑप्शन्स $	ब्याज दर फ्युचर्स
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2003-04	**6,572**	**0**	**5,171**	**332**	**5,54,446**	**52,816**	**13,05,939**	**2,17,207**	**202**
2004-05	**13,600**	**2,297**	**213**	**3**	**7,72,147**	**1,21,943**	**14,84,056**	**1,68,836**	**0**
2005-06	**6**	**3**	**1**	**0**	**1,513,755**	**3,38,469**	**27,91,697**	**1,80,253**	**0**
2006-07	**55,490**	**0**	**3,515**	**0**	**2,539,574**	**7,91,906**	**38,30,967**	**1,93,795**	**0**
2005-06									
अप्रैल	0	3	0	0	65,595	13,274	1,06,128	10,966	0
मई	0	0	0	0	70,465	14,782	1,12,878	10,250	0
जून	0	0	0	0	77,215	16,133	1,63,097	14,797	0
जुलाई	0	0	0	0	77,395	16,770	1,99,637	14,358	0
अगस्त	0	0	0	0	1,00,805	21,992	2,34,817	14,665	0
सितंबर	0	0	0	0	1,18,904	27,921	2,36,941	15,984	0
अक्तूबर	0	0	0	0	1,70,096	35,584	2,14,396	13,575	0
नवंबर	0	0	0	0	1,35,474	31,074	2,16.524	12,773	0
दिसंबर	0	0	0	0	1,83,290	42,988	2,80,280	17,245	0
जनवरी	0	0	0	0	1,66,126	38,522	2,65,037	17,895	0
फरवरी	1	0	1	0	1,56,358	32,332	2,88,712	15,262	0
मार्च	5	0	0	0	1,92,032	47,097	4,73,250	22,463	0
2006-07									
अप्रैल	1	0	0	0	2,04,236	52,421	4,60,552	20,623	0
मई	0	0	0	0	2,57,326	58,789	4,09,401	16,874	0
जून	18	0	0	0	2,43,572	57,969	2,43,950	11,306	0
जुलाई	26	0	0	0	1,86,760	54,711	2,22,539	13,245	0
अगस्त	68	0	0	0	1,73,333	53,103	2,29,184	14,042	0
सितंबर	265	0	0	0	1,77,518	53,647	2,75,430	16,351	0
अक्तूबर	196	0	0	0	1,66,974	49,744	2,72,516	16,425	0
नवंबर	7,986	0	0	0	1,80,781	60,018	3,88,800	20,229	0
दिसंबर	9,270	0	234	0	2,25,288	79,719	3,47,747	16,408	0
जनवरी	9,932	0	1,020	0	1,90,592	66,646	3,50,817	19,401	0
फरवरी	12,116	0	1,073	0	2,42,237	91,817	3,52,653	16,785	0
मार्च	15,612	0	1,188	0	2,90,957	1,13,322	2,77,378	12,106	0
2007-08									
अप्रैल	14,385	0	1,200	0	2,05,458	97,150	2,96,629	17,050	0
मई	15,764	0	1,252	0	2,14,523	85,465	4,00,096	23,358	0
जून	16,566	28	1,161	0	2,40,797	92,503	4,51,314	21,928	0
जुलाई	–	–	–	–	2,38,577	94,561	6,47,356	34,582	0

$: कॉल और पुट ऑप्शन्स सहित सांकेतिक पण्यावर्त समाहित। - : नगण्य /अनुपलब्ध

टिप्पणी : सूचकांक-फ्युचर्स जून 2000 में प्रारंभ किए गए, जिसमें सूचकांक-ऑप्शन्स-जून 2001 में स्टॉक ऑप्शन्स जुलाई 2001 में और बीएसई तथा एनएसई दोनों में स्टॉक फ्युचर्स नवंबर 2001में शुरू किए गए।

स्रोत : मुंबई शेयर बाजार लिमि. (बीएसई) तथा भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमि. (एनएसई)

परिशिष्ट सारणी 47: चुने हुए आर्थिक संकेतक - विश्व

मद	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007$	2008$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. विश्व उत्पादन (प्रतिशत परिवर्तन)	**3.7**	**4.8**	**2.5**	**3.1**	**4.0**	**5.3**	**4.9**	**5.5**	**5.2**	**5.2**
i) उन्नत अर्थव्यवस्थावाले देश	3.5	4.0	1.2	1.6	1.9	3.3	2.6	3.1	2.6	2.8
ii) उभरते बाजार तथा विकासशील देश	4.1	6.0	4.3	5.0	6.7	7.7	7.5	8.1	8.0	7.6
क) विकासशील एशिया	6.4	7.0	6.0	7.0	8.4	8.7	9.2	9.7	9.6	9.1
ख) अफ्रीका	2.7	3.1	4.4	3.7	4.7	5.8	5.6	5.5	6.4	6.2
ग) मध्य पूर्व	1.8	5.4	3.0	3.9	6.5	5.6	5.3	5.7	5.4	5.5
घ) पश्चिमी गोलार्ध	0.3	3.9	0.5	0.3	2.4	6.0	4.6	5.5	5.0	4.4
II. मुद्रा स्फीति उमूसू (प्रतिशत परिवर्तन)										
i) उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश	1.4	2.2	2.1	1.5	1.8	2.0	2.3	2.3	2.0	2.1
ii) उभरते बाजार तथा विकासशील देश	10.3	7.1	6.7	5.8	5.8	5.6	5.4	5.3	5.7	5.0
क) विकासशील एशिया	2.5	1.8	2.7	2.0	2.5	4.1	3.6	4.0	3.9	3.4
III. राजकोषीय शेष #										
i) उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश	-1.0	0.1	-0.9	-2.4	-3.1	-2.8	-2.4	-1.8	-1.7	-1.7
ii) अन्य उभरते बाजार तथा विकासशील देश भारित औसत)	-3.8	-3.0	-3.1	-3.4	-2.7	-1.6	-0.9	-0.4	-1.1	-0.8
IV. निवल पूंजी आगम * (बिलियन अमरीकी डालर)										
उभरते बाजार तथा विकासशील देश **										
i) निवल निजी पूंजी प्रवाह (क+ख+ग)	89.7	14.7	95.4	104.0	143.2	193.6	165.3	126.7	176.5	181.8
क) निवल निजी प्रत्यक्ष निवेश	157.6	151.3	172.0	158.0	151.5	193.4	252.3	255.8	275.1	280.7
ख) निवल निजी संविभागीय निवेश	-1.2	-18.3	-46.7	-39.0	8.4	54.5	63.6	-7.1	-23.8	-13.7
ग) अन्य निवल निजी पूंजी प्रवाह	-104.7	-90.3	-45.6	-18.3	15.5	-9.1	-36.6	32.8	12.1	12.6
ii) निवल अधिकारिक प्रवाह	40.5	-26.1	18.3	6.5	-30.0	-43.5	-111.8	-130.9	-77.7	-96.4
V. विश्व व्यापार @										
आयात										
i) उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश	8.0	11.7	-0.6	2.6	4.1	9.1	6.1	7.4	4.7	5.7
ii) नव औद्योगीकृत एशियाई देश	8.4	17.7	-5.7	9.0	10.0	16.8	7.8	9.5	7.6	8.4
निर्यात										
i) उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश	5.6	11.8	-0.6	2.3	3.3	8.9	5.6	8.4	5.5	5.8
ii) नव औद्योगीकृत एशियाई देश	9.3	17.3	-3.8	10.2	13.6	17.6	9.4	11.0	7.7	7.9
व्यापार स्थिति										
i) उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश	-0.3	-2.5	0.3	0.8	0.9	-0.2	-1.4	-1.3	-0.1	अनु.
ii) नव औद्योगीकृत एशियाई देश	-2.4	-3.1	-0.6	अनु.	-1.7	-1.8	-2.2	-1.7	-1.1	अनु.
VI. चालू खाता शेष (बिलियन अमरीकी डालर)										
i) उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश	-114.2	-267.9	-213.0	-229.0	-220.6	-255.2	-473.4	-563.2	-587.2	-637.8
ii) अन्य उभरते बाजार तथा विकासशील देश	-21.2	85.8	39.4	77.3	147.6	212.6	428.0	544.2	455.1	470.7
क) विकासशील एशिया	38.3	38.1	36.6	64.6	82.5	88.5	165.2	253.1	308.9	358.6

अनु. : उपलब्ध नहीं।

$: अनुमान।

: सघउ के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार की शेष राशि ।

* : निवल पूंजी आगम में निवल प्रत्यक्ष निवेश, निवल संविभागीय निवेश तथा अन्य दीर्घावधि और अल्पावधि निवेश आते हैं, जिनमें सरकारी और निजी उधार भी शामिल हैं।

** : उभरते बाजार तथा विकासशील देशों में उन्नत देशों के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए देश शामिल हैं।

@ : विश्व व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ।

स्रोत : वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2007 और इकॉनॉमिक आउटलुक अपडेट, जुलाई 2007, आइएमएफ ।

परिशिष्ट सारणी 48: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

मद	करोड़ रुपए			मिलियन अमरीकी डालर		
	2004-05	2005-06 आंसं	2006-07 अ	2004-05	2005-06 आंसं	2006-07 अ
1	2	3	4	5	6	7
क. चालू खाता						
1. निर्यात, जहाज तक नि:शुल्क	381,785	465,705	574,917	85,206	105,152	127,090
2. आयात, लागत, बीमा भाड़ा	533,550	695,131	868,675	118,908	156,993	191,995
3. व्यापार संतुलन	-151,765	-229,426	-293,758	-33,702	-51,841	-64,905
4. अदृश्य मदें, निवल	139,591	188,704	249,435	31,232	42,655	55,296
क) नॉन-फैक्टर सेवाएं	68,831	105,619	147,804	15,426	23,881	32,727
जिनमें से :						
सॉफ्टवेअर	75,825	98,678	130,090	16,900	22,262	28,798
ख) आय	-22,375	-24,588	-21,991	-4,979	-5,510	-4,846
ग) निजी अंतरण	91,971	106,860	122,635	20,525	24,102	27,195
घ) आधिकारिक अंतरण	1,164	813	987	260	182	220
5. चालू खाता शेष राशि	-12,174	-40,722	-44,323	-2,470	-9,186	-9,609
ख. पूंजी खाता						
1. विदेशी सहायता, निवल (क+ख)	58,057	76,319	70,083	13,000	17,224	15,499
क) प्रत्यक्ष निवेश	16,745	20,962	38,193	3,713	4,730	8,437
जिनमें से :						
i) भारत में	26,947	33,967	87,725	5,987	7,661	19,442
इक्विटी	16,741	25,549	72,077	3,714	5,759	15,976
पुन:निवेशकृत अर्जन	8,555	7,420	13,284	1,904	1,676	2,936
अन्य पूंजी	1,651	998	2,364	369	226	530
ii) विदेश में	-10,202	-13,005	-49,532	-2,274	-2,931	-11,005
इक्विटी	-7,359	-8,169	-42,259	-1,637	-1,841	-9,398
पुन:निवेशकृत अर्जन	-1,114	-1,612	-3,331	-248	-364	-736
अन्य पूंजी	-1,729	-3,224	-3,942	-389	-726	-871
ख) संविभागीय निवेश	41,312	55,357	31,890	9,287	12,494	7,062
भारत में	41,419	55,357	31,630	9,311	12,494	7,004
विदेश में	-107	0	260	-24	0	58
2. बाह्य सहायता, निवल	8,525	7,505	7,951	1,923	1,682	1,770
संवितरण	16,988	16,116	16,805	3,809	3,627	3,728
ऋण परिशोधन	8,463	8,611	8,854	1,886	1,945	1,958
3. वाणिज्यिक उधार, निवल	23,113	11,462	72,207	5,194	2,723	16,084
संवितरण	40,679	64,387	95,675	9,084	14,547	21,291
ऋण परिशोधन	17,566	52,925	23,468	3,890	11,824	5,207
4. अल्पावधि ऋण, निवल	16,957	7,591	14,835	3,792	1,708	3,275
5. बैंकिंग पूंजी,						
जिसमें से :	17,040	5,795	9,193	3,874	1,373	2,087
अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां, निवल	-4,439	12,457	17,641	-964	2,789	3,895
6. रुपया ऋण सेवा	-1,858	-2,557	-725	-417	-572	-162
7. अन्य पूंजी, निवल @	3,533	-3,146	28,691	656	-738	6,391
8. कुल पूंजी खाता	125,367	102,969	202,235	28,022	23,400	44,944
ग. भूल-चूक	2,714	3,649	5,722	607	838	1,271
घ. समग्र शेष [क(5)+ख(8)+ग]	**115,907**	**65,896**	**163,634**	**26,159**	**15,052**	**36,606**
ङ. मौद्रिक घट-बढ़ (च+छ)	-115,907	-65,896	-163,634	-26,159	-15,052	-36,606
च. अं.मु.कोष, निवल	0	0	0	0	0	0
छ. आरक्षित मद्रा और मौद्रिक स्वर्ण (वृद्धि -, ह्रास +)	**-115,907**	**-65,896**	**-163,634**	**-26,159**	**-15,052**	**-36,606**

आंसं : आंशिक रूप से संशोधित।

सं. : संशोधित।

@ : इसमें विलंबित निर्यात प्राप्तियां, आयात के लिए अग्रिम भुगतान शामिल है।

टिप्पणी : 1. विदेश से लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाए गए सोना/चांदी को आयातों के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे आयातों की निजी अंतरण प्राप्तियों में प्रति-प्रविष्टि की गई है।

2. बीमा, मूल्यन और अवधि में भिन्नताओं के कारण निर्यातों और आयातों से संबंधित आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा दिए गए आंकड़ों से अलग हैं।

परिशिष्ट सारणी 49: भारत का विदेश व्यापार

मद	करोड़ रुपए			मिलियन अमरीकी डालर			मिलियन विआअ		
	2004-05	2005-06 सं	2006-07 अ	2004-05	2005-06 सं	2006-07 अ	2004-05	2005-06 सं	2006-07 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. निर्यात	**3,75,340 (27.9)**	**456,418 (21.6)**	**571,642 (25.2)**	**83,536 (30.8)**	**103,091 (23.4)**	**126,331 (22.5)**	**56,081 (25.6)**	**70,774 (26.2)**	**84,998 (20.1)**
क. पेट्रोलियम, तेल और लूब्रिकेन्ट@	31,404 (91.5)	51,533 (64.1)	83,946 (62.9)	6,989 (95.9)	11,640 (66.5)	18,552 (59.4)	4,692 (88.0)	7,991 (70.3)	12,482 (56.2)
ख. तेल से इतर	3,43,935 (24.2)	404,885 (17.7)	487,695 (20.5)	76,547 (27.0)	91,451 (19.5)	107,779 (17.9)	51,389 (21.9)	62,783 (22.2)	72,516 (15.5)
II. आयात	**5,01,065 (39.5)**	**660,409 (31.8)**	**862,302 (30.6)**	**1,11,517 (42.7)**	**149,166 (33.8)**	**190,566 (27.8)**	**74,866 (36.9)**	**102,405 (36.8)**	**128,216 (25.2)**
क. पेट्रोलियम, तेल और लूब्रिकेन्ट	1,34,094 (41.9)	194,640 (45.2)	258,259 (32.7)	29,844 (45.1)	43,963 (47.3)	57,074 (29.8)	20,036 (39.2)	30,182 (50.6)	38,401 (27.2)
ख. तेल से इतर	3,66,971 (38.7)	465,769 (26.9)	604,042 (29.7)	81,673 (41.8)	105,203 (28.8)	133,492 (26.9)	54,830 (36.1)	72,224 (31.7)	89,815 (24.4)
III. व्यापार शेष (I-II)	**-1,25,725**	**-203,991**	**-290,660**	**-27,981**	**-46,075**	**-64,235**	**-18,785**	**-31,632**	**-43,218**
क. तेल संबंधी शेष (I.क-II.क)	1,02,690	-143,107	-174,313	-22,855	-32,323	-38,523	-15,343	-22,191	-25,919
ख. तेल से इतर शेष (I.ख-II.ख)	-23,035	-60,884	-116,347	-5,127	-13,752	-25,712	-3,442	-9,441	-17,300

अ : अनंतिम. सं : संशोधित

@ : पेट्रोलियम, तेल और लूब्रिकेन्ट

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की प्रतिशत की तुलना में घट-बढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय।

परिशिष्ट सारणी 50: भारत से मुख्य पण्यों का निर्यात

पण्य-समूह	करोड़ रुपए					मिलियन अमरीकी डालर				
	अप्रैल-मार्च			प्रतिशत घट-बढ़		अप्रैल-मार्च			प्रतिशत घट-बढ़	
	2004-05	2005-06 सं	2006-07 अ	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06 सं	2006-07 अ	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. प्राथमिक उत्पाद	**60,897 (16.2)**	**72,508 (15.9)**	**88,453 (15.5)**	**19.1**	**22.0**	**13,553 (16.2)**	**16,377 (15.9)**	**19,548 (15.5)**	**20.8**	**19.4**
क. कृषिगत और संबद्ध उत्पाद	**38,078 (10.1)**	**45,220 (9.9)**	**56,628 (9.9)**	**18.8**	**25.2**	**8,475 (10.1)**	**10,214 (9.9)**	**12,515 (9.9)**	**20.5**	**22.5**
जिनमें से :										
1. चाय	1,840	1,731	1,956	-6.0	13.0	410	391	432	-4.6	10.6
2. कॉफी	1,069	1,589	1,969	48.6	23.9	238	359	435	50.8	21.3
3. चावल	6,769	6,221	7,036	-8.1	13.1	1,507	1,405	1,555	-6.7	10.7
4. खली	3,178	4,875	5,503	53.4	12.9	707	1,101	1,216	55.7	10.4
5. समुद्री उत्पाद	6,469	7,036	7,890	8.8	12.1	1,440	1,589	1,744	10.4	9.7
ख. अयस्क और खनिज़	**22,819 (6.1)**	**27,288 (6.0)**	**31,825 (5.6)**	**19.6**	**16.6**	**5,079 (6.1)**	**6,164 (6.0)**	**7,033 (5.6)**	**21.4**	**14.1**
II. विनिर्मित वस्तुएं	**272,872 (72.7)**	**321,261 (70.4)**	**374,746 (65.6)**	**17.7**	**16.6**	**60,731 (72.7)**	**72,563 (70.4)**	**82,818 (65.6)**	**19.5**	**14.1**
जिनमें से :										
क. चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं	**10,881 (2.9)**	**11,943 (2.6)**	**13,272 (2.3)**	**9.8**	**11.1**	**2,422 (2.9)**	**2,698 (2.6)**	**2,933 (2.3)**	**11.4**	**8.7**
ख. रसायन और संबद्ध उत्पाद	**55,911 (14.9)**	**65,390 (14.3)**	**75,689 (13.2)**	**17.0**	**15.8**	**12,444 (14.9)**	**14,770 (14.3)**	**16,727 (13.2)**	**18.7**	**13.3**
1. मूल रसायन, दवाइयां और प्रसाधन सामग्री	32,077	40,409	47,267	26.0	17.0	7,139	9,127	10,446	27.8	14.4
2. प्लास्टिक और लेनोलियम	13,627	12,482	14,441	-8.4	15.7	3,033	2,819	3,191	-7.0	13.2
3. रबड़, कांच, पेंट और इनामल आदि	7,906	9,320	10,587	17.9	13.6	1,760	2,105	2,340	19.6	11.1
4. अवशिष्ट रसायन और संबद्ध उत्पाद	2,302	3,178	3,394	38.1	6.8	512	718	750	40.1	4.5
ग. इंजीनियरी वस्तुएं	**77,949 (20.8)**	**96,157 (21.1)**	**131,581 (23.0)**	**23.4**	**36.8**	**17,348 (20.8)**	**21,719 (21.1)**	**29,079 (23.0)**	**25.2**	**33.9**
घ. वस्त्र और वस्त्र उत्पाद	**60,906 (16.2)**	**72,618 (15.9)**	**76,968 (13.5)**	**19.2**	**6.0**	**13,555 (16.2)**	**16,402 (15.9)**	**17,010 (13.5)**	**21.0**	**3.7**
जिनमें से :										
1. सूती धागा, फेब्रिक्स, परिधान इत्यादि	15,502	17,465	18,718	12.7	7.2	3,450	3,945	4,137	14.3	4.9
2. अपशेष रेशम में प्राकृतिक रेशम धागा, फेब्रिक्स, परिधान इत्यादि	1,820	1,915	1,956	5.2	2.1	405	433	432	6.8	-0.1
3. मानव निर्मित धागा, कपड़ा, परिधान इत्यादि	8,819	8,668	9,795	-1.7	13.0	1,963	1,958	2,165	-0.3	10.6
4. तैयार कपड़े	29,481	38,154	39,343	29.4	3.1	6,561	8,618	8,695	31.3	0.9
5. जूट और जूट विनिर्माण	1,241	1,312	1,165	5.7	-11.2	276	296	258	7.2	-13.1
6. कॉयर और कॉयर विनिर्माण	474	590	708	24.5	19.9	106	133	156	26.3	17.3
7. गलीचा	2,860	3,775	4,015	32.0	6.4	636	853	887	34.0	4.1
ङ. रत्न और आभूषण	**61,834 (16.5)**	**68,753 (15.1)**	**70,524 (12.3)**	**11.2**	**2.6**	**13,762 (16.5)**	**15,529 (15.1)**	**15,586 (12.3)**	**12.8**	**0.4**
च. हस्तकला	**1,696 (0.5)**	**2,045 (0.4)**	**1,682 (0.3)**	**20.6**	**-17.8**	**377 (0.5)**	**462 (0.4)**	**372 (0.3)**	**22.4**	**-19.5**
III. पेट्रोलियम, क्रूड तथा उत्पाद	**31,404 (8.4)**	**51,533 (11.3)**	**83,946 (14.7)**	**64.1**	**62.9**	**6,989 (8.4)**	**11,640 (11.3)**	**18,552 (14.7)**	**66.5**	**59.4**
IV. अन्य	**10,166 (2.7)**	**11,116 (2.4)**	**24,497 (4.3)**	**9.3**	**120.4**	**2,263 (2.7)**	**2,511 (2.4)**	**5,414 (4.3)**	**11.0**	**115.6**
कुल निर्यात (I+II+III+IV)	**375,340**	**456,418**	**571,642**	**21.6**	**25.2**	**83,536**	**103,091**	**126,331**	**23.4**	**22.5**

अ : अनंतिम सं : संशोधित

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल निर्यातों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. चमड़ा और चमड़े से निर्मित वस्तुओं में ये शामिल हैं: परिष्कृत चमडा, चमड़े की वस्तुएं, चमडे के वस्त्र, चमडे के जूते और चप्पल तथा उसके भाग और जीन तथा साजो-सामान ।

3. इंजीनियरी वस्तुओं में ये शामिल हैं : लौह मिश्रित धातुएं, एल्युमिनियम से बने सामान छोडकर एल्युमिनियम, अलौह धातु, धातु से निर्मित वस्तुएं, मशीन औज़ार, मशीनें और उसके उपस्कर, परिवहन उपस्कर, अवशिष्ट इंजीनियरी मदें, लौह और इस्पात बार/छड़ें इत्यादि, मूल और अर्ध परिष्कृत लोहा और इस्पात, इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कंप्यूटर साफ्टवेयर और परियोजना वस्तुएं ।

4. वस्त्र तथा वस्त्र उत्पादों में शामिल हैं : (क) सूती धागा, कपड़ा, कपडे से बनी तैयार वस्तुएं आदि, (ख) रेशम अपशेष सहित प्राकृतिक रेशम धागा, कपड़ा आदि, (घ) कृत्रिम स्टेपल फाइबर (ड) ऊनी धागा, कपड़ा, उससे बनी वस्तुएं आदि, (च) तैयार कपड़े, (छ) जूट और जूट विनिर्माण, (ज) कॉयर और कॉयर विनिर्माण तथा (झ) गलीचा।

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय।

परिशिष्ट सारणी 51: भारत में मुख्य पण्यों का आयात

पण्य समूह	करोड़ रुपए					मिलियन अमरीकी डॉलर				
	अप्रैल-मार्च			प्रतिशत घट-बढ़		अप्रैल-मार्च			प्रतिशत घट-बढ़	
	2004-05	2005-06 सं	2006-07 अ	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06 सं	2006-07 अ	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. थोक आयात	**190,513 (38.0)**	**270,450 (41.0)**	**377,122 (43.7)**	**42.0**	**39.4**	**42,401 (38.0)**	**61,086 (41.0)**	**83,343 (43.7)**	**44.1**	**36.4**
क. पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के उत्पाद और संबद्ध सामग्री	**134,094 (26.8)**	**194,640 (29.5)**	**258,259 (29.9)**	**45.2**	**32.7**	**29,844 (26.8)**	**43,963 (29.5)**	**57,074 (29.9)**	**47.3**	**29.8**
ख. थोक उपभोक्ता वस्तुएं	**13,950 (2.8)**	**12,248 (1.9)**	**14,890 (1.7)**	**-12.2**	**21.6**	**3,105 (2.8)**	**2,767 (1.9)**	**3,291 (1.7)**	**-10.9**	**18.9**
1. अनाज और अनाज से बनी चीजें	119	160	145	34.5	-9.2	26	36	32	36.6	-11.1
2. खाद्य तेल	11,077	8,961	9,416	-19.1	5.1	2,465	2,024	2,081	-17.9	2.8
3. दालें	1,778	2,476	3,851	39.3	55.5	396	559	851	41.4	52.2
4. चीनी	976	652	3	-33.3	-99.5	217	147	1	-32.3	-99.5
ग. अन्य थोक वस्तुएं	**42,469 (8.5)**	**63,561 (9.6)**	**103,974 (12.1)**	**49.7**	**63.6**	**9,452 (8.5)**	**14,356 (9.6)**	**22,978 (12.1)**	**51.9**	**60.1**
1. उर्वरक	6,188	9,417	14,223	52.2	51.0	1,377	2,127	3,143	54.5	47.8
क) कच्चा तेल	1,301	1,407	1,632	8.2	16.0	290	318	361	9.8	13.5
ख) गंधक और बिना तपाए गए आइरन पायराइट	576	602	494	4.6	-18.0	128	136	109	6.2	-19.8
ग) विनिर्मित	4,311	7,408	12,097	71.8	63.3	960	1,673	2,673	74.4	59.8
2. अलौह धातुएं	5,887	8,166	11,792	38.7	44.4	1,310	1,844	2,606	40.8	41.3
3. न्यूजप्रिंट सहित कागज, गत्ता और उनसे बनी चीजें	3,270	4,180	5,457	27.8	30.6	728	944	1,206	29.7	27.8
4. कच्चा रबड़, सिथेंटिक और पुनः संसाधित	1,839	1,833	2,840	-0.3	54.9	409	414	628	1.2	51.6
5. लुगदी और रद्दी कागज	2,200	2,537	2,875	15.3	13.3	490	573	635	17.0	10.9
6. धातुमय लौह अयस्क और धातु छीलन	11,091	17,186	37,710	55.0	119.4	2,469	3,882	8,334	57.3	114.7
7. लोहा और इस्पात	11,995	20,243	29,076	68.8	43.6	2,670	4,572	6,426	71.3	40.5
II. फुटकर आयात	**310,552 (62.0)**	**389,959 (59.0)**	**485,179 (56.3)**	**25.6**	**24.4**	**69,117 (62.0)**	**88,080 (59.0)**	**107,223 (56.3)**	**27.4**	**21.7**
क. पूंजीगत वस्तुएं	**112,936 (22.5)**	**166,761 (25.3)**	**239,571 (27.8)**	**47.7**	**43.7**	**25,135 (22.5)**	**37,666 (25.3)**	**52,944 (27.8)**	**49.9**	**40.6**
1. धातुओं से बनी वस्तुएं	4,128	5,362	7,258	29.9	35.4	919	1,211	1,604	31.8	32.4
2. मशीन औजार	2,788	4,765	6,701	70.9	40.6	620	1,076	1,481	73.5	37.6
3. इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर मशीनरी	30,633	44,317	62,665	44.7	41.4	6,818	10,010	13,849	46.8	38.4
4. इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर इलेक्ट्रीकल मशीनरी	5,369	6,660	8,849	24.0	32.9	1,195	1,504	1,956	25.9	30.0
5. कंप्यूटर साफ्टवेयर सहित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	47,895	62,619	76,413	30.7	22.0	10,660	14,144	16,887	32.7	19.4
6. परिवहन उपस्कर	19,444	39,131	69,746	101.3	78.2	4,327	8,838	15,414	104.2	74.4
7. परियोजना वस्तुएं	2,679	3,908	7,938	45.9	103.1	596	883	1,754	48.1	98.7
ख. मुख्य रूप से निर्यात से संबद्ध मदें	**76,813 (15.3)**	**82,530 (12.5)**	**80,782 (9.4)**	**7.4**	**-2.1**	**17,096 (15.3)**	**18,641 (12.5)**	**17,853 (9.4)**	**9.0**	**-4.2**
1. मोती, बहुमूल्य और कम मूल्यवान रत्न	42,338	40,441	33,880	-4.5	-16.2	9,423	9,134	7,487	-3.1	-18.0
2. रसायन, कार्बनिक और अकार्बनिक	25,610	30,921	35,346	20.7	14.3	5,700	6,984	7,811	22.5	11.8
3. वस्त्रेपयोगी धागा, फेब्रिक्स आदि	7,060	9,078	9,736	28.6	7.2	1,571	2,051	2,152	30.5	4.9
4. कच्चा काजू	1,805	2,089	1,821	15.8	-12.9	402	472	402	17.5	-14.7
ग. अन्य	**120,804 (24.1)**	**140,667 (21.3)**	**164,826 (19.1)**	**16.4**	**17.2**	**26,886 (24.1)**	**31,772 (21.3)**	**36,426 (19.1)**	**18.2**	**14.6**
जिनमें से :										
1. सोना और चांदी	50,099	50,108	66,269	0.02	32.25	11,150	11,318	14,645	1.5	29.4
2. कृत्रिम रेजिन और प्लास्टिक सामग्री	6,546	10,040	11,773	53.4	17.3	1,457	2,268	2,602	55.7	14.7
3. व्यावसायिक,वैज्ञानिक और दृष्टिभ्रम साधन	6,877	8,734	10,539	27.0	20.7	1,530	1,973	2,329	28.9	18.1
4. कोयला, कोक और ब्रिकेट इत्यादि	14,371	17,128	20,794	19.2	21.4	3,198	3,869	4,595	21.0	18.8
5. औषधीय और भेषजीय उत्पाद	3,169	4,551	5,867	43.6	28.9	705	1,028	1,297	45.7	26.1
6. रासायनिक सामग्री और उत्पाद	3,682	4,660	6,005	26.6	28.9	819	1,052	1,327	28.4	26.1
7. अधात्विक खनिज से बनी वस्तुएं	2,120	2,754	3,535	29.9	28.4	472	622	781	31.8	25.6
III. कुल आयात (I+II)	**501,065**	**660,409**	**862,302**	**31.8**	**30.6**	**111,517**	**149,166**	**190,566**	**33.8**	**27.8**

अ : अनंतिम सं : संशोधित

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल आयात की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय।

परिशिष्ट सारणी 52: लेनदेनों की श्रेणियों के अनुसार अदृश्य मदें

मद	करोड़ रुपए				मिलियन अमरीकी डॉलर			
	2003-04	2004-05	2005-06 आंसं	2006-07 अ	2003-04	2004-05	2005-06 आंसं	2006-07 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. गैर फैक्टर सेवा, निवल	**46,381**	**68,831**	**105,619**	**147,804**	**10,144**	**15,426**	**23,881**	**32,727**
प्राप्तियां	123,175	193,711	272,220	367,111	26,868	43,249	61,404	81,330
अदायगियां	76,794	124,880	166,601	219,307	16,724	27,823	37,523	48,603
यात्रा, निवल	6,520	6,287	6,198	9,751	1,435	1,417	1,389	2,188
प्राप्तियां	23,054	29,858	34,871	42,477	5,037	6,666	7,853	9,423
अदायगियां	16,534	23,571	28,673	32,726	3,602	5,249	6,464	7,235
परिवहन, निवल	4,026	658	-6,872	-3,548	879	144	-1,550	-788
प्राप्तियां	14,714	21,021	27,874	36,481	3,207	4,683	6,291	8,069
अदायगियां	10,688	20,363	34,746	40,029	2,328	4,539	7,841	8,857
बीमा, निवल	250	664	69	2,527	56	148	22	559
प्राप्तियां	1,922	3,913	4,641	5,425	419	870	1,050	1,200
अदायगियां	1,672	3,249	4,572	2,898	363	722	1,028	641
जीएनआईई, निवल	129	-46	-869	-653	28	-10	-197	-144
प्राप्तियां	1,105	1,797	1,374	1,235	240	401	309	273
अदायगियां	976	1,843	2,243	1,888	212	411	506	417
विविध, निवल	35,456	61,268	107,093	139,727	7,746	13,727	24,217	30,912
प्राप्तियां	82,380	137,122	203,460	281,493	17,965	30,629	45,901	62,365
अदायगियां	46,924	75,854	96,367	141,766	10,219	16,902	21,684	31,453
II. आय, निवल	**-20,708**	**-22,375**	**-24,588**	**-21,991**	**-4,505**	**-4,979**	**-5,510**	**-4,846**
प्राप्तियां	17,909	20,638	25,124	40,499	3,904	4,593	5,662	8,972
अदायगियां	38,617	43,013	49,712	62,490	8,409	9,572	11,172	13,818
III. निजी राशि अंतरण, निवल	**99,165**	**91,971**	**106,860**	**122,635**	**21,608**	**20,525**	**24,102**	**27,195**
प्राप्तियां	101,798	94,439	108,891	127,282	22,182	21,075	24,560	28,223
अदायगियां	2,633	2,468	2,031	4,647	574	550	458	1,028
IV. सरकारी राशियां अंतरण, निवल	**2,531**	**1,164**	**813**	**987**	**554**	**260**	**182**	**220**
प्राप्तियां	2,531	2,762	2,965	2,877	554	616	668	638
अदायगियां	0	1,598	2,152	1,890	0	356	486	418
V. अदृश्य राशि,निवल (I से IV)	**127,369**	**139,591**	**188,704**	**249,435**	**27,801**	**31,232**	**42,655**	**55,296**
प्राप्तियां	245,413	311,550	409,200	537,769	53,508	69,533	92,294	119,163
अदायगियां	118,044	171,959	220,496	288,334	25,707	38,301	49,639	63,867

आंसं : आंशिक रूप से संशोधित।
अ : अनुमानित।
जीएनआईई : सरकारी, अन्यत्र शामिल न की गई।

परिशिष्ट सारणी 53: पूंजी आगमों की संरचना

मद	1990-91	1995-96	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 आंसं	2006-07 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल पूंजी आगम (निवल) मिलियन अमरीकी डॉलर	**7,056**	**4,089**	**8,551**	**10,840**	**16,736**	**28,022**	**23,400**	**44,944**
जिसमें से :								(प्रतिशत में)
1. गैर ऋण सर्जक आगम	**1.5**	**117.5**	**95.2**	**55.5**	**93.7**	**54.6**	**86.1**	58.8
क) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश*	1.4	52.4	71.6	46.5	25.8	21.4	32.7	43.3
ख) संविभागीय निवेश	0.1	65.1	23.6	9.0	67.9	33.2	53.4	15.5
2. ऋण सर्जक आगम	**83.3**	**57.7**	**12.4**	**-12.3**	**-6.0**	**35.2**	**37.0**	**56.1**
क) बाह्य आर्थिक सहायता	31.3	21.6	14.1	-28.6	-16.5	7.2	7.5	4.0
ख) बाह्य वाणिज्यिक उधार #	31.9	31.2	-18.6	-15.7	-17.5	19.4	12.7	36.5
ग) अल्पावधि ऋण	15.2	1.2	-9.3	8.9	8.5	13.5	7.3	7.3
घ) अनिवासी भारतीय जमाराशियां @	21.8	27.0	32.2	27.5	21.8	-3.4	11.9	8.7
ङ) रुपया ऋण सेवा	-16.9	-23.3	-6.1	-4.4	-2.2	-1.5	-2.4	-0.4
3. अन्य पूंजी ±	**15.2**	**-75.2**	**-7.6**	**56.8**	**12.3**	**10.2**	**-23.1**	**-14.9**
4. कुल (1 से 3)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
ज्ञापन :								
स्थिर प्रवाह +	**84.7**	**33.7**	**85.6**	**82.0**	**23.7**	**53.2**	**39.3**	**77.1**

आंसं : आंशिक रूप से संशोधित अ : अनंतिम

* : वर्ष 2000-01 से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का डाटा संशोधित किया गया है जिसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परंपरा दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। अतः ऐसे आंकड़े पिछले वर्षों के आंकड़े से तुलनीय हैं।

\# : यह मध्यावधि और दीर्घावधि उधार से संबंधित हैं।

@ : एनआर (एनआर) रुपए जमा शामिल हैं।

± : निर्यातों में अग्र और पश्च (सीमा-शुल्क और बैंकिंग सारणी के आंकड़ों के बीच का अंतर), बैंकिंग पूंजी (अनिवासी जमाराशि के अतिरक्त बैंकों की आस्तियां और देयताएं), निवासियों द्वारा अनिवासियों को ऋण, विदेश में भारतीय निवेश, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भारत के अंशदान और अं.मु.को को कोटा भुगतान शामिल है।

\+ : स्थिर प्रवाह से अभिप्राय संविभागीय प्रवाहों और अल्पावधि व्यापार ऋणों को छोड़कर सभी पूंजी प्रवाह को दर्शाता है।

परिशिष्ट सारणी 54: बाह्य सहायता

मद	करोड़ रुपए			मिलियन अमरीकी डॉलर		
	2004-05	2005-06	2006-07 अ	2004-05	2005-06	2006-07 अ
1	2	3	4	5	6	7
1. ऋण	14,630	16,098	16,803	3,259	3,639	3,691
2. अनुदान	2,453	2,733	2,485	546	618	546
3. कुल उपयोग (1+2)	17,083	18,831	19,288	3,805	4,257	4,237
4. चुकौतियां	9,568	8,360	8,980	2,218	1,887	1,970
5. ब्याज अदायगियां	3,259	3,655	4,453	725	825	977
6. निवल राशि (3-4-5)	4,256	6,816	5,855	952	1,545	1,290

अ: अनंतिम

टिप्पणी : 1. ऋण में गैर सरकारी ऋण शामिल हैं, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं के ऋण और वाणिज्यिक उधारों की राशियां शामिल नहीं हैं।
2. अनुदान में पी.एल. 480-II अनुदान शामिल नहीं हैं।
3. चुकौतियों में रूस को देय नागरी ऋण का परिशोधन शामिल है और इसलिए ये आंकड़े परिशिष्ट सारणी 48 में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं।

स्रोत : सहायता, लेखा और लेखा-परीक्षा नियंत्रक, भारत सरकार।

परिशिष्ट सारणी 55: भारत का विदेशी ऋण

(मार्च के अंत में)

मद	करोड़ रुपए			मिलियन अमरीकी डॉलर		
	2005	2006सं	2007अ	2005	2006 सं	2007 अ
1	2	3	4	5	6	7
I. बहुपक्षीय	**1,38,915**	**1,45,503**	**1,55,374**	**31,702**	**32,559**	**35,641**
क. सरकारी उधार	1,27,782	1,33,800	1,43,154	29,161	29,940	32,837
i) रियायती	1,05,114	1,05,853	1,09,517	23,988	23,686	25,121
क) अंतरराष्ट्रीय विकास संघ	1,03,671	1,04,457	1,08,073	23,659	23,374	24,790
ख) अन्य #	1,443	1,396	1,444	329	312	331
ii) गैर रियायती	22,668	27,947	33,637	5,173	6,254	7,716
क) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास संघ	16,500	19,625	22,091	3,765	4,392	5,067
ख) अन्य##	6,168	8,322	11,546	1,408	1,862	2,649
ख. गैर सरकारी उधार	11,133	11,703	12,220	2,541	2,619	2,804
i) रियायती	0	0	0	0	0	0
ii) गैर रियायती	11,133	11,703	12,220	2,541	2,619	2,804
क) सार्वजनिक क्षेत्र	8,000	8,510	9,188	1,826	1,904	2,108
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास संघ	4,462	4,594	4,390	1,018	1,028	1,007
अन्य##	3,538	3,916	4,798	808	876	1,101
ख) वित्तीय संस्थाएं	2,789	2,628	2,437	636	588	559
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास संघ	252	630	661	57	141	152
अन्य##	2,537	1,998	1,776	579	447	407
ग) निजी क्षेत्र	344	565	595	79	127	137
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास संघ	0	0	0	0	0	0
अन्य	344	565	595	79	127	137
II. द्विपक्षीय	**74,174**	**70,272**	**70,200**	**16,930**	**15,727**	**16,104**
क. सरकारी उधार	57,458	54,593	54,274	13,113	12,216	12,450
i) रियायती	57,207	54,468	54,274	13,055	12,188	12,450
ii) गैर रियायती	251	125	0	58	28	0
ख. गैर सरकारी उधार	16,716	15,679	15,926	3,817	3,511	3,654
i) रियायती	7,472	6,949	1,739	1,705	1,555	399
क) सार्वजनिक क्षेत्र	5,653	5,285	1,254	1,290	1,183	288
ख) वित्तीय संस्थाएं	1,819	1,664	485	415	372	111
ग) निजी क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
ii) गैर सरकारी उधार	9,244	8,730	14,187	2,112	1,956	3,255
क) सार्वजनिक क्षेत्र	4,354	3,628	7,314	995	813	1,678
ख) वित्तीय संस्थाएं	2,844	2,386	3,866	649	534	887
ग) निजी क्षेत्र	2,046	2,716	3,007	468	609	690
III. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. व्यापारिक ऋण	**21,798**	**24,088**	**30,357**	**4,980**	**5,398**	**6,964**
क) विक्रेता ऋण	12,900	16,006	22,773	2,948	3,588	5,224
ख) आपूर्तिकर्ता ऋण	3,923	3,346	2,865	897	750	657
ग) द्विपक्षीय ऋण का निर्यात ऋण घटक	4,975	4,736	4,719	1,135	1,060	1,083
घ) प्रतिरक्षा उद्देश्यों हेतु निर्यात ऋण	0	0	0	0	0	0
V. वाणिज्यिक उधार	**1,18,243**	**1,19,849**	**1,86,502**	**27,024**	**26,869**	**42,780**
क) वाणिज्यिक बैंक ऋण	60,448	73,190	1,12,538	13,815	16,408	25,814
ख) प्रतिभूतिकृत उधार@(विमबाउ सहित)	54,152	43,306	68,413	12,376	9,709	15,693
ग) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गारंटी और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (डब्ल्यू) के साथ ऋण/प्रतिभूतिकृत उधार इत्यादि	3,643	3,353	5,551	833	752	1,273
घ) स्वमेव समाप्य ऋण	0	0	0	0	0	0

(जारी)

परिशिष्ट सारणी 55: भारत का विदेशी ऋण *(समाप्त)*

(मार्च के अंत में)

मद	करोड़ रुपए			मिलियन अमरीकी डॉलर		
	2005	2006 सं	2007 अ	2005	2006 सं	2007 अ
1	2	3	4	5	6	7
VI. अनिवासी भारतीय और विदेशी मुद्रा (बैंक और अन्य) की जमाराशियां (एक वर्ष से अधिक की परिपक्वतावाली)	**1,43,267**	**1,56,715**	**1,72,741**	**32,743**	**35,134**	**39,624**
VII. रुपया ऋण *	**10,070**	**9,064**	**8,495**	**2,301**	**2,031**	**1,949**
क) प्रतिरक्षा	8,887	7,992	7,511	2,031	1,791	1,723
ख) सिविल +	1,183	1,072	984	270	240	226
VIII. कुल दीर्घावधि ऋण (I से VII)	**5,06,467**	**5,25,491**	**6,23,669**	**115,680**	**117,718**	**143,062**
IX. अल्पावधि ऋण	**32,922**	**38,789**	**52,188**	**7,524**	**8,696**	**11,971**
क) अनिवासी भारतीय जमाराशिया (एक वर्ष तक की परिपक्वता)	0	0	0	0	0	
ख) अन्य (व्यापार से संबंधित)	32,922	38,789	52,188	7,524	8,696	11,971
X. कुल जोड	**5,39,389**	**5,64,280**	**6,75,857**	**123,204**	**126,414**	**155,033**
रियायती ऋण	**1,79,863**	**1,76,334**	**1,74,025**	**41,049**	**39,460**	**39,919**
कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में	33.3	31.2	25.7	33.3	31.2	25.7
अल्पावधि ऋण						
कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में	6.1	6.9	7.7	6.1	6.9	7.7
ज्ञापन मदें:						
ऋण संकेतक :						
1. ऋण स्टाक/सघउ अनुपात (प्रतिशत में)	17.3	15.8	16.4	17.3	15.8	16.4
2. ऋण चुकौती अनुपात (%) (राजकोषीय वर्ष के लिए) (गैर सिविल ऋणों से संबधित ऋण चुकौतियों सहित)	6.1	9.9	4.8	6.1	9.9	4.8

सं : संशोधित अ : अनंतिम

\# : आइएफएडी, ओपेक तथा ईईसी (एसएसी) जैसे संस्थानों के बकाया ऋण से संबंधित है।

: एडीबी के कर्जों के प्रति बकाया ऋणों से संबंधित है।

@ : इसमें 100 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेशक ऋण निधियों, रिसर्जेंट इंडिया बांड और इंडिया मिलेनियम डिपाजिट द्वारा किया गया निवल निवेश शामिल है।

* : रुस के प्रति रुपए मे देनदारी जिसे निर्यात में देय वर्तमान दरों के अनुसार परिवर्तित किया गया।

\+ : इसमें मार्च 1990 की अंतिम तारीख के बाद से रुपए आपूर्तिकर्ता संबंधी ऋण शामिल है।

टिप्पणी : बहुपक्षीय ऋणों में 1971 के पूर्व के ऋण के लिए आइडीए ऋण के अंतर्गत आइबीआरडी पूल के ऋण और विनिमय दर समायोजन का पुनर्मूल्यांकन शामिल नहीं है।

परिशिष्ट सारणी 56: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

माह के अंत मे	विदेशी मुद्रा भंडार (करोड़ रुपए)					विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर)					कुल विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (वि.आ.अ. मिलियन में)	विदेशी मुद्रा आरक्षित मे घट-बढ़ (वि.आ.अ. मिलियन में)*
	विआअ	स्वर्ण #	विदेशी मुद्रा आस्तियां	अंमुको में आरक्षित शृंखला (ट्रेंच) स्थिति	कुल (2+3+ 4+5)	विआअ	स्वर्ण #	विदेशी मुद्रा आस्तियां	अंमुको में आरक्षित शृंखला (ट्रेंच) स्थिति	कुल (7+8+ 9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मार्च-94	339	12,794	47,287	938	61,358	108	4,078	15,068	299	19,553	13,841	6,595
मार्च-95	23	13,752	66,005	1,050	80,830	7	4,370	20,809	331	25,517	16,352	2,511
मार्च-96	280	15,658	58,446	1,063	75,447	82	4,561	17,044	310	21,997	15,054	-1,298
मार्च-97	7	14,557	80,368	1,046	95,978	2	4,054	22,367	291	26,714	19,272	4,218
मार्च-98	4	13,394	1,02,507	1,117	1,17,022	1	3,391	25,975	283	29,650	22,200	2,929
मार्च-99	34	12,559	1,25,412	2,816	1,40,821	8	2,960	29,522	663	33,153	24,413	2,213
मार्च-00	16	12,973	1,52,924	2,870	1,68,783	4	2,974	35,058	658	38,694	28,728	4,315
मार्च-01	11	12,711	1,84,482	2,873	2,00,077	2	2,725	39,554	616	42,897	34,034	5,306
मार्च-02	50	14,868	2,49,118	2,977	2,67,013	10	3,047	51,049	610	54,716	43,876	9,842
मार्च-03	19	16,785	3,41,476	3,190	3,61,470	4	3,534	71,890	672	76,100	55,394	11,518
मार्च-04	10	18,216	4,66,215	5,688	4,90,129	2	4,198	107,448	1,311	112,959	76,298	20,904
मार्च-05	20	19,686	5,93,121	6,289	6,19,116	5	4,500	135,571	1,438	141,514	93,666	17,368
जून-05	18	19,375	5,75,864	6,791	6,02,048	4	4,453	132,352	1,561	138,370	94,995	1,329
सितं.-05	19	20,727	6,02,309	6,260	6,29,315	4	4,712	136,920	1,423	143,059	98,698	5,032
दिसं.-05	20	23,770	5,90,497	4,096	6,18,383	5	5,274	131,018	909	137,206	95,997	2,331
मार्च-06	12	25,674	6,47,327	3,374	6,76,387	3	5,755	145,108	756	151,622	105,231	11,565
जून-06	2	28,479	7,18,701	3,518	7,50,700	–	6,180	155,968	764	162,912	110,123	4,892
सितं.-06	6	28,506	7,27,733	3,502	7,59,747	1	6,202	158,340	762	165,305	111,967	6,736
दिसं.-06	4	28,824	7,52,738	2,416	7,83,982	1	6,517	170,187	546	177,251	117,822	12,591
मार्च-07	8	29,573	8,36,597	2,044	8,68,222	2	6,784	191,924	469	199,179	131,890	26,659
जून-07	6	27,655	8,39,913	1,875	8,69,449	1	6,787	206,114	460	213,362	140,780	8,890

– : नगण्य

: स्वर्ण का मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के अनुरूप किया गया है।

* : विगत मार्च की तुलना में घट-बढ़।

टिप्पणी : 1. स्वर्ण की धारिता में सरकार द्वारा वर्ष 1991-92, के दौरान 191 मिलियन अमरीकी डॉलर, 1992-93 के दौरान 29.4 मिलियन अमरीकी डॉलर, 1993-94 के दौरान् 139.3 मिलियन अमरीकी डॉलर, 1994-95 के दौरान 315.0 मिलियन अमरीकी डॉलर और 1995-96 के दौरान 17.9 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के अर्जित स्वर्ण का समावेश है। तथापि, स्वर्ण-बॉण्ड योजना के अंतर्गत मोचन संबंधी देयताओं के निर्वाह हेतु 43.55 करोड़ रुपए की लागत का 1.27 टन स्वर्ण (11.97 मिलियन अमरीकी डॉलर) तथा 1,485.22 करोड़ रुपए लागत का 38.9 टन स्वर्ण (376.0 मिलियन अमरीकी डॉलर) 2.13 करोड़ रुपए (0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर) का 0.06 टन स्वर्ण भारत सरकार द्वारा क्रमशः 13 नवंबर 1997, 1 अप्रैल, 1998 और 5 अक्तूबर 1998 को खरीदा गया।

2. मार्च 1999 तक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और विशेष आहरण अधिकारों का अमरीकी डॉलर मे ंपरिवर्तन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर किया गया है। 1 अप्रैल 1999 से प्रभावी, यह परिवर्तन न्यूयार्क में बंद विनिमय दर पर किया गया है।

परिशिष्ट सारणी 57 : निर्यात ऋण पर ब्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

निर्यात ऋण	प्रभावी दरें										
	01 जनवरी, 1998	30 अप्रैल, 1998	06 अगस्त, 1998	01 अप्रैल, 1999	29 अक्तबर, 1999	26 मई, 2000	06 जनवरी, 2001	05 मई, 2001#	26 सितंबर, 2001#	18 मई, 2004 #	01 मई, 2006 #
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. पोतलदानपूर्व ऋण											
i) 180 दिन तक*	12.00	11.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.
ii) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक	14.00	14.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-0.5प्र.अं.	स्वतंत्र	स्वतंत्र
iii) 90 दिन तक ईसीजीसी गारंटी से कवर हुए सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन के प्रति	12.00	11.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.
2. पोतलदानपूर्व ऋण											
i) मार्गस्थ अवधि के मांग बिल (फेडाई द्वारा यथा विनिर्दिष्ट)*	≤ 11.00	≤ 11.00	9.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.
ii) मीयादी बिल (कुल अवधि के लिए, जिसमें निर्यात बिलों की मीयादी अवधि, फेडाई द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मार्गस्थ अवधि और छूट अवधि, और छूट अवधि, जहां लागू है)											
क)90 दिन तक *	≤ 11.00	≤ 11.00	9.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अं.
ख) पोतलदान के दिनांक से 90 दिन से अधिक ओर छह माह तक	13.00	13.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-0.5प्र.अं.	स्वतंत्र	स्वतंत्र
ग) पोतलदान के दिनांक से छह माह से अधिक	20.00$ (न्यून)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) गोल्ड कार्ड योजना के अंतर्गत निर्यातकों के लिए 365 दिन तक										≤बीपीएलआर-2.5प्र.अ	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अ
iii) ईसीजीसी गारंटी में कवर हुए सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन के प्रति (90 दिन तक)	≤ 11.00	≤ 11.00	9.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अ	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अ
iv) अनाहरित शेष पर (90 दिन तक)	≤ 11.00	≤ 11.00	9.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अ	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अ
v) पोतलदान के दिनांक से एक वर्ष के भीतर देय रिटेंशन मुद्रा (आपूर्ति भाग के लिए ही) के प्रति (90 दिन तक)	≤ 11.00	≤ 11.00	9.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤पीएलआर-1.5प्र.अं.	≤पीएलआर-2.5प्र.अं.	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अ	≤बीपीएलआर-2.5प्र.अ
3.आस्थगित ऋण 180 दिन से अधिक के आस्थगित ऋण के लिए	स्वतंत्र (एफडीए)	स्वतंत्र (एफडीए)	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र
4.अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया निर्यात ऋण											
क) पोतलदानपूर्व ऋण		स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	@
ख) पोतलदानोत्तर ऋण	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	स्वतंत्र	25.00 (न्यून)	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	स्वतंत्र	@

एफडीए : अग्रिम के दिनांक से न्यून : न्यूनतम पीएलआर : मुख्य उधार दर बीपीएलआर : बेंचमार्क मुख्य उधार दर. ≤ : से अनधिक — : लागू नहीं प्र. अं. : प्रतिशत अंक

$: बहुत पुराने मामले, अर्थात 1 जुलाई 1997 के अतिदेय को छूट दी गई है। # : ये उच्चतम दरें हैं, बैंकों को उच्चतम दरों से नीचे की दरें लगाने की छूट होगी। * : उल्लिखित अवधि से अधिक की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए ब्याज दरें 1 मई 2006 से मुक्त हैं।

@ : ईसीएनओएस को 1 मई 2006 से समाप्त किया गया। बैंक अपनी स्वयं की दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

टिप्पणी : 1. 'स्वतंत्र' का अर्थ यह है कि बैंक बीपीएलआर और स्प्रेड दिशानिर्देश को ध्यान में रखकर ब्याज दरें लगा सकते हैं।

2. निर्दिष्ट श्रेणियों के निर्यातकों को रुपया निर्यात ऋण के ब्याज के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष सरकारी अनुदान देने के संबंध में सरकार के निर्णय के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जुलाई 2007 को नौ श्रेणियों के निर्यात के निर्यातकों के रुपया निर्यात ऋण के ब्याज के संबंध में संशोधित अनुदेश जारी किए। ये नौ श्रेणियां हैं-वस्त्र (हतकरघा सहित),तैयार वस्त्र, चमड़े की वस्तुएं, हस्तशिल्प वस्तुएं, इंजीनियरिंग उत्पाद, परिष्कृत कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद, खेल वस्तुएं तथा खिलौने तथा माइक्रो उद्यम के रूप में परिभाषित क्षेत्र के लघु तथा मध्यम उद्यम द्वारा किए गए निर्यात, लघु तथा मध्यम उद्यम। तदनुसार बैंक सभी लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्रों तथा उपर्युक्त नौ श्रेणियों के निर्यातकों को 180 दिन तक के पोत-लदान पूर्व ऋण के लिए तथा 90 दिन तक के पोत-लदानोत्तर ऋण के लिए बीपीएलआर -4.5 प्रतिशत से अनधिक ब्याज लगाएंगे।

परिशिष्ट सारणी 58: खज़ाना बिलों की स्थिति

(राशि करोड़ रुपए)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1. अधिकतम मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)				
91-दिवसीय खज़ाना बिल				
न्यूनतम	4.16	4.37	5.12	5.41
अधिकतम	5.47	5.61	6.69	8.10
भारित औसत	4.63	4.89	5.51	6.80
182-दिवसीय खज़ाना बिल				
न्यूनतम	..	..	5.29	5.61
अधिकतम	..	..	6.74	8.20
भारित औसत	..	..	5.65	6.87
364-दिवसीय खज़ाना बिल				
न्यूनतम	4.31	4.43	5.58	5.90
अधिकतम	5.49	5.77	6.81	7.98
भारित औसत	4.67	5.15	5.87	7.07
2. सकल निर्गम				
91-दिवसीय खज़ाना बिल	36,789	1,00,592 (67,955)	1,03,424 (52,057)	1,31,577 (48,222)
182-दिवसीय खज़ाना बिल	..	..	26,828 (13,078)	36,912 (16,125)
364-दिवसीय खज़ाना बिल	26,136	47,132 (20,981)	45,018 (16,000)	53,813 (20,440)
3. निवल निर्गम				
91-दिवसीय खज़ाना बिल	2,485	20,653 (19,500)	-11,474 (-19,500)	28,911 (14,473)
182-दिवसीय खज़ाना बिल	..	..	9,771 (3,000)	7,435 (4,950)
364-दिवसीय खज़ाना बिल	10	20,997 (20,981)	-2,114 (-4,981)	8,795 (4,440)
4. वर्ष के अंत में बकाया				
91-दिवसीय खज़ाना बिल	7,139	27,792 (19,500)	16,318 (0)	45,229 (14,473)
182-दिवसीय खज़ाना बिल	..	..	9,771 (3,000)	17,206 (7,950)
364-दिवसीय खज़ाना बिल	26,136	47,132 (20,981)	45,018 (16,000)	53,813 (20,440)

.. : लागू नहीं।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एमएसएम के अंतर्गत निर्गम दर्शाते हैं।
2. 182-दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी 6 अप्रैल 2005 से शुरू की गई।

परिशिष्ट सारणी 59: केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम

(राशि करोड़ रुपए)

नीलामी विवरण					बोली/आवेदन प्राप्त				बोली/आवेदन स्वीकृत								ऋण का नाम
					प्रतियोगी		गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी		गैर-प्रतियोगी		कुल (11+13)	आबंटन प्रा.व्या. (भार)	बढ़ी सकल राशि (14+15)	अधिकतम कीमत (रु.) / प्राप्ति (%)	
नीलामी तिथि	निर्गम तिथि	अवधि (वर्ष)	अवशिष्ट परिपक्वता (वर्ष)	अधिसूचित राशि	संख्या +	अंकित मूल्य	संख्या +	अंकित मूल्य	संख्या +	अंकित मूल्य	संख्या +	अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2006-07																	
10-अप्रै-06	12-अप्रै-06	10	10.00	5000	208	11286.20	21	27.56	78	4972.44	21	27.59	5000		5000	7.5900	7.59 % स.प्र., 2016 # **
10-अप्रै-06	12-अप्रै-06	30	28.33	3000	119	6410.00	8	11.90	21	2664.00	8	11.90	2676	324.10	3000	94.73/7.9701	7.50 % स.प्र., 2034 $ **
25-अप्रै-06	26-अप्रै-06	10	6.02	6000	224	11593.00	14	12.46	126	5987.54	14	12.46	6000		6000	101.64/7.0604	7.40 % स.प्र., 2012 $ **
25-अप्रै-06	26-अप्रै-06	30	26.34	4000	160	9399.50	14	18.15	61	3981.85	14	18.15	4000		4000	99.33/8.0038	7.95 % स.प्र., 2032 $ **
04-मई-06	05-मई-06	10	9.94	6000	284	11304.11	23	29.20	145	5971.00	23	29.20	6000		6000	100.26/7.5512	7.59 % स.प्र., 2016 $ **
04-मई-06	05-मई-06	30	28.26	4000	185	8638.61	5	4.75	97	3995.00	5	4.75	4000		4000	92.90/8.1442	7.50 % स.प्र., 2034 $ **
23-मई-06	24-मई-06	15	15.00	5000	153	11368.50	22	28.68	69	4971.00	22	28.65	5000		5000	7.9400	7.94 % स.प्र., 2021 # ** ए.मू.
06-जून-06	07-जून-06	30	30.00	4000	96	8778.50	3	1.33	28	3998.67	3	1.33	4000		4000	8.3300	8.33 % स.प्र., 2036 # ** ए.मू.
06-जून-06	07-जून-06	10	5.07	6000	194	14732.00	11	9.93	60	5990.07	11	9.93	6000		6000	108.33/7.3877	9.39 % स.प्र., 2011 $ **
22-जून-06	23-जून-06	12	8.52	5000	216	8168.00	7	2.98	164	2997.02	7	2.98	5000		5000	96.84/7.9171	7.37 % स.प्र., 2014 $ **
22-जून-06	23-जून-06	15	14.95	4000	112	6632.98	31	16.28	86	3983.72	31	16.28	4000		4000	95.65/8.4573	7.94 % स.प्र., 2021 $ ** ए.मू.
11-जुला-06	12-जुला-06	10	9.75	5000	159	7571.00	25	24.38	20	1590.00	25	24.38	1614	3385.62	5000	95.36/8.2902	7.59 % स.प्र., 2016 $ ** ए.मू.
11-जुला-06	12-जुला-06	30	28.08	2000	64	4085.00	4	1.47	15	104.00	4	1.47	105	1894.54	2000	86.99/8.7504	7.50 % स.प्र., 2034 $ ** ए.मू.
27-जुला-06	28-जुला-06	6	3.79	4000	218	9035.00	26	18.46	109	3981.54	26	18.46	4000		4000	99.53/7.6898	7.55 % स.प्र. , 2010 $ **
08-अग-06	09-अग-06	10	4.90	6000	239	15317.00	21	21.85	61	5978.15	21	21.85	6000		6000	105.76/7.9436	9.39% स.प्र. , 2011 $ **
08-अग-06	09-अग-06	10	9.68	3000	219	9714.00	18	22.34	25	2977.66	18	22.34	3000		3000	95.51/8.2706	7.59% स.प्र. , 2016 $ **
18-अग-06	21-अग-06	30	29.79	3000	141	7935.94	6	6.29	58	2993.71	6	6.29	3000		3000	95.76/8.7296	8.33% स.प्र., 2036 $ **
18-अग-06	21-अग-06	15	10.40	5000	314	15732.60	15	19.75	53	4980.25	15	19.75	5000		5000	99.62/8.1230	8.07% स.प्र., 2017 $ **
08-सितं-06	11-सितं-06	10	9.59	6000	323	16710.00	22	21.08	46	5978.92	22	21.08	6000		6000	98.85/7.7607	7.59% स.प्र., 2016 $ **
08-सितं-06	11-सितं-06	30	27.91	3000	186	8151.50	10	13.25	34	2986.75	10	13.25	3000		3000	89.83/8.4533	7.50% स.प्र., 2034 $ **
13-अक्तू-06	16-अक्तू-06	10	9.49	6000	193	10569.00	18	22.74	141	5977.26	18	22.74	6000		6000	99.71/7.6330	7.59% स.प्र., 2016 $ **
13-अक्तू-06	16-अक्तू-06	30	29.64	3000	121	6901.80	19	17.88	9	2982.12	19	17.87	3000		3000	102.50/8.1046	8.33% स.प्र., 2036 $ **
03-नवं-06	06-नवं-06	10	5.49	6000	274	15288.00	15	11.83	113	5988.18	15	11.83	6000		6000	99.54/7.5035	7.40 % स.प्र., 2012 $ **
03-नवं-06	06-नवं-06	30	27.76	3000	145	7318.88	7	7.50	8	2992.50	7	7.50	3000		3000	94.23/8.0199	7.50% स.प्र., 2034 $ **
24-नवं-06	27-नवं-06	15	10.13	5000	285	13679.41	30	31.38	141	4968.62	30	31.38	5000		5000	104.47/7.4323	8.07 % स.प्र., 2017 $ **
08-दिसं-06	11-दिसं-06	12	7.35	5000	257	10712.50	15	20.08	104	4979.92	15	20.08	5000		5000	100.32/7.3104	7.37% स.प्र., 2014$ **
08-दिसं-06	11-दिसं-06	30	29.49	4000	177	10439.43	5	7.50	29	3992.50	5	7.50	4000		4000	108.15/7.6312	8.33% स.प्र., 2036 $ **
12-जन-07	15-जन-07	30	29.39	4000	115	5705.00	14	19.60	105	3980.40	14	19.60	4000		4000	101.00/8.2379	8.33% स.प्र., 2036 $ **
25-जन-07	29-जन-07	15	14.32	5000	248	12031.50	11	10.69	114	4989.32	11	10.69	5000		5000	97.81/8.2005	7.94% स.प्र., 2021 $ **
09-फर-07	12-फर-07	12	7.18	6000	170	10048.73	19	17.24	82	5982.76	19	17.24	6000		6000	97.25/7.8759	7.37% स.प्र., 2014 $**
09-फर-07	12-फर-07	30	29.32	3000	220	8754.00	2	2.40	90	2997.60	2	2.40	3000		3000	101.53/8.1898	8.33% स.प्र., 2036 $**
06-मार्च-07	07-मार्च-07	7	2.08	6000	201	13340.00	0	0.00	86	6000.00	0	0.00	6000		6000	97.70/7.8670	6.55% स.प्र., 2009 $**@
09-मार्च-07	09-मार्च-07	15	9.84	4000	239	11720.25	20	20.61	45	3979.00	20	20.61	4000		4000	100.05/8.0600	8.07% स.प्र., 2017$**
09-मार्च-07	12-मार्च-07	30	20.24	3000	165	8200.50	5	3.77	50	2996.00	5	3.77	3000		3000	99.22/8.4000	8.33% स.प्र., 2036$**
14-मार्च-07	15-मार्च-07	7	2.06	2000	105	4972.50	0	0.00	60	2000.00	0	0.00	2000		2000	97.55/7.9622	6.65% स.प्र., 2009 $ ** @
22-मार्च-07	23-मार्च-07	7	2.03	2000	164	8774.00	1	0.70	27	1999.30	1	0.70	2000		2000	97.49/8.0100	6.65% स.प्र., 2009 $ ** @
28-मार्च-07	29-मार्च-07	7	2.02	6000	185	11012.00	1	0.50	132	5999.50	1	0.50	6000		6000	97.26/8.1496	6.65% स.प्र., 2009 $ ** @

** : गैर प्रतियोगी बोलीकर्ताओं को आबंटन प्रतियोगी बोली की भारित औसत आय/मूल्य पर।
+ : आवेदकों की संख्या
$: पुनर्निर्गम
ए.मू.: एकसमान मूल्य
@ : बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत जारी
# : आय आधारित नीलामी

परिशिष्ट सारणी 60: केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां - स्थिति

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
1. सकल उधार	80,350	1,31,000	1,46,000
2. चुक्तौती	34,316	35,630	39,084
3. निवल उधार	46,034	95,370	1,06,916
4. भारित औसत परिपक्वता (वर्ष में)	14.13	16.90	14.75
5. भारित औसत प्रतिफल (प्रतिशत)	6.11	7.34	7.89
6. अ . परिपक्वता वर्गीकरण - राशि			
(क) 5 वर्ष तक	3,000	0	10,000
(ख) 5 से अधिक और 10 वर्ष तक	15,000	34,000	69,000
(ग) 10 वर्ष से अधिक	62,350	97,000	67,000
कुल	80,350	1,31,000	1,46,000
आ. परिपक्वता वर्गीकरण - (प्रतिशत)			
(क) 5 वर्ष तक	4	0	7
(ख) 5 से अधिक और 10 वर्ष तक	19	26	47
(ग) 10 वर्ष से अधिक	77	74	46
कुल	100	100	100
7. मूल्य-आधारित नीलामी - राशि	72350	1,25,000	1,32,000
8. प्रतिफल - प्रतिशत			
(क) न्यूनतम	4.49@ (12 वर्ष)	6.69 (5 वर्ष, 6 माह)	7.06 (6 वर्ष, 1 माह)
(ख) अधिकतम	8.24 (27 वर्ष ,10 माह)	7.98 (29 वर्ष , 3 माह)	8.75 (28 वर्ष, 1 माह)
9. प्रतिफल - परिपक्वता वर्गीकरणवार			
(क) 10 वर्ष से कम			
न्यूनतम	5.47 (9 वर्ष)	6.69 (5 वर्ष, 6 माह)	7.06 (6 वर्ष, 1 माह)
अधिकतम	7.20 (5 वर्ष, 6 माह)	7.06 (8 वर्ष, 2 माह)	8.29 (9 वर्ष, 9 माह)
(ख) 10 वर्ष			
न्यूनतम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	7.59
अधिकतम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	7.59
(ग) 10 वर्ष से अधिक			
न्यूनतम	4.49 (12 वर्ष)	6.91 (10 वर्ष, 10 माह)	7.43 (10 वर्ष, 1 माह)
अधिकतम	8.24 (27 वर्ष,10 माह)	7.98 (29 वर्ष, 3 माह)	8.75 (28 वर्ष, 1 माह)
ज्ञापन मदें :			
1. भा.रि.बैंक द्वारा प्रारंभिक अंशदान	350	10,000	0
2. भा.रि.बैंक द्वारा खुला बाजार परिचालन-निवल बिक्री	2,899	3,913	5,125
3. केंद्र को अर्थोपाय अग्रिम (बकाया) (31 मार्च को)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

@ : एफआरबी से संबंधित।
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े अवशिष्ट अवधि दर्शाते हैं।

परिशिष्ट सारणी 61: राज्य सरकार का बाजार उधार
कार्यक्रम : 2006-07

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम. सं.	राज्य का नाम	सकल आबंटन (=4+5+6)	चुकौती	निवल आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	सकल उधार*	निवल उधार (=7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2726	530	1521	675	2726	2196
2.	अरुणाचल प्रदेश	108	5	21	82	108	103
3.	असम	857	179	632	46	857	678
4.	बिहार	1183	418	766	–	$	-418
5.	छत्तीसगढ़	476	95	381	–	$	-95
6.	गोवा	159	19	140	–	100	81
7.	गुजरात	944	282	662	–	$	-282
8.	हरियाणा	598	147	451	–	$	-147
9.	हिमाचल प्रदेश	512	44	468	–	512	468
10.	जम्मू व कश्मीर	691	73	167	450	691	617
11.	झारखंड	401	141	259	–	401	259
12.	कर्नाटक	1376	233	1142	–	$	-233
13.	के रल	2168	380	773	1015	2168	1788
14.	मध्य प्रदेश	1421	357	1065	–	1420	1063
15.	महाराष्ट्र	1738	468	1269	–	1738	1269
16.	मणिपुर	99	18	81	–	99	81
17.	मेघालय	192	28	89	76	192	164
18.	मिज़ोरम	125	17	38	71	125	108
19.	नगालैंड	293	44	160	90	293	250
20.	उड़ीसा	1047	393	653	–	$	-393
21.	पंजाब	981	243	438	300	981	738
22.	राजस्थान	1499	434	1065	–	1499	1065
23.	सिक्किम	115	17	97	–	115	97
24.	तमिलनाडु	1814	444	1371	–	1814	1371
25.	त्रिपुरा	123	20	104	–	35	15
26.	उत्तर प्रदेश	3248	979	2269	–	3248	2269
27.	उत्तरांचल	369	52	317	–	369	317
28.	पश्चिम बंगाल	1336	492	844	–	1336	844
	कुल	**26597**	**6551**	**17242**	**2804**	**20825**	**14273**

* : टैप निर्गम द्वारा न जुटाते हुए नीलामी से जुटाई गई सभी राशियां।

$: राज्यों ने 2006-07 के दौरान बाजार उधार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया।

परिशिष्ट सारणी 62: नीलामी से जुटाए गए राज्य सरकार के बाजार उधार : 2006-07

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम सं.	नीलामी की तारीख	राज्य	अधिसूचित राशि	स्वीकृत राशि	बाजार दर @ (प्रतिशत)	प्राप्त बोलियों की संख्या	प्रस्तावित राशि	भारित औसत दर	अधिकतम दर (प्रतिशत)	व्याप्ति (प्रतिशत बिंदु)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(=10-6)
1.	27-04-2006	केरल	300	300	7.43	72	1700	–	7.65	0.22
2.	11-05-2006	आंध्र प्रदेश	500	500	7.53	71	1438	7.81	7.89	0.36
3.	11-05-2006	अरुणाचल प्रदेश	13	13	7.53	3	20	7.88	8.00	0.47
4.	11-05-2006	असम	263	263	7.53	13	319	7.94	7.95	0.42
5.	11-05-2006	जम्मू व कश्मीर	150	150	7.53	10	150	7.91	8.04	0.51
6.	11-05-2006	झारखंड	130	130	7.53	14	235	7.92	7.96	0.43
7.	11-05-2006	केरल	400	400	7.53	64	1262	7.82	7.87	0.34
8.	11-05-2006	मध्य प्रदेश	300	300	7.53	24	688	7.91	7.95	0.42
9.	11-05-2006	महाराष्ट्र	500	500	7.53	58	1518	7.83	7.91	0.38
10.	11-05-2006	मणिपुर	57	57	7.53	6	121	7.96	7.98	0.45
11.	11-05-2006	मेघालय	50	40	7.53	4	52	7.95	7.95	0.42
12.	11-05-2006	मिज़ोरम	19	15	7.53	3	15	8.00	8.05	0.52
13.	11-05-2006	नगालैंड	120	120	7.53	8	175	7.94	7.95	0.42
14.	11-05-2006	पंजाब	438	438	7.53	52	1472	7.87	7.93	0.40
15.	11-05-2006	उत्तर प्रदेश	1633	1633	7.53	112	4219	7.98	8.00	0.47
16.	11-05-2006	उत्तरांचल	159	159	7.53	13	242	7.91	7.95	0.42
17.	11-05-2006	पश्चिम बंगाल	869	869	7.53	89	2895	7.88	7.93	0.40
18.	13-07-2006	आंध्र प्रदेश	742	742	8.33	88	2902	8.63	8.65	0.32
19.	13-07-2006	झारखंड	78	78	8.33	11	280	8.65	8.65	0.32
20.	13-07-2006	मध्य प्रदेश	300	300	8.33	43	1330	8.63	8.66	0.33
21.	13-07-2006	मेघालय	29	29	8.33	8	84	8.65	8.65	0.32
22.	13-07-2006	मिज़ोरम	19	19	8.33	3	39	8.65	8.65	0.32
23.	13-07-2006	राजस्थान	450	225	8.33	67	1949	8.62	8.62	0.29
24.	13-07-2006	सिक्किम	64	64	8.33	12	195	8.65	8.65	0.32
25.	25-08-2006	असम	216	215	7.97	24	497	8.11	8.11	0.14
26.	25-08-2006	केरल	300	300	7.97	59	1545	8.11	8.11	0.14
27.	25-08-2006	राजस्थान	500	500	7.97	69	2573	8.11	8.11	0.14
28.	25-08-2006	त्रिपुरा	35	35	7.97	11	112	8.11	8.11	0.14
29.	18-10-2006	अरुणाचल प्रदेश	48	48	7.68	2	50	8.04	8.04	0.36
30.	18-10-2006	केरल	153	153	7.68	22	424	7.99	7.99	0.31
31.	16-11-2006	आंध्र प्रदेश	400	400	7.53	69	1622	7.72	7.74	0.21
32.	16-11-2006	हिमाचल प्रदेश	300	300	7.53	39	1024	7.74	7.74	0.21
33.	16-11-2006	जम्मू व कश्मीर	91	91	7.53	7	217	7.76	7.80	0.27
34.	16-11-2006	महाराष्ट्र	500	500	7.53	62	2074	7.74	7.74	0.21
35.	16-11-2006	मणिपुर	42	42	7.53	7	119	7.76	7.82	0.29
36.	16-11-2006	मिज़ोरम	21	21	7.53	7	76	7.76	7.82	0.29
37.	16-11-2006	नगालैंड	43	43	7.53	6	111	7.76	7.82	0.29
38.	16-11-2006	पंजाब	243	243	7.53	51	1101	7.73	7.74	0.21
39.	16-11-2006	राजस्थान	274	274	7.53	43	1174	7.73	7.74	0.21
40.	16-11-2006	सिक्किम	50	50	7.53	6	130	7.74	7.82	0.29
41.	16-11-2006	पश्चिम बंगाल	467	467	7.53	51	1791	7.74	7.74	0.21
42.	14-12-2006	आंध्र प्रदेश	409	409	7.69	70	1110	7.88	7.93	0.24
43.	14-12-2006	असम	166	166	7.69	15	449	7.80	7.89	0.20
44.	14-12-2006	झारखंड	193	193	7.69	15	472	7.84	7.99	0.30
45.	14-12-2006	केरल	400	400	7.69	55	923	7.87	7.94	0.25
46.	14-12-2006	मेघालय	55	55	7.69	9	182	7.81	7.94	0.25
47.	14-12-2006	नगालैंड	40	40	7.69	7	135	7.81	7.81	0.12
48.	14-12-2006	राजस्थान	300	300	7.69	46	1267	7.80	7.81	0.12
49.	14-12-2006	तमिलनाडु	400	400	7.69	72	1376	7.88	7.93	0.24
50.	18-01-2007	आंध्र प्रदेश	300	300	7.81	59	1146	7.96	7.99	0.18
51.	18-01-2007	गोवा	100	100	7.81	22	365	7.95	7.99	0.18
52.	18-01-2007	केरल	315	315	7.81	41	1071	7.97	7.99	0.18
53.	18-01-2007	तमिलनाडु	500	500	7.81	92	2421	7.95	7.96	0.15
54.	05-02-2007	जम्मू व कश्मीर	200	200	7.69	32	405	7.89	7.95	0.26
55.	22-02-2007	आंध्र प्रदेश	375	375	7.96	47	826	7.10	8.17	0.21
56.	22-02-2007	अरुणाचल प्रदेश	47	47	7.96	9	206	8.09	8.10	0.14
57.	22-02-2007	असम	213	213	7.96	16	655	8.12	8.20	0.24
58.	22-02-2007	केरल	300	300	7.96	31	753	8.11	8.19	0.23
59.	22-02-2007	मध्य प्रदेश	350	350	7.96	26	639	8.11	8.20	0.24
60.	22-02-2007	तमिलनाडु	500	500	7.96	56	1242	8.11	8.19	0.23
61.	22-02-2007	उत्तर प्रदेश	1615	1615	7.96	75	2242	8.37	8.45	0.49
62.	13-03-2007	हिमाचल प्रदेश	212	212	7.97	30	798	8.26	8.35	0.38
63.	13-03-2007	जम्मू व कश्मीर	250	250	7.97	11	357	8.41	8.45	0.48
64.	13-03-2007	मध्य प्रदेश	470	470	7.97	48	1043	8.35	8.40	0.43
65.	13-03-2007	मेघालय	67	67	7.97	5	164	8.36	8.39	0.42
66.	13-03-2007	मिज़ोरम	70	70	7.97	6	220	8.36	8.39	0.42
67.	13-03-2007	नगालैंड	90	90	7.97	6	260	8.37	8.39	0.42
68.	13-03-2007	पंजाब	300	300	7.97	43	1190	8.25	8.32	0.35
69.	13-03-2007	राजस्थान	200	200	7.97	32	856	8.19	8.25	0.28
70.	13-03-2007	तमिलनाडु	414	414	7.97	69	1460	8.22	8.32	0.35
71.	13-03-2007	उत्तरांचल	211	211	7.97	23	649	8.29	8.38	0.41
72.	23-03-2007	महाराष्ट्र	738	738	7.94	64	1805	8.31	8.35	0.41

@ : समान परिपक्वता वाली केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का द्वितीयक बाजार प्रतिफल।